



इस्लामी नैतिकता के नियम एवं सिद्धांत

أصول الأخلاق الإسلامية
النسخة الهندية

लेखक:

डॉक्टर खालिद पुत्र हामिद अल-हाज़िमी
पूर्व प्रोफेसर इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना मुनव्वरा

हिंदी अनुवाद:

साबिर हुसैन पुत्र मुहम्मद मुजीबुर रहमान

इस्लामी नैतिकता के नियम एवं सिद्धांत

लेखक:

डॉक्टर खालिद पुत्र हामिद अल-हाज़िमी
पूर्व प्रोफेसर इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना मुनव्वरा

हिंदी अनुवाद:

साबिर हुसैन पुत्र मुहम्मद मुजीबुर रहमान

भूमिका

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ﷺ (١) وبعد:

अल्लाह तआला ने मानव जाति पर इतनी बाहुल्यता के साथ अनुग्रह किया है कि उसको गिनना संभव ही नहीं है, उन्हीं अनुग्रहों में से एक यह है कि एक अंतराल के बाद अल्लाह तआला ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नबी बना कर इस संसार में भेजा। आप ऐसे समय में रसूल बन कर आए जब मानव जाति बुराइयों में लिप्त थी, हर तरह की दुष्टता उनके अंदर विद्यमान थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मानवता को अनैतिकता के दलदल से निकाल कर नैतिकता के गुणों से सुशोभित करने इस संसार में आए, जिन गुणों को आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पहले के रसूल भी लेकर आए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसी उच्च नैतिकता को पूर्ण करने आए, जैसाकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने स्वयं फ़रमाया है: “मैं इस लिए भेजा गया हूँ ताकि उच्च नैतिकता को पूर्ण कर सकूँ”।⁽²⁾ आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम शिष्टाचार एवं नैतिकता के उच्च गुणों के शिखर पर विराजमान थे, जैसाकि स्वयं अल्लाह तआला ने आपके बारे में फ़रमाया है:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [سورة القلم: ٤]

अनुवाद: (आप नैतिकता के उच्च शिखर पर हैं)। सूरह क़लम: ४।

अल्लाह तआला ने आपके द्वारा नैतिकता को पूर्ण किया, अतः आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी उम्मत को नैतिकता की प्रधानता एवं शरई शिष्टाचार सिखाया, तथा उन्हें उन माध्यमों के विषय में बताया जिनके द्वारा वो इन्हें अपना सकते हैं तथा एक आदर्श के रूप में समाज के सामने आ सकते हैं।

इस्लाम ने अखलाक अर्थात् नैतिकता को बड़ा महत्व दिया है, जिसकी ओर मानव स्वभाव आकर्षित होता है, इस्लामी नैतिकता समस्त धर्म को शामिल है, तथा यह मानव को

(1) सुनन नसई (३/ १०४-१०५) संख्या (१४०४), इब्ने माजह (१/ ६०९-६१०) संख्या (१८९२) तथा उपरोक्त शब्द इसी के हैं, अहमद (१/ ३०२), एवं अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सहीह करार दिया है, देखें: सहीह इब्ने माजह (१५३५-१८९२)।

(2) अहमद (२/ ३८१) तथा उपरोक्त शब्द इसी के हैं, मालिक (२/ १०४) संख्या (८), तथा अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सहीह करार दिया है, देखें: सहीहुल जामेअ अस् सगीर, संख्या (२३४९)।

अपने रब के साथ, स्वयं अपने आपके साथ एवं अपने समाज के साथ रहने की सीमा का निर्धारण करता है, जिससे मानवता के व्यवहार में सुधार आता है।

जब इस्लामी प्रशिक्षण कमजोर हो गया तथा दूसरी सभ्यताओं एवं संस्कृति ने अपने पाँव पसारने आरंभ किए तो इस्लामी समाज में भी नैतिक विचलन आना शुरू हो गया जिसका एकमात्र उपचार इस्लामी प्रशिक्षण की ओर पुनः लौटे बिना दूसरा कोई नहीं।

इस पुस्तक में उच्च नैतिकता एवं नियम तथा सिद्धांतों का वर्णन किया गया है और इसके साथ-साथ नैतिक विचलनों का उल्लेख भी किया गया है, बल्कि उसका कारण क्या है, व्यक्ति, समाज, परिवार, संगठन एवं देश का इस विचलन के प्रति क्या दायित्व है तथा इसका उपचार क्या है, इस की ओर भी इशारा किया गया है।

मैं सर्वज्ञ प्रभुत्वशाली अल्लाह से यह आशा करता हूँ कि इस कार्य को वह इस उम्मत के सुधार में एक लाभदायक योगदान बनाए, और इसे निश्छल रूप से अपनी प्रसन्नता के लिए स्वीकार कर ले, तथा इसे क़यामत के दिन तक सदाका जारियह (अनवरत जारी रहने वाला दान) बनाए। मेरी इस कृति में जो भी सही व दुरुस्त बात है वह अल्लाह की तौफ़ीक़ एवं अनुग्रह से है तथा जो भी त्रुटि एवं गलती है तो इसके बारे में अल्लाह से दुआ करते हुए मैं कहता हूँ कि:

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [سورة البقرة: २८६]

अनुवाद: (हे अल्लाह! हमसे जो भूल-चूक हो जाए अथवा गलती हो जाए तो हमारी पकड़ नहीं करना)। सूरह बक्ररह: २८६।

इसी प्रकार मैं अल्लाह से यह दुआ करता हूँ कि वह मुझे एवं आपको उच्च नैतिकता से मौखिक एवं कर्म दोनों आधार पर सुसज्जित करे, तथा हमें नैतिक विचलन और उसकी यातना से हमें सुरक्षित रखे।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

मदीना मुनव्वरा

२७/ ११/ १४२८ हिजरी

प्रथम अध्यायः

इस्लामी अखलाक़ (नैतिकता)

पहला पाठः अखलाक़ का अर्थ

दूसरा पाठः अखलाक़ के नियम व सिद्धांत

तीसरा पाठः अखलाक़ का सीमा निर्धारण

चौथा पाठः नैतिक आचरण के सिद्धांत

पाँचवां पाठः इस्लामी नैतिकता की नींव

छठा पाठः शिष्टाचार और नैतिक गुण

सातवां पाठः नैतिक शिक्षा और नैतिक निर्णय की नींव

परिचय:

इस्लाम धर्म ने अखलाक अर्थात् नैतिकता पर बड़ा ध्यान दिया है जिसका विवरण कुरआन -ए- करीम की आयतों एवं हदीस के छंदों में बिखरा पड़ा है, तथा इसके लिए कुछ सिद्धांत बनाए हैं कि व्यक्ति विशेष एवं समाज यदि उन सिद्धांतों का पालन करे तो विनाशकारी धाराओं, नैतिक विचलन एवं सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संघर्षों से बच सकता है जिनसे कुछ समाज पीड़ित हैं।

किंतु कुछ व्यक्ति एवं समाज के निकट अखलाक के अर्थ के विषय में गलत धारणा बैठ गई है, अतः मूल इस्लामी शिक्षाओं से दूरी के कारण वे अखलाक की वह फ़ज़ीलत बयान करते हैं जो वास्तव में है ही नहीं, जबकि इसके विपरीत कुछ लोग अपनी इच्छानुसार अखलाक की कुछ विशेषताओं को इससे बाहर निकाल देते हैं जिसका परिणाम यह हुआ कि लोगों के निकट इसके संबंध में गलत धारणा बैठ गई जो इस्लामी प्रशिक्षण प्रणाली से मेल नहीं खाती है, बल्कि यह इस्लामी प्रशिक्षण के विरुद्ध है, जैसे महिला एवं पुरुष का एक-दूजे से मेल-जोल, बेपर्दगी, धोखा, फरेब एवं दूसरों की संस्कृति का अंधअनुकरण जिसका अल्लाह ने कोई प्रमाण नहीं उतारा है।

तथा यह विभिन्न क्षेत्रों में भी परिलक्षित हुआ है, विज्ञान और तीव्र ज्ञान के हस्तांतरण, गैर-इस्लामी संस्कृतियों का अनुवाद करने और उन्हें और उनके रीति-रिवाजों और परंपराओं को प्रचारित करने के माध्यम से आने वाली सांस्कृतिक धाराओं के परिणामस्वरूप भी यह प्रभावित हुआ है, यहाँ तक कि खान-पान, छुट्टी और समारोह भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, तथा यह इस बात की पुष्टि करता है कि इस्लामी उम्मत इस्लाम के दुश्मनों द्वारा नैतिक आक्रमण की चुनौतियों का सामना कर रही है।

इसी प्रकार इस्लामी शैक्षणिक अखलाक बाहरी कारणों से प्रभावित हुए बिना इस्लामी अखलाक के वास्तविक अर्थ की सुरक्षा करने का ध्येय रखता है, और इसे समाज एवं व्यक्ति विशेष के जीवन में लागू करने प्रयास करता है, अतः नैतिक आचरण के लिए शैक्षिक सिद्धांतों एवं शर्ई नियमों को स्पष्ट करना अति आवश्यक है।

पहला पाठः

अखलाक़ (नैतिकता) का अर्थ

प्रथमः अखलाक़ का शाब्दिक अर्थः

अरबी भाषा में अल्-खुलुक़ का अर्थ होता है: धर्म, स्वभाव एवं प्रवृत्ति, तथा इसकी वास्तविकता यह है कि यह मनुष्य का बाहरी रूप है, यह उसका मूल, गुण एवं उसकी विशेष विशेषताएं हैं जो उसके बाहरी रूप को लोगों के सामने रखती हैं, तथा यह गुण अच्छा भी हो सकता है एवं बुरा भी।⁽¹⁾

अरबी भाषा के एक प्रसिद्ध शब्दकोष (अल् मुअजम अल् वसीत) में आया है कि “अल् खुलुक़” मनुष्य की उस स्थिति को कहते हैं जिनसे बिना सोच-विचार एवं चिंतन-मनन के अच्छे एवं बुरे कार्य घटित होते हैं।⁽²⁾

खुलुक़ मनुष्य के द्वारा अपनाई गई कृत्रिम स्वभाव को भी कहा जाता है।⁽³⁾

तथा राग़िब अस्फ़हानी कहते हैं कि: अल् खलाक़ का अर्थ है: किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित किया गया नैतिक सद्गुण।⁽⁴⁾

एवं इल्मुल अखलाक़ (नैतिकता विज्ञान) से अभिप्राय है: अच्छे एवं बुरे कार्यों का मूल्यांकन करने एवं इसके बारे में निर्णय करने वाला ज्ञान।⁽⁵⁾

पूर्वोक्त बातों से यह स्पष्ट हो गया कि अखलाक़ शाब्दिक तौर पर विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है, कभी यह स्वभाव एवं प्रवृत्ति के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, कभी कृत्रिम रूप से अपनाए गए स्वभाव के अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो कभी अच्छे ढंग से एक साथ रहने के अर्थ में भी प्रयोग होता है।

संक्षिप्त रूप में यह कहना उचित है कि: अखलाक़ का शाब्दिक अर्थ इस बात को स्पष्ट करता है कि कुछ अखलाक़ जन्मजात एवं नैसर्गिक होते हैं तथा कुछ अखलाक़ कृत्रिम एवं अर्जित किए गए होते हैं, तथा यह अच्छा भी होता है एवं बुरा भी।

(1) लिसानुल अरब, लेखक: इब्ने मन्ज़ूर (१/ ८६)।

(2) अल् क़ामूस अल् मुहीत, लेखक: फैरोज़ाबादी (३/ २२९)।

(3) अल् मुअजम अल् वसीत, संकलनकर्ता: मज्मउल् लुग़तिल अरबिय्यह (१/ २५२)।

(4) लिसानुल अरब, लेखक: इब्ने मन्ज़ूर (१/ ८७)।

(5) अल् मुअजम अल् वसीत, संकलनकर्ता: मज्मउल् लुग़तिल अरबिय्यह (१/ २५२)।

द्वितीय: कुरआन -ए- करीम में अखलाक का वर्णन:

खुलुक का शब्द कुरआन में दो स्थानों पर प्रयोग हुआ है:

क- अल्लाह तआला का यह कथन:

﴿قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَزَّتْ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٦﴾ إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾﴾

الشعراء: १३६ - १३७

अनुवाद: (उन्होंने कहा: नसीहत करो या न करो, हम पर सब समान है। यह बात तो बस प्राचीन लोगों की नीति है)। सूरह शुअरा: १३६-१३७।

हाफ़िज़ इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह कहते हैं: “अर्थात् हम अपने बाप दादाओं जैसे पूर्वजों के धर्म का ही पालन करेंगे, इसके सिवा किसी धर्म को नहीं मानते, हम अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए उसी के समान जीवन बिताएंगे, तथा जैसे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए हम भी मर जाएंगे, और मृत्यु पश्चात हमें पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा एवं न ही हमारा हिसाब होगा”^(१)

ख- अल्लाह तआला का यह कथन:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾﴾ [سورة الفلم: ४]

अनुवाद: (आप नैतिकता के उच्च शिखर पर हैं)। सूरह कलम: ४।

अर्थात्: (आप एक महान धर्म पर हैं जोकि इस्लाम धर्म है)^(२) तथा इसका अर्थ यह है कि: (कुरआन के आदेशों एवं वर्जनाओं का अनुसरण करना आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का स्वभाव बन चुका है, कुरआन जो करने का आदेश देता है आप उसे करते हैं तथा जिस कार्य के करने से रोकता है आप उससे रुक जाते हैं, तथा यह इस कारण है कि अल्लाह ने आपको लज्जा, दानशीलता, वीरता एवं सहनशीलता तथा हर प्रकार के उच्च गुणों से अलंकृत किया है)^(३) तथा इसी की तरफ मोमिनों की माता आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इशारा किया था जब क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अखलाक के विषय में प्रश्न किया था, उन्होंने उत्तर देते हुए कहा था: “क्या तुम कुरआन नहीं पढ़ते? मैंने कहा: क्यों नहीं (हाँ पढ़ता हूँ), तो उन्होंने कहा कि: कुरआन ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अखलाक था”^(४)

(१) तफ़सीरुल कुरआनिल् अज़ीम, लेखक: इब्ने कसीर (३/ ३५५)।

(२) तफ़सीरुल कुरआनिल् अज़ीम, लेखक: इब्ने कसीर (४/ ४२९)।

(३) पिछला संदर्भ (४/ ४२९)।

(४) सहीह मुस्लिम (१/ ५१२-५१३) संख्या (१३९-७४६)।

तथा सहीह बुखारी व मुस्लिम में अनस रजियल्लाहु अन्हु से वर्णित है, वह कहते हैं: “मैंने दस वर्ष तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा की, अल्लाह की कसम! आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझे कभी उप्फ तक नहीं कहा, न ही किसी काम के लिए यह कहा कि: तुमने ऐसा क्यों किया? तथा न ही किसी कार्य के लिए यह कहा कि: तुमने ऐसा क्यों नहीं किया?”⁽¹⁾

शैखुल इस्लाम इब्ने तैमियह रहिमहुल्लाह कहते हैं: “जहाँ तक उस खुलुक -ए- अज़ीम (उच्च नैतिकता) की बात है जिससे अल्लाह तआला ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को विशेषित किया है तो इससे अभिप्राय वह जामेअ अर्थात वृहद धर्म है जिसने व्यापक रूप से अल्लाह के सभी आदेशों को संग्रहीत किया है, इसी तरह की बात मुजाहिद रहिमहुल्लाह आदि ने भी कही है, तथा यही कुरआन की व्याख्या है जैसाकि आयशा रजियल्लाहु अन्हा ने कहा है (कुरआन ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अखलाक था) जिसकी वास्तविकता यह है कि मानव अल्लाह के उन आदेशों का, जिन्हें अल्लाह पसंद करता है, खुले मन से एवं प्रसन्नचित्त हो कर पालन करे”⁽²⁾

इससे यह स्पष्ट हुआ कि खुलुक से अभिप्राय महान इस्लाम धर्म है जैसाकि दूसरी आयत से इसका स्पष्टीकरण होता है, तथा यह इस बात को आधारित है कि इरादा को अल्लाह के लिए निश्छल एवं निःकपट बनाया जाए तथा अनुसरण केवल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का किया जाए, ताकि वह इस्लामी नैतिकता के गुणों से विशेषित हो सके, तथा कभी-कभी इससे अभिप्राय दूसरा धर्म भी होता है जैसाकि पहली आयत से स्पष्ट होता है, अर्थात यह सद्गुणों एवं प्रशंसनीय स्वभाव के लिए भी बोला जाता है एवं दुर्गुणों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसाकि इसके शब्दकोषीय अर्थ एवं कुरआन से स्पष्ट होता है।

तृतीय: हदीस में अखलाक का वर्णन:

खुलुक शब्द हदीस में अनेक स्थानों पर प्रयोग हुआ है, जिनमें से कुछ का निम्न में उल्लेख किया जा रहा है:

क- **अल् बिर:** नव्वास बिन समआन रजियल्लाहु अन्हु से वर्णित है, वह कहते हैं कि: “मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बिर (नेकी) के संबंध में पूछा, तो आपने फरमाया: बिर, हुस्न -ए- अखलाक (उच्च नैतिकता एवं शिष्टाचार) का नाम है, तथा इस्म (पाप) वह है जो तेरे मन में खटके, एवं तुम इस बात को

⁽¹⁾ सहीह बुखारी (४/ ९८) संख्या (६०३८), व मुस्लिम (४/ १८०४) संख्या (५१-२३०९)।

⁽²⁾ मज्मूअ रसाइल अल् कुब्रा, लेखक: इब्ने तैमियह (१/ २३४)।

अप्रिय समझो कि दूसरे लोग उससे अवगत हों”।⁽¹⁾ यह हदीस इस बात को प्रमाणित करती है कि हुस्न -ए- अखलाक ही बिर्र है (तथा बिर्र कभी संबंध जोड़ने के अर्थ में प्रयोग होता है, कभी दया के अर्थ में, कभी नेकी करने, अच्छा व्यवहार करने एवं सही ढंग से साथ रहने के अर्थ में, कभी आज्ञापालन के अर्थ में प्रयोग होता है, तथा ये चीजें हुस्न -ए- अखलाक को एक साथ संग्रहीत करने वाली हैं)⁽²⁾ अल्लामा इब्नुल कैयिम रहिमहुल्लाह उपरोक्त हदीस के संबंध में कहते हैं: “यह हुस्न -ए- अखलाक, आत्मा एवं हृदय की शांति को प्रमाणित करता है”।⁽³⁾ और इसका अर्थ यह निकलता है कि यह आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के कर्मों को शामिल है।

ख- यह प्रशंसनीय गुणों एवं सद्कर्मों को कहा जाता है: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “निश्चय ही अल्लाह दयालु है तथा दयालुता एवं उच्च आचरण को पसंद करता है, तथा दुष्ट आचरण से घृणा करता है”।⁽⁴⁾ अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है, वह कहते हैं: “मैंने दस वर्ष तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा की, अल्लाह की क्रसम! आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझे कभी उप्फ तक नहीं कहा, न ही किसी काम के लिए यह कहा कि: तुमने ऐसा क्यों किया? तथा न ही किसी कार्य के लिए यह कहा कि: तुमने ऐसा क्यों नहीं किया?”।⁽⁵⁾ अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आचरण एवं व्यवहार का वर्णन करते हुए कहते हैं: “आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम न तो कटुभाषी थे एवं न ही अश्लील बातों तथा कामों में पड़ते थे”, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाया करते थे: “तुम में सर्वोत्तम व्यक्ति वह है जिसका आचार-व्यवहार सबसे उत्तम हो”।⁽⁶⁾

यह हदीसों इस बात को प्रमाणित करती हैं कि नैतिकता एवं आचरण में से कुछ अच्छे एवं प्रशंसनीय होते हैं तथा यह प्रशंसनीय गुण, सद्कर्म एवं लोगों के संग शिष्टाचार दिखाने में परिलक्षित होता है।

(1) सहीह मुस्लिम (४/ १९८०) संख्या (१४-२५५३)।

(2) शर्ह सहीह मुस्लिम, लेखक: नववी (१६/ १११)।

(3) मदारिजुस्सालिकीन, लेखक: इब्नु कैयिमिल जौज़िय्यह (२/ ३१९)।

(4) अल् हाकिम (१/ ४८), मकारिमुल अखलाक, लेखक: अल् खराइती, पृष्ठ (५५), तथा अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सहीह करार दिया है, देखें: सहीहुल जामेअ अस्सगीर (१/ ३७०) संख्या (१८००)।

(5) सहीह बुखारी (४/ ९८) संख्या (६०३८), व मुस्लिम (४/ १८०४) संख्या (५१-२३०९)।

(6) सहीह बुखारी (४/ ९६) संख्या (६०२९), व मुस्लिम (४/ १८१०) संख्या (२३२१)।

तथा कभी-कभी यह बुरे आचरण के अर्थ में भी प्रयोग होता है: अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दुआ करते हुए कहा करते थे: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ (الأَخْلَاقِ، وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ) (अल्लाहुम्मा इन्नी अऊजुबिका मिन् मुन्करातिल् अख्लाकि, वल् आमालि वल् अहवाइ) (अर्थात: हे अल्लाह! मैं बुरे संस्कारों, बुरे कार्यों एवं बुरी इच्छाओं से तेरी शरण चाहता हूँ)।⁽¹⁾ तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह प्रार्थना किया करते थे: إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ، وَيُحِبُّ مُعَالِيَ الْأَخْلَاقِ، وَيَكْرَهُ سَفَاسِفَهَا (इन्नल्लाहा करीमुन युहिब्बुल करमा, व युहिब्बु मआलिल् अख्लाकि, व यकरहु सफासि,फ,हा) (अर्थात: अल्लाह महान को अच्छे और सद् कर्म पसंद हैं और तुच्छ, बेकार एवं घृणित कार्यों को वह नापसंद करता है)।⁽²⁾ हदीस में वर्णित शब्द “मुन्करातिल् अख्लाक” एवं “सफासि,फ,हा” इस बात को प्रमाणित करते हैं कि कुछ आचार-व्यवहार एवं नैतिकता बुरे एवं निंदनीय भी होते हैं, जो मनुष्य के व्यवहार संबंधी दोष एवं नीचता में परिलक्षित होता है।

ग- यह जन्मजात नैसर्गिक आचरण के अर्थ में प्रयोग होता है: तथा यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के उस कथन से स्पष्ट होता है जो आपने अब्दुल कैस प्रतिनिधिमण्डल के अशज्ज से कहा था: “तुम में दो गुण ऐसे हैं जो अल्लाह को प्रिय हैं: एक सहिष्णुता और दूसरा गरिमा एवं वक्रार, उन्होंने कहा: अल्लाह के दूत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! क्या मैंने ये दो गुण स्वयं अपनाए हैं अथवा अल्लाह ने यह गुण मेरे अंदर जन्मजात रूप से ही रखे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा: बल्कि अल्लाह ने ये गुण तुममें जन्म से ही रखे हैं, तो उन्होंने कहा: अल्लाह का शुक्र है, जिसने मुझे दो ऐसे गुणों के साथ पैदा किया, जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल दोनों ही पसंद करते हैं”।⁽³⁾ हाफिज़ इब्ने हजर रहिमहुल्लाह कहते हैं: “उनका यह पूछना कि: (क्या मैंने ये दो गुण स्वयं अपना लिए हैं अथवा अल्लाह ने यह गुण मेरे अंदर जन्मजात रूप से ही रखे हैं?) दर्शाता है कि कुछ नैतिकता एवं आचरण को मनुष्य अपनाता एवं कुछ उसके अंदर जन्मजात रूप से होते हैं”।⁽⁴⁾

⁽¹⁾ तिर्मिजी (५/ ५३६) संख्या (३५९१) तथा उपरोक्त शब्द तिर्मिजी द्वारा ही वर्णित हैं, हाकिम (१/ ५३२) तथा उन्होंने कहा है: यह हदीस मुस्लिम की शर्त के अनुसार सहीह है, तथा अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सहीह करार दिया है, देखें: सहीहुल् जामेअ अस् सगीर (१/ २७८) संख्या (१२९८)।

⁽²⁾ इस हदीस का संदर्भ पीछी गुजर चुका है।

⁽³⁾ पीछे इस हदीस का हवाला दिया जा चुका है।

⁽⁴⁾ फ़तुह बारी, लेखक: इब्ने हजर (१०/ ४५९)।

घ- **मनुष्य द्वारा अपनाई गई नैतिकता एवं आचरण:** इसको मनुष्य अभ्यास, आदत एवं लालन-पालन के माध्यम से प्राप्त करता है, यही कारण है कि एक व्यक्ति ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा: मुझे वसीयत (उपदेश) कीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह से डरते रहो, एवं बुराई करने के पश्चात अच्छाई कर लो ताकि वह अच्छाई उस बुराई को मिटा दे, और लोगों के संग अच्छा व्यवहार करो”।⁽¹⁾ तथा आपने फ़रमाया: “जो झूठ बोलना छोड़ दे, यद्यपि यह हास्य-परिहास के लिए ही क्यों न हो, तो उसके लिए जन्नत के मध्य में एक घर है, और जो लोगों के साथ उच्च नैतिकता एवं अच्छा व्यवहार करे उसके लिए जन्नत के उच्च भाग में एक घर है”।⁽²⁾ यह हदीसों इस बात को प्रमाणित करती हैं कि मनुष्य के लिए संभव है कि वह अभ्यास कर के उच्च गुणों को अपनाए, एवं इसी का प्रदर्शन करता रहे यहाँ तक कि यह उसके स्वभाव में रच बस जाए, जिसके कारण उसे पुण्य, सवाब एवं उच्च स्थान प्राप्त हो, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “मेरे निकट तुम में से सबसे प्रिय एवं क्रयामत के दिन मेरे सबसे निकट बैठने के आधार पर वह व्यक्ति होगा जिसकी नैतिकता एवं आचार-व्यवहार सबसे उत्तम होगा, तथा मेरे निकट सर्वाधिक अप्रिय एवं क्रयामत के दिन मुझ से सबसे ज्यादा दूर बैठने के आधार पर व्यर्थ बकवास करने वाले, बात करने के लिए बाँछें मोड़ने वाले एवं अहंकार करने वाले लोग होंगे”।⁽³⁾ तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “क्रयामत के दिन मोमिन के मीज़ान (तुला, तराजू) में उच्च नैतिकता एवं उत्तम आचार-व्यवहार के पुण्य से बढ़ कर भारी वस्तु और कोई नहीं होगी, तथा निस्संदेह अल्लाह तआला कटुभाषी अश्लील व्यक्ति से घृणा करता है”।⁽⁴⁾ इससे यह स्पष्ट

⁽¹⁾ तिर्मिज़ी (४/ ३१२-३१३) संख्या (१९८७), अहमद (५/ १५३) तथा अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को हसन करार दिया है, देखें: सहीह सुनन तिर्मिज़ी, संख्या (१६१८-२०७०)।

⁽²⁾ अबू दावदू (१/ १५०) संख्या (४८००) तथा उपरोक्त शब्द उन्हीं के द्वारा वर्णित हैं, तिर्मिज़ी (४/ ३१५) संख्या (१९९४), इब्ने माजह (१/ १९-२०) संख्या (५१), तथा अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सहीह करार दिया है, देखें: अस् सिलसिलह अस् सहीहह, संख्या (२७३)।

⁽³⁾ तिर्मिज़ी (४/ ३२५) संख्या (२०१८) तथा उपरोक्त शब्द तिर्मिज़ी द्वारा ही वर्णित हैं, अहमद (४/ १९४) तथा अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सहीह करार दिया है, देखें: सहीहुल् जामेअ अस् सगीर, संख्या (१५३५)।

⁽⁴⁾ अबू दावदू (५/ १५०) संख्या (४७९९), तिर्मिज़ी (४/ ३१८-३१९) संख्या (२००२) तथा उपरोक्त शब्द तिर्मिज़ी द्वारा ही वर्णित हैं एवं उन्होंने इस हदीस को “हसन सहीह कहा है”, अहमद (६/ ४४२, ४४६, ४५१, ४५२), तथा अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सहीह करार दिया है, देखें: सहीह सुनन तिर्मिज़ी, संख्या (१६२८-३०८७)।

होता है कि आदमी प्रशंसनीय अथवा निंदनीय दोनों प्रकार के गुणों से विशेषित होता है, यदि वह सद्गुण से विशेषित हो तो उसे “मआलि -ए- अखलाक़ अथवा फ़ज़ाइल -ए- अखलाक़ (उच्च नैतिकता एवं अच्छा आचार-व्यवहार) एवं यदि वह दुर्गुण से विशेषित हो तो उसे “रज़ाइल -ए- अखलाक़ अथवा मुन्कारत -ए- अखलाक़ (अनैतिकता एवं दुष्ट आचरण)” कहा जाता है।

इन बातों से पूर्णरूपेण यह स्पष्ट हो जाता है कि अखलाक़ (नैतिकता) उस बाहरी रूप का नाम है जिससे व्यक्ति विशेषित होता चाहे वह जैसा भी हो (अर्थात: अच्छा या बुरा), यही वह चीज़ है जिस को क़ुरआन -ए- करीम की दोनों आयतें प्रमाणित करती हैं: एक तो अल्लाह तआला का यह कथन है:

﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ﴾ [سورة الشعراء: १३७]

अनुवाद: (यह बात तो बस प्राचीन लोगों की नीति है)। सूरह शुअरा: १३६-१३७।

एवं दूसरा अल्लाह का यह फ़रमान है:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [سورة الفلم: ६]

अनुवाद: (आप नैतिकता के उच्च शिखर पर हैं)। सूरह क़लम: ४। अर्थात: एक क़ुरआनी नैतिकता है एवं दूसरे से अभिप्राय प्राचीन लोगों की नीति है, तथा पूर्व में इसकी व्याख्या की जा चुकी है, इसी तरह शब्दकोषीय अर्थ से भी यही स्पष्ट होता है कि अखलाक़ कहते हैं किसी मनुष्य के बाहरी रूप को जोकि अच्छा एवं बुरा दोनों हो सकता है।

इसके द्वारा अखलाक़ के सामान्य अर्थ का वर्णन करने में पवित्र क़ुरआन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस एवं भाषा का एकमत होना भी स्पष्ट हो जाता है।

चतुर्थ: इस्लामी प्रशिक्षण में अखलाक़ (नैतिकता)

यहाँ हम कुछ परिभाषाओं का उल्लेख करेंगे ताकि इसके द्वारा इस्लामी प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से हम अखलाक़ के एक निश्चित अर्थ तक पहुँच सकें:

- **अखलाक़:** यह व्यक्ति की उस विशेषता का नाम है जिसके द्वारा वह दूसरों के संग व्यवहार करता है चाहे वह प्रशंसनीय हो अथवा निंदनीय। इब्ने हज़र रहिमहुल्लाह कहते हैं: “अखलाक़ अर्थात नैतिकता एवं आचरण व्यक्ति की उस विशेषता का नाम है जिसके द्वारा वह दूसरों के संग व्यवहार करता है यह प्रशंसनीय भी होता है एवं निंदनीय भी, संक्षिप्त रूप में प्रशंसनीय वह है जिसमें स्वयं से अधिक दूसरों का ध्यान रखा जाए, एवं विस्तारित रूप में नाम है: क्षमा कर देने, सहनशीलता, दानवीरता एवं धैर्य, कष्ट झेलने, दया एवं स्नेह, दूसरों की

आवश्यकताओं की पूर्ति करने, प्रेम रखने एवं विनम्रता इत्यादि अपनाने का, एवं निंदनी वह है जो इसके विपरीत हो”⁽¹⁾

- तथा इसे इसके उत्सर्जन स्रोत से जाना जाता है, चुनाँचे इब्ने मुफ़्लिह रहिमहुल्लाह अखलाक़ (नैतिकता) के संबंध में कहते हैं कि: “मनुष्य की बाहरी रचना के प्रतिनिधि एवं उसकी आंतरिक संरचना को नैतिकता कहा जाता है, जो वास्तव में उसका सार एवं अस्तित्व होता है, जिसके विशेष गुण होते हैं जो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी”⁽²⁾

अर्थात् हर उस चीज़ को अखलाक़ कहा जाता है जिससे मनुष्य विशेषित होता है चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तथा यह मनुष्य के आंतरिक रूप का प्रदर्शनकर्ता होता है, जब यह प्रकट होता है तो यह मनुष्य के बाहरी अखलाक़ को प्रदर्शित करता है, इसी के समान बात अल्लामा सफ़फ़ारीनी ने भी कही है।⁽³⁾

तथा मुहम्मद अब्दुल्लाह बिन दराज़ रहिमहुल्लाह कहते हैं: “ख़ुलुक़ अर्थात् नैतिकता इच्छाशक्ति में निहित एक शक्ति है जो यह चुनने की प्रवृत्ति रखती है कि क्या अच्छा है और क्या सही है (यदि नैतिकता प्रशंसनीय हो तो) या यह चुनती है कि क्या बुरा है और क्या अन्यायपूर्ण है (यदि नैतिकता निंदनीय हो तो)”⁽⁴⁾ अर्थात् नैतिकता का केंद्र बिंदु मनुष्य का आंतरिक रूप होता है जो उसके व्यवहार में परिलक्षित होता है, तथा अखलाक़ अर्थात् नैतिकता की यह परिभाषा बयान करने में, दराज़, इब्ने मुफ़्लिह एवं सफ़फ़ारीनी से सहमत नज़र आते हैं, तथा दराज़ रहिमहुल्लाह अपनी एक दूसरी पुस्तक में पिछली परिभाषा को और अधिक स्पष्ट करते हुए एवं इस पर जोर देते हुए कहते हैं: “ख़ुलुक़ अथवा अखलाक़ शब्द की सही अर्थों में परिभाषा यह है कि इससे अभिप्राय वह नैसर्गिक अथवा अर्जित की हुई शक्ति है जिससे व्यवहार स्वतः प्रकट होता है, दूसरे शब्दों में कहें तो: ख़ुलुक़ हमारे अन्तःकरण का प्रकट व ठोस स्वरूप है, जोकि खलक़ का विलोम है जिससे अभिप्राय मखलूक़ (रचना) का वह बाहरी रूप (शारीरिक बनावट) है जो अल्लाह तआला ने उसे प्रदान किया है”⁽⁵⁾

(1) फ़तहूल बारी, लेखक: इब्ने हज़र (१०/ ४५६)।

(2) अल् आदाब अल् शरईय्यह, लेखक: इब्ने मुफ़्लिह (२/ २०५)।

(3) ग़िज़ाउल अलबाब, लेखक: सफ़फ़ारीनी (१/ ३६०)।

(4) दिरासातुन इस्लामिय्यतुन फ़िल् इलाकात अल् इज्तिमाइय्यह व अदौलिय्यह, लेखक: मुहम्मद अब्दुल्लाह दराज़, पृष्ठ (८८)।

(5) दुस्तूरुल अखलाक़ि फ़िल् कुरआन, लेखक: मुहम्मद अब्दुल्लाह दराज़, पृष्ठ (६०५)।

ग़ज़ाली रहिमहुल्लाह कहते हैं: “अल् ख़ुलुक” आत्मा में एक सुस्थापित रूप है जहाँ से कार्य बिना किसी सोच-विचार एवं चिंतन-मनन की आवश्यकता के सहजता से घटित होते हैं”⁽¹⁾

ग़ज़ाली रहिमहुल्लाह उस अवस्था के बारे में कहते हैं जो अख़लाक़ के उद्भव का स्रोत है: “यद्यपि उस से बुरे कार्य घटित होते हों, उस अवस्था को जो इसका उद्गम स्थल है, बुरा आचरण कहा जाता है, हम इसे सुस्थापित रूप इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि कोई कभी-कभार किसी आवश्यकता के तहत दान करता हो तो हम उसको यह नहीं कहेंगे कि वह दानी है जब तक कि यह उसके अंदर सुस्थापित रूप से न पाया जाए, तथा हमने (कार्य बिना किसी सोच-विचार एवं चिंतन-मनन की आवश्यकता के सहजता से घटित होते हैं की) शर्त इसलिए लगाई है क्योंकि जो दिखावा करते हुए धन खर्च करे एवं क्रोध आने पर जान बूझ कर एवं सोच-विचार करने के बाद चुप्पी साध ले तो उसके बारे में यह नहीं कहा जायेगा कि उसका अख़लाक़ एवं आचरण दानवीरता तथा सहनशीलता वाला है”⁽²⁾

- कुछ लोगों का मानना है कि अख़लाक़ एवं नैतिकता उस चीज़ के अभ्यास का नाम है जिसका आधार शरीअत एवं बुद्धि हो, चुनाँचे अबू यज़ीद अजमी कहते हैं: “ख़ुलुक एक प्रकार के उस अभ्यास एवं व्यवहार का नाम है जिसको शरीअत एवं बुद्धि मनुष्य की स्थिति के सुधार तथा लोक परलोक में सौभाग्य की प्राप्ति दिलाने वाले के रूप में देखता है, अर्थात् इस जीवन में सौभाग्यशीलता की प्राप्ति एवं आख़िरत में पुण्य तथा स़वाब की प्राप्ति”⁽³⁾

- कुछ लोग अख़लाक़ की सुंदरता के आधार पर इसे परिभाषित करते हैं, चुनाँचे हसन बसरी रहिमहुल्लाह कहते हैं: “हुस्न -ए- अख़लाक़ (अच्छा आचरण) भलाई करने, बुराई दूर करने एवं प्रसन्नचित्त हो कर मिलने का नाम है”⁽⁴⁾ तथा उनसे पूछा गया: “हुस्न -ए- अख़लाक़ क्या है? तो उन्होंने कहा: कल्याणकारी कार्य करना, बुराई को रोकना एवं हंसते-मुस्कुराते हुए एक दूसरे से मिलना”⁽⁵⁾ तथा इब्ने कैयिमिल जौज़िय्यह रहिमहुल्लाह कहते हैं: “हुस्न -ए- अख़लाक़ कल्याणकारी कार्य करने, बुराई दूर करने एवं कष्ट सहने का नाम है, तथा यह भी कहा गया है कि: अच्छाई फैलाना एवं बुराई को रोक लेना हुस्न -ए- अख़लाक़ है, तथा इसकी

⁽¹⁾ इह्याउ उलूमिद्दीन, लेखक: ग़ज़ाली (३/ ५३)।

⁽²⁾ इह्याउ उलूमिद्दीन, लेखक: ग़ज़ाली (३/ ५३)।

⁽³⁾ अस् सुलूक अल् ख़ुलुकी लिल् मुस्लिम, लेखक: अबूल यज़ीद अल् अजमी, अल् जुन्दी अल् मुस्लिम पत्रिका, अंक (३९) पृष्ठ (४)।

⁽⁴⁾ अल् आदाब अश् शरइय्यह, लेखक: इब्ने मुफ़्लिह (२/ २०७)।

⁽⁵⁾ अल् ईमान, लेखक: इब्ने तैमिय्यह, पृष्ठ (१०)।

परिभाषा में यह भी कहा गया है कि: यह दुष्टता को छोड़ देना एवं शिष्टाचार को धारण करने का नाम है”⁽¹⁾

क्राज़ी इयाज़ रहिमहुल्लाह कहते हैं: “हुस्न -ए- अखलाक लोगों के साथ अच्छे ढंग से मिलने, उनसे स्नेह रखने, उन पर दया करने, उनसे मिलने वाले कष्ट को झेलने, उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करने, अप्रिय घटना घटने पर धैर्य रखने, उन पर अहंकार का प्रदर्शन न करने, तथा उनसे क्रोधित न होने का नाम है”⁽²⁾

इब्ने रजब रहिमहुल्लाह कहते हैं: “हुस्न -ए- अखलाक से अभिप्राय कभी शरई नैतिकता का धारण करना एवं उन शिष्टाचार को अपनाना होता है जो अल्लाह ने अपने बंदों को कुरआन में सिखाया है”⁽³⁾

इब्ने तैमियह रहिमहुल्लाह कहते हैं: “हुस्न -ए- अखलाक व्यापक अर्थों में, इससे अभिप्राय है कि आप लोगों के साथ सलाम (अभिवादन), सम्मान एवं उनके लिए प्रार्थना करते हुए मिलें, उनके लिए क्षमा याचना करें, उनकी प्रशंसा करें, उनसे भेंट करने के लिए उनके घर जाएं, उन्हें शिक्षित करें, लाभ पहुँचाएं एवं धन इत्यादि से सहायता करें, यदि कोई आपके शरीर, धन अथवा सम्मान के विषय में अत्याचार करे तो उसे क्षमा कर दें, और याद रखें कि उपरोक्त बातों में से कुछ वाजिब (अनिवार्य) हैं एवं कुछ मुस्तहब (वांछनीय)”⁽⁴⁾

जबकि अब्दुर्रहमान हबन्नकह अल् मैदानी कहते हैं: “खुलुक (आचरण, नैतिकता) आत्मा में रची-बसी उस विशेषता का नाम है -चाहे वह नैसर्गिक हो अथवा अर्जित की हुई- जिसका प्रभाव मानव के व्यवहार में दिखाई देता है चाहे वह प्रशंसनीय हो अथवा निंदनीय”⁽⁵⁾ मानो मनुष्य से घटित होने वाले हर व्यवहार एवं कार्य को वह अखलाक में गिनते हैं चाहे वह प्रशंसनीय हो अथवा निंदनीय, और यदि वह आत्मा के अंदर सुव्यवस्थित रूप से रची-बसी न हो तो वह उसे अखलाक नहीं मानते हैं। इसी प्रकार से मैदानी रहिमहुल्लाह का मानना यह है कि अखलाक आदमी की समस्त विशेषताओं का नाम है चाहे वह प्रशंसनीय हो अथवा निंदनीय, न कि अखलाक केवल अच्छे आचरण एवं व्यवहार का नाम है बुरे आचरण एवं व्यवहार का नहीं, अतः वह कहते हैं कि: “प्रशंसनीय अखलाक चाहे वह नैसर्गिक हो अथवा अर्जित किया हुआ, आत्मा के अंदर रचे-बसे उस गुण का नाम है जो व्यक्ति विशेष को ऐसे प्रशंसनीय कार्य करने को प्रेरित करे जिसे बुद्धिमान लोग पसंद करते हों, जैसे सत्य, भलाई एवं

(1) मदारिजुस्सालिकीन, लेखक: इब्नुल कैयिम (२/ ३२०)।

(2) सुबुलुस्सलाम, लेखक: सन्आनी (४/ १५१७)।

(3) जामिउल् उलूमि वल् हिकम, लेखक: इब्ने रजब, पृष्ठ (२३९)।

(4) मज्मूअतुर् रसाइल अल् कुब्रा, लेखक: इब्ने तैमियह, पृष्ठ (२३४)।

(5) अल् अखलाक अल् इस्लामियह व उसुसुहा, लेखक: मैदानी (१/ १०)।

न्याय का साथ देना यद्यपि वह उसके विरुद्ध ही क्यों न हो, तथा असत्य, बुराई एवं अन्याय का साथ न देना यद्यपि मन इसका इच्छुक एवं लालसी हो⁽¹⁾ जहाँ तक निंदनीय अखलाक (दुष्ट आचरण) की बात है तो वह इसके संबंध में कहते हैं: “निंदनीय अखलाक चाहे वह नैसर्गिक हो अथवा अर्जित किया हुआ हो, आत्मा के अंदर रचे-बसे उस अवगुण का नाम है जो व्यक्ति विशेष को ऐसे निंदनीय कार्य करने को प्रेरित करे जिसे बुद्धिमान लोग नापसंद करते हों, जैसे असत्य, बुराई एवं अन्याय का साथ देना तथा इंद्रिय इच्छा एवं कामना का अनुसरण करते हुए सत्य, भलाई एवं न्याय का साथ न देना⁽²⁾”

वास्तविकता यह है कि निंदनीय अखलाक नैसर्गिक अवगुण नहीं है अपितु यह भलाई एवं बुराई का चयन करने की क्षमता जो मानव को प्रदान की गई है उसका परिणाम है, क्योंकि मनुष्य स्वाभाविक रूप से अच्छी फ़ितरत का होता है, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान रब से वर्णन करते हुए कहते हैं: “मैंने अपने समस्त भक्तों को हुनफ़ा (इस्लाम धर्म) पर उत्पन्न किया है, परंतु उनके पास आ कर शैतान ने उन्हें उनके धर्म से विचलित कर दिया है⁽³⁾” हुनफ़ा का अर्थ बताते हुए कुछ विद्वान कहते हैं कि इससे अभिप्राय है, मुसलमान बना कर उत्पन्न किया, कुछ लोग कहते हैं इसका अर्थ है पापों से पवित्र बना कर जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इससे अभिप्राय यह है कि हमने उन्हें हिदायत व मार्गदर्शन को स्वीकार करने वाला बना कर उत्पन्न किया है⁽⁴⁾ उनकी यह बात इस विचारधारा को प्रमाणित करती है कि निंदनीय अखलाक नैसर्गिक रूप से मानव के अंदर नहीं होता है।

मिक़दाद यालजिन (Miqdād Yāljin) कहते हैं: “इस्लामी दृष्टिकोण से अखलाक की परिभाषा को इस प्रकार परिभाषित किया जाना संभव है कि, अखलाक मानव व्यवहार को नियंत्रित करने वाले वे सिद्धांत और नियम हैं, जो मानव जीवन को व्यवस्थित करने और दूसरों के साथ उसके रिश्ते को इस तरह से निर्धारित करने के लिए वह्य (प्रकाशना) द्वारा निर्धारित होते हैं कि, इस दुनिया में उसके अस्तित्व के उद्देश्य को पूरी तरह से प्राप्त किया जा सके⁽⁵⁾”

इससे स्पष्ट होता है कि मिक़दाद यालजिन अखलाक को उसके उस उद्गम के आधार पर परिभाषित करते हैं जो मानव स्वभाव को व्यवस्थित करता है, इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि मिक़दाद यालजिन बुरे आचरण एवं दुर्गुणों के लिए अखलाक शब्द प्रयोग करने को अनुचित समझते हैं क्योंकि इस्लाम के अंदर दुष्टता एवं अवगुण नहीं है।

(1) पिछला संदर्भ (१/ १६)।

(2) पिछला संदर्भ (१/ १६)।

(3) सहीह मुस्लिम (४/ २१९७) संख्या (१३/ २८६५)।

(4) शर्ह सहीह मुस्लिम, लेखक: नववी (१७/ १९७)।

(5) अत् तर्बियतुल् अखलाकिय्यह फ़िल् इस्लामि, लेखक: मिक़दाद यालजिन, पृष्ठ (७५)।

अखलाक अच्छा भी होता है एवं बुरा भी जिसको व्यक्ति का व्यवहार प्रकट करता है, निम्नांकित बिंदुओं में इसको पारिभाषित करना संभव है:

१- अच्छा एवं प्रशंसनीय अखलाक: यह हर वह सद्गुण है जिसमें नेक इरादा शामिल हो तथा अल्लाह तआला के बताए हुए ढंग के अनुसार हो।

परिभाषा की व्याख्या:

सद्गुण कहने से अवगुण इससे बाहर हो गया।

नेक इरादा इसलिए कहा गया है ताकि इससे वह गुण बाहर हो जाए जो बाह्य रूप में अच्छा तो हो परंतु उसके साथ कोई वर्जित अथवा अवांछनीय नियत शामिल हो, जैसे: पाखण्ड, रियाकारी और प्रसिद्धि पाने के उद्देश्य से इसे किया गया हो ताकि लोग कहें कि अमूक व्यक्ति दाता है, अमूक व्यक्ति वीर है या इसी प्रकार की बातें।

अल्लाह तआला के बताए हुए ढंग के अनुसार हो, इससे वह आचार-व्यवहार बाहर हो गया जिसे विचलित विचारधारा, बुराई का अंध अनुकरण एवं आत्म-इच्छा पूरी करने के लिए अंजाम दिया गया हो।

इसलिए अखलाक को ठीक एवं खालिस (निश्छल) होना चाहिए, क्योंकि अखलाक यदि ठीक हो परंतु खालिस न हो तो यह अखलाक स्वयं अपने आप में तो प्रशंसनीय माना जाएगा परंतु इसका आकलन नियत एवं इरादा के आधार पर किया जाएगा, जैसे वीरता प्रशंसनीय अखलाक में से है किंतु इसका आकलन इरादा के आधार पर किया जाएगा, जैसाकि हदीस में है कि “एक व्यक्ति नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया और कहा: आदमी गनीमत का धन प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ता है, कोई आदमी प्रसिद्धि पाने के लिए लड़ता है और कोई अपनी वीरता साबित करने के लिए लड़ता है, तो इसमें से कौन अल्लाह के मार्ग में माना जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: जो इसलिए युद्ध लड़े ताकि अल्लाह का कलेमा (वाक्य) बुलंद हो वास्तव में वही अल्लाह के मार्ग में माना जाएगा”⁽¹⁾ तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है: “कर्मों का आधार नियतों और इरादों पर है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए वही है जिसकी वह नियत करे, अतः जो अल्लाह एवं उसके रसूल के लिए हिजरत करे तो उसकी हिजरत (पलायन, विस्थापन) अल्लाह एवं उसके रसूल के लिए है, और जिसकी हिजरत सांसारिक लोभ की खातिर हो अथवा किसी

⁽¹⁾ सहीह बुखारी (२/ ३०९) संख्या (२८१०), व मुस्लिम (३/ १५१२-१५१३) संख्या (१४९-१९०४)।

महिला से विवाह करने के लिए हो तो उसकी हिजरत उसी चीज़ के लिए मानी जायेगी जिसके लिए उसने हिजरत की है”⁽¹⁾

अतः कार्य करने वाले को उसके इरादा एवं नियत के आधार पर पुण्य एवं पाप दिया जाएगा, कभी किसी व्यक्ति की नियत वैध होती है अतः उसका कार्य वैध माना जाएगा और उस कार्य के करने पर उसे न पुण्य प्राप्त होगा एवं न ही पाप।⁽²⁾

२- निंदनीय अखलाक़: यह प्रत्येक वह गुण है जो अल्लाह के बताए ढंग के विपरीत हो।

परिभाषा की व्याख्या:

गुण कहने से इसके अंदर अच्छे एवं बुरे दोनों अखलाक़ शामिल हो जाते हैं, परंतु (अल्लाह के बताए ढंग के विपरीत हो) कहने से हर वह गुण बाहर निकल जाता है जिस पर शरीअत ने सहमति जताई हो अथवा उसे करने का आदेश दिया हो।

३- नैतिक व्यवहार: इस से अभिप्राय हर वह गुण है जिससे कोई व्यक्ति विशेषित होता है, तथा यही उसका स्वभाव बन चुका होता है, चाहे यह नैसर्गिक हो अथवा अर्जित किया हुआ और चाहे प्रशंनीय हो अथवा निंदनीय।

परिभाषा की व्याख्या:

हर वह गुण है जिससे कोई व्यक्ति विशेषित होता है, कहने से व्यक्ति का वह गुण इस परिभाषा से बाहर निकल गया जिसको व्यक्ति यदा-कदा करता है, अतः इसे उसका स्वभाव एवं अखलाक़ नहीं माना जाएगा।

इसी प्रकार से मनुष्य के कुछ अखलाक़ ऐसे होते हैं जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता है, जैसे उसका साफ-सुथरा रहना, सुंदर वस्त्र धारण करना एवं स्वच्छता को पसंद करना।

चाहे यह नैसर्गिक हो अथवा अर्जित किया हुआ, यह इस बात को प्रमाणित करता है कि कुछ अखलाक़ नैसर्गिक रूप से मनुष्य के अंदर विद्यमान होते हैं तो कुछ को मनुष्य अर्जित करता है।

चाहे प्रशंनीय हो अथवा निंदनीय, का अर्थ यह है कि इंसान का अखलाक़ दो प्रकार का होता है: प्रशंनीय एवं अच्छा तथा निंदनीय एवं बुरा।

⁽¹⁾ सहीह बुखारी (१/ १३) संख्या (१), व मुस्लिम (३/ १५१५-१५१६) संख्या (१५५-१९०७)।

⁽²⁾ जामिउल् उलूमि वल् हिकम, लेखक: इब्ने रजब।

उपरोक्त परिभाषाओं से यह प्रमाणित होता है कि अखलाक अर्थात् नैतिकता एवं आचार-व्यवहार प्रशंनीय एवं अच्छा तथा निंदनीय एवं बुरा दोनों प्रकार का होता है, यदि कोई व्यक्ति प्रशंसनीय अखलाक से विशेषित हो तो उसका यह व्यवहार उस समय तक उसके संबंध में प्रशंसनीय एवं अच्छा नहीं माना जाएगा जब तक इसके साथ अच्छी निय्यत न शामिल हो, और यदि कोई व्यक्ति यदा-कदा कोई बुरा कार्य करता हो तो इसे उसका अखलाक नहीं माना जाएगा क्योंकि यह उसका स्वभाव नहीं है, यद्यपि उस कार्य के लिए उसको धिक्कारा जाएगा एवं उसके लिए उसको दण्डित किया जाएगा, जैसाकि आगे विस्तार के साथ इसका वर्णन आ रहा है।

दूसरा पाठः

अखलाक के ज़ाबित अर्थात् नियम एवं सिद्धांत

ज़ाबित की परिभाषा:

ज़ब्त कहते हैं कि किसी चीज़ को दृढ़ता के साथ थाम लेने को।⁽¹⁾

जहाँ तक अखलाक़ी ज़ाबते की बात है तो यह मानव व्यवहार की सीमाओं एवं प्रतिबंधों को कहते हैं।

ज़ाबता की किस्में:

इस विषय में एवं इन जैसे अन्य विषयों में सर्वाधिक जिस चीज़ को जानने की आवश्यकता होती है वह है इसके सदंभों, इसके पक्षों एवं इसे समझने के तरीके को नियंत्रित करना ताकि जो लोग इसकी खोज में रहते हैं वे अदूरदर्शिता और तरीकों की संरचनाओं की भूलभुलैया से दूर रहें, ताकि जो इसमें से नहीं है वह नैतिकता में शामिल न हो और जो इसके अंदर है वह इसमें से निकाल न दिया जाए।

इस मामले में उन ज़ाबतों (नियमों, नियंत्रणों) को जानने की आवश्यकता है जिनका व्यक्ति को पालन करना चाहिए ताकि कोई भटक न जाए या गुमराह हो कर बर्बाद हो जाए, और इन ज़ाबतों को तीन सिद्धांतों में परिभाषित किया जा सकता है:

- १- शरई ज़ाबते।
- २- प्रथागत ज़ाबते।
- ३- मनोवैज्ञानिक ज़ाबते।

प्रथमः शरई ज़ाबते:

⁽¹⁾ लिसानुल अरब, लेखक: इब्ने मन्ज़ूर (७/ ३४०)।

शरई ज़ाबते से अभिप्राय है: वो दलीलें, या कुरआन एवं हदीस के नुसूस (छंद), जिनके अनुसार कार्य करने का अथवा छोड़ने का मुसलमानों को आदेश दिया गया है चाहे उसका संबंध कर्म से हो अथवा कथन से, तथा इसके पाँच प्रकार हैं⁽¹⁾:

१- हराम अखलाक़ (वर्जित नैतिकताएं):

इससे अभिप्राय है हर वह व्यवहार चाहे उसका संबंध कर्म से हो अथवा कथन से जिसे शरीअत ने हराम करार दिया है, जैसे माता-पिता की अवज्ञा करना चाहे उसका संबंध कर्म से हो अथवा कथन से, या झूठ बोलना अथवा अत्याचार एवं अन्याय करना।

अल्लाह तआला एवं उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जिन कार्यों के करने का आदेश दिया है उसके विरुद्ध कार्य करना, अथवा जिस कार्य को अनिवार्य रूप से करने को कहा है उसको न करना भी, इसी के अंदर शामिल है।

२- मकरूह अखलाक़ (अवांछनीय नैतिकता):

इससे अभिप्राय हर वह कार्य है जिसे अल्लाह तआला एवं उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मकरूह तौर पर करने से रोका है चाहे उसका संबंध कर्म से हो अथवा कथन से, तथा मकरूह कहते हैं हर उस कार्य को जिसको करने से बेहतर उसे छोड़ देना है, कभी-कभी महज़ूर (निषेध) के लिए भी यह शब्द बोला जाता है, तथा उस कार्य के लिए भी बोला जाता है जिससे तन्ज़ीही (शुद्धता के) तौर पर रोका गया हो, अतः उसके करने वाले को दण्ड नहीं दिया जाएगा⁽²⁾, जैसे लेन-देन में बाएं हाथ का प्रयोग करना।

३- वाजिब अखलाक़ (अनिवार्य नैतिकता):

इससे अभिप्राय हर वह कार्य है जिसे अल्लाह तआला एवं उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने वाजिब तौर पर करने को कहा है, चाहे उसका संबंध कर्म से हो अथवा कथन से, जैसे माता-पिता के संग अच्छा व्यवहार करना, सच बोलना, वाजिब कार्यों को अदा करने में सन्न करना, अमानत अदा करना तथा संबंध जोड़ना।

४- मुस्तहब अखलाक़ (वांछनीय नैतिकता):

इससे अभिप्राय हर वह कार्य है जिसे अल्लाह तआला एवं उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुस्तहब तौर पर करने को कहा है, चाहे उसका संबंध कर्म से हो अथवा

⁽¹⁾ यह विभाजन फ़िक्ह की पुस्तकों में वर्णित विभाजन के आधार पर किया गया है, उदाहरण के लिए देखें: अल् वरिकात, लेखक: अल् हुवैनी, पृष्ठ (८), मुज़क्करह फ़ी उसूलिल् फ़िक्ह, लेखक: मुहम्मद अमीन शन्क्रीती, पृष्ठ (११), अल् उसूल मिन इल्मिल उसूल, लेखक: इब्ने उसैमीन, पृष्ठ (९)।

⁽²⁾ मुज़क्करह फ़ी उसूलिल् फ़िक्ह, लेखक: मुहम्मद अमीन शन्क्रीती, पृष्ठ (२५)।

कथन से, अतः इसके करने वाले को पुण्य दिया जाएगा, परंतु न करने वाले को दण्डित नहीं किया जाएगा, जैसे: दाहिने हाथ से लेन-देन करना।

५- मुबाह अखलाक़ (वैध नैतिकता):

इससे अभिप्राय हर वह व्यवहार है जिसे न तो करने का आदेश दिया गया है एवं न ही करने से रोका गया है, चाहे उसका संबंध कर्म से हो अथवा कथन से, जैसे: अतिथि को भोजन कराना।

किंतु यदि उस मुबाह व्यवहार के करने से कोई हुराम अथवा मकरूह कार्य संबंधित हो तो उसका वही हुक्म होगा, जैसे: अतिथि को भोजन कराते समय हुराम या मकरूह भोजन परोसा जाए, या इसी तरह यदि उस मुबाह व्यवहार के करने से कोई वाजिब अथवा मुस्तहब कार्य संबंधित हो तो उसका वही हुक्म होगा, जैसे: लोगों के आने-जाने वाले रास्ते में बैठने पर निगाह नीची रखना, कष्ट को दूर करना एवं सलाम करना।

द्वितीयः प्रथागत ज़ाबते:

इससे अभिप्राय हर वह व्यवहार है जिसको करना अथवा न करना लोगों के मध्य प्रसिद्ध एवं प्रचलित हो, और वह इस प्रकार से कि उसको न करना अथवा करना लोगों के निकट शिष्टाचार के विरुद्ध माना जाता हो।

उर्फ़ अर्थात् परंपरा के वैध होने का प्रमाण शरीअत में भी मिलता है, जैसाकि हदीस में है: “जिसको मुसलमान अच्छा समझें वह अल्लाह के निकट भी अच्छा है तथा जिसको मुसलमान बुरा समझें वह अल्लाह के निकट भी बुरा है”।⁽¹⁾

परंपरा एवं आदत का फ़िक्ह के बहुतेरे मसले में भी एतबार किया गया है, उनमें से कुछ वे भी हैं जिनका संबंध अखलाक़ से है, जैसे कारीगर का अपना काम करना, बिना बोले अतिथि के आगे भोजन परोस देना इत्यादि।⁽²⁾

इसी प्रकार से: मित्र एवं संबंधियों से भेंट करते समय एक दूसरे को सलाम करने के पश्चात हाल-चाल पूछना, घर आने का निमंत्रण देना, या इसी तरह: एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को घर बुलाए ताकि उसका सत्कार करे या इसी तरह गाड़ी इत्यादि चलाने से संबंधित परंपरा एवं रिवाज।

⁽¹⁾ अहमद (१/ ३७९)।

⁽²⁾ अल् अश्बाह व अन् नज़ाअर, लेखक: सुयूती, पृष्ठ (९०)।

प्रथागत शिष्टाचार उस क्षेत्र पर निर्भर करता है “जिससे वह संबंधित हो, तथा इसीलिए हमें रीति-रिवाज के अनेक प्रकार मिलते हैं जैसे: अंतर्राष्ट्रीय प्रथा, वाणिज्यिक प्रथा, प्रशासनिक प्रथा, श्रम प्रथा और पारिवारिक प्रथा, और ये विभिन्न प्रकार की परंपराएं किसी आधिकारिक प्राधिकारी द्वारा नहीं लगाए जाते हैं, बल्कि लोग स्वयं व्यावहारिक आचरण में इन्हें अपनाते हैं”⁽¹⁾

किंतु ध्यान रहे कि परंपराओं का निर्वहन व्यापक एवं वृहद अर्थों में नहीं किया जाएगा, क्योंकि समाज में कुछ ऐसी प्रथाएं भी प्रचलित होती हैं जो इस्लामी नैतिकता के विरुद्ध होती हैं, तथा संक्षिप्त रूप में इसको निम्न में वर्णित किया जा रहा है⁽²⁾:

१- यह परंपरा अधिकांश लोगों के बीच प्रचलित हो।

२- यह परंपरा अभी भी चलन में हो, अर्थात् जिस परंपरा एवं उर्फ को प्रमाण बनाया जा रहा है वह उस समय लोगों के बीच प्रचलित हो चाहे उसका संबंध कथन से हो अथवा कर्म से।

३- वह परंपरा कुरआन एवं हदीस तथा फ़िक्ही इज्माअ (धर्मशास्त्रियों की सर्वसहमति) के विरुद्ध न हो।

४- उस परंपरा के विरुद्ध कोई दूसरी परंपरा भी लोगों के बीच प्रचलित न हो।

आदत में स्थिरता एवं परिवर्तन:

स्थिरता एवं परिवर्तन के आधार पर आदत के दो प्रकार हैं⁽³⁾:

१- स्थिर आदत:

यह वो आदतें हैं जो बदलती एवं परिवर्तित नहीं होती हैं, जैसे खाने-पीने, देखने, बात करने, पकड़ने एवं चलने की इच्छा इत्यादि, यदि इन आदतों का संबंध शरीअत के आदेशों से हो तो उस पर उसी के अनुसार हुक्म लगाया जाएगा, जैसे अल्लाह तआला ने अहंकार करते हुए चलने से रोका है, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह फ़रमाता है:

﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [سورة لقمان: ١٨]

अनुवाद: (धरती में अहंकार करते हुए न चलो, निश्चय ही अल्लाह तआला अहंकार एवं गर्व करने वालों को पसंद नहीं करता है)। सूरह लुक्मान: १८।

⁽¹⁾ नज़रियतुल उर्फ क, मस्दर लिलअहकामि, पृष्ठ (१७)।

⁽²⁾ पिछला संदर्भ, पृष्ठ (३८-३९)।

⁽³⁾ अल् मुवाफ़कात, लेखक: शात्बी (२/ १९८)।

२- परिवर्तनशील आदत:

यह वो आदतें हैं जो परिवर्तनशील हैं, उनमें से कुछ ऐसी हैं जो बुरी आदत से अच्छी आदत में परिवर्तित हो जाती हैं तथा कुछ ऐसी हैं जो अच्छी आदत से बुरी आदत में परिवर्तित हो जाती हैं, बुरी आदत शरीअत की दृष्टि में निषेध है क्योंकि यह सच्ची शरीअत एवं सद् बुद्धि के विपरीत है।

इसी प्रकार से कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो एक समुदाय के निकट अच्छी मानी जाती हैं जबकि दूसरे समुदाय के निकट उन्हें बुरा माना जाता है, अल्लामा शात्बी रहिमुल्लाह कहते हैं: जैसे सिर खोल कर रखना, यह भूखण्डों के अंतर के आधार पर अलग-अलग होता है, जैसे पूर्व के देशों में शिष्ट लोगों के निकट सिर खोल कर रखना बुरा माना जाता है जबकि पश्चिम के देशों में सिर खुला रखने को अप्रिय नहीं समझा जाता है, अतः पूर्व के लोगों के निकट सिर खुला रखना अदालत (वह सच्चा व्यक्ति जो गवाही के लिए ठीक हो) को कलंकित करने वाला माना जाएगा जबकि पश्चिमी देश के लोगों के निकट इससे कोई अंतर नहीं आएगा।⁽¹⁾

कभी-कभी समय बदल जाने से भी अच्छाई एवं बुराई का मानक बदल जाता है, जैसे कि वर्तमान में अरब देशों में स्रौब एवं पगड़ी (या गुतरा) पहनने का चलन है, और यदि कोई व्यक्ति इसके विरुद्ध वस्त्र धारण करता है तो इसे अच्छा नहीं समझा जाता, बल्कि कभी-कभी अदालत में बट्टा लगाने वाला माना जाएगा।

तृतीय: मनोवैज्ञानिक ज़ाबते:

यह अंतर्मन में मौजूद उस एहसास का नाम है जिसके द्वारा व्यक्ति, दूसरों के कथन एवं कर्म को, उस विषय में जिसमें शरीअत की कोई नस्स (प्रमाण) मौजूद न हो, स्वीकार करता है अथवा खण्डन करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “बिर् हुस्न -ए-अखलाक़ (उच्च नैतिकता एवं शिष्टाचार) का नाम है, तथा इस्म (पाप) वह है जो तेरे मन में खटके, एवं तुम इस बात को अप्रिय समझो कि दूसरे लोग उससे अवगत हों”।⁽²⁾ तथा वाबिसह बिन मअबद रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है, वह कहते हैं कि: “मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया, तो आपने पूछा: क्या तुम बिर् एवं इस्म के विषय में पूछने आए हो? मैंने कहा: हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: अपने दिल से पूछो, बिर् (नेकी)

⁽¹⁾ अल् मुवाफ़कात, लेखक: शात्बी (२/ १९८)।

⁽²⁾ सहीह मुस्लिम (४/ १९८०) संख्या (१४-२५५३)।

वह है जिस पर आत्मा एवं दिल संतुष्ट हो, तथा इस्म वह है जो तेरे मन एवं हृदय में खटके, यद्यपि लोग तुझे उसे करने का फ़त्वा दें⁽¹⁾

ये दोनों हदीसों इस बात को प्रमाणित करती हैं कि अल्लाह तआला ने बंदों को स्वाभाविक रूप से सत्य को स्वीकार करने वाला एवं उससे संतुष्ट होने वाला बनाया है, एवं मानव के अंदर प्राकृतिक रूप से इससे प्रेम करना डाला गया है एवं इसके विपरीत कार्यों से वह घृणा करता है⁽²⁾, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “प्रत्येक पैदा होने वाला बच्चा फ़ितरत (प्रकृति, इस्लाम धर्म) पर पैदा होता है”⁽³⁾ तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने रब से बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह तआला फ़रमाता है: “मैंने अपने समस्त भक्तों को हुनफ़ा (इस्लाम धर्म) पर उत्पन्न किया है, परंतु उनके पास आ कर शैतान ने उन्हें उनके धर्म से विचलित कर दिया है”⁽⁴⁾

शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिय्यह रहिमहुल्लाह कहते हैं: यह हदीस इस बात को प्रमाणित करती है कि नैसर्गिक रूप से मानव के भीतर ऐसी शक्ति होती है जो उसे सत्य को अपनाने एवं लाभदायक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है⁽⁵⁾ उन्ही का यह भी कहना है: अंतर्मन में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आदमी को असत्य की तुलना में सत्य स्वीकारने को प्रेरित करती है, तथा यह इस बात का पर्याप्त तर्क है कि वह फ़ितरत (-ए- इस्लाम) पर पैदा हुआ है⁽⁶⁾

मोमिन बुद्धिमान एवं होशियार होता है वह अपने नैसर्गिक स्वभाव के द्वारा उन चीज़ों को भांप लेता है जिन्हें फ़ासिक्र और पाखण्डी व्यक्ति नहीं भांप पाता है “क्योंकि सत्य तथा असत्य दूरदर्शी मोमिन के लिए संदिग्ध नहीं बनता है, बल्कि वह सत्य को उस नूर के द्वारा पहचान लेता है जिस पर वह होता है, अतः उसका हृदय उसे स्वीकार करता है, वह असत्य से घृणा करता है, अतः वह उससे दूरी अपनाता है”⁽⁷⁾

मोमिन अपने जीवनकाल में जिन बातों का सामना करता है, उनका रूपांकन निम्न में किया जा रहा है:

(1) अहमद (४/ २२८), दारमी (२/ २४५-२४६), अबू यअला (१५८६), तबरानी की अल् मुअजम अल् कबीर (२२/ ४०३)।

(2) देखें: जामेउल उलूमि वल् हिकम, लेखक: इब्ने रजब।

(3) सहीह बुखारी (१/ ४२४) संख्या (१३८५), व मुस्लिम (४/ २०४७) संख्या (२२/ २६५८)।

(4) सहीह मुस्लिम (४/ २१९७) संख्या (१३/ २८६५)।

(5) दरउ तआरुजिल् अक्लि वन् नक्लि, लेखक: इब्ने तैमिय्यह।

(6) पिछला संदर्भ।

(7) जामेउल उलूमि वल् हिकम, लेखक: इब्ने रजब।

जिस मामले में कुरआन, हदीस अथवा इज्माअ (सर्वसहमति) से प्रमाण मौजूद हो, तो उस मामले में उसे हर हाल में अल्लाह तआला का आज्ञापालन ही करना होगा, जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ [سورة الأحزاب: ३६]

अनुवाद: (तथा किसी ईमान वाले पुरुष एवं किसी ईमान वाली महिला के योग्य नहीं है कि जब निर्णय कर दे अल्लाह तथा उसके रसूल किसी बात का तो उनके लिए अधिकार रह जाए अपने विषय में, और जो अवज्ञा करेगा अल्लाह एवं उसके रसूल की तो वह खुले कुपथ में पड़ गया)। सूरह अहज़ाब: ३६। अतः उसे उस निर्णय को उदार हृदय एवं प्रसन्नचित्त हो कर स्वीकार करना चाहिए।

परंतु जिस मामले में कुरआन, हदीस अथवा सहाबा व सलफ़ में से कोई स्पष्ट प्रमाण मौजूद न हो, तो यदि किसी मोमिन व्यक्ति के दिल में कोई बात बैठ जाए कि यह सही है, तथा मन में भी खटक रही हो वह बात, और वहाँ ऐसा कोई नहीं हो जो इस विषय में उसको फ़त्वा दे सके, या वहाँ ऐसा व्यक्ति मौजूद हो जिसके पास ठोस ज्ञान न हो और वह अपने मन से फ़त्वे देता हो, तो ऐसी स्थिति में मोमिन उस चीज़ को छोड़ देगा जो उसके मन में खटक रही हो, यद्यपि ये फ़त्वा देने वाले उसके सही होने का फ़त्वा दे दें, इमाम अहमद रहिमहुल्लाह ने स्पष्ट रूप से इसी तरह की बात कही है^(१)

इस हालत में मोमिन के सीने में जो बात खटक रही हो “अर्थात् उसको संशय एवं दुविधा हो, मन उस कार्य के करने को राजी न हो, हृदय में संदेह सिर उभार रहा हो और उसे पाप का भय सता रहा हो”^(२), तो ऐसी स्थिति में वह उसे छोड़ देगा, और यह छोड़ना किसी शरई आदेश के कारण नहीं होगा, अपितु उस संदेह के आधार पर होगा जो वह अपने मन में पा रहा होगा, और अंदर ही अंदर उसे पाप लगने का डर लग रहा होगा।

इब्ने रजब रहिमहुल्लाह कहते हैं: वाबिसह बिन मअबद रज़ियल्लाहु अन्हु वाली हदीस एवं जो इस अर्थ में अन्य हदीसों हैं इस बात को प्रमाणित करती हैं कि किसी कार्य के हलाल एवं हराम होने में संदेह की स्थिति में ऐसी चीज़ की ओर पलटना जिस पर हृदय को संतुष्टि हो, मन को शांति मिले, तो ऐसा करना हलाल है, और जो इसके विरुद्ध हो वह हराम होगा।^(३)

(१) जामेउल उलूमि वल् हिकम, लेखक: इब्ने रजब, पृष्ठ (२४०)।

(२) शर्ह सहीह मुस्लिम, लेखक: नववी (१६/ १११)।

(३) जामेउल उलूमि वल् हिकम, लेखक: इब्ने रजब, पृष्ठ (२४०)।

परंतु ध्यान रहे कि सूफी लोग अपने मन में आने वाली जो बातें धर्म समझ कर करते हैं वह कदापि इसके अंदर दाखिल नहीं है, क्योंकि उनके इस कृत्य की कोई शर्ई दलील नहीं है, बल्कि यह उनका अपना विचार एवं मन का भ्रम होता है, परंतु संदेहास्पद स्थिति में मन की संतुष्टि का ध्यान रखना नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस एवं सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम के फ़त्वों से प्रमाणित है।⁽¹⁾

यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक दूसरी बात भी है और वह यह कि दिल में जो बात खटक रही हो आप उसे करने में इस बात से भयभीत होते हैं कि कहीं आदमी आप को यह करते हुए न देख ले, क्योंकि सारे मुसलमान इस बात पर एकमत नहीं हो सकते कि वह अच्छा को बुरा एवं बुरा को अच्छा कह दें। इब्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं: “जिसको मुसलमान अच्छा समझें वह अल्लाह के निकट भी अच्छा है तथा जिसको मुसलमान बुरा समझें वह अल्लाह के निकट भी बुरा है”।⁽²⁾

यह दूसरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत (ज़ाब्त) है, अतः इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि: मनोवैज्ञानिक ज़ाब्त दो बिंदुओं में समाहित है:

१- जो सीने में खटके, दिल उस पर संतुष्ट न हो, तथा उसके करने में पाप लगने का भय हो।

२- वह इस बात को नापसंद करे कि लोग उसको ऐसा करते हुए देखें जिससे उसे भय एवं लज्जा का अनुभव हो।

⁽¹⁾ पिछला संदर्भ, पृष्ठ (२४१)।

⁽²⁾ अहमद (१/ ३७९)।

तीसरा पाठः

अखलाक़ के हुदूद (नैतिकता की सीमाएं)

अखलाक़ के हुदूद का अर्थः

हुदूद: दो चीज़ों के बीच उस रुकावट को कहते हैं जो वस्तुओं को एक दूसरे से मिलने से रोके, तथा किसी चीज़ की हुदूद (सीमा) का अर्थ है वह विवरण जो उसे दूसरों से अलग करता है।⁽¹⁾

अखलाक़ी सीमा का अर्थ है: वह गुण जो किसी अखलाक़ी कार्य को अपनी परिधि में लिए हुआ हो, जो उसे दूसरे से सुंदरता एवं कुरूपता के आधार पर अन्य से अलग बना रहा हो, उदाहरण स्वरूप वीरता एक उच्च नैतिक प्रधानता है, यदि इसका धारक इसकी परिधि से बाहर निकल जाए एवं वीरता की निश्चित सीमा से ऊपर चला जाए तो यह अत्याचार एवं लापरवाही है, तथा यदि वह इसकी निश्चित सीमा से नीचे रह जाए तो यह कायरता है।

अतः वीरता की परिधि से आगे बढ़ी हुई विशेषता अत्याचार एवं लापरवाही कहलाती है, जबकि वीरता की निश्चित सीमा से नीचे रहने वाली विशेषता कायरता कहलाती है, और यदि यह वीरता की जो निश्चित सीमा है उसके अंदर ही रहे तब यह वीरता है, आप इस पर दूसरी चीज़ों का भी अनुमान लगा सकते हैं।

अखलाक़ी सीमा का महत्वः

क- अखलाक़ी सीमा का महत्व दो कोणों से स्पष्ट होता है, पहला: स्वयं अखलाक़ी सीमा का ज्ञान, तथा अखलाक़ी सीमा को जानने का महत्व, निम्नांकित बिंदुओं में इसको इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है:

जिन विद्या को सीखना अत्यंत महत्वपूर्ण है उनमें से एक अल्लाह तआला की शरीअत की सीमाओं का ज्ञान है, कि उसका आरंभ कहाँ से है और अंत कहाँ पर, कौन सा कार्य करना अनिवार्य है एवं किन कार्यों के करने से रोका गया है, ताकि वह उस सीमा से आगे न बढ़े एवं उसकी सीमा का पालन करने में कोताही न करे, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह ने अपनी हुदूद (सीमाओं) को फलांगने से रोका है, बल्कि एक स्थान पर उसके निकट जाने से भी मना किया है, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

⁽¹⁾ अल् मुफ़रदात फ़ी ग़रीबिल कुरआन, लेखक: राग़िब अस्फ़हानी, पृष्ठ (१०९)।

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [سورة البقرة: २१९]

अनुवाद: (यह अल्लाह के द्वारा तय की गई सीमाएं हैं अतः इन्हें न फलांगो, तथा जो अल्लाह की सीमाओं को फलांग जाए वही लोग ज़ालिम हैं)। सूरह बक्रर: २२९।

एक स्थान पर अल्लाह का कथन है:

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ [سورة البقرة: १८७]

अनुवाद: (यह अल्लाह की सीमाएं हैं अतः उनके निकट भी न जाओ)। सूरह बक्ररह: १८७।

एक आयत में उन सीमाओं को फलांगने से मना किया गया है तथा दूसरी आयत में उसके समीप भी जाने से रोका गया है, और यह इसलिए क्योंकि सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह की सीमाएं हलाल एवं हराम के बीच रोक और बाधा हैं, तथा किसी वस्तु का अंतिम छोर कभी-कभी उसमें शामिल होता है अतः वह उसी के हुक्म में होता है, और कभी वह उसमें शामिल नहीं होता है, पहले अर्थ के आधार पर उसको फलांगने से रोका गया है तथा दूसरे आधार पर उसके निकट जाने से भी रोका गया है।^(१)

अखलाक़ (नैतिकता, आचार-व्यवहार) यह मानव के आंतरिक रूप की वास्तविक छवि है।

ख- सर्वाधिक लाभदायक एवं सम्मानित विद्या हुदूद (सीमाओं) का ज्ञान है, विशेष रूप से अल्लाह तआला द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं का, कि उनमें से कौन सा वैध है और कौन सा अवैध, लोगों के मध्य सबसे बड़ा ज्ञानी वह है जो इन सीमाओं का सर्वाधिक ज्ञान रखने वाला हो, ताकि वह इसमें उन चीज़ों को न शामिल कर दे जो इनमें से नहीं हैं और न उन चीज़ों को बाहर निकाल दे जो इनमें शामिल हैं, अतः सबसे बड़ा न्यायप्रिय व्यक्ति वह है जो अखलाक़, कार्य एवं परियोजनाओं की सीमाओं का ध्यान रखता है।^(२)

अखलाक़ी हुदूद (नैतिकता की सीमाओं) के दो प्रकार हैं:

अखलाक़ी हुदूद (नैतिकता की सीमाओं) के प्रकार:

१- सामान्य सीमाएं:

(१) ज़ादुल मुहाज़िर, लेखक: इब्नुल कैयिम, पृष्ठ (३७)।

(२) अल् फ़वायद, लेखक: इब्नुल कैयिम, पृष्ठ (१५८)।

इससे अभिप्राय वह गुण एवं सिद्धांत हैं जिनका पालन करना एवं जिनका अनुमान लगाना नैतिकता संबंधित सभी कथनों एवं कार्यों में संभव हो, अर्थात् यह वो व्यापक नियम एवं सिद्धांत हैं जो नैतिक गुणों और बुराइयों के दायरे को नियंत्रित करते हैं, तथा यह चार नियमों पर आधारित है:

पहला नियम:

नैतिक गुणों में उसको न शामिल कर ले जो उसके अंदर नहीं है, अतः उसको भी नैतिक अच्छाई में गिनने लगे, उदाहरणतः मुदाहनत को मुदारात का नाम दे कर कहे कि यह भी नैतिक व्यवहार के गुणों में से एक है, जबकि मुदाहनत को परिभाषित करते हुए उलमा कहते हैं “यह फ़ासिक्रों (पाखण्डियों) के साथ रहना एवं उनके आचरण से प्रसन्नता प्रकट करना तथा उनकी बुराइयों का इंकार न करना है”।⁽¹⁾

दूसरा नियम:

नैतिक व्यवहार के गुणों की श्रेणी में से उसकी कुछ इकाई को निकाल कर उसका हुक्म उससे अलग न बयान करे जोकि वास्तव में उसके मूल हुक्म के विरुद्ध हो, उदाहरण स्वरूप हया (लज्जा) की कुछ इकाई को उससे निकाल देना, जैसे: अजनबी पुरुष से महिला के हाथ मिलाने को हया की परिभाषा से बाहर निकाल देना यह तर्क देते हुए कि यह हया के विरुद्ध नहीं है, बल्कि यह तो शिष्टाचार का एक रूप है, तो यहाँ वास्तव में उसने उसकी कुछ इकाई को निकाल कर उसको उसके मूल हुक्म से अलग कर दिया है।

तीसरा नियम:

नैतिक अवगुणों की श्रेणी में उसको शामिल कर दे जो उसमें से नहीं है, और उस पर उस नैतिक अवगुण का हुक्म लगा दे, उदाहरण स्वरूप मुदारात को नैतिक अवगुणों की श्रेणी में शामिल करते हुए कहे कि यह भी नैतिक अवगुण है और ऐसा करने वाला मुदाहिन है।

जबकि यह ज्ञात होना चाहिए कि मुदारात मोमिन का अखलाक़ होता है, जिसका अर्थ है लोगों के साथ विनम्रता धारण करना, उनसे नम्रता के साथ बात करना तथा कठोर वाणी न बोलना, और यह प्रेम फैलाने के सबसे शक्तिशाली कारणों में से एक है, मुदारात मुस्तहब (वांछनीय) है, जैसे: सिखाते समय अज्ञानी के साथ मधुर वाणी बोलना, फ़ासिक्र एवं पापी को पाप करने से रोकते समय अच्छे ढंग से बात करना, उन पर क्रोधित न होना बल्कि बुराई से रोकते समय मधुर व्यवहार करना।⁽²⁾

⁽¹⁾ फ़तहुल बारी, लेखक: इब्ने हजर (१०/ ५२८)।

⁽²⁾ पिछला संदर्भ (१०/ ५२८-५२९)।

चौथा नियम:

नैतिक अवगुणों की श्रेणी में से उसकी कुछ इकाई को न निकाल दे, तथा ऐसा कर के उसे उसके मूल हुक्म से बाहर कर दे जो उसके मूल हुक्म के विरुद्ध हो, जैसे महिला एवं पुरुषों के मेल-जोल को नैतिक अवगुण में न गिने, और ऐसा कर के उसे उसके मूल हुक्म जोकि अवैध है से निकाल कर उसके विरुद्ध हुक्म उस पर लगा दे कि ऐसा करना जायज़ है, और इसको शिष्टाचार के रूप में गिने, तो यहाँ उसने महिला-पुरुष के मेल-जोल को नैतिक अवगुण में से बाहर निकाल दिया है और उस पर शिष्टाचार की चादर चढ़ा कर उसके मूल हुक्म अवैध के विरुद्ध हुक्म लगा दिया है कि यह वैध है।

२- विशेष हुदूद (सीमा):

इसका अर्थ है प्रत्येक गुण के लिए एकतरफा विवरण और नियंत्रण, अर्थात् यह विशेष नियमों का समूह है जो व्यक्तिगत नैतिक गुणों के दायरे को नियंत्रित करता है।

और चूँकि हर नैतिकता की अपनी एक निश्चित सीमा है जिसको यदि कोई व्यक्ति पार कर जाए या उसमें कमी कर दे तो वह उसको सही ढंग से अदा करने वाला नहीं माना जाएगा, तथा फ़ज़ाएल अर्थात् प्रधानता बहुद ज़्यादा हैं अतः कुछ उदाहरण को बयान कर किया जाएगा और शेष का उसी के अनुसार अनुमान (क्रयास) लगा लिया जाए।

अल्लामा इब्नुल क़ैयिम रहिमहुल्लाह ने इनमें से कुछ की ओर इशारा किया है, जोकि निम्न हैं⁽¹⁾:

ग़ज़ब (क्रोध): क्रोध की अपनी एक सीमा है, तथा यह प्रशंसनीय नैतिकता में से एक है, जबकि अहंकार एवं नाक-भौं चढ़ाना अवगुण है, चुनौती जब वह इसकी निर्धारित सीमा पर रहे तो ठीक है और यदि उसके आगे बढ़ जाए तो सीमा को फ़लांग जाना है और यदि उस सीमा से नीचे रहे तो यह कायरता है।

हिर्ष (कामना): लालसा की भी अपनी एक निर्धारित सीमा है, जोकि दुनिया कमाना है एवं उससे आजीविका पाने का प्रयास करना है, अतः यदि वह इसकी निश्चित सीमा से नीचे रह जाए तो अपमान एवं बर्बादी करना माना जाएगा, और यदि अपनी निश्चित सीमा से आगे बढ़ जाए तो बुरा माना जाएगा तथा ऐसा लालच माना जाएगा जिसका परिणाम सुखद नहीं होता है।

हसद (ईर्ष्या): हसद की भी अपनी एक निश्चित सीमा है जोकि पूर्णता पाने के लिए होड़ लगाना है, तथा इस बात का प्रयास करना है कि अपने समकालीन लोगों से आगे बढ़

⁽¹⁾ अल् फ़वायद, लेखक: इब्नुल क़ैयिम, पृष्ठ (१५६-१५८)।

जाए, यदि यह अपनी निश्चित सीमा से आगे बढ़ जाए तो हसद एवं दूसरों की नियामत के नष्ट हो जाने की दुष्कामना बन जाएगा।

शहवत (आत्म-इच्छा): शहवत की भी निर्धारित सीमा है, जोकि आज्ञापालन की थकान से हृदय एवं बुद्धि को शांति पहुँचाना तथा प्रधानता कमाना इत्यादि है, यदि यह उस निर्धारित सीमा से आगे बढ़ जाए तो तीव्र कामवासना एवं अत्याधिक लालच में परिवर्तित हो जाता है, और इसका धारक हैवान की श्रेणी में पहुँच जाता है, तथा इसके विपरीत यदि यह चीज़ अपनी सीमा से कम मात्रा में हो तो व्यक्ति विवश एवं निर्बल माना जाता है तथा यह उसके लिए अपमानजनक चीज़ होती है।

राहत (शांति): राहत की भी अपनी एक निश्चित सीमा है, जोकि आज्ञापालन के कार्यों को अंजाम देने के लिए तथा प्रधानता वाले कार्य करने के लिए आत्मा को स्थिरता प्रदान करना है, यदि यह चीज़ अपनी निश्चित सीमा से अधिक हो जाए तो सुस्ती एवं समय की बर्बादी मानी जाएगी, और यदि यह अपनी निर्धारित सीमा से कम हो तो शरीर को हानि पहुँचाएगी।

जूद (दान): जूद की भी दोनों ओर से एक निश्चित सीमा है, जब यह अपनी निर्धारित सीमा से आगे बढ़ जाए तो फिजूलखर्ची एवं अपव्यय माना जाता है और यदि यह अपनी निश्चित सीमा से कम रहे तो कंजूसी एवं कमी माना जाता है।

शुजाअत (वीरता): शुजाअत की भी एक निर्धारित सीमा है, यदि यह उस सीमा से बढ़ जाए तो अत्याचार एवं मंदबुद्धि माना जाएगा और यदि निर्धारित सीमा से नीचे रहे तो कायरता एवं बुज़िदिली माना जाएगा।

ग़ैरत (अभिमान): ग़ैरत की भी अपनी एक निश्चित सीमा है, यदि यह सीमा को पार कर जाए तो तोहमत, लांछन एवं निर्दोष के बारे में बुरा गुमान माना जाएगा, और यदि उस सीमा से पीछे रह जाए तो लापरवाही एवं ग़ैरत की कमी का घोटक होगा।

इज़ज़ (इज़्ज़त): इस की भी अपनी एक निश्चित सीमा है, यदि यह उस सीमा रेखा को पार कर जाए तो घमण्ड एवं अनैतिकता माना जाता है और यदि सीमा रेखा से पीछे रह जाए तो अपमान एवं ज़िल्लत माना जाता है।

तथा इब्ने हज़म रहिमहुल्लाह ने भी कुछ नैतिक गुणों की सीमाओं का वर्णन किया है, जिन में से कुछ निम्न हैं⁽¹⁾:

(1) अल् अख़्लाक व अस् सियर, लेखक: इब्ने हज़म, पृष्ठ (३१-३२)।

इफ़्रत (पवित्रता): इससे अभिप्राय निगाह झुका कर रखना, एवं शारीरिक अंगों को अवैध कार्यों से बचा कर रखना है, इसकी निर्धारित सीमा से आगे बढ़ जाना व्यभिचार की श्रेणी में आता है तथा उस सीमा से पीछे रह जाना विवशता एवं मजबूरी का घोटक है।

अद्ल (न्याय): इसका अर्थ है आपके ऊपर जो अधिकार अनिवार्य होते हैं उनका पालन करें एवं दूसरों पर जो आपके अधिकार हैं उन्हें लें, जबकि जौर (अन्याय) का अर्थ यह है कि आप अपना अधिकार तो ले लें परंतु दूसरों के जो अधिकार आप पर हैं आप उसे न अदा करें।

चौथा पाठः

नैतिक आचरण के सिद्धांत

नैतिक आचरण के सिद्धांत से अभिप्राय है: वह आधार जिन पर व्यक्ति का प्रशंसनीय व्यवहार आधारित होता है जोकि कल्याणकारी कार्य करने, बुराई दूर करने एवं कष्ट सहने का नाम है, जैसाकि हसन बसरी रहिमहुल्लाह कहते हैं: “(अच्छा आचरण) भलाई करने, बुराई दूर करने एवं प्रसन्नचित्त हो कर मिलने का नाम है”⁽¹⁾ तथा इब्ने कैयिमिल जौज़िय्यह रहिमहुल्लाह कहते हैं: “यह कल्याणकारी कार्य करने, बुराई दूर करने एवं कष्ट सहने का नाम है”⁽²⁾

अतः मनुष्य का सद्व्यवहार दूसरों को दान देने, उनसे मिलने वाले कष्ट पर धैर्य रखने एवं उनको दुःख न देने का नाम है, यही नैतिक आचरण के सिद्धांत हैं, जिनको निम्नांकित बिंदुओं में उल्लेखित किया गया है:

पहला: कल्याणकारी कार्य करना:

इससे अभिप्राय है दान-पुण्य के कार्य करना, एवं इसके दो प्रकार हैं: इस्क्रात अर्थात् छोड़ देना एवं एअताअ अर्थात् प्रदान करना:

१- इस्क्रात (छोड़ देना) के दो प्रकार हैं:

क- दूसरों पर आपके जो अधिकार हैं उसको पूर्णतः अथवा उसके अधिकांश या कुछ भागों को छोड़ देना, हदीस में आया है कि: “एक व्यक्ति लोगों को ऋण दिया करता था, तथा अपने काम करने वाले मुंशी से कहता था कि यदि कोई तंगहाल व्यक्ति आए तो उसको नज़रअंदाज़ कर दिया करो, संभवतः अल्लाह तआला हमारे पाप भी नज़रअंदाज़ कर देगा, चुनाँचे जब अल्लाह से उसने भेंट किया तो अल्लाह ने उसे क्षमा कर दिया”⁽³⁾ यह दूसरों पर जो आपका अधिकार है उसको क्षमा कर देने से संबंध रखता है।

ख- दूसरों के पास जो धन-सम्पत्ति है उसका लोभ अपने मन में नहीं रखना, अतः आप उनसे कुछ मांगें नहीं, बल्कि उससे बिल्कुल अंजान बन कर जीवन बिताएं, तथा यह कुछ देकर दान करने से भी उत्तम है, जैसाकि अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते हैं: लोगों के पास मौजूद धन-दौलत की लालच न रखना दूसरों को कुछ देकर दान करने से भी श्रेष्ठ है⁽⁴⁾

(1) अल् आदाब अश् शरइय्यह, लेखक: इब्ने मुफ़्लिह (२/ २०७)।

(2) मदारिजुस्सालिकीन, लेखक: इब्नुल कैयिम (२/ ३२०)।

(3) सहीह बुखारी (२/ ८२) संख्या (२०८७), व मुस्लिम (३/ ११९६) संख्या (१३-१५६२)।

(4) मदारिजुस्सालिकीन, लेखक: इब्नुल कैयिम (२/ ३०३)।

किंतु यह बात सामान्य रूप से हर जगह लागू नहीं होती है, यदि दान करने से किसी व्यक्ति के शरीर, धर्म अथवा समाज पर हानिकारिक प्रभाव पड़ने की संभावना हो तो ऐसी स्थिति में दान न करना श्रेयस्कर होगा।

यदि किसी निर्धन बीमार को किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश हो जो दवा प्राप्त करने में उसकी सहायता करे, तथा यदि वह उपचार न कराए तो उसकी मृत्यु का खतरा हो, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर अनिवार्य है कि वह दूसरों से सहायता मांगे, इसी प्रकार से: किसी भूखे इंसान को ऐसे आदमी की ज़रूरत हो जो उसकी भूख को मिटा दे, तथा यदि वह मांग कर न खाए तो उसकी मृत्यु का खतरा हो तो ऐसी स्थिति में दूसरों की सहायता लेना उसके लिए वाजिब और अनिवार्य है, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [سورة المائدة: २]

अनुवाद: (तुम नेकी एवं तक्रवा में एक दूसरे का सहयोग करो एवं पाप तथा अत्याचार में एक दूसरे का सहयोग न करो)। सूरह माइदा: २।

२- अता (प्रदान करना): तथा यह कुछ देने के द्वारा दान करना होता है, एवं इस क्रिस्म के स्रोत निम्नांकित हैं:

क- नफ़्स (व्यक्तित्व, आत्मा)।

ख- धन।

ग- सम्मान एवं इज़्ज़त।

घ- ज्ञान।

तथा इसका विवरण इस प्रकार है:

आत्मा का दान: इसका अर्थ यह है कि आदमी किसी हित को साधने की खातिर अपनी जान का कुर्बान कर दे, जैसे अल्लाह के मार्ग में जिहाद करना, तथा अपने शारीरिक अंगों द्वारा मुसलमानों के सम्मान की रक्षा करे, डूबते को बचाए, जलने वाले को आग से निकाले इत्यादि, तथा यह दान एवं उपहार का सबसे उत्तम रूप है^(१)

يَجُودُ بِالنَّفْسِ إِذَا ضَنَّ الْبَخِيلُ بِهَا وَالْجُودُ بِالنَّفْسِ أَقْصَى غَايَةِ الْجُودِ

तथा जान का बलिदान देना दान की पराकाष्ठा है वह आत्म-बलिदान करता है जब कंजूस इसमें कंजूसी करता है

तथा इसका उदाहरण: हन्ज़ला बिन अबू आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु का बलिदान और शहादत है, जिन्होंने उहुद युद्ध में अपनी जान को दान कर दिया, जबकि उस रात वह दुल्हा बने

^(१) मदारिजुस्सालिकीन, लेखक: इब्नुल कैयिम (२/ ३०५)।

हुए थे, किंतु जब उन्होंने युद्ध का आह्वान सुना तो जल्दी से बिना स्नान किए हुए ही युद्ध के लिए निकले, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “तुम्हारे साथी को फ़रिश्ते स्नान करा रहे हैं”।⁽¹⁾

धन का दान करना: इससे अभिप्राय नेकी के कार्यों में धन खर्च करना है, जैसे स़दका, ऋण, उपहार, अनुदान, पड़ोसी एवं अतिथि का सत्कार करने के द्वारा ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करना।

इस प्रकार का दान करना वांछित एवं प्रशंसनीय है, तथा इसी के संबंध में प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रतिस्पर्धा करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है: “हसद (रश्क, ईर्ष्या) केवल दो मामलों में स्वीकार्य और अनुशंसित है: एक वह व्यक्ति है जिसे अल्लाह ने क़ुरआन के प्रेम से अनुग्रहीत किया हो तथा वह रात और दिन के एक निश्चित हिस्से में इसका पाठ करता रहता हो, तो कोई हसद करते हुए बोले: काश, अल्लाह ने मुझे यह आशीर्वाद दिया होता, तो मैं भी ऐसा ही करता। दूसरा व्यक्ति वह है जिसे अल्लाह तआला ने धन दौलत दे रखी हो, और वह उसे सत्य मार्ग में खर्च करता हो, तो यह रश्क करने वाला व्यक्ति बोले: काश मेरे पास भी ऐसा धन होता, तो मैं भी इस व्यक्ति की तरह काम करता।⁽²⁾ तथा यहाँ प्रतिस्पर्धा की इस भावना को इस्तिआरह⁽³⁾ (रूपक) के रूप में हसद (ईर्ष्या) कहा गया है, तथा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने दान करने के संबंध में अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से आगे बढ़ने का प्रयास किया था।⁽⁴⁾

पद के द्वारा दान करना: इससे अभिप्राय यह है कि किसी व्यक्ति का समाज में या व्यक्तिगत रूप से किसी विशेष आदमी के पास इज़्ज़त और सम्मान हो और वह उसका प्रयोग करते हुए दूसरों को लाभ पहुँचाए, जैसे किसी ज़रूरतमंद की सिफारिश करना तथा पीड़ित व्यक्ति की सहायता करते हुए उसपर किए गए अत्याचार का निवारण कराना, जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا﴾ [سورة النساء: ८५]

(1) हाकिम (३/ २०४)।

(2) सहीह बुखारी: ४/ ४११, संख्या (७५२८)।

(3) जामिउल उलूमि वल् हिकम, लेखक: इब्ने रजब, पृष्ठ (३०९)।

(4) तिर्मिज़ी (५/ ५७४) संख्या (३६७५)।

अनुवाद: (जो अच्छी अनुशंसा (सिफारिश) करेगा उसे उस का भाग (प्रतिफल) मिलेगा तथा जो बुरी अनुशंसा करेगा तो उसे भी उस का भाग (कुफल) मिलेगा, और अल्लाह प्रत्येक चीज़ का निरीक्षक है)। सूरह निसा: ८५।

मुजाहिद, हसन तथा इब्ने ज़ैद रहिमहुमुल्लाह इत्यादि कहते हैं कि: यह लोगों का एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सिफारिश करने के संबंध में है, अतः जो किसी को लाभ पहुँचाने के लिए सिफारिश करेगा तो उसका प्रतिफल उसे मिलेगा एवं जो किसी को हानि पहुँचाने के लिए सिफारिश करेगा तो उसका कुफल उसे मिलेगा।⁽¹⁾

विद्या दान: तथा इसके दो प्रकार हैं⁽²⁾:

क- पूछने वाले को उससे बढ़ कर उत्तर दे तथा उसमें ऐसी बातों की वृद्धि कर दे जो उसके लिए लाभदायक हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अखलाक़ ऐसा ही था, चुनाँचे जब आप से समुद्र के पानी के विषय में प्रश्न किया गया तो आपने प्रश्नकर्ता को उससे बढ़ा कर उत्तर देते हुए कहा: “उसका जल पवित्र है तथा पवित्र करने वाला है एवं उसका मृत हलाल है”।⁽³⁾

ख- लोगों के प्रश्न किए बिना ही उसे समझाने के लिए स्वयं प्रश्न करे, तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अखलाक़ ऐसा ही था, एवं इसका उदाहरण नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह कथन है: “क्या तुम जानते हो मुफ़्लिस (कंगाल) कौन है...?”⁽⁴⁾ तथा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से आपका यह कहना: “हे बालक! मैं तुझे कुछ वाक्य सिखाता हूँ, इसकी सुरक्षा करो अल्लाह तुम्हारी सुरक्षा करेगा...”⁽⁵⁾

श्रमदान: अर्थात् सामुदायिक कल्याण के लिए व्यक्ति द्वारा शारीरिक प्रयास से युक्त स्वैच्छिक योगदान करना, जैसे कोई व्यक्ति अपने भाई का सामान उठा दे, अथवा उसके घर की मरम्मत कर दे यदि उसके पास इसकी विद्या हो तो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं: “हर दिन, जिसमें सूरज उगता है, लोगों के हर जोड़ पर सदक़ा है, (आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:) दो (लोगों) के बीच न्याय करना सदक़ा है, किसी को उसकी सवारी पर चढ़ने में सहायता कर देना सदक़ा है, किसी का सामान उठा देना सदक़ा है, अच्छा वाक्य बोलना

⁽¹⁾ अल् जामेअ लि अहकामिल कुरआन, लेखक: कुर्तुबी (५/ १९०), तैसीरुल् करीमिर् रहमान फ़ी तफ़सीरि कलामिल मन्नान, लेखक: सअदी (१/ ३७९)।

⁽²⁾ देखें: मदारिजुस्सालिकीन, लेखक: इब्नुल क़ैयिम (२/ ३०५-३०७)।

⁽³⁾ अबू दावूद (१/ ६४) संख्या (८३)।

⁽⁴⁾ सहीह मुस्लिम (४/ १९९७) संख्या (५९-२५८१)।

⁽⁵⁾ तिर्मिज़ी (४/ ५७५-५७६) संख्या (२५१६), अहमद (१/ २९३)।

सदका है, नमाज़ के लिए उठने वाला प्रत्येक पग सदका है एवं रास्ते से कष्टदायक चीज़ों को दूर कर देना सदका है”।⁽¹⁾

समय एवं राहत का दान: इसका एक रूप यह है कि वह दूसरों के लिए अपनी राहत तज दे, अतः दूसरों की खातिर अपने सुख को त्याग दे, जैसे रोगी की देख-भाल करते हुए अपनी निद्रा त्याग देना एवं उसे प्रसन्न करने का प्रयास करना, किसी कवि ने कहा है:

متيم بالندی حتی لو قال سائله هب لي كرى عينيك لم ينم
मैं शबनम का दीवाना हूँ चाहे उसका मांगने वाला यह
अपनी आँखों की निद्रा मुझे दे दो जो कई रातों
से सोई नहीं हैं क्यों न कहे

दूसरा: कष्ट दूर करना:

अर्थात् एक व्यक्ति अपने कष्ट के स्रोतों को दूसरों के कष्ट के स्थानों से रोक कर रखे, और ढाँचा की दृष्टि से नुकसान के स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया जाता है:

१- मौखिक: तथा यह बयान, जुबान एवं क़लम के द्वारा होता है।

२- कार्मिक: तथा यह मानव के विभिन्न शारीरिक अंगों द्वारा होता है, जैसे: हाथ, आँख, कान, भौं एवं इशारा।

तथा कष्ट के स्रोत जिस पर कोई कर्म अथवा कथन घटित होता है और जिससे मानव पीड़ा का अनुभव करता है, ये हैं: धर्म, माल, सम्मान, जान एवं बुद्धि, तथा कष्ट के अन्य स्रोत निम्न हैं:

प्रथम: कष्ट के स्रोत:

१- मौखिक स्रोत: इससे अभिप्राय हर वह कष्ट है जिसका स्रोत बयान हो, चाहे वह जुबान से हो अथवा उंगलियों से लिखने के द्वारा या दोनों के द्वारा, जुबान कष्ट पहुँचाने का अति शक्तिशाली माध्यम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसकी संगीनी स्पष्ट करते हुए फ़रमाया है कि यह लोगों के नाश का कारण है, चुनाँचे आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा था: “तुम्हारी माता तुमको गुम पाए, हे मुआज़! लोग अपनी जुबान की कमाई के कारण ही औंधे मुँह नर्क में जाएंगे”।⁽²⁾

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “एक बन्दा अल्लाह की प्रसन्नता वाला कोई शब्द बोलता है तथा वह उसे कोई महत्व नहीं देता, परन्तु इसके कारण

⁽¹⁾ सहीह बुखारी (२/ ३५५-३५६) संख्या (२९८९), व मुस्लिम (२/ ६९९) संख्या (५६-१००९)।

⁽²⁾ अहमद (५/ २३६), ख़राइती (१/ ४६३)।

अल्लाह उसे उच्च पद पर पहुँचा देता है, और दूसरा बन्दा कोई ऐसा शब्द बोलता है जिससे अल्लाह क्रोधित हो जाता है और वह उसे कोई महत्व नहीं देता, लेकिन इसके कारण वह नरक में जाता है”।⁽¹⁾ तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है: “जो मुझे उस चीज़ की ज़मानत दे जो दो दाढ़ों के मध्य है (अर्थात ज़ुबान) तथा दो पाँवों के बीच है (अर्थात गुप्तांग) तो मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ”।⁽²⁾

मुसलमान की विशेषताओं में से यह है कि वह अपनी ज़ुबान से दूसरे मुसलमानों को कष्ट न पहुँचाए, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है: “मुसलमान वह है जिसकी ज़ुबान एवं हाथ से दूसरे मुसलमान सुरक्षित रहें”।⁽³⁾

इब्ने हजर रहिमहुल्लाह कहते हैं: विशेष रूप से जिह्वा का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि अंतर्मन की बातों की अभिव्यक्ति करने वाला वही है, इसी प्रकार से हाथ भी क्योंकि अधिकांश कार्य इन्हीं दोनों के द्वारा होते हैं, हाथ को छोड़ कर ज़ुबान के संबंध में हदीस आम है, क्योंकि हाथ के विपरीत ज़ुबान भूत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों के बारे में बात से संबंध रखता है, परंतु हाँ, हाथ लिखने के द्वारा इस मामले में ज़ुबान के समान हो सकता है, तथा इस के संबंध में उसका प्रभाव बड़ा गहरा होता है।⁽⁴⁾ अतः इस्लामी शरीअत ने ज़ुबान से कष्ट पहुँचाने की संगीनी को दर्शाया है।

२- कर्म से संबंधित स्रोतः

इससे अभिप्राय हर वह कष्ट है जो मानव के शारीरिक अंगों द्वारा पहुँचता हो, जैसे: हाथ, आँख एवं कान इत्यादि।

क- हाथ: हाथ का कष्ट बड़ा गंभीर होता है एवं इसका खतरा संगीन होता है, क्योंकि यह क़त्ल, चोरी एवं मार-पीट तक ले जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हाथ को जिस कार्य के लिए पैदा किया गया है उसको छोड़ किसी अन्य कार्य में इसके प्रयोग करने की संगीनी को दर्शाते हुए मुसलमान की निशानी यह बताई है कि वह इसका सही उपयोग करता है, आपने फ़रमाया: “मुसलमान वह है जिसकी ज़ुबान एवं हाथ से दूसरे मुसलमान सुरक्षित रहें”।⁽⁵⁾

(1) बुखारी (४/ १८६-१८७) संख्या (६४७८)।

(2) बुखारी (४/ १८६-१८७) संख्या (६४७४)।

(3) सहीह बुखारी (१/ २०-२१) संख्या (१०), व मुस्लिम (१/ ६५) संख्या (६५-४१)।

(4) फ़तुल बारी, लेखक: इब्ने हजर।

(5) पूर्व में इसका हवाला दिया जा चुका है।

ख- आँख: यह कष्ट का स्रोत इस प्रकार है कि किसी का तिरस्कार करते हुए व्यक्ति आँख के द्वारा इशारा करे, अथवा इसका प्रयोग वर्जित वस्तुओं को देखने में करे, जैसे कोई व्यक्ति लोगों के घरों में ताक-झाँक करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस व्यक्ति से कहा था जिसने आप के घर झाँका था और उस समय आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हाथ में लोहे की कंधी थी जिससे आप अपना सिर खुजा रहे थे, आपने कहा: “यदि मैं जानता कि तुम झाँक रहे हो तो मैं इसी को तुम्हारी आँख में घोंप देता, नज़र पड़ने के कारण ही तो अनुमति लेने को कहा गया है”⁽¹⁾

आदमी से उसकी आँख के संबंध में पूछताछ की जाएगी, जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [سورة الإسراء: ३६]

अनुवाद: (कान, आँख एवं हृदय सभी के बारे में उससे पूछा जाएगा)। सूरह इस्रा: ३६।

ग- इशारा: इससे अभिप्राय यह है कि कोई व्यक्ति अपने भाई का तिरस्कार करते हुए अपने शरीर को हरकत देते हुए भौं उचकाए, जिसका उद्देश्य उसका अपमान एवं उपहास हो, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ [سورة الهمزة: १]

अनुवाद: (विनाश हो उस व्यक्ति का जो कचोके लगाता रहता है एवं चोटें करता रहता है)। सूरह हुमज़ह: १।

अरबी भाषा में **हम्माज़** उस व्यक्ति को कहा जाता है जो इशारा एवं कार्य के द्वारा लोगों पर दोषारोपण करे एवं उसको ताना मारे, जबकि **लम्माज़** उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने कथन के द्वारा लोगों पर दोषारोपण करे।⁽²⁾

घ- कान: कान से कष्ट इस प्रकार दिया जाता है कि व्यक्ति इसके द्वारा दूसरों की बातें सुनने का प्रयास करे एवं दूसरे क्या बोल रहे हैं उसको सुनने के लिए कान लगाए रखे, तथा उसकी बातों को सुन कर उसके लिए कष्ट का कारण बने, या प्रत्यक्ष रूप से अथवा परोक्ष रूप से वह सुनी गई बातों को लोगों तक पहुँचाए, जबकि आदमी से सुनने के इस महान उपकरण (कान) के संबंध में पूछा जाएगा, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

⁽¹⁾ सहीह बुखारी (४/ १३८) संख्या (६२४१)।

⁽²⁾ तैसीरुल् करीमिर् रहमान फ़ी तफ़सीरि कलामिल मन्नान, लेखक: सअदी (५/ ४५५)।

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [سورة الإسراء: ٣٦]

अनुवाद: (कान, आँख एवं हृदय सभी के बारे में उससे पूछा जाएगा)। सूरह इस्रा: ३६।

द्वितीय: कष्ट पहुँचने वाले स्थान:

इससे अभिप्राय हर वह चीज़ है जिसके विषय में आदमी कष्ट का अनुभव करता है, चाहे यह उसके धर्म से संबंधित हो अथवा धन से अथवा मान-सम्मान से अथवा शरीर से या उसकी बुद्धि से, जिसको फ़िक्रह अर्थात् धर्मशास्त्र के अनुसार ज़रूरिय्यात -ए- ख़म्सह (पाँच मूलभूत आवश्यकताएं) कहा जाता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

१- धर्म: धर्म के संबंध में किसी को इस प्रकार से कष्ट दिया जा सकता है कि उसे उसके धर्म का पालन करने से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से रोक दिया जाए, जैसे: इंसान को अम्र बिल मारूफ़ व नह्य अनिल-मुनकर (भलाई का आदेश देने एवं बुराई से रोकने) से रोक दिया जाए, अथवा यदि वह वाजिबात एवं सुन्नतों का पालन करता है तो उसका उपहास उड़ाया जाए, जैसे टखने के ऊपर पाजामा पहनना, दाढ़ी बड़ी रखना इत्यादि। अल्लामा शातबी रहिमहुल्लाह कहते हैं: इबादत (पूजा) के सिद्धांत धर्म को अस्तित्व के पहलू से संरक्षित करने की तरफ लौटते हैं, जैसे ईमान (विश्वास), शहादा का उच्चारण, नमाज़, ज़कात, रोज़ा (उपवास) तथा हज्ज इत्यादि⁽¹⁾

२- धन: दूसरों के धन में हस्तक्षेप के विभिन्न रूप हैं, जैसे: चोरी, धोखा, विश्वासघात, घूस लेना इत्यादि जिसमें दूसरों पर धन के संबंध में अत्याचार किया जाता है। इस्लाम ने धन की रक्षा की है एवं उसमें अनुचित हस्तक्षेप को हराम (वर्जित) करार दिया है, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [سورة البقرة: १८८]

अनुवाद: (एक दूसरे का धन अन्यायपूर्ण ढंग से न खाया करो, न अधिकारियों को घूस पहुँचा कर किसी का धन अत्याचार करते हुए अपना लो, हालांकि तुम जानते हो)। सूरह बक्रह: १८८।

आयत का अर्थ यह है कि तुम एक दूसरे का धन अनुचित ढंग से न खाओ, तथा इसके अंदर: जुआ, धोखा, अतिक्रमण एवं दूसरों के अधिकारों का हनन शामिल है, जिसको उस धन का स्वामी पसंद नहीं करता है, अथवा शरीअत ने ऐसा करने को वर्जित किया है यद्यपि उस धन

⁽¹⁾ अल् मुवाफ़कात, लेखक: शातबी (२/ ४)।

के स्वामी की आत्मा उस से राजी हो जैसे व्यभिचारी महिला की कमाई एवं ज्योतिष्य विद्या से कमाया हुआ धन तथा शराब एवं सुअर इत्यादि बेच कर अर्जित किया गया माल⁽¹⁾।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस है: “तुम्हारा रक्त, तुम्हारा धन एवं तुम्हारी इज्जत एक दूसरे पर उसी तरह हाराम (वर्जित) हैं जैसे इस दिन की हुर्मत (वर्जना), इस नगर एवं इस मास की हुर्मत है, अतः उपस्थित लोग अनुपस्थित लोगों तक (इस पैगाम को) पहुँचा दें, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि जिसको बात पहुँचाई गई हो वह पहुँचाने वाले से अधिक उस बात को याद करने वाला एवं समझने वाला होता है”।⁽²⁾

३- बुद्धि: बुद्धि पर हमला तीन चीजों में से किसी एक के द्वारा अथवा सभी के द्वारा हो सकता है:

क- दिमाग में ऐसे स्थान पर मारना जिसके द्वारा बुद्धि पूर्णरूपेण अथवा आंशिक रूप से प्रभावित हो जाए।

ख- ऐसी चीजों को बेचना एवं प्रचार-प्रसार करना जिससे बुद्धि भ्रष्ट होती हो, जैसे: शराब, अफीम एवं समस्त प्रकार के मादक पदार्थ, जो मानव बुद्धि को भ्रष्ट करने का कारण बनते हैं एवं मानव के सोचने समझने की योग्यता को प्रभावित करते हैं, यहाँ तक कि वह भले-बुरे में अंतर करने की क्षमता से वंचित हो जाता है।

मादक पदार्थ आदमी को अल्लाह के जिक्र से रोक देता है, इसी कारणवश शैतान इसको मानव जाति के लिए सजा कर पेश करता है, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह फ़रमाता है:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [سورة المائدة: ९१]

अनुवाद: (शैतान तो यही चाहता है कि शराब (मदिरा) तथा जुआ के द्वारा तुम्हारे बीच वैर तथा द्वेष डाल दे, और तुम्हें अल्लाह की याद तथा नमाज़ से रोक दे, तो क्या तुम रुकोगे या नहीं?)। सूरह माइदा: ९१।

ग- सांस्कृतिक विचलन: जहाँ गुमराह विचारों को बढ़ावा देकर, लोगों के बीच भ्रम फैलाकर और गुमराह बौद्धिक और उत्तेजक साहित्यिक लेखन के माध्यम से अपने सभी रूपों में विचलन को अलंकृत करके मानव मन पर हमला किया जाता है।

(1) अल् जामेअ लि अहकामिल कुरआन, लेखक: कुर्तुबी (२/ २२५)।

(2) सहीह बुखारी (१/ ४१) संख्या (६७), व मुस्लिम (३/ १३०६) संख्या (३०-१६७९)।

४- नफ़्स (आत्मा, शरीर): शरीर पर आक्रमण के विभिन्न रूप हैं जैसे, क़त्ल कर देना एवं मारना इत्यादि। इस्लाम धर्म ने शरीर पर अत्याचार के सभी रूपों को वर्जित किया है, चुनाँचे अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [سورة النساء: ९३]

अनुवाद: (जो किसी मोमिन को जान-बूझ कर क़त्ल कर दे तो उसका ठिकाना जहन्नम है जहाँ वह सदैव रहेगा, तथा उस पर अल्लाह का क्रोध एवं धिक्कार हो, एवं अल्लाह ने उसके लिए कष्टदायक यातना तैयार कर रखा है)। सूरह निसा: ९३।

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “किसी मुसलमान का ख़ून हलाल नहीं जो इस बात की गवाही देता हो कि अल्लाह के सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं एवं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसके रसूल हैं, सिवाय तीन बातों के आधार पर: विवाहित व्यभिचारी हो, किसी को अनाधिकारिक रूप से क़त्ल कर दिया हो तथा अपना धर्म को छोड़ कर अधर्मी हो गया हो और अपने समूह से अलग हो गया हो”।^(१)

५- मान-सम्मान: जैसे कोई व्यक्ति किसी पर कोई लांछन लगा दे, तथा इस्लाम ने मान-सम्मान पर आक्रमण के सभी रूपों को वर्जित किया है, चुनाँचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “तुम्हारा रक्त, तुम्हारा धन एवं तुम्हारी इज्जत एक दूसरे पर ह़राम (वर्जित) हैं”।^(२)

तृतीय: कष्ट सहना:

कष्ट सहने का अर्थ यह है कि यदि कोई उसके साथ बुराई करे तो बदले में वह उसके साथ बुराई न करे बल्कि सहन करे, और यह दो ढंग से होगा:

१- बुराई करने वाले को माफ़ कर देना एवं नज़रअंदाज करना, तथा अल्लाह तआला ने क्षमा करने को प्रोत्साहित किया है, जैसाकि उसका फ़रमान है:

﴿وَجَزَاؤُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [سورة الشورى: ४०]

(१) सहीह बुखारी (४/ २६८) संख्या (६८७८), व मुस्लिम (३/ १३०२-१३०३) संख्या (२५-१६७६)।

(२) इस हदीस का हवाला पीछे दिया जा चुका है।

अनुवाद: (बुराई का बदला उसी के समान बुराई है, परंतु जो माफ कर दे एवं सुलह कर ले तो उसका पुण्य अल्लाह के ऊपर है, निश्चय ही अल्लाह तआला अत्याचारियों को पसंद नहीं करता है)। सूरह शूरा: ४०। अल्लाह तआला ने अद्ल एवं इंसफ को मशरूअ (विधान) करार दिया है जोकि क्रिसास अर्थात बदला है, तथा क्षमा कर देने को प्रोत्साहित किया है, और अल्लाह उसे व्यर्थ नहीं जाने देगा।^(१) तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “सदका (दान) करने से धन कम नहीं होता है, तथा क्षमा कर देने से बंदे के सम्मान में वृद्धि ही होती है, और जो अल्लाह के लिए विनम्रता धारण करता है अल्लाह उसे उच्चता प्रदान करता है”।^(२)

अबू बक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने मौसैरे भाई मिस्तह बिन उसासा के ऊपर जो दान किया करते थे, इफ़क वाली घटना में उनके संलग्न होने के बाद उन्होंने उसे रोक दिया, परंतु बाद में क्षमा कर दिया एवं उनको जा दान दिया करते थे उसे फिर से जारी कर दिया जब उन्होंने अल्लाह तआला के इस फ़रमान को सुना: ﴿وَلَا يَأْتِلْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [سورة النور: २२] अनुवाद: (तथा न शपथ लें तुम में से धनी और सुखी कि नहीं देंगे समीपवर्तियों तथा निर्धनों को और जो हिजरत (पलायन) कर गए अल्लाह की राह में, और चाहिए कि क्षमा कर दें तथा जाने दें, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें क्षमा कर दे, और अल्लाह अति क्षमी सहनशील है)। सूरह नूर: २२।^(३)

क्षमा कर देना हर जगह प्रशंसनीय नहीं है, बल्कि यदि इसके कारण कोई बुराई नहीं हो रही हो तो यह उत्तम होगा, परंतु यदि क्षमा करने के परिणाम स्वरूप बुराई के फैलने की संभावना हो तो क्षमा न करना श्रेयस्कर होगा, अतः जिसके बारे में प्रसिद्ध हो कि लोगों पर अत्याचार करता है, तो ऐसे व्यक्ति को यदि माफ कर दिया जाए तो उसकी उदंडता और बढ़ जाएगी, किंतु यदि क्षमा कर देने से किसी बुराई में वृद्धि की संभावना न हो अथवा इसके द्वारा सुधार की संभावना प्रबल हो तो ऐसी स्थिति में क्षमा कर देना उत्तम होगा।

२- बुराई का बदला अच्छाई से देना, इस्लाम ने इसके लिए प्रोत्साहित किया है एवं ऐसा करने वालों का उत्साह वर्धन किया है, चुनाँचे हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व

(१) तफ़सीरुल क़ुरआनिल अज़ीम, लेखक: इब्ने कसीर (४/ १२८)।

(२) सहीह मुस्लिम (४/ २००१) संख्या (६९-२५८८)।

(३) तफ़सीरुल क़ुरआनिल अज़ीम, लेखक: इब्ने कसीर (३/ २८६)।

सल्लम ने फ़रमाया: “ऐ उक्रबा बिन आमिर! जो तुम से संबंध विच्छेद करे तुम उससे संबंध जोड़ो, जो तुझे वंचित करे तुम उसे दो एवं जो तुम पर अत्याचार करे उसे क्षमा कर दो”⁽¹⁾

संबंध विच्छेद करने वाले से संबंध जोड़ने का तरीका यह है कि उसे सलाम किया जाए, उसका सम्मान किया जाए, उसके लिए दुआ की जाए, उसके लिए क्षमा याचना की जाए, उससे भेंट करने के लिए जाया जाए, जहाँ तक उस आदमी को देने की बात है जो आपको वंचित करे तो यह ज्ञान, लाभ एवं धन देने के द्वारा हो सकता है, और जहाँ तक बात है जो आप पर अत्याचार करे उसे क्षमा करने का तो यह खून एवं मान-सम्मान में होगा, तथा उपरोक्त में से कुछ वाजिब हैं और कुछ मुस्तहब⁽²⁾, और वाजिब का उदाहरण यह है कि जो आपसे संबंध विच्छेद करे आप उससे संबंध जोड़ें⁽³⁾ और मुस्तहब का उदाहरण यह है कि जो आप पर अत्याचार करे आप उसे क्षमा कर दें।

चतुर्थ: प्रसन्नचित्त हो कर मिलना:

यह भ्रूभंग (त्यौरी चढ़ाना) का विलोम है, जिससे अभिप्राय है अपने भाई-बंधु से हंसते-मुस्कुराते हुए मिलना, जोकि प्रेम एवं स्नेह का स्रोत है, और यह नैकी के स्रोतों में से भी एक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “तुम किसी भी भलाई को तुच्छ न समझो, चाहे तुम्हारा अपने भाई से प्रसन्नचित्त हो कर मिलना ही क्यों न हो”⁽⁴⁾

इसी प्रकार दूसरों से प्रसन्नचित्त हो कर मिलना प्रशंसा कमाने का भी एक साधन है, जैसाकि मुहम्मद बिन हाज़िम ने कहा है:

وما اكتسب المحامد طالبوها بمثل البشر والوجه الطليق

अनुवाद: प्रशंसा के अभिलाषियों ने हंसमुख चेहरे एवं प्रसन्नचित्त हो कर मिलने से बढ़ कर कोई प्रशंसा नहीं कमाई।

(1) अहमद (४/ १५८)।

(2) मज़मूअ रसाइल अल् कुब्रा, लेखक: इब्ने तैमिय्यह।

(3) नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “संबंध जोड़ने वाला वह नहीं है जो बदला चुकाए, बल्कि संबंध जोड़ने वाला वह है जिससे जब संबंध विच्छेद किया जाए तो वह संबंध जोड़े”। सहीह बुखारी (४/ ९०) संख्या (५९९१)।

(4) सहीह मुस्लिम (४/ २०२६) संख्या (१४४-२६२६)।

पाँचवां पाठः

इस्लामी अखलाक़ (नैतिकता) के आधार

निश्चित रूप से इस्लामी नैतिकता केवल यादृच्छिकता या आनंद और इच्छाओं के आधार के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके कुछ नियम एवं सिद्धांत हैं जिन पर यह आधारित है, अतः ऐसी नैतिकता जो अल्लाह के लिए इखलास (निष्ठा) एवं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अनुसरण से मुक्त हो तो ऐसी नैतिकता का इस्लाम में कोई महत्व नहीं है, इसी प्रकार इस्लामी अखलाक़ सरल एवं अनिवार्य होने पर आधारित है।

इन सिद्धांतों का पालन किए बिना कोई भी नैतिक कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि फिर इसका यथार्थ से कोई वास्ता नहीं रह पाता है, एवं इसका प्रशैक्षणिक प्रभाव समाज अथवा व्यक्ति पर नहीं दिखता है।

इन सिद्धांतों को निम्न में विस्तारित रूप में उल्लेखित किया जा रहा है:

१- निय्यत (इखलास, निष्ठा, इरादा):

निय्यत: दिल के इरादे का नाम है⁽¹⁾, तथा इससे अभिप्राय “कार्य के उद्देश्य में अंतर करना तथा यह पता लगाना है कि क्या यह केवल अल्लाह के लिए है अथवा अल्लाह के लिए एवं अल्लाह के सिवा अन्य के लिए भी है”⁽²⁾ क्योंकि इस्लाम धर्म में निय्यत को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, यही वह मूलाधार है जिस पर कार्य के स्वीकार एवं अस्वीकार होने की आधारशिला रखी जाती है। तथा इससे इस बात की भी पुष्टि होती है कि व्यवहार को नैतिक मूल्य देने का भी एक मुख्य नियम है, क्योंकि आदमी कभी-कभी कोई ऐसा कार्य करता है जो बाहर से उच्च नैतिकता वाला कार्य लगता है किंतु उसका आंतरिक भाग इसके बिल्कुल विपरीत होता है, तो यह कैसे संभव है कि एक व्यक्ति जो केवल अल्लाह को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है उसको उस व्यक्ति के समान कर दिया जाए जो उसके जैसा नहीं है, चुनाँचे वीरता अच्छी नैतिकता में से है परंतु यदि इसका प्रदर्शन निश्छल रूप से केवल अल्लाह के लिए न हो तो इस्लाम की दृष्टि में इसका कोई महत्व नहीं है, जैसाकि अबू मूसा अश्अरी रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है, कि एक व्यक्ति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा में उपस्थित हुआ और कहा: “आदमी ग़नीमत का धन प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ता है, कोई आदमी प्रसिद्धि पाने के लिए लड़ता है और कोई अपनी वीरता साबित करने के लिए

(1) जामेउल उलूमि वल् हिकम, लेखक: इब्ने रजब, पृष्ठ (२०)।

(2) पिछला संदर्भ, पृष्ठ (८)।

लड़ता है, तो इसमें से कौन अल्लाह के मार्ग में माना जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: जो इसलिए युद्ध लड़े ताकि अल्लाह का कलेमा (वाक्य) बुलंद हो वास्तव में वही अल्लाह के मार्ग में माना जाएगा”।⁽¹⁾

अतः यदि कोई कार्य अल्लाह को प्रसन्न करने के उद्देश्य से अंजाम नहीं दिया गया हो तो वह चाहे जैसा भी कार्य हो इस्लाम की दृष्टि में वह अस्तित्वहीन है, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस कार्य में जो अल्लाह को प्रसन्न करने हेतु किया जाए एवं उस कार्य में जो केवल सांसारिक लाभ के लिए किया जाए अंतर किया है, जैसाकि प्रसिद्ध हदीस में है: “कर्मों का आधार नियतों और इरादों पर है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए वही है जिसकी वह नियत करे, अतः जो अल्लाह एवं उसके रसूल के लिए हिजरत करे तो उसकी हिजरत (पलायन, विस्थापन) अल्लाह एवं उसके रसूल के लिए है, और जिसकी हिजरत सांसारिक लोभ की खातिर हो अथवा किसी महिला से विवाह करने के लिए हो तो उसकी हिजरत उसी चीज़ के लिए मानी जायेगी जिसके लिए उसने हिजरत की है”।⁽²⁾ यही कारण है कि मानव व्यवहार के नैतिक मूल्य की अच्छाई और बुराई का नियत अर्थात् इरादे से गहरा संबंध है, अल्लामा इब्ने रजब रहिमहुल्लाह कहते हैं: “किसी कार्य की अच्छाई या बुराई उसे बनाने के लिए आवश्यक नियत (इरादे) पर निर्भर करती है”।⁽³⁾ अतः कोई कार्य यदि अल्लाह को प्रसन्न करने के लिए किया जाए एवं उसी के बताए हुए ढंग के अनुसार हो तो वह अल्लाह के निकट स्वीकार्य होता है “कार्य करने वाले को उसके कार्य का पुण्य उसकी नेक नियत के अनुसार दिया जाता है, तथा दण्ड भी उसकी बुरी नियत के अनुसार ही दिया जाता है, कभी नियत वैध होती है तो कर्म भी वैध होता है अन्ततोगत्वा उसे पुण्य नहीं मिलता है एवं न ही दण्ड, अतः किसी कार्य के अच्छे, बुरे एवं वैध होने का आधार उसकी नियत पर होता है”।⁽⁴⁾

अतः मुस्लिम जब अच्छी नियत के साथ खान-पान करे या सोए तो इस्लाम की दृष्टि में उसका महत्व होता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि आदमी कोई कार्य करता है जो लोगों के निकट उतना महत्व नहीं रखता है परंतु अल्लाह के निकट उसका बड़ा महत्व होता है क्योंकि उस कार्य के अंदर इख़लास बहुत अधिक होता है, इसके ठीक विपरीत कभी-कभी कोई कार्य लोगों के निकट बड़ा माना जाता है परंतु अल्लाह के निकट उसकी कोई हैसियत नहीं होती है क्योंकि उसमें इख़लास की कमी होती है।

(1) सहीह बुखारी (२/ ३०९) संख्या (२८१०), व मुस्लिम (३/ १५१२-१५१३) संख्या (१४९-१९०४)।

(2) सहीह बुखारी (१/ १३) संख्या (१), व मुस्लिम (३/ १५१५-१५१६) संख्या (१५५-१९०७)।

(3) जामेउल उलूमि वल् हिकम, लेखक: इब्ने रजब, पृष्ठ (७)।

(4) पिछला संदर्भ, पृष्ठ (७-८)।

नाफ़ेअ बिन हबीब से कहा गया: क्या आप जनाज़ा में उपस्थित नहीं होंगे? उन्होंने कहा: मैं उसी हालत पर था जिसकी मैंने निय्यत की थी, फिर उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर कहा: चलो, तथा कुछ सलफ़ (नेक पूर्वजों) से वर्णित है कि: जिसको यह बात प्रसन्न करे कि उसका कर्म अल्लाह के निकट पूरा-पूरा लिखा जाए तो वह अपनी निय्यत अल्लाह के लिए ख़ालिस कर ले, क्योंकि बंदा अगर निय्यत सही कर ले तो अल्लाह तआला उसके लुक्मा (कौर) उठाने पर भी पुण्य प्रदान करता है।⁽¹⁾

अच्छे इरादों का दायरा, यदि इसको विस्तारित किया जाए, तो सभी व्यवहारिक कार्य यदि वे शरिया के अनुसार हों तो इसके अंदर आ जाते हैं, अतः वे नैतिक मूल्य वाला कार्य बन जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सर्वशक्तिमान अल्लाह से उसे इनाम और पुण्य प्राप्त होता है, और फिर यह व्यवहार नैतिक मूल्य प्राप्त कर लेता है, उन लोगों के कार्यों के विपरीत जो दिखावा करते हुए खर्च करते हैं अथवा विनम्रता धारण करते हैं, या बिना इख़लास और निष्ठा के एक निश्चित नैतिक व्यवहार करते हैं तो इसी कारणवश उनके नैतिक कार्यों में निरंतरता की कमी होती है और सांसारिक लक्ष्य प्राप्त होने के बाद वह कार्य बंद हो जाता है, और इस प्रकार इसे केवल अस्थायी नैतिकता कहा जाता है।

यदि किसी कार्य को ख़ालिस निय्यत के साथ किया जाए तो उसमें निरंतरता बनी रहती है, और इसका प्रमाण वह भाईचारा है जो मुहाजिरों एवं अन्सार के मध्य स्थापित किया गया था, चूँकि उनका भाईचारा केवल अल्लाह की प्रसन्नता के लिए था अतः इसके कारण उनका परस्पर प्रेम प्रगाढ़ हुआ, यहाँ तक कि सअद बिन रबीअ ने अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना आधा धन एवं दो पत्नियों में से एक उनको देने की पेशकश कर दी थी, परंतु अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने अन्सारी भाई के धन का लोभ न करते हुए ऐसा करने से इंकार कर दिया⁽²⁾, कारण यही था कि उनके बीच जो संबंध स्थापित हुआ था वह भौतिक लाभ के आधार पर नहीं स्थापित हुआ था, बल्कि वह इस से कहीं बढ़ कर इस्लामी भाईचारा था जिसका आधार -अल्लाह के कारण प्रेम एवं अल्लाह ही के कारण घृणा- होता है, आज के मुसलमानों को और अधिक ज़रूरत है कि वो अपनी निय्यतों को ख़ालिस करें एवं अपने भाइयों से अपना संबंध इस्लामी आधार पर रखें न कि भौतिक लाभ के आधार पर।

निय्यत का एक दूसरा लाभ यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति सद्कार्य करने का इरादा करे एवं किसी विवशता के कारण उसे अंजाम नहीं दे सके तो अल्लाह तआला उसके लिए पूर्ण नेकी लिखता है, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने रब से वर्णन करते हुए कहते

⁽¹⁾ पिछला संदर्भ, पृष्ठ (१०)।

⁽²⁾ देखें: सहीह बुखारी (३/ ३८) संख्या (३७८०)।

हैं: “अल्लाह तआला ने नेकियों एवं बुराईयों को लिख दिया है फिर उसको विस्तारित रूप से बयान कर दिया है, अतः जो नेकी एवं सद्कर्म करने का इरादा करे परंतु उसे किसी विवशता के कारण अंजाम नहीं दे सके तो अल्लाह तआला उसके लिए अपने निकट एक पूर्ण नेकी लिख देता है, तथा जो नेकी करने का इरादा करे एवं उसे अंजाम भी दे दे तो अल्लाह तआला उसके लिए अपने निकट दस से लेकर सात सौ नेकियों से लेकर कई गुणा नेकी लिखता है, और जो बुराई एवं कुकर्म करने का इरादा करे परंतु उसे अंजाम न दे तो अल्लाह तआला उसके लिए अपने निकट एक मुकम्मल नेकी लिखता है और जो बुराई का इरादा कर के उसे अंजाम तक पहुँचा दे तो अल्लाह तआला उसके लिए एक बुराई लिखता है”⁽¹⁾

अतः प्रत्येक वह व्यवहार जो एक मुस्लिम करता है निय्यत के आधार पर उसका नैतिक मूल्यांकन होता है। जो अपने मन में नेकी करने का इरादा करे किंतु किसी बाधा के कारण उसे अंजाम नहीं दे सके तो उसने उच्च नैतिकता का प्रदर्शन किया और जो बुराई का इरादा कर ले परंतु अल्लाह के भय से अथवा अल्लाह के आज्ञापालन या अल्लाह से लज्जा के कारण उसे अंजाम न दे तो भी उसने उच्च नैतिकता का प्रदर्शन किया जोकि अल्लाह से लज्जा करना है।

इस आधार पर किसी कार्य के स्वीकार्य अथवा अस्वीकार्य होने में निय्यत का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, यद्यपि कभी-कभार उसको अपने अंजाम तक न पहुँचाया जा सके। शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिय्यह रहिमहुल्लाह कहते हैं: “केवल निय्यत एवं इरादा पर ही मोमिन को पुण्य दे दिया जाता है, यदि उसे किसी विवशता ने उसे ऐसा करने से रोक दिया हो तो वह वैसे ही है जैसे उसने उसे अपने अंजाम तक पहुँचा दिया हो”⁽²⁾

इसीलिए नैतिक प्रशिक्षण में निय्यत के महत्व का सदा ध्यान रखा जाना चाहिए और वह इस प्रकार कि आदमी जीवन में जो भी कार्य करे वह केवल अल्लाह को प्रसन्न करने हेतु करे, ताकि वह उच्च इस्लामी नैतिकता को पा सके तथा उसके सद्कार्यों में निरंतरता एवं दृढ़ता बनी रहे, क्योंकि उस स्थिति में उस कार्य को करने पर प्रेरित करने वाला कारण अल्लाह की रज़ा (प्रसन्नता) चाहना होता है कोई भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं।

२- इत्तेबाअ अर्थात नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुसरण:

किसी कार्य के नैतिक रूप से मूल्यवान होने की एक दूसरी शर्त भी है और वह यह है कि उस कार्य को नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बताए हुए ढंग के अनुसार अंजाम दिया जाए, तथा वह कार्य आपके निर्देशनुसार हो एवं उसी की परिधि में सीमित हो, और आपके

(1) सहीह बुखारी (४/ १८९) संख्या (६४९१) तथा उपरोक्त शब्द उन्ही के द्वारा वर्णित हैं, व मुस्लिम (१/ ११७) संख्या (२०३/ १२८)।

(2) मज्मूअल फ़तावा, लेखक: इब्ने तैमिय्यह (१०/ ७६१)।

बताए हुए ढंग के विरुद्ध न हो चाहे कार्य करने वाले व्यक्ति की नियत कितनी ही अच्छी क्यों न हो।

जो कर्मचारी या कर्मी अपने काम के घंटों में एकनिष्ठ रहता है लेकिन जितना काम वह पूरा कर सकता है उससे कम काम करता है, तो जितना काम करने की वह क्षमता रखता है उससे कम करना, काम के घंटों में इखलास (एकनिष्ठता) तो दिखाता है परंतु उसे इखलास का गुण नहीं देता है, क्योंकि वह काम के मुख्य भाग में विफल रहा है जोकि काम को पूरा करना था, इसलिए, अच्छे नैतिक व्यवहार को अच्छी नियत के साथ न जोड़ना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बताए हुए ढंग के अनुसार न करना गलत है। नैतिक रूप से अल्लाह के लिए तथा अल्लाह के सिवा अन्य के लिए अंजाम दिए गए नैतिक व्यवहार के बीच तथा किसी कार्य को खालिस अल्लाह के लिए एवं उसके रसूल के बताए हुए ढंग के अनुसार करने एवं इसके विपरीत कार्य के मध्य अंतर करना आवश्यक है।

और ऐसा करने के लिए धर्म के आदेशों की जानकारी होना आवश्यक है ताकि आदमी सही मनहज (पद्धति) और ढंग से कार्य कर सके जोकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पूर्णरूपेण अनुसरण करना है, जैसाकि अल्लाह तआला के इस कथन में वर्णित है:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

[سورة الحشر: १]

अनुवाद: (रसूल जो तुम को दें उसे ले लो एवं जिससे रोकें उससे रुक जाओ, तथा अल्लाह से डरते रहो, निश्चय ही अल्लाह तआला कठोर दण्ड देने वाला है)। सूरह हश्र: ७।

नैतिक आचरण के लिए इन आदेशों एवं वर्जनाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है, अर्थात् धार्मिक ज्ञान का होना मानवता के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण जरूरत है, इसी कारणवश रसूल भेजने की जरूरत पड़ी ताकि बौद्धिक, प्राकृतिक एवं भलाई वाले सद्कार्यों की पहचान हो।^(१)

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मनहज और ढंग का अनुसरण न करने का एक रूप यह है कि इस्लामी शिक्षाओं पर बुद्धि, रुचि एवं मानसिक झुकाव को वरीयता दी जाए “यहीं से उन लोगों की गलती स्पष्ट होती है जो अल्लाह एवं उसके रसूल के आदेशों को छोड़ कर अपनी रुचि एवं अंतर्मन को नैतिकता का आधार मानते हैं”^(२) क्योंकि केवल मनुष्यों के तर्कसंगत पक्ष और धारणा की विभिन्न शक्तियों पर भरोसा करना परिणाम के आधार पर सुरक्षित

(१) अन् नज़रियह अल् खलफ़ियह इन्द इब्ने तैमियह, लेखक: मुहम्मद अब्दुल्लाह अफ़ीफ़ी, पृष्ठ (१५७)।

(२) पिछला संदर्भ, पृष्ठ (१६०)।

नहीं है, क्योंकि कुछ मनोवैज्ञानिक और गैर-मनोवैज्ञानिक कारक और उद्देश्य ऐसे हैं जो ज्ञान को निर्देशित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, और इस प्रकार जारी किए गए तर्कसंगत निर्णय पर उनका प्रभाव पड़ता है, जैसे इंद्रिय इच्छाएं एवं कामनाएं।⁽¹⁾

जो इस बात की पुष्टि करती है कि आदमी उस मन्हज और तरीका का पालन करे जिसको लेकर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आए थे जिसमें मानवता के लिए इंद्रिय इच्छाओं एवं कामनाओं से मुक्ति है।

शरीअत के ऊपर मानव बुद्धि को वरीयता देना आदमी को विनाश तक ले जाता है, क्योंकि “बुद्धि कभी-कभी सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम के चयन में भ्रमित हो जाती है और यदा-कदा तो वास्तविकता तक पहुँचने से भटक ही जाती है”⁽²⁾ इसीलिए अल्लाह के आदेशों का पालन करना मनुष्य को गुमराह एवं पथभ्रष्ट लोगों के अनुसरण से बचाता है, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [سورة الكهف: २८]

अनुवाद: (आप उनकी बात न मानें जिस के दिल को हमने अपनी याद से निश्चेत कर दिया, और उसने मनमानी की, तथा जिसका काम ही उल्लंघन (अवज्ञा) करना है)। सूरह कहफ़: २८।

इंद्रिय इच्छा, शैतान एवं रुचि कभी-कभी मानव के लिए अनैतिकता को सुसज्जित बना कर पेश करता है कि यह आधुनिकता एवं सभ्यता है, उदाहरण के तौर पर हिजाब एवं पर्दा उतार फेंकना, अतः किसी भी मुस्लिम के लिए जायज़ नहीं है कि प्रगति के नाम पर वह अपनी अभिरुचि एवं बौद्धिक विचलन को आधार बनाए, क्योंकि अल्लाह तआला एवं उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के द्वारा सही मन्हज और पद्धति बता देने के बाद अब किसी के लिए अपनी मनमानी करने की कोई संभावना नहीं बचती है, जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [سورة الأحزاب: ३६]

अनुवाद: (तथा किसी ईमान वाले पुरुष एवं किसी ईमान वाली महिला के योग्य नहीं है कि जब निर्णय कर दे अल्लाह तथा उसके रसूल किसी बात का तो उनके लिए अधिकार रह जाए अपने विषय में)। सूरह अहज़ाब: ३६।

⁽¹⁾ पिछला संदर्भ, पृष्ठ (११३)।

⁽²⁾ पिछला संदर्भ, पृष्ठ (१६०)।

तथी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है: “जिसने हमारी शरीअत में कोई ऐसा नया कार्य अंजाम दिया जिसका कोई आधार मौजूद नहीं है तो वह अस्वीकार किये जाने योग्य है”।⁽¹⁾

इस्लामी पद्धति का पालन न करने का एक तरीका, शब्दों में नैतिक चरित्र का दिखावा करना जबकि इसे व्यावहारिक क्षेत्र में लागू नहीं करना भी है। यह अल्लाह की पद्धति के अलावा किसी और चीज़ का अनुसरण करना है, भले ही उन्होंने जो कहा हो उसका स्पष्ट अर्थ नैतिकता से है, किंतु उन्होंने इसे अपने व्यावहारिक जीवन में लागू करने से परहेज किया, अतः यह इसे तनिक भी नैतिक मूल्य नहीं देता है। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [سورة الصف: २-३]

अनुवाद: (हे ईमान वालो! तुम वह बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। अत्यंत अप्रिय है अल्लाह को तुम्हारी वह बात कहना जिसे तुम (स्वयं) करते नहीं हो)। सूरह सफ़ः २-३।

उपरोक्त आयत में प्रश्नवाचक संज्ञा डांटने एवं डराने के लिए है, अर्थात् तुम भलाई की बात क्यों बोलते हो जबकि तुम स्वयं उसका पालन नहीं करते हो, फिर अल्लाह तआला ने उनकी निंदा करते हुए कहा उनका ऐसा करना अल्लाह के निकट बड़े क्रोध का कारण बनता है।⁽²⁾ तथा अल्लाह तआला ने बनी इस्राईल की निंदा की है अपने इस कथन में:

﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [سورة البقرة: ६६]

अनुवाद: (क्या तुम, लोगों को सदाचार का आदेश देते हो, और अपने आप को भूल जाते हो, जबकि तुम पुस्तक (तौरात) का अध्ययन करते हो, क्या तुम समझ नहीं रखते?)। सूरह बक्रहः ४४। बनी इस्राईल दूसरों को अल्लाह का आज्ञापालन करने, उसका भय अपनाने एवं नेकी करने का आदेश दिया करते थे तथा स्वयं उसका पालन नहीं करते थे, तो अल्लाह तआला ने उनकी निंदा की है, क्योंकि जो दूसरों को सद्कार्य करने की ओर बुलाए उसे तो सबसे अधिक सद्कार्य करने में पहल करने वाला होना चाहिए⁽³⁾, अतः प्रमाणित हुआ कि उनका यह कार्य ऊपरी रूप से तो बड़ा अच्छा एवं उच्च नैतिकता वाला लग रहा है परंतु व्यवहारिक जीवन में इसे उतारने में वो लोग असफल रहे जिसके कारण इस नैतिकता का कोई मोल नहीं रहा।

(1) सहीह बुखारी, हदीस संख्या: २६९७, २/ २६७, सहीह मुस्लिम: ३/ १३४३, हदीस संख्या: १७-१७१८।

(2) फ़तुल क़दीर, लेखक: शौकानी (५/ २१९)।

(3) तफ़सीरुल क़ुरआनिल अज़ीम, लेखक: इब्ने कसीर (१/ ८८)।

अतः हुस्न -ए- अखलाक (अच्छी नैतिकता) शरीअत का अक्षरशः पालन करने एवं उसके ऊपर अपनी बुद्धि, अभिरुचि, इन्द्रिय इच्छाओं एवं कामनाओं को वरीयता न देने में छिप्त है, अल्लाह तआला का कथन है:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [سورة النساء: १२०]

अनुवाद: (तथा उस व्यक्ति से अच्छा किस का धर्म हो सकता है जिस ने स्वयं को अल्लाह के लिए झुका दिया, और वह एकेश्वरवादी भी हो, तथा एकेश्वरवादी इब्राहीम के धर्म का अनुसरण कर रहा हो? और अल्लाह ने इब्राहीम को अपना विशुद्ध मित्र बना लिया)। सूरह निसा: १२५। “नेक अमल करना एहसान अर्थात हसनात करना है” और हसनात “कहते हैं उस चीज को जिससे अल्लाह एवं उसके रसूल प्रेम करते हैं, जिसके करने का वाजिब अथवा मुस्तहब तौर पर आदेश दिया है, और जो चीज दीन में बिद्अत के रूप में आविष्कार की गई हो अल्लाह एवं उसके रसूल उससे प्रेम नहीं करते हैं, अतः वह हसनात में से नहीं हो सकता और न ही सद्कार्य में उसकी गिनती हो सकती है, इसी तरह कोई व्यक्ति यदि अवैध कार्य करे जैसे व्यभिचार एवं अत्याचार तो यह न तो हसनात में से है और न ही सद्कर्म है”।^(१)

इस्लामी मन्हज अर्थात पद्धति स्पष्ट एवं पूर्ण है जिसके ऊपर अभिरुची इत्यादि को वरीयता नहीं दी जाएगी, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿أَيُّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا﴾ [سورة المائدة: ३]

अनुवाद: (आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को पूर्ण कर दिया एवं तुम पर अपनी नेमत मुकम्मल कर दी और इस्लाम को तुम्हारे लिए धर्म के रूप में पसंद कर लिया)। सूरह माइदा: ३।

३- बाध्य हो कर नैतिकता का पालन करना (नैतिक दायित्व):

इस्लाम धर्म का स्रोत अल्लाह की ओर से है जिसको लेकर अल्लाह तआला ने अपने रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के भेजा था ताकि इस धर्म को अन्य धर्मों पर प्रभुत्व प्रदान करे, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

(१) अल् फ़तावा, लेखक: इब्ने तैमिय्यह (१०/ १७३)।

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [سورة

الصف: ٩]

अनुवाद: (वही है जिसने भेजा है अपने रसूल को संमार्ग तथा सत्यधर्म के साथ ताकि प्रभावित कर दे उसे प्रत्येक धर्म पर चाहे बुरा लगे मुश्रिकों को)। सूरह सफ़ः ९। यह धर्म इसलिए आया है ताकि धरती पर सर्वोत्तम जीवन यापन के ढंग को प्रस्तुत करे और मानवता को पथभ्रष्टता, अंधकार, ईर्ष्या एवं द्वेष की बुराई से निकाल कर प्रेम तथा स्नेह का वातावरण विकसित करे, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [سورة النساء: १२०]

[سورة النساء: १२०]

अनुवाद: (तथा उस व्यक्ति से अच्छा किस का धर्म हो सकता है जिस ने स्वयं को अल्लाह के लिए झुका दिया, और वह एकेश्वरवादी भी हो, तथा एकेश्वरवादी इब्राहीम के धर्म का अनुसरण कर रहा हो?)। सूरह निसा: १२५।

अतः मानवता के लिए आवश्यक है कि वह इस सत्य एवं सही धर्म का पालन करे, क्योंकि गुमराही एवं पथभ्रष्टता के अंधकार से निकालने वाला यह एकमात्र मुक्तिदाता है, क्योंकि यही अकेला ऐसा धर्म है जो अल्लाह के निकट स्वीकार्य है “जो अल्लाह द्वारा शरीअत के रूप में निर्धारित की गई पद्धति को छोड़ कर कोई अन्य पद्धति अपनाएगा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा”^(१), अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [سورة آل عمران: ८५]

[سورة آل عمران: ८५]

अनुवाद: (जो इस्लाम के अलावा अन्य धर्म को चाहेगा उसे उसकी ओर से स्वीकार नहीं किया जाएगा)। सूरह आले इमरान: ८५।

तथा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी दावत (निमंत्रण) उच्च नैतिकता (हुस्न -ए- अखलाक़) को पूर्ण करने के लिए है, जैसाकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस है: “मैं इस लिए भेजा गया हूँ ताकि उच्च नैतिकता को पूर्ण कर सकूँ”^(२)

(१) तफ़सीरुल कुरआनिल अज़ीम, लेखक: इब्ने कसीर (१/ ३८७)।

(२) अहमद (२/ ३८१) तथा उपरोक्त शब्द इसी के हैं, मालिक (२/ ९०४) संख्या (८), तथा अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया है, देखें: सहीहुल जामेअ अस् सगीर, संख्या (२३४९)।

यह धर्म पृथ्वी पर एक सदाचारी जीवन प्राप्त करने और मानवता को गुमराही, आक्रोश और घृणा से परिचित और प्रेम की ओर स्थानांतरित होने से बचाने के लिए आया था।

इसलिए, नैतिकता की नींव स्थापित करने के लिए एक दायित्व की आवश्यकता होती है जो समर्पण, अनुसरण और आज्ञाकारिता की भावना पैदा करता है। यही कारण है कि नैतिकता के संबंध में शोधकर्ता नैतिक दायित्व के महत्व पर जोर देते हैं, जैसा कि शोधकर्ताओं में से एक का कहना है: “नैतिक प्रणाली, दायित्व के नींव पर आधारित है, क्योंकि यह व्यावहारिक ज्ञान और उसकी सच्चाई का सार है, जिसके माध्यम से जिम्मेदारी हासिल की जाती है... और लोगों के जीवन में व्यवस्था बनी रहती है”⁽¹⁾

इसलिए, दायित्व एक बुनियादी नियम है जिसके चारों ओर नैतिक व्यवस्था घूमती है, जिसके खोने से व्यावहारिक ज्ञान की वास्तविकता ही नष्ट हो जाती है, दूसरी ओर, हम दायित्व के बिना नैतिक नियम की कल्पना कैसे कर सकते हैं?⁽²⁾

मनुष्य ने अपने खालिक (निर्माता) से अनिवार्य जिम्मेदारी की बागडोर ली है, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيُّنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [سورة الأحزاب: ٧٢]

अनुवाद: (हमने प्रस्तुत किया अमानत को आकाशों तथा धरती एवं पर्वतों पर तो उन सब ने इन्कार कर दिया उनका भार उठाने से, तथा डर गए उस से, किंतु उसका भार ले लिया मनुष्य ने, वास्तव में वह बड़ा अत्याचारी अज्ञान है)। सूरह अहज़ाब: ७२।

अमानतदारी, आदेशों, निषेधों और दायित्वों, अनिवार्य कार्यों, सीमाओं एवं पूजा के कृत्यों और उनके परिणामस्वरूप होने वाले पुरस्कारों और दंडों की स्वीकृति का नाम है⁽³⁾

तथा सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह की हिकमत (तत्वदर्शिता) में से है कि उसने मानवता को भले-बुरे में अंतर करने की क्षमता प्रदान की ताकि वह बदला एवं हिसाब के लिए तैयार रहे, अल्लाह तआला का कथन है:

﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝٨ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝٩ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۝١٠﴾ [سورة البلد: ٨-

[१०]

(1) कलेमात फ़िल् अखलाक़िल् इस्लामियह, लेखक: कमाल मुहम्मद ईसा, पृष्ठ (१०५)।

(2) दुस्तूरुल अखलाक़ि फ़िल् कुरआन, लेखक: मुहम्मद अब्दुल्लाह दराज़, पृष्ठ (२१)।

(3) तफ़सीरुल कुरआनिल अज़ीम, लेखक: इब्ने कसीर (३/ ५३०)।

अनुवाद: (क्या हमने उसे दो आँखें नहीं दीं? तथा एक जुबान और दो होंठ नहीं दिए? एवं उसे दोनों मार्ग दिखा दिए?)। सूरह बलद: ८-१०।

तथा अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۖ﴾ [سورة الشمس: ٨]

अनुवाद: (फिर उसे दूराचार एवं सदाचार का विवेक दिया है)। सूरह शम्स: ८।

अर्थात् “उसके लिए भलाई एवं बुराई को स्पष्ट कर दिया”^(१), अल्लामा शौकानी रहिमहुल्लाह कहते हैं: “इसका अर्थ है कि हमने उसको पहचानवा दिया एवं उसकी स्थिति बता दी और उन में जो भलाई एवं बुराई है उसको स्पष्ट कर दिया”^(२) इस प्रकार, समृद्धि और सफलता उन लोगों के लिए है जो खुद को शुद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जबकि हानि उनके लिए है जो स्वयं को पाप कर के अपवित्र रखते हैं, अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [سورة الشمس: ९-१०]

अनुवाद: (और वह सफल हो गया जिसने अपने जीव का शुद्धिकरण किया। तथा क्षति में पड़ गया वह जिसने उसे (पाप में) धंसा दिया)। सूरह शम्स: ९-१०।

अर्थात् जिसने अल्लाह की आज्ञाओं का पालन कर के अपने आपको पवित्र कर लिया एवं अपनी आत्मा को अनैतिकता की गंदगी से शुद्ध कर लिया वह सफल हो गया, तथा जिसने उसे मार्गदर्शन से दूर कर दिया और अल्लाह का आज्ञापालन छोड़ के पाप का मार्ग अपनाया वह घाटे में रहा।^(३)

नैतिक दायित्व मनुष्य में उस पर अल्लाह के नियंत्रण की भावना, आत्म-जवाबदेही, जिम्मेदारी की भावना और तर्कसंगत दृढ़ विश्वास के माध्यम से उत्पन्न होता है कि अच्छाई सबसे उत्तम एवं बेहतर है, और बुराई सबसे खराब है, जैसाकि निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट है:

क- रक्काबत अर्थात् निगरानी:

इस्लाम में नैतिक दायित्व के तरीकों में से एक मुस्लिम के अंदर यह भावना उत्पन्न करना है कि वह हर समय और स्थान पर सर्वशक्तिमान अल्लाह की देखरेख और निगरानी में है, और यह पर्यवेक्षण अल्लाह सर्वशक्तिमान के ज्ञान और उसके गुणों के ज्ञान पर आधारित है,

^(१) तफ़सीरुल कुरआनिल अजीम, लेखक: इब्ने कसीर (४/ ५११)।

^(२) फ़तहुल क़दीर, लेखक: शौकानी (५/ ४४९)।

^(३) तफ़सीरुल कुरआनिल अजीम, लेखक: इब्ने कसीर (४/ ५५१)।

वह आँखों के धोखे को जानता है और दिलों में छिपे हुए भेद को जानता है, और वह आपस में गुप्त कानाफूसी करनेवालों की बात को भी जानता है। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [سورة غافر: १९]

अनुवाद: (वह जानता है आँख की चोरी तथा जो (भेद) सीने छुपाते हैं)। सूरह ग़ाफ़िर (मूमिन): १९।

तथा एक स्थान पर अल्लाह तआला का कथन है:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَافِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آذَنِي مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [سورة المجادلة: ७]

अनुवाद: (क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह जानता है जो (भी) आकाशों तथा धरती में है? नहीं होती किसी तीन की काना फूसी परंतु वह उन का चौथा होता है, और न पाँच की परंतु वह उन का छठा होता है, और न इस से कम की और न इस से अधिक की परंतु वह उन के साथ होता है, वे जहाँ भी हों, फिर वह उन्हें सूचित कर देगा उन के कर्मों से प्रलय के दिन, वास्तव में अल्लाह प्रत्येक वस्तु से भलि-भाँति अवगत है)। सूरह मुजादलह: ७।

निगरानी का यह एहसास मानव के अंदर ख़शीयत (भय) उत्पन्न करता है “और यह ख़शीयत मोमिन को वाजिब नैतिक कार्य करने को प्रेरित करती है, क्योंकि वह अपनी नैतिक जिम्मेदारी का एहसास करने वाला होता है”^(१) यह ख़शीयत एवं भय मोमिन को अल्लाह की उपासना करने, उसका आज्ञापालन करने, उससे भयभीत होने, उसका डर अपनाने एवं उसके आदेशों का पालन एवं निषेधों से दूरी अपनाने के द्वारा उसको प्रसन्न करने को प्रेरित करता है, क्योंकि वह इस बात से अवगत होता है कि अल्लाह तआला उसको देख रहा है, तथा यही वह एहसान है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने इस हदीस में बयान किया है: “तुम अल्लाह की इबादत इस प्रकार से करो मानो उसे देख रहे हो, यदि तुम उसे नहीं देख रहे हो तो वह तुम्हें अवश्य देख रहा है”^(२) यह दायित्व का वह गहरा एहसास है जो एक मोमिन आदमी को इस बात के लिए बाध्य करता है कि वह उच्च नैतिकता को धारण करे एवं अनैतिक कार्यों से दूरी बनाए।

ख- मूल्यांकन

(१) अन् नज़रिय्यह अल् ख़लफ़िय्यह इन्द इब्ने तैमिय्यह, लेखक: मुहम्मद अब्दुल्लाह अफ़ीफ़ी, पृष्ठ (९७)।

(२) सहीह बुख़ारी (१/ ३३) संख्या (५०), व मुस्लिम (१/ ३६-३७) संख्या (१/ ८)।

आवश्यक रूप से अपनाई जाने वाली इस्लामी नैतिकता पुण्य एवं मूल्यांकन के द्वारा दूसरों से अलग होती है, क्योंकि इसके धारण करने पर पुण्य प्राप्त होता है जबकि इसके विपरीत कार्य करने पर पाप एवं दण्ड का पात्र बनता है, चाहे वह संसार में ही सांसारिक यातना एवं शरई हुदूद (धार्मिक निश्चित दण्ड) के द्वारा हो तथा संसार में अल्लाह का अनुग्रह प्राप्त न होने के द्वारा हो⁽¹⁾ अथवा परलोक में जन्नत या जहन्नम का भागी बनने के द्वारा हो, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿ فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿٣٧﴾ وَءَاثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ۖ

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٤١﴾ ﴿النازعات: ३७ - ४१﴾

अनुवाद: (तो जिसने विद्रोह किया। और सांसारिक जीवन को प्राथमिकता दी। तो नरक ही उसका आवास होगी। परंतु जो अपने पालनहार की महानता से डरा तथा अपने आप को मनमानी करने से रोका। तो निश्चय ही उसका आवास स्वर्ग है)। सूरह नाज़िआत: ३७-४१। यह नियामत जो एक मोमिन की प्रतीक्षा में है मोमिन के अंदर यह भावना जाग्रत करती है कि वह अल्लाह की सीमाओं का पालन करे ताकि परलोक में स्वर्ग उसका ठिकाना हो, यह उन सज़ाओं के अलावा है जो अनैतिकता अपनाने से रोकने वाली एवं उसके बुरे परिणाम से डराने वाली हैं।

ऐसे कई इस्लामी निर्देश हैं जो अंतरात्मा और संवेदनशील भावनाओं से परामर्श लेते हैं ताकि मुसलमान अल्लाह की सीमाओं का पालन करे और अपने कार्यों के लिए खुद को जिम्मेदार समझे, जैसे कि अल्लाह तआला का यह कथन:

﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا

وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾﴾ [سورة آل عمران: ३०]

अनुवाद: (जिस दिन प्रत्येक प्राणी ने जो सुकर्म किया है उसे उपस्थित पाएगा, तथा जिसने कुकर्म किया है वह कामना करेगा कि उस के तथा उस के कुकर्मों के बीच बड़ी दूरी होती, तथा अल्लाह तुम्हें स्वयं से डराता है)। सूरह आले इमरान: ३०।

पुण्य एवं पाप की धारणा व्यक्ति के अंदर अल्लाह का प्रेम एवं भय की भावना जाग्रत करता है, नैतिक बाध्यताओं का पालन करना इस भय में और वृद्धि करता है, तथा इसे धारण करने के लिए उसे प्रेरित करता है, विशेष रूप से जब आजमाइश का अंदेशा हो।⁽²⁾

(1) देखें: फ़स्तुल उकूबात, पृष्ठ (४५९)।

(2) अन् नज़रियह अल् खलफ़ियह इन्द इब्ने तैमियह, लेखक: मुहम्मद अब्दुल्लाह अफ़ीफ़ी, पृष्ठ (९७)।

पुण्य एवं पाप की धारणा मनुष्य को कोई कार्य आरंभ करने के पूर्व उसका मूल्यांकन करने को प्रोत्साहित करती है, तथा कार्य संपन्न हो जाने के बाद उसका मूल्यांकन करने से उसको अपने गलती एवं दोष का एहसास होता है, अतः अपने पापों की क्षमा मांगता है तथा यह दृढ़ निश्चय करता है कि अब पुनः उस अनैतिकता को दोहराएगा नहीं, अतः यह मूल्यांकन वह स्थायी सचेतक है जो मनुष्य को अल्लाह की सीमाओं पर रुकने को बाध्य करती है “विवेक का जागरण, स्वयं को जवाबदेह ठहराना, और खालिक (निर्माता, अल्लाह) के सामने जवाब देने का दायित्व महसूस करना, मोमिन (आस्तिक) की आत्मा में जिम्मेदारी की गहरी भावना पैदा करता है।”⁽¹⁾

आदमी अपने कथनों, कर्मों, समय, युवावस्था, कमाई एवं खर्च का जिम्मेदार है, तथा इसके संबंध में उस से पूछताछ की जाएगी, चुनाँचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है: “क़यामत (महा प्रलय) के दिन किसी बंदे के दोनों पाँव उस समय तक नहीं हटेंगे जब तक उस से यह न पूछ लिया जाए: उसकी आयु के विषय में कि उसे किन कार्यों में खपाया, एवं उसके ज्ञान के विषय में कि उसके अनुसार कितना कार्य किया, एवं उसके धन के संबंध में कि उसे कहाँ से कमाया एवं कहाँ खर्च किया एवं उसके शरीर के बारे में कि उसे कहाँ खपाया”।⁽²⁾

सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह ने अपने मोमिन बंदों को अपने कार्यों एवं कमाई का, तथा उन्होंने इस लोक में रह कर परलोक के लिए क्या तैयारी की है, उनका पुनरावलोकन करने का आदेश दिया है, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ

بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

अनुवाद: (हे ईमान वालो! अल्लाह का भय खाते रहो, तथा प्रत्येक व्यक्ति देख ले कि कल के लिए उसने क्या भेजा है, तथा अल्लाह से डरते रहो, निस्संदेह अल्लाह तुम्हारे समस्त कार्यों से अवगत है)। सूरह हज़र: १८।

ग- जिम्मेदारी एवं दायित्व

प्रत्येक व्यक्ति को अल्लाह ने जो संतान, धन, गुलाम एवं छात्रों इत्यादि का जिम्मेदार बनाया है उसके विषय में उससे पूछताछ की जाएगी, अतः इस जिम्मेदारी का पालन उन लोगों

⁽¹⁾ अल् इस्लाम वल् वअय अल् हज़ारी, लेखक: अकरम ज़िया अल् उमरी, पृष्ठ (६७)।

⁽²⁾ तिर्मिज़ी (४/ ५२९), हदीस संख्या: (२४१७), रिवायत करने के बाद इमाम तिर्मिज़ी ने कहा है: यह हदीस हसन सहीह है, तथा अलबानी ने कहा है कि यह हदीस सहीह है, सहीह सुनन तिर्मिज़ी, हदीस संख्या (१९७०-२५४५)।

में नैतिकता के गुणों को अनुशासित करके किया जाता है जिन्हें अल्लाह ने घर, स्कूल, विश्वविद्यालय, या अन्य शैक्षिक और सामाजिक संस्थानों की देखभाल सौंपी है, इसलिए प्रशिक्षक को दूसरों को सिखाने से पहले खुद नैतिकता का पालन करना चाहिए, तथा इसका वर्णन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी इस हदीस में किया है: “तुम में से प्रत्येक देखभालकर्ता है और अपने अधीन लोगों के लिए जिम्मेदार है, शासक देखभालकर्ता है और अपनी जनता के लिए जिम्मेदार है, आदमी अपने परिवार का देखभालकर्ता है और अपने परिवार वालों के प्रति जवाबदेह है, महिला अपने पति के घर की मालकिन है तथा अपनी संतान के प्रति उत्तरदायी है, दास अपने स्वामी के धन का निरीक्षक है तथा उसके प्रति उत्तरदायी है, हदीस के वर्णनकर्ता इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि मुझे गुमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह भी फ़रमाया: व्यक्ति अपने पिता के धन का निरीक्षक है तथा अपने से नीचे वालों के प्रति उत्तरदायी है, और तुम में से हरेक व्यक्ति जिम्मेदार है तथा प्रत्येक व्यक्ति से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछताछ की जायेगी”⁽¹⁾

जहाँ तक व्यक्तिगत दायित्व की बात है तो अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [سورة المدثر: ३८]

अनुवाद: (प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों के बदले में बंधक है)। सूरह मुद्स्सिर: ३८। “अर्थात् क़यामत के दिन अपने कर्मों से जुड़ा हुआ होगा”⁽²⁾ तथा उसके कान, आँख एवं इंद्रिय का वह जिम्मेवार है, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

[سورة الإسراء: ३६]

अनुवाद: (जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं है उसके पीछे मत पड़ो, कान, आँख एवं हृदय सभी के बारे में उससे पूछा जाएगा)। सूरह इस्रा: ३६।

घ- मानसिक दृढ़ विश्वास:

इस्लाम मानसिक बुद्धि एवं उसको संबोधित करने की अनदेखी नहीं करता है, क्योंकि दायित्व का आधार यही है, और इसलिए भी क्योंकि यह मानव को विनाश की खाई में गिरने से बचाता है, इसीलिए कहा गया है: “अक्ल (बुद्धि) को अक्ल इसलिए कहा जाता है क्योंकि

⁽¹⁾ सहीह बुखारी (१/ २८४-२८५) हदीस संख्या: (८९३), व मुस्लिम (३/ १४५९) हदीस संख्या: (२०/ १८२९), उपरोक्त शब्द बुखारी द्वारा वर्णित हैं।

⁽²⁾ तफ़सीरुल क़ुरआनिल अज़ीम, लेखक: इब्ने कसीर: (४/ ४७६)।

यह अपने स्वामी को खतरों में फंसने से बचाता है”⁽¹⁾, तथा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का कथन है: “मनुष्य का मूल उसकी अक़ल है, उसका धर्म उसके लिए पर्याप्त है, और उसकी मुरौवत (भलमनसाहत) उसका चरित्र है”⁽²⁾ इस्लाम मनुष्य को उसकी बुद्धि के माध्यम से संबोधित करता है ताकि नैतिक दुष्टता से उसको बचाए, और वह इस प्रकार से कि वह अच्छी नैतिकता एवं दुष्ट नैतिकता के मध्य तुलना करता है, जैसाकि अल्लाह तआला के इस कथन में है:

﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [سورة المائدة: १००]

अनुवाद: (-हे नबी!- कह दो कि मलिन तथा पवित्र समान नहीं हो सकते, यद्यपि मलिन की अधिकता तुम्हें भा रही हो, तो हे मतिमानो! अल्लाह -की अवज्ञा- से डरो, ताकि तुम सफल हो जाओ)। सूरह माइदा: १००।

अर्थात् हे सदबुद्धि रखने वालो, लाभप्रद हलाल (वैध) की थोड़ी सी मात्रा भी हानिकारक हराम (अवैध) की बाहुल्यता से उत्तम है, अतः हराम को छोड़ दो एवं उससे दूर रहो तथा हलाल को अपनाओं एवं उसे ही अपने लिए पर्याप्त समझो)।⁽³⁾

प्रेरक दायित्व का एक अन्य पहलू कुरान में चुगली को इस तरह से चित्रित करना है जो मन को इसकी जघन्यता को समझाने के लिए संबोधित करता है, और साथ ही यह अपने भाई के प्रति एक व्यक्ति की भावनाओं को उजागर करता है ताकि उसको पूर्णतः समाप्त किया जा सके, चुगली करने की गंभीरता को बहुत प्रभावी तरीके से चित्रित किया गया है और इसके अपराधी को अपने मृत भाई का मांस खाने वाले व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, जो एक ऐसा कार्य है जो किसी भी व्यक्ति को घृणित लगता है, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन है:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا يَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بََعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾ [سورة الحجرات: १२]

(1) लिसानुल अरब, लेखक: इब्ने मन्ज़ूर (११/ ४५८-४५९)।

(2) अदबुदुनिया वदीन, लेखक: मावदी, पृष्ठ (१७)।

(3) तफ्सीरुल कुरआनिल अज़ीम, लेखक: इब्ने कसीर: (२/ १०७-१०८)।

अनुवाद: (हे लोगो जो ईमान लाए हो! बचो अधिकांश गुमानों से, वास्तव में कुछ गुमान पाप हैं, और किसी का भेद न लो, और न एक-दूसरे की गीबत करो, क्या चाहेगा तुम में से कोई अपने मृत भाई का मांस खाना? अतः तुम्हें इस से घृणा होगी, तथा अल्लाह से डरते रहो, वास्तव में अल्लाह अति क्षमावान दयावान है)। सूरह हुजुरात: १२।

नैतिक दायित्व का एक दूसरा संतुलित एवं सटीक तराजू है जोकि किसी व्यवहार से मन को शांति मिलना है, यदि मन को शांति न मिले, मन में भय एवं संदेह पनपता हो तथा उस नैतिक व्यवहार से हार्दिक शांति न मिलती हो, या यह समझते हुए कि यह पाप है, तथा लोग यदि उसे वह कार्य करते हुए देख लें तो उसको बुरा लगे, तो इसको मोमिन व्यक्ति नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के उस आदेश का पालन करते हुए छोड़ देता है, जिसमें है कि: “इस्म (पाप) वह है जो तेरे मन में खटके, एवं तुम इस बात को अप्रिय समझो कि दूसरे लोग उससे अवगत हों”⁽¹⁾। शरीअत की रोशनी में बुद्धि ज्ञान का आधार है।

४- नैतिक सहजता:

इस्लाम समस्त संसार के पालनहार अल्लाह की ओर से समस्त संसार के लिए दया एवं कृपा है जो लोगों को शांति मार्ग की ओर मार्गदर्शन करता है, उनके जीवन को व्यवस्थित करता है तथा उनके सृष्टिकर्ता के साथ उनका संबंध जोड़ता है, परस्पर एक दूसरे के संग रहने का ढंग सिखाता है, ताकि उनके व्यवहार को अव्यवस्थित से उस रूप में व्यवस्थित करे जो मानवता के योग्य हो तथा उसके अनुरूप हो जैसा अल्लाह ने मानवता से चाहा है, तथा जिसके लिए अल्लाह ने अपने रसूल को मार्गदर्शन एवं दया बना कर भेजा है, जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [سورة الأنبياء: १०७]

अनुवाद: (तथा हमने आप को संसार के लिए दया बना कर भेजा है)। सूरह अम्बिया: १०७।

इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह कहते हैं: “अल्लाह तआला ने सूचना दी है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को संसार के लिए दया एवं कृपा बना कर भेजा है, जिसने इस दया एवं कृपा को स्वीकार किया एवं इस नेमत का शुक्र अदा किया तो वह लोक परलोक दोनों स्थान पर सफल होगा, परंतु जो इसका विरोध एवं इन्कार करेगा वह लोक परलोक में घाटा उठाएगा”⁽²⁾

⁽¹⁾ सहीह मुस्लिम (४/ १९८०) संख्या (१४-२५५३)।

⁽²⁾ तफ्सीरुल कुरआनिल अजीम, इब्ने कसीर: (३/ २१०)।

इस आधार पर कहा जा सकता है कि यह असंभव है कि धार्मिक नैतिकता में किसी प्रकार की कठिनाई अथवा तंगी हो, जो इस्लामी पद्धति का अनुसरण करे यह तो उसके लिए दया एवं रहमत है।

समस्त इस्लामी मार्गदर्शन महान नैतिकता एवं शिष्टाचार है, जो इस्लामी नैतिकता को उस प्रकृति के अनुरूप बनाती है जिसके साथ मनुष्य का निर्माण किया गया था, यह किसी व्यक्ति को उसकी प्रवृत्ति से वंचित नहीं करती है, बल्कि उन्हें सही दृष्टिकोण के साथ नियंत्रित करती है जो मनुष्य को लोक परलोक में उसकी खुशी की गारंटी देती है। और सही मार्गदर्शन द्वारा उसे अपनी इच्छाओं और प्रवृत्ति का स्वामी बनाती है, दास नहीं, इसीलिए इस्लामी दिशानिर्देश उन विशेषताओं की पुष्टि करते हैं जो मानव स्वभाव में से हैं और धार्मिक अनिवार्यता के दौरान उन्हें नकारते या उनसे वंचित नहीं करते हैं, पवित्र कुरान स्पष्ट करता है कि मानव स्वभाव में धन से प्यार, अच्छाई का प्यार, कंजूसी, कमजोरी, निराशा और घबराहट शामिल हैं⁽¹⁾

धन से प्यार के संबंध में अल्लाह तआला का यह कथन है:

﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ [سورة الفجر: २०]

अनुवाद: (तथा धन से बड़ा मोह रखते हो)। सूरह फ़ज्र: २०।

तथा खैर जिससे अभिप्राय धन ही है कि विषय में अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَاللَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ [سورة العاديات: ८]

अनुवाद: (वह खैर से अत्यधिक प्रेम रखे वाला है)। सूरह आदियात: ८।

तथा क्रतूर अर्थात् कंजूसी के संबंध में अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾ [سورة الإسراء: १००]

अनुवाद: (और मनुष्य बड़ा ही कंजूस है)। सूरह बनी इस्राईल: १००।

तथा निराशा का वर्णन करते हुए अल्लाह तआला कहता है:

﴿وَلَيْنَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكُونُ مِنَّا كَافُورًا﴾ [سورة

هود: ९]

⁽¹⁾ देखें: तफ्सीरुल कुरआनिल अज़ीम, इब्ने कसीर: (४/ ४४९)।

अनुवाद: (तथा यदि हम मनुष्य को अपनी कुछ दया चखा दें, फिर उस को उस से छीन लें तो हताश कृतघ्न हो जाता है)। सूरह हूद: ९।

और मानव के उतावलेपन का उल्लेख करते हुए अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ [سورة الإسراء: ११]

अनुवाद: (और मनुष्य बड़ा ही उतावला है)। सूरह बनी इस्राईल: ११।

मनुष्य के अत्याचारी एवं अज्ञानी होने का वर्णन करते हुए अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [سورة الأحزاب: ७२]

अनुवाद: (वास्तव में वह बड़ा अत्याचारी अज्ञानी है)। सूरह अहज़ाब: ७२।

धन को संचित रखने की मनुष्य की प्रवृत्ति का उल्लेख करते हुए अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ [سورة المعارج: १९]

अनुवाद: (तथा (धन) को एकत्र किया फिर सैत कर रखा)। सूरह मआरिज: १९।

उसकी कामनाओं का वर्णन करते हुए अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآئِ﴾ [سورة آل عمران: १४]

अनुवाद: (लोगों के लिए उन के मन को मोहने वाली चीज़ें, जैसे स्त्रियां, संतान, सोने चाँदी के ढेर, निशान लगे घोड़े, पशुओं तथा खेती, शोभनीय बना दी गई हैं, यह सब सांसारिक जीवन के उपभोग हैं, और उत्तम आवास अल्लाह के पास है)। सूरह आले इमरान: १४।

सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह ने इन प्रवृत्तियों को नियंत्रित किया है और उन्हें त्यागा या उन्हें छोड़ा नहीं है। उदाहरण के लिए, हम पाते हैं कि इस्लाम यौन प्रवृत्ति को दबाता नहीं है, बल्कि इज़्जतों और वंशों को संरक्षित करने और लोगों को जन्मजात बीमारियों से बचाने के लिए उन्हें विनियमित करता है, जैसे उसने व्यभिचार को अवैध किया है तथा एक से लेकर चार स्त्रियों तक से विवाह करने को वैध किया है, जैसाकि अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ﴾ [سورة النساء: ३]

अनुवाद: (महिलाओं में से जो भी तुम्हें भाएं, दो से, तीन से, चार तक विवाह कर लो)।
सूरह निसा: ३।

बल्कि यह अल्लाह तआला की दया एवं कृपा है कि उसने विवाह को शांति, प्रेम एवं सुकून का कारण बनाया है, जैसाकि सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह फ़रमाता है:

﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [سورة الروم: २१]

अनुवाद: (तथा उसकी निशानियों में से यह भी है कि उत्पन्न किया तुम्हारे लिए तुम्हीं में से जोड़े, ताकि तुम शांति प्राप्त करो उन के पास तथा उत्पन्न कर दिया तुम्हारे बीच प्रेम एवं दया, वास्तव में इस में कई निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सोच-विचार करते हैं)। सूरह रूम: २१।

सैयिद कुतुब कहते हैं: लेकिन लोग बहुत कम अल्लाह की इस नेमत को याद करते हैं कि उसने पुरुष जाति के अंदर से ही उसकी पत्नी को उत्पन्न किया और उसके अंतर्भूत में यह भावना एवं चाह रखी, और इस जोड़ को आत्मा की शांति का कारण, शरीर एवं हृदय के लिए राहत, जीवन एवं कमाई के लिए स्थिरता, पति-पत्नी के लिए स्नेह का कारण एवं पुरुष तथा महिला दोनों के लिए समान रूप से इत्मीनान का सबब बनाया है।^(१)

तथा भौतिक कमाई के क्षेत्र में इस्लाम ने उन चीजों को वर्जित करार दिया है जो मानव को हानि पहुँचाए, जैसे ब्याज जबकि वैध व्यापार को जायज़ करार दिया है, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [سورة البقرة: २७०]

अनुवाद: (अल्लाह तआला ने व्यापार को वैध किया है तथा ब्याज को अवैध करार दिया है)। सूरह बक्रह: २७५।

इस्लाम ने धन कमाने की मानव प्रवृत्ति को निषेध नहीं किया है बल्कि एक महान नैतिक परिधि में उसको व्यवस्थित किया है।

इस्लामी उच्च नैतिकता का महत्व खाने-पीने में भी दिखता है जिस से कोई इंसान तो क्या जानवर भी बेनियाज़ नहीं रह सकता है, अतः इस्लाम ने खाने-पीने की चीजों को ह़राम

^(१) फ़ी ज़िलालिल् कुरआन (५/ २७६३)।

नहीं किया है, अपितु उसके लिए एक निश्चित सीमा तय कर दी है जोकि फिजूलखर्ची नहीं करना है, अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [سورة الأعراف: ३१]

अनुवाद: (बेजा खर्च न करो, वस्तुतः वह बेजा खर्च करने वालों से प्रेम नहीं करता है)।
सूरह आराफ़: ३१।

तथा अल्लाह तआला का कथन है:

﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ [سورة القصص: ११]

अनुवाद: (तथा खोज कर उस से जो दिया है अल्लाह ने तुझे आखिरत (परलोक) का घर, और मत भूल अपना सांसारिक भाग और उपकार कर जैसे अल्लाह ने तुझ पर उपकार किया है, तथा मत खोज कर धरती में उपद्रव की, निश्चय अल्लाह प्रेम नहीं करता है उपद्रवियों से)। सूरह क़सस: ७७।

तथा जिम्मेदारी के क्षेत्र में इस्लामी दृष्टिकोण यह नहीं है कि किसी व्यक्ति पर उसकी क्षमता से अधिक बोझ डाला जाए, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [سورة البقرة: २८६]

अनुवाद: (अल्लाह किसी पर उसकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं डालता है)। सूरह बक़रह: २८६। “अर्थात वह किसी पर उसकी क्षमता से अधिक भार नहीं डालता है, तथा यह भक्तों के साथ उसकी दया, उपकार एवं कृपा का प्रतीक है”^(१)

तथा अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [سورة التغابن: १६]

अनुवाद: (अल्लाह से उतना डरो जितनी क्षमता हो)। सूरह तगाबुन: १६।

इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह कहते हैं: “अर्थात अपने प्रयास एवं सामर्थ्य भर अल्लाह से डरो”^(२) तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “जितनी क्षमता हो उतना ही कार्य किया करो, क्योंकि अल्लाह नहीं थकेगा परंतु तुम थक जाओगे, और अल्लाह के निकट

(१) तफ़सीरुल कुरआनिल अज़ीम, इब्ने कसीर: (१/ ३५०)।

(२) पिछला संदर्भ।

सबसे प्रिय कार्य वह है जिसमें निरंतरता हो यद्यपि वह कम ही क्यों न हो”⁽¹⁾ एवं नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की एक हदीस में है: “जिस से मैंने तुम को रोका है उस से रुक जाओ तथा जिसका आदेश दिया है उसको सामर्थ्य भर अंजाम दो”⁽²⁾ अल्लामा नववी रहिमहुल्लाह कहते हैं: “यह इस्लाम के महत्वपूर्ण नियमों में से है तथा इसके अंदर अनगिनत अहकाम (धार्मिक विधान) छिप्त हैं”⁽³⁾ अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं: “रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मेरे पास आए, तथा कहा: क्या मुझे जो इस बात की सूचना दी गई है वह सही है कि तुम रात भर इबादत करते रहते हो और दिन में रोज़ा रखते हो? मैंने कहा: जी हाँ, यह सही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: ऐसा मत करो, नमाज़ पढ़ो और सोया भी करो, रोज़ा रखो और बिना रोज़ा के भी रहा करो, क्योंकि तुम्हारे शरीर का भी तुम पर अधिकार है, तुम्हारी आँखों का भी तुम पर अधिकार है, और जो तुमसे मिलने आते हैं उनका भी तुम पर अधिकार है, तथा तुम्हारी पत्नी का भी तुम पर अधिकार है”⁽⁴⁾

इस से इस्लाम का सहज धर्म होना एवं सरल नैतिकता और मानव को व्यवस्थित करने पर आधारित होना स्पष्ट हो जाता है, अन्य बनावटी धर्मों के विरुद्ध, उदाहरण स्वरूप बौद्ध धर्म को लें जिसमें सफलता इस बात को माना जाता है कि मनुष्य अपने दैहिक वृत्तियों से मुक्ति पा ले⁽⁵⁾, अथवा पश्चिमी देशों के देखें जहाँ नग्नता आम है।⁽⁶⁾

इस्लामी नैतिकता के सहज सरल होने का एक प्रमाण यह भी है कि यह मानव से गलती होने का इन्कार नहीं करता है, इसी कारणवश इस्लाम धर्म ने तौबा एवं इस्तिग़फ़ार (क्षमा याचना) का द्वार खुला रखा है ताकि आदमी अपने पापों के कारण चिंता में ही अपना जीवन न बिताए, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿قُلْ يَعْبادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [سورة الزمر: ٥٣]

(1) सहीह बुखारी (४/ ६७) संख्या (५८६१), व मुस्लिम (१/ ५४०-५४१) संख्या (२१५-७८२) तथा उपरोक्त शब्द उन्ही के द्वारा वर्णित हैं।

(2) सहीह मुस्लिम (४/ १८३०) संख्या (६१३४)।

(3) सहीह मुस्लिम मय शर्ह नववी (९/ १०२)।

(4) सहीह बुखारी (४/ ११५-११६) संख्या (६१३४)।

(5) देखें: तारीखुल् फ़लसफ़ह अल् अरबिय्यह, लेखक: हिना अल् फ़ाखूरी व खलील अल् ज़िस (१/ ३०)।

(6) किताब अख़लाकुल् यहूद, वफ़ा सादिक (११/ ६०) व (८१-९८)।

अनुवाद: (आप कह दें मेरे उन भक्तों से जिन्होंने अपने ऊपर अत्याचार किए हैं कि तुम निराश न हो अल्लाह की दया से, वास्तव में अल्लाह क्षमा कर देता है सब पापों को, निश्चय वह अति क्षमी दयावान है)। सूरह जुमर: ५३।

“हमारे ऊपर अनिवार्य यह है कि हम गलती न करने का प्रयास करें, और ऐसा नहीं है कि हम सभी परिस्थितियों में कर्तव्य का सटीक सूत्र प्राप्त कर लें, हम भरसक प्रयास करते रहें यहाँ तक कि हमारे मन मस्तिष्क में यह बात बैठ जाए कि यही (इस्लामी दस्तूर) है तथा हम उसके तरीके का पालन करें”⁽¹⁾ हन्ज़लह अल् असदी रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है, वह कहते हैं कि: मैंने कहा: “हन्ज़लह मुनाफ़िक़ हो गया हे अल्लाह के रसूल! तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पूछा: क्या हो गया? मैंने कहा: हे अल्लाह के रसूल! जब हम आपके पास होते हैं तथा आप हमारे सामने स्वर्ग एवं नर्क का उल्लेख करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उसे अपनी आँखों से देख रहे हैं, परंतु जब हम आप की सभा से उठ कर चले जाते हैं और अपनी पत्नियों, बच्चों एवं काम-काज में व्यस्त हो जाते हैं तो बहुत सारी बातें भूल जाते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, यदि तुम लोग उसी स्थिति पर रहो जिस स्थिति में तुम लोग हमारे पास होते हो, एवं अल्लाह का स्मरण करते रहो तो फ़रिश्ते तुम्हारे बिस्तरों पर तथा तुम्हारे रास्तों में तुम को सलाम करेंगे, किंतु हे हन्ज़लह, यह घड़ी-घड़ी का मामला है (अर्थात् कभी-कभी आदमी की स्थिति कुछ होती है और कभी कुछ और)”⁽²⁾

इस्लामी नैतिकता की यह सरलता उन बिद्अतियों की पद्धति के ठीक उलट है “जो यह समझते हैं कि (सुलूक का तरीका) का अर्थ यह है कि आदमी पूर्णरूपेण सांसारिक कार्यों से स्वयं को दूर कर ले, अपने हृदय को इन सब बातों से अलग रखे, तथा परिवार, धन, संतान एवं देश के बारे में कुछ भी न सोचे”⁽³⁾

जबकि सृष्टि, विद्या सीखने, संतान का प्रशिक्षण करने एवं परिवार वालों का ध्यान रखने से स्वयं को दूर कर लेना, अल्लाह के उस आदेश का उल्लंघन है जिस में उसने ज्ञान सीखने, अल्लाह की ओर दावत देने का कार्य करने एवं संतान का प्रशिक्षण करने का आदेश दिया है।

विद्या सीखने का महत्व बताते हुए अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [سورة فاطر: २८]

⁽¹⁾ दुस्तूरुल अखलाक़ि फ़िल कुरआन, लेखक: मुहम्मद अब्दुल्लाह दराज़, पृष्ठ (२१)।

⁽²⁾ सहीह मुस्लिम (४/ २१०६-२१०७) संख्या (१२-२७५०)।

⁽³⁾ इह्याउ उलूमिद्दीन, लेखक: ग़ज़ाली (३/ २१)।

अनुवाद: (अल्लाह से वास्तव में उलमा (विद्वान) ही डरते हैं)। सूरह फ़ातिर: २८। क्योंकि यही अल्लाह से डरने का मार्ग दिखाता है एवं पूजा को उस ढंग से अंजाम देने का मार्ग प्रशस्त करता है जिससे अल्लाह प्रसन्न होता है, जहाँ तक संतान के प्रशिक्षण की बात है तो इसके संबंध में अल्लाह तआला का कथन है:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [سورة التحريم: ६]

अनुवाद: (हे ईमान वालो! अपने आपको एवं अपने परिवार वालों को उस अग्नि से बचाओ जिसके ईंधन मानव एवं पत्थर हैं)। सूरह तहरीम: ६।

अल्लाह की ओर दावत देने के संबंध में सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का फ़रमान है:

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [سورة آل عمران: १०६]

अनुवाद: (तुम में एक ऐसा समूह होना चाहिए जो लोगों को भलाई की ओर बुलाए, तथा अम्र बिल मारूफ़ व नह्य अनिल मुन्कर (भलाई का आदेश देने एवं बुराई से रोकने) का कार्य करे)। सूरह आले इमरान: १०४।

कैसे एक आदमी उस चीज़ को छोड़ देता है जिसका आदेश अल्लाह ने उसको दिया है, तथा सरल को कठिन एवं आसान को मुश्किल बना देता है?!(¹)

इस प्रकार, हम पाते हैं कि इस्लाम में नैतिक सहजता की विशेषता कुछ यों है:

१- इस्लामी शिष्टाचार व्यक्ति की मानवता से बाहर नहीं निकलता और उसकी क्षमताओं से अधिक उस पर भार नहीं डालता।

२- मुस्लिम व्यक्ति के लिए अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा और व्यक्तिगत क्षमताओं की सीमा के भीतर इस्लामी शिष्टाचार और नैतिकता का पालन करना आवश्यक है।

(¹) इस के बारे में अधिक विस्तार से पढ़ने के लिए देखें: मौक्रिफ़ इब्ने तैमियह मिनत् तसव्वुफ़ वस् सूफियह, लेखक: अहमद मुहम्मद बुनानी, पृष्ठ (१९९-४४६)।

छठा पाठः

शिष्टाचार एवं नैतिक गुण

इस्लाम धर्म के गुणों एवं विशेषताओं में से एक यह है कि यह व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक नैतिकता को एकीकृत करता है, जिससे व्यक्ति को नैतिक शिक्षा मिलती है।

अल्लामा इब्नुल कैयिम रहिमहुल्लाह ने शिष्टाचार के प्रकार को तीन भागों में विभाजित किया है, जोकि निम्न हैं:⁽¹⁾

- 1- अल्लाह तआला के साथ शिष्टाचार।
- 2- रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एवं उनकी लाई शरीअत के साथ शिष्टाचार।
- 3- अल्लाह की मखलूक (सृष्टि) के साथ शिष्टाचार।

इस पाठ में शिष्टाचार एवं नैतिक गुण इस्लामी प्रशिक्षण के आलोक में निम्न प्रकार में विभाजित होता है:

प्रथम: अल्लाह तआला के साथ शिष्टाचार।

द्वितीय: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ शिष्टाचार।

तृतीय: माता-पिता के साथ शिष्टाचार।

चतुर्थ: सगे-संबंधियों के साथ शिष्टाचार।

पंचम: पड़ोसियों के संग शिष्टाचार।

षष्ठ: नैतिक गुणः

हया (लज्जा)।

सब्र (धैर्य)।

सिद्क (सच्चाई)।

तवाज़ुअ (विनम्रता)।

रिफ़क़ और रहमत (दया एवं स्नेह)।

अमानतदारी।

⁽¹⁾ मदारिजुस्सालिकीन, इब्नुल कैयिम (२/ ३९१)।

प्रथम: अल्लाह तआला के साथ शिष्टाचार:

मानव प्रशिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण एवं उच्च रूप यह है कि वह अल्लाह के आज्ञापालन, उसके भय, उससे आशा एवं उसके प्रेम, उसके लिए इखलास (निष्ठा), अनुसरण केवल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए, कथन एवं कर्म में केवल अल्लाह के लिए निष्ठा अपनाना जैसी चीजों पर उसका पालन-पोषण हो, जो उसके लिए सही मार्ग का द्वार खोले तथा विनाश के मार्ग से बचाए और अल्लाह के साथ शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हुए वह परवान चढ़े।

अल्लाह तआला के साथ शिष्टाचार का एक रूप यह है कि वह सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह से अच्छा गुमान रखे, क्योंकि यह तौहीद (एकेश्वरवाद) के अभिन्न अंगों में से एक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने रब्ब सुब्हानहु व तआला से रिवायत करते हुए कहते हैं कि अल्लाह तआला फ़रमाता है: “मैं अपने भक्त के गुमान के अनुसार होता हूँ, तथा जब वह मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ...”⁽¹⁾ तथा अल्लाह तआला ने उन लोगों की निंदा की है जो उसके साथ बुरा गुमान रखते हैं, अल्लाह फ़रमाता है:

﴿يُظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾ [سورة آل عمران: १०६]

अनुवाद: (वो अल्लाह के बारे में असत्य जाहिलियत की सोच सोच रहे थे, वह कह रहे थे कि क्या हमारा भी कुछ अधिकार है? आप कह दें कि सब अधिकार अल्लाह को है)। सूरह आले इमरान: १५४।

अल्लाह तआला के साथ अच्छा गुमान रखने में से यह है कि भक्त यह आस्था रखे कि अल्लाह तआला उसको देख रहा है, उसके कार्यों से अवगत है तथा उसके अंतर्मन में जो विचार पनपता है अल्लाह उसको भी जानता है “अल्लाह से अच्छा गुमान रखने का आधार, अल्लाह की दया, उसकी इज्जत, उसके उपकार, उसके सामर्थ्य, उसके ज्ञान, उसके उत्तम चयन का ज्ञान रखने एवं उस पर भरोसा करने वाले की शक्ति पर है, जब इसका ज्ञान सम्पूर्ण होता है तो अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखना भक्त के लिए फलदायक होता है”⁽²⁾

(1) सहीह बुखारी (४/ ३८४) संख्या (७४०५), व मुस्लिम (४/ २१०२) तथा पूर्वोक्त शब्द उन्ही के द्वारा वर्णित है।

(2) तैसीरुल अजीज़िल हमीद फ़ी शर्ह किताबित् तौहीद, लेखक: सुलैमान बिन अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अब्दुल वहहाब, पृष्ठ (६७१)।

भक्त का अपने रब के साथ शिष्टाचार में से यह भी है कि भक्त अल्लाह से प्रेम रखे, क्योंकि “उसका प्रेम ही इस्लाम धर्म का मूलाधार है जिसके ऊपर उसकी चक्की नाचती है, उसके सम्पूर्ण होने से बंदे का ईमान पूर्ण होता है, तथा उसकी कमी से इंसान के तौहीद में कमी आती है”⁽¹⁾ अल्लाह से प्रेम रखना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुसरण करने एवं उनके द्वारा लाई हुई शरीअत की पैरवी करने की मांग करती है, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

[سورة آل عمران: ३१]

अनुवाद: (आप कह दीजिए कि यदि तुम अल्लाह से प्रेम करते हो तो मेरा अनुसरण करो, अल्लाह तुम से प्रेम करेगा एवं तुम्हारे पाप क्षमा कर देगा, तथा अल्लाह अति क्षमी दयावान है)। सूरह आले इमरान: ३१। इस आयत को मुहब्बत वाली आयत कहा जाता है।⁽²⁾

और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “जिसके अंदर तीन विशेषताएं होंगी वह ईमान की मिठास का अनुभव करेगा: अल्लाह एवं उसके रसूल उसके निकट सर्वाधिक प्रिय हों, तथा आदमी किसी से प्रेम करे तो केवल अल्लाह ही के लिए प्रेम करे, और कुफ़्र में लौट जाने को वैसे ही नापसंद करे जैसे वह आग में डाले जाने को नापसंद करता है”⁽³⁾ (हदीस का अर्थ यह है कि आदमी हार्दिक रूप से अल्लाह एवं उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सबसे अधिक प्रेम करे, जैसाकि कुछ हदीस में आया है “अल्लाह तआला से पूरे मन से प्रेम करो” अतः वह केवल एक अल्लाह से पूर्णरूपेण मोहब्बत करे वही उसका महबूब एवं पूज्य हो, तथा अल्लाह के अलावा दूसरों की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के अंतर्गत हो, जैसे वह नबियों, रसूलों, फ़रिश्तों एवं नेक लोगों से मोहब्बत करे, क्योंकि उसका रब उन लोगों से प्रेम करता है, तथा ऐसा इसलिए है क्योंकि वह किसी से प्रेम अथवा घृणा केवल अल्लाह के लिए ही करता है)⁽⁴⁾

बंदे का अपने रब के साथ शिष्टाचार में से यह भी है कि वह उस से भय खाए एवं आशा रखे, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

(1) फ़तुह मजीद शर्ह किताबित् तौहीद, लेखक: अब्दुर्रहमान हसन आल -ए- शौख, पृष्ठ (३३२)।

(2) फ़तुह मजीद शर्ह किताबित् तौहीद, लेखक: अब्दुर्रहमान हसन आल -ए- शौख, पृष्ठ (३३२)।

(3) सहीह बुखारी (१/ २२) संख्या (१६) तथा उपरोक्त शब्द मुस्लिम द्वारा ही वर्णित हैं, व मुस्लिम (१/ ६६) संख्या (६७/ ४३)।

(4) तैसीरुल अज़ीज़िल हमीद फ़ी शर्ह किताबित् तौहीद, लेखक: सुलैमान बिन अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अब्दुल वहहाब, पृष्ठ (४७६)।

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا

خَاشِعِينَ﴾ [سورة الأنبياء: ٩٠]

अनुवाद: (वास्तव में वे सभी दौड़-धूप करते थे सत्कर्मों में और हम से प्रार्थना करते थे रूचि तथा भय के साथ, और हमारे आगे झुके हुए थे)। सूरह अम्बिया: ९०।

“तथा भय इस्लाम धर्म के सबसे उत्तम एवं श्रेष्ठ श्रेणियों में से है”^(१) किंतु बंदा जब अल्लाह का भय खाए तो उसकी दया से निराश न हो, बल्कि सद्कर्म करते हुए उसकी दया की आशा रखे^(२), अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [سورة الحجر: ५६]

अनुवाद: (उसकी दया से पथभ्रष्ट लोग ही निराश होते हैं)। सूरह हिज्र: ५६।

अतः आवश्यक है कि खुशूअ (विनम्रता) एवं अल्लाह के लिए झुकना के साथ-साथ उससे आशा, उसकी दया एवं प्रेम रखते हुए बंदा अपने रब के साथ शिष्टाचार अपनाए “जो केवल प्रेम रखते हुए ही अल्लाह की उपासना करे वह जिन्दीक़ है, और जो केवल आशा रखते हुए उसकी उपासना करे वह मुर्जिअह है, और जो केवल भय रखते हुए उसकी उपासना करे वह हरूरी है तथा जो प्रेम, भय एवं आशा तीनों रखते हुए अल्लाह की इबादत करे वह एकेश्वरवादी मोमिन है”^(३)

बंदे का अल्लाह तआला के साथ शिष्टाचार में से यह भी है कि वह केवल उसकी ही पूजा करे एवं उसके साथ किसी दूसरे को साझीदार न बनाए, अल्लाह का शुक्र अदा करे, उसका स्मरण करता रहे, उसका हृदय अपने रब से सरगोशी करता रहे^(४), तथा यह इस बात की मांग करता है कि “वह अपने रब के आदेशों के अनुसार कार्य करे न कि अपनी मनामनी करे, तथा अपनी आदत का गुलाम न बने”^(५) अतः उबूदियत (पूजा) के शिष्टाचार में से यह है कि बंदा केवल अपने रब की इबादत करे, उसी की ओर आकर्षित रहे, इस बात का विश्वास रखे कि वह प्रत्येक वस्तु का रब है एवं उन वस्तुओं का रचनाकार है, हर प्रकार की उपासना केवल अपने रब के लिए ही अंजाम दे, क्योंकि अल्लाह तआला फ़रमाता है:

(१) फ़तुह मजीद शर्ह किताबित् तौहीद, लेखक: अब्दुर्हमान हसन आल -ए- शैख, पृष्ठ (३४४)।

(२) तैसीरुल अज़ीज़िल हमीद फ़ी शर्ह किताबित् तौहीद, लेखक: सुलैमान बिन अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अब्दुल वहहाब, पृष्ठ (५०८)।

(३) अल् उबूदियह, लेखक: इब्ने तैमिय्यह, पृष्ठ (३७)।

(४) अखलाकुल कुरआन, लेखक: मुहम्मद बिन हुसैन आजुर्गी, पृष्ठ (१२८)।

(५) मदारिजुस्सालिकीन, लेखक: इब्नुल कैयिम (२/ १२८)।

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [سورة الأنعام: ١٦٢]

अनुवाद: (आप कह दीजिए कि मेरी नमाज़, मेरी कुर्बानी, मेरा जीवन एवं मरण सब समस्त संसार के पालनहार अल्लाह के लिए है)। सूरह अनआम: १६२।

उबूदियत अर्थात उपासना के शिष्टाचार में से यह है कि प्रशिक्षक एवं दाई को चाहिए कि वह बच्चों को इस बात के लिए प्रशिक्षित करें कि अल्लाह की किताब के साथ अदब अपनाएं, अतः वुजू करने के बाद ही उसे खोलें, अच्छे से उसका पाठ करें, उसमें चिंतन-मनन करें, और जब कुरआन का पाठ किया जा रहा हो तो चुप हो कर सुनें^(१), क्योंकि अल्लाह तआला का कथन है:

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [سورة الأعراف: २०६]

अनुवाद: (जब कुरआन पढ़ा जाए तो गौर से सुनो तथा चुप्पी साध लो ताकि तुम पर दया की जाए)। सूरह आराफ़: २०४।

तथा उसके अंदर अल्लाह की सदैव निगरानी की भावना उत्पन्न करे, कि वह हर छोटी एवं बड़ी चीज़ को देख रहा है, उससे कण भर भी कोई चीज़ छिप्त नहीं है, तथा न ही आकाश एवं धरा की कोई वस्तु उस से ओझल है, बल्कि वह आँखों की ख्यानत एवं दिलों के भेद को भी जानता है, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [سورة الحديد: ६]

अनुवाद: (वह तुम्हारे साथ होता है तुम जहाँ कहीं भी रहो, और जो तुम कर रहे हो अल्लाह उसको देखने वाला है)। सूरह हदीद: ४।

तथा एक स्थान पर अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تَوَسَّسُ بِهِ نَفْسَهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [سورة ق: १६]

अनुवाद: (जब कि हमने ही पैदा किया है मनुष्य को और हम जानते हैं जो विचार आते हैं उस के मन में, तथा हम अधिक समीप से हैं उस से उसकी प्राणनाड़ी (शह रग) से)। सूरह क़ाफ़: १६।

^(१) कुरआन पढ़ने के आदाब के विषय और अधिक जानकारी के लिए देखें: आदाबुल कुरआन, लेखक: आजुरी।

तथा लुक्मान ने अपने बेटे को उपदेश देते हुए कहा:

﴿يَبْنِيْ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ
يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ حَيِيْرٌ﴾ [سورة لقمان: ١٦]

अनुवाद: (हे मेरे पुत्र! यदि हो (कोई कर्म) राई के दाने के बराबर, फिर वह यदि हो किसी पत्थर के भीतर या आकाशों में या धरती में, तो उसे भी उपस्थित करेगा अल्लाह, वास्तव में वह सब महीन बातों से सूचित है)। सूरह लुक्मान: १६।

द्वितीय: रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा समस्त नबियों के साथ शिष्टाचार:

पैगम्बरों के प्रति विनम्र होना एक व्यक्ति में तब विकसित होता है, चाहे वह युवा हो या बूढ़ा, जब वह उनकी स्थितियों, उनके कार्यों और उनके द्वारा अपने रब के संदेशों को पहुँचाने में सहन की गई परेशानियों और कठिनाइयों के बारे में जानता है। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह नबियों के जीवन के हर भाग की विस्तृत जानकारी प्रशिक्षकों के समक्ष प्रस्तुत करे, तथा लोगों के प्रति उनकी परोपकारिता, दयालुता, मधुर वाणी, विनम्रता और करुणा और उनके प्रति उनके स्नेह और दावत की राह में लोगों द्वारा पहुँचने वाले कष्ट पर उनके धैर्य को उजागर करे।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ शिष्टाचार अपनाने में से यह है कि हृदय को उनके प्रेम से पूर्ण रखे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस मार्गदर्शन का पालन करते हुए “तुम में से कोई भी व्यक्ति उस समय तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके निकट उसके पिता, उसके बच्चे एवं समस्त संसार से अधिक प्रिय न हो जाऊँ”⁽¹⁾, तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रेम रखने की मांग यह है कि आपकी सुन्नतों का एवं जो आप अल्लाह के पास से लेकर आए हैं उनका अनुसरण किया जाए, और जिन कार्यों से आपने रोका है उन से रुक जाया जाए, तथा धर्म में नवाचार न करे, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمُ عَنْهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾ [سورة الحشر: १७]

अनुवाद: (रसूल जो तुम को दें उसे ले लो एवं जिससे रोकें उससे रुक जाओ, तथा अल्लाह से डरते रहो, निश्चय ही अल्लाह तआला कठोर दण्ड देने वाला है)। सूरह हश्र: ७।

तथा सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन है:

⁽¹⁾ सहीह बुखारी (१/ २२) संख्या (१५), व मुस्लिम (१/ ६७) संख्या (७०-४४)।

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

﴿٢١﴾ الأحزاب: ٢١

अनुवाद: (तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में उत्तम आदर्श है, उसके लिए जो आशा रखता हो अल्लाह और अंतिम दिन (प्रलय) की, तथा याद करे अल्लाह को अत्याधिक)। सूरह अहज़ाब: २१।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ शिष्टाचार एवं प्रेम का तकाजा यह है कि जब आप का नाम ज़िक्र किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा जाए, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

﴿٥٦﴾ الأحزاب: ५६

अनुवाद: (अल्लाह तथा उसके फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर, हे ईमान वालो! उन पर दुरूद तथा बहुत सलाम भेजो)। सूरह अहज़ाब: ५६।

“इस आयत में अल्लाह तआला अपने बंदों को अपने नबी के उच्च स्थान के बारे में सूचना दे रहा है कि वह निकटवर्ति फ़रिश्तों के पास अपने रसूल की प्रशंसा करता है, तथा फ़रिश्ते उन पर दुरूद भेजते हैं, फिर अल्लाह तआला संसार वासियों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने का आदेश दे रहा है, ताकि लोक परलोक दोनों स्थान पर उनके ऊपर दुरूद व सलाम भेजा जाए”।^(१) तथा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दुरूद न भेजे उसको कंजूस कहा गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं: “वह व्यक्ति बड़ा कंजूस है जिसके पास मेरा वर्णन हो और वह मुझ पर दुरूद न भेजे”।^(२) तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह मोहब्बत उस व्यक्ति के दिल में और अधिक बढ़ेगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जीवनी को पढ़ेगा, जो पाठक के मन में आपके प्रति श्रद्धा एवं प्रेम उत्पन्न करती है, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن

(१) तफ़सीरुल कुरआनिल् अज़ीम, लेखक: इब्ने कसीर (३/ ५१४)।

(२) तर्मिज़ी (५/ ५१५) संख्या (३५४६) तथा उन्होंने कहा है कि यह हदीस जिसे साबित ने अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है ग़रीब है, तथा अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से इसके सिवा अन्य तरीक से भी वर्णित है, अहमद (१/ २०१), तथा अलबानी ने कहा है: यह हदीस सहीह है, देखें: सहीहुल् जामेअ अस् सगीर (१/ ५५७) संख्या (२८७८)।

تَحْبِطُ أَعْمَالَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَعْصُونَ أَوْصَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ

الَّذِينَ أَمَّتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾ ﴿الحجرات: १-३﴾

अनुवाद: (हे लोगो! जो ईमान लाए हो आगे न बढ़ो अल्लाह तथा उसके रसूल से, और डरो अल्लाह से, वास्तव में अल्लाह सब कुछ सुनने जानने वाला है। हे लोगो जो ईमान लाए हो! अपनी आवाज़ नबी की आवाज़ से ऊँची न करो, और न आप से ऊँची आवाज़ में बात करो जैसे एक दूसरे से ऊँची आवाज़ में बात करते हो, ऐसा न हो कि तुम्हारे कर्म व्यर्थ हो जाएं और तुम्हें पता भी न हो। निःसंदेह जो धीमी रखते हैं अपनी आवाज़ अल्लाह के रसूल के सामने, वही लोग हैं जाँच लिया है अल्लाह ने जिनके दिलों को सदाचार के लिए, उन्हीं के लिए क्षमा तथा बड़ा प्रतिफल है।) सूरह हुजुरात: १-३।

तथा उसका कथन है:

﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [سورة النور: १३]

अनुवाद: (और तुम मत बनाओ रसूल के पुकारने को परस्पर एक-दूसरे को पुकारने जैसा।) सूरह नूर: ६३।

शैख मुहम्मद अमीन शन्क्रीती रहिमहुल्लाह कहते हैं: “अर्थात् जब तुम उनको पुकारो तो तुम्हारा यह पुकारना सम्मान एवं आदर से खाली नहीं हो, जैसाकि आम लोग आपस में एक दूसरे को पुकारते हुए करते हैं, अतः तुम लोग: या मुहम्मद, न कहो, बल्कि ऐसे कहो: या रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तथा उनके सामने अपनी आवाज़ ऊँची न करो अपितु आवाज़ नीची कर के बात करो”^(१) आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मृत्यु के बाद भी आपका नाम आदर तथा सम्मान के साथ लिया जाएगा, अतः हम सिर्फ आपका नाम लेकर आप को नहीं बुलाएंगे बल्कि आपके नाम के साथ रसूल या नबी लगाने के साथ-साथ आप पर दुरूद व सलाम भी भेजेंगे, तथा आपके साथ शिष्टाचार में से यह भी है कि आपके कथन के ऊपर किसी दूसरे आदमी के कथन को वरीयता नहीं दी जाएगी, बल्कि जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत का हमें ज्ञान होगा उनका अनुसरण करना हमारे लिए अनिवार्य होगा तथा दूसरा चाहे जो भी हो उसके कथन पर आपके कथन को वरीयता दी जाएगी, और अल्लाह तथा अल्लाह के रसूल के साथ ऐसा अदब रखना वाजिब है, तथा इसी के कारण बंदे को सदा रहने वाली सफलता एवं हमेशा रहने वाली नेमत मिलती है।^(२)

(१) मुहम्मद अमीन शन्क्रीती, उनकी ओर से इसको लिखा है अहमद क़ादरी ने, पृष्ठ (२०७)।

(२) तैसीरुल करीमिर् रहमान फ़ी तफ़सीरे कलामिल मन्नान, लेखक: अब्दुर्हमान सअदी (५/ ६७)।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ सहाबा -ए- किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का अखलाक़ ऐसा था कि वह आप पर अपनी जान न्योछावर करने को सदैव तत्पर रहा करते थे, वो लोग कामना करते थे कि चाहे उनकी जान क्यों न चली जाए लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पाँव में कांटा भी न चुभे। ख़ुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु का क्रिस्सा प्रसिद्ध है कि जब उनको सूली पर चढ़ा दिया गया तो मुश्रिकों ने उन से कहा: क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम्हारे स्थान पर मुहम्मद को लटका दिया जाए? उन्होंने कहा: अल्लाह की क़सम, नहीं, मैं तो यह भी नहीं पसंद करूँगा कि मुझे छोड़ दिया जाए और मेरे स्थान पर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पाँव में कांटा भी चुभे।⁽¹⁾

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ सहाबा के शिष्टाचार का यह हाल था। बच्चों का लालन-पालन इसी अंदज पर होना चाहिए।

तृतीय: मातृ-पिता के साथ शिष्टाचार:

इस्लामी नैतिकता में से यह है कि लोग अपने माता-पिता के अधिकारों को जानें जो अल्लाह ने संतान के ऊपर उनके माता-पिता के संबंध में रखे हैं, जोकि उनका आज्ञापालन करना, उनसे प्रेम करना, तथा यदि अल्लाह को अप्रसन्न करने वाली कोई बात नहीं हो तो उसके द्वारा उनको प्रसन्न करने का भरसक प्रयास करना, उनके साथ विनम्रता अपनाना एवं स्नेह बरसाना, उनको न तो डाँटना और न ही उफ़फ़ कहना, क्योंकि अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُجَلِّعَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ ٢٣ ۝ وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَّنِي صَغِيرًا ۝ ٢٤ ﴾

अनुवाद: (और (हे लोगो!) तेरे पालनहार ने आदेश दिया है कि उस के सिवा किसी की इबादत (वंदना) न करो, तथा माता-पिता के साथ उपकार करो, यदि तेरे पास दोनों में से एक वृद्धावस्था को पहुँच जाएं अथवा दोनों, तो उन्हें उफ़फ़ तक न कहो, और न झिड़को, और उनसे सादर बात बोलो। तथा उनके लिए विनम्रता का बाजू दया से झुका दो, और प्रार्थना करो: हे मेरे पालनहार! उन दोनों पर दया कर, जैसे उन दोनों ने बाल्यावस्था में मेरा लालन-पालन किया है)।
सूरह बनी इस्राईल: २३-२४।

सैयिद कुतुब कहते हैं: “इस ताजा वाक्यांश और विचारोत्तेजक छवि के साथ, महान क़ुरआन बच्चों के दिलों में धार्मिकता और दया की भावनाओं को जगाता है, क्योंकि बुढ़ापे

(1) ह्यातुससहाबा, लेखक: कांधलवी, पृष्ठ (५२५)।

की अपनी महिमा है, और बुढ़ापे की अपनी कमजोरी होती है, और शब्द (عند) इन्दा) बुढ़ापे और कमजोरी की स्थिति में आश्रय और पनाह की तलाश करने का अर्थ दर्शाता है, और यह देखभाल और शिष्टाचार के दर्जे में प्रथम स्थान पर है, कि बच्चा किसी भी चीज़ के प्रति उदासीन नहीं हो, जो ऊब, संकट, एवं अपमानित महसूस करने का संकेत दे, तथा सर्वोच्च पद यह है कि कि माता-पिता लिए संतान के शब्द आदर और सम्मान से भरे हों।⁽¹⁾

इसीलिए माँ-बाप के साथ नेकी करने, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उन पर धैर्य रखने को जिहाद कहा गया है, अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि: “एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया तथा जिहाद करने की अनुमति मांगी, तो आपने पूछा: क्या तुम्हारे माता-पिता जीवित हैं? उसने कहा: हाँ, तो आपने फ़रमाया: उन्ही दोनों में जिहाद अर्थात् सेवा करने का प्रयास करो”⁽²⁾

माता-पिता को जीवित पाना बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये उनके लिए जन्नत की चाभी हैं जो उनका आज्ञापालन करे, उनकी देख-रेख करे, तथा बड़ा अभाग है वह व्यक्ति जो अपने माता-पिता या दोनों में से किसी एक को जीवित पाए और उनका आज्ञापालन एवं सेवा कर के जन्नत न खरीदे, इस बात का स्पष्ट वर्णन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस में किया गया है, चुनाँचे आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाते हैं: “उसकी नाक में मिट्टी लगे, उसकी नाक में मिट्टी लगे, एक बार फिर उसकी नाक में मिट्टी लगे, पूछा गया, किसके नाक में हे अल्लाह के रसूल? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: उसके जो अपने माता-पिता अथवा दोनों में से एक को बुढ़ापे की स्थिति में पाए फिर भी (उनकी सेवा-सत्कार) कर के वह स्वर्ग में स्थान न बना सके”⁽³⁾

माता-पिता की सेवा करना एवं उनके आदेशों का पालन करना महान कार्य है, तथा माता का हिस्सा अधिक है क्योंकि “वह गर्भ का बोझ उठाती है, कष्ट झेलती है, रातों को जागती है तथा बच्चे के लिए अपना आराम तज देती है, माँ तीन ऐसा कष्ट झेलती है जो पिता नहीं झेलता है: पहला: माँ गर्भ का कष्ट सहती है, दूसरा: प्रसव पीड़ा को बर्दाश्त करती है, तथा तीसरा: दुग्धपान एवं लालन-पालन का बोझ उठाती है”⁽⁴⁾

अल्लाह तआला फ़रमाता है:

(1) फ़ी ज़िलालिल कुरआन, लेखक: सैयि कुतुब (४/ २२२१) संक्षिप्त रूप में।

(2) सहीह बुखारी (२/ ३५९) संख्या (३००४), व मुस्लिम (४/ १९७५) संख्या (५/ २५४९)।

(3) सहीह मुस्लिम (४/ १९७८) संख्या (२५५१)।

(4) मिनल् आदाब वल् अखलाक अल् इस्लामिय्यह, अब्दुल्लाह अब्दुरहीम अल् इबादी, पृष्ठ (४५)।

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ

لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ﴾ [سورة لقمان: ١٤]

अनुवाद: (और हमने आदेश दिया है मनुष्यों को अपने माता-पिता के संबंध में, अपने गर्भ में रखा उसे उस की माता ने दुख झेल कर और उसका दूध छुड़ाया दो वर्ष में कि तुम कृतज्ञ रहो मेरे और अपनी माता-पिता के, तथा मेरी ही तरफ (तुम्हें) फिर आना है)। सूरह लुक़मान: १४।

और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है वह कहते हैं: “एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया और कहा: हे अल्लाह के रसूल! मेरे अच्छे व्यवहार का सर्वाधिक हकदार कौन है? आपने कहा: तुम्हारी माँ, उसने पूछा: फिर कौन? आपने कहा: तुम्हारी माँ, उसने फिर पूछा: इसके बाद कौन? आपने फ़रमाया: तुम्हारी माँ, उसने चौथी बार पूछा: इसके बाद फिर कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: तुम्हारा पिता”।⁽¹⁾ “इस हदीस में इस बात का प्रमाण है कि माँ से प्रेम एवं स्नेह बाप की तुलना में तीन गुणा अधिक हो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तीन बार माँ का नाम लिया तथा बाप का नाम चौथी बार में एक बार लिया, और इब्ने बत्ताल के अनुसार इसमें भेद यह है कि: माता तीन बातों में पिता से अलग होती है: गर्भ का बोझ, प्रसव का कष्ट एवं दुग्धपान की कठिनाई, इन तीन बातों में माँ संतान के बाप से अलग होती है, फिर पालन-पोषण में माँ भी बाप के साथ शामिल होती है”।⁽²⁾

संतान अपने माता-पिता की चाहे जितनी सेवा कर ले वह उनका कर्ज नहीं चुका सकता, सिवाय एक हालत के और वह यह है कि माता-पिता गुलाम हों और संतान उनको ख़रीद कर आज़ाद कर दे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “कोई संतान अपने पिता का बदला नहीं चुका सकता सिवाय इसके कि वह उनको गुलाम पाए तो ख़रीद कर आज़ाद कर दे”।⁽³⁾

अल्लामा नववी रहिमहुल्लाह कहते हैं: “संतान अपने पिता के उपकार बदला नहीं चुका सकता सिवाय इसके कि यदि वह दास हों तो उनको ख़रीद कर स्वतंत्र कर दे”।⁽⁴⁾

अतः उनका आज्ञापालन करना एवं उनके संग शिष्टाचार अपनाना अनिवार्य है, तथा उन शिष्टाचारों में से यह है कि अपने माता-पिता का नाम लेकर उनको न पुकारे, बल्कि अब्बू

(1) सहीह बुखारी (४/ ८६) संख्या (५९७१), व मुस्लिम (४/ १९७४) संख्या (२५४८)।

(2) ग़िज़ाउल अलबाब, मुहम्मद अस् सफ़फ़ारीनी (१/ ३८६)।

(3) सहीह मुस्लिम (२/ ११४८) संख्या (२५/ १५१०)।

(4) शर्ह सहीह मुस्लिम, लेखक: नववी (१/ १५३)।

अम्मी कह कर पुकारे, आवाज़ में नम्रता बरकरार रखे, बैठने, खाने, पीने एवं चलने में उनसे आगे न बढ़े, क्योंकि यह अशिष्टता एवं अनैतिकता है “अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक आदमी को देखा कि वह किसी के पीछे-पीछे चल रहा है, तो पूछा: यह कौन है? उसने कहा: यह मेरे पिता हैं, तो उन्होंने कहा: उनको उनके नाम से न पुकारो, तथा उनसे पहले न बैठना और न उनके आगे-आगे चलना”⁽¹⁾

इन इस्लामी दिशानिर्देशों का पालन कर के प्रशिक्षक लोग माता-पिता के संग नेकी करने का शैक्षणिक प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, तथा यदि वे जीवित हों तो उनके संग अच्छा व्यवहार करे और यदि मृत्यु को प्राप्त हो गए हों तो उनके लिए दुआ करे, ताकि प्रशिक्षण क्षेत्र में वह एक अच्छा आदर्श बन कर सामने आएँ⁽²⁾

चतुर्थ: रहिम अर्थात् सगे-संबंधियों के संग शिष्टाचार:

रहिम (رحم) का शाब्दिक अर्थ: यह रिश्तेदारी के कारणों को कहते हैं, तथा मूल रूप से रहिम उस स्थान को कहते हैं जहाँ से संतान की उत्पत्ति होती है अर्थात् गर्भाशय⁽³⁾

पारिभाषिक रूप से रहिम कहते हैं: “उस नाते-रिश्तेदारी को जो माता एवं पिता की ओर से जुड़े होते हैं तथा जिनके कुछ विशेष अधिकार होते हैं”⁽⁴⁾

रिश्तेदारी जोड़ने से अभिप्राय है “संबंधियों के संग उपकार करना, उनसे स्नेह रखना, उनके संग विनम्रता अपनाना, उनकी देखभाल करना, तथा इसका विलोम रिश्तेदारी को तोड़ना है”⁽⁵⁾

इब्ने अबी जमरह कहते हैं: “रिश्तेदारी जोड़ने का अर्थ है हर संभव रूप में उनको भलाई पहुँचाना एवं सामर्थ्य भर बुराई को उनसे दूर करना”⁽⁶⁾

उपरोक्त बातों से स्पष्ट हुआ कि रिश्तेदारी जोड़ने का अर्थ है: सगे-संबंधियों के संग अच्छा व्यवहार एवं उपकार करना तथा उनसे कष्ट को दूर करना।

(1) अल् आदाब अश् शरइय्यह, लेखक: इब्ने मुफ़्लिह (१/ ४५३)।

(2) अधिक जानकारी के लिए देखें: ग़िज़ाउल अलबाब, लेखक: सफ़फ़ारीनी (१/ ३७३-३९३)।

(3) लिसानुल अरब, लेखक: इब्ने मन्ज़ूर (१२/ २३२)।

(4) अल् जामेअ लि अहकामिल कुरआन, लेखक: कुर्तुबी (१६/ १६४)।

(5) सुबुलुस्सलाम, लेखक: सन्'आनी (४/ १५३१)।

(6) पिछला संदर्भ (४/ १५३३)।

अल्लाह तआला ने शरई माध्यम अपनाते हुए रिश्तेदारी को जोड़ने एवं मजबूत रखने का आदेश दिया है, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا﴾ [سورة الإسراء: २६]

अनुवाद: (निकटवर्ती संबंधियों, निर्धनों एवं यात्रियों को उनका हक दे दो तथा फिजूलखर्ची न करो)। सूरह इस्रा: २६।

काज़ी अयाज़ रहिमुल्लाह कहते हैं: “इसमें कोई मतभेद नहीं है कि सामान्य रूप से रिश्तेदारों के संग अच्छा व्यवहार करना अनिवार्य है, तथा रिश्तेदारी को तोड़ना महा पाप है, वह कहते हैं: इस अध्याय की हदीसें इस बात को प्रमाणित करती हैं, परंतु रिश्तेदारी जोड़ने की कई श्रेणियां हैं, सबसे निचली श्रेणी यह है कि उनसे दूरी अपनाई जाए, उन से बात न की जाए यहाँ तक कि सलाम भी न किया जाए, इनमें से कुछ क्षमता के हिसाब से वाजिब होते हैं और कुछ मुस्तहब हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी हद तक संबंधियों के साथ अच्छा व्यवहार करता हो तो उसको रिश्ता तोड़ने वाला नहीं कहा जाएगा, तथा यदि उसकी क्षमता में हो और उसके बावजूद वह उसे अंजाम नहीं दे रहा हो तो उसे रिश्ता जोड़ने वाला नहीं कहा जाएगा”⁽¹⁾

रिश्तेदारी निभाना बुद्धिमानों का गुण है, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ] وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾ الرعد: १९ - २१

अनुवाद: (तो क्या जो जानता है कि आप के पालनहार की ओर से जो (कुरआन) आप पर उतारा गया है सत्य है, उस के समान है, जो अंधा है? वास्तव में बुद्धिमान लोग ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। जो अल्लाह से किया वचन पूरा करते हैं, और वचन भंग नहीं करते। और उन (संबंधों) को जोड़ते हैं जिनके जोड़ने का अल्लाह ने आदेश दिया है और अपने पालनहार से डरते हैं, तथा बुरे हिसाब से भयभीत रहते हैं)। सूरह रअद: १९-२१।

रिश्तेदारी जोड़ना होगा: उनसे भेंट करने, उनका हाल-चाल पूछने, उनका सम्मान करने, उनको उपहार देने, उनमें से जो निर्धन हैं उनको सदका (दान) देने, उनमें से जो बीमार हैं उनको देखने जाने, उनकी खुशी में शामिल होने, उनके दुख में उनको तसल्ली देने तथा हर वह मामला जिनमें उनको संबंधी होने के कारण वरीयता मिलनी चाहिए उन मामलों में वरीयता देने के द्वारा, तथा रिश्तेदारी तोड़ना होगा उनको छोड़ देने, संभव होने के बावजूद उनसे भेंट नहीं करने, उनकी खुशी में शामिल नहीं होने तथा उनके दुख में उनको तसल्ली न देने और हर वह मामला जिनमें

⁽¹⁾ शर्ह सहीह मुस्लिम, लेखक: नववी (१६/ ११३)।

उनको संबंधी होने के कारण वरीयता मिलनी चाहिए उन मामलों में वरीयता न देने के द्वारा⁽¹⁾, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ ۖ﴾ ﴿٢٣﴾ محمد: २२ - २३

अनुवाद: (फिर यदि तुम विमुख हो गए तो दूर नहीं कि तुम उपद्रव करोगे धरती में तथा तोड़ोगे अपने रिश्ते (संबंधों) को। यही हैं जिन को अपनी दया से दूर कर दिया है अल्लाह ने, और उन्हें बहरा तथा उनकी आँखें अंधी कर दी हैं)। सूरह मुहम्मद: २२-२३।

रिश्तेदारी जोड़ने एवं सगे-संबंधियों के साथ अच्छा व्यवहार करने का इस्लाम में उच्च स्थान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस में इसके महत्व को दर्शाया गया है, और कहा गया है कि रिश्तेदारी जोड़ना अल्लाह का अनुग्रह प्राप्त होने का कारण है तथा इसको तोड़ना अल्लाह के अनुग्रह से दूरी का कारण है, सहीह मुस्लिम में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “रहिम अर्थात रिश्तेदारी अल्लाह तआला के अर्श से लटकी हुई है और कहती है जो मुझे जोड़ेगा अल्लाह उसे जोड़ेगा और जो मुझे काटेगा उसे अल्लाह काटेगा”।⁽²⁾ “इससे अभिप्राय इसकी महत्ता को दर्शाना तथा इसे जोड़ने वाले की प्रधानता एवं इसे तोड़ने वाले के पाप को बताना है”।⁽³⁾

इसी प्रकार से रिश्तेदारी जोड़ना जीविका में वृद्धि एवं आयु में बरकत का कारण है, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “जो चाहता हो कि उसकी जीविका में वृद्धि तथा आयु में बढ़ोतरी हो तो वह संबंधों को जोड़े”।⁽⁴⁾

पंचम: जार (جار) अर्थात पड़ोस के शिष्टाचार:

जार (جار) का शाब्दिक अर्थ:

अरबी भाषा के एक सुप्रसिद्ध शब्दोष (लिसानुल अरब) में है कि: जार (पड़ोसी) वह है जिसका घर आपके पड़ोस में हो, तथा जार का एक अर्थ है: रियल इस्टेट में भागीदार, जार का

(1) अल् अखलाक अल् इस्लामियह व उसुसुहा, लेखक: मैदानी (१/ १०)।

(2) सहीह बुखारी (४/ ९५-९६) संख्या (६०२४), व मुस्लिम (४/ २००३-२००४) संख्या (७७/ २५९३), तथा उपरोक्त मुस्लिम द्वारा ही वर्णित हैं।

(3) सहीह मुस्लिम मय शर्ह नववी (१६/ ११२)।

(4) सहीह बुखारी (४/ ८९) हदीस संख्या (५९८५), व मुस्लिम (४/ १९८२)।

एक अर्थ है: मित्र, तथा जार का एक अर्थ है: सहयोगी, तथा जार का एक अर्थ है: व्यापार में साझीदार।⁽¹⁾

जार (جَار) का पारिभाषिक अर्थ:

जार का पारिभाषिक अर्थ शब्दकोषीय अर्थ से भिन्न नहीं है, “पड़ोस के सीमा निर्धारण के विषय में लोगों के मध्य मतभेद है, औज़ाई रहिमहुल्लाह कहा करते थे: घर के चारों तरफ चालीस घरों तक को पड़ोस माना जाएगा, तथा इसी तरह की बात इब्ने शिहाब जुहरी रहिमहुल्लाह ने भी कही है”।⁽²⁾

सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन है:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ [سورة النساء: ३६]

अनुवाद: (तथा अल्लाह की इबादत (वंदना) करो, और किसी चीज़ को उसका साझी न बनाओ, तथा माता-पिता, समीपवर्तियों और अनाथों एवं निर्धनों और समीप तथा दूर के पड़ोसी के साथ उपकार करो)। सूरह निसा: ३६।

इब्ने हजर रहिमहुल्लाह कहते हैं: “समीप के पड़ोसी से अभिप्राय वह है जिनसे रिश्तेदारी हो तथा दूर के पड़ोसी से अभिप्राय वो लोग हैं जो पड़ोस में तो हों परंतु उनसे कोई रिश्तेदारी न हो, तथा यही अधिकांश लोगों का मत है”।⁽³⁾

इसका अर्थ यह हुआ कि पड़ोसी दो प्रकार के होते हैं: एक वह पड़ोसी जो आपके पड़ोस में भी हो तथा वह आपका रिश्तेदार भी हो, और दूसरा वह व्यक्ति जो आपके पड़ोस में तो रहता हो परंतु वह आपका रिश्तेदार न हो।

पूर्व में उल्लेख किए गए अर्थों से यह स्पष्ट होता है कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के लिए साझीदार के समान होता है, क्योंकि उसका घर का समीप होता है एवं अल्लाह के बाद वही उसका सहायक होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति को जब कोई विपत्ति अथवा कष्ट पहुँचता है तो उसकी सहायता लिए अल्लाह के पश्चात सर्वप्रथम पड़ोसी ही पहुँचता है क्योंकि उसी का घर सबसे निकट होता है, अतः यदि व्यक्ति के अंदर इस्लामी नैतिकता होती है, वह इस्लामी शिष्टाचार को धारण किए होता है, तो अपने पड़ोसी से प्रेम रखता है, उसके दोषों को नजरअंदाज

⁽¹⁾ लिसानुल अरब, इब्ने मन्ज़ूर (४/ १५४)।

⁽²⁾ अल् जामेअ लि अहकामिल कुरआन, लेखक: कुर्तुबी (५/ १२१)।

⁽³⁾ फ़तुह बारी, लेखक: इब्ने हजर (१/ ४४१)।

करता है, उसकी भलाई चाहता है, उसको उपहार देता है, बड़ों को ऐसा करते देख छोटे भी यह आचरण सीखते हैं, तथा यदि उसके अंदर इस्लामी नैतिकता नहीं होती है तो पड़ोसी से लड़ता झगड़ता रहता है, दोनों एक-दूजे की भावनाओं एवं अधिकारों का ध्यान नहीं रखते हैं, और बड़ों को ऐसा करते देख छोटों के अंदर भी यह बुरा आचरण आ जाता है।

अतः पड़ोस के संबंधों को सही ढंग से मार्गदर्शित करने के लिए किसी ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो उचित मार्गदर्शन करे ताकि उनका अच्छा सामाजिक एवं पारिवारिक प्रभाव पड़े तथा यह प्रभाव समग्र रूप से सभी को शामिल हो, और इस्लाम ही एकमात्र ऐसी पद्धति है जो अल्लाह द्वारा अवतरित पद्धति को अपने अंदर समेटे हुए है कि जिसका यदि कोई व्यक्ति पालन करे तो उसके अंदर उच्च नैतिकता का संचार होगा फिर सभी लोग अमन, शांति, प्रेम एवं सद्भाव के साथ रह सकेंगे।

इस्लाम में पड़ोसी के अधिकारों पर बड़ा जोर दिया गया है, क्योंकि अल्लाह तआला ने “पड़ोसी के अधिकारों की सुरक्षा करने, उनको उचित ढंग से अदा करने एवं इसके संबंध में वसीयत की है अपनी किताब में भी, तथा अपने रसूलों की ज़बानी भी इसका आदेश दिया है, क्या आप नहीं देखते कि सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह ने कुरआन में अपने बाद माता-पिता एवं रिश्तेदारों का उल्लेख किया है”⁽¹⁾ जैसाकि पिछली आयत में उल्लेखित है, तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों में भी पड़ोसी के संबंध में वसीयत का बारंबार उल्लेख किया गया है, चुनाँचे आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस है, वह कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “जिब्रील मुझे बार-बार पड़ोसी के संग अच्छा व्यवहार करने की वसीयत करते थे यहाँ तक कि मुझे लगा कि पड़ोसियों को कहीं वारिस (उत्तराधिकारी) न बना दें”⁽²⁾

पड़ोस के अधिकारों में से यह है कि पड़ोसी के संग उपकार किया जाए, उनसे स्नेह रखा जाए, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए और सहयोग की आवश्यकता हो तो उनका सहयोग किया जाए, उनकी संतान को उपदेश व नसीहत की जाए, उनसे भेंट करने के लिए उनके घर जाया जाए, या इसी तरह के अन्य इस्लामी नैतिकता का पालन किया जाए जिनको निम्नांकित बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है:

१- विद्या सीखने, धार्मिक ज्ञान अर्जित करने, एक दूसरे को नसीहत करने, भलाई का आदेश देने एवं बुराई से रोकने में परस्पर सहयोग करना, क्योंकि अन्योन्याश्रित समाजीकरण इसी पर आधारित होता है तथा इसके अंदर प्रशंसनीय इस्लामी नैतिकता शामिल होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पड़ोसियों को विद्या सिखाने एवं एक दूसरे को नसीहत करने का

(1) अल् जामेअ लि अहकामिल कुरआन, लेखक: कुर्तुबी (५/ १२०)।

(2) सहीह बुखारी (४/ ९४) संख्या (६०९४), व मुस्लिम (४/ २०२५) संख्या (१४०/ २६२४)।

आदेश दिया करते थे, हैसमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस रिवायत की है “आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक बार ख़ुत्बा (भाषण) दिया तो आपने मुसलमानों के एक समूह की प्रशंसा की फिर फ़रमाया: लोगों को क्या हो गया है कि वह अपने पड़ोसियों को धार्मिक ज्ञान नहीं सिखाते, न उन्हें विद्या देते हैं, न उनको नसीहत करते हैं, न उनको रोकते हैं, तथा लोगों को क्या हो गया है कि वो अपने पड़ोसियों से धार्मिक ज्ञान नहीं सीखते, उनसे विद्या नहीं लेते एवं उनसे नसीहत नहीं हासिल करते हैं”⁽¹⁾ सहाबा -ए- किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस मार्गदर्शन का जीवंत उदाहरण थे, आदरणीय उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ज्ञान अर्जित करने के इतने लालसी थे कि उन्होंने अपने पड़ोसी से बारी लगा रखी थी कि एक दिन वह और एक दिन उनके पड़ोसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास ज्ञान अर्जित करने आया करते थे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि (उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा: मदीना के अवाली नामक स्थान से बनू उमैया बिन ज़ैद क़बीला से अन्सार का मेरा एक पड़ोसी था, हम दोनों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आने की बारी निर्धारित कर रखी थी, एक दिन मैं आता और एक दिन वह आता, जिस दिन मैं आता उस दिन की वृत्त्य (प्रकाशना) इत्यादि से संबंधित सूचना मैं उसे सुनाता और जिस दिन वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आता और मैं नहीं आता, तो उस दिन वह भी वैसा ही करता)।⁽²⁾

अतः पड़ोस में होने के दायित्वों में से है: स्नेह रखना, सहयोग करना, नसीहत करना, तथा भलाई का कार्य करने एवं बुराई के कार्य से रोकने का उपदेश देना।

२- कष्ट दूर करना: पड़ोस के दायित्वों एवं अधिकारों में से यह है कि आदमी स्वयं अपनी एवं अपने संतानों की ओर से पड़ोसी को कष्ट न पहुँचने दे चाहे वह हाथ से हो, जुबान से हो अथवा इन दोनों के सिवा किसी अन्य चीज़ से हो, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है, वह कहते हैं कि एक आदमी ने कहा: “हे अल्लाह के रसूल! अमुक महिला के विषय में कहा जाता है कि वह बड़ा नमाज़ पढ़ती है, दान देती है, रोज़ा रखती है परंतु अपनी जुबान से अपने पड़ोसी को कष्ट देती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: वह जहन्नम में जाएगी, (फिर उस व्यक्ति ने) कहा: अमुक स्त्री के बारे में कहा जाता है कि वह कम रोज़ा रखती है, दान देती है, नमाज़ पढ़ती है, वह पनीर के कुछ टुकड़े सदका करती है, तथा अपनी जुबान से अपने पड़ोसी को कष्ट नहीं देती है, कहा गया: वह जन्नत में जाएगी”।⁽³⁾ तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की एक हदीस में है: “अल्लाह की क़सम! वह मोमिन नहीं,

⁽¹⁾ मज्मउज़्जवाइद व मम्बउल फ़वाइद, नूरुद्दीन हैसमी (१/ १६४)।

⁽²⁾ सहीह बुखारी (१/ ४९) संख्या (८९)।

⁽³⁾ अहमद (२/ ४४०)।

अल्लाह की क्रसम! वह मोमिन नहीं, अल्लाह की क्रसम! वह मोमिन नहीं, कहा गया: कौन हे अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया: जिसके पड़ोसी उसकी यातनाओं से सुरक्षित न हों”।⁽¹⁾ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस आदमी के ईमान का इन्कार कर दिया है जिसकी यातना से उसके पड़ोसी सुरक्षित न हों, तथा यह अतिशयोक्ति पड़ोसी के अधिकारों को स्पष्ट करती है, और यह बताती है कि पड़ोसी को पीड़ा देना गुनाह -ए- कबीरा (महा पाप) है।⁽²⁾

इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ईमान का एक अंग यह बताया है कि पड़ोसी को पीड़ा न दी जाए, चुनाँचे आपने फ़रमाया: “जो अल्लाह पर एवं आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वह अपने पड़ोसी को पीड़ा न दे”।⁽³⁾

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ओर से आने वाला यह मार्गदर्शन बताता है कि पड़ोसी को पीड़ा न देना वाजिब (अनिवार्य) है तथा उसका अधिकार उच्च श्रेणी का है, और पड़ोस के प्रति इस्लामी नैतिकता को अपनाना जन्नत का मार्ग प्रशस्त करता है, तथा समाज एवं सामाजिक संस्थाओं के ऊपर अनिवार्य है कि वह किशोरों एवं किशोरियों के अंदर इस शिष्टाचार को बढ़ावा देने पर कार्य करें।

३- पड़ोसी के कष्ट को नजरअंदाज करना, उनकी ओर से मिलने वाली पीड़ा को सह लेना, तथा जहाँ उन को आवश्यकता हो वहाँ उनके साथ खड़ा होना, छोटी-छोटी बातों में भी उनका सहयोग करना, जैसे अपनी दीवार में काँटी ठोकने से उसे न रोकना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है: “कोई पड़ोसी अपने पड़ोसी को दीवार में कील ठोकने से न रोके”।⁽⁴⁾

यह हदीस पड़ोस के उच्च अधिकार को दर्शाती है, तथा उनके संग शिष्टाचार अपनाने की प्रधानता को बताती है, और ऐसा करने से कम उम्र बच्चों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है और पड़ोसी पर इसका जो अच्छा प्रभाव पड़ता है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए।

पड़ोस के अधिकारों में से केवल यही नहीं है कि पड़ोसी को कष्ट न दिया जाए, बल्कि उनसे मिलने वाले कष्ट को झेला भी जाए, उनसे स्नेह रखा जाए, सलाम करने में पहल की जाए, जब वह बीमार पड़े तो उसका हाल-चाल पूछने जाया जाए, उस पर कोई विपत्ती आए तो उसको तसल्ली दे, उसकी खुशी में उसको मुबारकबाद दे, उससे कोई भूल-चूक हो तो नजरअंदाज करे,

⁽¹⁾ सहीह बुखारी (४/ ९४) संख्या (६०१६) तथा उपरोक्त शब्द उन्ही के द्वारा वर्णित हैं, व मुस्लिम (१/ ६८) संख्या (७३/ ४६)।

⁽²⁾ फ़तुह बारी, लेखक: इब्ने हजर (१०/ ४४२)।

⁽³⁾ सहीह बुखारी (४/ ९४) संख्या (६०१८), व मुस्लिम (१/ ६८) संख्या (७४/ ४७)।

⁽⁴⁾ सहीह बुखारी (२/ १९५) संख्या (२४६३), व मुस्लिम (३/ १२३०) संख्या (१३६/ १६०९) तथा उपरोक्त शब्द उन्ही के द्वारा वर्णित हैं।

उसके घरों में न झांके, उसकी दीवार पर लकड़ी रख कर उसको तंग न करे, उसके परनाला पर पानी न गिराए, उसके आंगन में कूड़ा करकट न डाले, उसके पीछे अपनी निगाह न लगाए रखे, तथा उसकी पर्दा वाली कोई चीज़ उसको दिखाई दे तो उस पर पर्दा डाल दे, उसकी बातों को कान लगा कर सुनने का प्रयास न करे, और यदि वह अनुपस्थित हो तो उसके परिवार वालों का ध्या रखे।⁽¹⁾

४- उपहार इत्यादि देने के द्वारा पड़ोसी का ध्यान रखना: घर में पकने वाले भोजन इत्यादि को उपहार स्वरूप देकर उनका ध्यान रखे क्योंकि इससे प्रेम बढ़ता है, हानि एवं नुकसान दूर होता है “पड़ोसी कभी-कभी अपने पड़ोसी की हांडी से उठने वाली महक से भी पीड़ा का अनुभव करता है, क्योंकि हो सकता है उसके पास बच्चे हों और महक के कारण उनकी भूख जाग उठे जिससे घर के अभिभावक को कष्ट एवं तकलीफ का सामना करना पड़े, विशेष रूप से तब जब घर का अभिभावक आर्थिक रूप से कमजोर हो अथवा वह विधवा महिला हो, तो ऐसे समय में कष्ट और बढ़ जाता है तथा हसरत एवं दर्द बढ़ा हो जाता है”।⁽²⁾ आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पड़ोसी का ध्यान रखने का आदेश देते हुए अबू ज़र्र रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा था: “हे अबू ज़र्र! जब तुम भोजन पकाओ तो शोरबा का पानी बढ़ा दो तथा अपने पड़ोसी का ध्यान रखो”।⁽³⁾

“पड़ोसी के अधिकारों का निर्वहन करना कमाल -ए- ईमान (ईमान की पूर्णता) में से है, जाहिलियत युग के लोग भी इसका निर्वहन किया करते थे, तथा ऐसा करने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वसीयत का पालन भी होता है, क्षमता अनुसार उन पर उपकार करना, जैसे सलाम करना, प्रसन्नचित्त हो कर मिलना, उनका हाल-चाल पूछना, उनकी आवश्यकताओं में उनका सहयोग करना इत्यादि, तथा उनसे कष्ट दूर करने के विभिन्न प्रकार हैं चाहे वह दृश्य हो अथवा अदृश्य”।⁽⁴⁾

तथा पड़ोस का अधिकार निकटवर्तियों के लिए होगा, चुनाँचे आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से वर्णित है, वह कहती हैं: “मैंने कहा: हे अल्लाह के रसूल! मेरे दो पड़ोसी हैं, मैं उन में से किसे उपहार भेजूँ? तो आपने फ़रमाया: उन में से जिसका द्वार तुम्हारे घर के अधिक निकट हो”।⁽⁵⁾, मुसलमान किसी भी प्रकार का भोजन पड़ोसी को देने को तुच्छ न समझे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “हे मुसलमान महिलाओं! कोई पड़ोसिन अपनी

(1) मुख्तस़र मिन्हाजुल क़ासिदीन, लेखक: इब्ने कुदामा मक़दिसी, पृष्ठ (११६)।

(2) अल् ज़ामेअ लि अहक़ामिल कुरआन, लेखक: कुर्तुबी (५/ १२१)।

(3) मुस्लिम (४/२०२५) संख्या (१४२/ २६२५)।

(4) फ़तहूल बारी, लेखक: इब्ने हज़र (१०/ ४४२)।

(5) सहीह बुख़ारी (२/ १२९) संख्या (२२५९)।

पड़ोसन को कुछ देने को तुच्छ न समझे यद्यपि बकरी का खुर ही क्यों न हो”।⁽¹⁾ इब्ने हजर रहिमहुल्लाह कहते हैं: “अर्थात् अपनी पड़ोसन को कोई उपहार देना तुच्छ न समझे चाहे ऐसी चीज़ ही क्यों न उपहार में दे जिस से सामान्यतः कोई लाभ नहीं उठाया जाता, इससे अभिप्राय यह है कि पड़ोसी से प्रेम एवं स्नेह रखे, मानो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा है कि: पड़ोसन अपनी दूसरी पड़ोसन को कोई छोटी सी चीज़ उपहार देने के द्वारा ही सही परंतु अपने स्नेह को दर्शाए, तथा इस विषय में धनवान एवं निर्धन दोनों समान हो जाते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने विशेष रूप से महिलाओं को इसलिए संबोधित किया है क्योंकि वही राग एवं द्वेष का सबसे बड़ा माध्यम होती हैं”।⁽²⁾

परिवार के लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों का लालन-पालन इसी पर करें कि उनके पास जो भोजन अथवा फल इत्यादि हो उसको पड़ोसी के यहाँ भिजवाए ताकि बच्चे भी यह उच्च नैतिकता धारण करें।

उपहार देना प्रेम बढ़ाने के कारणों में से है, क्योंकि यह स्नेह उत्पन्न करता है, द्वेष एवं कपट को पड़ोसियों के बीच से दूर करता है ऐसा करना उच्च नैतिकता, अच्छी प्रकृति एवं प्रशंसनीय आदत में से है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “एक दूसरे को उपहार दिया करो तुम एक दूसरे से प्रेम करने लगोगे”।⁽³⁾ तथा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं: “मैंने कहा: हे अल्लाह के रसूल! मेरे दो पड़ोसी हैं, मैं उन में से किसे उपहार भेजूँ? तो आपने फ़रमाया: उन में से जिसका द्वार तुम्हारे घर के अधिक निकट हो”।⁽⁴⁾

इस प्रकार की हदीसों का वर्णन करने, किसी के घर में प्रवेश करने के पूर्व अनुमति लेने एवं पड़ोसियों को कष्ट न देने, उनके भेदों एवं पर्दा की चीज़ों पर ताक-झांक न करने इत्यादि आदेशों के द्वारा समाज के लोगों का अच्छा प्रशिक्षण किया जाए, इसी प्रकार से उनके पास जो हो उसकी लालच न रखे, उनके बारे में जो देखे उसकी सूचना दूसरों को न दे, तथा उनको समझाया जाए कि उनके बारे में देखी गई अथवा सुनी गई बातों को दूसरों को बताना उनको कष्ट देने का एक रूप है, इसी प्रकार से मातृ-पिता को भी चाहिए कि वह अपने बच्चों से अपने पड़ोसियों के बारे में पूछताछ न किया करें, जैसे कोई अपने बच्चे से पूछे: आज वो लोग क्या कर रहे थे? या तुमने उनको क्या बात करते हुए सुना? अथवा क्या तुमने उनके पास कोई चीज़

(1) सहीह बुखारी (४/ ९४) संख्या (६०१७), व मुस्लिम (२/ ७१४) संख्या (९०/ १०३०)।

(2) फ़तुल बारी, लेखक: इब्ने हजर (१०/ ४४५)।

(3) अबू यअला (११/ ९) संख्या (६१४८), अल् अदाब अल् मुफ़रद, लेखक: बुखारी, संख्या (५९४), अल्लामा अलबानी ने कहा है कि: यह हदीस हसन सहीह है, देखें: सहीहुल जामेअ अस् सगीर, संख्या (३००४), तथा अल् इरवा, संख्या (१६०१)।

(4) इस हदीस का हवाला पीछे दिया जा चुका है।

देखी है? क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न करना बच्चों को इस बात के लिए जिज्ञासु बनाता है कि वह इस तरह की बातों के पीछे लगे रहें, और पूछने से पहले ही वह अपने माता-पिता को उनके बारे में सूचना दे दें।

बुरी नैतिक परवरिश जिससे बहुतेरे परिवार वाले लोग परेशान हैं उनमें से एक बच्चों के अंदर आक्रामक व्यवहार का पनपना है कि वह पड़ोस के बच्चों से इंतकाम लेते हैं अथवा उन पर प्रभुत्व पाने का प्रयास करते हैं⁽¹⁾

इस्लामी नैतिक प्रशिक्षण की मांग है कि बच्चों को पड़ोसी के अधिकार की शिक्षा दी जाए, उनके परिवार, सम्मान एवं धन में हस्तक्षेप न करे, तथा अपने पड़ोस के लोगों से अपनी निगाह नीची रखे, उनके दोषों पर पर्दा रखे, उनकी कमियों को नजरअंदाज करे, एवं इसी प्रकार के अन्य इस्लामी नैतिकता अपने बच्चों को सिखाए।

षष्ठः नैतिक प्रधानता एवं फ़ज़ीलतः

- हया (लज्जा):

हया का शब्दकोषीय अर्थ: हया का अर्थ है: तौबा एवं शिष्टता, तथा हया का एक अर्थ है: लज्जा करना⁽²⁾ और राग़िब अस्फ़हानी कहते हैं: बुराई से आत्मा के घृणा करने को हया कहा जाता है⁽³⁾

हया का पारिभाषिक अर्थ: इस से अभिप्राय है “वह चरित्र जो व्यक्ति को बुराई से बचने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा हानिकारक कार्यों में लापरवाही बरतने से रोकता है”⁽⁴⁾

हया (लज्जा) के दो प्रकार हैं: नैसर्गिक, जो मनुष्य के अंदर जन्मजात होता है, और दूसरा है अर्जित किया हुआ जिसे मनुष्य अर्जित करता है, या तो नसीहत एवं प्रशिक्षण के द्वारा, अथवा मेल जोल के कारण बुराई से घृणा स्वयं उसके अंदर उत्पन्न हो जाए और अच्छाई से प्रेम पनप जाए, या फिर लज्जाहीनता एवं किसी वस्तु को हलाल समझने के कारण मिलने वाले दण्ड के भय से उसके अंदर यह गुण आ जाए। इब्ने मुफ़्लिह कहते हैं: “अनेक लोगों ने कहा है कि हया (लज्जा) जन्मजात होती है तथा अर्जित भी की जाती है जिस प्रकार से नेकी के दूसरे कार्य अर्जित किए जाते हैं, कभी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति भी होती है, तथा शरीअत के अनुसार

(1) अल् मुर्शिद फ़ी इल्मिन्नफ़िस अल् इज्तेमाई, लेखक: अब्दुल हमीद हाशमी, पृष्ठ (३०८)।

(2) लिसानुल अरब, लेखक: इब्ने मन्ज़ूर (१४/ २१७)।

(3) अल् मुफ़दात फ़ी ग़रीबिल कुरआन, लेखक: अस्फ़हानी, पृष्ठ (१४०)।

(4) सुबुलुस्सलाम, लेखक: सन्आनी (४/ १६०६)।

इसको प्रयोग करने के लिए अर्जित करने एवं नियत करने की ज़रूरत होती है”।⁽¹⁾ इसी तरह की बातों की ओर इब्ने रजब रहिमहुल्लाह ने भी अपने इस कथन के द्वारा इशारा किया है: हया के दो प्रकार हैं: एक वह जो नैसर्गिक एवं जन्मजात होती है जिसे कमाया नहीं जाता, तथा यह उस नैतिकता के कारण है जो अल्लाह ने अपने बंदों को प्रदान किया है तथा उसकी फितरत में यह बात रख दी है, और दूसरा: जो अर्जित की जाती है, जैसे अल्लाह को पहचानना, उसकी महानता का एहसास करना, तथा बंदों से अल्लाह का नैकट्य, बंदों के बारे में अल्लाह का जानना, और आँखों की ख्यानत एवं सीने में छिप्त भेदों से उसका अवगत होना, यह ईमान की सर्वोच्च विशेषताओं में से है, बल्कि यह एहसान की सर्वोच्च श्रेणियों में से है⁽²⁾, क्योंकि इसके धारक ने इसे अल्लाह के आज्ञापालन एवं प्रेम के कारण अर्जित किया होता है, उन्हीं में से एक निष्ठापूर्वक अल्लाह से लज्जा करना भी है, क्योंकि यह ईमान के मूलाधार में से है, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है: “ईमान की सत्तर से अधिक अथवा साठ से अधिक शाखाएं हैं, इसकी सर्वोच्च शाखा “ला इलाहा इल्लल्लाह” कहना है तथा सबसे निचली श्रेणी यह है कि मार्ग से कष्टदायक वस्तुओं को हटा दिया जाए, और हया (लज्जा) भी ईमान की एक शाखा है”।⁽³⁾

अतः अर्जित की जाने वाली लज्जा शैक्षणिक प्रयास की मोहताज है इसके साथ-साथ अल्लाह की निगरानी का भी ध्यान होना चाहिए ताकि वह इस बात से लज्जा अनुभव करे कि अल्लाह तआला उसको पाप करते हुए देखे, इसी कारणवश हया को “शरीअत के अनुसार होने के लिए अर्जित करने, ज्ञान सीखने एवं नियत की ज़रूरत है, इसी वजह से यह ईमान का एक अंग है”।⁽⁴⁾

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सर्वाधिक लज्जावान व्यक्ति थे एवं उनकी नैतिकता सर्वोच्च थी, यहाँ तक कि अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं: “नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर्दा में रहने वाली कुंवारी युवती से भी अधिक लज्जावान थे, आप यदि कोई ऐसी चीज़ देखते जो आपको अप्रिय होती तो हम उस अप्रियता को आपके चेहरे पर पहचान लेते”।⁽⁵⁾

(1) अल् आदाब अश् शरइय्यह, लेखक: इब्ने मुफ़्लिह (२/ २२६-२२७)।

(2) जामेउल उलूमि वल् हिकम, लेखक: इब्ने रजब, पृष्ठ: (१९०)।

(3) सहीह बुखारी (१/ २०) संख्या (९), व मुस्लिम (१/ ६३) संख्या (५८/ ३५) तथा उपरोक्त शब्द इन्हीं के द्वारा वर्णित हैं।

(4) सुबुलुससलाम, लेखक: सन्आनी (४/ १६०६)।

(5) सहीह बुखारी (४/ ११०) संख्या (६१०२) तथा उपरोक्त शब्द इन्हीं के द्वारा वर्णित हैं, व मुस्लिम (४/ १८०९-१८१०) संख्या (५८/ ३५)

हया (लज्जा) का गुण महान गुण है तथा आचरण पर इसका प्रभाव भी बड़ा अधिक होता है, क्योंकि इसका दायरा मानव जीवन के सभी क्षेत्रों तक फैला हुआ है, उसके घर, उसके खानदान, उसके कार्य, उसके बाजार तथा उसके साथियों सभी तक फैला हुआ है, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हया को पूरी तरह से खैर (भलाई) ही बताया है, चुनाँचे आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “हया पूर्णरूपेण भलाई ही भलाई है”⁽¹⁾ हया की एक खूबी यह भी है कि यह अल्लाह को प्रिय है, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “अल्लाह तआला अत्यंत लज्जावान पर्दा करने वाला है, वह लज्जा एवं पर्दा करने के पसंद करता है, अतः तुम में से जब कोई स्नान करे तो पर्दा करे”⁽²⁾ हया मनुष्य को भलाई के कार्य करने को प्रेरित करती है तथा यह कल्याण लेकर आती है।

कुछ लोग हया का गलत अर्थ निकालते हैं क्योंकि हक बात बोलने से लजाने एवं बुराई करने से किसी को रोकने में शर्म महसूस करने को वह हया समझते हैं, जबकि यह कायरता एवं बुराई का द्वार खोलने वाला है, जबकि हया खैर व भलाई के एवं जन्नत में प्रवेश के द्वार खोलती है, शर्म यदि उस दर्जा को पहुँच जाए कि बुराई करने से रोकने एवं हक बात बोलने में आदमी झिझक महसूस करने लगे तो यह हया नहीं है, बल्कि यह कमी, कमजोरी, डर एवं कायरता है “इसी कारण से खजालत (संकोच) निंदनीय है क्योंकि यह सीमा से बढ़ जाना है, यह वजह है कि प्राचीन बुद्धिजीवियों ने कहा है कि संकोच कमजोरी को दर्शाता है, तथा यह कभी-कभी जीविका में कमी का कारण बनता है, इसीलिए वे कहते थे (हया (संकोच) रिज़क में कमी का कारण है) तथा अनुचित स्थान पर हया करना कमजोरी है”⁽³⁾ अल्लामा सन्आनी रहिमहुल्लाह कहते हैं: “यदि आप कहें कि हया कभी-कभी लज्जावान व्यक्ति को बुराई का इन्कार करने से रोक देती है तो पता होना चाहिए कि यह वाजिब कार्य में कमी को दर्शाता है, अतः इस से इस बात पर कोई अंतर नहीं पड़ता है कि हया भलाई लेकर ही आती है, सन्आनी कहते हैं: इसका एक उत्तर यह भी दिया जा सकता है कि हदीस में हया से अभिप्राय शर्ई हया है तथा ऐसा संकोच जो किसी वाजिब कार्य के करने से रोकने का कारण बने वह शर्ई हया नहीं है, बल्कि वह विवशता एवं अपमान है, तथा उसको हया इस कारण कहते हैं क्योंकि वह शर्ई हया के समान होती है”⁽⁴⁾, अतः कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हया में नहीं गिना जा सकता जैसे हक बोलने से चुप रहना, तथा संकोच की एक खराबी यह भी है कि यह संकोची व्यक्ति को विद्या सीखने

(1) मुस्लिम (१/ ६४) संख्या (६७/ २३२०)।

(2) अबू दावूद (४/ ३०२) संख्या (४०१२) तथा उपरोक्त शब्द उन्ही के द्वारा वर्णित हैं, नसई (१/ २००) संख्या (४०६) व संख्या (४०७), अहमद (४/ २२४), तथा अलबानी रहिमहुल्लाह ने इस हदीस को सही कहा है, देखें: सहीहुल जामेअ अस् सगीर (१/ ३६१) संख्या (१७५६)।

(3) अल् अख्लाकु फ़िल इस्लाम, लेखक: अब्दुल्लतीफ़ अल् अब्द, पृष्ठ (१६६)।

(4) सुबुलुस्सलाम, लेखक: सन्आनी (४/ १६०६)।

एवं धार्मिक ज्ञान अर्जित करने से रोक देता है। मुजाहिद रहिमहुल्लाह कहते हैं: (संकोच करने वाला एवं अहंकार करने वाला दोनों ही ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता)⁽¹⁾ इसी वजह से अन्सार की महिलाएं जिस चीज को सीखना उनके लिए अनिवार्य था उसको सीखने में संकोच से काम नहीं लेती थीं तथा आइशा रजियल्लाहु अन्हा ने इसीलिए उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था: “सबसे उत्तम महिलाएं अन्सार की महिलाएं हैं, हया उनको धार्मिक ज्ञान अर्जित करने से नहीं रोकती है”⁽²⁾

अतः मानवता की भलाई दिलों में अल्लाह का डर एवं भय उत्पन्न करने में निहित है, और इस बात से लजाने में है कि अल्लाह तआला उसको ऐसा कार्य करते हुए देखे अथवा बोलते हुए सुने जिसे वह पसंद नहीं करता है, जुन्नून मिसरी ने कहा है: “हया दिल में भय की उपस्थिति के साथ-साथ अल्लाह के पास आप जो भेज रहे हैं उससे डर का नाम है”⁽³⁾

अतः हया आदमी को बुरा करार्य करने अथवा बुरी बात बोलने से रोकती है, जिस (अल्लाह) से हया की जानी चाहिए उससे हया करते हुए, तथा मनुष्य को सर्वाधिक जिससे हया करनी चाहिए वह अल्लाह ही है, जिसने मनुष्य को उत्पन्न किया है तथा वह उस पर एहसान करता है।

- स़ब्र (धैर्य):

स़ब्र का शब्दकोषीय अर्थ: स़ब्र अर्थात् धैर्य, जज़्अ अर्थात् अधीरता का विलोम है, तथा स़ब्र का अर्थ है अपने आपको चीख-पुकार से रोक कर रखना, तथा तसब्बुर का अर्थ है: स़ब्र करने का दिखावा करना⁽⁴⁾

स़ब्र का पारिभाषिक अर्थ: “यह आत्मा का एक सद्गुण है, जिसके द्वारा व्यक्ति वह करने से बचता है जो अच्छा या सुंदर नहीं है, और यह आत्मा की शक्तियों में से एक है जिसके माध्यम से उसकी स्थिति अच्छी होती है और उसके मामले स्थापित होते हैं”⁽⁵⁾ उमर बिन उस्मान मक्की कहते हैं: “स़ब्र कहते हैं अल्लाह के साथ दृढ़ता रखने को एवं उसकी ओर से उतरने वाली विपत्ति को स्वीकार करने को”⁽⁶⁾

(1) स़हीह बुखारी (१/ ६३)।

(2) स़हीह बुखारी (१/ ६३), व मुस्लिम (१/ २६१) संख्या (६१/ ३३२) तथा उपरोक्त शब्द उन्ही के हैं।

(3) मदारिजुस्सालिकीन, लेखक: इब्नुल कैयिम (२/ २७०)।

(4) लिसानुल अरब, लेखक: इब्ने मन्ज़ूर (४/ ४३८-४३९)।

(5) उद्दतुस्साबिरीन, इब्नुल कैयिम, पृष्ठ (१६)।

(6) उद्दतुस्साबिरीन, इब्नुल कैयिम, पृष्ठ (१७)।

सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह ने ऐसे सत्र करने वालों की प्रशंसा की है जो मुसीबत को झेलते हैं, गुस्सा पी जाते हैं एवं अपने आपको चीख-पुकार से रोकते हैं, और कोई मुसीबत आने पर यह दुआ पढ़ते हैं: इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजेऊन (हम अल्लाह ही के लिए हैं तथा हमें उसी की ओर लौटना है), अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَٰئِكَ

عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾﴾ البقرة: १०० - १०७

अनुवाद: (और धैर्यवानों को शुभ समाचार सुना दो। जिन पर कोई आपदा आ पड़े तो कहते हैं कि हम अल्लाह के हैं और हमें उसी के पास फिर कर जाना है। इन्हीं पर उनके पालनहार की कृपाएं तथा दया हैं और यही सीधी राह पाने वाले हैं)। सूरह बक्ररह: १५५-१५७।

इसी प्रकार से अल्लाह तआला ने सत्र करने, धैर्य रखने का अभ्यस्त होने एवं यदि कोई अप्रिय चीज़ देखे तो उस पर चीख-पुकार न करने का आदेश दिया है, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

﴿٢٠﴾﴾ [سورة آل عمران: २००]

अनुवाद: (हे ईमान वालो! तुम धैर्य रखो और एक दूसरे को थामे रखो और जिहाद के लिए तैयार रहो, तथा अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम अपने उद्देश्य को पहुँचो)। सूरह आले इमरान: २००।

हसन बसरी रहिमहुल्लाह कहते हैं: “उन्हें इस बात का आदेश दिया गया कि उस धर्म पर सत्र करें जिसे अल्लाह ने उनके लिए चुना है जोकि इस्लाम धर्म है, तथा किसी सुख-दुख एवं समृद्धि तथा निर्धनता किसी भी स्थिति में इस्लाम धर्म को न छोड़ें, यहाँ तक कि मुस्लिम हो कर ही मरें, तथा अपने शत्रुओं से मिलने वाले कष्ट पर धैर्य रखें, और इसी तरह की बात सलफ (सदाचारी पूर्वजों) में से अनेक विद्वानों ने कही है”^(१)

अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ

عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [سورة الكهف: २८]

(१) तफ्सीरुल कुरआनिल अज़ीम, लेखक: इब्ने कसीर (१/ ४५४)।

अनुवाद: (और आप उनके साथ रहें जो अपने पालनहार की प्रातः-संध्या बंदगी करते हैं वे उसकी प्रसन्नता चाहते हैं और आप की आँखें सांसारिक जीवन की शोभा के लिए उन से न फिरने पाएं)। सूरह कहफ़: २८।

सब्र सफलता एवं कामयाबी के द्वार खोलता है, सब्र नैतिक प्रधानता की धुरी है, क्योंकि समस्त प्रधानताएं स्थिर रहने में इसी पर आधारित होती हैं, सब्र के निम्नांकित पाँच प्रकार हैं^(१):

१- वाजिब सब्र: तथा इसके तीन भेद हैं: पहला: अवैध कार्यों के न करने पर सब्र करना, दूसरा: अनिवार्य कार्यों को अंजाम देने पर सब्र करना, तथा तीसरा: विपदा पर सब्र करना।

२- मुस्तहब सब्र: यह अप्रिय कार्यों के न करने पर सब्र करना है, तथा मुस्तहब कार्यों के करने पर सब्र करना है, एवं किसी ने यदि किसी को दुख पहुँचाया हो तो उसके साथ वैसा न करने पर सब्र करना है।

३- वर्जित सब्र: इससे अभिप्राय यह है कि आदमी ऐसी चीज़ों पर सब्र करे जिस से उसका मर जाना निश्चित हो, जैसे दरिंदों के सामने, साँप के सामने, आग के सामने, पानी के सामने सब्र करते हुए बढ़ जाना, अथवा खाने-पीने से रुक जाने पर सब्र करना यहाँ तक कि वह मर जाए।

४- मकरूह सब्र: जैसे मुस्तहब कार्य न करने और अप्रिय अंजाम देने पर सब्र करना।

५- मुबाह सब्र: इससे अभिप्राय हर वह सब्र है जो ऐसे कार्य में हो जिसको करना अथवा न करना दोनों बराबर है।

सब्र उत्तम सद्गुण है जो इससे अलंकृत होगा वह सौभाग्य के मार्ग का राही होगा तथा जो उसको छोड़ेगा वह अभागा होने की ओर कदम बढ़ाएगा, क्योंकि अपराध एवं समस्त प्रकार के बुरे कार्यों का कारण उससे सब्र न कर पाना है, इसीलिए जो अल्लाह के आज्ञापालन वाले कार्यों पर सब्र करे उसे अल्लाह की सहायता मिलती है, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है: “जो सब्र करेगा अल्लाह उसे और अधिक सब्र प्रदान करेगा, किसी को भी सब्र से बढ़ कर उत्तम एवं बेहतर वस्तु कोई और नहीं दी गई”।^(२)

सब्र से सुशोभित होना दृढ़ता में से है, जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [سورة الشورى: ४३]

^(१) उद्दतुस्साबरीन, इब्नुल कैयिम, पृष्ठ (३१-३३)।

^(२) सहीह बुखारी (१/ ४५५) संख्या (१४६९), व मुस्लिम (२/ ७२९) संख्या (१२४/ १०५३)।

अनुवाद: (और जो सहन करे तथा क्षमा कर दे तो यह निश्चय बड़े साहस का कार्य है)। सूरह शूरा: ४३। तथा अल्लाह तआला ने नेक कार्य करने के साथ-साथ स्रब्र करने पर पाप क्षमा करने एवं महा पुण्य देने का वादा किया है, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [سورة هود: ११]

अनुवाद: (परंतु जिन्होंने धैर्य धारण किया और सुकर्म किए तो उन के लिए क्षमा और बड़ा प्रतिफल है)। सूरह हूद: ११।

तथा स्रब्र करने वालों के साथ अल्लाह की मइय्यत (साथ) होती है, जैसाकि सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह फ़रमाता है:

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [سورة الأنفال: ६६]

अनुवाद: (तथा अल्लाह और उस के रसूल के आज्ञाकारी रहो, और आपस में विवाद न करो, अन्यथा तुम कमजोर हो जाओगे, और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तथा धैर्य से काम लो, वास्तव में अल्लाह धैर्यवानों के साथ है)। सूरह अन्फ़ाल: ४६।

फ़रिश्ते अल्लाह तआला के आज्ञापालन करने पर स्रब्र करने वालों को क्रयामत के दिन जब वह स्वर्ग में प्रवेश कर रहे होंगे तो सलाम करेंगे, जैसाकि अल्लाह तआला का कथन है:

﴿سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [سورة الرعد: २६]

अनुवाद: (-वे कहेंगे- तुम पर शांति हो, उस धैर्य के कारण जो तुम ने किया, तो क्या ही अच्छा है, यह परलोक का घर)। सूरह रअद: २४।

अर्थात् तुम्हारे स्रब्र करने के कारण जिसने तुम्हें उच्च स्थान एवं बहुमूल्य जन्नत तक पहुँचाया है, अल्लाह तआला की ओर से तुम्हारे लिए सलाम एवं अभिवादन वैध हो गया है।^(१)

स्रब्र करने पर वह महान फल प्राप्त होता है जिसका वर्णन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किया है, जैसाकि अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है वह कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फ़रमाते हुए सुना: “जब किसी बंदे को उसकी दो प्रिय वस्तुओं (अर्थात् आँख) के द्वारा आजमाया जाता है और वह उस पर स्रब्र करता है तो अल्लाह तआला उसके बदले उसे स्वर्ग में स्थान देता है, तथा प्रियतम वस्तु से अभिप्राय दो

(१) तैसीरुल् करीमिर् रहमान फ़ी तफ़सीरि कलामिल मन्नान, लेखक: सअदी (२/ ४६९)।

आँखें हैं”⁽¹⁾ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की एक हदीस है: “जब किसी बंदे की कोई संतान मर जाती है तो अल्लाह तआला फ़रिश्तों से कहता है: क्या तुमने मेरे बंदे के बालक की आत्मा निकाल ली? वो कहते हैं: हाँ, अल्लाह कहता है: क्या तुमने उसके दिल के टुकड़े की आत्मा निकाल ली है? वो कहते हैं कि: हाँ, तो अल्लाह कहता है: मेरे बंदे ने क्या कहा? फ़रिश्ते उत्तर देते हुए कहते हैं कि: उसने तेरी प्रशंसा की एवं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजेऊन (हम अल्लाह ही के लिए हैं तथा हमें उसी की ओर लौटना है) कहा, तो अल्लाह कहता है: मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक घर तैयार करो तथा उसका नाम बैतुल हम्द (प्रशंसा का घर) रखो”⁽²⁾ और यदि वह सन्न न करे और चीख-पुकार करने लगे तो पुण्य छूट जाता है, जबकि अल्लाह ने जो आदेश पारित कर दिया है वह उस पर हर हाल में लागू होना है, अब जो उस आदेश पर सन्न कर ले उसके लिए महा पुण्य है, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ [سورة فصلت: ३०]

अनुवाद: (और यह गुण उन्हीं को प्राप्त होता है जो सहन करें तथा उन्हीं को होता है जो बड़े भाग्यशाली हों)। सूरह फुस्सिलत: ३५।

एक अन्य स्थान पर सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन है:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ﴾ [سورة القصص: २०]

अनुवाद: (तथा उन्होंने कहा जिन को ज्ञान दिया गया: तुम्हारा बुरा हो, अल्लाह का प्रतिकार उस के लिए उत्तम है जो ईमान लाए तथा सदाचार करे, और यह सोच धैर्यवानों ही को मिलती है)। सूरह क़सस: ८०। तथा सन्न का विलोम जज़अ (अधीरता) है, यह निंदनीय अवगुण है जो क्रोध एवं गुस्सा को बढ़ाता है, जब यह आदमी पर सवार हो जाता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि उसकी बातों में कठोरता आ जाती है, आदमी बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता है “क्योंकि अधीरता (अल्लाह आपको इससे बचाए) निंदनीय अवगुण है, जो आदमी को कमजोर करती है, बोलने को उकसाती है एवं शरीअत के विरुद्ध कार्य करने का कारण बनती है”⁽³⁾

(1) सहीह बुखारी (४/ २५) संख्या (५६५३)।

(2) तिर्मिज़ी (३/ ३४९) संख्या (१०२९) तथा उपरोक्त शब्द उन्हीं के द्वारा वर्णित हैं, अहमद (४/ ४१५), तथा अलबानी ने इस हदीस को हसन सहीह कहा है, देखें: सहीहुल जामेअ अस् सगीर (१/ १९९) संख्या (७९५)।

(3) अल् खुलुक अल् कामिल, लेखक: मुहम्मद अहमद जाद अल् मौला (४/ २८५)।

सब्र नैतिक अवगुण नहीं है यद्यपि इसका अर्थ यह है कि जिस चीज़ को दूर करना संभव हो उसको मान लेना “यह गलत धारणा है एवं व्यर्थ भ्रम है, क्योंकि सब्र जिस प्रकार से पाप न करने पर अपने इंद्रिय को रोक कर रखना है तथा अधिकांशतः यह सकारात्मक प्रयास के रूप में होता है”⁽¹⁾, अतः अपने आपको उन चीज़ों से रोक कर रखना जिससे लोक परलोक में हानि पहुँचने का भय हो, सब्र कहलाता है।

- सिद्क (सच्चाई):

सिद्क का शब्दकोषीय अर्थ: सिद्क अर्थात् सच्चाई, किज़्ब अर्थात् झूठ का विलोम है।⁽²⁾

सिद्क का पारिभाषिक अर्थ: जैसा घटित हुआ हो बिल्कुल उसी के समान सूचना देने को सिद्क कहा जाता है।⁽³⁾

तथा सिद्क की परिभाषा में यह भी कहा गया है: इससे अभिप्राय है कि आदमी का भीतर एवं बाहर दोनों एक समान हो।⁽⁴⁾

उपरोक्त बातों से स्पष्ट हुआ कि सिद्क कहते हैं: प्रत्येक उस कथन अथवा कर्म अथवा आस्था को जो वास्तविकता के अनुसार हो।

सिद्क अर्थात् सच्चाई उच्च नैतिक सद्गुणों में से है जिस से अंबिया अलैहिमुस्सलाम विशेषित थे जिनकी प्रशंसा अल्लाह तआला ने पवित्र कुरआन में की है, चुनाँचे सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह फ़रमाता है:

﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ [سورة مريم: ٤١]

अनुवाद: (और आप इस पुस्तक में इब्राहीम की चर्चा करें, वास्तव में वह सच्चा रसूल एवं नबी था)। सूरह मर्यम: ४१।

तथा अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ [سورة مريم: ٥٦]

(1) मौसूअतु अखलाकिल कुरआन, लेखक: अहमद शिरबासी (१/ १९४)।

(2) अल् कामूस अल् मुहीत, लेखक: फैरोजाबादी (३/ २५२)।

(3) अल् अखलाक़ फ़िल इस्लाम, लेखक: अब्दुल्लतीफ़ मुहम्मद अल् अब्द, पृष्ठ (१७०)।

(4) मदारिजुस्सालिकीन, लेखक: इब्नुल कैयिम (२/ २८५)।

अनुवाद: (तथा इस पुस्तक में इद्रीस की चर्चा करो, वास्तव में वह सत्यवादी नबी था)।
सूरह मर्यम: ५६।

तथा अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا﴾ [سورة مريم: ५६]

अनुवाद: (तथा इस पुस्तक में इस्माईल की चर्चा करो, वास्तव में वह वचन का पक्का,
तथा रसूल व नबी था)। सूरह मर्यम: ५४।

तथा अल्लाह तआला ने हमें सच बोलने का आदेश दिया है, अतः फ़रमाता है:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [سورة التوبة: ११९]

अनुवाद: (हे ईमान वालो! अल्लाह से डरो तथा सच्चों के साथ हो जाओ)। सूरह तौबा:
११९।

“अर्थात सच बोलो एवं सच्चाई को लाज़िम पकड़ो सत्यवादियों में से हो जाओगे तथा विनाश से बच जाओगे, तथा वह तुम्हारे लिए बचने की राह निकाल देगा”^(१), सच्चाई भलाई एवं मुक्ति का मार्ग है, सौभाग्यशालिता का कारण है, जबकि झूठ विनाश एवं बर्बादी का सबब है, तथा “लोग हानि में इसलिए पड़ते हैं क्योंकि वह इस मूल स्पष्ट बात को भूल जाते हैं तथा यह उसे झूठ, भ्रम एवं अनैतिकता में डाल देता है, उन्हें सीधे मार्ग से दूर कर देता है और उनको उस वास्तविकता से परे धकेल देता है जिसका पालन करना अनिवार्य है”^(२), अर्थात वह झूठ जिसके सहारे वह आस्था, वाक्य एवं व्यवहार में जी रहे हैं, इसके कारण वह संसार में अलग-थलग कर दिए जाते हैं, इसीलिए सत्य, सर्वोत्तम प्रवेश करने एवं बाहर निकलने का स्थान है, तथा अल्लाह तआला ने अपने रसूल को इसके बारे में मांगने का आदेश दिया है, फ़रमाया:

﴿وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيرًا﴾ [سورة الإسراء: ८०]

अनुवाद: (और प्रार्थना करें कि मेरे पालनहार! मुझे प्रवेश दे सत्य के साथ, और निकाल सत्य के साथ, तथा मेरे लिए अपनी ओर से सहायक प्रभुत्व बना दे)। सूरह बनी इस्राईल: ८०।

सच्चाई जिस प्रकार से बातों में होती है उसी प्रकार से कार्य एवं आस्था में भी होनी चाहिए तथा विभिन्न परिस्थितियों में भी इसका पालन करना चाहिए “कथन में सच्चा होने का

(१) तफ़सीरुल कुरआनिल अज़ीम, लेखक: इब्ने कसीर (२/ ४१४)।

(२) खुलुकुल् मुस्लिम, मुहम्मद ग़ज़ाली, पृष्ठ (३५)।

अर्थ है: आदमी जुबान का वैसे ही सीधा हो जैसे बाली अपने तने पर सीधी खड़ी होती है, और स्थितियों में सच्चे होने का अर्थ है: दिल एवं शारीरिक अंगों वाले कार्यों का इखलास (निष्ठा) में बराबर होना, तथा सामर्थ्य भर इसके लिए प्रयास करना, और ऐसा करने के द्वारा बंदा उन लोगों में से हो जाएगा जो सत्यवादिता का पालन करते हैं⁽¹⁾

जहाँ तक ईमानदारी के कारणों की बात है, तो उन कारणों में बुद्धि, धर्म, शिष्टता एवं प्रशंसा की चाह शामिल है:

- **बुद्धि:** इसलिए, क्योंकि यह बुराई से घृणा करती है, विशेष रूप से तब जब उसमें कोई लाभ न हो, और वह किसी बुराई को दूर नहीं कर रही हो, अक़ल और बुद्धि अच्छी चीज़ को अपनाने के लिए प्रेरित करती है तथा बुरी चीज़ से दूर रहने को प्रोत्साहित करती है।

- **धर्म:** इसलिए, क्योंकि शरीअत ने हर हाल में झूठ बोलने से रोका है यद्यपि झूठ बोलने से लाभ ही क्यों न होता है अथवा कोई हानि दूर होती हो, बुद्धि उस चीज़ से रोकती है जो लाभ न दिलाती हो अथवा हानि दूर न करती हो, तथा शरीअत ने बुद्धि के इस रोक पर एक और चीज़ की वृद्धि कर दी है।

- **मुरौवत (उदारता, भलमनसाहत):** क्योंकि यह लोगों को झूठ बोलने से रोकती है जो सच बोलने पर उभारती है।

- **प्रशंसा की चाह:** प्रशंसा की चाह एवं स्वयं को सत्यवादी प्रसिद्ध करने की भूख भी लोगों को झूठ बोलने से रोकती है, क्योंकि वह इस बात से भयभीत होता है कि कहीं वह लोगों के बीच झूठा न माना जाने लगे।⁽²⁾

किंतु मन की ईमानदारी, शिष्टता, और प्रशंसा की चाह तभी तक है जब तक उन्हें धर्म की ईमानदारी का समर्थन नहीं मिलता है, जब आदमी झूठ बोलने में अपना लाभ देखता है तो सच नहीं बोलता है, अतः सत्यवादिता का पालन कराने का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत धर्म हैं, तथा सच्चाई ईमान की शक्ति का प्रतीक है, कुछ विद्वानों का कहना है: “किसी व्यक्ति को उस समय तक बुद्धिमान नहीं समझा जाएगा जब तक उसके अंदर तीन चीज़ें पूर्ण न हों: क्रोध एवं प्रसन्नता दोनों ही स्थितियों में स्वयं का अधिकार अदा करना, तथा दूसरों के लिए वही पसंद करना जो अपने लिए पसंद करे और जाग जाने के बाद उसकी गलती नजर न आए, तथा अबुल् अताहियह कहते हैं: जो कोई सत्य से संकुचित हो जाता है उसका धर्म संकुचित हो जाता है”⁽³⁾ इन विशेषताओं से वही विशेषित होगा जिसका ईमान ठोस होगा, क्योंकि जो अपना अधिकार अदा

⁽¹⁾ मदारिजुस्सालिकीन, लेखक: इब्नु कैयिमिल जौज़िय्यह (२/ २८१)।

⁽²⁾ अदबुदुनिया वदीन, लेखक: मावदी, पृष्ठ (२६२-२६३)। संक्षिप्त रूप में।

⁽³⁾ अल् आदाब अल् शरईय्यह, लेखक: इब्ने मुफ़्लिह (१/ ४१)।

करना जानता हो वह क्रोध की स्थिति में भी अपना लाभ साधने के लिए अत्याचार करने एवं झूठ बोलने से दूर रहेगा, और जो दूसरों के लिए भी वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है, तो ऐसा व्यक्ति दृढ़ ईमान वाला है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है: “तुम में से कोई उस समय तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वह अपने भाई के लिए वही न पसंद करे जो वह अपने लिए पसंद करता है”⁽¹⁾, और जाग जाने के बाद जिसकी गलती नजर न आए तो यह वह व्यक्ति है जिसने अपनी आत्मा के ऊपर अल्लाह को निरीक्षक बना लिया है अतः वह इस बात से लज्जा अनुभव करता है कि अल्लाह तआला उसे कोई बुराई करते हुए देखे, तथा इन सभी का प्रेरणास्रोत अल्लाह के साथ सच्चा रहना है।

सच्चाई और ईमानदारी का पालन करने की मानव समाज की आवश्यकता की पुष्टि इस बात से भी होती है कि सामाजिक संबंधों एवं मानवीय लेन-देन का एक बड़ा हिस्सा शब्दों की ईमानदारी और कर्मों की ईमानदारी पर निर्भर होती है, क्योंकि लोगों के इरादों को उनके ईमानदाराना रवैया एवं स्पष्ट नियत के द्वारा ही जाना जा सकता है, यदि शब्दों की ईमानदारी पर भरोसा न होता तो लोगों के बीच अधिकांश सामाजिक बंधन बिखर जाते⁽²⁾, तथा यह प्रशिक्षण के कार्य को महत्वपूर्ण एवं कठिन बनाता है, क्योंकि इसी के द्वारा बच्चों के मन में इस वाजिब एवं नैतिकता का महत्व बैठाया जाता है, और इस का सर्वोत्तम तरीका यह है कि बच्चों के मन में इस नैतिकता के प्रति ठोस इच्छाशक्ति पैदा की जाए, क्योंकि “सच्चाई का पालन करना ऐसा कार्य है जिसके लिए ठोस इरादे, दृढ़ निश्चय एवं मजबूत ईमान की ज़रूरत है”⁽³⁾, और यह इरादा प्रशिक्षकों के मन में उस बदला का उल्लेख कर के और ठोस किया जा सकता जो मरणोपरांत सच बोलने वाले लोगों को मिलेगा, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है: “सच्चाई का पालन करते रहो क्योंकि यह नेकी का मार्ग प्रशस्त करती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, और आदमी बराबर सच बोलता रहता है और सच की खोज में रहता है यहाँ तक कि वह अल्लाह के निकट सच्चा लिख दिया जाता है, तथा झूठ से बचो क्योंकि झूठ बुराई का मार्ग प्रशस्त करती है और बुराई जहन्नम की तरफ ले जाती है, और आदमी बराबर झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के निकट झूठा लिख दिया जाता है”⁽⁴⁾ अल्लामा सन्‌आनी ने उपरोक्त हदीस से प्रशिक्षण क्षेत्र में एक लाभ का उल्लेख करते हुए कहा है: “प्रशिक्षण एवं अधिग्रहण के द्वारा भलाई एवं बुराई की विशेषता आदमी के अंदर

(1) सहीह बुखारी (१/ २१) संख्या (१३), व मुस्लिम (१/ ६७) संख्या (७१/ ४५)।

(2) अल् अखलाक अल् इस्लामियह व उसुसुहा, लेखक: अब्दुर्रहमान हबन्नकह मैदानी (१/ १०)।

(3) मौसूअतु अखलाकिल कुरआन, लेखक: अहमद शरबासी (१/ ४९)।

(4) सहीह बुखारी (४/ १०९) संख्या (६०९४), व मुस्लिम (४/ २०१२-२५१३) संख्या (१०५/ २६०७) तथा उपरोक्त शब्द उन्हीं के द्वारा वर्णित हैं।

निरंतर बनी रहती है”⁽¹⁾ अतः परिवार एवं प्रशिक्षण संस्थानों की यह जिम्मेदारी है कि वह प्रशिक्षुओं के अंदर, सच बोलने का पुण्य तथा झूठ बोलने का दण्ड बताने के द्वारा, इस महान नैतिकता का बीज बोएं।

- तवाज़ुअ (विनम्रता):

तवाज़ुअ का शब्दकोषीय अर्थ: “तवाज़ुअ झुकने एवं विनम्रता धारण करने को कहते हैं, जब (आदमी ने तवाज़ुअ अपनाया) कहा जाता है तो इसका अर्थ होता है कि उसने नम्रता का प्रदर्शन किया, और जब कहा जाता है (तवाज़ुअतिल् अर्जु) तो इसका अर्थ होता है कि वह अपने आस-पास की धरती से नीचे हो गई”⁽²⁾

तवाज़ुअ का पारिभाषिक अर्थ: “इससे अभिप्राय है विनम्रता धारण करना एवं अहंकार से दूर रहना”⁽³⁾ तथा इसकी एक परिभाषा यह भी की गई है: “तवाज़ुअ का अर्थ है बंदा हक और सत्य के सामने झुक जाए”⁽⁴⁾ तथा यह भी कहा गया है: “तवाज़ुअ अहंकार न करने का नाम है”⁽⁵⁾

तवाज़ुअ अर्थात् विनम्रता जन्मजात गुण है, जिसको अल्लामा इब्नु कैयिमिल जौज़िय्यह ने तीन भागों में विभाजित किया है:

प्रथम: धर्म के लिए विनम्रता अपनाना: तथा इससे अभिप्राय है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जो धर्म लेकर आए हैं उसके सामने झुक जाना, उसको स्वीकार कर लेना, तथा तीन कार्यों के द्वारा इसके आगे आत्मसमर्पण कर देना:

१- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जिस धर्म को लेकर आए हैं किसी विरोधी कार्य के द्वार इसका विरोध न करे।

२- धर्म के साक्ष्यों पर इस तरह से आरोप नहीं लगाए कि वह यह समझे कि यह अपने अर्थ में भ्रष्ट है, अपने अर्थ में अपूर्ण या अधूरा है, या इससे अधिक उत्तम कोई और चीज़ है।

३- कुरआन एवं हदीस की दलीलों के विरुद्ध किसी भी रूप में कोई मार्ग न अपनाए, न दिखा कर, न छिपा कर, न ज़बान से और न कार्य से।

(1) सुबुलुस्सलाम, लेखक: सन्आनी (४/ १६०३)।

(2) लिसानुल अरब, लेखक: इब्ने मन्ज़ूर (८/ ३९७)।

(3) मौसूअतु अखलाकिल कुरआन, लेखक: अहमद शरबासी (१/ ६८)।

(4) मदारिजुस् सालिकीन, लेखक: इब्नुल कैयिम (२/ ३४६)।

(5) सुबुलुस् सलाम, लेखक: सन्आनी (४/ १६०९)।

द्वितीय: अल्लाह ने अपने लिए तुम्हारे मुसलमान भाई को बंदा बना लिया है अतः तुम भी उसे अपना भाई समझो।

तृतीय: हक एवं सत्य के सामने झुक जाओ, अतः हक सामने देख कर अपने विचार एवं राय से रुक जाओ।⁽¹⁾

तवाज़ुअ अपनाने का सबसे उत्तम स्थान अल्लाह की उपासना एवं अल्लाह से भय और अल्लाह से प्रेम करने में है, अतः अल्लाह के आदेशों के सामने झुक जाए और आत्मसमर्पण कर दे तथा जिन कार्यों से अल्लाह ने रोका है उनसे रुक जाए एवं अपने मुसलमान भाई के प्रति विनम्रता धारण करे परंतु स्वयं को अपमानित न होने दे, क्योंकि “तवाज़ुअ अर्थात् विनम्रता की एक निश्चित सीमा है यदि उस सीमा को पार कर जाए तो यह अपमान बन जाता है तथा यदि उस सीमा से पीछे रह जाए तो यह अहंकार एवं घमण्ड बन जाता है”⁽²⁾, तवाज़ुअ (विनम्रता) की परिभाषा अपमान के रूप में करना गलत है, इसी प्रकार से अत्याचारियों एवं उद्दंडों के सामने शांत रहना तवाज़ुअ नहीं है, क्योंकि तवाज़ुअ का संबंध क्षमतावान होने, चयन करने का अधिकार रखने एवं हक को बुलंद करने से है “तवाज़ुअ उसी समय तवाज़ुअ माना जाएगा जब मनुष्य के अंदर उस कार्य को करने की क्षमता हो और वह इसके बावजूद उसे न करे, किंतु यदि कोई आदमी भय से, अथवा अपनी इच्छा से या डर से किसी के सामने झुका रहे तो यह तवाज़ुअ नहीं माना जाएगा”⁽³⁾, “तथा निंदनीय तवाज़ुअ यह है कि मनुष्य किसी धनवान के सामने उसके धन की वजह से विनम्रता धारण करे”⁽⁴⁾

जहाँ तक वांछनीय तवाज़ुअ की बात है तो यह फकीरों और निर्धनों के साथ बैठने, रोगियों का हाल-चाल पूछने एवं दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लगे रहना है यद्यपि वो लोग उस से कम दर्जे के हों, तथा उस व्यक्ति से भेंट करने के लिए जाना जो उसी के समान हो अथवा उस से कमतर हो, फकीर, मिस्कीन, छोटे एवं बड़े से प्रसन्नचित्त हो कर मिलना, तथा जो आयु एवं ज्ञान के आधार पर बड़ा हो उनको चलने में, अंदर जाने में, बाहर निकलने में एवं सवारी पर सवार होने में वरीयता देना, इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं: “तवाज़ुअ (विनम्रता) में से है: परिषद् के सम्मान से कम पर संतोष करना तथा जिससे भी भेंट हो उसे सलाम करना”। सुलैमान बिन दावूद अलैहिस्सलाम बनी इस्राईल की सभा में सबसे निचले स्थान पर बैठते थे और कहते थे कि इन मिस्कीनों के बीच ही मैं भी एक मिस्कीन हूँ⁽⁵⁾, तथा

(1) मदारिजुस् सालिकीन, लेखक: इब्नुल कैयिम (२/ ३४७-३५१)।

(2) अल् फ़वाइद, लेखक: इब्नुल कैयिम, पृष्ठ (१५८)।

(3) मौसूअतु अखलाक़िल कुरआन, लेखक: अहमद शरबासी (१/ ७५)।

(4) ग़िज़ाउल अलबाब, लेखक: सफ़ारीनी (२/ २३२)।

(5) पिछला संदर्भ (२/ २३१)।

अज्ञानी को ज्ञान सिखाने के लिए शीलता का प्रदर्शन करना और मुस्लिमों के प्रति अपने आपको विनीत रखना एवं उनके संग कठोरता न अपनाना भी तवाज़ुअ में से है।

तवाज़ुअ अर्थात् विनम्रता उच्चतम रसूलों की विशेषता है, तथा इस विषय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को आदर्श मानते हुए उनका अनुसरण किया जाना चाहिए, अल्लाह तआला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहता है:

﴿وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة الشعراء: २१०]

अनुवाद: (और झुका दें अपना बाहु उसके लिए जो आप का अनुयायी हो ईमान वालों में से)। सूरह शुअरा: २१५।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इसका उत्तम उदाहरण थे यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने आपके बारे में फ़रमाया:

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [سورة آل عمران: १०९]

अनुवाद: (अल्लाह की दया के कारण ही आप उन के लिए कोमल (सुशील) हो गए, और यदि आप अक्खड़ तथा कड़े दिल के होते, तो वह आप के पास से बिखर जाते, अतः उन्हें क्षमा कर दो और उन के लिए क्षमा की प्रार्थना करो, तथा उन से भी मामले में परामर्श करो, फिर जब कोई दृढ़ संकल्प ले लो तो अल्लाह पर भरोसा करो, निस्संदेह अल्लाह भरोसा रखने वालों से प्रेम करता है)। सूरह आले इमरान: १५९।

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुगंधित जीवनी एवं पवित्र सुन्नत, तवाज़ुअ अर्थात् विनम्रता धारण करने को प्रेरित करती है, क्योंकि समस्त संसार का रसूल होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं: “हे लोगो! अल्लाह का भय अपनाओ तथा शैतान तुम्हें बहका न दे, मैं मुहम्मद पुत्र अब्दुल्लाह हूँ, अल्लाह का भक्त एवं उसका रसूल हूँ, अल्लाह की क्रसम, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे उस स्थान से ऊपर उठा दो जिस स्थान पर अल्लाह ने मुझे उतारा है”।^(१)

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “तुम लोग मेरे संबंध में उस अतिशयोक्ति का शिकार न हो जाना जिस अतिशयोक्ति के शिकार इब्ने मर्यम (ईसा

^(१) अहमद (३/ १५३-२४१), तथा अल्लामा अलबानी ने कहा है कि: यह हदीस इमाम मुस्लिम की शर्त के अनुसार सहीह है, देखें: अस् सिलसिलह अस् सहीहह, संख्या (१५७२)।

अलैहिस्सलाम) के बारे में नसारा (ईसाई) हो गए थे, मैं उसका बंदा हूँ अतः तुम लोग मुझे अल्लाह का बंदा एवं उसका रसूल कहो”।⁽¹⁾

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तवाजुअ का एक उदाहरण यह है कि आप रोगियों का हाल-चाल पूछने के लिए जाया करते थे, उनको तसल्ली देते और उनके ऊपर अपना स्नेह बरसाते जिस से उसका दुख कम हो जाता, चुनाँचे सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं: “अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हज्जतुल् वदाअ के साल मेरी तकलीफ के कारण मेरी अयादत (हाल-चाल पूछने) के लिए आया करते थे”।⁽²⁾

यदि कोई आदमी अपनी विनम्रता की मात्रा को जानना चाहता है तो उसके लिए एक विश्वसनीय मापक का होना आवश्यक है जिस पर वह अपनी विनम्रता की मात्रा एवं श्रेणी को माप सके, और इसके लिए सबसे उत्तम मापदंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अखलाक, शिष्टाचार एवं विनम्रता है जिनको अल्लाह तआला ने हमारे लिए उच्चतम आदर्श करार दिया है, जैसाकि अल्लाह का कथन है:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ

كَثِيرًا ۖ﴾ ﴿الأحزاب: २१﴾

अनुवाद: (तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में उत्तम आदर्श है, उसके लिए जो आशा रखता हो अल्लाह और अंतिम दिन (प्रलय) की, तथा याद करे अल्लाह को अत्याधिक)। सूरह अहज़ाब: २१।

तवाजुअ एवं विनम्रता धारण करने का तरीका यह है कि आदमी अपने अंत एवं आरंभ के बारे में सदा सोच-विचार करता रहे, तवाजुअ धारण करने वालों के गुणों को देखे, तथा ऐसे लोगों को जो दूसरों से प्रशंसा प्राप्त होती है, और विनम्रता धारण करने वालों के लिए, जो धरती में फसाद नहीं फैलाते और न ही अकड़ कर चलते हैं, अल्लाह के पास जो पुण्य एवं बदला है उसके बारे में चिंतन करे, “दो आदमी अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गर्व करने लगे, तो अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा: क्या तुम लोग पुरानी हड्डियों पर गर्व कर रहे हो, यदि तुम्हारे पास कोई कर्म है तो तुम्हारा मूल है, यदि तुम दोनों के पास नैतिकता है तो सम्मान है तथा यदि तुम दोनों के पास अल्लाह का तक्रवा है तो तुम्हारे लिए शराफत है, अन्यथा गधा भी तुम से अच्छा है, और तुम दोनों किसी से अच्छे नहीं हो”।⁽³⁾

⁽¹⁾ सहीह बुखारी (२/ ४८९-४९०) संख्या (३४४५)।

⁽²⁾ सहीह बुखारी (१/ ३९९) संख्या (१२९५)।

⁽³⁾ अल् आदाब अश् शरइय्यह, लेखक: इब्ने मुफ्लिह (२/ २१०)।

तवाज़ुअ एवं विनम्रता धारण करने के तरीकों में से यह भी है कि मनुष्य निरंतर इस सोच को अपने मन में रखे कि इस धरती पर जो भी वस्तु है वह अंततः समाप्त हो जाने वाली है तथा समस्त संसार के पालनहार अल्लाह के सिवा कुछ भी बाकी नहीं रहने वाला है, जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۖ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [سورة الرحمن: २६-२७]

अनुवाद: (प्रत्येक जो धरती पर हैं नाशावन हैं। तथा शेष रह जाएगा आप के प्रतापी सम्मानित पालनहार का मुख (अस्तित्व))। सूरह रहमान: २६-२७। अतः अंजाम से अवगत रहना एवं बराबर उसको याद करते रहना मनुष्य को विनम्रता धारण करने को प्रेरित करता है, यदि कोई धन पर अहंकार कर रहा है तो एक दिन इस धन को समाप्त हो जाना है, यदि कोई अपने स्वास्थ्य पर गर्व कर रहा है तो एक दिन इसे मिट्टी में मिल जाना है, और यदि कोई अपनी नौकरी पर घमण्ड दिखा रहा है तो यह अगली नस्लों के लिए है, अतः सम्मान विनम्रता धारण करने में है, इब्ने मुबारक रहिमहुल्लाह कहते हैं: “कहा जाता था: मालादारी आत्मा में है, सम्मान तक्रवा अपनाने में है तथा उच्चता विनम्रता धारण करने में है”^(१)

तवाज़ुअ एवं विनम्रता धारण करने के तरीकों में से एक यह भी है कि अज्ञानियों से दूरी अपनाने एवं चलने-फिरने के संबंध में अल्लाह तआला ने विनम्रता धारण करने वालों की जो विशेषता बताई है उसको याद रखे:

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [سورة الفرقان: ६३]

अनुवाद: (और अति दयावान (अल्लाह) के भक्त वो हैं जो धरती पर नम्रता से चलते हैं और अशिक्षित (अकखड़) लोग उन से बात करते हैं तो सलाम कर के अलग हो जाते हैं)। सूरह फ़ुक्कान: ६३।

यह अल्लाह के मोमिन बंदों की विशेषता है कि वो अहंकार एवं घमण्ड करते हुए धरती पर नहीं चलते हैं, और इसका यह अर्थ भी नहीं है कि वह पाखण्ड एवं दिखावा करते हुए धरती पर रोगियों के समान चलते हैं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब ज़मीन पर चलते तो लगता था कि आप ऊँचाई से उतर रहे हैं और मानो धरती आप के लिए लपेट दी गई है, कुछ सलफ ने दिखावा वाली एवं रोगियों जैसी चाल चलने से रोका है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के विषय में वर्णित है कि उन्होंने एक युवक को रुक-रुक कर चलते हुए देखा तो पूछा: तुम्हें

(१) अल् आदाब अश् शरइय्यह, लेखक: इब्ने मुफ़्लिह (२/ २३१)।

क्या हुआ है, क्या तुम बीमार हो? कहा: नहीं, हे मोमिनों के खलीफ़ा, तो आपने उनके ऊपर कोड़ा उठा लिया और उसे शांति एवं सुकून के साथ सामान्य चाल चलने को कहा।⁽¹⁾

तवाज़ुअ एवं विनम्रता धारण करने के तरीकों में से एक यह भी है कि वह अल्लाह के फ़ज़ल एवं उसने धरती में फ़साद एवं उद्वेग़ न करने वालों के लिए जो पुरस्कार तैयार कर रखा है उसको याद रखे, जैसाकि अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعِصَّةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾

[سورة القصص: ८३]

अनुवाद: (यह परलोक का घर (स्वर्ग) है हम उसे विशेष कर देंगे उन के लिए जो नहीं चाहते बड़ाई करना धरती में और न उपद्रव करना, तथा अच्छा परिणाम आज्ञाकारियों के लिए है)। सूरह क़सस: ८३।

इन बातों को याद रखना तथा निरंतर इनके बारे में सोचते रहना दिल में विनम्रता के द्वार खोलता है तथा विनम्रता धारण करने से प्रेम के बीज बोता है।

- रिफ़क़ (मृदुलता, कोमलता) एवं रहमत (दया):

रहमत का शाब्दिक अर्थ: यह नम्रता एवं कोमलता को कहते हैं, तथा रहमत का एक अर्थ मरफ़िरत अर्थात् क्षमा कर देना भी है।⁽²⁾

रिफ़क़: उन्फ़ अर्थात् कठोरता का विलोम है।⁽³⁾

रहमत का पारिभाषिक अर्थ: रहमत हृदय की कोमलता को कहते हैं जो इंद्रिय को पहुँचने वाले दर्द का अनुभव करता है, अथवा किसी दूसरे व्यक्ति के दुःख की परिकल्पना करता है, या इंद्रिय को जो प्रसन्नता प्राप्त होती है उसका अनुभव करता है अथवा दूसरे व्यक्ति को प्राप्त होने वाली प्रसन्नता की परिकल्पना करता है।⁽⁴⁾

रहमत का रिफ़क़ के साथ ऐसा गठजोड़ है जिसको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है “जो दूसरों के प्रति रहमत (दया) का भाव रखेगा वह उसके मामले में रफ़ीक़ (स्नेही) भी होगा, क्योंकि उसकी दया उसे उसके संग स्नेह रखने को प्रेरित करेगी”।⁽⁵⁾

(1) तफ़सीरुल क़ुरआनिल् अज़ीम, लेखक: इब्ने कसीर (३/ ३३६-३३७)।

(2) लिसानुल अरब, लेखक: इब्ने मन्ज़ूर (१२/ २३०)।

(3) पिछला संदर्भ (१०/ ११८)।

(4) अल् अख़लाक़ अल् इस्लामिय्यह व उसुसुहा, लेखक: अब्दुर्हमान हबन्नकह मैदानी (२/ ५)।

(5) पिछला संदर्भ (२/ ३१५)।

उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि करुणा प्रबल भावनाओं और आंतरिक भावनात्मक भावना से आती है, यदि यह हृदय में उत्पन्न होती है, तो व्यक्ति के व्यवहार में भावनात्मक भागीदारी के लिए बातचीत और मनोवैज्ञानिक आकर्षण के रूप में प्रतिक्रिया प्रकट होती है, इसलिए दया और करुणा व्यवहार में नजर आती है। रागिब अस्फ़हानी कहते हैं: “दया एक कोमलता है जिसके लिए जिस पर दया की जा रही है उस के प्रति दयालुता की आवश्यकता होती है, और इसका उपयोग कभी-कभी अमूर्त कोमलता में और कभी-कभी कोमलता से रहित दयालुता में किया जा सकता है, जैसे: रहिमल्लाहु फ़ुलानन (अल्लाह अमुक पर दया करे)”⁽¹⁾, अर्थात: यदि यह व्यवहार में परिवर्तित हो जाती है, तो यह दयालुता है, और यदि यह केवल महसूस करने तक ही सीमित है और यह सकारात्मक व्यवहार के साथ नहीं है, तो यह केवल भावनात्मक करुणा है।

रिफ़क़ का स्रोत रहमत है, तथा आदमी उसी समय रफ़ीक़ (मृदुल) होगा जब उसके अंदर रहमत (दया) होगी, अतः रहमत ही वह स्रोत है जो मनुष्य को सहयोग करने एवं एक दूसरे का ध्यान रखने को प्रेरित करती है “यह एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्तियों को एकजुट करती है, उन्हें उनके झुकाव और उद्देश्यों में एकजुट परिवार बनाती है”⁽²⁾, “यह व्यक्ति को सृष्टि के दर्द के प्रति करुणा का अनुभव कराती है, उसे दूर करने का प्रयास करती है, अपनी गलतियों के लिए खेद महसूस कराती है और उनके लिए मार्गदर्शन की कामना करती है।”⁽³⁾, वह उनके प्रति अपनी चिंता से उपजे ईमानदार रवैया के द्वारा ऐसा करना चाहता है।

रहमत (दया) अल्लाह तआला की विशेषताओं (सिफ़ात) में से एक विशेषता है, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [سورة الأعراف: ١٥٦]

अनुवाद: (मेरे रहमत ने समस्त वस्तुओं को ढाँप रखा है)। सूरह आराफ़: १५६।

तथा अल्लाह तआला कथन है:

﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [سورة الأحزاب: ६३]

अनुवाद: (वह मोमिनों के प्रति रहीम (दयालु) है)। सूरह अहज़ाब: ४३।

(1) अल् मुफ़दात फ़ी ग़रीबिल् कुरआन, लेखक: रागिब अस्फ़हानी, पृष्ठ (१९१)।

(2) अल् खुलुक़ अल् कामिल, लेखक: मुहम्मद अहमद जाद अल् मौला (४/ २७३)।

(3) खुलुक़ुल मुस्लिम, लेखक: मुहम्मद ग़ज़ाली, पृष्ठ (२१६)।

मोमिनों के प्रति अल्लाह तआला की यह दया लोक परलोक दोनों स्थान पर है, “लोक में इस प्रकार से कि वह उन्हें उस सही मार्ग की ओर मार्गदर्शन देता है जिससे दूसरे लोग अंजान हैं तथा उन्हें वह रास्ता दिखाता है जिससे दूसरे लोग भटके हुए हैं, जहाँ तक परलोक में उनकी दया की बात है तो यह उनको बड़ी घबराहट से मुक्ति दे कर तथा उन्हें जन्नत में प्रवेश दिलाने के द्वारा होगा”⁽¹⁾

इस उच्च नैतिक गुण से अलंकृत लोगों की अल्लाह तआला ने प्रशंसा की है, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन है:

﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝ اُولَٰئِكَ اُحِبُّوا الْمَيِّمَةَ

[سورة البلد: १७-१८]

अनुवाद: (फिर वह उन लोगों में होता है जो ईमान लाए, और जिन्होंने धैर्य (सहनशीलता) एवं उपकार के आदेश दिए। यही लोग सौभाग्यशाली (दाएं हाथ वाले) हैं)। सूरह बलद: १७-१८। अर्थात् लोगों को यह उपदेश देते रहते हैं कि ज़रूरतमंदों को दो, अज्ञानियों को सिखाओ, और उन्हें जिस प्रकार की भी आवश्यकता हो वे उनका हर संभव सहायता करें, धार्मिक एवं सांसारिक मसलहतों पर उनका सहयोग करें, तथा उनके लिए वह चीजें अप्रिय समझें जो अपने लिए अप्रिय समझता है, तो यही उस घाटी में घुसना है जिसका उल्लेख सूरह बलद में किया गया है।⁽²⁾

लोगों के प्रति दयालुता वह नैतिक व्यवहार है जो किसी व्यक्ति में करुणा की गहराई को प्रकट करता है, और यह लोगों के बीच प्यार और सहानुभूति का सच्चा अनुवाद है यदि वह किसी को गरीबी और अभाव से पीड़ित देखता है, तो उसका दिल उसके लिए कोमल होता है तथा उस पर दया करता है, और जो कुछ भी वह कर सकता है, उसकी स्थिति को देखते हुए उसकी सहायता करता है, और यदि वह किसी पथभ्रष्ट व्यक्ति को देखता है, तो उसका दिल उसकी स्थिति के लिए कोमल होता है, इसलिए उसे सलाह देता है और उसे बचाने के लिए धर्म के मार्ग पर मार्गदर्शन करता है, ताकि वह विनाश की जिस खाई में गिरने जा रहा है उस से बच जाए, तथा यह सब केवल इसलिए है कि वह उसकी स्थिति को देख कर उस पर दया करता है।

दया की स्थिति लोगों की दया के अर्थ की समझ और उनकी भावनाओं के अनुसार अलग-अलग होती है। कुछ लोगों का मानना है कि दया उन लोगों के लिए है जिन्हें वे प्यार करते हैं, जैसे बच्चों और रिश्तेदारों के लिए, न कि दूसरों के लिए जो दया और कृपा के पात्र हैं,

(1) अल् अक्रीदा अल् वासतिव्यह लि शैखिल् इस्लाम इब्ने तैमिय्यह, लेखक: सलालेह अल् फ़ौज़ान, पृष्ठ (४७)।

(2) तैसीरुल करीमिर् रहमान फ़ी तफ़सीरे कलामिल मन्नान, लेखक: अब्दुर्हमान सअदी (५/ ४१८-४१९)।

अतः ऐसे लोग उनके दर्द और दुखों में बिल्कुल भी भावनात्मक भागीदारी नहीं करते, और यह कुछ लोगों के बीच कबीले, जनजाति और शहर तक विस्तारित हो सकती है, तथा कुछ लोगों के लिए यह दया और करुणा प्रत्येक जीवित प्राणी तक विस्तारित हो सकती है।⁽¹⁾ “मनुष्य का स्वार्थ के संकीर्ण दायरे से निकलकर एक व्यापक और अधिक व्यापक दायरे की ओर जाना, और मनुष्य का अपने प्रति प्रेम के ढांचे से निकलकर केवल उन लोगों के प्रति प्रेम करना जो अधिक व्यापक दायरे में हैं, एक महान नैतिक उन्नति है”।⁽²⁾

दया के दायरे का व्यापक रूप आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अखलाक (नैतिकता) में देख सकते हैं, चाहे वह आपके उपदेश हों, या नसीहत हो, अथवा अपने समुदाय की ओर से मिलने वाले कष्टों पर सब्र करना हो, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह ने आपको रहमत (दया) की विशेषता से विशेषित किया है, फ़रमाया:

﴿فَمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِنَّ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾
[सूरा आल عمران: १०९]

अनुवाद: (अल्लाह की दया के कारण ही आप उन के लिए कोमल (सुशील) हो गए, और यदि आप अक्खड़ तथा कड़े दिल के होते, तो वह आप के पास से बिखर जाते, अतः उन्हें क्षमा कर दो और उन के लिए क्षमा की प्रार्थना करो, तथा उन से भी मामले में परामर्श करो, फिर जब कोई दृढ़ संकल्प ले लो तो अल्लाह पर भरोसा करो, निस्संदेह अल्लाह भरोसा रखने वालों से प्रेम करता है)। सूरह आले इमरान: १५९।

इसी कारण हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों में विशेष रूप से इसके लिए प्रेरित किया गया है, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है: “जो लोगों पर दया नहीं करता उस पर अल्लाह भी दया नहीं करता”।⁽³⁾ तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “रिफ़क़ (नम्रता) जिस चीज़ में भी होगी वह उसे सुंदर बना देगी तथा जिस चीज़ से भी निकाल ली जायेगी वह उसे कुरूप कर देगी”।⁽⁴⁾

दया के समस्त अर्थों को दर्शाने वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का एक व्यवहार यह भी है कि आप बच्चों से स्नेह रखते थे, उनको स्वयं से चिमटा लेते, गोद में लेते,

(1) अल् अखलाक अल् इस्लामियह व उसुसुहा, लेखक: अब्दुर्रहमान हबन्नकह मैदानी (२/ ६-७)।

(2) पिछला संदर्भ (२/ २४९)।

(3) सहीह बुखारी (४/ ३७४) संख्या (७३७६), व मुस्लिम (४/ १८०९) संख्या (६६/ २३१९) तथा उपरोक्त शब्द इन्ही के द्वारा वर्णित हैं।

(4) सहीह मुस्लिम (४/ २००४) संख्या (७८/ २५९४)।

ऐसा करने से बच्चों के मन में भी नम्रता, दयालुता एवं स्नेह का बीज अपना स्थान बना लेता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं: “नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हसन बिन अली का चुंबन लिया तथा वहीं पर अकरअ बिन हाबिस बैठे हुए थे, उन्होंने कहा: मेरे पास दस संतान है, मैंने आज तक उन में से किसी का भी चुंबन नहीं लिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनकी ओर देखा फिर फ़रमाया: जो दूसरों पर दया नहीं करता उस पर भी दया नहीं की जाती”⁽¹⁾ यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का शैक्षणिक एवं व्यवहारिक मार्गदर्शन है जो बच्चों के प्रति स्नेह एवं प्रेम को दर्शाता है, परंतु कुछ कठोर हृदय लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के दुख से तनिक भी प्रभावित नहीं होते, कमजोर की कमजोरी, रोगी का दर्द, व्योवृद्ध का बुढ़ापा, छोटों की विवशता एवं भिखारियों एवं निर्धनों का जरूरतमंद होना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। कठोर हृदय होना मनुष्य के नैतिकता की एक बड़ी कमी है⁽²⁾। कुछ लोग यह समझते हैं कि तरबियत के क्षेत्र में दया का प्रदर्शन कमी का घोटक है, बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कठोर हृदयी ही प्रसिद्ध हैं। ध्यान रहे तरबियत के क्षेत्र में कठोरता यदि अपने उचित स्थान में हो तो वास्तव में यह प्रशिक्षु के प्रति दया ही है, “जो लोग बच्चों को डराने के खिलाफ सलाह देते हैं, वही लोग यह कहते हुए पाए जाते हैं कि उन्हें प्राकृतिक भय से अवगत कराना आवश्यक है ताकि लड़का शक्तिशाली, मजबूत इरादों वाला हो और खतरों का सामना करने और कठिनाइयों का मुकाबला करने की ईमानदार इच्छा रखने वाला बने”⁽³⁾।

इसी कारणवश शरीअत के आदेशानुसार चोर का हाथ काटना उसके साथ रहमत (दया) करना है ताकि वह भविष्य में किसी दूसरे का धन चोरी कर के पापी न बने, और शरीअत के आदेशानुसार क्रिसास (बदला) लेने में भी उस व्यक्ति के साथ दया करना है ताकि भविष्य में फिर इस तरह का मामला कर के वह अपने पाप को और अधिक न बढ़ा ले, साथ ही साथ यह समाज के लिए भी दया है, और उस व्यक्ति के साथ भी दया है जो दूसरों को हानि पहुँचाने का इरादा अपने मन में रखे हुआ हो, किंतु जब वह इस तरह से दण्ड दिए जाते हुए देखता है तो उस इरादा पर अमल करने से रुक जाता है, “रहमत अर्थात् दया कठोर हृदय निर्दयी के लिए नहीं है, दूसरे शब्दों में कहें तो: रहमत के साथ रहमत की शर्त है, यहाँ तक कि हमारा नैतिक अंतर्मन भी किसी निर्दयी के साथ दया करने को नहीं कहता है”⁽⁴⁾, दुष्टों, महा पाप करने वालों एवं सत्य से दुश्मनी रखने वालों से घृणा करना अनिवार्य है क्योंकि वे एक सामाजिक बीमारी से त्रस्त हैं,

(1) सहीह बुखारी (४/ ९१) संख्या (५९९७) तथा उपोक्त शब्द बुखारी द्वारा ही वर्णित हैं, व मुस्लिम (४/ १८०८-१८०९) संख्या (६५/ २३१८)।

(2) खुलुकुल मुस्लिम, लेखक: मुहम्मद गज़ाली, पृष्ठ (२१८)।

(3) अत् तरबियतु फ़िल् इस्लाम, लेखक: अहमद फ़ुआद अल् अहवानी, पृष्ठ (१२९)।

(4) अल् फ़ज़ाइल अल् खुलुकियह फ़िल् इस्लाम, लेखक: अहमद अब्दुर्रहमान इब्राहीम, पृष्ठ (१७७)।

यहाँ तक कि वे सही पद्धति एवं इस्लामी नैतिक प्रधानता की तरफ पलट कर आ जाएं, यदि वे अच्छाई की ओर पलट आएँ तो हृदय भी उन से प्रेम एवं स्नेह करने लगता है।⁽¹⁾

- अमानतदारी:

अमानत का शाब्दिक अर्थ: अमानत, ख्यानत (विश्वासघात) का विलोम है, क्योंकि अमानतदार आदमी अपने कष्ट से दूसरों को अमन में रखता है, तथा अमानत, आज्ञापालन, उपासना, डिपॉजिट एवं दस्तावेज के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है।⁽²⁾

अमानत का पारिभाषिक अर्थ: इस से अभिप्राय अल्लाह के अधिकारों का पालन करना है, इन चीजों के द्वारा: फ़र्ज एवं वाजिब कार्यों को अदा करना तथा वर्जित कार्यों से बचना, अल्लाह के बंदों के अधिकारों की सुरक्षा करना, उसके पास जो अमानत रखी हुई हो उसमें लालच न करे, यदि कोई धन उसे रखने को दिया गया हो तो उसका इंकार न करे, धोखा न दे और न ही वज़न अथवा माप में कमी करे, दूसरों की छिपी हुई चीजों के पीछे न पड़े तथा बिना ज्ञान के फ़त्वा न दे।⁽³⁾

“इसके मनोवैज्ञानिक पहलू के आधार पर ईमानदारी आत्मा में एक निरंतर सृजन है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति उन चीजों से बचता है जिनका उसे कोई अधिकार नहीं है, भले ही उसके खिलाफ आक्रामकता की परिस्थितियाँ उसके सामने प्रस्तुत की गई हों, बिना लोगों की निंदा के, और इसके माध्यम से वह दूसरों को वह चुकाता है जो उस पर बकाया है या जिसका उस पर अधिकार है, भले ही वह लोगों की निंदा का शिकार हुए बिना इसे पचाने में सक्षम हो”।⁽⁴⁾

अल्लामा कुर्तुबी कहते हैं: “ईमानदारी सही मत के अनुसार धर्म के सभी कार्यों तक फैली हुई है, जो कि जुम्हूर (बहुमत) की राय है”।⁽⁵⁾

शोधकर्ता ईमानदारी को इस प्रकार परिभाषित करता है: एक व्यक्ति द्वारा अल्लाह ने उसे जो कुछ सौंपा है उसका संरक्षण करना और लोगों को प्राप्त अधिकारों से बचना।

(1) अल् अखलाक अल् इस्लामियह व उसुसुहा, लेखक: अब्दुर्हमान हबन्नकह मैदानी (२/ २५२-२५३)।

(2) लिसानुल अरब, लेखक: इब्ने मन्ज़ूर (१३/ २२)।

(3) देखें: अल् ख़ुलुक अल् कामिल, लेखक: मुहम्मद अहमद जाद अल् मौला (४/ १५५)।

(4) अल् अखलाक अल् इस्लामियह व उसुसुहा, लेखक: अब्दुर्हमान हबन्नकह मैदानी (१/ ६४५)।

(5) अल् जामेअ लि अहकामिल कुरआन, लेखक: कुर्तुबी (१४/ १६२)।

अतः अमानत अपने व्यापक अर्थ में: रखने के लिए दी गई वस्तुओं की सुरक्षा करना अमानत है, किसी के भेद की सुरक्षा करना अमानत है, तथा आदमी के जिम्मे जो कार्य सौंपा गया है उसको सही ढंग से अदा करना भी अमानत है।

व्यापक दृष्टिकोण से देखने पर अमानत हर उस चीज़ की सुरक्षा का नाम है जिसकी सुरक्षा करने का अल्लाह ने आदेश दिया है चाहे वह तरबियत हो, मार्गदर्शन हो अथवा अधिकारों की अदायगी हो और कर्तव्यों का निर्वहन हो, और यह उस में भी होगा जो अल्लाह ने मनुष्य को जो शारीरिक अंग प्रदान किया है, जैसे: आँख, कान, जुबान तथा बुद्धि तथा सभी प्रकार की इंद्रिय, और धार्मिक ख्यानत (विश्वासघात) एवं कर्तव्य की ख्यानत से इसकी सुरक्षा करना ही अमानतदारी है, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

[سورة الإسراء: ३६]

अनुवाद: (जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं है उसके पीछे मत पड़ो, कान, आँख एवं हृदय सभी के बारे में उससे पूछा जाएगा)। सूरह इस्रा: ३६।

“यह शारीरिक अंग, इंद्रिय, बुद्धि एवं हृदय की अमानत है, ऐसी अमानत जिसके बारे में उसके धारक से पूछताछ की जाएगी, और उस से उसके शारीरिक अंगों, इंद्रियों, बुद्धि एवं हृदय तमाम चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा”^(१)

अल्लाह तआला ने अमानत अदा करने का आदेश दिया है तथा ख्यानत जैसी अनैतिकता से बचने को कहा है, अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾

अनुवाद: (निस्संदेह अल्लाह तआला अमानत को उनके हकदारों तक पहुँचाने का आदेश देता है)। सूरह निसा: ५८।

तथा एक स्थान पर सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन है:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أَوْتِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [سورة البقرة: २८३]

(१) फ़्री ज़िलालिल कुरआन, सैयिद कुतुब (४/ २२२७)।

अनुवाद: (और यदि तुम यात्रा में रहो, तथा लिखने के लिए किसी को न पाओ तो धरोहर रख दो, और यदि तुम में परस्पर एक दूसरे पर भरोसा हो (तो धरोहर की भी आवश्यकता नहीं) जिस पर अमानत (उधार) है, वह उसे चुका दे, तथा अल्लाह (अपने पालनहार) से डरे, और साक्ष्य न छिपाओ तथा जो उसे छिपाएगा तो उसका दिल पापी है, एवं तुम जो करते हो अल्लाह सब जानता है)। सूरह बक्ररह: २८३।

तथा अल्लाह का कथन है:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [سورة الأنفال: २७]

अनुवाद: (हे ईमान वालो! अल्लाह तथा उस के रसूल के साथ विश्वासघात न करो, और न अपनी अमानतों (कर्तव्यों) के साथ विश्वासघात करो, जानते हुए)। सूरह अन्फ़ाल: २७।

अतः अमानत को अदा करना शर्ई अनिवार्यता है जो प्रत्येक मुस्लिम के लिए अपरिहार्य है कि वह अल्लाह के साथ, उसके रसूल के साथ एवं लोगों के साथ अपनी अमानतों की सुरक्षा करें, तथा विश्वासघात करने वालों के साथ विश्वासघात न करें, बल्कि उनकी अमानत उन्हें लौटा दें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है: “जो तुम्हें अमानत सौंपे उसकी अमानत उसे लौटा दो तथा विश्वासघात करने वालों के साथ विश्वासघात न करो”।⁽¹⁾

अमानत के विपरीत ख़्यानत (विश्वासघात) है जोकि संकट, धोखा एवं छल-कपट का कारण है, इसका कम होना व्यवसायों में उत्पादन की कमी, विभिन्न शिल्प और व्यवसायों में प्रदर्शन के कमजोर स्तर से जुड़ा हुआ है और इसकी कमी होने से व्यापार स्थिर हो जाता है और लेनदेन में विश्वास की कमी के कारण लोगों में डगमगाहट उत्पन्न होती है।

अमानत (विश्वसनीयता) की कमी के कारण अपराध, गबन, सम्मान का विनाश और लोगों के अधिकारों की बर्बादी जैसे मामलों में वृद्धि होती है, इस्लाम ने इसे नष्ट करने और लोगों के बीच इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी, इसलिए ईमान के पैमाने पर ख़्यानत (विश्वासघात) निफ़ाक़ अर्थात् पाखण्ड के लक्षणों में से एक है, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है: “मुनाफ़िक़ की तीन निशानियां हैं: जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा को तोड़ दे तथा जब उसके पास अमानत रखी जाए तो ख़्यानत करे”।⁽²⁾

(1) अबू दावूद (३/ ८०४-८०५) संख्या (३५३४), तिर्मिज़ी (३/ ५६४) संख्या (१२६४), इमाम अहमद (३/ ४१४), तथा अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सहीह कहा है, देखें: सहीहुल जामेअ अस् सगीर (१/ १०७) संख्या (२४०)।

(2) सहीह बुखारी (१/ २७) संख्या (२३), व मुस्लिम (१/ ७८) संख्या (१०७-५९)।

समाज में जब ख़्यानत (विश्वासघात) फैल जाए एवं अमानत का अकाल पड़ जाए तो यह क्रयामत (महा प्रलय) की निशानी है, तथा यह उसके चिह्नों में से एक चिह्न है, चुनाँचे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है, वह कहते हैं कि: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “जब अमानतदारी संसार से उठ जाए तो क्रयामत आने की प्रतीक्षा करो, सहाबी ने पूछा: अमानतदारी उठने से क्या अभिप्राय है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: शासन की जिम्मेदारी जब अयोग्य लोगों को सौंप दी जाए तो क्रयामत की प्रतीक्षा करो”।⁽¹⁾

मामला ऐसे लोगों के हाथों में सौंप देना जो उसके योग्य न हों अमानत को नष्ट करना एवं ख़्यानत है, इसी कारण से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नजरान वासियों के पास किसी को भेजने का इरादा किया तो इस उम्मत के अमीन (अमानतदार, विश्वसनीय) अबू उबैदा बिन अल् जर्हाह रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा, और यह आपकी स्थिति और प्रभारी व्यक्ति वाले व्यक्तित्व के महत्व के कारण था, चुनाँचे हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नजरान वासियों से कहा था: “अवश्य ही मैं तुम्हारे पास एक अमानतदार आदमी को भेजूँगा, तो सहाबा -ए- किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम नजरे घुमा कर देखने लगे कि वह आदमी कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके पास भेजा”।⁽²⁾

इसके अलावा, आज के समाज में अमानतदारी की कमी, आस्था, पूजा और दंडों में उदार शिक्षा और विचलित सामाजिक प्रवृत्तियों, का परिणाम है।

यह इस्लामी पालन-पोषण में परिवार की लापरवाही के कारण है, जबकि इस्लामी शिक्षा पाठ्यक्रम अवधारणाओं में स्पष्ट है, तरीकों में आसान है, अच्छे शैक्षिक लक्ष्यों और आकांक्षाओं को प्राप्त करता है, और इसे हर समय और हर परिस्थितियों में और सभी समूहों के लिए लागू किया जा सकता है।

अमानतदारी की कमी और वाणी, कार्य, अधिकारों, जिम्मेदारियों और भावनाओं में विश्वासघात का प्रसार, जिससे आज का समाज पीड़ित है, मानवता द्वारा इस्लामी शिक्षा पाठ्यक्रम को त्यागने के परिणाम के अलावा और कुछ नहीं है।

⁽¹⁾ सहीह बुखारी (१/ ३७) हदीस संख्या (५९)।

⁽²⁾ सहीह बुखारी (४/ ३५४) हदीस संख्या (७२५४)।

सातवां पाठः

नैतिक शिक्षा और नैतिक निर्णय की नींव

नैतिक शिक्षा की नींव के बारे में बात करने के लिए दो पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है: एक नैतिक फैसले से संबंधित है, क्योंकि यह व्यक्तियों के बीच शैक्षिक बातचीत के एक महत्वपूर्ण पहलू का प्रतिनिधित्व करता है, और इसका प्रभाव शैक्षिक प्रक्रिया पर प्रतिबिंब होता है। दूसरा नैतिक शिक्षा की नींव से संबंधित है, और इसे इस प्रकार समझा जा सकता है:

पहला: नैतिक निर्णयः

नैतिक निर्णय का तात्पर्य है वह वर्णन जो लोग एक दूसरे का प्रशंसनीय या निंदनीय रूप में करते हैं।

जहां लोग एक-दूसरे के प्रति दिए जाने वाले निर्णयों में भिन्न होते हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो सामान्य और निरंतर तरीके से उसका पक्ष लेता है, और जब वह एक बार उसके साथ विफल हो जाता है, तो वह आपको नवीनतम चीज के बारे में बताता है, और नैतिकता भूल जाता है कि वह आपका आदी था, और आप कुछ लोगों को जीभ की फिसलन, या एक बयान, या कार्यों में से एक के माध्यम से सद्गुणी लोगों का वर्णन करते हुए देखते हैं, और कभी उसने उन पर आरोप लगाया होता है उनके सद्गुणों और नैतिक गुणों के विपरीत जो उनके लिए सामान्य हैं।

इस कारण से, लोगों के आचरण में, उनके व्यवहार में, संबंध और असामंजस्य में, मेल-मिलाप और दूरी में, घृणा और सद्भाव में नैतिक निर्णय का आधार तय किया जाना चाहिए, और यहीं पर इस्लामी शरीअत ने जिसको मूलाधार माना है उसका महत्व समझ में आता है।

यदि नैतिक व्यवहार कहते हैं उस प्रत्येक विशेषता को जो किसी व्यक्ति को स्वयं में या दूसरों के साथ विशेषित करती है, और यह उसका व्यवहार बन गया हो, तो यह प्रत्येक आपातकालीन व्यवहार को बाहर कर देता है जो उसके सामान्य आचरण में से नहीं है, या उसके अंदर जन्मजात रूप से नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति से लोग कंजूसी के आदी हो जाते हैं, जब वह अचानक किसी लाभ की तलाश में उदार दिखाई देता है, तो यह साधारण कार्य उसे उदार व्यक्ति कहलाने योग्य नहीं बनाता, क्योंकि इसे प्रेरित करने वाले कारक के समाप्त होते ही यह गुण और इसके जैसे अन्य गुण लुप्त हो जाते हैं। इसी तरह, यदि कोई व्यक्ति जो उदारता का आदी है, उसके साथ हुई किसी आपात स्थिति के कारण वह यह गुण खो देता है, और यह वित्तीय स्थिति या अन्य कोई भी स्थिति हो सकती है, तो उसे कंजूसी से नहीं आंका जाना

चाहिए क्योंकि यह निर्णय उसके लिए अनुचित है, सहीह बुखारी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ऊँटनी क़स्वा के संबंध में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह कथन वर्णित है: “क़स्वा अड़ी नहीं है और न ही इसे अड़ने की आदत है”⁽¹⁾

इब्ने हजर रहिमहुल्लाह कहते हैं: इसमें किसी चीज़ को उसकी आदत से ज्ञात होने के अनुसार आंकने की अनुमति है, भले ही उसके साथ कुछ और भी घटित हो, यदि कोई व्यक्ति ऐसी गलती करता है जो इस से पहले उसने कभी नहीं की है, तो उस गलती को उसकी ओर मंसूब किया जायेगा न कि वह व्यक्ति उस गलती से जोड़ा जाएगा⁽²⁾

इस प्रकार, किसी व्यक्ति का वर्णन उसके अकस्मात आचरण में होने वाले अच्छे या निंदनीय व्यवहार से नहीं किया जाता है, बल्कि यह इस पर आधारित होता है कि उसका चरित्र, स्वभाव और आदत क्या है, जिससे वह जाना जाता है, भले ही गलती के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जाए परंतु उस गलती को उसका स्वभाव नहीं बताया जाए।

जहां तक कानूनी दंड और न्यायिक फैसलों के पालन की बात है, तो वे सर्वशक्तिमान अल्लाह के कानून के अनुसार अपना काम करते हैं।

दूसरा: नैतिक शिक्षा की नींव:

अपने शिक्षण या पालन-पोषण के दौरान प्रशिक्षुओं के मन में नैतिक शिक्षा की प्रक्रिया निम्नलिखित बातों पर आधारित है:

१- व्यक्तिगत एवं सामाजिक लाभ तथा पुण्य को बयान करने के द्वारा नैतिक गुणों का विश्लेषण करना।

२- व्यक्तिगत एवं सामाजिक हानि एवं पाप को बयान करने के द्वारा नैतिक अवगुणों का विश्लेषण करना।

३- कुरआन -ए- करीम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत तथा सहाबा - ए- किराम एवं विद्वानों द्वारा वर्णित दलीलों एवं तर्कों से उन मार्गदर्शनों की पुष्टि करना।

४- इन निर्देशों को समाज के व्यवहार में गिरावट के बारे में जो देखा और सुना जाता है, और जिसके नैतिक पहलू पर ध्यान नहीं दिया जाता है, से जोड़ना, और यह कहानियों और कहावतों का उपयोग करके और होने वाली घटनाओं, विपत्तियों एवं भ्रष्ट लोगों को पहुँचने वाली आपदाओं से सबक लेते हुए किया जाएगा।

⁽¹⁾ सहीह बुखारी (२/ २७९) संख्या (२७३१, २७३२)।

⁽²⁾ फ़तहूल बारी, लेखक: इब्ने हजर (५/ ३३५)।

शैक्षिक प्रक्रिया के दौरान इन चरणों का पालन करने से प्रशिक्षु पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इनमें कथनों को तर्क और प्रमाण के साथ समझाना, विश्लेषण करना और समर्थन करना शामिल है, साथ ही उन्हें देखी या सुनी गई वास्तविकता से जोड़ना भी शामिल है।

इस प्रकार, इस महान इस्लामी सिद्धांत का महत्व स्पष्ट हो जाता है, जो मनुष्य की प्रकृति और उसके गुणों का अनुवाद करता है, और उसके स्वयं के साथ और दूसरों के साथ व्यवहार और कार्यों में परिलक्षित होता है, इस्लाम ने इस सिद्धांत पर बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि यह उस नबवी मिशन के लक्ष्यों में से एक था जो अच्छी नैतिकता को पूरा करने के लिए आया था।

लेकिन कुछ लोग इस सिद्धांत को इसके विपरीत उद्देश्य, सीमाएं एवं पद्धति के दृष्टिकोण से समझते हैं, क्योंकि लोगों के बीच मानक और नियम भिन्न होते हैं, और इसलिए इस अध्याय में नैतिकता को समझने और लागू करने के लिए महत्वपूर्ण सीमाएं और नियंत्रण शामिल हैं।

इसी तरह इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नैतिक शिक्षा के मूल सिद्धांतों को अपनाना भी आवश्यक है।

सारांश:

इस अध्याय में हमने भाषा, कुरआन, हदीस एवं विद्वानों द्वारा निर्धारित परिभाषा के आधार पर अखलाक़ (नैतिकता, शिष्टाचार) की परिभाषा की है, तथा हमने बयान किया है कि कुछ अखलाक़ जन्मजात होते हैं तो कुछ अखलाक़ को अर्जित किया जाता है, तथा “अखलाक़” का शब्द जब बोला जाए तो इस से प्रशंसनीय एवं निंदनीय दोनों प्रकार के अखलाक़ अभिप्रेत होते हैं।

नतीजा यह सामने आया है कि प्रशंसनीय अखलाक़: प्रत्येक वह सद्गुण है जिसे आदमी खालिस अल्लाह को प्रसन्न करने हेतु उसकी पद्धति के अनुसार धारण करे।

और निंदनीय अखलाक़: प्रत्येक वह अवगुण है जो अल्लाह के द्वारा बताई गई पद्धति के विरुद्ध हो अथवा वह निश्छल रूप से अल्लाह की प्रसन्नता के लिए न हो।

जहाँ तक नैतिक व्यवहार की बात है तो यह प्रत्येक वह गुण है जिससे मनुष्य स्वयं अपने साथ अथवा दूसरों के साथ विशेषित होता हो, और यह उसका स्वभाव बन चुका हो, चाहे यह नैसर्गिक हो अथवा अर्जित किया हुआ और चाहे प्रशंसनीय हो अथवा निंदनीय।

और जहाँ तक इस्लामी नैतिकता की नींव की बात है तो यह स्पष्ट हुआ कि इस्लाम के पैमाने पर सदाचारी नैतिकताएं तब तक अपना नैतिक मूल्य प्राप्त नहीं कर सकती हैं जब तक कि वे अल्लाह के प्रति इरादे की ईमानदारी की विशेषता नहीं रखते हों और इस्लामी दृष्टिकोण के ढांचे के भीतर हों, तथा यह स्पष्ट हो गया कि इस्लामी नैतिकता की नींव जिस पर वे आधारित हैं, वे अनिवार्य हैं, अर्थात्, प्रत्येक मुसलमान के लिए उनकी विशेषता से सुसज्जित होना अनिवार्य है, और वे आसान और सुलभ हैं, मानव स्वभाव के अनुकूल हैं और किसी व्यक्ति के सामर्थ्य और क्षमताओं से परे का कार्य नहीं हैं।

तथा यह स्पष्ट हो गया है कि इस्लामी नैतिकता में हया (लज्जा), स़ब्र (धैर्य), सिद्क़ (सच्चाई), रिफ़क़ (स्नेह, नम्रता), रहमत (दया) और अमानतदारी जैसे सभी नैतिक गुण शामिल हैं, इसी प्रकार से यह बंदों को अपने रब के साथ, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ तथा समस्त समाज के साथ शिष्टाचार का ढंग सिखाता है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट हो जाता है कि इस्लामी नैतिकता की अवधारणा में जीवन और मानवीय संबंधों के सभी क्षेत्र शामिल हैं, और इस्लामी नैतिकता सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण है जो समाजों के लिए सांसारिक और पारलौकिक सुख प्राप्त करती है, तथा समाज में नैतिक असंतुलन, लोगों के बीच लड़खड़ाते रिश्ते, सामाजिक विघटन और सामाजिक अराजकता केवल इस्लामी शिक्षा पद्धति से समाज की दूरी का परिणाम है।

द्वितीय अध्याय

अखलाकी (नैतिक) बुराइयाँ:

प्रथम पाठ: अखलाकी (नैतिक) बुराइयाँ: परिभाषा,
परिचय और सिद्धांत

द्वितीय पाठ: अखलाकी (नैतिक) बुराइयों के प्रकार

तीसरा पाठ: अखलाकी (नैतिक) विचलन के कारण

चौथा पाठ: अखलाकी (नैतिक) विचलन का दायित्व

पाँचवां पाठ: अखलाकी (नैतिक) बुराइयों का उपचार

परिचय

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नबी बना कर भेजने का कार्य एक लम्बे अंतराल के बाद हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम समस्त संसार के लिए दयालु थे, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह ने आपके द्वारा जहालत, अज्ञानता एवं आस्था के अंदर घुस आई कमी को दूर किया, तथा आपको पैगंबर बनाने के द्वारा उन नैतिक बुराईयों को समाप्त किया जिन से जाहलियत युग के लोग कराह रहे थे, उनके बीच मदिरा, ब्याज, जुआ, ज्योतिष विद्या, अपशगुन लेना, फाल निकालना, नग्न हो कर काबा का तवाफ़ (परिक्रमा) करना, क़बीलाई द्वेष (सांप्रदायिकता), प्रतिशोध लेना, लड़कियों को लोक लाज के कारण जीवित धरती में दफन कर देना, निर्धनता के भय से संतान के मार देना, नग्नता, वंश पर अभिमान करना, तथा इन जैसी अन्य बुराईयां फैली हुई थीं।

इस धर्म में प्रवेश करने वालों का दर्जा इस सर्वश्रेष्ठ धर्म के द्वारा उच्च हो गया, हर मामले में नेतृत्व एवं मार्गदर्शन उनके हाथों में आ गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहाबा उच्च नैतिकता, गुण, सच्चाई, न्याय, अमानत, प्रेम, वफादारी, दयालुता, बहादुरी, ईमानदारी और अल्लाह के धर्म का पालन करने में उच्च स्थान पर पहुंच गए, यहां तक कि उनके बारे में आयतें नाज़िल हुईं जो क़यामत के दिन तक पढ़ी जाती रहेंगी।

सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह उनके उच्च नैतिकता का उल्लेख करते हुए फ़रमाता है:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَرَجٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [سورة الفتح: ٢٩]

अनुवाद: (मुहम्मद -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- अल्लाह के रसूल हैं, तथा जो लोग आप के साथ हैं, वह काफ़िरों के लिए कड़े, और आपस में दयालु हैं, तुम देखोगे उन्हें रुकूअ-सज्दा करते हुए वह खोज कर रहे होंगे अल्लाह की दया तथा प्रसन्नता की, उन के लक्षण उन के चेहरों पर सज्दों के चिह्न होंगे, यह उनकी विशेषता तौरात में है, तथा उन के गुण इंजील में उस खेती के समान बताए गए हैं जिस ने निकाला अपना अंकुर, फिर उसे बल दिया, फिर वह कड़ा हो गया फिर वह (खेती) खड़ी हो गई अपने तने पर, प्रसन्न करने लगी किसानों को, ताकि काफ़िर उन से जलें, वचन दे रखा है अल्लाह ने उन लोगों को जो ईमान लाए तथा सदाचार किए उन में से क्षमा तथा बड़े प्रतिफल की)। सूरह फ़त्ह: २९।

अल्लाह तआला उनके आत्मा की अहंकार से पवित्रता, अपने ऊपर दूसरों को वरीयता एवं प्राथमिकता देने को पसंद करते हुए इसका उल्लेख करता है जोकि उच्च नैतिकता की श्रेणियों में से एक है।

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنًا نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [سورة الحشر: ९]

अनुवाद: (तथा उन लोगों के लिए (भी) जिन्होंने आवास बना लिया इस घर (मदीना) को तथा उन (मुहाजिरों के आने) से पहले ईमान लाए, वह प्रेम करते हैं उन से जो हिजरत कर के आ गए उनके यहाँ, और वे नहीं पाते अपने दिलों में कोई आवश्यकता उस की जो उन्हें दिया जाए, और प्राथमिकता देते हैं (दूसरों को) अपने ऊपर चाहे स्वयं भूखे हों, और जो बचा लिए गए अपने मन की तंगी से, तो वही सफल होने वाले हैं)। सूरह हश्र: ९।

तथा सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह उनकी प्रशंसा करते हुए फ़रमाता है:

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [سورة الفتح: १८]

अनुवाद: (अल्लाह प्रसन्न हो गया ईमान वालों से जब वह आप (नबी) से बैअत कर रहे थे वृक्ष के नीचे, उस ने जान लिया जो कुछ उन के दिलों में था इसलिए उतार दी शांति उन पर, तथा उन्हें बदले में दी समीप की विजय)। सूर फ़त्ह: १८।

सहाबा रज़िल्लाहु अन्हुम अपनी नैतिकता में किस उच्च कोटी पर विराजमान थे इसका अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि पाप करते हुए उन्हें अल्लाह के सिवा किसी ने नहीं देखा, इसके बावजूद एक सहाबी अपने पाप का एहसास करते हुए आता है तथा कहता है: हे अल्लाह के रसूल! मैंने व्यभिचार किया है, तथा एक महिला आती है और कहती है: ऐ रसूलल्लाह! मैंने अनैतिक संबंध कायम कर लिया है, मुझे पवित्र कर दीजिए तथा एक तीसरा व्यक्ति कहता है: हे नबी! मैंने चोरी की है (अपने पाप का स्वयं इकरार करते हैं)।

इस धार्मिक व्यवस्था के माध्यम से उन्होंने समस्त संसार पर एकछत्र राज किया, उन देशों पर विजय प्राप्त की जिन्हें वे जानते भी नहीं थे, जिन राजाओं से वे डर कर रहते थे उन्हें अपने वश में कर लिया, इस प्रकार से उनका ध्वज इस धार्मिक व्यवस्था के द्वारा उच्च हो गया।

जब इस्लामी समाज में विचलन आया, नैतिक बुराइयाँ फैलीं, कमजोरी और कायरता उनमें प्रवेश कर गई, अनैतिकता, सूदखोरी, मदिरापान, नशाखोरी एवं अन्य बुरी आदतें और

कुरीतियां फैल गईं, तब उम्मत कमजोर हो गई और अन्य समुदाय उनके विरुद्ध टूट पड़े उनकी भूमि पर साम्राज्यवाद का कब्जा हो गया, उनके संबंध कमजोर हो गए, क्योंकि वे अपने रब (पालनहार) के धर्म से भटक गए।

नैतिक विचलन का व्यक्ति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जो उम्मत एवं समुदाय की धार्मिक नींव, आर्थिक संरचना, सैन्य ताकत और सामाजिक संबंध और उसके स्वास्थ्य एवं आत्मा तक फैल जाते हैं, जो अल्लाह की कृपा से इस पुस्तक में सविस्तार उल्लेख किया जायेगा, इस पुस्तक में, रब की कृपा एवं अनुग्रह से, हम नैतिक विचलन तथा प्रशिक्षण योग्य बातों का भी वर्णन करेंगे और समाज, व्यक्तियों, सरकार और अन्य संबंधित संस्थानों पर लागू होने वाली प्रशिक्षण जिम्मेदारियों का भी उल्लेख करेंगे।

प्रथम पाठ: अखलाक़ी (नैतिक) बुराइयाँ: परिभाषा, परिचय और सिद्धांत

पहला: नैतिक बुराइयों की परिभाषा

अखलाक़ (नैतिकता), मनुष्य के उन अच्छे या बुरे गुणों का नाम है जिनके द्वारा वह दूसरों के साथ व्यवहार करता है।⁽¹⁾ मनुष्य की बाहरी रचना के प्रतिनिधि एवं उसकी आंतरिक संरचना को नैतिकता कहा जाता है, जो वास्तव में उसका सार एवं अस्तित्व होता है, जिसके विशेष गुण होते हैं जो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी।⁽²⁾ दूसरे शब्दों में कहें तो नैतिकता इंसान के हर अच्छे या बुरे पहलू का नाम है, जो उसकी बाहरी रचना की तरह उसके आंतरिक अस्तित्व का दर्पण है।

अतः अखलाक़ की बुराई (नैतिक दुर्गुण) को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: “चरित्र और कार्य से जुड़ा प्रत्येक बुरा गुण, चाहे वह मौखिक, व्यावहारिक या वैचारिक हो, नैतिक बुराई है”।

कुछ नैतिक बुराइयां शरीर के अंगों जैसे हाथ, कान और आँखों के द्वारा होती हैं, और कुछ बुराइयाँ जीभ या उंगलियों के हिलाने से होती हैं, जबकि कुछ बुराइयाँ हृदय की आस्था से संबंधित होती हैं, उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति शरीअत के किसी आदेश की अवहेलना करे, शरीअत के किसी मामले के समापन, निर्लज्जता के चलन अथवा फसाद एवं भ्रष्ट आचरण के रिवाज की इच्छा रखे, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के किसी सहाबी के प्रति अपने दिल में द्वेष रखे या सोचे कि अल्लाह सुब्हानहु वा ता'आला के अलावा कोई और है, जो लाभ और हानि का स्वामी है।

दूसरा: नैतिक बुराइयों का परिचय एवं सिद्धांत

बुरे आचरण के सिद्धांत के निर्धारण में विद्वानों के बीच मतभेद है। चुनांचे इमाम इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह कहते हैं: ये सिद्धांत चार चीज़ों पर आधारित हैं: अज्ञानता, अत्याचार, मानवीय इच्छाएं एवं क्रोध।⁽³⁾

⁽¹⁾ फ़तहल बारी, लेखक: इब्ने हजर: (१०/४५६)।

⁽²⁾ अल् आदाब अल् शरईय्यह, लेखक: इब्ने मुफ़्लिह (२/ २०५)।

⁽³⁾ मदारिजुस्सालिकीन (२/ ३२१)।

प्रसिद्ध विद्वान इब्ने हज्म रहिमहुल्लाह का मानना है कि नैतिक बुराइयों के सिद्धांत -जो प्रत्येक बुरे गुण की जड़ है- चार हैं और वे हैं: क्रूरता, अज्ञानता, कायरता और कंजूसी।⁽¹⁾

जो व्यक्ति सोच-विचार करने की क्षमता रखता है, उसके लिए यह स्पष्ट है कि जिन मूल चीजों से नैतिक बुराइयों का जन्म होता है, वह अज्ञानता, मानवीय इच्छा एवं क्रोध हैं। समस्त नैतिक कदाचार के पीछे अज्ञानता एवं मूर्खता छिप्त होती है। यही कारण है कि अज्ञानी व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण कुरूप को सुंदर एवं सुंदर को कुरूप, पूर्ण को अपूर्ण एवं अपूर्ण को पूर्ण मानता है।⁽²⁾ जहाँ तक मानवीय इच्छाओं की बात है, जिसे हम इच्छा शक्ति के नाम से जानते हैं, तो यह पापों की ओर ले जाती है, जैसे: व्यभिचार, छल, अभिमान और अहंकार आदि। जबकि क्रोध जिस को रक्षात्मक शक्ति कहा जाता है, यह रक्षात्मक पापों से जुड़ा है, उदाहरणस्वरूप: मार-धाड़, हत्या, गाली-गलौज एवं क्रूरता आदि। इमाम लैस ने इमाम मुजाहिद से रिवायत किया है कि: मानवीय इच्छा और क्रोध पापों की जड़ और आधार हैं।⁽³⁾ इसका विवरण निम्न प्रकार है:

१-अज्ञान: यह ज्ञान के विपरीत है, अर्थात् बिना ज्ञान के कोई कार्य करना अज्ञान है।⁽⁴⁾ अज्ञानता केवल लाभ और हानि के ज्ञान की कमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके दायरे में ज्ञान के अनुसार कार्य न करना भी शामिल है और यह भी अज्ञानता की एक कड़ी है, क्योंकि कुछ पैगंबरों के समुदायों को अज्ञानियों की पंक्ति में गिना गया तथा इसका एकमात्र कारण यह था कि उन्होंने अपने नबियों की पुष्टि तो की परंतु जब धर्म का निमंत्रण उनके पास पहुंचा तो उन्होंने उनका निमंत्रण स्वीकार करने से इनकार कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने समुदाय के लोगों से कहा, जैसाकि अल्लाह तआला के इस कथन में उल्लेखित है:

﴿وَيَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلْتَقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ﴾ [سورة هود: २९]

अनुवाद: (तथा हे मेरी जाति के लोगों! मैं इस (सत्य के प्रचार) पर तुम से कोई धन नहीं मांगता, मेरा बदला तो अल्लाह के ऊपर है, और मैं उन्हें (अपने यहाँ से) दुत्कार नहीं सकता

(1) अल् अख्लाक व अल् सीरह (५९०)।

(2) मदारिजुस्सालिकीन: २/ ३२१।

(3) अल् ईमान, लेखक: इब्ने तैमियह: २९।

(4) लिसानुल अरब, लेखक: इब्ने मन्ज़ूर: ११/ १२९-१३०।

जो ईमान लाए हैं, निश्चय वे अपने पालनहार से मिलने वाले हैं, परंतु मैं देख रहा हूँ कि तुम जाहिलों जैसी बातें कर रहे हो)। सूरह हूद: २९।

इसी प्रकार से लूत अलैहिस्सलाम ने अपने समुदाय से कहा, जैसाकि सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह के कथन में है:

﴿أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ بِتَجَاهُلُوتَ ۖ﴾

[سورة النمل: ५०]

अनुवाद: (क्या तुम पुरुषों के पास जाते हो काम वासना की पूर्ति के लिए? तुम लोग बड़े नासमझ हो)। सूरह नम्ल: ५५।

ज्ञात हुआ कि इन लोगों द्वारा सत्य को अस्वीकार करने, उसे ठुकरा देने एवं अप्रिय नैतिक विचलनों ने उन्हें इस घृणित अवगुण अर्थात् जहालत व अज्ञानता की श्रेणी में डाल दिया। अज्ञानता, व्यावहारिक अनौचित्य का एक मुख्य कारण है, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति अच्छे आचरण की महानता और उत्कृष्टता को कम कर के आंकता है और उन तुच्छ कार्यों में आनंद लेता है, जिनका अंत दुख और पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं होता है और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो इन बातों को हल्का एवं सरल समझता है क्योंकि शैतान उसके सामने उन्हें अच्छे रंग-रूप में प्रस्तुत करता है।

अतः अज्ञानी व्यक्ति अपनी सुविधा के लिये आसान मामलों को आसान समझता है यद्यपि उसमें विनाश एवं बर्बादी छिप्त हो एवं कठिन चीजों को अपने लिए दुष्कर समझता है यद्यपि उसमें उसके लौकिक और पारलौकिक कल्याण का रहस्य ही क्यों न छिपा हुआ हो। इसीलिए आप पाएंगे कि जो लोग कामवासना को शांत करने के लिए व्यभिचार को हल्का समझते हैं, अपने क्रोध की ज्वाला शांत करने के लिए मुसलमान को जान से मार देते हैं एवं पश्चिमी सभ्यता में पूर्णतः रंगे हुए हैं, ऐसे ही लोगों का अनुसरण किया जा रहा है एवं उन्हें ही आदर्श समझा जा रहा है एवं इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि वे नैतिक एवं सामाजिक रूप से किस हद तक पतन का शिकार हैं और इसका परिणाम क्या होने वाला है?!

इस प्रकार के बौद्धिक कदाचार को खत्म करने के लिए शरीयत के ज्ञान से बेहतर कोई अन्य संसाधन नहीं हो सकता है, इसका जिक्र करते हुए इमाम इब्ने हज्म कहते हैं: अच्छे आचरण को अपनाने में ज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका होती, वह इस प्रकार कि व्यक्ति अच्छे आचरण को जानता है फिर उसका पालन करता है, इसी तरह वह बुरे आचरण की दुष्टता का ज्ञान अर्जित करता है, फिर उससे दूरी अपनाता है। अच्छे कार्य की प्रशंसा सुनता है तो उस कार्य को अंजाम देने की अभिलाषा उसके दिल में उत्पन्न होती है, तथा जब किसी कार्य की बुराई

सुनता है तो उससे दूर भागता है, उपरोक्त बातों का सार यह है कि अच्छे आचरण में ज्ञान एवं दुष्ट आचरण में अज्ञान का बड़ा महत्व होता है।⁽¹⁾

२- कुव्वत -ए- तलबिय्या (प्राप्त करने की इच्छा): इस शक्ति से तात्पर्य आकर्षक शक्ति है, जिसमें कामवासना एवं मानवीय इच्छा (स्वार्थ) शामिल होती है।

मानवीय इच्छा (स्वार्थ): यही बुरे कर्मों की जड़ है। यह अच्छाई के मार्ग में बाधा है और बुद्धि की शत्रु है, क्योंकि यह बुराई को जन्म देती है, अनैतिकता को बढ़ावा देती है, नैतिकता के आवरण को कलंकित करती है एवं बुराई का मार्ग सरल करती है।⁽²⁾ अर्थात् स्वार्थ (आत्म इच्छा) व्यक्ति को नीच कर्मों की खाई में ले जाता है। बल्कि यह उसे विनाश और मृत्यु के कगार पर खड़ा कर देता है, क्योंकि आत्म-इच्छा (स्वार्थ), जैसा कि इमाम इब्नुल जौजी कहते हैं: यह परिणाम से अंजान बना कर वर्तमान एवं क्षणिक आनंद को आमंत्रित करती है और वासना की तत्काल पूर्ति के लिए प्रेरित करती है, भले ही यह इस लोक में दुःख और कष्ट का तथा परलोक में सुख-सुविधाओं से वंचित होने का कारण क्यों न हो।⁽³⁾

ध्यान देने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति वासना के जाल में नहीं फंसता, वह स्वयं को उस आनंद से बचा लेता है जिसके पीछे केवल दुख छिपा होता है और वह उस वासना से भी बच जाता है जिसके बाद पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता।

अल्लाह तआला ने आत्म-इच्छा (स्वार्थ) का अनुसरण करने वालों की निंदा की तथा उन लोगों की प्रशंसा की जिन्होंने स्वयं को इससे दूर रखा। अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ [سورة النازعات: ३०-३१]

अनुवाद: (परन्तु जो अपने पालनहार की महानता से डरा तथा अपने आप को मनमानी करने से रोका। तो निश्चय ही उसका आवास स्वर्ग है)। सूरह नाज़िआत: ४०-४१।

सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान का कथन है:

﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ [سورة ص: २६]

(1) अल् अख्लाक व अल् सीरह: १५।

(2) अदबुदुनिया वदीन, लेखक: मावरदी: १९।

(3) ज़म्मूल हवा: १८।

अनुवाद: (हे दावूद! हम ने तुझे राज्य दिया है धरती में, अतः निर्णय कर लोगों के बीच सत्य (न्याय) के साथ तथा अनुसरण न कर आकांक्षा का, अन्यथा वह कुपथ कर देगी तुझे अल्लाह की राह से, निःसंदेह जो कुपथ हो जायेंगे अल्लाह की राह से तो उन्हीं के लिए घोर यातना है, इस कारण कि वह भूल गए हिसाब का दिन)। सूरह साद: २६।

एक स्थान पर अल्लाह तआला का कथन है:

﴿وَلَا تَطْعَمَنَّ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [سورة الكهف: २८]

अनुवाद: (उसकी बात न मानें जिस के दिल को हमने अपनी याद से निश्चेत कर दिया, और उसने मनमानी की, तथा जिसका काम ही उल्लंघन करना है)। सूरह कहफ़: २८।

एक स्थान पर यों फ़रमाया:

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [سورة القصص: २०]

(और उस से कुपथ कौन है जो मनमानी करे अपने अल्लाह की ओर से बिना किसी मार्गदर्शन के? वास्तव में अल्लाह सुपथ नहीं दिखाता है अत्याचारी लोगों को)। सूरह कसस: ५०।

ब्रह्मण्ड के सृष्टा सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह ने मनमानी करने एवं स्वार्थी इच्छा से रोकते हुए तथा न्याय स्थापित न करने में इसके प्रभाव को स्पष्ट करते हुए कहा:

﴿فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَّ أَنْ تَعْدِلُوا﴾ [سورة النساء: १३०]

अनुवाद: (इसलिए तुम आत्म-इच्छा के पीछे पड़ कर न्याय न छोड़ देना)। सूरह निसा: १३५।

अर्थात् स्वार्थ, पूर्वाग्रह और लोगों के प्रति हृदय में मौजूद द्वेष तुम्हें अपने मामलों में निष्पक्ष होने से न रोकें। बल्कि हर स्थिति में न्याय स्थापित करो।^(१) यह वासना के विरुद्ध अल्लाह ताला की ओर से वर्जना और चेतावनी है, क्योंकि यह क्रूर और अन्यायपूर्ण है।

न्याय नैतिक मूल्यों का आधार है, अन्याय निम्न कार्यों का आधार है, इसलिए जो व्यक्ति लोगों के अधिकारों में कमी करता है, वह उनके साथ न्याय नहीं करता है, और जो नाप-तौल में कमी करता है, वह न्याय नहीं करता है। जो दूसरों की बेटियों से बलात्कार करता है,

^(१) तफ्सीरुल कुरआनिल अजीम, इब्ने कसीर: १/ ५७८।

वह उनके साथ न्याय नहीं करता। इसी प्रकार जो लोगों से झूठ बोलता है, वह उन तक सच्चाई न पहुंचाकर उनके साथ अन्याय करता है।

सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह ने ऐसे लोगों की प्रशंसा की है जिन्होंने स्वार्थ एवं आत्म-इच्छा का विरोध किया तथा उपहार स्वरूप उनके साथ स्वर्ग का वादा किया है:

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ [سورة النازعات: ३०-३१]

अनुवाद: (परन्तु जो अपने पालनहार की महानता से डरा तथा अपने आप को मनमानी करने से रोका। तो निश्चय ही उसका आवास स्वर्ग है)। सूरह नाज़िआत: ४०-४१।

स्वयं को आत्म-इच्छा से रोकना अच्छे आचरण का एक अभिन्न अंग और स्तंभ है।

३- रक्षात्मक बल:

रक्षात्मक बल का तात्पर्य क्रोध वाले बल से है, जो रक्षात्मक पाप का कारण बनता है। “क्रोध अर्थात् गुस्सा: यकृत के रक्त की उत्तेजना एवं उबाल का नाम है, चाहे वह किसी पीड़ादायक चीज़ से बचाव की स्थिति में हो या किसी से बदला लेते समय”।^(१)

क्रोध मानव स्वभाव का स्वाभाविक गुण है, यदि यह न हो तो भावना ही समाप्त हो जायेगी, यह धार्मिक गौरव तथा नैतिक सम्मान से प्रेरित नहीं होगी। उसकी वीरता खत्म हो जायेगी और फिर वह कायर बन जायेगा। ज्ञात हुआ कि यह क्रोध एक दो धारी हथियार है। इमाम इब्ने क़य़िम अल् जौज़ियह कहते हैं कि: क्रोध एक सीमा है, यह अपनी सीमा में सराहनीय वीरता और उच्च कार्यों और दोषों से दूरी का कारण है तथा यही इसकी पूर्णता है, किंतु यदि यह इस सीमा से आगे बढ़ जाए तो सामने वाले के साथ अन्याय करता है और यदि सीमा से पीछे रह जाए तो तो कायर बन जाता है और बुरे आचरण से बच भी नहीं पाता है।^(२)

परन्तु यह क्रोध की शक्ति ही उस समय बुरे संस्कारों का आधार बन जाती है जब मनुष्य इसकी निर्धारित सीमा से आगे निकल जाता है, अतः क्रोध की अवस्था में उसकी नसें फूल जाती हैं, वह दहाड़ता है और बरस पड़ता है, वह अपने आपको रोक पाने में असमर्थ हो जाता है। वह बुरा-भला बोलने लगता है, उसका हाथ गलत जगह पर पहुंच जाता है, वह अपने निर्णय में क्रूरता का शिकार हो जाता है, वह ऐसी बातें कहने लगता है जो उसे खुद समझ में नहीं आती और न ही वह होश की स्थिति में इस प्रकार की बातों को अपनी ज़ुबान से कहना उचित

(१) जामिउल उलूमि वल हिकम, लेखक: १३८।

(२) अल् फ़वायद, लेखक: इब्नुल क़ैयिम: १५४।

समझता, आवेश में आकर इस प्रकार के कार्य कर लेता है जिसके लिए उसे बाद में पछतावा होता है एवं लज्जित होना पड़ता है, संक्षिप्त में कहें तो हत्या, दुर्व्यवहार, गाली गलौच, मार-धाड़ एवं सभी प्रकार के बुरे कथन एवं कर्म की जड़ यह गुस्सा एवं क्रोध ही है।

“क्रोध वह शक्ति है जो व्यक्ति को अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, विद्रोह और मूर्खता करने को प्रेरित करती है”⁽¹⁾ और ये सभी अवगुण नैतिक बुराइयों में गिने जाते हैं। हदीस में वर्णित है कि एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से आग्रह किया कि आप मुझे वसीयत कीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “तुम क्रोध मत करो”, उस सहाबी ने पुनश्च यही प्रश्न किया, तो आपने फिर यही उत्तर दिया कि: “क्रोधित मत हुआ करो”⁽²⁾ तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “वीर वह नहीं है जो किसी को पछाड़ दे, वास्तविक वीर तो वह है जो गुस्सा आने पर खुद पर नियंत्रण रखता है”⁽³⁾ तथा अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कथन है: “गुस्से में आग बबूला होने की बजाय खुद को संयमित रखना ही असली सहनशीलता है”⁽⁴⁾

(1) मदारिजुस्सालिकीन, लेखक: इब्नुल कैयिम: २/ ३२२ ।

(2) सहीह बुखारी, हदीस संख्या: ४११४ ।

(3) सहीह बुखारी, हदीस संख्या: ४११४ ।

(4) अदबुदुनिया वदीन: २५२ ।

तीसरा: नैतिक बुराइयों के नियम

“किसी वस्तु को सीमित करने अथवा एक निश्चित घरे में कैद करना नियम या सिद्धांत कहलाता है”⁽¹⁾

नैतिक बुराइयों का सिद्धांत ग़लत व्यवहार की सीमाओं को संदर्भित करता है। अतः जब कोई व्यक्ति अपने आचरण में इन सिद्धांतों या उनमें से कुछ को पूरी तरह से नज़र-अंदाज कर देता है, तो वह सत्य मार्ग से बहुत दूर हो जाता है, भले ही उसका चरित्र और कार्य बाह्य रूप से अच्छा लगता हो। जैसा कि निम्नलिखित सिद्धांत के आलोक में यह स्पष्ट हो जायेगा।

१- सैद्धांतिक नियम:

इसका मतलब यह है कि नैतिक व्यवहार क़ुरआन एवं हदीस के दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। नैतिकता के अध्याय में मूल सिद्धांत यह है कि उन नैतिकताओं को स्वीकार किया जाएगा जिन पर इस्लामी शिक्षाओं की मुहर होगी। जबकि बुरे संस्कारों के संबंध में सिद्धांत यह है कि अच्छे संस्कारों से विमुख होकर बुरे आचरणों को अपना लिया जाए। दूसरे शब्दों में अच्छे संस्कारों के विपरीत आचरण अपनाना या उन्हें बढ़ाना या घटाना बुरा आचरण कहलाता है। इसका और अधिक विवरण निम्नांकित है:

- उच्च नैतिकता के विपरीत दुष्ट आचरण अपनाना। संक्षेप में यह समझें कि स्वयं को दूसरों से सुरक्षित रखने के स्थान पर कष्ट पहुँचाया जाए, उदारता के स्थान पर कृपणता एवं क्रूरता का प्रदर्शन किया जाए, सहनशीलता के स्थान पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए तथा विनम्रता से भेंट करने की जगह अशिष्टता का प्रदर्शन किया जाए। इसे और अधिक स्पष्ट शब्दों में इस तरह समझें कि सत्य के स्थान पर झूठ, विश्वास के स्थान पर विश्वासघात, उपकार के स्थान पर कृतघ्नता, धैर्य के स्थान पर अधीरता एवं पवित्रता के स्थान पर दुष्टता एवं कुकर्म को ग्रहण किया जाए।

- सद्व्यवहार की सीमा लांघना, उसकी उपेक्षा करना, यह भी उसे बुरे संस्कारों की श्रेणी में शामिल कर देता है। उदाहरण के लिए, आतिथ्य को ले लें, यदि कोई इसमें सीमा लांघ जाए तथा अपव्यय करे तो यह एक अवांछनीय कार्य है, इसके विपरीत, यदि कोई आतिथ्य की सीमा से नीचे ही रह जाए तथा इसमें लापरवाही दिखाए तो यह उसकी कंजूसी समझी जायेगी। अल्लामा मावर्दी रहिमहुल्लाह कहते हैं कि: “चूँकि अच्छे आचरण की सीमाएँ परिभाषित हैं और स्थान विशिष्ट हैं, अतः यदि कोई सीमा को पार करता है, तो इसे अपमान का कारण तथा

⁽¹⁾ मिन अहदाफ़ित् तर्बियतिल इस्लामिय्यह, लेखक: खालिद अल्-हाज़िमी: ४२।

यदि कोई इसके उचित स्थानों से विमुखता प्रकट करे तो इसे धिक्कार का कारण माना जायेगा”⁽¹⁾

सैद्धांतिक नियम का सारांश यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की विधि एवं आचरण का बिना किसी अति एवं न्यून के अक्षरशः पालन किया जायेगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किसी भी उच्च नैतिकता में कोई कमी नहीं छोड़ी है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उच्च नैतिकता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पेश किया है, यहां तक कि अल्लाह तआला ने भी आपको इस संबंध में परिपूर्ण बताया है। अल्लाह तआला का कथन है:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [سورة القلم: ६]

अनुवाद: (निःसंदेह आप नैतिकता के शिखर पर विराजमान हैं)। सूरह कलम: ४।

अतः सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सिद्धांतों एवं बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने का आदेश देते हुए फ़रमाया:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

﴿[سورة الحشر: ७]

अनुवाद: (तुम्हें रसूल जो कुछ दें उसे ले लो और जिस से रोकें रुक जाओ, अल्लाह का भय खाते रहा करो, निश्चय ही अल्लाह तआला कठोर यातना वाला है)। सूरह हश्र: ७।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने बताए मार्ग का अनिवार्य रूप से पालन करने के संबंध में फ़रमाया: “जिसने कोई ऐसा कार्य किया जिस पर हमारी शरीअत (धर्म, नियम) की मुहर नहीं है तो वह कार्य खण्डनीय है”⁽²⁾ तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है: “जिसने हमारी शरीअत में कोई ऐसा नया कार्य अंजाम दिया जिसका कोई आधार मौजूद नहीं है तो वह अस्वीकार किये जाने योग्य है”⁽³⁾

२- नैतिक सिद्धांत:

कोई कार्य बाह्य रूप से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आचरण के अनुसार हो तथा वह नैतिक बुराइयों की सीमा से भी दूर हो, परंतु उसके स्वीकार्य होने के लिए यह भी आवश्यक है कि उसके अंजाम देने के पीछे कारण केवल सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह

⁽¹⁾ अदबुद्दुनिया वदीन, लेखक: मावरदी: १४३।

⁽²⁾ सहीह मुस्लिम: ३/ १३४३-१३४४, हदीस संख्या: १७-१७१८।

⁽³⁾ सहीह बुखारी, हदीस संख्या: २६९७, २/ २६७, सहीह मुस्लिम: ३/ १३४३, हदीस संख्या: १७-१७१८।

का आज्ञापालन हो एवं इरादा निश्छल हो और इख्लास से ओत-प्रोत हो। उसके पीछे वे कारण न हों जो उसे नैतिक बुराइयों की श्रेणी में शामिल कर दें, क्योंकि मानव यदा-कदा आदर्श चरित्र का प्रदर्शन तो करता है, परंतु उद्देश्य यह होता है कि लोग उसके बारे में कहें कि: अमुक व्यक्ति मुजाहिद है, अमुक व्यक्ति विद्वान है, अमुक आदमी शिष्ट है, अतः उसका यह कार्य व्यर्थ चला जाता है तथा इसकी गिनती नैतिक बुराइयों में होने लगती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “क्रयामत के दिन सबसे पहले जिस व्यक्ति का फैसला किया जायेगा वह ऐसा व्यक्ति होगा जो उसकी राह में शहीद हुआ होगा, उसे लाया जायेगा, फिर अल्लाह तआला उसे अपनी नियामतों की पहचान करवायेगा, तो वह उनका इकरार करेगा, अल्लाह तआला पूछेगा: फिर तुम ने उनके संबंध में कौन सा कार्य किया है? वह उत्तर देगा कि मैंने तेरी राह में जिहाद किया यहाँ तक कि शहीद हो गया। अल्लाह तआला फ़रमायेगा: तूने झूठ कहा: तूने जिहाद इस इरादा से किया था कि तुझे वीर एवं बहादुर कहा जाए, तो यह संसार में कहा जा चुका, फिर उस व्यक्ति के संबंध में निर्णय सुनाया जायेगा तथा उसे मुख के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जायेगा। एक वह व्यक्ति होगा जिसने विद्या सीखी होगी, शिक्षा दी होगी, कुरआन पढ़ा होगा, उसे लाया जायेगा तथा अल्लाह तआला उसे अपनी नियामतों की पहचान करवायेगा तो वह इकरार करेगा, फिर सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह पूछेगा: तो तुम ने कौन सा कार्य किया? वह बोलेगा: मैंने विद्या सीखी, उसे दूसरों को सिखाया और तेरी खातिर मैंने कुरआन पढ़ा, अल्लाह तआला फ़रमायेगा: तूने झूठ बोला, तूने तो विद्या इस इरादे से सीखा था कि तुझे विद्वान कहा जाए और कुरआन इस अभिलाषा के साथ पढ़ा था कि तुझे क़ारी कहा जाये, और संसार में ऐसा कहा जा चुका, फिर आदेश दिया जायेगा तथा उसे मुख के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जायेगा। एक वह व्यक्ति भी होगा जिसे अल्लाह तआला ने धनवान बनाया होगा तथा उसे हर प्रकार के धन-सम्पदा से अनुग्रहीत किया होगा, उसे लाया जायेगा, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह उस से अपनी नियामतों का इकरार करवायेगा तो वह इकरार करेगा, फिर अल्लाह पूछेगा कि: तूने क्या कार्य किया? वह उत्तर देते हुए कहेगा: मैंने ऐसा कोई मार्ग नहीं छोड़ा जिसमें धन खर्च करना तुझे प्रिय हो परंतु मैंने उसमें तेरी प्रसन्नता पाने हेतु धन खर्च किया, अल्लाह तआला फ़रमायेगा: तूने झूठ बोला, बल्कि तूने ऐसा इसलिए किया कि तुझे दानी एवं सखी कहा जाये, और संसार में तुझे ऐसा कहा जा चुका, फिर आदेश दिया जायेगा और उसे चेहरे के बल घसीट कर नरक में फेंक दिया जायेगा”⁽¹⁾

चुनाँचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शिक्षाओं का पालन करने के साथ-साथ निय्यत का खालिस (ईमानदार इरादा) रखना बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है: “समस्त कार्यों का आधार निय्यतों (इरादों) पर है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निय्यत के आधार पर पुण्य एवं पाप मिलता है, चुनाँचे जिसकी हिजरत अल्लाह

⁽¹⁾ सहीह मुस्लिम: ३/ १५१३-१५१४, हदीस संख्या: १५२-१९०५।

और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए होगी तो उसकी हिजरत अल्लाह एवं उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए मानी जायेगी, तथा जिसकी हिजरत (पलायन) सांसारिक लाभ के लिए होगी अथवा किसी महिला से विवाह के लिए होगी तो उसकी हिजरत उसके इरादे के अनुसार समझी जायेगी”।⁽¹⁾

⁽¹⁾ सहीह बुखारी १/ १३, हदीस संख्या: १, ५४, २५२९ व मुस्लिम: ३/ १५१५, हदीस संख्या: १५५, १९०७।

द्वितीय पाठः

नैतिक बुराइयों के प्रकार व भेद

नैतिक दोष अपनी प्रकृति, उत्पत्ति, गंभीरता और दंड में विविध होते हैं, और उनकी संख्या इतनी अधिक है कि उन्हें एक पुस्तक में संग्रहित करना कठिन है, इसलिए इस बिंदु पर अपनाए जाने वाले मूल्यों और सिद्धांतों के कुछ उदाहरणों को रेखांकित करना उचित है, वे इस प्रकार हैं:

- शाब्दिक बुराईयां।
- श्रव्य एवं दृश्य संबंधी बुराईयां।
- बौद्धिक और व्यावहारिक बुराईयां।
- हृदय संबंधी बुराईयां।

प्रथम: शाब्दिक बुराईयां

यह उन बुराईयों को संदर्भित करती हैं जो एक व्यक्ति अपनी जीभ से करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “एक व्यक्ति एक शब्द बोलता है और उसके बारे में तनिक भी नहीं सोचता (कि यह कितना घातक एवं अधर्म की बात है) जिसके कारण वह नरक के गड्ढे में उतनी दूर गिर जाता है जितनी पूरब एवं पश्चिम के बीच दूरी है”⁽¹⁾ एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “लोगों को नर्क में उनके चेहरे या नाक के बल घसीटा जाएगा, केवल उनकी जुबान की खेतियों के कारण”⁽²⁾ हर वह शब्द जो व्यक्ति अपनी जुबान से अदा करता है उस पर उसके लिए नेकी या बुराई लिखी जाती है, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का फ़रमान है:

﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [سورة ق: १८]

अनुवाद: (वह नहीं बोलता है कोई बात मगर उसे लिखने के लिए उसके पास एक निरीक्षक तैयार होता है)। सूरह काफ़: १८।

जिह्वा की शाब्दिक विकृतियाँ अनेक हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं:

ग़ीबत (पिशुनता):

ग़ीबत का अर्थ:

शाब्दिक अर्थ: आदमी अपने सिवा किसी अन्य व्यक्ति का बिना किसी आवश्यकता के उल्लेख करे।⁽³⁾

पारिभाषिक अर्थ: ग़ीबत का शरई अर्थ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस में उल्लेखित है, चुनाँचे आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस में वर्णित है कि: “क्या तुम लोग जानते हो कि ग़ीबत क्या है? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने उत्तर दिया कि: अल्लाह एवं उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: (ग़ीबत कहते हैं) अपने भाई का उस रूप में उल्लेख करना जो उसे अप्रिय हो, कहा गया: आपके क्या विचार हैं यदि वह बात जो मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई में मौजूद हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

(1) बुखारी: ४/ १८७, हदीस संख्या: ६४७७।

(2) तिर्मिज़ी: ५/ १५, हदीस संख्या: २६१६, यह हदीस सहीह है।

(3) अल् मुफ़रदात फ़ी ग़रीबिल कुरआन, लेखक: राग़िब अस्फ़हानी: ३६७।

ने फ़रमाया: यदि वह बात जो तुम बोल रहे हो उसमें मौजूद हो तो यह ग़ीबत है, और यदि वह बात उसके अंदर मौजूद नहीं है तो तुमने बोहतान (लांछन) लगाया”⁽¹⁾

ग़ीबत का अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति का उस चीज़ के साथ उल्लेख किया जाए जो उसे अप्रिय हो, चाहे वह उसके शरीर, धर्म, दुनिया, जान, नैतिकता, धन, बच्चे, पत्नी, नौकर, उसके व्यवहार, उसकी प्रसन्नता या अप्रसन्नता अथवा किसी और चीज़ से संबंधित हो, यद्यपि यह उल्लेख शब्द के द्वारा हो अथवा हाव-भाव एवं इशारा से।

ग़ीबत के कारण:

१- ग़ीबत करने का कारण जिस व्यक्ति की ग़ीबत की जा रही है उस से घृणा एवं द्वेष होता है, ग़ीबत करने से उसकी घृणा एवं द्वेष को संतुष्टि मिलती है, सामने वाले की ग़ीबत कर के लोगों के बीच उसके व्यक्तित्व को घटिया दर्शाया जाता है, तथा उसको निम्न स्तर तक पहुँचाया जाता है। अल्लामा ग़ज़ाली रहिमहुल्लाह ने इस ओर इशारा किया है, वह कहते हैं: ग़ीबत का पहला उद्देश्य यह होता है कि जब किसी व्यक्ति से गुस्सा हो तो अपने गुस्सा को ठंडक पहुँचाए, जब गुस्सा बढ़ जाता है तो उसकी बुराईयों का उल्लेख कर के संतुष्टि प्राप्त करता है, इसलिए यदि कोई धार्मिक भावना न हो तो स्वाभाविक रूप से जुबान से अनर्गल बातें निकल जाती हैं।

2- कभी-कभी ग़ीबत करने का कारण बुरे साथियों की संगति और सहानुभूति प्राप्त करना होता है, साथ ही जिस व्यक्ति की ग़ीबत की जा रही है, उस से अपनी घृणा के कारण उस से दूरी चाहना भी होता है।

अल-इह्या के लेखक ने ग़ीबत के कारणों में, दोस्तों की हाँ में हाँ मिलाना, साथियों की चापलूसी और बातचीत में उनकी मदद करना बताया है, क्योंकि लोग जब किसी की प्रतिष्ठा एवं सम्मान का उल्लेख करके मजाक उड़ाते हैं और यह व्यक्ति उन्हें ऐसा करने से रोके एवं सभा से उठ जाए तो वो इसको हेय दृष्टि से देखेंगे, अतः यह उनकी सहायता करता है तथा इसी को शिष्टाचार समझता है।

३- ग़ीबत का उद्देश्य यह होता है कि दूसरों के दोषों का उल्लेख कर के अपने आप को बड़ा दिखाए, उदाहरणस्वरूप वह कहे कि अमुक तो अज्ञानी है, उसकी समझ घटिया है अथवा उसकी बात का कोई महत्व नहीं है।

ग़ीबत का नुक़सान:

⁽¹⁾ सहीह मुस्लिम: ४/ २००१, ७/ २५८९।

१- गीबत करने वाला हुराम (वर्जित) काम करता है, यहां तक कि शरीअत भी ऐसा करने वाले की तुलना अपने मृत भाई का मांस खाने से करती है, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْنَبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾ [سورة الحجرات: १२]

अनुवाद: (हे लोगो जो ईमान लाए हो! बचो अधिकांश गुमानों से, वास्तव में कुछ गुमान पाप है, और किसी का भेद न लो, और न एक-दूसरे की गीबत करो, क्या चाहेगा तुम में से कोई अपने मृत भाई का मांस खाना? अतः तुम्हें इस से घृणा होगी, तथा अल्लाह से डरते रहो, वास्तव में अल्लाह अति क्षमावान दयावान है)। सूरह हुजुरात: १२।

ज़ज्जाज़ रहिमहुल्लाह कहते हैं: इसका स्पष्टीकरण यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति का बुराई के साथ ज़िक्र करना जिसमें कोई बुराई नहीं है, यह उसके मरने के बाद उसका मांस खाने के समान है और उसे इसका एहसास भी नहीं होता है। अबू यअला रहिमहुल्लाह कहते हैं कि: गीबत को कठोरता के साथ हुराम (वर्जित) करार दिया गया है क्योंकि मुसलमान का मांस खाना निषेध है, आत्मा स्वाभाविक रूप से मृत का मांस खाने से घृणा करती है अतः गीबत को भी घृणा एवं नफरत में उसी के समान होना चाहिए।

२- गीबत का दण्ड बड़ा पीड़ादायक है तथा इसकी पकड़ बड़ी कठोर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसका उल्लेख करते हुए कहा है: “जब मुझे मेराज पर ले जाया गया तो मैं ऐसे लोगों के पास से गुज़रा जिनके तांबे के नाखुन थे जिस से वो अपने चेहरों एवं सीनों को नोच रहे थे, मैंने कहा: ये कौन लोग हैं? हे ज़िब्रील! तो उन्होंने उत्तर दिया: ये वो लोग हैं जो दूसरों की गीबत करते हैं और उनकी इज्जत के पीछे लगे रहते हैं”^(१)

३- गीबत करना ईमानवालों का चरित्र नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “हे लोगो! जो अपनी ज़ुबान से ईमान लाए और ईमान उनके दिलों में नहीं उतरा, मुसलमानों की गीबत मत करो तथा उनकी छिपी हुई चीज़ों के पीछे मत पड़ो, जो दूसरों की छुपी बातों के पीछे पड़ता है, अल्लाह उसके राज के पीछे लग जाता है, और अल्लाह जिसके राजों के पीछे लग जाए उसे उसके घर में अपमानित कर देता है”^(२)

(१) अबू दावूद (५/ १९४) संख्या (४८९०), अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सहीह करार दिया है, देखें: सहीह सुनन अबू दावूद, संख्या (४०८२-४८७८)।

(२) अबू दावूद (५/ १९४-१९५) संख्या (४८८०), तथा अल्लामा अलबानी ने “सहीहुल जामेअ अस् सगीर” (२/ १३२३) संख्या (७९८५) के अंदर इसको सहीह कहा है, जबकि सहीह सुनन अबू दावूद, संख्या (४०८३-४८८) के अंदर इसको हसन सहीह कहा है।

उपचार के लिए प्रशिक्षण निर्देश:

गीबत के इलाज के लिए यहां कुछ प्रशिक्षण दिशानिर्देश दिए गए हैं:

१- जो व्यक्ति गीबत करता है उसे अल्लाह की सज़ा, उसकी पीड़ा एवं कठिनाइयों को सहन न कर पाने की शक्ति का एहसास होना चाहिए, गीबत करना अल्लाह की नाराज़गी का कारण बनता है।

२- जब कोई व्यक्ति किसी की गीबत करने का इरादा करे तो उसे उसकी बुराई को स्वयं अपने ऊपर लौटने का एहसास होना चाहिए, उसे याद रखना चाहिए कि चुगली करने वाला उस व्यक्ति के समान है जो अपने मृत भाई का मांस खाता है, आदमी स्वाभाविक रूप से जीवित व्यक्ति का मांस खाने से घृणा करता है तो मृत व्यक्ति का मांस वह कैसे खा सकता है?

३- उसे ऐसी बुरी संगति से बचना चाहिए जिसे लोगों की गीबत करने से खुशी मिलती हो तथा उसे अच्छे लोगों का साथ अपनाना चाहिए जो धर्म की स्थापना में उसकी मदद करें।

४- उसे याद रखना चाहिए कि एक मुसलमान की विशेषता यह है कि अन्य मुसलमानों को उसकी जीभ और हाथों से सुरक्षित रहना चाहिए, और उन अशुद्ध चीजों से बचना चाहिए जिन से अल्लाह ने मना किया है, जैसा कि हदीस शरीफ में बताया गया है: “एक सच्चा मुसलमान वह है जिसकी जीभ और हाथ दूसरे मुसलमानों सुरक्षित रहें, मुहाजिर वह है जो अल्लाह ने जो मना किया है उससे दूर रहता हो”⁽¹⁾

५- उसे यह निश्चित रूप से मालूम होना चाहिए कि लोगों की उसकी प्रशंसा से और जिस चीज़ से वह घृणा या विरोध करता है, उसकी बुराई से उसे कोई लाभ नहीं होगा। यदि अल्लाह ने उसके लिए नहीं लिखा है, तो यह उसे किसी अन्य स्थान तक नहीं पहुंचा पाएगी। बल्कि इससे लोगों में उसके प्रति घृणा और नफरत ही पैदा होगी क्योंकि वे जानते हैं कि अगर यह व्यक्ति दूसरों की गीबत करता है तो उनकी भी गीबत किसी के सामने करेगा, दूसरों के बीच उसका जिक्र आम हो जाता है, इसलिए लोग उससे सावधान रहते हैं, उससे डरते हैं और उसकी ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि इसमें निफ़ाक़ अर्थात् पाखण्ड के गुण हैं।

६- माता-पिता और अभिभावकों को स्कूल, घर और सभी सामाजिक संगठनों में इस्लामी नैतिकता के अनुसार कार्य करना चाहिए, गीबत करने वालों को डांटना चाहिए और उनकी कोई बात नहीं सुननी चाहिए। उनकी बातों से उदासीनता दिखला कर इस अपराध की बुराई और गंभीरता को दर्शाना चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने

⁽¹⁾ सहीह बुखारी (१/ २०-२१) संख्या (१०), व मुस्लिम (१/ ६५) संख्या (६५-४१)।

फ़रमाया: “जो कोई अपने भाई के सम्मान की रक्षा करेगा, अल्लाह पुनरुत्थान के दिन उसकी रक्षा करेगा”।⁽¹⁾

चुगली:

शाब्दिक अर्थ: पीठ पीछे किसी की शिकायत करना, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन है:

{ هَازِمْ مَشَاءَ بَنِي إِسْرَءِيلَ } [سورة القلم: ١١]

अनुवाद: (जो व्यंग करने वाला, चुगलियां खाता फिरता है)। सूरह क़लम: ११।

पारिभाषिक अर्थ:

चुगलखोरी: यह लोगों के बीच अशांति पैदा करने का प्रयास करना है, ताकि लोग एक-दूसरे के खिलाफ भड़कें और अपने दिलों में दुश्मनी और द्वेष भर लें।

विद्वान कहते हैं: उपद्रव फैलाने के लिए लोगों की बातों को एक-दूसरे तक पहुंचाना चुगली कहलाता है, चुगली (पिशुनता) नैतिक भ्रष्टाचार और आत्मा की दुष्टता का परिणाम है, क्योंकि यह दोस्ती के बाद अलगाव, प्यार के बाद नफरत और मेल-मिलाप के बाद दुश्मनी का मूल है, यह प्रेम संबंधों और रिश्तों को तोड़ देता है, और चुगलखोरी करने वाले के लिए पीड़ा और लोगों की अस्वीकृति का कारण बनता है।

चुगली के कारण:

१- चुगली का एक कारण ईर्ष्या है, उदाहरण के लिए, एक चुगली करने वाला, दो दोस्तों की दोस्ती से ईर्ष्या करता है, इसलिए वह चुगली करके उनके बीच अशांति उत्पन्न करने का प्रयास करता है, उनके बीच संदेह के बीज बोता है और परिणामस्वरूप, वे एक-दूसरे से लड़ने लगते हैं।

२- कभी-कभी चुगली का कारण आत्मा और स्वभाव की नीचता होती है, लोगों के रहस्यों को उजागर करने को पसंद करना होता है, हालांकि यह एक अवांछनीय और बुरी आदत है जो ऐसी दुष्ट आत्मा और नीच प्रकृति को दर्शाती है जो दूसरों के रहस्यों को उजागर करने एवं उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए उत्सुक रहती है।

चुगली का नुकसान:

⁽¹⁾ तिर्मिज़ी (४/ २८८) संख्या (१९३१) तिर्मिज़ी ने इस हदीस को हसन कहा है, अहमद (६/ ४५०), तथा अलबानी ने इस हदीस को सहीह कहा है, देखें: सहीह सुनन तिर्मिज़ी, संख्या (१५७५-२०१३)।

१- अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने चुगली करने वाले के संबंध में फ़रमाया: “चुगली करने वाला स्वर्ग में प्रवेश नहीं पायेगा”।⁽¹⁾

अल्लामा नववी रहिमहुल्लाह इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि:

प्रथम: यह उस समय होगा जब उसे इसके हराम (वर्जित) होने का ज्ञान हो और इसके बावजूद वह इसकी कोई दूसरी व्याख्या किये बिना चुगली करे।

द्वितीय: वह सफल लोगों की तरह प्रवेश नहीं करेगा।

२- वह क़ब्र की यातना से मुक्ति नहीं पायेगा, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है वह कहते हैं कि: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दो क़ब्रों के पास से गुज़रे तो आपने फ़रमाया: इन दोनों को यातना दी जा रही है, तथा दोनों को किसी बड़ी चीज़ के कारण दण्डित नहीं किया जा रहा है, फिर आपने फ़रमाया: एक आदमी चुगली किया करता था तथा दूसरा पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक हरी टहनी ली तथा उसके दो टुकड़े किए, दोनों टुकड़ों को एक-एक क़ब्र पर गाड़ दिया और फ़रमाया: संभव है कि जब तक यह दोनों सूखें नहीं तब तक उसके दण्ड में कमी की जायेगी।⁽²⁾

३- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने चुगली करने वालों को सबसे दुष्ट मानव तथा दो मुख वाला कहा है जो कुछ लोगों के पास एक मुख लेकर जाता है तथा कुछ अन्य लोगों के पास दूसरा मुख लेकर, हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “तुम में सबसे दुष्ट वह है जो दो मुख वाला हो, जो कुछ लोगों के पास एक मुख के साथ तथा दूसरे लोगों के पास दूसरा मुख लेकर आता है”।⁽³⁾

अल्लामा कुरतुबी रहिमहुल्लाह कहते हैं: “दो चेहरों वाला व्यक्ति सबसे बुरा व्यक्ति होता है, क्योंकि उसकी स्थिति एक मुनाफ़िक़ एवं पाखंडी की तरह होती है, वह झूठ और मिथ्या के द्वारा चापलूसी करता है तथा लोगों के बीच फ़साद फैलाता है”। अल्लामा नववी रहिमहुल्लाह कहते हैं: “यह वह व्यक्ति है जो प्रत्येक समूह के पास उसे प्रसन्न करने वाली बात करता है, उस समूह को लगता है कि वह उसका एक हिस्सा है और विरोधी समूह के खिलाफ़ है, हालांकि उसका कृत्य झूठ एवं धोखाधड़ी से भरा हुआ है तथा दोनों समूहों के रहस्यों को जानने का प्रयास करना है”।⁽⁴⁾

(1) मुस्लिम (११/ १०१) संख्या (१६८/ १०५)।

(2) बुखारी (१/ ४२३) संख्या (१३७८)।

(3) बुखारी (२/ ५०३) संख्या (३४९४), व मुस्लिम (४/ २०११) संख्या (१००/ २५२६)।

(4) फ़तुह बारी, लेखक: इब्ने हज़र (१/ ४७५)।

इसी तरह, यह समूहों के बीच सामाजिक संबंधों को तोड़ने, परिवार और दोस्तों के बीच नाता को खत्म करने और लोगों के बीच नफरत और दुश्मनी फैलाने का एक साधन है।

५- इसके अलावा चुगली करने वाले के लिए एक संगीन धमकी भी है जिसका उल्लेख हदीसों में किया गया है, इससे इंसान अपने समाज में बहिष्कृत हो जाता है, दोस्तों और रिश्तेदारों के मध्य अप्रिय हो जाता है और जो लोग उसके रास्ते पर नहीं होते, वो उनसे बचने का प्रयास करते हैं।

जिसके सामने किसी की चुगली की जाए, उसके ऊपर छह जिम्मेवारियां हैं:

- १- इसकी पुष्टि न करे, क्योंकि चुगली करने वाला पापी होता है।
- २ -उसे ऐसा करने से रोके, उसका कल्याण चाहे एवं उसके काम को बुरा समझो।
- ३ -अल्लाह के लिए उससे नफरत करे।
- ४ -अपने अनुपस्थित भाई के बारे में बुरा गुमान न रखे।
- ५-जो बात उसके सामने की गई उसकी जिज्ञासा एवं जांच में न पड़े।

६- जिस चीज से उसने चुगली करने वाले को मना किया है, उसे भी वह चीज पसंद नहीं होनी चाहिए, अतः उसकी चुगली का उल्लेख न करे कि अमुक व्यक्ति ने ये बातें बयान की हैं, अन्यथा वह उसी के समान हो जायेगा तथा जिस चीज से रोका गया है उसको अंजाम देने वाला हो जायेगा।

उपचार के लिए प्रशिक्षण निर्देश:

उपचार के लिए कुछ प्रशिक्षण दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:

१- आदमी चुगली की दुष्ट स्थिति को याद करे तथा इसके विषय में इस्लामी शिक्षाओं का स्मरण करे, जैसे कि चुगली करने वाले को क़ब्र में होने वाले दण्ड को याद करे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन को दिमाग में रखे कि: “चुगली करने वाला स्वर्ग में प्रवेश नहीं पायेगा”⁽¹⁾

२- जिसके सामने चुगली की जाए वह चुगली करने वाले को इससे रोके, उसको नसीहत करे तथा उसका मार्गदर्शन करे, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों याद दिलाए, एवं चुगली करने के परिणामस्वरूप लोगों के मध्य जो फसाद फैलता है उसका उल्लेख करे।

⁽¹⁾ इसका हवाला पीछे दिया जा चुका है।

३- अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है, स्वयं अपने आप से प्रश्न करे कि क्या उसे यह बात पसंद आएगी कि कोई उसकी गीबत करे? तो जिस प्रकार वह इससे घृणा करता है उसी प्रकार दूसरे लोग भी इसे पसंद नहीं करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “तुम में से कोई उस समय तक मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वह अपने भाई के लिए वही न पसंद करे जो वह अपने लिए पसंद करता है”⁽¹⁾

४- व्यक्ति और समाज से चुगली के नुकसान को दूर करने में मस्जिद, मीडिया और विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका स्पष्ट करे।

५- धैर्य से लैस रहे और खुद को चुगली एवं उसकी आदत से बचाए।

झूठ बोलना:

शब्दकोशीय परिभाषा:

झूठ सच के विपरीत है।

पारिभाषिक परिभाषा:

इमाम सनआनी कहते हैं: झूठ वह है जो घटना की वास्तविकता के विपरीत हो।

किज़ब, यह है कि किसी चीज़ को वास्तविक घटना के विरुद्ध बताया जाए।

झूठ के कारण:

वे कारण जो झूठ तक ले जाते हैं तथा झूठ बोलने वाले को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों में डालते हैं, मावरदी रहिमहुल्लाह ने उनमें से कुछ का उल्लेख किया है एवं मुहम्मद अहमद जाद अल् मौला ने उनसे उद्धृत किया है, अतः झूठ के कारण ये हैं:

१- मनुष्य किसी काल्पनिक लाभ के लिए या किसी प्रत्याशित हानि को दूर करने के लिए झूठ बोलता है, वह ऐसा अपने आप को धोखा देकर और अपनी इच्छाओं का अनुसरण करते हुए करता है, वह जिस चीज़ की आशा करता है उससे दूर हो जाता है और जिस से डरता है उसके निकट हो जाता है।

२- मनुष्य कभी-कभी अपने भाषण को रोचक बनाने के लिए झूठ बोलता है जब वह सच बातों में कुछ भी रोचक और मनोरंजक चीज़ें नहीं पाता है।

⁽¹⁾ बुखारी (१/ २१) संख्या (१३), व मुस्लिम (१/ ६७) संख्या (७१/ ५)।

३- कभी-कभी वह अपने दुश्मन को चोट पहुंचाने के लिए झूठ बोलता है, उस पर बुराई का आरोप लगाता है और उसका संबंध ऐसे शब्दों और कार्यों से जोड़ता है जो उसने किया ही नहीं होता है।

४- झूठ बोलने के कारक उसके पास एकत्रित होते रहते हैं यहाँ तक कि वह उसका आसक्त हो जाता है, झूठ उसकी आदत बन जाती है और उसकी आत्मा उसके अधीन हो जाती है।

५- कभी-कभी इंसान एक झूठ बोलता है फिर उसे छुपाने और सामने न आने देने के लिए कई झूठ बोलने पर मजबूर हो जाता है।

६- संभवतः शरीअत की कम समझ एवं धार्मिकता की कमी इसके मुख्य कारणों में से एक है, इसीलिए एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति को झूठ बोलने का कोई औचित्य नहीं मिलता।

७- इंसान कभी-कभी अपनी महानता के अहंकार में भी झूठ बोलता है, अतः वह स्वयं को ऊंचे पद पर बनाए रखने के लिए झूठ बोलता है।

झूठ बोलने के कुछ और भी कारक होते हैं, कुछ लोग अपनी तरबियत एवं प्रशिक्षण के कारण झूठ बोलते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि उनका परिवार और समाज झूठ बोलना ठीक समझता है और अपने बेटों और सभी लोगों के साथ इसका प्रयोग करता है, तो इसे अच्छा मानता है। इस भ्रम में कि वह झूठ से अपना नुकसान दूर कर सकता है और लाभ प्राप्त कर सकता है, और वह यह नहीं सोचता कि झूठ उसके खिलाफ लिखा जा रहा है। साथ ही उन लोगों ने उसे एक-दूसरे की नकल करने और बुरी आदतों का आदी बना दिया है।

यही कारण है कि अल्लाह के दूत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसे बात से रोका है कि कोई व्यक्ति अपने बेटे से झूठ बोले, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि उन्होंने कहा: “अल्लाह के दूत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमारे घर आए जब मैं एक बच्चा था। वह कहते हैं कि: मैं खेलने के लिए निकल गया, मेरी माता ने कहा: अब्दुल्लाह यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ दूँगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा: तुम उसे क्या देना चाहती हो? उन्होंने कहा: मैं उसे खजूर देना चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: यदि तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारे विरुद्ध झूठ लिखा जाएगा”⁽¹⁾

झूठ बोलने के नुकसान:

१- यह निफ़ाक़ अर्थात पाखंड के लक्षणों में से एक है। अल्लाह के दूत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “मुनाफ़िक़ (पाखण्डी) की तीन निशानियाँ हैं: जब वह बोलता

⁽¹⁾ अहमद (३/ ४४७)।

है तो झूठ बोलता है, जब वह वादा करता है तो उसे तोड़ देता है, और जब वह अनुबंध करता है तो धोखा देता है”।⁽¹⁾

२- झूठ एक साधन और रास्ता है जो बुराइयों की ओर ले जाता है, और बुराइयां नरक की ओर ले जाती हैं, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है: “झूठ बुराइयों की ओर ले जाती है और बुराइयां नरक की ओर ले जाती हैं, और मनुष्य लगातार झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वह अल्लाह के निकट झूठा लिख दिया जाता है”।⁽²⁾

३- किसी व्यक्ति के लिए बहुत अधिक बोलना और जो कुछ वह सुनता है उसका वर्णन करना एक प्रिय कार्य बन जाता है, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इससे रोका है, फ़रमाया: “आदमी के पापी होने के लिए यही पर्याप्त है कि वह प्रत्येक सुनी हुई बात को बयान करता रहे”।⁽³⁾

४- झूठ बुराई का आधार है, और समाचार को विकृत करने का तर्क है, क्योंकि बात करने का ढंग ही व्यक्ति को विशिष्ट स्थान दिलाता है, इसी कारणवश झूठा व्यक्ति पशु से भी बदतर हो जाता है, तथा यह भ्रष्टाचार का एक तरीका है समाज में। आज के संसार में समस्या सत्य की कमी और झूठ के प्रसार से ही शुरू होती है, लोगों के शब्दों में झूठ है, कार्यों में झूठ है, इरादों में झूठ है एवं अभिव्यक्तियों में झूठ है।

५- इस झूठ के कारण परिवार, कार्य समूह, मित्रों के समूह और समाज के सभी लोगों में शब्दों और कार्यों की सत्यता के बारे में संदेह एवं भ्रम उत्पन्न होता है, इससे लोगों के बीच मनोवैज्ञानिक संदेह और दरार पैदा होती है।

चिकित्सीय प्रशिक्षण दिशानिर्देश:

झूठ बोलने के उपचार के लिए कुछ प्रशिक्षण दिशानिर्देश हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

१- इंसान को यह जानना एवं सदा अनुभव करना चाहिए कि दो फ़रिश्ते हैं जो अच्छा और बुरा लिखते हैं, और उसकी हर चीज़ का हिसाब लिया जाता है, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

(1) सहीह बुखारी (१/ २७) संख्या (२३), व मुस्लिम (१/ ७८) संख्या (१०७-५९)।

(2) पीछे इसका हवाला दिया जा चुका है।

(3) मुस्लिम (१/ १०) संख्या (५/ ५)।

﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾

[سورة ق: ١٧-١٨]

अनुवाद: (जबकि (उसके) दाएं-बाएं बैठे दो फ़रिश्ते लिख रहे हैं। वह नहीं बोलता कोई बात मगर उसे लिखने के लिए उस के पास एक निरीक्षक तैयार रहता है)। सूरह क़ाफ़: १७-१८।

२- माता-पिता और शिक्षकों को बातचीत में सच्चाई का पालन करना चाहिए, और अपने बच्चों से किया गया वादा पूरा करना चाहिए, ताकि बच्चे झूठ के आदी न हो जाएं और उसी पर उनका पालन-पोषण न हो, माता-पिता, अभिभावकों, शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों पर उनका विश्वास खत्म न हो जाए, कभी-कभी वे अपने दैनिक व्यवहार में अपने भाइयों और साथियों के समान पद्धति का पालन करते हैं, इसलिए जब वे बड़े होते हैं, तो झूठ बोलना उनकी आदत बन जाती है।

३- सत्य के प्रतिफल को जानना, सत्य अच्छे कर्मों की ओर ले जाता है, और अच्छे कर्म स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, यह ऐसी चीज़ है जो शब्दों, कार्यों, इरादों और अभिव्यक्तियों में सत्य को अपनाने के लिए प्रेरित करती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “मनुष्य लगातार सत्य बोलता रहता है और सत्य की खोज में रहता है यहाँ तक कि वह अल्लाह के निकट सच्चा लिख दिया जाता है”^(१) अल्लाह सर्वशक्तिमान कहता है:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصّٰدِقِينَ﴾ [سورة التوبة: ११९]

अनुवाद: (हे ईमान वालो! अल्लाह का भय खाते रहो एवं सत्यवादियों के साथ हो जाओ)। सूरह तौबा: ११९।

सत्यवादिता नबियों एवं रसूलों का विशेष गुण है, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की प्रशंसा की है एवं उनको सच्चा कहा है, अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَٰبِ إِبْرَٰهِيْمَ إِذْ كَانَ صَٰدِقًا نَّبِيًّا﴾ [سورة مريم: ६१]

अनुवाद: (तथा इस पुस्तक में इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) का भी उल्लेख कीजिए, निःसंदेह वह सत्यवादी नबी थे)। सूरह मर्यम: ४१।

५- झूठ से व्यक्ति एवं समाज को होने वाली हानि को स्पष्ट करने में परिवार, विभिन्न शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थाओं को अपनी भूमिका निभानी चाहिए।

(१) पीछे इसका हवाला दिया जा चुका है।

लानत (धिक्कार) एवं गाली गलौज करना:

लानत एवं गाली का अर्थ:

लानत भेजना (धिक्कारना): क्रोध के कारण धिक्कारना है तथा यह आखिरत (परलोक) में अल्लाह तआला की ओर से दण्ड एवं संसार में उसकी दया व अनुग्रह के स्वीकार करने को समाप्त करना है, तथा मानव की ओर से दूसरे मानव को बहुआ देना है।

गाली गलौज: गाली देना एवं लानत भेजना, ऐसे दुष्ट आचरण हैं जिन्हें इस्लाम ने नापसंद किया है, उस से सावधान रहने को कहना है एवं उस का विरोध किया है।

क्योंकि यह घृणा और शत्रुता पैदा करते हैं और कभी-कभी दुर्व्यवहार करने वालों को मारपीट तक पहुँचा देते हैं, यह पीड़ा देने एवं बोहतान (लांछन) लगाने के प्रवेश द्वारों में से एक है क्योंकि लानत करने वाला, या गाली देने वाला, जिसको गाली दी जा रही है, उसको कष्ट पहुँचाता है, अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا
وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ [سورة الأحزاب: ५८]

अनुवाद: (और जो भी ईमान वाले पुरुषों एवं महिलाओं पर बिना उनके कुछ किए तोहमत लगाते हैं तो ऐसों ने बड़ा बोहतान एवं खुला पाप अपने सिर लिया)। सूरह अहज़ाब: ५८।

लानत करने एवं गाली देने का कारण संतुष्टि प्राप्त करना होता है, क्योंकि गाली देने वाले के मन में गाली खाने वाले व्यक्ति के प्रति घृणा होती है तथा उसकी अत्यंत घृणा के कारण वह उसे बुरा चरित्र वाला कहता है। वह या तो इसके अर्थ से अनभिज्ञता के कारण ऐसा करता है अथवा जानबूझ कर भी लानत भेजता है, तथा उसके द्वारा उसे कष्ट पहुँचाने का इरादा करता है। इमाम गज़ाली रहिमहुल्लाह ने इसको अपने इस कथन में बयान किया है: “अश्लीलता का कारण या तो कष्ट पहुँचाने का इरादा है या पापियों, नीच लोगों के साथ रहने एवं उनके गाली की आदत से उत्पन्न होने वाली आदत है”।

२ - इसका कारण यह है कि कभी-कभी गुस्सा बहुत अधिक और तेज होता है, इसलिए व्यक्ति अपनी बात का परिणाम सोचे बिना ही अधिक एवं अप्रिय बातें बोलता है।

३- गाली देने एवं लानत भेजने का कारण कभी-कभी पापियों और नीच लोगों की संगति भी होती है, इसलिए ये वो बुरे आचरण हैं जो आपको प्रायः सड़कों, बाजारों और उन जगहों पर सुनने को मिलेंगे जहां लोग इकट्ठा होते हैं।

लानत-मलामत करने एवं गाली देने से होने वाली हानियां:

१- गाली देना गाली देने वाले को पाप का भागीदार बना देता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “मुसलमान को गाली देना फ़िस्क़ (पाप) है एवं उससे युद्ध लड़ना कुफ़्र (अधर्म) है”। अल्लामा नववी रहिमहुल्लाह इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं: “अतः मुसलमान को अनुचित रूप से गाली देना हराम (निषेध) है तथा इस पर सभी विद्वान एकमत हैं, एवं जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हराम बताया है उसको करने वाला फ़ासिक़ (पापी) है”।

२- लानत का पाप एवं उसकी बुराई बहुत संगीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “मोमिन पर धिक्कार भेजना उसका वध करना है”। अतः हदीस मुसलमानों को लानत करने के निषेध होने को प्रमाणित करती है, तथा इसमें कोई मतभेद नहीं है। अबू हामिद गज़ाली रहिमहुल्लाह कहते हैं: “किसी मुसलमान अथवा जानवर पर लानत भेजना जायज़ नहीं है, इसमें फ़ासिक़ (पापी) एवं दूसरों के मध्य कोई अंतर नहीं है, इसी प्रकार से काफ़िरों पर लानत भेजना जायज़ नहीं है, चाहे वह मृत हो अथवा जीवित, सिवाय उन लोगों के जिनके बारे में हमें क़ुरआन एवं हदीस से पता चल जाए कि कुफ़्र की हालत में उनकी मृत्यु हुई है जैसे अबू लहब एवं अबू जह्ल आदि”।

उनके समूह पर लानत भेजना जायज़ है, जैसे यह कहना कि अल्लाह तआला काफ़िरों पर लानत करे, अल्लाह यहूद एवं नसारा पर लानत करे, जहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथन की बात है कि: “मोमिन पर लानत भेजना उसका वध करना है”, तो बाह्य रूप से इसका अभिप्राय यह है कि हुर्मत (वर्जना) में दोनों बराबर हैं, यद्यपि वध करना अधिक संगीन है, इमाम अब्दुल्लाह बिन मारज़ी ने इसी को अपनाया है।

इसके सिवा अन्य कथन भी हैं परंतु वे कोई उतना अधिक उचित नहीं हैं।

३- श्राप देने वाले क़यामत के दिन सिफ़ारिश करने वाले नहीं होंगे, जबकि ईमान वाले अपने उन भाइयों के लिए सिफ़ारिश करेंगे जो सज़ा के हक़दार होंगे। अल्लाह के दूत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “जो शाप देते हैं वे पुनरुत्थान के दिन न तो सिफ़ारिशी होंगे और न ही गवाह होंगे”।

हदीस का अर्थ यह है कि वो क़यामत के दिन अपने उन भाइयों के लिए सिफ़ारिश (अभिस्तावना) नहीं करेंगे जो दण्ड के पात्र होंगे। तथा गवाह न बनने के संबंध में तीन कथन हैं:

क- सर्वाधिक सटीक एवं प्रसिद्ध कथन: वे क़यामत के दिन उम्मतों के विरुद्ध इस बात की गवाही नहीं देंगे कि उनके रसूलों ने उनको अल्लाह का संदेश पहुँचा दिया था।

ख- वो संसार में गवाह नहीं बन सकते, अर्थात उनके पाप के कारण उनकी गवाही स्वीकार नहीं की जायेगा।

ग- वह शहादत अर्थात अल्लाह के रास्ते में क़त्ल होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकते।

४- अगर जिसे गाली दी जा रही है वह इसके लायक नहीं है, तो वह गाली देने वाले के पास वापस आ जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर फिस्क़ (पाप) एवं कुफ़्र (अधर्म) का लांछन लगाए और वह ऐसा न हो तो यह उसी पर लौट कर आएगी”। तथा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “जब कोई व्यक्ति किसी पर लानत करता है, तो वह लानत आकाश पर जाती है, परंतु उसके सामने आकाश के द्वार बंद हो जाते हैं, फिर वह धरती पर उतरती है और वहां भी उसके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर वह दाएं-बाएं भटकती है, जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो वह उसके पास आती है जिस पर लानत किया गया था, और यदि वह व्यक्ति उसके योग्य नहीं है, तो वह लानत ऐसा कहने वाले के पास वापस चली जाती है। लानत के मामले की गंभीरता और उसकी वीभत्सता के कारण जानवरों पर भी लानत करने से रोका गया है।

सहीह मुस्लिम में "जानवरों को श्राप देने पर रोक" के नाम से एक अध्याय है: और इमाम मुस्लिम ने इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत का उल्लेख किया है: "अल्लाह के दूत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी एक यात्रा पर थे। अंसार की एक महिला एक ऊँटनी पर सवार थी, वह उकता गई तथा उसने उस पर लानत भेज दी। अल्लाह के दूत ने यह सुना, तो फ़रमाया: जो कुछ भी इस पर लदा हुआ है उसको उतार लो एवं इसको छोड़ दो, क्योंकि इस पर लानत भेजी गई है। आदरणीय इमरान बिन हुसैन कहते हैं कि: मानो मैं उस ऊँटनी को देख रहा हूँ कि वह लोगों के बीच घूम रही है और कोई भी उसके सामने नहीं आ रहा है।

उपचार के लिए प्रशिक्षण निर्देश:

अभिशाप के इलाज के लिए यहां कुछ उपचारात्मक प्रशिक्षण दिशानिर्देश दिए गए हैं:

१- आदमी लानत के पाप एवं उसके परिणाम में सोच-विचार करे कि यदि वह कोई मार्ग नहीं पाती है तो वह उसके कहने वाले की ओर ही लौट आती है, इसी प्रकार इस अध्याय में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से वर्णित हदीसों में सोच-विचार करे जिन की ओर इशारा किया जा चुका है।

२- वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जानवर पर भी लानत भेजने से रोकने पर गौर करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस महिला की ऊँटनी को

जिस पर उसने लानत भेजा था स्वतंत्र कर दिया, अतः यह तो और अधिक आवश्यक है कि मुसलमान अपने मुसलाम भाई पर लानत न करे, न उसको गाली दे।

३- लानत करने एवं गाली देने की विशेषता एवं बुद्धिमान लोगों की दृष्टि में उनकी हीनता पर विचार करना चाहिए, यदि वह विचार करेगा तो उसकी दुष्टता का उसे एहसास हो जायेगा, चुनांचे वह उसको बुरा समझेगा एवं उसे अपने मुख से निकालने पर खेद होगा।

४- इंसान इस गाली एवं लानत के कारणों में विचार करे तथा इसका उपचार इसके विपरीत वस्तुओं के द्वारा करे, यदि इसका कारण आदत है तो उस आदत को उस के विरुद्ध आदत से बदल दे, तथा यदि इसका कारण बुरे मित्रों की संगति है तो उनसे उत्तम मित्रों को चुने।

५- इंसान को चाहिए कि वह लोगों के साथ अपनी नियत एवं इरादा को ठीक कर ले, अल्लाह की ओर से इनाम और रहमत की आशा में, क्रोध, द्वेष एवं ईर्ष्या न करे, यह बात उसे गाली देने एवं लानत करने से बचाएगी।

शिरक एवं बिद्अत (बहुदेववाद एवं नवाचार) के शब्द:

शिरक: धर्म के संबंध में इंसान के शिरक के दो प्रकार हैं:

शिरक -ए- अकबर: यह वह है कि इंसान अल्लाह के साथ उसकी रूबूबियत (रब व पालनहार होने), उलूहियत (पूज्य होने) अथवा अस्मा व सिफ़ात (सुंदर नामों एवं उच्च गुणों) में किसी को अल्लाह का शरीक व साझी ठहराए।

शिरक -ए- असगर: यह रियाकारी (पाखण्ड) करना है। हदीस में आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “मैं तुम पर सर्वाधिक भय शिरक -ए- असगर का खाता हूँ, आप से प्रश्न किया गया: वह क्या है? तो आपने फ़रमाया: वह रियाकारी (दिखावा करना) है”।

बिद्अत: ऐसी बात पेश करना जिसमें कहने वाला अथवा करने वाला शरीअत का अनुसरण न करे।

शिरक -ए- असगर के कुछ उदाहरण निम्न हैं:

१- अल्लाह के सिवा किसी अन्य की क़सम खाना।

इंसान दो तरह से क़सम खाता है, या तो अल्लाह की उसके नाम और गुणों (अस्मा व सिफ़ात) की क़सम खाता है, और इस क़सम में कुछ भी ग़लत नहीं है, दूसरी तरह क़सम खाना यह है कि अल्लाह के अलावा किसी और की क़सम खाए, और इस क़सम के बारे में अल्लाह के दूत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है: “जिसने अल्लाह के सिवा किसी अन्य की क़सम खाई उसने कुफ़्र या शिरक किया”। यह हदीस इंगित करती है कि अल्लाह के अलावा

किसी अन्य व्यक्ति की शपथ लेना शिर्क है, यह अल्लाह के सिवा किसी अन्य की क़सम खाने की गंभीरता को दर्शाती है, जैसे कोई व्यक्ति नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की या किसी सम्मानित व्यक्ति की अथवा किसी दूसरे नबी की क़सम खाए, क्योंकि यह शपथ लेने वाले व्यक्ति के प्रति श्रद्धा का संकेत होता है और श्रद्धा किसी और के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए होती है। अतः मुस्लिम समुदाय के लिए उचित है कि वो अपने संतानों का प्रशिक्षण अल्लाह की पसंदीदा एवं प्रिय चीज़ों पर करे न कि उन चीज़ों पर जो अल्लाह को नापसंद एवं अप्रिय हैं।

२- “जो अल्लाह एवं आप चाहें” कहना:

मौखिक बुराइयों में से एक यह भी है कि मुस्लिम व्यक्ति कहे कि “जो अल्लाह एवं आप चाहें” क्योंकि वह अल्लाह के इरादे को मानव के इरादे से जोड़ देता है, यह शिर्क है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से वर्णित है कि एक यहूदी व्यक्ति नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा में उपस्थित हुआ और कहने लगा: तुम लोग शिर्क करते हो, कहते हो कि: “जो अल्लाह और तुम चाहो”, तथा तुम कहते हो: “काबा की क़सम”, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा को आदेश देते हुए फ़रमाया: “यदि क़सम खाना चाहो तो कहो: काबा के रब की क़सम, तथा यह भी कह सकते हो कि: अल्लाह जो चाहे फिर आप चाहें”।

हदीस में अम्र बिन शरहबील से वर्णित है, वह अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा: कौन सा पाप अल्लाह के निकट सबसे बड़ा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: तुम किसी को अल्लाह का साझी बनाओ, हालांकि उसने तुम्हें उत्पन्न किया है। यह हदीस शिर्क के संगीन होने का प्रमाण है। तथा पहली हदीस इस बात का तर्क है कि “अल्लाह और आप जो चाहें” कहना शिर्क (अनेकेश्वरवाद) है, आदमी को चाहिए कि वह कहे: “अल्लाह जो चाहे” यह “अल्लाह जो चाहे तत्पश्चात् तुम जो चाहो” कहने से उत्तम है। वल्लाहु आलम (अल्लाह अधिक बेहतर जानता है)।

अल्लाह के कलाम (वचन) का मज़ाक उड़ाना:

सबसे घृणित मौखिक बुराइयों में से ज़ुबान से उन शब्दों का निकलना है जो अल्लाह के वचन का मज़ाक उड़ाते हैं, अल्लाह सर्वशक्तिमान उन पाखंडियों के बारे में कहता है जो उनकी आयतों (छंदों) का मज़ाक उड़ाते हैं:

﴿وَلَيّن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ

كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ [سورة التوبة: ٦٥]

अनुवाद: (यदि आप उनसे पूछेंगे तो यही कहेंगे कि हम तो गप-शप एवं खेल में लगे हुए थे, कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह, उसकी आयतों एवं उसके रसूल का उपहास कर रहे थे)। सूरह तौबा: ६५।

तफ़सीर में वर्णित है कि मुनाफ़िकों अर्थात् पाखंडियों के एक समूह ने मुसलमानों और उनके धर्म का मज़ाक उड़ाया और कहा: हम ने इन पाठ करने वालों के समान किसी को नहीं देखा - वे आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का और आपके साथियों का जिक्र कर रहे थे - जो पेट का लालच रखते हैं, झूठ बोलने वाले हैं तथा लड़ाई के समय कायरता दिखाने वाले हैं, बाद में इसके लिए वे पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास माफ़ी मांगते हुए आए और कहा कि हम तो सिर्फ़ मज़ाक कर रहे थे, अल्लाह फ़रमाता है:

﴿قُلْ أَبِاللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ﴾ [سورة التوبة: १०]

अनुवाद: (कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह, उसकी आयतों एवं उसके रसूल का उपहास कर रहे थे)। सूरह तौबा: ६५।

अतः अल्लाह एवं उसके रसूल का उपहास उड़ाना, धर्म से निष्कासित करने वाला कुफ़्र है, क्योंकि धर्म का मूल अल्लाह एवं उसके रसूल तथा दीन -ए- इस्लाम के सम्मान पर आधारित है, एवं उनमें से किसी का भी उपहास करना उस मूल के विपरीत है तथा उसके घोर विरुद्ध है।

अतः मुसलाम को अल्लाह तआला के कलाम (वचन), उसके रसूल एवं दीन -ए- इस्लाम का उपहास उड़ाने एवं बुरी बातों से बचना चाहिए।

४- ज़माना एवं समय को गाली देना:

ज़माना को गाली देना एवं लानत करना नैतिक बुराइयों में से है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से वर्णित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “आदम की संतान मुझे पीड़ा देता है जब वह ज़माना को गाली देता है, मैं ही ज़माना हूँ, मैं रात्रि व दिन को बदलता हूँ”। एक दूसरी रिवायत में है कि: “ज़माना को गाली मत दो, अल्लाह ही ज़माना है”।

- वह ज़माना है इस आधार पर कि वही मुसीबत को अंजाम देने वाला है।
- मैं ही ज़माना हूँ। अर्थात् मैं ज़माना को उलटने पुलटने वाला रब व पालनहार हूँ और क्योंकि वह उसमें घटित होता है, तो अल्लाह हमें हदीस -ए- कुद्सी में बताता है: “आदम की संतान यदा-कदा उसी को अंजाम देती है जो अल्लाह को अप्रिय है, उसमें से है ज़माना को गाली देना तथा मुसीबतों का संबंध उससे जोड़ना, क्योंकि अल्लाह तआला ही ज़माना का मालिक व स्वामी है एवं उसमें हेर-फेर करने वाला है और चूँकि वह उसी में घटित होता है अतः ज़माना को गाली देना उसके मालिक

को गाली देना होता है”। एक दूसरी रिवायत में है: “अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ज़माना को गाली देने से मना करते हैं, यह बताते हुए कि अल्लाह तआला ही ज़माना का मालिक है, उसमें हेर-फेर करने वाला है, क्योंकि वह उसी में घटित होता है”। एवं इसकी पुष्टि हदीस -ए- कुद्सी से भी होती है।

५- हवा को गाली देना:

चूँकि इस्लाम अच्छे आचरण का आदेश देता है और बुरे आचरण की मनाही करता है, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हवा को गाली देने और श्राप देने से मना किया है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हवा सर्वशक्तिमान अल्लाह की रचना है, यह अल्लाह के आदेश से ही रुकती या चलती है, लाभ या हानि पहुँचाती है, अतः इसको गाली देना इसके संचालक को गाली देना है।

अल्लाह के दूत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “तुम लोग हवा को गाली मत दो, जब तुम कोई अप्रिय चीज़ देखो तो कहो: हे अल्लाह! हम इस हवा के कल्याण एवं जो कुछ इसमें कल्याण है एवं जिस कल्याण का इसे आदेश दिया गया है, उसका सवाल करते हैं, तथा इस हवा की बुराई, जो कुछ इसमें है उसकी बुराई एवं जिस बुराई का इसे आदेश दिया गया है उस से तेरी शरण चाहते हैं”।

हे मुसलमान, इस्लाम की महान शिक्षा पर विचार करो, यह मुसलमान को अल्लाह की सृष्टि के साथ अच्छे शब्दों का प्रयोग करना और बुरे शब्दों से बचना सिखाता है, इसलिए एक मोमिन (आस्तिक) के लिए यह उचित है कि वह अपने शब्दों को नैतिक बुराइयों से शुद्ध रखे, अपने रब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एवं अल्लाह तआला की समस्त रचना के साथ अच्छे आचरण की शिक्षा पर उसकी तरबियत करे।

वे कारक जो शिर्क एवं बिद्अत आधारित शब्दों के प्रयोग का कारण बनते हैं:

१- परिवेश। मनुष्य यदि ऐसे वातावरण में जन्म ले और शिक्षा प्राप्त करे जहाँ शिर्क एवं बिद्अत का बोलबाला हो तो वह उससे प्रभावित होता है एवं उसकी ज़ुबान इन शब्दों का आदी बन जाती है, जैसे कुछ लोगों का कहना: नबी की क्रसम, मेरी इज़्जत की क्रसम, मेरे बेटे की जान की क्रसम।

२- शैतान मनुष्य के लिए कुछ बुरे शब्दों को अलंकृत कर के पेश करता है।

३- यह विश्वास रखना कि कुछ गैर-शरई शब्द कुछ जरूरतों को पूरा करते हैं या परेशानियों को रोक देते हैं।

४- विद्वानों के वेश में कुछ अज्ञानी लोगों के उदाहरण का अनुसरण करना, जो बहुदेववाद एवं नवाचार (शिरक व बिद्अत) आधारित शब्दों का प्रयोग करते हैं।

५- दूसरे धर्म के लोगों से मिलने-जुलने एवं साथ रहने के परिणाम स्वरूप उनसे प्रभावित होना।

इससे होने वाली हानि:

शिरक -ए- अकबर समस्त सदकर्मों को बर्बाद करने वाला कृत्य है, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन है:

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [سورة الزمر: ٦٥]

अनुवाद: (जबकि आप को और आपसे पहले को वह्य (प्रकाशना) आ चुकी है कि यदि तुमने शिरक किया तो तुम्हारे सब काम बेकार चले जाएंगे एवं तुम जरूर हानि उठाओगे)। सूरह जुमर: ६५।

२- जो अल्लाह तआला के साथ शिरक करे एवं उसी पर उसकी मृत्यु हो जाए और वह अपने शिरक से तौबा न करे, तो अल्लाह तआला उसको क्षमा नहीं करता है। अल्लाह तआला का कथन है:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [سورة النساء: ४८]

अनुवाद: (निःसंदेह अल्लाह इसको क्षमा नहीं करता कि उसके साथ शिरक किया जाए, एवं इसके सिवा जिसको चाहता है क्षमा कर देता है, एवं जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया तो उसने निस्संदेह बड़ा बोहतान बांधा)। सूरह निसा: ४८।

३- शिरक अल्लाह तआला के अजाब (यातना) को वाजिब (अनिवार्य) करने वाला है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: “जिसकी मृत्यु इस स्थिति में हुई कि वह अल्लाह के साथ किसी अन्य को साझीदार बनाता हो तो वह नर्क में प्रवेश पायेगा”।

४- शिरक मनुष्य के हृदय को असबाब (माध्यम) के संबंध में खालिक (रचयिता) के बजाय मखलूक (रचना) से जोड़ देता है, जिसके माध्यम से वह अच्छाई की आशा करना और बुराई से बचना चाहता है।

५- शिर्क मनुष्य के आचरण एवं आदतों को निम्न स्तर तक पहुँचा देता है, चुनाँचे मनुष्य मखलूक (सृष्टि) के समक्ष अपमानित हो कर उसी तरह झुक जाता है, जिस तरह मखलूक अपने खालिक के समक्ष विनीत हो कर झुकती है।

६- शिर्क इंसान की बुद्धि को कमजोर कर देता है और इसके माध्यम से वह निर्बलता एवं अपमान तक पहुँच जाता है, क्योंकि उसका दिल भलाई की तलाश एवं बुराई को दूर करने के लिए पत्थरों, पेड़ों और जानवरों से जुड़ जाता है, और उन चीजों से डरता है, आशा, उम्मीद एवं प्रेम रखता है, भले ही वे ऐसे प्राणी हों जो सर्वशक्तिमान अल्लाह की इच्छा के बिना लाभ या हानि नहीं पहुँचा सकते, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاَسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّكَ الْذِّبُكَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ
اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾ [سورة
الحج: ٧٣]

अनुवाद: (हे लोगो! एक उदाहरण दिया गया है तो इसे ध्यान से सुनो, जिन को तुम अल्लाह को छोड़ कर पुकारते हो वह एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते यद्यपि वो सब इसके लिए एकत्रित हो जाएं और यदि मक्खी उनकी कोई चीज़ लेकर उड़ जाए तो उसे छीन भी नहीं सकते, दुर्बल है ऐसा मांगने वाला भी एवं जिससे मांगा जा रहा है वह भी)। सूरह हज्ज: ७३।

उपचार के लिए प्रशिक्षण निर्देश:

इसके इलाज के लिए यहां कुछ प्रशिक्षण दिशानिर्देश दिए गए हैं:

१- तौहीद (एकेश्वरवाद) का जानना एवं उस का अनुसरण करना, क्योंकि अज्ञानता शिर्क के दोनों प्रकार में पड़ जाने का आधार है, ज्ञान, सीखने, पूछने एवं ज्ञानियों के सानिध्य में रहने पर प्राप्त होता है।

२- मनुष्य तौहीद के उस स्थान को जाने जिसको यदि वह प्राप्त कर ले तो स्वर्ग में प्रवेश पा जायेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “जो अल्लाह से इस स्थिति में भेंट करे कि उसने अल्लाह के साथ किसी को साझी न बनाया हो तो जन्नत में दाखिल हो जायेगा, तथा जो इस स्थिति में अल्लाह से मिले कि उसके साथ किसी को साझीदार बनाता हो तो वह जहन्नम में जायेगा”।

३- यह जानना कि शिर्क एवं बिद्अत के वाक्य केवल उन्हीं अज्ञानियों के मुख से निकलते हैं जो तौहीद की वास्तविकता से अनभिज्ञ होते हैं, एवं मुसलमान को इस पर गैरत आनी चाहिए कि वह जाहिलों एवं अज्ञानियों में से हो जाए।

4- उच्च आदर्श का पाया जाना जो कथन एवं कर्म से से तौहीद (एकेश्वरवाद) की वास्तविकता का समर्थन करे, क्योंकि लोगों को उच्च आदर्श वाले लोगों की सदा आवश्यकता रहती है, मूसा अलैहिस्सलाम के समुदाय ने जब अपने नबी के संग समुद्र पार किया और मुश्रिकों (बहुदेववादियों) को अपने मूर्तियों के संग व्यस्त पाया तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से भी वैसी ही एक मूर्ति की मांग की, किंतु मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें मना कर दिया और उनकी वास्तविकता को उन पर स्पष्ट कर दिया, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन है:

﴿وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مَوْسَىٰ اجْعَلْ لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ [سورة الأعراف: ١٣٨]

अनुवाद: (तथा हमने बनी इस्राईल को दरिया के पार उतारा तो वो ऐसे लोगों के पास पहुँचे जो अपने बुतों को पूजने में मगन थे, वे बोले, हे मूसा, जैसे इन लोगों के पूज्य हैं वैसे ही एक पूज्य हमारे लिए भी बना दीजिए, उन्होंने (मूसा अलैहिस्सलाम ने) कहा: तुम बड़े जाहिल लोग हो। सूरह आराफ़: १३८।

5- ऐसी क्रमिक शिक्षण पद्धतियाँ का पाया जाना जो सहीह अक्रीदा (आस्था) एवं सही शब्दों पर नवीन पीढ़ी का प्रशिक्षण करे।

दूसरा: श्रव्य एवं दृश्य बुराईयां:

निःसंदेह सुनना और देखना बहुत बड़ी नेमतें हैं, ये दोनों सीखने के साधन हैं, मनुष्य अपनी आंखों से अल्लाह की निशानियों और इस संसार की प्रत्यक्ष चीजों को देखता है, अपने कानों से वाक्यों, शब्दों और ध्वनियों को सुनता है, तथा वह ज्ञान, समझ एवं नसीहत प्राप्त करता है, लेकिन इन आशीर्वादों के उपयोग के प्रति मनुष्य की जिम्मेदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है, मोमिन अपने कान एवं आँख को केवल अल्लाह तआला को प्रसन्न करने वाली चीजों के लिए ही प्रयोग कर सकता है, तथा हाराम कार्यों में इसका प्रयोग करना पूर्णतः वर्जित है।

यह एक नैतिक बुराई है कि कोई व्यक्ति इन इंद्रियों का उपयोग अल्लाह द्वारा निषिद्ध चीजों में करे, जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है।

गाना सुनना:

वाद्य यंत्रों इत्यादि को बजाना एवं सुनना चाहे वह जिस प्रकार का भी हो, हाराम (वर्जित) है।

अरबी भाषा के शब्द “अज़फ़” का अर्थ है वाद्य यंत्रों को बजाना, यह डफली एवं इसी के समान बजाई जाने वाली चीज़ें हैं।

अरबी भाषा के शब्द “आज़िफ़” का अर्थ है वह व्यक्ति जो वाद्य यंत्रों को बजाए एवं गाना गाए।⁽¹⁾

अल्लामा कुर्तुबी रहिमहुल्लाह ने अल्लामा जौहरी रहिमहुल्लाह से नक़ल किया है कि “मआज़िफ़” से अभिप्राय “संगीत” है, यह खेल-कूद के माध्यमों में से है, तथा एक कथन के अनुसार यह गाने-बजाने की ध्वनि को संदर्भित करता है। दुम्याती रहिमहुल्लाह की टिप्पणी में है कि “मआज़िफ़” डफली एवं इस के समान दूसरी बजाई जाने वाली चीज़ें हैं, संगीत एवं हर खेल-कूद को “अज़फ़” कहा जाता है।⁽²⁾

मौसीक़ी एवं संगीत का हुक्म:

अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

﴿مُهِينٌ﴾ [سورة لقمان: ٦]

(1) इब्ने मन्ज़ूर, लिसानुल अरब: ९/ ४।

(2) फ़तुहल बारी, लेखक: इब्ने हजर: १०/ ५५।

अनुवाद: (तथा लोगों में कुछ ऐसे हैं जो उन बातों को खरीदते हैं, जो ग़ाफ़िल करने वाली हैं ताकि अल्लाह के मार्ग से भटका दे, बिना किसी ज्ञान के तथा वह उसकी हंसी उड़ाए, ऐसे लोगों के लिए अपमानित करने वाला दण्ड है)। सूरह लुक्मान: ६।

कुरआन में वर्णित शब्द “लह्वल हदीस” से अभिप्राय है ग़ाफ़िल एवं अचेत कर देने वाली बातें, इब्ने मसऊद और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के कथन के अनुसार इससे अभिप्राय संगीत है, तथा संगीत कुरआन एवं हदीस के अनुसार हराम तथा वर्जित है।

अल्लामा कुर्तुबी रहिमहुल्लाह कहते हैं^(१): यह उन तीन आयतों (श्लोकों) में से एक है जिनसे मुस्लिम विद्वानों ने संगीत के हराम एवं निषेध होने का तर्क लिया है। दूसरी आयत है:

﴿وَأَنْتُمْ سَكِينُونَ﴾ [سورة النجم: ११]

इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं: “सामिद” का अर्थ हिम्यरी भाषा में संगीत होता है।

तीसरी आयत यह है:

﴿وَأَسْتَفْزِرُّ مَنْ أَسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ﴾ [سورة الإسراء: ६४]

अनुवाद: (तथा उन में से जिस पर तेरा बस चले तू अपनी आवाज़ से उनके क़दम उखाड़ दे)। सूरह इस्रा: ६४।

इमाम मुजाहिद रहिमहुल्लाह कहते हैं: इस आयत से अभिप्राय संगीत एवं मज़ामीर (बांसुरी) हैं।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है: “मेरी उम्मत में अवश्य कुछ ऐसे लोग होंगे जो व्यभिचार, रेशम, शराब एवं संगीत को हलाल (वैध) समझेंगे”।^(२)

ये कुरआन की आयतें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित हदीसों तथा मुस्लिम विद्वानों का इनके विषय में समझ, इस के बारे में इस्लाम का मत स्पष्ट करती हैं।

संगीत और अश्लीलता से रहित गाने सुनना, जैसा कि अरब लोग अपनी कविता में करते थे, उसका हुक्म इसके विपरीत है, अल्लामा कुर्तुबी कहते हैं: “संगीत जो लोकप्रिय होती है, जो आत्मा में हलचल पैदा करती है, और जो कामवासना एवं अश्लीलता को प्रोत्साहित करती है, जब शेर एवं कविता उस प्रकार का हो जिसमें महिलाओं का उल्लेख किया जाता है,

(१) अल् जामेअ लि अहकामिल कुरआन, लेखक: १४/ २६।

(२) बुखारी: ४/ १३, हदीस संख्या: ५५९०९।

उनके गुणों का वर्णन किया जाता है, शराब और निषिद्ध चीजों का उल्लेख किया जाता है, तो इसके हराम (वर्जना) होने में कोई मतभेद नहीं है क्योंकि सर्वसहमति से यह लह्व (खेल-कूद) एवं निंदनीय संगीत है। परंतु जो इन चीजों से रहित हो तो शादी, ईद आदि जैसे खुशी के अवसरों पर कविता पढ़ना, या कठिन कार्यों को करते समय शक्ति प्राप्त करने के लिए इसे पढ़ना जायज़ (वैध) है, जैसे खाई खोदने के अवसर पर सलमा बिन अकवअ का हुदी (शेर, कविता) पढ़ना प्रमाणित है। वर्तमान युग के सूफियों ने वाद्य यंत्रों के साथ वयस्क युवतियों से संगीत सुनने एवं “समाअ” की महफिल सजाने की जो रस्म ईजाद की है वह हराम है।

कारण:

संगीत सुनने के अनेक कारण हैं, यदि उनको अपना ले तो मनुष्य असफल हो जाता है तथा यदि उनसे बच जाए तो सफल हो जाता है।

कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

१ -बुरे लोग अच्छी आवाज़ रखने वालों को संगीत के लिए इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें धन और प्रसिद्धि का प्रलोभन देते हैं।

२ -संगीत के द्वारा प्रसिद्धि की चाहत रखना तथा लोभ में पड़ने को पसंद करना।

३ -जिस वातावरण में व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाता है, वह घर, स्कूल, पड़ोस, कुछ भी हो सकता है, जब यह वातावरण संगीत सुनने और इसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो व्यक्ति में इसके प्रति प्रेम और इसे सुनने की इच्छा विकसित होती है।

४- संगीतकारों और उन्हें पसंद करने वालों की संगत व्यक्ति को उनकी नकल करने पर मजबूर कर देती है।

५- इस अध्याय में शरीअत के नियमों की अज्ञानता, शरीअत का ज्ञान रखने वाले लोगों से नफरत, संगीत सुनने को औचित्य के नियमों से अलंकृत करना और ग्रंथों की अनावश्यक व्याख्या करना शामिल है।

संगीत का नुकसान:

संगीत की हानि एवं आफत, व्यक्ति, समाज और परिवार के लिए लोक-परलोक में बहुत खतरनाक हैं, जैसाकि निम्न में उसका उल्लेख किया जा रहा है:

१- यह मनुष्य को अल्लाह का स्मरण करने से रोकती है, क्योंकि यह उसका माध्यम है, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन है:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

مُهِينٌ ﴿٦﴾ [سورة لقمان: ٦]

अनुवाद: (तथा लोगों में कुछ ऐसे हैं जो उन बातों को खरीदते हैं, जो ग़ाफ़िल करने वाली हैं ताकि अल्लाह के मार्ग से भटका दे, बिना किसी ज्ञान के तथा वह उसकी हंसी उड़ाए, ऐसे लोगों के लिए अपमानित करने वाला दण्ड है)। सूरह लुक्मान: ६।

इब्नुल कैयिम रहिमहुल्लाह कहते हैं: आप जिस व्यक्ति को भी देखेंगे कि वह संगीत एवं वाद्य यंत्रों को सुनने पर ध्यान देता है, तो उसे ज्ञान के आधार पर भी तथा कर्म के आधार पर भी सही मार्गदर्शन से हटा हुआ पाएंगे, तथा उसके अंदर संगीत सुनने की तुलना में कुरआन सुनने की इच्छा कम पाई जाती है।^(१)

२- संगीत दिलों में अश्लीलता पैदा करता है, इब्नुल कैयिम रहिमहुल्लाह कहते हैं कि: यह शैतान का कुरान है तथा रहमान (अल्लाह) से दूर करने वाली रुकावट है, इसके माध्यम से दुष्ट प्रेमी अपने प्रिय को चोट पहुँचाता है, और इसके माध्यम से शैतान झूठ बोलकर आत्मा को धोखा देता है और उसे अच्छे के रूप में प्रस्तुत करता है।^(२)

३- संगीत में लगे रहने वाले की शहादत (गवाही) रद्द कर दी जाती है, अल्लामा कुर्तुबी रहिमहुल्लाह कहते हैं: हमेशा संगीत में लगे रहना ऐसी मूर्खता है जिसके कारण गवाही रद्द कर दी जाती है, परंतु यदि वह हमेशा संगीत में व्यस्त नहीं रहता है, तो शहादत खारिज नहीं की जाएगी।^(३)

४- इसके कारण दिलों में निफ़ाक़ (पाखंड) बढ़ता है, इमाम अहमद रहिमहुल्लाह के बेटे अब्दुल्लाह कहते हैं, मैंने अपने पिता से संगीत के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा: संगीत दिलों में पाखंड पैदा करता है, मुझे यह पसंद नहीं है, फिर उन्होंने इमाम मलिक के शब्दों का उल्लेख किया कि यह हमारे यहाँ दुष्ट लोगों द्वारा अंजाम दिया जाता है।^(४)

५- इसका एक दोष यह भी है कि इसके माध्यम से प्राप्त की गई हर चीज़ हराम है, इसके माध्यम से जीविका प्राप्त करना अमान्य है, इसके द्वारा धन कमाना वर्जित है, जैसे मृत एवं रक्त

(१) इग़ासतुल्लहफ़ान, लेखक: इब्नुल कैयिम: १/ २८४।

(२) पिछला संदर्भ: १/ २५९।

(३) अल् जामेअ लि अहकामिल कुरआन, लेखक: कुर्तुबी: १४/ ३८।

(४) इग़ासतुल्लहफ़ान, लेखक: इब्नुल कैयिम: १/ २८४।

द्वारा भोजन प्राप्त करना अमान्य है, किसी मनुष्य के लिए गाना गाने वाले के ऊपर धन खर्च करना जायज़ नहीं है अपितु हराम है।⁽¹⁾

६- इसी प्रकार इसमें यह भी दोष है कि यह लज्जा को कम करता है और कामवासना को बढ़ाता है, तथा मुखवत व लिहाज को समाप्त कर देता है, यज़ीद बिन वलीद कहते हैं: हे बनी उमय्या! संगीत से सावधान रहो, यह शील को कम करता है, वासना को बढ़ाता है तथा लिहाज को नष्ट करता है।⁽²⁾

७- यह इच्छा को उभारता है और व्यभिचार का मार्ग प्रशस्त करता है, क्योंकि यह बुद्धि को ढक देता है, संगीत के कारण कितनी स्वतंत्र स्त्रियाँ अनैतिक हो गईं, कितने स्वतंत्र पुरुष गुलाम बन गए, कितने अमीर लोग गरीब व दरिद्र हो गए, कितने ही अच्छे एवं स्वस्थ लोग जब इसमें लिप्त हुए तो उन पर भांति-भांति की आपदाएं उतरने लगीं।⁽³⁾

उपचार के लिए प्रशिक्षण निर्देश:

१- अधिकाधिक कुरआन का पाठ करना एवं उसमें सोच-विचार करना, यह मोमिनों के लिए आनंद का कारण है, सभी प्रकार के एकाकीपन के विरुद्ध आश्वासन है, यह डर से शांति एवं दुःख तथा चिंता से प्रसन्नता है, अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [سورة الرعد: २८]

अनुवाद: (वो लोग जो ईमान लाए तथा जिनके हृदय को अल्लाह की याद से शांति मिलती है, सुनो, अल्लाह की याद से ही हृदय को शांति प्राप्त होती है)। सूरह रअद: २८।

२- संगीत के स्थान से एवं ऐसे लोगों से दूरी अपनाना, क्योंकि किसी की संगति में बैठने से उसका प्रभाव पड़ना अवश्यंभावी है।

३- ऐसी शिक्षा में व्यस्त होना जो बुद्धि को बढ़ाए एवं उसके प्रकाश में वृद्धि करे।

४- घर एवं स्कूल में सही इस्लामी शिक्षा एवं तरबियत।

५- मस्जिद के मिम्बर एवं मीडिया के माध्यम से लोगों को इसका हुक्म समझाया जाए।

तजस्सुस अर्थात् जिज़ासा:

तजस्सुस का शाब्दिक अर्थ:

(1) पिछला संदर्भ: १/ २८४।

(2) पिछला संदर्भ: १/ २४६।

(3) पिछला संदर्भ: १/ ४६३।

छिपी हुई चीजों की जांच करना, प्रायः बुरी चीजों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यह भी कहा गया है कि दूसरों के दोषों की तलाश में रहना तजस्सुस अर्थात् जिज्ञासा है, और जासूस वह है जो जिज्ञासा में लिप्त रहता है।⁽¹⁾

पारिभाषिक अर्थ:

लोगों के बारे में तजस्सुस करने एवं जिज्ञासु होने का अर्थ है उनकी गलतियों की खोज में रहना जब वो एकांत में हों, या तो उनकी तरफ देख कर जबकि उनको इसका एहसास भी न हो, या उनकी बातें चोरी छिपे सुन ली जाएं और उनको इसके विषय में पता न हो, अथवा उनके पत्राचार, डेटा, रहस्य और वो चीजें जो वे दूसरों से गुप्त रखते हैं उनको उनकी अनुमति के बिना जान ला जाए।⁽²⁾

मुसलमानों की टोह में पड़ना, उनके दोषों को खोजना, उनकी चाल-ढाल तथा कथनी व करनी पर दृष्टि जमाए रखना, उन बुराइयों में से है जिन से इस्लाम ने रोका है, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन है:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِتُّمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾ [سورة الحجرات: १२]

अनुवाद: (हे ईमान वालो! बहुत से गुमानों से बचो, क्योंकि कुछ गुमान पाप होते हैं, और टोह में न लगे, तथा तुम में से कोई किसी की गीबत न करे, क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मृत भाई का मांस खाए, इससे तुम स्वयं घृणा करते हो, और अल्लाह से डरो, निःसंदेह अल्लाह क्षमा करने वाला दयालु है)। सूरह हुजुरात: १२।

तजस्सुस (जीम, -ज- से) का अर्थ होता है खोज करना, तलाशना, तथा इसी अर्थ में जासूस उस व्यक्ति को कहा जाता है जो वस्तुओं को खोजता हो, जबकि तहस्सुस (हा -ह- से) से अभिप्राय है वह चीज जिसका मनुष्य अपने इंद्रियों के द्वारा पता करता है।⁽³⁾

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “हे वे लोगो! जो जुबान से इस्लाम ले आए किंतु उनके हृदय में ईमान प्रवेश नहीं कर सका है, मुसलमानों को कष्ट न दो तथा उन को आर न दिलाओ, न ही उनके दोषों के पीछे लगे, अतः जो व्यक्ति अपने मुसलमान भाई के दोषों के पीछे लगता है, अल्लाह उसके दोषों के पीछे लग जाता है और अल्लाह जिसके

(1) लिसानुल अरब, लेखक: इब्ने मन्ज़ूर: ६/ ३८, मादा: ज स स (جسس)।

(2) अल् अख़्लाक़ अल् इस्लामिय्या व उसुसुहा, लेखक: अब्दुर्हमान अल् मैदानी: २/ २३९।

(3) अल् जामेअ लि अहकामिल कुरआन, लेखक: कुर्तुबी: १६/ २१८।

दोषों के पीछे लग जाए तो उसे उसकी सवारी के कजावा (हौदा) पर भी अपमानित कर देता है”⁽¹⁾

एक स्थान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “बदगुमानी से बचो क्योंकि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है... तजस्सुस में न लगो, न आपस में कीना रखो, न एक दूसरे से द्वेष रखो, न एक-दूजे से हसद करो, न एक दूसरे से घृणा करो और न ही एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करो, सब मिल के अल्लाह के बंदे भाई-भाई बन जाओ”⁽²⁾

कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो दरवाज़ों एवं खिड़कियों में कोई स्थान पा जाते हैं जहाँ से भीतर का दृश्य देख सकें तो बड़ा प्रसन्न होते हैं, वे मुसलमानों के दोषों के पीछे पड़ जाते हैं, तथा उन पलों के द्वारा जिसके कारण उसके लिए पाप लिखा जाता है, आनंद उठाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “जो व्यक्ति दूसरों के घरों में उनकी अनुमति के बिना झाँके और वे लोग उसकी आँख फोड़ दें, तो उसके लिए न दियत होगी और न ही क्रिसास”⁽³⁾

इब्ने शिहाब से वर्णित है कि सल्ल बिन सअद अस् सअदी ने उनको बताया कि एक व्यक्ति ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के द्वार के छेद से अंदर झाँका, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास एक कंधी थी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपना बाल झाड़ रहे थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से उनकी भेंट हुई तो आपने फ़रमाया: “यदि मुझे पता होता कि तुम अंदर झाँक रहे हो तो मैं उसे तुम्हारी आँख में भोंक देता” और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “अनुमति, दृष्टि के कारण ही निर्धारित की गई है”⁽⁴⁾

अल्लामा नववी रहिमहुल्लाह कहते हैं: इस हदीस में झाँकने वाले की आँख में हल्की वस्तु से मारने के वैध होने का तर्क मिलता है, यदि घर वाले ने उसको किसी हल्की वस्तु से मारा तथा उसकी आँख फूट गई तो उस पर कोई ज़मान (ज़िम्मेवारी) नहीं है जबकि वह किसी ऐसे घर में देख रहा हो जिसमें कोई महरम महिला न हो, वल्लाहु आलम (अल्लाह अधिक बेहतर जानता है)⁽⁵⁾

(1) सुनन अबू दावूद: ५/ १९४-१९५, संख्या: ४८८०, जामेअ तिर्मिज़ी: ४/ ३३१-३३२, हदीस संख्या: २०३२, उपरोक्त शब्द जामेअ तिर्मिज़ी के हैं।

(2) इस हदीस का संदर्भ पीछे गुज़र चुका है।

(3) सुनन नसई: ८/ १६, हदीस संख्या: ४८६०, अल्लामा अलबानी रहिमहुल्लाह ने इस हदीस को सहीह करार दिया है।

(4) सहीह बुखारी: ४/ २७४, हदीस संख्या: ६९०१ व मुस्लिम: ३/ १६९८, हदीस संख्या: ४०/ २१५६।

(5) सहीह मुस्लिम मय शर्ह अन् नववी: १४/ १३८।

तजस्सुस के प्रकार:

प्रथम प्रकार: शत्रुओं की जीत की संभावना को कम करने के लिए दुश्मन की तैयारी, उनकी संख्या तथा उनकी गतिविधियों के बारे में टोह लगाना।

दूसरा प्रकार: संदिग्ध लोगों पर सरकार के द्वारा टोह में लगाना, इसके लिए इस्लाम धर्म में दिशा-निर्देश मौजूद हैं।⁽¹⁾

तीसरा प्रकार: लोगों का एक दूसरे की टोह में पड़ना, यहाँ यही अभिप्राय है।

तजस्सुस तथा टोह में पड़ने का नुकसान:

जो कोई तजस्सुस करता है तो वह एक हराम तथा वर्जित कार्य को अंजाम देता है और अल्लाह की ओर से वर्जित कार्य करता है, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन है:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [سورة الحجرات: १२]

अनुवाद: (हे ईमान वालो! बहुत से गुमानों से बचो, क्योंकि कुछ गुमान पाप होते हैं, और टोह में न लगे)। सूरह हुजुरात: १२।

२- मुसलमानों की टोह में रहने की प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति अपने आप को ऐसे अपमान का पात्र बना लेता है जिसके द्वारा अल्लाह उसे अपमानित करता है, भले ही वह अपनी सवारी पर ही क्यों न हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “जो व्यक्ति अपने मुसलमान भाई के दोषों के पीछे लगता है, अल्लाह उसके दोषों के पीछे लग जाता है और अल्लाह जिसके दोषों के पीछे लग जाए तो उसे उसकी सवारी के कजावा (हौदा) पर भी अपमानित कर देता है”।⁽²⁾

३- तजस्सुस करने वाले एवं जिसके विरुद्ध यह किया जा रहा है उसके मध्य द्वेष, घृणा एवं शत्रुता बढ़ जाती है।

४- जो मुसलमानों के दोषों को जान लेता है वह उसी में लग जाता है, तथा निरर्थक चीज़ों में व्यस्त हो कर अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर लेता है।

⁽¹⁾ तजस्सुस के फ़िक्ही आदेशों एवं इसके प्रकार को जानने के लिए देखिए, किताब: अत् तजस्सुस व अहकामुहु फ़िश् शरीअतिल इस्लामिय्या, लेखक: मुहम्मद राकान अद् दग्मी, प्रकाशक: दारुस्सलाम।

⁽²⁾ इसका संदर्भ पीछे गुजर चुका है।

५- तजस्सुस करने वाला समाज की घृणा एवं भय को अपने लिए मोल ले लेता है, तथा लोग उससे डरते हैं कि उसने चुपके से जो भेद प्राप्त कर लिया है वह उसे दूसरों के सामने खोल देगा।

उपचार के लिए प्रशिक्षण निर्देश:

१- परिवारों और सामाजिक संस्थाओं को मुसलमानों के दोषों के टोह में पड़ने के पाप एवं उसकी गंभीरता को स्पष्ट करना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि तजस्सुस एवं टोह में पड़ना घृणा, द्वेष और दूरी का कारण बनता है और रहस्य उजागर करने से सामाजिक अराजकता पनपती है।

२- जिस व्यक्ति की अंतरात्मा उसे दूसरे मुसलमानों के दोषों के टोह में पड़ने को उकसाए, वह अल्लाह के दण्ड एवं उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथन को याद करे, यद्यपि वह अपनी सवारी की पीठ पर ही क्यों न हो

३- वह इस्लामी नैतिक मापदंड को सामने रखे ताकि वह मुसलमानों के लिए वही चीज पसंद करे जो वह अपने लिए पसंद करता है एवं उस चीज को उनके लिए ना पसंद करे जिसे वह अपने लिए नापसंद करता है, क्योंकि यही कामिल ईमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “मोमिन उस समय तक कामिल व पूर्ण नहीं हो सकता जब तक वह अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो वह अपने लिए पसंद करता है”⁽¹⁾ अतः वह निरंतर इसकी कल्पना करे एवं इसे अपने मामलों में लागू करे।

४- वह यह याद करे कि बहुतेरे लोग हैं जिनकी आत्मा दूसरों के टोह में पड़ने को घृणित कार्य समझती है, बल्कि ऐसे लोगों के सामने जब दूसरों को दोषों का उल्लेख किया जाता है तो वह उन्हें अहमियत नहीं देते, तथा उसे नज़रअंदाज़ करते हैं।

उर्वह बिन अल् वर्द कहते हैं⁽²⁾:

मेरी पड़ोसन के घर के दृश्य को जब हवाएं प्रकट करती हैं तो मैं अपनी निगाह फेर लेता हूँ यहाँ तक कि घर का हिस्सा छिप जाए।

नश्र बिन शदाद जोकि जाहिलियत युग का कवि है, कहता है:

जब मेरी पड़ोसन मेरे समक्ष आती है तो मैं निगाह झुका लेता हूँ, यहाँ तक कि मेरी पड़ोसन अपने ठिकाना के निकट चली जाए।

⁽¹⁾ इसका हवाला पीछे गुजर चुका है।

⁽²⁾ उर्वह बिन अल् वर्द, दीन उर्वह बिन अल् वर्द अल् समौअल, प्रकाशक: दार सादिर, बैरुत: १९।

उस चीज़ को देखना जिस से अल्लाह ने रोका है:

शाब्दिक अर्थ:

नज़र: आँखों का किसी वस्तु का अनुभव करना एवं किसी चीज़ को देखना है।⁽¹⁾

हराम (अवैध): हलाल (वैध) का विलोम है, तथा अरबी भाषा में यह एकवचन है एवं इसका बहुवचन हुरूम है।⁽²⁾

इस से अभिप्राय वह नज़र है जो निषेध हो, या तो अल्लाह के आदेश के कारण अथवा किसी अन्य रुकावट के सबब।⁽³⁾

पारिभाषिक अर्थ:

वह आँख जिस से अल्लाह द्वारा निषेध की गई चीज़ों को देखता है।

नज़र (देखने) के बहुतेरे कारण हो सकते हैं, उनमें से महत्वपूर्ण निम्नांकित हैं:

१- किसी को जानने की इच्छा एवं उसके गुण, आकार, रंग और मात्रा से विशेष रूप से अवगत होने की अभिलाषा।

२- जो देखा जाता है उसे देखकर आनंद प्राप्त करना।

३- जिसे देख रहा उसके प्रेम को आकर्षित करना और उसके हृदय को कोमल बनाने का प्रयास करना।

४- जिसे देखा जा रहा है उसका अपनी सुंदरता या कुरूपता के कारण देखने वाले का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना।

वर्जित वस्तु देखने के नुकसान:

नज़र (आँख) अल्लाह ताला की नेमत है, जब कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल नाजायज़ कामों में करता है तो यह उसके लिए बुराई, विपत्ति और नुकसान का कारण बनती है, वे नुकसान निम्न हैं:

(1) अन्तर बिन शद्दाद, अशआर अन्तर अल् अबसी, भूमिका व व्याख्या: मुहम्मद अब्दुल मुन्इम खफ़ाजी: ८६।

(2) लिसानुल अरब, लेखक: इब्ने मन्ज़ूर: ५/ २१५।

(3) अल् मुफ़रदात फ़ी ग़रीबिल कुरआन: ११४।

१- हराम नज़र (वर्जित दृष्टि) में खालिक (रचनाकार) की अवज्ञा तथा उस नियामत की कृतघ्नता जिसे अल्लाह ने झुका कर रखने का आदेश दिया है, अल्लाह तआला का कथन है:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۖ وَفَلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [سورة النور: ३०-३१]

अनुवाद: (मोमिन पुरुषों से कहो कि वो अपनी दृष्टि नीची रखें, एवं अपने गुप्तांगों की सुरक्षा करें, यह उनके लिए अधिक पवित्रता का कारण है, निःसंदेह अल्लाह अवगत है उससे जो वे करते हैं, तथा मोमिन महिलाओं से कहो कि वो अपनी निगाह नीचे रखें, एवं अपने गुप्तांगों की सुरक्षा करें)। सूरह नूर: ३०-३१।

२- आँखें वर्जित कार्य करने तक पहुँचने का एक खतरनाक साधन और तरीका हैं, चुनांचे पुरुष का ग़ैर महरम महिला को अथवा महिला का पुरुष को देखना बुराई का कारण बनता है और वासना उत्पन्न करता है, अल्लाह के दूत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “नज़र, इब्लीस के विषैले तीरों में से एक तीर है”^(१)।

३- हराम नज़र चिंता और घबराहट का कारण बनती है, कितने ही ऐसे दिल हैं जो संतुष्ट होते हैं, बुराई से दूर रहते हैं, परंतु हराम चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से टेलीविजन एवं पत्रिकाओं के माध्यम से देखने से संतुष्टि होने के स्थान पर तुरंत वह बुराई, असंतोष एवं बैचेनी में पड़ जाते हैं।

४- हराम चीज़ को देखना अपनी सोच को अल्लाह की आज्ञा से एवं ऐसी चीज़ों से जो मनुष्य को लोक परलोक में लाभ पहुँचाती है, उनसे गाफ़िल करना है, कितनी ही हराम नज़रें हैं जिन्होंने इस प्रकार से देखने वाले को उपासना करने अथवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत की स्थापना करने से रोक दिया या उसे उसके व्यवसाय एवं कार्य से बेपरवाह कर दिया।

५- हराम नज़र (अवैध दृष्टि) हृदय के रोग एवं इरादा को कमज़ोर करने का कारण बनती है।

उपचार के लिए प्रशिक्षण निर्देश:

निषिद्ध वस्तुओं को देखने वाले को सुधारने वाली उपचारात्मक प्रशिक्षण विधियाँ इस प्रकार हैं:

^(१) अल् मुस्तदरक, लेखक: हाकिम, ४/ ३१४, उन्होंने कहा है कि यह हदीस सहीह है, तथा इमाम ज़हबी रहिमहुल्लाह ने उनका समर्थन किया है।

१- मनुष्य इस बात को समझे एवं इसका एहसास रखे कि अल्लाह तआला की नियामत मानव पर यह है कि उसने मानव को देखने वाली दो आँखों से अनुग्रहीत किया है, इनके द्वारा मानव अल्लाह की जायज़ व वैध चीज़ों से लाभ उठाता है, नियामत का अधिकार यह है कि उसका शुक्र अदा किया जाए, तथा उसका इंकार न किया जाए, और इसका शुक्रिया यह होगा कि अल्लाह की निषेध की हुई वस्तुओं से रुक जाए तथा दिल व जुबान से अल्लाह की साधना में लीन हो जाए कि अल्लाह ने उसको आँख जैसी महान नियामत से वंचित नहीं रखा है।

२- मनुष्य अपने अंगों के संबंध में जिम्मेवारी का एहसास रखे, उन्हीं में से निगाह भी है, अल्लाह तआला का कथन है:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [سورة

الاسراء: ३६]

अनुवाद: (और ऐसी चीज़ के पीछे न लगो जिसकी तुम को खबर नहीं है, निस्संदेह कान, आँख एवं हृदय प्रत्येक के बारे में आदमी से पूछताछ होगी)। सूरह इस्रा: ३६।

३- निगाह नीची रखने के बहुतेरे अच्छे परिणाम हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “नज़र शैतान के विषैले तीरों में से एक तीर है, जो उसे अल्लाह के डर से छोड़ दे, अल्लाह तआला उसे ऐसा ईमान प्रदान करेगा जिसकी मिठास वह अपने हृदय में अनुभव करेगा”^(१)

जो व्यक्ति ह़राम व वर्जित चीज़ों से अपनी नज़र झुका कर रखे, अल्लाह तआला उसके दिल एवं निगाह में नूर (दिव्यप्रकाश) प्रदान करता है, अतः वह ऐसी चीज़ें देख लेता है जो निगाहों की ह़राम चीज़ों से सुरक्षा न करने वाला नहीं देख पाता^(२)

४- यह जानना कि निगाह, सीखने का एक माध्यम है, इसी के द्वारा मनुष्य ज्ञान अर्जित करता है जिससे वह लोक परलोक में लाभ उठाता है, अतः उसे वर्जित चीज़ों में प्रयोग नहीं करना चाहिए।

५- ह़राम देखने पर उभारने वाले माध्यमों से दूर रहना चाहिए, जैसे: बाज़ार, मिलना जुलना, समाचार पत्र, पत्रिका एवं टेलीविज़न में वीडियो देखना।

(१) इसका हवाला पीछे दिया जा चुका है।

(२) इमासतुल्लहफ़ान, लेखक: इब्नुल कैयिम: १/ ६० – ६१।

तीसरा पाठ:

कथन एवं कर्म से संबंधित (व्यावहारिक) बुराइयाँ

व्यावहारिक बुराइयों का तात्पर्य शारीरिक श्रम और प्रयास के माध्यम से की जाने वाली नैतिक भ्रष्टता से है, जैसे व्यभिचार, चोरी, अंगप्रदर्शन और नशीली दवाओं का उपयोग। उनकी गंभीरता और खतरे का उल्लेख नीचे किया जा रहा है:

शिरक आधारित कार्य:

शाब्दिक बुराइयों के उल्लेख से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि शिरक का अर्थ क्या है एवं उसके कारक एवं उपचार क्या-क्या हैं, हम यहाँ केवल कुछ शिरक आधारित कार्यों का उल्लेख करेंगे, जोकि निम्नांकित हैं:

१- अल्लाह के सिवा अन्य (गैरुल्लाह) के लिए ज़ब्ह करना:

नैतिक विचलन का सबसे बड़ा रूप यह है कि भक्त अपने स्वामी के प्रति अनैतिकता का प्रदर्शन करे, उदाहरण स्वरूप जो उपासनाएं केवल अल्लाह के लिए अंजाम दी जाती हैं उन्हें गैरुल्लाह के लिए अंजाम दे, जैसे कि गैरुल्लाह के लिए ज़ब्ह करे जोकि शिरक (बहुदेववाद) है। सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का फ़रमान है:

﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾

[سورة الأنعام: १२२-१२३]

अनुवाद: (आप कह दीजिए कि निश्चय ही मेरी नमाज़, मेरी समस्त उपासनाएं, मेरी जीना एवं मरना यह सब केवल अल्लाह का ही है जो समस्त संसार का पालनहार है, उसका कोई साझीदार नहीं तथा मुझे इसी का आदेश दिया गया है और मैं आदेश का पालन करने वालों में सर्वप्रथम हूँ)। सूरह: अन्आम: १६२ – १६३।

यह आयत (श्लोक) इस बात को प्रमाणित करती है कि अल्लाह के सिवा किसी के लिए रक्त बहाना सही नहीं है तथा न ही गैरुल्लाह के नाम पर पशु की बलि चढ़ाना जायज़ है।

कुछ लोग बालपन से है इस बात का प्रशिक्षण पाते हैं कि जिन्नातों एवं शैतानों के लिए ज़ब्ह करते हैं तथा लाभ पाने अथवा हानि दूर करने के लिए रक्त बहाते हैं, जोकि अल्लाह के साथ शिरक करना है, जबकि मुसलमान के ऊपर वाजिब (अनिवार्य) है कि अपना प्रशिक्षण केवल अल्लाह की तौहीद (एकेश्वरवाद) पर करे, तथा अपने परिवार वालों को भी इसी का शिक्षण प्रशिक्षण दे, ताकि वे लोक परलोक में सफल व सौभाग्यशाली लोगों में से हो जाएं।

२- ताबीज (जंतर) लटकाना:

यह नैतिक पतन भी तौहीद की इस मान्यता के विरुद्ध है कि किसी व्यक्ति का दिल ताबीज से जुड़ा रहे, जिसे किसी व्यक्ति, जानवर या वाहन आदि पर इस उद्देश्य से लटकाया जाए कि इसके द्वारा बुरी नज़र एवं हसद व ईर्ष्या से सुरक्षा मिलती है, कल्याण प्राप्त होता है तथा भलाई मिलती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी उम्मत को शिर्क आधारित कार्य करने से सावधान करते हुए फ़रमाया: “झाड़-फूँक, ताबीज एवं जादू-टोना करना शिर्क है”।⁽¹⁾

ताबीज से अभिप्राय वह पत्थर अथवा इसी के समान अन्य चीज़ें हैं जो बुरी नज़र से बचने के लिए बच्चों के शरीर पर लटकाई जाती हैं।

टोना से अभिप्राय वह चीज़ है जो इस उद्देश्य से अपनाई जाती है कि उससे महिला अपने पति की दृष्टि में प्रिय बन जाएगी या पति अपनी पत्नी की दृष्टि में प्रिय हो जायेगा।

दम करने एवं झाड़-फूँक में शरीअत के दृष्टिकोण से वह जायज़ है जिसके अंदर तीन शर्तें पाई जाती हों:

- 1- अल्लाह तआला के कलाम (क़ुरआन) से हो एवं अल्लाह के सुंदर नामों तथा उच्च गुणों (अस्मा व सिफ़ात) पर आधारित हो, अथवा दुआ और इस्तिआज़ा इत्यादि पर आधारित हो।
- 2- अरबी भाषा में हो जिसका अर्थ स्पष्ट हो।
- 3- यह आस्था न रखे कि यह झाड़-फूँक स्वयं लाभ पहुँचाने की क्षमता रखता है, अपितु अल्लाह की आज्ञा से इसका लाभ प्राप्त होता है।⁽²⁾

३- बुज़ुर्गों की क़ब्रों (समाधियों) के संबंध में गुलुव्व (अतिशयोक्ति) करना:

सम्मान देने के उद्देश्य से क़ब्रों पर जाना शिर्क है, चाहे वह क़ब्रों की परिक्रमा के रूप में हो या उन पर मस्जिद बनाने के रूप में, या इन क़ब्रों में दफन लोगों से मदद मांगने के रूप में हो, ये सब क्योंकि पूजा के रूप हैं, और पूजा का कोई भी रूप अल्लाह के अलावा किसी अन्य के लिए अंजाम देना शिर्क है, सहीह हदीस में वर्णित है: “हे अल्लाह! मेरी क़ब्र को बुत न बनने देना यहाँ तक कि उसकी पूजा होने लगे, उस समुदाय पर अल्लाह का क्रोध उतरा जिसने अपने नबियों की क़ब्रों (समाधियों) को पूजा स्थल बना लिया”।⁽³⁾

⁽¹⁾ मुस्नद अहमद: १/ ३८१, इस हदीस को हाकिम ने सहीह कहा है, तथा ज़हबी ने उनका समर्थन किया है।

⁽²⁾ अल् जदीद फ़ी शर्हि किताबित् तौहीद, लेखक: मुहम्मद अल् क़रआवी: ९१।

⁽³⁾ मुवत्ता मालिक: ८५।

उपरोक्त हदीस इस बात को स्पष्ट करती है कि स्वयं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह प्रार्थना की कि हे अल्लाह! मेरी क़ब्र को पूजा स्थल मत बनने देना कि लोग तुझे छोड़ कर मेरी उपासना करने लगें, तथा जब यह स्थिति नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र की है जो संसार के सर्वोत्तम पुरुष हैं तो फिर अन्य लोगों की क़ब्र की स्थिति के बारे में क्या ही कहा जाए। यही कारण है कि एक मुसलमान के लिए अनिवार्य है कि केवल एक अल्लाह की उपासना करे जैसाकि उसे करने का आदेश दिया गया है तथा स्वयं को खालिस तौहीद (निश्छल एकेश्वरवाद) का अभ्यस्त बनाए।

यौन विचलन एवं पथभ्रष्टता

यौन विचलन का अर्थ:

वे यौन विचलन और अनैतिकता जिनसे आम लोग सामान्यतः पीड़ित होते हैं, जैसे व्यभिचार एवं समलैंगिकता तो इन सभी को इस्लाम द्वारा बहुत पहले ही निषिद्ध करार दे दिया गया था।

आगे की व्याख्या में जाने से पहले इसे परिभाषित करना उचित लगता है।

ज़िना अर्थात् व्यभिचार: यह हर उस दुष्कर्म को कहते हैं जिसमें शरई विवाह के बिना पुरुष एवं महिला एक दूसरे से संभोग करें, इसमें वह स्त्रियां शामिल नहीं हैं जो दासियां हों, तथा इस पर सभी मुस्लिम विद्वान एकमत हैं।

ज़िना की एक दूसरी परिभाषा यह भी दी जा सकती है कि पुरुष किसी महिला के पास आए तथा दोनों एक दूसरे से संभोग करें बिना शरई निकाह के अथवा बिना किसी वैवाहिक बंधन के⁽¹⁾- अथवा पुरुष का अपना लिंग ऐसी योनि में प्रवेश कराना जो उसके लिए हलाल नहीं हो⁽²⁾।

लिवातत अर्थात् समलैंगिकता: लिवातत अरबी भाषा का शब्द है जोकि लात़ा यलूतु से बना है जिसका अर्थ होता है लूत समुदाय वाला कार्य करना। अरबी भाषा में जब कोई पुरुष किसी अन्य पुरुष के साथ अनैतिक संबंध बना ले तो कहा जाता है: लव्वता फ़ुलानुन (अमुक ने समलैंगिक कार्य किया)⁽³⁾।

अस् सिहाक़ अथवा अस् सहाक़:

⁽¹⁾ तफ़सीर सूरह नूर, मौदूदी, पृष्ठ: ३८।

⁽²⁾ तफ़सीर सूरह नूर, शन्कीती, पृष्ठ: २५।

⁽³⁾ अल् मुफ़दात फ़ी ग़रीबिल क़ुरआन, लेखक: राग़िब अस्फ़हानी, पृष्ठ: ४५६।

इससे अभिप्राय ऐसा दैहिक संबंध है जिसमें योनि के अंदर लिंग का प्रवेश न हुआ हो⁽¹⁾, एक महिला जब दूसरी महिला के साथ दैहिक संबंध स्थापित करे तो उस समय यह शब्द प्रयोग किया जाता है, अर्थात् समलिंग कामी महिला (lesbian)।

यौन विचलन के कारण; नीचे कुछ प्रमुख कारण बताए गए हैं जो यौन विचलन का कारण बनते हैं:

१- अतिशयोक्ति तथा भ्रम - कुछ लोग सोचते हैं कि वास्तविक मजा एवं यौन आनंद कई लोगों के साथ यौन संबंध बनाने में है। तथा स्पष्ट है कि यह विचार उनको वास्तविक एवं उस नैसर्गिक आनंद से दूर कर देता है जो केवल शरई शादी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सुरक्षा, पवित्रता तथा शुद्धता का तत्व होता है- जो दूसरों की साझीदारी से पाक एवं आनंदमय होता है।

इन्हीं गलत धारणाओं की ओर इशारा करते हुए अल्लामा इब्न अल-जौज़ी ने कहा कि जब दिल की धड़कन नियंत्रित नहीं होती तो भ्रम पैदा होता है और फिर जब अल्लाह की ओर रुख नहीं किया जाता तो हवस और वासना का प्रकटिकरण होता है।

२- मीडिया द्वारा इसके लिए प्रोत्साहित किया जाना:

समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन के रूप में मीडिया और साहित्यिक संसाधन भी उन चीजों में प्रमुख हैं जो यौन उत्तेजना को उत्तेजित करते हैं, और अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं - जो खुलेआम पुरुषों और महिलाओं की आकर्षक छवियों और कामुकता का विज्ञापन करते हैं - इसी तरह, वे लेखन और प्रेम कहानियां भी इसमें शामिल हैं, जो प्रकाशकों और पुस्तकालयों द्वारा केवल स्वयं के व्यवसाय के लिए मुद्रित और प्रकाशित किए जाते हैं।

इस बात का जिक्र करते हुए मौलाना मौदूदी ने कहा कि यौन कामुकता का स्रोत साहित्य, चित्र, फिल्में, नाटक, नृत्य, समाचार पत्र, साप्ताहिक पत्रिकाएं और उन पत्रिकाओं का प्रोत्साहन है जो किस्से, कहानियां और नग्न तस्वीरें प्रकाशित करते हैं क्योंकि यह अश्लीलता के प्रसार का प्रमुख कारण है। इसलिए, यदि आप इन मीडिया के परिणामों पर विचार करेंगे, तो आप पाएंगे कि अनैतिकता में इस्लामी देश भी पीछे नहीं हैं, जहां महिलाएं दर्शकों को मोहित करने के लिए बेहद खूबसूरत और आकर्षक रूप में स्वयं को प्रकट करती हैं, और ऐसा उन विज्ञापनों के कारण होता है जो लड़कों और लड़कियों के लिए विशेष उत्पादों को बढ़ावा देते हैं, जो पुरुषों की कामुकता को भड़काते और उत्तेजित करते हैं।

३- नग्नता एवं बेपर्दगी:

(1) फ़िक्हुस्सुन्नह, लेखक: सैयिद साबिक्र: २/ ४२६।

यौन कामुकता बढ़ाने की प्रेरणाओं में से एक है महिलाओं का अंगप्रदर्शन करना, उनका श्रृंगार करना, इत्र लगाना अपनी सुंदरता एवं पुरुषों को आकर्षित करने वाले अंगों को उभार कर बाहर निकलना, जिससे पुरुषों एवं महिलाओं का मिलना जुलना एवं एकांतावास तक बात बढ़ जाती है, और यही तो शैतान का असली दरवाजा है, इसीलिए इस्लाम धर्म ने हमको अजनबी महिलाओं के साथ एकांतावास में रहने से रोका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “कोई पुरुष किसी महिला के साथ एकांत में न रहे सिवाय इसके कि वह पुरुष उस महिला का महरम हो, एक व्यक्ति ने कहा: हे अल्लाह के रसूल! मेरी पत्नी हज्ज के लिए गई है तथा मेरा नाम अमूक ग़ज़वा (धर्म युद्ध) के लिए लिख लिया गया है (मैं क्या करूँ) तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: जाओ अपनी पत्नी के साथ जा कर हज्ज करो”।

जैसे-जैसे महिलाओं के लिए कामकाज और रोजगार के दरवाजे खुले हैं, पुरुषों के बीच मेलजोल बढ़ा है, नजरे मिलाना, बात करना और मुस्कुराना आसान हो गया है। परिणामस्वरूप, प्रलोभन के द्वार खुल गए हैं और कुकर्म की आग भड़क गई है और नैतिक मूल्यों का इतना पतन हो चुका है कि हिजाब से इनकार और अवज्ञा आम हो गई है।

४- गायन एवं संगीत:

गायन-वादन भी कामवासना को जगाने का एक प्रमुख कारण है। ऐसा कहा जाता है कि संगीत मानव मन पर शराब से भी अधिक प्रभाव डालता है, जो आत्मा को छिन्न-भिन्न कर देता है और व्यभिचार, समलैंगिकता तथा अनैतिकता को मानव मन में सजाकर प्रस्तुत करता है, क्योंकि गाना बजाना ही व्यभिचार का मार्ग प्रशस्त करता है और यही सबसे बड़ा कारण है वेश्यावृत्ति में शामिल होने का।⁽¹⁾ अल्लाह की क़सम ! हमने कितने ऐसे युवा देखे हैं जो ढोल ताशों के कारण विद्रोही हो गए और कितने स्वतंत्र लोग संगीत के कारण बच्चों और युवा पीढ़ी के गुलाम बन गए हैं।⁽²⁾

५- विवाह में विलंब:

व्यभिचार तथा समलैंगिकता की ओर झुकाव का एक कारण विवाह में कठिनाई भी है, या ऐसी मुश्किल और बेतुकी शर्तों का पालन करना है जिनका विवाहित जीवन में कोई मूल्य नहीं है, जैसे कि एक निश्चित वेतन का होना अथवा ऐसे गुण और सौंदर्य की शर्त लगाना जिन्हें प्राप्त करना मुश्किल है, जिसके कारण समय नष्ट हो जाता है और युवा भ्रम के पीछे भागने लगते हैं, जब तक कि अवसर खो नहीं जाता है, और सतीत्व एवं पवित्रता वासना और मनोवैज्ञानिक

(1) मज्मूअ अल् फ़तावा, लेखक: इब्ने तैमिय्या: १०/ ४१७।

(2) इमासतुल्लहफ़ान, लेखक: इब्नुल कैयिम: १/ २६५।

इच्छा के आगे दम तोड़ देती है, फिर वह अनैतिक कार्य करने लगते हैं एवं व्यभिचार तथा दुष्कर्म का मार्ग अपना लेते हैं, यही कारण है कि इस्लाम ने रिश्ते के लिए पसंद के मानदंड निर्धारित कर दिए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “तुम्हारे पास जब कोई व्यक्ति आए जिसकी धर्मपरायणता (दीनदारी) एवं किरदार से तुम संतुष्ट हो तो उससे विवाह कर दो, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो धरती पर फसाद एवं अनैतिकता का चलन आम हो जायेगा, लोगों ने कहा: हे अल्लाह के रसूल! यदि उसमें कुछ हो तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तीन बार यही फ़रमाया: जब तुम्हारे पास कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसकी धर्मपरायणता (दीनदारी) एवं किरदार से तुम संतुष्ट हो तो उससे विवाह कर दो”⁽¹⁾

एक स्थान पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “महिलाओं से चार चीज़ों के कारण विवाह किया जाता है, उनके धन-सम्पत्ति के कारण, उनके वंश व खानदान के कारण, उनके सौंदर्य एवं हुस्न के कारण तथा उनकी दीनदारी एवं धर्मपरायणता के, अतः तुम दीनदार महिला का चयन कर के सफल हो जाओ, तुम्हारे हाथ में मिट्टी लगे”⁽²⁾

६- पति-पत्नी का एक दूसरे पर ध्यान न देना:

पति की अनुपस्थिति या सांसारिक मामलों में व्यस्त हो कर पत्नी पर ध्यान न देना भी यौन विचलन का एक प्रमुख कारण है। जिसके कारण संतुष्टि के लिए दोनों में से एक या दोनों का झुकाव उनके पास मौजूद किसी तीसरे व्यक्तित्व की ओर हो जाता है, जिसके फलस्वरूप नैतिक पतन, आक्रामकता और अश्लीलता जन्म लेती है।

७- अनुचित प्रशिक्षण:

इसी तरह, यौन विचलन का एक प्रमुख कारण गलत और असंयमित प्रशिक्षण भी है, वास्तव में, अल्लाह ने हर इंसान को यौन शक्ति प्रदान की है ताकि वह अपनी इच्छा को संयमित तरीके से पूरा कर सके और मानव जाति के अस्तित्व के लिए सामग्री प्रदान कर सके। लेकिन इसके विपरीत, कुछ लोग अपनी मनोवैज्ञानिक पहचान को संतुष्ट करने के लिए शर्म और लज्जा की दीवार को पार करके हराम व निषिद्ध का सहारा लेते हैं, अतः कुछ व्यभिचार में लिप्त हो जाते हैं, जबकि कुछ इससे परे जाकर समलैंगिकता जैसे गलत कार्य करने लग जाते हैं।

⁽¹⁾ तिर्मिज़ी: ३/ ३९५, हदीस संख्या: १०८५, अबू ईसा तिर्मिज़ी ने कहा है: यह हदीस हसन गरीब है, तथा अलबानी ने कहा है कि यह हदीस हसन सहीह है, सुनन तिर्मिज़ी, हदीस संख्या: ८६६, १०९७।

⁽²⁾ सहीह बुखारी: ३/ ३६०, हदीस संख्या: ५०९०, व मुस्लिम: २/ १०८६, हदीस संख्या: ५३/ १४६६, उपरोक्त हदीस के शब्द मुस्लिम के हैं।

यह यौन भावना इंसान के दिल में मौजूद सभी भावनाओं से अधिक गंभीर है⁽¹⁾, जिसका इलाज इस्लामी प्रशिक्षण द्वारा किया गया है और यदि आत्मा को इस्लामी अनुशासन से नहीं सजाया गया होता, तो वह अपनी सभी सीमाओं को पार कर जाती और आवारा बकरी जैसी हो जाती जो सारी वनस्पतियों को तोड़ डालती है, हर पेड़ को खा जाती है तथा बिना बंधन के हर जगह घूमती है, तो ये वही लोग हैं जिनको इस्लामी कानूनों, नियमों, सिद्धांतों और प्रशिक्षण का ज्ञान नहीं होता, तथा उनकी स्थिति बिल्कुल वैसी ही हो जाती है जैसाकि सैयिद कुतुब ने लिखा है कि आधुनिक दुनिया मनोवैज्ञानिक आग्रहों के दमन से जकड़ी हुई है और स्वतंत्रता की सभी सीमाओं को रौंद रही है, जिसके कारण युवा पीढ़ी अपनी शारीरिक इच्छाओं को इतनी बेशर्मी से पूरा करती है कि उन्हें अपने अपराध एहसास तक नहीं होता और न ही विवेक, न देश, न समाज और न ही धर्म के हिसाब के उन्हें डर लगता है।⁽²⁾

अल्लामा मौदूदी ने कहा कि महिलाओं की आजादी को इतना समर्थन मिला हुआ है कि उनकी इस स्थिति को बुरा भी नहीं माना जाता। और माता-पिता के खराब प्रशिक्षण और कमजोर पर्यवेक्षण ने लड़कियों को वह आजादी उपलब्ध करा दी है जो तीस और चालीस साल के लड़कों को भी नहीं मिलती।⁽³⁾

यौन दुराचार के नुकसान:

१- यह यातना तथा दण्ड का भागी बनाता है, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह ने जिना (व्यभिचार) की तुलना शिर्क एवं क्रतल से किया है, अल्लाह तआला का कथन है:

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا

يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿١٨﴾ [سورة الفرقان: ١٨]

अनुवाद: (जो अल्लाह के साथ किसी पूज्य को नहीं पुकारते तथा जिस जीव को मारना अल्लाह ने हाराम किया है उनको नहीं मारते किंतु जायज (वैध) ढंग से तथा व्यभिचार नहीं करते और जो यह कार्य करेगा वह संगीन पाप में लिप्त होगा)। सूरह फुर्कान: ६८।

चूँकि व्यभिचार एक अत्यंत संगीन फितना है, तथा यह पूर्णतः सांसारिक व्यवस्थाओं जैसे वंश, गुप्तांगों की रक्षा एवं पवित्रता एवं सतीत्व के विपरीत है, अतः यह भी हत्या के समान कबीरह गुनाहों (प्रमुख पापों) में से एक है।

(1) अल् इन्सान बैनल मादियति वल इस्लाम, लेखक: मुहम्मद कुतुब: २१०।

(2) पिछला संदर्भ।

(3) हिजाब, लेखक: अबुल आला मौदूदी: १२८।

अविवाहित यदि दुष्कर्म करे तो बिना किसी दया एवं तरस के उसकी सज़ा कोड़े लगाना है, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة النور: २]

अनुवाद: (व्यभिचारी महिला एवं पुरुष दोनों में से हरेक को सौ कोड़े मारो, तथा यदि तुम अल्लाह एवं आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो तो अल्लाह के आदेश के पालन में तुम्हें कदापि दया नहीं आनी चाहिए, तथा उनको दण्डित करते समय मुसलमानों की एक जमाअत (समूह) भी वहाँ उपस्थित रहे)। सूरह नूर: २।

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है: “मुझ से सीख लो, मुझ से सीख लो, अल्लाह तआला ने तुल लोगों के लिए एक मार्ग निकाला है कि जब अविवाहित पुरुष अविवाहित महिला से व्यभिचार करे तो सौ कोड़े लगाओ तथा एक वर्ष के लिए देश निकाला दे दो, और विवाहित पुरुष जब विवाहित महिला से दुष्कर्म करे तो सौ कोड़े लगाओ एवं पत्थर मार कर उसे मार डालो”^(१)

व्यभिचारी महिला एवं पुरुष यदि विवाहित हों, तो व्यभिचारी और व्यभिचारिणी दोनों को पत्थर मारने की सज़ा दी जाएगी, जैसा कि ग़ामदिय्यह एवं माइज़ रज़ियल्लाहु अन्हुमा को पत्थर मार कर जान से मार दिया गया^(२) यदि कोई दास हो तो उस पर भी हद्द (निश्चित दण्ड) जारी किया जायेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “जब तुम में से किसी की दासी व्यभिचार करे और उसका व्यभिचार साबित हो जाए (गवाहों से या कबूलनामे से), तो उसे कोड़े मारो (भले ही वह शादीशुदा हो, क्योंकि दास एवं दासी को पत्थर मार कर जान से मार देने का आदेश नहीं है) तथा उसे डांटो नहीं, यदि वह उसके बाद पुनः व्यभिचार कराए तो उसे दण्ड के रूप में कोड़े लगाए परंतु डांटे नहीं, फिर यदि वह तीसरी बार व्यभिचार कराए तथा उसका व्यभिचार प्रमाणित हो जाए तो उसको बेच दे यद्यपि एक रस्सी का ही मूल्य क्यों न मिले”^(३)

अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

^(१) सहीह मुस्लिम: ३/ १३१६, हदीस संख्या: १२/ १६९०।

^(२) देखें: पिछला संदर्भ (३/ १३२१-१३२२) संख्या (२२/ १६९५)।

^(३) सहीह बुखारी (४/ २६०) संख्या (६८३९), व मुस्लिम (३/ १३२८) संख्या (३०/ १७०३) तथा उपरोक्त शब्द इन्ही के द्वारा वर्णित हैं।

﴿فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحْشَةٍ فَعَلَيْنَ نَصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾

[سورة النساء: २०]

अनुवाद: (फिर यदि निकाह करने के पश्चात व्यभिचार कर लें तो जो दण्ड स्वतंत्र महिलाओं के लिए है उसका आधा दण्ड उसको दिया जाए)। सूरह निसा: २५।

जहाँ तक समलैंगिक लोगों का मामला है तो ऐसा करने वाले एवं करवाने वाले दोनों को ही समाज से समाप्त कर दिया जायेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “जिस समुदाय को भी क्रौम -ए- लूत वाला कृत्य करते हुए पाओ तो ऐसा करने वाले एवं करवाने वाले दोनों को ही क़त्ल कर दो, तथा यदि किसी को जानवर के साथ दुष्कर्म करते हुए पाओ तो उसको भी क़त्ल कर दो तथा जानवर को भी मार डालो”।⁽¹⁾

और जहाँ तक (समलैंगिकों के लिए) हद्द (निश्चित दण्ड) को अंजाम देने के तरीके की बात है तो इस संबंध में अनेक कथन हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि उसको आग से जला दिया जायेगा जबकि कुछ लोगों का कहना है कि उसे छत से सिर के बल फेंक दिया जायेगा, इसी प्रकार एक कथन यह भी है कि उसे पत्थर मार कर जान से मार दिया जायेगा।

२- इसी प्रकार, व्यभिचार की बुराइयों में से एक यह है कि यह दरिद्रता लाने, आयु में कमी एवं अपराधी के चेहरे को काला करने का कारण बनता है, यह दिल को बीमार और मृत कर देता है, दुःख, दर्द, भय और आतंक का कारण बनता है इसीलिए शरीयत ने इसमें सबसे शर्मनाक और बुरी मौत का आदेश दिया है, यही कारण है कि यूरोप के लोगों में अपनी महिलाओं के प्रति गैरत की कमी इतनी दिखाई देती है कि एक पिता अपनी बेटी के साथ व्यभिचार करता है और एक भाई अपनी बहन के साथ दुष्कर्म कर लेता है और उनके निकट यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है।⁽²⁾

जबकि मुसलमानों की गैरत एवं स्वाभिमान इसके विपरीत है, वो अपने कुटुंब एवं परिवार के सदस्यों के बीच यौन स्वच्छंदता को बर्दाश्त नहीं करते हैं और इसका कड़ा विरोध करते हैं। एक बार आदरणीय सअद बिन उबादा ने कहा कि यदि मैं किसी को अपनी पत्नी के साथ देख लूँ तो उसे उलटी तलवार से मार डालूँगा। जब यह खबर अल्लाह के दूत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक पहुंची, तो आपने फ़रमाया: “क्या तुम्हें सअद के स्वाभिमान पर आश्चर्य हो रहा है, अल्लाह की क़सम मैं उस से भी अधिक स्वाभिमानी हूँ, तथा अल्लाह तआला मुझ

(1) अबू दावूद: ४/ ४०७-४०८, हदीस संख्या: ४४६२०, तिर्मिजी, हदीस संख्या: १४५६।

(2) सुबुलुस्सलाम, लेखक: सन्आनी: ४/ १२८४-१२८५।

से भी अधिक स्वाभिमानी है, एवं इसी स्वाभिमान के कारण उसने प्रकट एवं गुप्त हर प्रकार की अश्लीलता को वर्जित किया है”।⁽¹⁾

३- जब किसी राष्ट्र में व्यभिचार आम हो जाता है, तो अल्लाह का क्रोध, नाराजगी और सजा उतरना शुरू हो जाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “जब किसी बस्ती में जिना (व्यभिचार) एवं सूद-ब्याज फैल जाए तो लोग दण्ड के भागी हो जाते हैं”।⁽²⁾

४- जहाँ तक समलैंगिकता का मामला है तो यह ऐसी गंदगी है जिसे आत्मा स्वीकार नहीं करती है और एक नैसर्गिक स्वाभाव रखने वाला व्यक्ति जिसकी फ़ितरत अपने मूल रूप में हो इस से घृणा करता है, यह ऐसी अश्लीलता है जिसे सर्वप्रथम लूत अलैहिस्सलाम के समुदाय के लोगों ने अंजाम दिया था, जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَلَوْ طَآ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحْشَاءَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾ [سورة

الأعراف: ८०]

अनुवाद: (तथा जब लूत (अलैहिस्सलाम) ने अपनी क़ौम से कहा कि तुम ऐसी निर्लज्जता वाला कार्य क्यों करते हो जिसे तुम से पहले इस संसार में किसी ने भी नहीं किया)। सूरह आराफ़: ८०।

सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह ने समलैंगिक लोगों के संबंध में फ़रमाया कि वे मुजरिम होते हैं, अल्लाह तआला का कथन है:

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَذَابُ الْمُجْرِمِينَ﴾ [سورة

الأعراف: ८६]

अनुवाद: (और हमने उन पर बारिश बरसाई तो देख लो मुजरिमों का अंजाम क्या होता है?)। सूरह आराफ़: ८४।

इसी तरह, अल्लाह ने इस कुकृत्य को करने वालों के बारे में कहा कि वे उल्लंघनकर्ता, अवज्ञाकारी और दुष्ट लोग हैं, और उनका कार्य दुष्टता से भरा हुआ है, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

(1) बुखारी: ४/ ३८७, हदीस संख्या: ७४१६, व मुस्लिम: २/ ११३६, हदीस संख्या: १४९९।

(2) अल् मुस्तदरक, लेखक: हाकिम: ४/ २३७, अल्लामा अलबानी ने अल् जामेअ अल् सहीह में इस हदीस को सहीह करार दिया है।

﴿وَلَوْ طَآءَانَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْفَبْتِثِثُ إِنَّهُمْ كَانُوا

قَوْمَ سَوُو فُسَقِين ﴿٧٤﴾ [سورة الأنبياء: ٧٤]

अनुवाद: (तथा लूत (अलैहिस्सलाम) को हमने निर्णय शक्ति एवं ज्ञान दिया, और बचा लिया उस बस्ती से जो दुष्कर्म कर रही थी, वास्तव में वे बुरे अवज्ञाकारी लोग थे)। सूरह अम्बिया: ७४।

अल्लाह तआला ने लूत अलैहिस्सलाम के समुदाय के लोगों का वर्णन अत्यंत घटिया एवं बुरे शब्दों में किया है, क्योंकि यह कृत्य एक नैतिक अपराध है तथा इसे करने वाला मानव के नैसर्गिक स्वभाव के विरुद्ध कुकृत्य करता है।

५- समलैंगिकता एक ऐसा रोग है जो ऐसा करने वाले को अल्लाह के क्रोध एवं अप्रसन्नता का पात्र बना देता है, क्रौम -ए- लूत का नाश एवं तबाही हमारे लिए इबरत व शिक्षा है, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهِ سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْصُودٍ

﴿٨٢﴾ مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾ [سورة هود: ٨٢-٨٣]

अनुवाद: (फिर जब हमारा आदेश आ पहुँचा, हमने उस बस्ती को उलट दिया (ऊपरी भाग को नीचे कर दिया) तथा उनपर कंकरीला पत्थर बरसाए जो परत दर परत थे। उन पर तुम्हारे रब की ओर से निशान थे तथा वह उन अत्याचारियों से कुछ भी दूर न थे)। सूरह हूद: ८२-८३।

सज़ा की प्रवृत्ति कितनी दुखद है कि अल्लाह ने लूत समुदाय के लोगों के गांव को जड़ से उखाड़ कर ऊपर नीचे कर दिया और उन पर परत दर परत पत्थरों की बारिश की, यह सर्वनाश का एक ऐसा रूप था जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया एवं सभी के निशान बदल कर उलटा पुलटा कर दिया।^(१)

६- यौन रोग की गंभीरता यह है कि जब यह किसी राष्ट्र की सेना में अपनी जगह बना लेता है तो उसके शरीर को खोखला और बेजान बना देता है और उस राष्ट्र की शक्ति क्षीण हो जाती है, इसका प्रमाण फ्रांस का एक कटु अनुभव है कि जब फ्रांसीसी सेना में यौन अनैतिकता फैल गई तो उसकी शारीरिक शक्ति भी क्षीण होने लगी, जो दिन-ब-दिन कमजोर होती गई। बीसवीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांसीसी सरकार ने सेना में भरती के लिए शारीरिक स्वास्थ्य एवं जिस्मानी शक्ति जैसी शर्तों के संबंध में रियायतें दीं जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध के पहले दो

(१) फ़ी ज़िलालिल कुरआन, लेखक: सैयिद कुतुब: ४/ १९१५।

वर्षों में यौन अनैतिकता के कारण संक्रामक महामारी उत्पन्न हुई जिसके परिणामस्वरूप सरकार को एक बड़ी संख्या को सेना की नौकरी से निकाल कर अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जिनकी संख्या पचहत्तर हजार तक पहुँचती है, एक समय में केवल एक शिविर के भीतर २४२ तक सैनिक थे जो इस बीमारी का शिकार हो गए⁽¹⁾

७- यौन विचलन की आपदाओं में शारीरिक समस्याएं भी हैं जो विभिन्न बीमारियों का कारण बनती हैं और शरीर में फैलती हैं जैसे सिफलिस, जो शरीर के सभी जोड़ों और अंगों को प्रभावित करती है और एक निश्चित प्रकार के रोगाणु के संचरण का कारण बनती है और संभोग के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे तक फैलती है, और जब यह हृदय और शरीर के मध्य भागों तक पहुंचता है, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।

इस प्रकार, एक और बीमारी गोनोरिया है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों में पेशाब करते समय कष्ट और गंभीर जलन पैदा करती है और जोड़ों में सूजन पैदा करती है, जो व्यक्ति के जोड़ों को स्थायी रूप से अक्षम कर देती है।

ग्रैनुलोमा इंगुइनेल (Granuloma Inguinale) निषिद्ध शारीरिक संबंधों से फैलने वाली बीमारियों में से एक है, जो आमतौर पर बाहरी अंगों को प्रभावित करती है, जिससे बहुत दर्द होता है और इलाज न होने पर गंभीर विकलांगता हो जाती है, जिससे व्यक्ति का वजन बढ़ जाता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है।

१९१८ मुताबिक १४०२ हिजरी में जो विभिन्न नई बीमारियाँ सामने आईं, उनमें रक्षात्मक शक्ति की कमी अर्थात् एड्स भी शामिल है, जो आमतौर पर व्यभिचार, समलैंगिकता एवं खून के लेन-देन के कारण होती है। इसके शिकार ज्यादातर वे होते हैं जो समलैंगिकता जैसे कुकर्म में लिप्त होते हैं। एड्स एक वायरस का नाम है जो श्वेत कोशिकाओं को नष्ट कर देता है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है, जो सूक्ष्म कीड़ों और बैक्टीरिया के लिए मार्ग प्रशस्त करता है जो मानव शरीर में विभिन्न संक्रमण और कैंसर की स्थिति पैदा करते हैं अमेरिका में यह इतना आम हो गया है कि हर दिन दस से बारह लोग इस बीमारी से पीड़ित होते हैं⁽²⁾

(1) हिजाब, लेखक: अबुल आला मौदूदी: १०१-१०२।

(2) दलीलुल अन्फुस बैनल कुरआन अल् करीम वल इल्मिल हदीस, लेखक: तौफ़ीक़ मुहम्मद इज़ज़ुद्दीन: ४०८-४०९ संक्षिप्त रूप में।

व्यभिचार, दुष्कर्म एवं समलैंगिकता मिश्रित विशेषता यह है कि ये सभी संक्रामक रोग हैं, जो व्यभिचार के माध्यम से एक से दूसरे में फैलते हैं तथा इन रोगों का निदान और उनके कीटाणुओं की खोज बहुत मुश्किल होती है।⁽¹⁾

८- व्यभिचारी पुरुष के लिए उचित नहीं है कि वह व्यभिचारी महिला को छोड़ कर किसी अन्य महिला से विवाह करे, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह फ़रमाता है:

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾

[سورة النور: ३]

अनुवाद: (व्यभिचारी पुरुष नहीं विवाह करता है परंतु व्यभिचारी अथवा मिश्रणवादी महिला से, तथा व्यभिचारिणी नहीं विवाह करती है परंतु व्यभिचारी अथवा मिश्रणवादी से, और इसे हाराम (अवैध) कर दिया गया है ईमान वालों पर)। सूरह नूर: ३।

व्यभिचारी पुरुष जब तक तौबा न कर ले तब तक उस से व्यभिचारी महिला अथवा मुश्रिक महिला को छोड़ कर कोई अन्य मुस्लिम महिला कभी भी विवाह नहीं करेगी, न ही मोमिनों के लिए यह जायज़ है कि वह अपनी बेटियों का विवाह जानबूझ कर ऐसे व्यक्ति से कराए जिसके बारे में उसे यह पता हो कि वह कुकर्म एवं व्यभिचारी है, यही मामला महिलाओं का भी है कि जब तक वह तौबा न कर लें तब तक व्यभिचारी अथवा मुश्रिक पुरुष को छोड़ कर कोई सदाचारी पुरुष उससे कदापि विवाह नहीं कर सकता।

यह आदेश उन पुरुषों और महिलाओं पर लागू होगा जो अपनी आदत नहीं छोड़ते हैं और पश्चाताप नहीं करते हैं, किंतु यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो पश्चाताप करते हैं और खुद को सुधारते लेते हैं, क्योंकि सुधार और पश्चाताप के बाद उन पर व्यभिचार का गुण लागू नहीं होगा।⁽²⁾

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि परिवार के गठन के पहले दिन से ही इस्लाम ने अपनी प्रशिक्षण प्रणाली में, इस नैतिक पतन के लिए एक उपाय प्रदान किया है जो अपराध की प्रकृति और उसकी दृढ़ता के अनुकूल है, और वह यह है कि व्यभिचारियों का विवाह पवित्र व सती सावित्री महिला से न किया जाए, परंतु सच्चे मन से तौबा करने एवं अपने आपको सुधारने के बाद जब वह पवित्रता धारण ले तो विवाह के मामले में उन व्यभिचारियों का हुक्म भी सामान्य मुसलमानों के जैसा होगा, यह ऐसा सामाजिक उपचार है जो फसाद के फैलने से रोकता है और इसका वास्तविक इलाज प्रदान करता है जिसे व्यभिचारी भी महसूस करता है और उसके अंदर

(1) पिछला संदर्भ: ४०७, संक्षिप्त रूप में।

(2) तफ़सीर सूरह नूर, लेखक: अबुल आला मौदूदी: ८९।

यह चेतना जागृत होती है कि वे अपने काले कारनमों के कारण समाज के लिए कलंक बने हुए हैं।

उपचार के लिए प्रशिक्षण निर्देश:

व्यभिचार के इलाज के लिए इस्लाम ने जो शैक्षणिक नुस्खा प्रस्तुत किया है वह इस प्रकार है:

१ -मुस्लिम महिलाओं को पवित्रता, सतीत्व, शुद्धता एवं गरिमा का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, उन्हें हिजाब का पालन करना और नग्नता और स्वच्छंदता से बचना सिखाया जाना चाहिए। ऐसा करने के दो तरीके हो सकते हैं:

- क- उन्हें नग्नता, अंगप्रदर्शन तथा स्त्री-पुरुष के मेल-मिलाप से होने वाली हानियों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए और नग्नता के खतरों को स्पष्ट किया जाना चाहिए और इस जानकारी को समाज में सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
- ख- नई पीढ़ी को शुद्धता और पवित्रता तथा व्यभिचार से बचने का प्रशिक्षण इस तरह दिया जाना चाहिए कि वह अल्लाह और उसके दूत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के उस आदेश को पूरा कर सके, जिससे दिलों को अज्ञानता और पाप की मृत्यु से मुक्त किया जाए और पवित्रता एवं ईमानदारी का जीवन दिया जाए। सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह फ़रमाता है:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ

أَدْنَىٰ أَنْ يَعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾ [سورة الأحزاب: ٥٩]

अनुवाद: (हे नबी! अपनी पत्नियों एवं पुत्रियों से तथा मुसलमानों की महिलाओं से कह दो कि वो अपने ऊपर चादर लटका लिया करें, उससे बहुत जल्दी उनकी पहचान हो जाया करेगी फिर वह न सताई जाएंगी, तथा अल्लाह क्षमा करने वाला दयावान है)। सूरह अहज़ाब: ५९।

२- युवाओं को अपना मर्दाना पहलू को बनाए रखने, आलस्य से बचने और महिलाओं की पोशाक, पहनावा, आचरण और बोलने के तरीके की नकल करने से बचने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि जब वे इन चीजों के आदी हो जाएंगे तो उनमें स्त्रीत्व विकसित होगा, परिणामस्वरूप वह समलैंगिकता जैसी यौन विकृति का शिकार हो जाएंगे। आदरणीय अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि: “अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम ने उन पुरुषों पर लानत भेजी है जो महिलाओं जैसा चाल-चलन अपनाएं तथा उन महिलाओं पर लानत भेजी है जो पुरुषों जैसा चाल-चलन अपनाएं”⁽¹⁾

३- मुसलमानों को नजरें नीची रखने का प्रशिक्षण दिया जाए, तथा इसके फ़ायदों एवं लाभों से अवाम को अवगत कराया जाए, हम यहाँ नजरें नीची रखने के कुछ लाभों का उल्लेख कर रहे हैं:

क- ईमान की मिठास और उसकी ताकत का एहसास पैदा होता है, जिससे इंसान को मानसिक शांति और हार्दिक संतुष्टि मिलती है, क्योंकि जब कोई इंसान अल्लाह की खातिर कुछ त्याग करता है, तो अल्लाह उसे बेहतर इनाम देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं: “बुरी नज़र इब्लीस का विषैला तीर है, जो व्यक्ति अल्लाह के भय से इसको छोड़ देता है, अल्लाह तआला उसको ईमान की ऐसी मिठास प्रदान करता है जिसे वह अपने हृदय में अनुभव करता है”⁽²⁾

ख- दिल की रोशनी और हिकमत प्राप्त होती है, जिस तरह इंसान बुराई से बचकर अपनी नज़र की रोशनी को वर्जनाओं से बचाता है, उसी तरह अल्लाह उसे अंतर्दृष्टि की रोशनी और हृदय की ज्योति प्रदान करता है, उस ज्योति के कारण वह उन चीज़ों को भी देखने के योग्य हो जाता है जिसको देखने से वह मनुष्य वंचित रहता है जो आँखें फाड़-फाड़ कर हर वस्तु को घूरता रहता है एवं हराम (वर्जना) से बचता नहीं है, और यह ऐसी चीज़ है जिसे मनुष्य अपने हृदय में अनुभव करता है।

ग- दिल की ताकत और बहादुरी, जिसका नतीजा है कि अल्लाह तआला उसे अपनी शक्ति से जीत एवं प्रभुत्व प्रदान करता है, साथ ही साथ उसको प्रमाण एवं तर्क की शक्ति से भी अनुग्रहीत करता है, इस प्रकार उसे दो शक्तियां मिलती हैं⁽³⁾

घ- नजरें नीची रखकर इंसान खुद को प्रशिक्षित करता है, क्योंकि नजरों से दिल तक पहुंचने का रास्ता खुलता है, जैसे बुखार को मौत की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक माना जाता है, अल्लाह ने फ़रमाया:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ

بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [سورة النور: ३०]

⁽¹⁾ बुखारी: ४/ ७१, हदीस संख्या: ५८८५।

⁽²⁾ अल् मुस्तदरक अलस् सहीहैन, लेखक: हाकिम: ४/ ३१४, हाकिम कहते हैं कि: इस हदीस की सनद सहीह है परंतु सहीहैन में नहीं है, तथा इमाम जहबी ने अल् तलखीस में हाकिम का समर्थन किया है।

⁽³⁾ इगासतुल्लहफान, लेखक: इब्नुल कैयिम: १/ ५९-६१, संक्षिप्त के साथ।

अनुवाद: (मुसलमान पुरुषों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें, तथा अपने गुप्तांगों की सुरक्षा करें, यही उनके लिए पवित्रता है, लोग जो कुछ करें अल्लाह तआला सबसे अवगत है)। सूरह नूर: ३० ।

- ड- यौन उत्तेजना पैदा करने वाली वस्तुओं से दूर रहे, जैसे नग्न तस्वीरें न देखे, बुरी संगत से दूर रहे, संगीत सुनने से बचे जिसे व्यभिचार का प्रेरणादायक माना जाता है, यह यौनिक बुराई की इच्छा को लौ की तरह प्रज्वलित करता है ऐसा इसलिए है क्योंकि संगीत दिल में प्रेमी के प्यार और संभोग की लालसा को पुनर्जीवित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही साथ संगीत सुनने से अल्लाह द्वारा मना की गई चीज को हलाल समझना भी प्रमाणित होता है, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “मेरी उम्मत में ऐसे दुष्ट लोग पैदा हो जाएंगे जो व्यभिचार, रेशम धारण करने, शराब पीने एवं गाने बजाने को हलाल समझ लेंगे”।⁽¹⁾
- च- मदिरापान के खतरों और हानियों के प्रति सचेत किया जाए, क्योंकि शराब का सेवन यौन अनैतिकता का मुख्य कारण है, इसलिए कि नशे की स्थिति में व्यक्ति की बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है और वह अपना कोई भी कार्य कर पाने में सक्षम नहीं हो पाता है, चुनाँचे नशे में धुत व्यक्ति कल्पना लोक में जिस बुरे सपने का आनंद ले रहा होता है, वह नशे में चूर हो कर अपने बुरे सपने को वास्तविकता के धरातल पर उतारने में तनिक भी संकोच नहीं करता है।
- छ- ऐसे यौन दुराचार से पीड़ित मरीजों का इलाज इस्लाम द्वारा दिए गए विभिन्न प्रशिक्षण नुस्खों से किया जाना चाहिए, जैसे अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित करना और बुरे कार्यों से डराना, कुरआन की आयतों एवं नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस में ऐसे भटके हुए लोगों के दिलों के सुधार के लिए बड़ा प्रभाव रखा गया है, कुरआन में उदाहरण प्रस्तुत करके लोगों को यौन अनैतिकता से डराया गया है, जैसे कि लूत अलैहिस्सलाम की क्रौम की घटना, इसी प्रकार कहानी कहने की शैली को अपनाया गया है, जैसे कि आदरणीय यूसुफ अलैहिस्सलाम की पवित्रता की घटना, जिसमें मिस्र के अज़ीज़ की पत्नी उन्हें पाप करने के लिए आमंत्रित करती है, हदीस में एक संतोषजनक बातचीत का उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया है, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस व्यक्ति के साथ बात की थी जो आपके पास व्यभिचार करने की अनुमति मांगने आया था।⁽²⁾

⁽¹⁾ सहीह बुखारी: ४/ १३, हदीस संख्या: ५५९०।

⁽²⁾ मुस्नद अहमद: ५/ २५६०२५७, अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सहीह करार दिया है, सिलसिलतुल अहदीस अस् सहीह: ३७० ।

ज- विभिन्न अवसर पर भलाई करने का आदेश देने एवं बुराई से रोकने का एक व्यावहारिक उदाहरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आदरणीय फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ किया था, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा वर्णन करते हैं कि: “अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को हज्ज के दिन अपनी सवारी पर अपने पीछे बैठाया, वह सुंदर गौर वर्ण थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लोगों को मसला बताने के लिए खड़े हो गए। इसी बीच ख़स्रअम क़बीला की एक सुंदर महिला भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मसला पूछने के लिए आई, फ़ज़ल भी उस महिला को देखने लगे, उसकी सुंदरता उनको अच्छी लगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुड़ कर देखा तो फ़ज़ल उसे देख रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपना हाथ पीछे ले जाकर फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की ठुड्डी पकड़ी तथा उनका मुख दूसरी तरफ घुमा दिया”।⁽¹⁾

इस्लामी तरबियत एवं प्रशिक्षण का व्यावहारिक उदाहरण हम पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवन में देख सकते हैं कि जब भी उनके सामने कोई ऐसी घटना घटती थी जिसमें सलाह, मार्गदर्शन और चेतावनी की आवश्यकता होती थी तो वह तुरंत चेतावनी देते थे, उपरोक्त घटना में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़ज़ल बिन अब्बास को यों ही नहीं छोड़ दिया बल्कि अतिशीघ्र उन्हें यह सिखाया कि अजनबी महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, उन्होंने तुरंत उन्हें चेतावनी दी कि बुरी निगाह एक बहुत ही खतरनाक चीज है, आदरणीय जरीर बिन अब्दुल्लाह का कहना है कि: “मैंने अल्लाह के दूत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से किसी अजनबी महिला पर अचानक पर जाने वाली नज़र के बारे में पूछा, तो आपने फ़रमाया: तुम अपनी निगाह फेर लिया करो”।⁽²⁾

जब कोई व्यक्ति किसी अजनबी महिला को घूर कर देखे या ग़ैर महरम पर पहली नज़र डालने के बाद दोबारा नज़र डाले तो उसे तुरंत ऐसा करने से रोकना चाहिए ताकि उसमें पवित्रता एवं सदाचार वाला चरित्र स्थापित हो सके और उसे पता चले कि लोगों की दृष्टि भी उस पर है। और उसके कदाचार के लिए उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है।

⁽¹⁾ सहीह बुखारी: ४/ १३५-१३६, हदीस संख्या: ६२२८।

⁽²⁾ सहीह मुस्लिम: ३/ १६९९, हदीस संख्या: ४५/ २१५९।

१- यौन अनैतिकता (समलैंगिक पुरुष एवं स्त्री) का एक कारण यह है कि एक पुरुष दूसरे पुरुष के गुप्तांगों को देखता है, और एक महिला दूसरी महिला के गुप्तांगों को देखती है, इसलिए पुरुष एवं महिला को सावधान रहना चाहिए कि वह किसी अन्य पुरुष एवं महिला के गुप्तांगों को न देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस है: “कोई महिला दूसरी महिला के गुप्तांगों को एवं कोई पुरुष दूसरे पुरुष के गुप्तांगों के न देखे”।⁽¹⁾

जांघ भी मनुष्य के निजी अंग में दाखिल है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस है: “जांघ भी शर्मगाह (गुप्तांग) में शामिल है”।⁽²⁾ परंतु कुछ लोगों को इसमें कोई आपत्ति नज़र नहीं आती है कि दूसरों के सामने अपने जांघ को खोले रखे, विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के खेल-कूद में भाग लेने वाले लोग, अतः इस पीढ़ी को प्रशिक्षण की इस्लामी प्रणाली के अनुसार प्रशिक्षित करना एवं उनका बेहतर मार्गदर्शन करना अति महत्वपूर्ण है, ताकि घटिया एवं घृणित चीजों एवं उनके कारक से उनकी नैतिकता उच्च हो और साहस बुलंद रहे।

१०- समलैंगिकता के कारण व्यक्ति एवं समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का वर्णन किया जाना चाहिए, लूट समुदाय के लोगों की कहानी को बयान किया जाए कि अल्लाह ने कैसे उनका वाश किया, पश्चिमी दुनिया समलैंगिकता को बढ़ावा देने के लिए जो प्रचार कर रही है, उस रोग से बचाव दो तरीकों से संभव है:

१- घटना होने के पूर्व ही उसके कारण को समाप्त कर दिया जाए, अतः निगाह नीची रखी जाए, अल्लाह के आदेश को लागू किया जाए, इससे शैतान की हृदय तक पहुंच अवरुद्ध हो जाएगी, साथ ही साथ इससे यह लाभ होगा कि हृदय अपने लाभ एवं फ़ायदा के कार्यों में लिप्त रहेगा।

२- ऐसा हो जाने के बाद उसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, तरीका यह होना चाहिए कि उसके दिल और दिमाग को ऐसी चीजों में मशगूल रखा जाए जो उसे व्यस्त रखें और उसे इस बुराई में पड़ने का मौका ही न मिले, या तो उसके हृदय में हतोत्साहित करने वाला भय या कष्टदायक प्रेम पैदा करने के द्वारा, क्योंकि आत्मा किसी अत्यंत प्रिय चीज के लिए ही प्रिय चीज को छोड़ती है अथवा इस भय से उसे छोड़ती है कि कहीं कोई ऐसी अप्रिय घटना न घट जाए जो उसके लिए उस प्रिय चीज के प्राप्त न हो पाने से अधिक हानिकारक हो, साथ ही साथ

(1) इब्ने माजह: १/ २१७, हदीस संख्या: ६६१, इस हदीस को अल्लामा अलबानी ने सहीह सुनन इब्ने माजह में उल्लेख किया है: ५३८-६६१।

(2) अबू दावूद, हदीस संख्या: ४०१४, तिर्मिज़ी, हदीस संख्या: २७९५, अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सहीह सुनन तिर्मिज़ी में जिक्र किया है: २२४५, २९५९।

उसके अन्दर शक्ति, हिम्मत एवं दृढता उत्पन्न की जाए और ऐसा धैर्य पैदा किया जाए जिससे वह उस कुकृत्य को छोड़ने के योग्य हो सके।⁽¹⁾

११- यौन अनैतिकता को दूर करने और इसके उपचार को बढ़ावा देने में समाज के अंदर मीडिया, स्कूलों, विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका पर प्रकाश डाला जाना चाहिए।

१२- जनसंचार माध्यमों का उपयोग नैतिक मूल्यों के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए, मीडिया को भड़काऊ एवं अनैतिक दृश्यों एवं तत्वों से दूर रखा जाना चाहिए, विशेषकर जनसंचार माध्यमों को संगीत, गाने बजाने एवं ऐसी सभी छवियों के प्रसारण एवं प्रसार से मुक्त रखा जाना चाहिए जिन से समाज में विघटन, अनैतिकता एवं भ्रष्टाचार पैदा होता है।

⁽¹⁾ अल दाउ व अल् दवाउ, लेखक: इब्नु कैयिमिल जौज़ियह: ३०६-३१०, संक्षिप्त रूप में।

नशा एवं ड्रग्स:

इस्लामी नैतिकता के साथ टकराव में आने वाले नैतिक विचलनों में शराब और नशीली दवाओं की लत शामिल है, क्योंकि इसके कारण धर्म और धन, शरीर और आत्मा, नैतिकता और व्यवहार और समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इस विषय पर आगे बढ़ने के पूर्व नशीली दवाओं को परिभाषित करना महत्वपूर्ण प्रतीत होता है:

अल् खम्र (शराब, मदिरा): हर वह चीज जो बुद्धि को ढकती है उसे (खम्र) शराब कहते हैं, इसे खम्र (ढकने वाला) इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बुद्धि को ढकती है।⁽¹⁾ इसमें प्रत्येक वह जूस एवं नबीज शामिल है जो नशीली हो।⁽²⁾

शराब एवं अल्कोहल एक ऐसा पदार्थ है जो खजूर, जौ, अंगूर, सेब और प्याज आदि नशीले पौधों के किण्वन से बनता है।⁽³⁾

अस् सुक्र (नशा): यह एक प्रकार का आनंद और लज्जत है जिसके कारण तर्क और समझ खत्म हो जाती है और नशे में धुत व्यक्ति को पता नहीं चलता कि वह क्या बक रहा है।⁽⁴⁾

अल् मुस्किरात (मादक पदार्थ): वह तमाम वस्तु जिसमें नशा पाया जाता हो, जैसे शराब, अफीम, गाँजा, भाँग इत्यादि।⁽⁵⁾

अल् मुखदिरात (मुनशियात, ड्रग्स): प्रत्येक वह पदार्थ जिसका यदि कोई व्यक्ति प्रयोग करे तो उसके शरीर का कोई एक प्रणाली या कई प्रणालियाँ खराब हो जाएं।⁽⁶⁾

इससे यह स्पष्ट होता है कि शराब, नशा एवं मादक पदार्थों के बीच गहरा संबंध है और इन चीजों के सेवन से व्यक्ति का सही और स्वस्थ दिमाग प्रभावित होता है, नशा उस स्थिति को कहते हैं जो नशा खोरी अथवा मादक पदार्थ के सेवन के परिणामस्वरूप मानव के साथ घटित होती है, तथा बाहरी प्रभाव के नतीजे में वह अप्राकृतिक मनोदशा और गतिविधि या

(1) नैलुल औतार, लेखक: शौकानी: ७/ १३९।

(2) सुबुलुस्सलाम, लेखक: सन्आनी: ४/ १३११।

(3) मौक्किफुल इस्लामि मिनल खम्रि, लेखक: सलालेह बिन अब्दुल अजीज आले मन्सूर: २७।

(4) मदारिजुस्सालिकीन, लेखक: इब्नु कैयिमिल जौजियह: ३/ ३१९।

(5) अल् इस्लाम व जरूरिय्यातुल हयाति, लेखक: अब्दुल्लाह बिन अहमद क़ादिरि: ११९।

(6) अल् अवामिल अल् मुअदियतु इला तआति अल् मुखदिरात वल मन्ज़ूर अल् इस्लामी लि मुवाजिहतहा, लेखक: सऊद बिन अब्दुल अजीज अल तुर्की, इमाम मुहम्मद बिन सऊद अल् इस्लामियह मैगज़ीन: ४३७, मन्कूल: मुहम्मद महमूद अल् हवारी, अल् मुखदिरात मिनल क़लक़ि इलल इस्तिअबाद, इमादतुल बहस अल् इल्मी, अंक: १, रजब १४०९ हिज्री-फरवरी १९८९ ईस्वी।

सुस्ती और विघटन या बेहोशी की स्थिति में चला जाता है, नशा और नशीली दवाएं दो ऐसे कारक हैं जिनके कारण यह स्थिति बनती है।

शराब एवं मादक पदार्थों के प्रयोग के कारक:

जब कोई व्यक्ति कुछ करता है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण और प्रेरणा होती है, चाहे वह ऐसा अपनी इच्छा और इरादा से कर रहा हो, या उसके पीछे कोई बाहरी कारण हो, उदाहरण के लिए, किसी को वह कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता हो अथवा मानव जीवन के नैतिक पहलुओं के सम्मान में ऐसा कर रहा हो।

असबाब एवं कारण: ऐसी चीज़ है जो मानवीय इच्छा से उत्पन्न होती है, क्योंकि यह मानवीय भावनात्मक और व्यक्तिगत झुकाव का परिणाम है, परंतु सबब एवं कारण यदि बाहरी हो तो व्यक्ति को कभी-कभी ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि उसके पास इससे बचने की शक्ति नहीं होती है, क्योंकि वह इस स्थिति में असमर्थ होता है। शराब पीने और नशीली दवाओं का सेवन करने के उन्ही कारणों में से कुछ कारण नीचे दिए गए हैं:

१- आत्म-इच्छा का अनुसरण एवं -परिणाम के बारे में जागरूक हुए बिना अस्थायी सुख की खोज-, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो किसी व्यक्ति को नशीली दवाओं की तलाश करने, उनकी लत लगने और उनके माध्यम से आनंद और नशा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं, यह गुण उन लोगों में पाया जाता है जो लाभ और हानि के बीच अंतर कर पाने की क्षमता से वंचित होते हैं, इसका कारण यह नहीं है कि वे बुद्धि और अंतर्दृष्टि से कोरे होते हैं, बल्कि वास्तविक कारण यह है कि इच्छा बुद्धि पर हावी हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप वे अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए इच्छा के पीछे भागते हैं, इस अर्थ का उल्लेख करते हुए, इब्नु कैयिमिल जौज़ियह कहते हैं: (नशे के अंदर दो अर्थ पाए जाते हैं: आनंद और मदहोशी, नशे का सेवन करने वाला व्यक्ति कभी-कभी इन दोनों अर्थों को प्राप्त करना चाहता है, जबकि कभी उसका उद्देश्य इन दोनों में से किसी एक की प्राप्ति होती है, क्योंकि आत्मा के अंदर इच्छा एवं वासना दोनों पाई जाती है जिसको हासिल कर के वह आनंद का अनुभव करता है, जबकि इस आनंद के परिणाम स्वरूप लोक परलोक में जो इसके हानि हैं उनका ज्ञान रखता हो तो वे उसे ऐसा करने से रोक कर रखती हैं, तथा बुद्धि का अस्तित्व उसे शराब एवं मादक पदार्थों के सेवन से रोक कर रखती है, परंतु यदि मार्गदर्शन करने वाला एवं सही-गलत के बीच अंतर कराने वाला ज्ञान ही न हो एवं भलाई का आदेश देने वाली तथा बुराई से रोकने वाली बुद्धि ही न हो तो इंद्रिय वासनाओं के लिए इच्छा पूर्ति का द्वार खुल जाता है और उसके समक्ष कुकर्म का एक बड़ा खुला हुआ मैदान होता है।⁽¹⁾

⁽¹⁾ मदारिजुस्सालिकीन, लेखक: इब्नु कैयिमिल जौज़ियह: ३/ ३२०।

२- नशीले पदार्थों और नशीली दवाओं के खतरों के प्रति अनभिज्ञता और (नई नस्ल की इस बात से अज्ञानता कि उनका शत्रु इस्लामी समाज को इन जहरों में डुबाकर मार डालना चाहता है)⁽¹⁾, इस प्रकार के जहर का सामान्यीकरण करके अदूरदर्शी एवं कमजोर बुद्धि रखने वाले लोगों को अपने जाल फंसा कर उन्हें नष्ट करना चाहते हैं, यही कारण है कि उपनिवेशवाद के प्रणेता इसे मुस्लिम समाज में लागू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब यह समाज नशे में धुत हो कर कमजोर हो जाए, तो वे उनके देश पर आक्रमण करें तथा उपनिवेशीकरण और उनकी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण के इरादे से उनके देश में आ जाएं।

३- यह गलत धारणा है कि मादक पदार्थ यौन शक्ति बढ़ाती है, इस विकार से पीड़ित लोग इसकी तलाश में रहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आधुनिक चिकित्सा ने मादक पदार्थों के बारे में जो सच्चाई साबित की है वह इसके विपरीत है, अर्थात् मादक पदार्थ यौन नपुंसकता का कारण बनते हैं, शुक्राणुओं को मारते हैं और कई बीमारियों का कारण बनते हैं⁽²⁾

४-आर्थिक विकास जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक एवं वित्तीय सम्पदा की बहुतायत।

५ -पश्चिमी देशों तथा अन्य देशों की यात्रा करने की प्रथा, जो समाज में फैल गयी है।

६- बड़ी संख्या में विदेशी नौकरानियों का निर्यात, जिसने वेश्यावृत्ति को लोकप्रिय बनाने और बुरी आदतों को फैलाने में मदद की है, नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों के प्रचार और प्रसार में भी यह एक प्रमुख भूमिका निभाता है, भले ही ऐसा इसलिए हो क्योंकि ये नौकरानियाँ इन दवाओं के बारे में बात करती हैं, अपने देश में वे कहां पाए जाते हैं उनके संबंध में बताती हैं अथवा इन्हें दूसरे देशों में प्रसारित करने के विषय में बात चीत करती हैं।

मादक पदार्थों एवं नशीली दवाओं के नुकसान:

नशीले पदार्थों और मादक द्रव्यों से अनेक प्रकार की हानियाँ होती हैं तथा इनसे होने वाले नुकसान को गिना नहीं जा सकता, इनसे होने वाली हानि का वर्णन करने के लिए एक स्थायी पुस्तक की आवश्यकता होगी, क्योंकि इनसे धर्म, धन-सम्पत्ति, बुद्धि और मन तथा आत्मा संबंधित अनेक प्रकार की हानि होती हैं, नशीले पदार्थ समाज में अराजकता फैलाते हैं तथा शांति भंग करते हैं, यहां केवल नशीली दवाओं के प्रमुख एवं महत्वपूर्ण नुकसानों का उल्लेख किया जा रहा है:

१- नशा आचरण को भ्रष्ट कर देता है, क्योंकि शराब का नशा शराबी की रगों में बसा होता है, जिससे उसके संस्कार भ्रष्ट हो जाते हैं, वह अपने और दूसरों के रहस्य भी उजागर कर

(1) अल् मुस्किरात व अज़रारुहा व अहकामुहा दिरासतुन मुक्रानतुन फ़िश् शरीअतिल इस्लामिय्यह, लेखक: फ़रज ज़हान: २२८।

(2) पिछला संदर्भ, संक्षिप्त रूप में।

देता है, प्राचीन काल में शत्रु देशों के जासूस विरोधियों की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए मादक द्रव्य और शराब का सहारा लेते थे।

२- नशा बुद्धि और शरीर के विकास को रोकता है, जबकि बुद्धि और शरीर नैतिकता के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों और सदस्यों में से हैं, क्योंकि जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो नैतिकता भी भ्रष्टाचार का शिकार हो जाती है, क्योंकि उसके पास अपने कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता ही बाकी नहीं रहती।

३- नशे के आदी व्यक्ति को संक्रामक रोग अपनी चपेट में ले लेते हैं, तथा उसके स्वास्थ्य और शारीरिक तंत्र को नष्ट कर देते हैं।

४- शराब और नशा इंसान को पशुता एवं हैवानियत के स्तर पर ले आते हैं।

५- मदिरापान एवं मादक पदार्थों का सेवन लोगों को अल्लाह का स्मरण करने एवं नमाज़ से रोक कर रखती हैं, अल्लाह तआला का कथन है:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوْنَ ﴿١١﴾ [سورة المائدة: ٩١]

अनुवाद: (शैतान तो यह चाहता है कि शराब एवं जूआ के द्वारा तुम्हारे बीच शत्रुता एवं ईर्ष्या को फैला दे तथा अल्लाह तआला की याद से एवं नमाज़ से तुमको रोक कर रखे सो तुम इससे अब भी रुक जाओ)। सूरह माइदा: ९१।

मानो मादक पदार्थों का सेवन मनुष्य को कुरआन पढ़ने, विद्वानों की सभाओं में भाग लेने, अच्छे लोगों की संगति का लाभ उठाने एवं उनकी सभाओं से लाभांशित होने से वंचित कर देता है, क्योंकि शराबी स्वभाव और राय में अंतर के कारण ऐसे लोगों से नफरत करता है।

६- मादक पदार्थ अच्छे स्वभाव, अच्छे संस्कार और ज्ञान के विपरीत व्यक्ति को क्रोध, मूर्खता और बुद्धि में ह्रास से पीड़ित कर देते हैं, जिससे वह केवल अप्रिय और निरर्थक बातें सुनता है, बुरे कार्यों को देखता है, जिससे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप उसकी प्रकृति, कल्पना के अधीन हो कर रह जाती है, और इससे पहले कि वह अपने काम के अंजाम का एहसास करे, उसका इरादा उस पर हावी हो जाता है, जिसके नतीजे में वह या तो दूसरे को मार डालता है या खुद मार दिया जाता है, किसी दूसरे पर अत्याचार एवं जुल्म करता है अथवा स्वयं किसी के अत्याचार तथा जुल्म का शिकार हो जाता है।⁽¹⁾

(1) रसाइलुल इस्लाह, लेखक: मुहम्मद अल् खिज़्र हुसैन: २/ २३-२५। संक्षिप्त रूप में।

इस मनोवैज्ञानिक और नैतिक पतन के मामले में निम्न और उच्च का कोई भेद नहीं है, क्योंकि मोनोपोली, अलजीरिया एव ल्यों विश्वविद्यालयों की शरीर विज्ञान की प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों से पता चला है कि कभी-कभी मादक पदार्थ और शराब की मात्रा बहुत कम होते हुए भी यह किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त हो सकती है।⁽¹⁾ यही कारण है कि इस्लाम ने नशे को पूर्णतः हaram करार दिया है, चाहे वह कम मात्रा में हो या अधिक मात्रा में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं: “जिस चीज़ की अधिक मात्रा नशा उत्पन्न करती हो उसकी कम मात्रा भी हaram है”।⁽²⁾

७- पशु-पक्षी तम्बाकू के पेड़ के पास नहीं जाते, क्योंकि उन्हें अपने स्वभाव के अनुसार इसके नुकसान का एहसास होता है⁽³⁾, जब जानवर अपने स्वभाव से समझ जाते हैं कि यह पेड़ उनके लिए हानिकारक है, तो क्या कारण है कि आदमी लोग जो बुद्धि और विवेक से समृद्ध हैं वे इसकी खोज में हैं, वे इसमें आनंद महसूस करते हैं, वे इसके लिए अपने धर्म और धन का घाटा करते हैं। क्या जानवर अपने स्वभाव से इंसान से ज्यादा समझदार और बुद्धिमान है? इसका उत्तर यह है कि इन नशेड़ियों और नशा करने वालों का स्वभाव समाज और परिवार में बुरे प्रशिक्षण के कारण पतन का शिकार हो गया है।

८- नशीली दवाओं के सेवन से यौन नपुंसकता आती है क्योंकि इससे महिला का गर्भाशय और पुरुष के अंडकोष सिकुड़ जाते हैं, एक शोधार्थी के अनुसार नशीली दवाओं के आदी लोगों का शव परीक्षण करते समय उनमें से ८६% के अंदर शुक्राणु नहीं पाया गया।⁽⁴⁾

यह भी देखा गया है कि धूम्रपान और एन्यूरिज्म रोग (aneurysm) के बीच एक मजबूत संबंध है, यह रोग रक्त वाहिकाओं के फैलाव के कारण होता है, जो आमतौर पर कोरोनरी धमनी में होता है, और यह कैंसर का कारण भी बनता है, जिसे अब तक संसार की सबसे जटिल बीमारियों में गिना जाता है।⁽⁵⁾

(1) दलीलुल अन्फुसि बैनल कुरआनिल करीमि वल् इल्मिल हदीस, लेखक: तौफ़ीक़ अल् खिज़्र इज़्ज़ुदीन: ४१२।

(2) अबू दावूद: ४/ ८७, हदीस संख्या: ३६८१, सुनन तिर्मिज़ी: ४/ २५८, हदीस संख्या: १८६५, मुस्नद अहमद: २/ ९१, अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को हसन सहीह कहा है, देखें: सहीह सुनन अत् तिर्मिज़ी: १५२०-१९४३।

(3) अत्तौजीहातुल इस्लामिय्यह लि इस्लाहिल फ़र्दि वल् मुज्तामिअ, लेखक: मुहम्मद जमील ज़ैनु: ४००।

(4) मौक़िफ़ुल इस्लामि मिनल ख़म्रि, लेखक: सालेह अब्दुल अज़ीज़ आले मन्सूर: २५।

(5) असरुल मुख़दिराति वल मुसकिराति वत् तदख़ीन फ़ीस्सिहहति वदीन, लेखक: अहमद अल् मुबारक अल् हुयैबी: ९२।

मदहोशी: यह एक गंभीर बीमारी है जो शराब के आदी लोगों को होती है, जिससे उन्हें गंभीर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परेशानी होती है, इसके अलावा यह एक खतरनाक सामाजिक बीमारी है जो समाज के सदस्यों को मार देती है, उनके शरीर नष्ट हो जाते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है संस्कारों का नैतिक मूल्य विलुप्त हो जाता है, अंततः यह बीमारी शराबियों को मानव समाज के लिए हानिकारक तत्वों की तरह बना देती है।⁽¹⁾

९- नशा की आदत से मायूसी और निराशा, अशांति, अस्थिरता और छोटी-छोटी बातों से डर जैसी कई मनोवैज्ञानिक बीमारियाँ पैदा होती हैं, जिससे नैतिक मूल्य और परंपराएँ दूषित होती हैं और पागलपन पैदा होता है, यह भी देखने में आया है कि पागलपन से पीड़ित ५०% मरीज़ ऐसे लोग हैं जिन्हें शराब की लत लगी हुई है।⁽²⁾

१०- नशा मस्तिष्क के लिए एक गंभीर खतरा है, जो दिमाग का केंद्र है, इसका परिणाम यह होता है कि शराबी व्यक्ति मानसिक विकारों के कारण अपराध करना शुरू कर देता है, शोध से पता चला है कि जो युवा नशीली दवाएं लेते हैं उनमें अपराध करने की संभावना अधिक होती है। फ्रांस में नशा करने वालों द्वारा किए गए अपराधों की संख्या ६६% है, जबकि उनमें से ८२% लोग हिंसक अपराध करते हैं, ५२% लोग सरकारी अधिकारियों का उत्पीड़न करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हत्याएं और हिंसक अपराध करना जघन्य अपराध हैं, इस्लामी प्रशिक्षण प्रणाली में इसकी निंदा की गई है और विभिन्न माध्यमों से इसको रोकने का प्रयास किया गया है, उदाहरण के लिए:

क- धार्मिक भावना का विकास करना।

ख- अपराध रोकने के लिए हद्द (निश्चित अपराध पर निश्चित दण्ड), सीमाएं और दंड निर्धारित हैं।

ग- विभिन्न तरीकों और शैलियों में इस्लामी प्रशिक्षण के माध्यम से प्रोत्साहन, चेतावनी, नसीहत एवं कल्याणकारी कार्यों का पाठ पढ़ाया गया है।

११- जो व्यक्ति नशीली दवाओं का उपयोग करता है वह निषिद्ध कार्य करता है, अल्लाह के दूत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा: “हर नशीला पदार्थ शराब है, और हर नशीला पदार्थ निषिद्ध है। जिसने संसार में शराब पिया और पीते-पीते मर गया मगर तौबा (पश्चाताप) नहीं किया, तो वह आखिरत (परलोक) में शराब से वंचित रहेगा”।⁽³⁾

(1) मौक़िफ़ुल इस्लामि मिनल ख़म्रि, लेखक: सालेह अब्दुल अज़ीज़ आले मन्सूर: ३४।

(2) पूर्वोक्त संदर्भ: ३५-३६, संक्षिप्त रूप में।

(3) मुस्लिम: ३/ १५८७, हदीस संख्या: ७३/ २००३।

१२- एक शराबी व्यक्ति खुद पर हद्द (शरई दण्ड) लागू करवाने के लिए खुद को खतरे में डालता है, अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु अन्हु का वर्णन है कि: “नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास एक ऐसे व्यक्ति को लाया गया जिसने शराब पी रखी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसे खजूर की दो छड़ियों से चालीस बार के लगभग मारा, अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी अपने शासनकाल में ऐसा ही किया, फिर जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफ़ा बने तो उन्होंने इस के बारे में लोगों से विचार-विमर्श किया, चुनाँचे अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा: हद्द में सबसे कम हद्द अस्सी कोड़ा मारना है, अतः उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसी का आदेश जारी किया”।⁽¹⁾

१३- शराब पीने वाला स्वयं को परलोक में अल्लाह के दण्ड का भागी बनाता है, जैसा कि प्रामाणिक हदीस में उल्लेख किया गया है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा: “हर नशीली चीज़ निषिद्ध है, अल्लाह सर्वशक्तिमान ने यह निर्धारित कर दिया है कि जो नशा लाने वाली चीज़ पियेगा तो अल्लाह तआला उसे तीनतुल खबाल पिलायेगा। लोगों ने पूछा: तीनतुल खबाल क्या है? आपने फ़रमाया: नर्क वासियों का पसीना अर्थात् फ़रमाया: नर्क वासियों का मवाद”।⁽²⁾

१४- जो व्यक्ति मदिरापान करता है वह अपने आपको आखिरत की मदिरा से वंचित कर लेता है, जैसाकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है: “... जिसने संसार में शराब पिया और पीते-पीते मर गया परंतु तौबा (पश्चाताप) नहीं किया, तो वह आखिरत (परलोक) में शराब से वंचित रहेगा”।⁽³⁾

उपचार के लिए प्रशिक्षण निर्देश:

शराब एवं मादक पदार्थों की लत के उपचार के लिए प्रशिक्षण दिशानिर्देश:

१- नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों के सेवन और उनकी खरीद-फरोख्त के संबंध में इस्लाम के आदेश की व्याख्या की जानी चाहिए, साथ ही इस महामारी के खिलाफ चेतावनी देने वाले कुरआन एवं हदीस के छंदों (नुसूस) का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, क्योंकि इस से नशे से बचने की शिक्षा मिलती है और इंसान में अल्लाह का डर पैदा होता है, वह अल्लाह के दर्दनाक अज़ाब से डरता है और इंसान उन चीज़ों से बचता है जो आत्मा को चोट पहुंचाती हैं और उसे दुखी करती हैं।

⁽¹⁾ सहीह बुखारी: ४/ २४६, हदीस संख्या: ६७७९, व मुस्लिम: ३/ १३३०, हदीस संख्या: ३५/ १७०६, उपरोक्त शब्द मुस्लिम द्वारा वर्णित हैं।

⁽²⁾ सहीह मुस्लिम: ३/ १५८७, हदीस संख्या: ७२/ २००२।

⁽³⁾ इस हदीस के हवाला का पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है।

२- मदिरापान के आदी एवं मादक पदार्थों का प्रयोग करने वाले तथा उसका प्रसार करने वालों के विरुद्ध सामाजिक स्तर पर आलोचना की जाए, उनके साथ नसीहत एवं उपदेश का मामला किया जाए तथा उनका उचित मार्गदर्शन किया जाए।

३- मादक पदार्थों के सेवन से मानव स्वास्थ्य पर जो दुष्प्रभाव पड़ता है, एवं मानव पाचन तंत्र, प्रजनन प्रणाली और उसके मानसिक संतुलन पर पड़ने वाले प्रभाव को लोगों को बताया जाना चाहिए, साथ ही इसके नुकसान जो आर्थिक एवं वित्तीय, शांति और सामाजिक रूप से दिखाई देते हैं उस पर भी प्रकाश डाला जाना चाहिए।

४- जो लोग जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, कष्ट और दुःख से छुटकारा पाने के लिए नशीली दवाओं का उपयोग करते हैं, उन्हें उन नशीली दवाओं का एक बेहतर विकल्प दिया जाना चाहिए, और उन्हें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की यह हदीस याद दिलानी चाहिए: (कि जब भी किसी व्यक्ति को कोई परेशानी या दुःख हो और वह यह दुआ पढ़ता है, तो अल्लाह उसके दुःख को दूर कर देता है और उसे दुःख के स्थान पर खुशियाँ देता है:

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِي حُكْمِكَ، عَدْلٌ فِي قَضَائِكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي

अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका, वब्नु अब्दिका, वब्नु अमतिका, नासियति बियदिका, माजिन फ़िय्या हुक्मुका, अद्लुन फ़िय्या क़ज़ाउका, अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लका, सम्मैता बिहि नफ़्सका, औ अन्ज़लतहु फ़ी किताबिका, औ अल्लमतहु अहदम मिन ख़लक़िका, औ इस्तअसरता बिहि फ़ी इल्मिल ग़ैबि इन्दका, अन तजअलल कुरआना रबीआ क़ल्बी, व नूरा सदरी, व जिलाआ हुज़्नी व ज़हाबा हम्मी (अर्थात: हे अल्लाह! मैं तेरा भक्त हूँ, तेरे भक्त को पुत्र हूँ, तेरी भक्तिनि का पुत्र हूँ, मेरी पेशानी (ललाट) तेरे हाथ में है, मेरे बारे में तेरा आदेश जारी है, मेरे संबंध में तेरा निर्णय न्यायपूर्ण है, मैं तुझ से तेरे प्रत्येक उस नाम के द्वारा प्रश्न करता हूँ जो तूने स्वयं अपना नाम रखा है अथवा उसे अपनी पुस्तक में उतारा है या अपनी सृष्टि में से किसी को सिखलाया है अथवा इल्म -ए- ग़ैब में उसे अपने पास रखने को वरीयता दी है, कि तू मेरे कुरआन को मेरे हृदय का बहार (वसंत), मेरे सीने का नूर (दिव्य प्रकाश) तथा मेरे दुःख को दूर करने वाला एवं मेरी चिंता को ले जाने वाला बना दे), तो अल्लाह तआला उसकी चिंता व दुःख तथा उदासीनता एवं कष्ट को दूर कर के उसके बदले उदारता एवं प्रसन्नता प्रदान करेगा।

कहा गया: हे अल्लाह के रसूल! क्या हम ये कलेमात (वाक्य) सीख न लें? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: क्यों नहीं, प्रत्येक सुनने वाले को याद कर लेना चाहिए⁽¹⁾

आज बहुत से लोग ऐसी प्रार्थनाओं से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि इनके प्रचार-प्रसार का अभाव है, प्रत्येक मनुष्य दुःख, उदासी और अवसाद का अनुभव करता है, तथा जब उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या जब परिस्थितियाँ उसकी अपेक्षाओं और प्रयासों के अनुरूप नहीं होती हैं तो कुछ लोग सब्र करके अल्लाह से पुरस्कार की आशा रखते हैं, तो कुछ लोग सब्र करने के साथ-साथ अपने दुखों का इलाज शरीअत के बताए हुआ ढंग के अनुसार करने का प्रयास करते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अत्याचार वाला ढंग अपनाते हुए इसका उपचार करने का प्रयास करते हैं, वह इस प्रकार की ऐसे लोग कुछ देर के लिए अपनी सोचने समझने की योग्यता को ही समाप्त कर लेते हैं ताकि वे इन स्थितियों और दुखों को भूल जाएं फिर उसके कुछ देर के बाद अपनी मूल स्थिति में लौट आते हैं।

५- ऐसे लोगों को नसीहत करनी चाहिए जो अपने मेहमानों का स्वागत सिगरेट और शीशा (नशीला पदार्थ) से करते हैं, और इस गलतफहमी में रहते हैं कि यह भी आतिथ्य एवं उदारता है, तथा वे इसकी उपेक्षा करते हैं कि ऐसा करने के द्वारा वे पाप करने का कारण बन रहे हैं और समाज में ऐसा खतरा पेश कर रहे हैं जो दिनों दिन फैल ही रही है, वे उस आग को भड़का रहे हैं जो शरीर एवं आत्मा को भस्म कर रही है, जबकि उनके लिए यह संभव था कि वे सलाह, सद्भावना और मार्गदर्शन देकर इस आग को बुझा सकते थे।

६- इस्लामिक देशों के अंदर शराब और सिगरेट जैसी नशीली दवाओं की फैक्ट्रियां बंद की जाएं, विदेशों से इनके निर्यात पर रोक लगाई जाए, इनको रिवाज देने और फैलाने वालों को कठोर दण्ड दिया जाए, क्योंकि इन चीज़ों को लोगों के बीच फैलाने के असल जिम्मेदार यही लोग हैं।

७- सभी मस्जिदों, मीडिया हाउसों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों, सामान्य सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों को इस तरह के घातक जहर के खिलाफ एक साथ मिल कर अपना वास्तविक किर्दार अदा करना चाहिए, चाहे वह वार्तालाप और बातचीत के माध्यम से हो, या शुद्ध धार्मिक भावना से पत्रों और पत्राचार के माध्यम से हो। क्योंकि हृदय पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है।

⁽¹⁾ मुस्नद अहमद: १/ ४५२।

अंग प्रदर्शन और नग्नता

नग्नता का अर्थ: इससे अभिप्राय यह है कि महिला अपनी साज-सज्जा का खुले आम प्रदर्शन करे, पुरुषों के समक्ष अपनी सुंदरता को प्रकट करे, अपनी गर्दन एवं मुख की सौंदर्यता को पुरुषों के समक्ष नग्न रखे।⁽¹⁾

नग्नता अपने सभी रूपों में प्रलोभन, भ्रष्टाचार और नैतिक बुराई का खुला द्वार है, चाहे वह कृत्रिम आवाज़ और उसकी सुंदरता के माध्यम से हो, या पारदर्शी और तंग या छोटे कपड़ों के माध्यम से, या गर्दन के कुछ हिस्सों के प्रदर्शन के माध्यम से, अथवा लचकदार चाल के द्वारा, नग्नता हर हाल में एक खतरनाक बीमारी और फसाद फैलाने वाली बुराई है।

इस्लाम ने अपने प्रशिक्षण में मानव स्वभाव और मिजाज के अनुसार नग्नता का विशेष उपचार प्रदान किया है, सजा, फटकार, प्रोत्साहन और उत्साह बढ़ा कर इस संबंध में उत्कृष्ट मार्गदर्शन और रहनुमाई किया है।

नग्नता के कारण:

नग्नता के पीछे विशिष्ट कारण इस प्रकार हैं:

१- धार्मिक प्रशिक्षण का अभाव और उसकी खराब स्थिति, जिसके कारण सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर विचलन और आत्म-इच्छा के अनुपालन की सोच आम है।

२- सुंदरता और हुस्न दिखाने की चाहत, ताकि लोग किसी नंगी औरत के हुस्न और सुंदरता से खुश हों, बालों को संवारने और सुंदर बनाने के बाद उसे खुला रख कर, पारदर्शी, पतले, कसे हुए और छोटे कपड़े पहन कर नग्नता का प्रदर्शन किया जाता है, ताकि लोगों की नजर उन चीजों पर पड़े जिन्हें छिपाने और ढकने का हुक्म दिया गया है।

३- नग्नता का एक कारण यह भी है कि: मानव हृदय में स्त्री-पुरुष के आपसी वार्तालाप से मिलने वाले आनंद की चाहत और तलब होती है, इसी कारण से वाणी को कृत्रिम रूप से सुंदर बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, लहजा आकर्षक एवं बातचीत मधुर रखी जाती है, जबकि कुरआन इसे मना करता है, अल्लाह कहता है:

﴿يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْتَنْ كَاحِدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ اِنْ اَتَقَيْتَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِۦ

مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٣﴾ [سورة الأحزاب: ३२]

⁽¹⁾ लिसानुल अरब, लेखक: इब्ने मन्ज़ूर: २/ २१२०, माद्दा: ब र ज (८५)।

अनुवाद: (हे नबी की पत्नियो! तुम सामान्य महिलाओं की तरह नहीं हो, यदि तुम अल्लाह से डरती हो तो कोमल भाव से बात न करो, कि लोभ करने लगे वह जिसके दिल में रोग हो और सभ्य बात बोलो)। सूरह अहज़ाब: ३२।

इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह कहते हैं कि: यह एक ऐसा अदब है जिसका आदेश अल्लाह तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पत्नियों को दिया है, और उम्मत की सभी महिलाएं इस आदेश में उनकी अनुयायी हैं।⁽¹⁾

४- दूसरों की देखा देखी जब नग्नता का प्रदर्शन किया जाता है तो उस समय इसका कारण दूसरों की नकल करना होता है, विशेष रूप से उस समय जब उस नकल में पराजय की भावना भी शामिल हो, क्योंकि पराजित व्यक्ति सामान्यतः अपने समस्त प्रतीकों, पहनावों, तौर-तरीकों और अन्य सभी परिस्थितियों और मामलों में अपने आदर्शों और आइडियल की नकल करने का शौकीन होता है, ऐसा किसी विशेष नियम एवं सिद्धांत के कारण नहीं होता तथा न ही सदा यही स्थिति उत्पन्न होती है, परंतु जिस व्यक्ति का अपना कोई विशेष नियम एवं सिद्धांत न हो उसका चलन यही होता है।

५- आलोचना का अभाव: जब समाज के बहुसंख्यक वर्ग में अंधानुकरण ने अपना जाल फैला लिया हो, तब आलोचना एवं रोक-टोक का वातावरण समाज से उठ जाता है, तब स्त्री को नग्नता में कोई शर्मिंदगी और असुविधा महसूस नहीं होती, क्योंकि आलोचना एवं रोक-टोक की जुबान अंधानुकरण की गांठ में बंधी होती है, जबकि इस्लाम हमें सलाह, नसीहत एवं परोपकार का आदेश देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है: “दीन नसीहत (खैरख्वाही, भलाई, कल्याण) का नाम है, लोगों ने पूछा: किसके लिए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: अल्लाह, उसकी किताब, उसके रसूल, मुसलमानों के इमाम (शासक) एवं अवाम के लिए”।⁽²⁾

इस्लामी मन्हज (परंपरा, आस्था) में नसीहत एवं खैरख्वाही के नियमों एवं सिद्धांतों को भी स्पष्ट कर दिया गया है, और वह यह है कि:

बाहु शक्ति के बल पर बुराई को रोका जाए, यदि इसकी क्षमता न हो तो जुबान की शक्ति से इसको समाप्त किया जाए, (तथा यदि इसका भी सामर्थ्य न हो तो) न्यूनतम श्रेणी यह है कि दिल से उसे बुरा माना जाए, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस ओर मार्गदर्शन किया है: “तुम में से जो व्यक्ति मुन्कर -शरीअत विरोधी कार्य, बुराई- को देखे तो उसको अपने

(1) तफ़सीरुल कुरआनिल अज़ीम, लेखक: इब्ने कसीर: ३/ ४९०।

(2) मुस्लिम: १/ ७४, हदीस संख्या: ९५/ ५५।

हाथ से रोके, यदि इसकी क्षमता न हो तो जुबान से रोके, और यदि इतनी भी क्षमता न हो तो दिल में उसको बुरा समझे, तथा यह ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है”⁽¹⁾

नग्नता की तबाही:

नग्नता से होने वाली तबाहियों का निम्न में उल्लेख किया जा रहा है:

1- एक महिला अपने तंग एवं पारदर्शी कपड़ों, अपनी आकर्षक आवाज़, नग्न शरीर, शृंगार, इत्र और सुगंध के द्वारा फितने की आग भड़काती है और पुरुषों की वासना को जगाती है, इसलिए इस्लाम ने महिलाओं के फितने से सावधान रहने को कहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस है: “मैंने अपने बाद पुरुषों के लिए महिलाओं के फितने से अधिक हानिकारक कोई अन्य फितना नहीं छोड़ा”⁽²⁾

२- महिलाओं की नग्नता अल्लाह की आज्ञाओं का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसका आदेश है कि महिला को अपनी बातचीत में बनावट और नरमी नहीं लानी चाहिए और अपनी बातों को सुंदर तरीके से पेश नहीं करना चाहिए, जिससे वह व्यक्ति जिसके हृदय में रोग है कोई बुरा विचार अपने मन में पाल ले, तथा महिला को अपने घर में रहना चाहिए, बेपर्दा बाहर नहीं जाना चाहिए, अजनबी पुरुषों के सामने अपनी सुंदरता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿يُنْسَاءُ النَّبِيَّ لَسْتَنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ (٣٣) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ [سورة الأحزاب: ٣٢-٣٣].

अनुवाद: (हे नबी की पत्नियो! तुम सामान्य महिलाओं की तरह नहीं हो, यदि तुम अल्लाह से डरती हो तो कोमल भाव से बात न करो, कि लोभ करने लगे वह जिसके दिल में रोग हो और सभ्य बात बोलो। तथा अपने घरों में शांति से रहो एवं प्राचीन जाहिलियत युग (की महिलाओं) की तरह अपने शृंगार का प्रदर्शन न करो, और नमाज़ की स्थापना करती रहो, एवं ज़कात देती रहो, तथा अल्लाह एवं उसके रसूल का आज्ञापालन करो, अल्लाह यही चाहता है कि (हे नबी की घर वालियो!) तुम से वह हर प्रकार की गंदगी को दूर कर दे एवं तुम्हें खूब पवित्र कर दे। सूरह अहज़ाब: ३२-३३।

(1) सहीह मुस्लिम: १/ ६९, हदीस संख्या: ४९, ७८।

(2) सहीह बुखारी: ३/ ३१६, हदीस संख्या: ५०९६, व मुस्लिम, हदीस संख्या: ९७, ७४०।

३-नग्नता व्यभिचार के कारणों में से एक है, क्योंकि जब कोई स्त्री अपनी सुंदरता और मोहक स्थानों का प्रदर्शन करती है, तो पुरुष उससे प्रभावित हो जाता है और उसकी ओर झुक जाता है, विशेष रूप से इस युग में, कि जब श्रृंगार का प्रदर्शन, पारदर्शी कपड़ों, आँखों को लुभाने वाली आकर्षक क्रीम एवं पाउडर का प्रयोग कर के सौंदर्यता का खुले आम प्रदर्शन किया जाता है, ऐसी नग्नता का प्रदर्शन किया जाता है कि उसके बाद किसी अन्य नग्नता की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसी का परिणाम है कि: "हर तरफ फिलने का दौर है, वासना की आग भड़क रही है और लोभ एवं लालच का चलन है।"⁽¹⁾

इसमें कोई संदेह नहीं है कि नग्नता अपने पूरे चरम के साथ व्यभिचार का कारण बनती है, जिस से इस्लाम मानव समाज को शुद्ध करना चाहता है, इसीलिए इस्लाम ने महिलाओं को इत्र लगाकर पुरुषों की सभा में जाने से मना किया है ताकि उनकी वासना न भड़के और न उसकी इच्छा जाग्रत हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया: “हर आंख व्यभिचारिणी है और जब कोई औरत इत्र लगाकर सभा के पास से गुजरती है, तो वह भी वैसी ही है, अर्थात् वह भी व्यभिचारिणी है”।⁽²⁾ अल्लाह ने महिलाओं को इस बात से भी रोका है कि वह अपने श्रृंगार का प्रदर्शन करने के लिए अपने पाँव धरती पर जोर से मारें जिससे उनकी पायल की झंकार एवं कपड़ों की चित्रकारी तथा आकृति दिखाई दे, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का फ़रमान है:

﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ [سورة النور: ३१]

अनुवाद: (और इस प्रकार से जोर-जोर से पाँव मार कर न चलें कि उनका छिपा हुआ श्रृंगार दिखाई दे)। सूरह नूर: ३१।

४- बेपर्दगी एवं नग्नता जाहिलिय्यत (अज्ञानता) के युग की पहचान और विशेषता है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पैगंबर बनाए जाने से पहले प्रचलित थी, यह हर उस समाज में प्रमुखता के साथ मौजूद होती है जहां इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार कर्म नहीं किया जाता है, आज पश्चिम में जिस पशु जैसे जीवन को प्रदर्शित किया जा रहा है उसमें अनैतिकता को आमंत्रित करने, पत्रकारिता और मीडिया के माध्यम से ध्वनि और छवि की मदद से बुराई को प्रचारित करने और मुस्लिम महिलाओं को पश्चिम की नग्न महिलाओं का अंधानुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करने के तरीके और साधन शामिल हैं क्योंकि जो प्रभावी जहर फैलाया जा

(1) फ़ी ज़िलालिल कुरआन, लेखक: सैयिद कुतुब: ५/ २८५९।

(2) तिर्मिजी (५/ ९८-९९) संख्या (२७८६) तथा उपरोक्त शब्द उन्हीं के द्वारा वर्णित हैं, तथा तिर्मिजी ने कहा है कि यह हदीस हसन सहीह है, नसई (८/ १५३), तथा अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को हसन करार दिया है, देखें: सहीह सुनन तिर्मिजी, संख्या (२२३७-२९४९)।

रहा है वह अधिक गंभीर है जाहिलियत (इस्लाम-पूर्व अज्ञान) के युग से भी खतरनाक, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَلَا تَبْرَحْ تَبْرِجَ الْجَهْلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [سورة الأحزاب: ३३]

अनुवाद: (एवं प्राचीन जाहिलियत युग (की महिलाओं) की तरह अपने श्रृंगार का प्रदर्शन न करो)। सूरह अहज़ाब: ३३।

नग्नता के उपचार हुते प्रशिक्षण दिशानिर्देश:

नग्नता के उपचार के लिए कुछ प्रशिक्षण दिशानिर्देश नीचे उल्लिखित हैं:

१- बेपर्दगी एवं नग्नता के संबंध में शर्ई आदेश की व्याख्या की जानी चाहिए, और महिला को अनैतिकता और भ्रष्टाचार से दूर रखने के पीछे छिपे हिकमत एवं तत्व ज्ञान के संबंध में उनको जागरूक किया जाए, अभिभावक एवं परिवार के शिक्षक के रूप में समाज में महिलाओं की स्थिति, पद और प्रसिद्धि से अवगत कराया जाना चाहिए।

२- उनके समक्ष यह स्पष्ट किया जाए कि सहाबियात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना पर्दा, हिजाब एवं पवित्रता व सतीत्व का पूरा ध्यान रखती थीं, इस्लामी आदेशों को बिना किसी लापरवाही एवं लज्जा के अपने जीवन में लागू किया करती थीं, संभव है कि उनके अंदर उन सम्मानित सहाबियात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना का अनुसरण करने एवं पवित्रता व सतीत्व के संबंध में उनका अनुकरण की भावना उनके अंदर जाग्रत हो।

३- नग्नता के विनाश और उसके परिणामस्वरूप पनपने वाले बिगाड़ एवं अश्लीलता को उजागर किया जाना चाहिए, और यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि नग्नता के कारण पश्चिमी महिलाएं विनाश के कगार पर पहुंच गई हैं, और वे इतनी तुच्छ हो गई हैं कि उनकी हालत उन व्यापारिक वस्तुओं की तरह हो चुकी है, जो यदि उपयोग योग्य हैं तो खरीदी और उपयोग की जाती हैं, और जब उनकी आवश्यकता नहीं रह जाती है तो उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है, फिर उन्हें सामाजिक देखभाल में विवश एवं दर-दर फिरने वाले लोगों की शरण स्थली में पहुँचा दिया जाता है, परिणामस्वरूप, एक संतोषजनक और शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाता है, उनके अंदर से बच्चों के प्रशिक्षण और संरक्षकता की भावना मर जाती है, महिलाओं की झूठी स्वतंत्रता के ध्वजवाहकों को इस वास्तविकता से आगाह होना चाहिए, हो सकता है कि अब भी वह अपनी मदहोशी से होश में आ जाएं तथा सही मार्ग की ओर लौट आएँ।

४- समाज के भीतर पवित्रता, शुद्धता एवं शर्म और लाज के बीज बोने में प्रशिक्षण संस्थानों, मीडिया, घरेलू वातावरण और मस्जिदों की भूमिका पर प्रकाश डाला जाना चाहिए,

विशेष रूप से मीडिया और संचार के साधनों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि अच्छाई एवं बुराई के प्रचार प्रसार में मीडिया का बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि संसार के हर कोने में संचार के विभिन्न साधन, प्रचार के माध्यम और प्रसारण के साधन मौजूद हैं।

५- अस्पतालों एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में जहां महिलाएं कार्यकर्ता के रूप में मौजूद होती हैं, इन संस्थानों को नग्नता और पुरुष एवं महिला के मिश्रण को रोकने में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए ताकि इस भागीदारी से शुद्धता और पवित्रता के सार को बढ़ावा मिले और उनकी यह कार्रवाई इस संबंध में प्रभावी कारक के रूप में सामने आए कारक।

६- व्यक्ति को अपने धर्म की स्वर्णिम शिक्षाओं और उच्च नैतिकताओं पर गर्व महसूस करना चाहिए और धार्मिक नियमों और आदेशों का पालन करने के लिए सदैव तत्पर और तैयार रहना चाहिए।

कंजूसी:

कंजूसी का अर्थ:

कंजूसी (बुखल): से अभिप्राय यह है कि खर्च करने से रुका रहा जाए एवं हर हाल में कंजूसी को ही वरीयता दी जाए।⁽¹⁾

कंजूसी एक निन्दनीय एवं अशोभनीय दुर्गुण है, क्योंकि इसमें कृपणता तथा धन को खर्च न करने तथा उसे जमा करके रखने का दुर्गुण है, कभी-कभी यह दुर्गुण व्यक्ति को दरिद्रता व्यक्त करने पर मजबूर कर देता है ताकि लोग उससे कर्ज न मांगे और उसे दूसरों की मदद न करनी पड़े, यह दुर्गुण उसे मेहमानों को दावत देने और बच्चों पर खर्च करने से भी रोकता है, जिसके परिणामस्वरूप उसके बच्चे कंजूसी में अपने पिता की राह पर चलते हैं।

कृपणता कभी धन को लेकर होती है तो कभी ज्ञान को लेकर और इसकी अभिव्यक्ति विभिन्न नैतिक प्रतिमानों में भी देखने को मिलती है।

कंजूसी के कारण:

कंजूसी के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जिन्हें निम्न में उल्लेखित किया जा रहा है:

१- कंजूसी: यह कृपणता का एक रूप है जिसमें धन का लालच भी होता है,⁽²⁾ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस प्रकार की कंजूसी से मना किया और इसके खतरनाक परिणामों से आगाह किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है: “अत्याचार

⁽¹⁾ अल् खुलुक अल् कामिल, लेखक: अहमद मुहम्मद जाद अल् मौला: ४/ ४६९।

⁽²⁾ अल मुफ़दात फ़ी ग़रीबिल कुरआन, लेखक: अल् अस्फ़हानी: २५६।

से बचो क्योंकि अत्याचार क्रयामत के दिन अंधकार का कारण होगा, तथा तुम कंजूसी से बचो क्योंकि कंजूसी ने तुम से पहले के लोगों का नाश कर दिया, कंजूसी के कारण उन्होंने रक्त बहाया एवं हुराम (अवैध) को हलाल (वैध कर लिया)।⁽¹⁾ सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का फ़रमान है:

﴿فَأَنْقُزُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ

فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾ [سورة التّغابن: ١٦]

अनुवाद: (और जो अपनी आत्मा की कंजूसी से सुरक्षित रहा वही सफल है)। सूरह तगाबुन: १६।

२- कंजूसी का एक कारण यह भी है कि धन कंजूस की दृष्टि में प्रिय बन जाता है⁽²⁾ जो उसे धन संचय करने एवं आवश्यक कार्यों में भी ज़रूरत के अनुसार एवं आवश्यकतानुसार उसे खर्च न करने को प्रेरित करता है।

३- खर्च करने एवं उदारता दिखाने की जो फ़ज़ीलत (श्रेष्ठता) कुरआन एवं हदीस में वर्णित है उससे अज्ञानता भी इसका एक कारण है, तथा इस बात की अज्ञानता कि खर्च करने से धन बढ़ता है और उसमें बरकत पैदा होती है, अल्लाह के दूत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हदीस -ए- कुदसी में कहा है: “अल्लाह तआला फ़रमाता है: हे आदम की संतान! तुम खर्च करो, मैं तुम पर खर्च करूँगा”।⁽³⁾ तथा एक स्थान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “सदक़ा (दान) करना धन को कम नहीं करता”।⁽⁴⁾

कंजूसी के कारण उत्पन्न होने वाली हानि:

१- कंजूसी मनुष्य के लिए धार्मिक आधार पर घाटा एवं हानि का कारण है, क्योंकि वह उसे ज़कात, सदक़ा एवं अतिथि व पड़ोसी का सम्मान करने एवं रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी निभाने से रोकती है, अल्लाह तआला का कथन है:

(1) सहीह मुस्लिम: ४/ १९९६, हदीस संख्या: ५६-२५७८।

(2) अल् ख़ुलुक अल् कामिल, लेखक: अहमद मुहम्मद जाद अल् मौला: ४/ ४६९।

(3) सहीह बुखारी: ३/ ४२४, हदीस संख्या: ५३५२, व मुस्लिम: २/ ६९०-६९१, हदीस संख्या: ३६-९०९३, उपरोक्त शब्द मुस्लिम के हैं।

(4) इस का हवाला पीछे गुज़र चुका है।

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [سورة آل عمران: १८०]

अनुवाद: (जिन्हें अल्लाह ने अपने फ़ज़ल (कृपा) से कुछ दिया है वह उसमें अपनी कंजूसी को अपने लिए उत्तम न समझें अपितु वह उनके लिए अत्यंत बुरा है, शीघ्र ही क़यामत वाले दिन ये अपनी कंजूसी की चीज़ के तौक्र (माला) पहनाए जाएंगे, आकाश एवं धरा की मीरास (उत्तराधिकार) अल्लाह तआला ही के लिए है, और जो कुछ तुम कर रहे हो उससे अल्लाह अवगत है)। सूरह आले इमरान: १८०।

अर्थात: कंजूस यह कदापि न सोचे कि वह धन जिसे वह संचय कर रहा है कि वह उसे लाभ पहुँचाएगा, अपितु यह उसके लिए धार्मिक आधार पर हानि का कारण होगा, संभव है कि उसे इस संसार में भी उस धन के कारण घाटे का सामना करना पड़े, फिर अल्लाह तआला ने क़यामत के दिन पेश आने वाले अंजाम से सावधान करते हुए फ़रमाया: (शीघ्र ही क़यामत वाले दिन ये अपनी कंजूसी की चीज़ के तौक्र (माला) पहनाए जाएंगे)।^(१)

ज़कात अदा न करने वाले को बड़ा भयंकर दण्ड दिया जायेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “जिसे अल्लाह तआला ने धन दिया और फिर उसने उसकी ज़कात अदा नहीं की तो आखिरत में उसका धन अति विषैला सांप बन कर जिसकी आँखों के ऊपर दो नुक्रते होंगे, उसकी गर्दन में तौक्र (माला) की तरह पहना दिया जायेगा, फिर वह साँप उसके दोनों जबड़ों को पकड़ कर कहेगा कि मैं ही तेरा धन हूँ, मैं ही तेरा माल हूँ, मैं तेरा खज़ाना हूँ”।^(२)

२- कंजूसी मौत का सबब एवं हत्या और डकैती का कारण है: जकात न देने से जरूरतमंदों की गरीबी और जरूरतें असहनीय हो सकती हैं, और यदि कोई धार्मिक निषेध नहीं हो तो वे हत्या, हमला, डकैती और हड़पने की स्थिति में आ सकते हैं और उनके मन में अमीरों के प्रति शत्रुता उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें कंजूसी से रोका है, और हमें इसके खतरों से भी अवगत कराया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है: “अत्याचार पुनरुत्थान के दिन के अंधेरे में से एक है, और अपने आपको कंजूसी से बचाओ क्योंकि कृपणता ने तुम से पहले लोगों को नाश किया”।^(३)

(१) तफ़सीरुल क़ुरआनिल अज़ीम, लेखक: इब्ने कसीर: १/ ४४२।

(२) सहीह बुखारी: १/ ४३३, हदीस संख्या: १४०३, सहीह मुस्लिम: २/ ६८५।

(३) इस का हवाला पीछे गुज़र चुका है।

३- कंजूसी धन के विनाश का द्वार है, जबकि उदारता और दानवीरता धन को बढ़ाने और वृद्धि का मार्ग है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जब आदमी सो कर उठता है तो दो फ़रिश्ते आसमान से न उतरते हों, एक फ़रिश्ता तो यह कहता है कि: हे अल्लाह! खर्च करने वाले को उसका बदला दे एवं दूसरा कहता है: हे अल्लाह! कंजूस एवं बखील के धन को बर्बाद कर दे”⁽¹⁾

४- कंजूसी की बुराइयों में से एक यह भी है कि कंजूस को उसकी कंजूसी के कारण कंगाल और गरीब व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अहवस सहाबी को यह आदेश दिया था कि वह अपने धन के प्रभाव को दिखाएं, अबुल अहवस अपने पिता से रिवायत करते हुए कहते हैं कि: “मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा में उपस्थित हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझे दयनीय स्थिति में देखा, तो कहा: क्या तुम्हारे पास कोई धन और संपत्ति है? मैंने कहा: हाँ, अल्लाह तआला ने मुझे हर प्रकार की दौलत दे रखी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: जब तुम्हारे पास दौलत है तो उसकी निशानियां भी दिखनी चाहिए”⁽²⁾

५- कंजूसी अहले किताब के दुर्गुणों में से है, अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَاءً آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾

وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٧﴾ [سورة النساء: ३७]

अनुवाद: (जो लोग कंजूसी करते हैं एवं दूसरों को भी कंजूसी करने का आदेश देते हैं और अल्लाह तआला ने उन्हें जो अपना फ़ज़ल दे रखा है उसे छिपा लेते हैं हमने उन काफ़िरों के लिए अपमानजनक यातना तैयार कर रखा है)। सूरह निसा: ३७।

इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह कहते हैं कि: कुछ सलफ़ (सदाचारी पूर्वजों) ने इस आयत का यह अर्थ बताया है कि यहूदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के गुणों के बारे में अपनी पुस्तक में मौजूद ज्ञान को प्रकट करने में कंजूस थे और इसे छिपाते थे, इसलिए अल्लाह ने कहा: (हमने उन काफ़िरों के लिए अपमानजनक यातना तैयार कर रखा है)⁽³⁾

इसलिए, अल्लाह ने इन यहूदियों को धन और ज्ञान दोनों के मामले में कंजूस बताया है, हालांकि आयत का संदर्भ इंगित करता है कि यहां कंजूस का मतलब ज्ञान में कंजूस है, ज्ञान

(1) सहीह मुस्लिम: २/ ७००, हदीस संख्या: ५७-१०१०।

(2) नसई: ८/ १९६, हदीस संख्या: ५२९४, अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सहीह कहा है, देखें: सहीह सुनन नसई: ४८८८।

(3) तफ़सीरुल कुरआनिल अजीम, लेखक: इब्ने कसीर: १/ ५०८।

रखने वाला एक वर्ग भी इस कंजूसी का शिकार है, जो कभी ज्ञान में कंजूसी करते हुए ज्ञान को छुपा लेता है तो कभी इसलिए कि कहीं दूसरों को भी वह महत्व एवं गुण न मिल जाए जो उसे प्राप्त है, जबकि कभी इसका कारण पद एवं सम्मान की इच्छा एवं धन-संपत्ति की लालसा होती है, और कभी वह इस भय से अपना ज्ञान प्रकट नहीं करते कि कहीं उनका पद और धन न छीन लिया जाए।⁽¹⁾

उपचार के लिए प्रशिक्षण निर्देश:

कंजूसी के इलाज के लिए यहां कुछ प्रशिक्षण दिशानिर्देश दिए जा रहे हैं:

१- आदमी कंजूसी से अल्लाह की शरण मांगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बुख्ल (कंजूसी) से अल्लाह की शरण मांगा करते थे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सबसे बड़े दानी, दाता एवं सखी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह से यह दुआ किया करते थे:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدِّينِ
وَوَغْلَةِ الرِّجَالِ

अल्लाहुम्मा इन्नी अरुजु बिका मिनल हम्मि वल हजनि, वल अज्जि वल कसलि, वल बुख्लि वल जुब्नि, व जलइद्दैनि व गलबतिर् रिजालि, अर्थात: (हे अल्लाह! मैं तेरी शरण माँगता हूँ चिंता तथा दुःख से, मैं तेरी शरण माँगता हूँ विवशता तथा सुस्ती से, मैं तेरी शरण माँगता हूँ कायरता तथा कंजूसी से, मैं तेरी शरण माँगता हूँ कर्ज के बोझ तथा लोगों के प्रभुत्व से)।⁽²⁾

२- प्रशिक्षण संस्थानों को अल्लाह की खातिर दान के पुण्य एवं पुरस्कारों को समझाने में अपनी शैक्षिक और नेतृत्वकारी भूमिका निभानी चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि दान बरकत पैदा करता है और धन में वृद्धि करता है, तथा यह भी बताएं कि कंजूसी घृणा एवं शत्रुता उत्पन्न करती है, आपसी नफरत पैदा करती है, समाज में भ्रष्टाचार का मार्ग प्रशस्त करती है और चोरी, डकैती एवं खून-खराबे का द्वार खोलती है और इसकी खतरनाक तबाही से कंजूस व्यक्ति के साथ उसका समाज को भी घाटा उठाना पड़ता है।

३- व्यक्ति स्वयं को खर्च करने का आदी बनाने और खुद को एक उदार व्यक्ति बनाने के लिए स्वयं प्रयास करना चाहिए, ताकि धन संचय करने की इच्छा पर खर्च करने की भावना प्रबल हो तथा अपने उत्साह एवं इच्छाशक्ति के साथ कंजूसी की भावना से लड़े, और कंजूसी

(1) इक़्तिज़ाउस्सिरातिल मुस्तक़ीम, लेखक: इब्ने तैमिय्या: ७, संक्षिप्त रूप में।

(2) प

को उस जन्नत की आशा रखते हुए दूर करे जिसकी विशालता आकाश एवं पृथ्वी की विशालता को समोए हुए है।

४- माता-पिता और गुरुओं को अपनी शैक्षिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए और फिजूलखर्ची एवं अपव्यय से बचते हुए अपने बच्चों के सामने खर्च करने का सही मॉडल और आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए।

५- सहाबा -ए- किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की उदारता और दरियादिली को ध्यान में रखें और उनकी भावना को न भूलें कि कैसे उन्होंने अपनी जरूरतों और चाहतों पर दूसरों को प्राथमिकता दी, जैसा कि अल्लाह सर्वशक्तिमान ने अंसार के गुणों का वर्णन करते हुए कहा है:

﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [سورة الحشر: ९]

अनुवाद: (वे स्वयं अपने ऊपर उन्हें वरीयता देते हैं, चाहे उन्हें कितनी ही आवश्यकता क्यों न हों)। सूरह हश्र: ९।

चोरी एवं डाका:

चोरी का अर्थ:

गुप्त रूप से किसी की चीज़ हड़प लेने का नाम चोरी है।⁽¹⁾

इस्लामी नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार प्रशिक्षण न लेने के परिणामस्वरूप जो नैतिक बुराईयाँ उत्पन्न होती हैं उनमें गैरकानूनी तरीके से दूसरों के अधिकारों को हड़पना भी शामिल है, जिससे भय, असुरक्षा और अशांति का माहौल पैदा होता है। जो व्यक्ति इस्लामी नियमों और आदेशों में सोच विचार करता है वह जानता है कि इस्लाम ने ऐसे नैतिक अपराधों की कड़ी निंदा की है, ताकि समाज को इसके विनाश से बचाया जा सके। अल्लाह कहता है:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

[سورة المائدة: ٣٨]

अनुवाद: (चोरी करने वाले पुरुष एवं महिला के हाथ काट दिया करो, यह बदला है उसका जो उन्होंने किया, अल्लाह की ओर से अज़ाब (यातना) एवं अल्लाह तआला सामर्थ्वान तत्वज्ञानी है)। सूरह माइदा: ३८।

सम्माननीय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस है, आप फ़रमाते हैं कि: “अल्लाह तआला की धिक्कार हो चोरी करने वाले पर, अंडा चुराता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है, रस्सी चुराता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है”।⁽²⁾

चोरी के कारण एवं कारक:

१- इस्लामी तौर तरीके के अनुसार प्रशिक्षण न करा, उदाहरणस्वरूप माता-पिता जब अपने बच्चे के हाथ में कोई ऐसी वस्तु देखते हैं जो उन्होंने नहीं दिया तो यह नहीं पूछते कि तुमने यह कहाँ से प्राप्त किया? और न ही वह उसकी खोज बीन करने की आवश्यकता महसूस करते हैं, इस मामले में निरंतर लापरवाही की जाती है यहाँ तक कि बच्चा इसी ढंग से बड़ा होने लगता है और फिर वह इन चीज़ों का ऐसा अभ्यस्त हो जाता है कि माता-पिता के लिए अपने बच्चे की तरबियत करना कठिन हो जाता है, यदा-कदा माता-पिता अपने बच्चे को चोरी करने के लिए उकसाते भी हैं तथा इसके ढंग भी उसे सिखाते हैं, एक न्यायालय की घटना है कि न्यायाधीश ने जब किसी चोर को दण्ड सुनाया और सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह के आदेशानुसार उसके हाथ काटने का हुक्म दिया, और जब इस आदेश के पालन का समय आया

(1) फ़िक्हुस्सुन्नह, लेखक: सैयिद साबिक्र: २/ ४८६।

(2) सहीह बुखारी: ४/ २४७, हदीस संख्या: ६७८३, व मुस्लिम: ३/ १३१४, हदीस संख्या: ७/ १६८७।

तो मुजरिम ने ज़ोर से यह कहा कि: मेरा हाथ काटने के पूर्व आप यह जान लें कि जब पहली बार मैंने पड़ोसी का अंडा चोरी किया था तो मेरी माता ने उस पर मुझे डाँटा नहीं था एवं न ही मुझे उसे वापस करने का आदेश दिया, बल्कि यह कहा कि: मेरा बेटा अब होशियार हो गया है, यदि मेरी माँ उस समय यह न बोली होती जिसमें उन्होंने मेरे जुर्म पर प्रसन्नता प्रकट की थी तो आज समाज में मैं चोर के रूप में न सामने आता।⁽¹⁾

२- चोरी की जो इस्लामी सजा है उस को लागू करने की उपेक्षा करना, या इसे बिल्कुल भी लागू न करना ही ऐसा अपराध है जो कमजोर विश्वास वाले लोगों को चोरी करने का हौसला देता है। नबी -ए- अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने चोरी के दण्ड को कठोरता से पालन करने को कहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है: “अल्लाह की क़सम! यदि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की पुत्री फ़ातिमा भी चोरी करती है तो मैं उसका हाथ काट दूँगा”।⁽²⁾

दूसरों के धन पर गंदी निगाह रखना एवं उन्हें जो नियामतें प्राप्त हैं उनके बारे में लालच रखना भी चोरी का एक कारण है, क्योंकि लालच एवं ईर्ष्या ऐसा रोग है जो उसे प्रत्यक्ष रूप से चोरी करने को प्रोत्साहित करती है।⁽³⁾

चोरी के नुक़सान:

१- यह एक ऐसा जुर्म है जिसके कारण मुजरिम का हाथ काटा जाता है, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन है:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

[سورة المائدة: ३८]

अनुवाद: (चोरी करने वाले पुरुष एवं महिला के हाथ काट दिया करो, यह बदला है उसका जो उन्होंने किया, अल्लाह की ओर से अज़ाब (यातना) एवं अल्लाह तआला सामर्थ्यान तत्वज्ञानी है)। सूरह माइदा: ३८।

२- चोरी मुजरिम को अल्लाह की लानत एवं धिक्कार का पात्र बना देती है, जैसा कि बुखारी व मुस्लिम की रिवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

(1) अखलाकुना अल् इज्तिमाइय्यह, लेखक: मुस्तफ़ा अस् सिबाई: १६२।

(2) सहीह बुखारी: ४/ २४८-२४९, हदीस संख्या: ६७८८, व मुस्लिम: ३/ १३१५, हदीस संख्या: ८/ १६८८, पूर्वोक्त शब्द मुस्लिम द्वारा वर्णित हैं।

(3) मुकाफ़हुतुस्सरिक़ति फ़िल इस्लाम, लेखक: खलीफ़ा इब्राहीम अज़् ज़िरज़ीर: २१६।

“अल्लाह की लानत हो चोर पर, अंडा चुराता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है, और रस्सी चुराता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है”⁽¹⁾

३- जब समाज में चोरी, डकैती और लूटपाट की घटनाएं बार-बार होती हैं, तो समाज में अमन एवं शांति व्यवस्था खो जाती है, जैसा कि उन देशों में हो रहा है जहां इस्लामी शरिया लागू नहीं है और न ही इस्लामी प्रशिक्षण का अच्छा और प्रभावी सिद्धांत अपनाया गया है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में अपराधों के आँकड़े प्रकाशित हुए तो उनमें चोरी का यह विवरण भी दर्ज किया गया कि हर दो मिनट में एक चोरी की घटना होती है, हर बीस सेकंड में घरों पर हमला होता है, हर चालीस सेकंड में एक कार चोरी हो जाती है, मानो प्रति वर्ष लगभग २८५ मिलियन चोरी की घटना सामने आती है।⁽²⁾

४- चोरी का एक नुकसान यह है कि चोर सरकार द्वारा निर्धारित दण्ड के अंतर्गत आ जाता है और उसे जेल की काल कोठरी में भेजकर सजा दी जाती है।

५- चोर के प्रति समाज में अविश्वास पैदा हो जाता है और वह किसी की नजर में भरोसेमंद नहीं रह जाता, उसकी बुराई से कोई भी अछूता नहीं रहता, परिणामस्वरूप उसके परिचित भी उससे कतराने लगते हैं, उसके प्रति सहयोग और व्यवहार की भावना यदि समाप्त नहीं होती तो कम अवश्य हो जाती है, और वह अपने करीबी लोगों की नजरों में गिर जाता है।

६- वह चोरी का वह धन खाता है, जो उसके लिये वर्जित है।

उपचार के लिए प्रशिक्षण निर्देश:

चोरी के इलाज के लिए यहां कुछ प्रशिक्षण दिशानिर्देश दिए गए हैं:

१- चोरी की हद (शरई दण्ड) और सजा लागू की जानी चाहिए, क्योंकि सजा लागू करने से ही फसाद एवं बुराई को रोका जा सकता है, चोरी को ठीक किया जा सकता है, और ऐसे लोगों को सबक मिल सकता है जिनकी आत्माएं उन्हें लोगों का धन हड़पने के लिए प्रेरित करती हैं, हद को लागू करना इस्लाम के प्रशिक्षण मार्गदर्शन के साथ-साथ उपचार एवं बचाव का एक ढंग भी है। इसके द्वारा चोर की चोरी करने से रोक कर रखा जाता है और जिसका धन चोरी किया जाता है उसके अधिकारों की सुरक्षा होती है।

२- अभिभावकों, प्रशिक्षण एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रभारी लोगों को इस बीमारी की गंभीरता के बारे में जागरूक होना चाहिए, अपने बच्चों और अधीनस्थों को दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने और उनका दुरुपयोग न करने के लिए प्रशिक्षित एवं तैयार करना

⁽¹⁾ इसका संदर्भ पूर्व में बीत चुका है।

⁽²⁾ मुश्किलातुशशाबाब अल् जिन्सियह, लेखक: अब्दुर्हमान वासिल: ४६-४७, संक्षिप्त रूप में।

चाहिए, बालपन से ही उन्हें इस बात का अभ्यस्त बनाएं कि वो लोगों की जायदाद को चुराने एवं उनका धन हड़पने से बचें, तथा अल्लाह का भय खाते हुए दूसरों के धन-सम्पत्ति को सम्मान की दृष्टि से देखें।

३- माता-पिता के लिए यह भी जरूरी है कि वे दूसरों के अधिकारों का सम्मान करें और किसी भी तरह से उनका दुरुपयोग न करें, माता-पिता अपने बच्चों के लिए आदर्श होते हैं।

४- साथ ही माता-पिता के लिए अपने बच्चों के सामान का सम्मान करना भी जरूरी है, माता-पिता को बच्चों के सामान को छुपकर नहीं छूना चाहिए, बल्कि अपने बच्चों में इस बात के लिए जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि उन्हें किसी के सामान को बिना अनुमति के नहीं छूना चाहिए, ताकि वे इसके अभ्यस्त हो जाएं और चोरी से बचें।

५- मास मीडिया और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से इस्लाम के प्रति ऐसी जागरूकता पैदा करना, जिसमें इस्लामी नैतिकता एवं अपराधों के लिए निर्धारित सांसारिक दण्ड एवं ताज़ीरात के बारे में जागृति, हर बुराई के लिए निर्धारित आखिरत (परलोक) का दण्ड एवं अच्छाई के लिए निर्धारित पुरस्कार का विवरण शामिल हो, इससे इस्लामी नैतिकता से लैस होने के महत्व और गुणों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा होगी, ताकि वे इन नैतिकताओं को अपनाएं, और उन्हें यह भी पता चले कि बुराई एवं दुष्टता की सजा और दण्ड क्या है, अतः वे उनसे दूर रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपराध इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें इन अपराधों के संबंध में इस्लाम के नियमों की जानकारी नहीं होती और साथ ही उनमें धर्मनिष्ठा की भी कमी होती है।

धोखाधड़ी एवं ख्यानत (विश्वासघात):

धोखाधड़ी: नसीहत, खैरख्वाही एवं भरोसा का विलोम है।

ख्यानत (विश्वासघात): अमानत का विलोम है। अरबी भाषा के एक प्रसिद्ध शब्दकोष (अल् कामूसुल मुहीत) में है कि: ख्यानत यह है कि मनुष्य को अमानत सौंपी जाए किंतु वह उसमें नसीहत, खैरख्वाही एवं अमानतदारी से काम न ले।⁽¹⁾ रिश्तत लेना भी इसी में शामिल है क्योंकि उसे उस व्यक्ति के संबंध में ख्यानत माना जाता है जो उसे किसी विशेष कार्य का अमानतदार बनाए।

⁽¹⁾ अल् कामूसुल मुहीत, लेखक: कैरोज़ाबादी: २/ २८१, माद्दा: ग श श غش

रिश्वत: उस चीज को कहते हैं जो व्यक्ति न्यायाधीश अथवा पुलिस इत्यादि को देता है ताकि वह उसके पक्ष में निर्णय दे अथवा उससे अपनी मर्जी का काम करवाए, अरबी भाषा में इसका बहुवचन “रुशा” आती है।⁽¹⁾

विश्वासघात किसी भी रूप में घृणित और निंदनीय कार्य है, यह हर रूप में अत्यंत खराब कार्य है, जो व्यक्ति थोड़े से पैसे के लिए आपके साथ विश्वासघात करता है वह उस व्यक्ति के समान नहीं है जो आपके परिवार एवं आपके धन-संपत्ति के संबंध में विश्वासघात करता है और बड़े अपराध करता है।⁽²⁾

धोखाधड़ी एवं ख्यानत के प्रकार:

निम्न में धोखाधड़ी एवं विश्वासघात के कुछ प्रकार उल्लिखित हैं:

१- रहस्य उजागर करना: कितनी ही बार ऐसी घटना घटी है कि किसी ने यदि दूसरे व्यक्ति का रहस्य उजागर कर दिया तो उस व्यक्ति ने उसका खून कर दिया, अपने उद्देश्य से उसे वंचित कर दिया गया, जबकि यदि वह रहस्य को रहस्य ही रहने देता तो उसके क्रोध से सुरक्षित रहता, एवं अपने उद्देश्य में उसे सफलता भी मिलती।

अतः मुसलानों के लिए यह अपरिहार्य है कि लोगों के रहस्य को उजागर न करे, क्योंकि इससे उन्हें हानि का सामना करना पड़ सकता है, इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने एक अध्याय बांधा है (रहस्य की सुरक्षा करने का बयान), तथा उसमें है कि मअमर बिन सुलैमान ने कहा: मैंने अपने पिता से सुना कि अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझ से राज की एक बात बताई थी जिसे मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मृत्यु के बाद भी किसी को नहीं बताया, उम्मे सुलैम ने मुझ से उस भेद के संबंध में पूछा भी परंतु मैंने उन्हें भी नहीं बताया।⁽³⁾

२- शासक का अपनी प्रजा के प्रति छल और कपट करना: शासक द्वारा अपनी प्रजा का अपमान और दुर्व्यवहार करना, उनकी संपत्ति को जब्त करना, उनका खून बहाना, उनकी गरिमा का उल्लंघन करना, उनका और उनकी जरूरतों का सामना न करना, उनकी बात सुनने को टालना, अल्लाह ने उनके लिए जो धन और संपत्ति शासक के हाथों में सौंपी है उसे उनकी पहुँच से दूर रखना, धर्म और दुनिया के दायित्वों से उन्हें अनजान रखना, हदूद (शरई दण्ड) एवं सज़ा को लागू करने की उपेक्षा करना, उपद्रव करने वालों को बेलगाम छोड़ देना, जिहाद को

(1) अल् मिस्बाहुल मुनीर, लेखक: फ़ैयूमी: १/ ३१०, मादा: र श अ ६,

(2) अल् कबाइर, लेखक: अज़् ज़हबी: ११९।

(3) फ़तुहुल बारी, लेखक: इब्ने हज़र (११/ ८२)।

निष्क्रिय कर देना इत्यादि जैसे वह कार्य भी ख्यानत एवं विश्वासघात में शामिल हैं जिनका संबंध जनहित से है...।⁽¹⁾

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस है: “जिस बंदा को भी अल्लाह तआला जनता का शासक बनाए फिर वह इस स्थिति में मृत्यु को प्राप्त हो कि वह अपनी जनता के अधिकारों में विश्वासघात करता हो तो अल्लाह उस पर जन्नत हराम कर देगा”।⁽²⁾ तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फ़रमान भी है: “जो मुसलमानों का शासक बने फिर उनमें भलाई का प्रयास न करे एवं निश्छल भाव से उनकी भलाई न चाहे तो वह उनके साथ स्वर्ग में नहीं जाएगा”।⁽³⁾

३- क्रय-विक्रय में धोखा एवं फरेब करना भी मुसलमानों के प्रति गद्दारी है: कोई सामान की प्रकृति और गुणवत्ता के साथ धोखा करता है, चुनाँचे वह अच्छे सामान को ऊपर रखता है लेकिन बीच में एवं निचले भाग में रद्दी माल रखकर गद्दारी करता है, जबकि एक वह है जो नाप-तोल में धोखा करता है, एक वह है जो अपने माल पर लोगों का विश्वास पाने के लिए शपथ खाकर धोखा देता है, परन्तु जब आप उससे खरीदारी करेंगे तो वह दोष आपके सामने प्रकट हो जाता है जिसे वह अपनी झूठी शपथ के द्वारा छिपा रहा था।

धोखा एवं फरेब से बचाने के लिए इस्लाम ने अत्यंत उत्तम शिक्षा एवं मार्गदर्शन सामने रखा है, अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝۱ الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝۲ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝۳﴾ [سورة المطففين: ۱-۳]

अनुवाद: (बड़ी खराबी है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए। कि जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा-पूरा लेते हैं। और जब माप कर या तौल कर देते हैं तो कम देते हैं)। सूरह मुतफ़्फ़ीन: १-३।

एक स्थान पर सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह फ़रमाता है:

﴿فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝۸۵﴾ [سورة الأعراف: ۸۵]

(1) सुबुलुस्सलाम, लेखक: सन्आनी (४/ १५७९)।

(2) सहीह बुखारी (४/ ३३१) संख्या (७१५१), व मुस्लिम (३/ १४६०) संख्या (२१-१४३) तथो उपरोक्त शब्द उन्ही के द्वारा वर्णित हैं।

(3) सहीह मुस्लिम (३/ १४६०) संख्या (२२-१४२)।

अनुवाद: (अतः तुम नाप और तौल पूरा पूरा किया करो, और लोगों की चीजों में कमी न करो, तथा धरती में उसके सुधार के पश्चात उपद्रव न करो, यही तुम्हारे लिए उत्तम है, यदि तुम ईमान वाले हो)। सूरह आराफ़: ८५।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है: “जो हम मुसलमानों पर हथियार उठाए वह हम में से नहीं और जो हम मुसलमानों को धोखा दे वह हम में से नहीं”।⁽¹⁾

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अनाज के ढेर से गुजरे, तो आपने उसके अंदर अपना हाथ दाखिल कर दिया, आपकी उंगलियां भीग गईं तो आपने फ़रमाया: “हे अनाज वाले! क्या मामला है? उसने कहा: हे अल्लाह के रसूल! वर्षा से भीग गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: इसे ऊपर क्यों नहीं कर दिया ताकि लोग देख सकें? फिर आपने फ़रमाया: जो धोखा दे वह हम में से नहीं”।⁽²⁾

४- लोगों के मामलों को सुविधाजनक बनाने और सुलझाने के लिए या किसी अधिकार को अमान्य करने के लिए या गलत अधिकार बनाने के लिए रिश्त लेना भी ख़्यानत (विश्वासघात) है, रिश्त से व्यवस्था अस्त-व्यस्त होती है, अत्याचार की राह खुलती है, क्रय-विक्रय में रिश्त के कारण लोगों के अधिकार नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए अल्लाह के दूत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रिश्त लेने और देने वाले पर लानत भेजी है, अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के दूत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “रिश्त लेने और देने वाले पर अल्लाह की लानत हो”।⁽³⁾

५- यदि कोई व्यक्ति आप पर विश्वास करके आपसे सलाह मांगता है और आप उसकी अच्छी सलाह एवं मश्विरा न दें, तो यह भी ख़्यानत एवं विश्वासघात है क्योंकि ऐसी स्थिति में सलाह देने वाला व्यक्ति अपनी सलाह में ईमानदारी बरकरार नहीं रखता है। क्योंकि वह जानता है कि जो सलाह वह दे रहा है वह उससे बेहतर सलाह दे सकता है, लेकिन अहंकार और ईर्ष्या के कारण वह उसे ईमानदारी से सलाह और मश्विरा नहीं दे पाता, जबकि पैगंबर सल्लल्लाहु

⁽¹⁾ सहीह मुस्लिम: १/ ९९, हदीस संख्या: १६४-१०१।

⁽²⁾ सहीह मुस्लिम: १/ ९९, हदीस संख्या: १०२-१६४।

⁽³⁾ अबू दावूद: ४/ ९-१०, हदीस संख्या: ३५८०, इब्ने माजह, हदीस संख्या: २३१३, तिर्मिजी, हदीस संख्या: १३३६, इमाम तिर्मिजी कहते हैं कि यह हदीस हसन सहीह है, अल्लामा अलबानी ने भी इसे सहीह करार दिया है, देखें: सहीह सुनन इब्ने माजह, हदीस संख्या: १८७१, २३१३।

अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है: “जिस से मश्विरा लिया जाता है उसे अमानतदार होना चाहिए”।⁽¹⁾

६- जनहित से जुड़े मामलों में धोखा करना उन लोगों के साथ भी धोखा है जिन्होंने उन्हें वकील और ट्रस्टी बनाया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने धोखा एवं फरेब से मना करते हुए फ़रमाया: “जो हम मुसलमानों पर हथियार उठाए वह हम में से नहीं और जो हम मुसलमानों को धोखा दे वह हम में से नहीं”।⁽²⁾

७- कुछ लोग धन एवं परिवार के संबंध में विश्वासघात के दोषी होते हैं, उदाहरण के लिए, आपने किसी को कुछ धन उधार दिया था ताकि वह अपनी सांसारिक समस्याओं और परेशानियों से बाहर निकल सके, लेकिन उसने वह धन आपको वापस नहीं किया यह विश्वास के साथ विश्वासघात करना है। जब मिस्र के राजा अज़ीज़ ने सत्यवादी एवं सच्चाई की मूरत आदरणीय यूसुफ अलैहिस्सलाम के समक्ष खज़ाना की जिम्मेदारी पेशी की तो उन्हें शक्तिशाली एवं अमानतदार जैसे गुणों से सुसज्जित बताया जोकि धोखा, फरेब एवं विश्वासघात के विपरीत है, जैसाकि कुरआन -ए- करीम में इसका वर्णन है, अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ اَتْنُونِي بِهِۦٓ ۖ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِیۡ ۚ فَلَمَّا كَلَمَهُۥ قَالَ اِنَّكَ الْیَوْمَ لَدَیْنَا مَكِیْنٌ اٰمِیْنٌ ۝۵۴﴾

[सूरा यूसुफ: ५४]

अनुवाद: (राजा ने कहा उसे मेरे पास लाओ ताकि मैं उसे अपने विशेष कार्यों के लिए निर्धारित कर लूँ, फिर जब उस से बात-चीत की तो कहने लगा कि आप हमारे यहाँ आज से सम्माननीय एवं अमानतदार हैं)। सूरह यूसुफ: ५४।

८- कुछ लोग अपने परिवार वालों एवं अपने पड़ोसियों एवं पड़ोसी के परिवार वालों के साथ ख़्यानत एवं विश्वासघात करते हैं जोकि इस्लामी नैतिकता के पूर्णतः विरुद्ध है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में यह बताया गाय है कि उन्होंने मिस्र के अज़ीज़ की पत्नी के साथ कितनी अमानतदारी, शुद्धता और पवित्रता एवं विश्वासघात से दूरी दिखाई थी।

धोखाधड़ी एवं फरेब के कारण और कारक:

(1) अबू दावूद, हदीस संख्या: ५१२८, तिर्मिज़ी, हदीस संख्या: २८२२, तिर्मिज़ी कहते हैं कि: यह हदीस हसन सहीह है, अल्लामा अलबानी ने सहीह सुनन अबू दावूद में इसे सहीह कहा है, हदीस संख्या: ४२७७-५१२८।

(2) सहीह मुस्लिम: १/ ९९, हदीस संख्या: १६४-१०१।

१- संकीर्णता एवं अधीरता, जिसके कारण व्यक्ति न तो कोई रहस्य को रहस्य रख पाता है और न ही धैर्य रखने की क्षमता रखता है।⁽¹⁾

२- बुद्धिमानों की होशियारी एवं समझदार लोगों की बुद्धिमत्ता के प्रति लापरवाही और उदासीनता।⁽²⁾

३- विश्वास एवं अमानतदारी को तुच्छ समझना।

४- लोगों के रहस्यों को कम आंकना और उनके रहस्यों को छिपाकर रखने में लापरवाही बरतना।

५- अपने आप को बड़ा समझना और लोगों को हेय दृष्टि से देखना, लोगों का सम्मान करने एवं उनका हक अदा करने की उपेक्षा करना।

६- धन की अत्यधिक चाहत और उसका लालच इतना बढ़ जाए कि धन ही उसके दिल और दिमाग पर हावी रहे, नाप-तौल में कमी, व्यापार के माल में धोखाधड़ी और रिश्तवत लेने के कारण विनाश और बर्बादी का शिकार हो जाए।

धोखा, फरेब एवं विश्वासघात की तबाही:

१- जब कोई व्यक्ति अपनी प्रजा को धोखा देता है और विश्वासघात करता है, तो वास्तव में वह अपने आप को अल्लाह के क्रोध और दंड और सजा के सामने आत्मसमर्पण कर देता है, जैसा कि सहीहैन में आया है कि अल्लाह के दूत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा: “जिसे अल्लाह सर्वशक्तिमान अपनी प्रजा की संरक्षकता सौंपता है, फिर उसकी मौत इस हालत में होती है कि वह अपनी प्रजा के साथ विश्वासघात कर रहा हो, तो अल्लाह उसके लिए जन्नत को हराम करार देता है”।⁽³⁾ तथा एक स्थान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है: “जो मुसलमानों का हाकिम बने फिर वह उनकी भलाई एवं कल्याण के लिए प्रयास न करे तथा निश्छल भाव से उनकी बेहतरी न चाहे तो वह उनके साथ जन्नत में प्रवेश नहीं पाएगा”।⁽⁴⁾

२- जो व्यक्ति नाप तौल में धोखा एवं फरेब से काम ले वह अल्लाह के क्रोध एवं अज्ञाब का भागी बन जाता है, अल्लाह तआला का फ़रमान है:

(1) अदबुद्दुनिया वदीन, लेखक: अल् मावर्दी: ३०७।

(2) पिछला संदर्भ: ३०७।

(3) इस हदीस का हवाला पूर्व में दिया जा चुका है।

(4) इस हदीस का हवाला पूर्व में दिया जा चुका है।

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ ١ الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

[سورة المطففين: ١-٣]

अनुवाद: (बड़ी खराबी है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए। कि जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा-पूरा लेते हैं। और जब माप कर या तौल कर देते हैं तो कम देते हैं)। सूरह मुत्तफ़िफ़ीन: १-३।

३- इस्लाम के जिन अहकाम एवं आदेशों में धोखाधड़ी और विश्वासघात को वर्जित बताया गया है और इससे बचने की सलाह दी गई है, उन आदेशों को अनदेखा करने पर व्यक्ति संसार में मानसिक कष्ट एवं अनिश्चय का शिकार हो जाता है, क्योंकि ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने किए गए अपराध से डरता है और आने वाली सजा के इंतजार में संघर्ष करता रहता है, साथ ही साथ यह भावना भी उसे अंदर से खोखला करती रहती है कि जो पद, सम्मान और धन उसे मिला है वह उसकी अमानतदारी एवं निःकपट मेहनत के कारण नहीं, बल्कि विश्वासघात और कमीनापन के कारण मिला है, अतः वह निःकपट एवं अमानतदार मुसलमानों के सामने हीन भावना एवं अविश्वास का शिकार रहता है।

४- धोखेबाज व्यक्ति से उसके आसपास रहने वाले लोग नफरत करने लगते हैं, उससे दूर रहना ही उन्हें अच्छा लगता है और जो भी उससे दोस्ती करता है वह अस्थायी तौर पर करता है, जैसे ही उसकी जरूरत पूरी हो जाती है, वह उसका साथ छोड़ देता है।

छल और विश्वासघात लोगों में विनाश और विध्वंस पैदा करता है, यदि कारण रहस्य प्रकट करना है तो मतभेद और लड़ाई का माहौल पैदा करता है, यदि विश्वासघात खरीद-फरोख्त में है तो इससे द्वेष और नफरत पैदा होती है, यदि विश्वासघात शासन एवं हुकूमत में हो तो इसके कारण सरकार में अराजकता फैलती है।

उपचार के नुस्खे:

धोखाधड़ी और विश्वासघात के विनाश से बचने के लिए कुछ व्यावहारिक उपाय नीचे दिए गए हैं:

१- जिनके अंदर अमानतदारी कम हो गई हो ऐसे लोगों को उपदेश देना चाहिए, अथवा उनके अंदर फरेब आ गया हो और वे परलोक की तुलना में इस दुनिया को प्राथमिकता देने लगे हों, लोगों का तिरस्कार करते हों एवं उनकी अमानतदारी के संबंध में ख्यानत (धोखा) का मामला करते हों, जो वास्तव में अल्लाह के साथ एवं स्वयं उनका अपने साथ ख्यानत करना है, क्योंकि ख्यानत कबीरा गुनाह (महा पाप) है, यह बड़ी गंभीर चीज़ है, इसका दुष्प्रभाव व्यक्ति

एवं समाज दोनों पर पड़ता है, अल्लाह तआला ने इसे बचने का आदेश दिया है, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का फ़रमान है:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [سورة الأنفال: २७]

अनुवाद: (हे ईमान वालो! तुम अल्लाह एवं उसके रसूल के अधिकारों में जानते बूझते ख़्यानत न करो तथा अपनी अमानत में ख़्यानत (धोखा) मत करो)। सूरह: अन्फ़ाल: २७।

एक स्थान पर अल्लाह तआला का कथन है:

﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ﴾ [سورة يوسف: ५२]

अनुवाद: (-यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा:- यह इसलिए है कि -मिस्र का अज़ीज़- जान ले कि मैंने उसकी पीठ के पीछे उसकी ख़्यानत नहीं की और अल्लाह दगा करने वालों के के हथकंडे नहीं चलने देता)। सूरह यूसुफ़: ५२।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है: “जिसके अंदर अमानतदारी न पाई जाती हो वह मोमिन नहीं हो सकता और जो वादा की पाबंदी नहीं करता वह दीनदार (धार्मिक) नहीं हो सकता”^(१) आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की यह हदीस भी है कि: “मुनाफ़िक़ की तीन निशानियां हैं: जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा को तोड़ दे तथा जब उसके पास अमानत रखी जाए तो ख़्यानत करे”^(२)

२- सब्र (धैर्य) करने की आदत डाले एवं स्वयं को इसका अभ्यस्त बनाए, क्योंकि सब्र से ही रहस्य सुरक्षित रहते हैं, इसके द्वारा मनुष्य निर्धनता को बर्दाश्त करता है, जीवन के उतार-चढ़ाव को स्वीकार करता है एवं आजीविका कमाने के मामले में ख़्यानत, धोखा एवं फरेब से बचा रहता है, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान का कथन है:

﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [سورة البقرة: १५०]

अनुवाद: (सब्र एवं नमाज़ के साथ मदद माँगो, यह चीज़ कठिन है परंतु भय रखने वालों पर)। सूरह बक्रह: ४५।

३- व्यक्ति को उस इनाम और पुण्य को याद रखना चाहिए जिसका वादा अल्लाह ने उन लोगों से किया है जो जीवन की कठिनाई, जीविका की कमी, गंभीर गरीबी और विपत्ति की

(१) मुस्नद अहमद: ३/ १३५, १४५, २१०, २५१।

(२) इस का हवाला पहले दिया जा चुका है।

भीषणता पर सब्र करते हैं, और यह विश्वास हो कि आने वाली कठिनाइयां अल्लाह की तरफ से आजमाइश एवं परीक्षण है, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ شَيْءًا مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾﴾ [سورة البقرة: ١٥٥-١٥٧]

अनुवाद: (और हम किसी न किसी तरह तुम्हारा परीक्षण अवश्य करेंगे, शत्रु के भय से, भूख एवं प्यास से, जान व माल से एवं फलों की कमी से तथा सब्र करने वालों को खुशखबरी (शुभ सूचना) दे दीजिए। जिन्हें जब कभी कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं कि हम तो स्वयं अल्लाह की मिल्कियत (स्वामित्व) हैं, और हम उसी की ओर लौटने वाले हैं। उन पर उनके रब की दया एवं कृपा है, तथा यही लोग मार्गदर्शित हैं)। सूरह बक्ररह: १५५-१५७।

५- चूँकि विश्वासघात और रिश्ततखोरी के अपराधियों के लिए आलोचना और टिप्पणी भी एक प्रभावी बाधा है, इसलिए संवाद के माध्यम से उन्हें हीनता और तिरस्कार का एहसास दिलाकर समाज में सामूहिक आलोचना और टिप्पणी का माहौल बनाया जाए, इसके लिए यह आवश्यक है कि समाज की भलाई के लिए सज्जन लोगों को इन निंदनीय दुर्गुणों की निंदा सभाओं के भीतर, धर्मोपदेश के दौरान, संचार माध्यमों और सामाजिक संस्थाओं के मंच से व्यक्त करनी चाहिए, इससे सामूहिक आलोचना और टीका-टिप्पणी की प्रभावशीलता बढ़ेगी, जिसकी नींव सीधे तौर पर नकारात्मक को खारिज करने और अच्छी सलाह देने पर रखी जानी चाहिए।

चौथा: दिल की बुराइयां

इसमें कोई संदेह नहीं है कि हृदय मानव जीवन की धुरी और केंद्र है, मनुष्य की शुद्धता इसी पर निर्भर करती है और इसके बिगड़ने से मनुष्य का आचरण बिगड़ जाता है और उसके आचार-विचार ढीले हो जाते हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा: “सुनो! सचमुच, शरीर में मांस का एक लोथड़ा है, जब वह सही रहता है तो सारा शरीर सही रहता है, और जब वह खराब होता है तो पूरा शरीर भ्रष्ट हो जाता है, सुनो! यह हृदय है”⁽¹⁾

दिल की बुराइयों से तात्पर्य हर उस भ्रष्टता से है जिसका संबंध दिल से है। कई बार ये बुराइयां इंसान के व्यवहार पर असर डालती हैं। उदाहरण के लिए, ईर्ष्या, क्रोध और संदेह, ये ऐसे व्यवहार हैं जिनका केंद्र हृदय है। कभी-कभी इन नैतिकताओं का स्वामी इन्हें व्यवहारिक क्षेत्र में ले आता है, और कभी-कभी इन्हें छिपाकर घरे में कैद कर लेता है, इसके उदाहरण इस प्रकार हैं:

१- हसद (ईर्ष्या): अल्लामा इब्ने हजर रहिमहुल्लाह कहते हैं कि उस व्यक्ति से नियामत छिन जाने की कामना करना जिसे नियामत से अनुग्रहीत किया गया हो, हसद कहलाता है⁽²⁾ तथा अल्लामा दमिशकी रहिमहुल्लाह कहते हैं कि: हसद किये गये व्यक्ति से नियामत छिन जाने की कामना करना हसद कहलाता है, और यह वह लाइलाज बीमारी है जिसमें बहुत सारे लोग लिप्त हैं⁽³⁾

अर्थात् ईर्ष्या वह रोग है जिसके लगते ही मनुष्य को इस बात से भी दर्द होने लगता है कि वह किसी दूसरे को अल्लाह की नियामत से लाभांवित होता हुआ देखे, फिर इनाम पाने वाले एवं अल्लाह की नियामतों से लाभांवित होने वाले लोगों के साथ उसके व्यवहार पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है और जब यह ईर्ष्या चरम पर पहुंच जाती है तो ईर्ष्यालु व्यक्ति महसूद (जिससे ईर्ष्या की जा रही है) की नियामत छिन जाने की कामना करने लगता है और कभी-कभी उसको मिटाने का प्रयास भी करने लगता है। फिर मनुष्य की आत्मा पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और समाज बुराइयों से घिर जाता है तथा इसका अंत बहुत बड़ी हानि के रूप में होता है। क्योंकि यह ईर्ष्या ही रिश्तों, संबंधों और लोगों के बीच दोस्ती और प्यार को नष्ट करने और धोखे और द्वेष को जन्म देने का मुख्य कारण है।

ईर्ष्या की सीमा:

⁽¹⁾ सहीह बुखारी: १/ ३४, हदीस संख्या: ५२।

⁽²⁾ फ़तहुल बारी, लेखक: इब्ने हजर: १/ १४४।

⁽³⁾ अदबुल खुलुकि फ़िल इस्लाम, लेखक: महमूद दमिशकी: १५७।

दरअसल, ईर्ष्या को मानव स्वभाव में रख दिया गया है।⁽¹⁾ इसलिए, यह एक व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा करने एवं प्रतियोगिता करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जब तक कि यह रश्क के दायरे में है और इसकी सीमा से आगे न बढ़े। इमाम इब्नुल क़थ़ीम रहिमहुल्लाह कहते हैं: ईर्ष्या की एक सीमा होती है, जिसमें मनुष्य पूर्णता और महानता की खोज में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वे इस सीमा से आगे निकल जाते हैं, तो इसे क्रूरता और अपराध के रूप में गिना जाता है। ऐसा लगता है और वह महसूस (जिससे ईर्ष्या की जा रही है) से उस नियामत के अंत की कामना करने लगता है और उसे चोट पहुंचाने की राह पर चल पड़ता है और जब वह इस सीमा से पीछे हो जाता है तो उसके इस दुर्गुण को संकीर्णता, कमीनापन एवं साहस की कमी कहा जाता है।⁽²⁾ चुनांचे जब यह दुर्गुण अपनी सीमा से आगे बढ़ जाता है तो इसे ईर्ष्या माना जाता है, जब यह इस सीमा से पीछे रह जाता है तो इसे कायरता माना जाता है और जब यह अपनी सीमा के भीतर रहता है तो इसे रश्क माना जाता है।

हसद एवं ईर्ष्या के प्रकार:

दिलों में ईर्ष्या की आग जितना अधिक ज्वलनशील होती है फिर उनके व्यवहार पर जितना नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसके आधार पर लोगों के विभिन्न प्रकार हैं, हसद अर्थात् ईर्ष्या को चार प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है:

१- व्यक्ति अपने मुसलमान भाई पर नियामत देखना पसंद न करे, तथा इसके तीन रूप हो सकते हैं:

क- ईर्ष्यालु व्यक्ति यह पसंद करे कि जिससे वह ईर्ष्या कर रहा है उससे अल्लाह के द्वारा प्रदान की गई नियामत समाप्त हो जाए, क्योंकि उसे यह पसंद नहीं कि उस व्यक्ति के पास यह नियामत रहे और वह उससे लाभांवित हो, परंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति की यह इच्छा नहीं होती कि वह नियामत उसे मिल जाए। इसी की ओर इशारा करते हुए अल्लामा सन्‌आनी रहिमहुल्लाह कहते हैं कि: एक रूप यह है कि आपको वह नियामत पसंद न हो और आप उसके मिट जाने की कामना करें, तथा इसी का नाम हसद (ईर्ष्या) है।⁽³⁾

ख- कभी-कभी कुछ लोग ऐसे कारण एवं माध्यम अपनाते हैं जो उसकी नियामत को समाप्त कर दे, उनमें कुछ लोग महसूस की नियामत के मिट जाने के लिए कथन एवं कर्म के द्वारा भी प्रयास करते हैं।⁽⁴⁾

(1) जामिउल उलूमि वल् हिकम, लेखक: इब्ने रजब हम्बली: ३१९।

(2) अल् फ़वाइद, लेखक: इब्ने क़ैयिमिल जौज़ियह: १५७।

(3) सुबुलुस्सलाम, लेखक: सन्‌आनी: ४/ १५४५।

(4) जामिउल उलूमि वल् हिकम, लेखक: इब्ने रजब हम्बली: ३०८।

ग- कुछ लोगों की इच्छा यह होती है कि महसूद से नियामत छिन कर उनकी ओर आ जाए। तथा इसकी ओर इशारा करते हुए अल्लामा इब्ने रजब हम्बली रहिमहुल्लाह फ़रमाते हैं कि: कुछ लोग उस नियामत को अपनी ओर फिरा लेने के प्रयास में रहते हैं।⁽¹⁾

ये ईर्ष्या के निंदनीय और निषिद्ध रूप हैं, अल्लामा इब्ने हजर रहिमहुल्लाह कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति में कुछ ऐसा देखता है जो उसका अपना नहीं है। फिर वह चाहता है कि यह ख़त्म हो जाए ताकि वह श्रेष्ठ बना रहे या फिर यह भी कि वे बराबर बने रहें, तो ऐसा व्यक्ति निंदनीय होता है जब वह ऐसा दृढ़ संकल्प, शब्द या कार्य के द्वारा दिखाता है।⁽²⁾

२- आदमी अपने भाई के पास कोई नियामत देखे, परंतु उसके छिन जाने की कामना न करे, बल्कि वह यह कामना करे कि उस जैसी नियामत उसके पास भी हो तो उसे ग़िब्त (रश्क) कहा जाता है। ग़िब्त (रश्क): आत्मा के अंदर किसी ऐसी चीज़ की इच्छा का जाग्रत होना जो उसके पास मौजूद न हो उसे ग़िब्त (रश्क) के नाम से जानते हैं और यह एक प्रशंसनीय चीज़ है इसलिए कि सामान्यतः मुकाबला से यह चीज़ उस समय समाप्त हो जाती है जब कर्म का प्रेम एवं दृढ़ निश्चय की प्राप्ति होती है।⁽³⁾

अल्लामा इब्ने तैमिय्यह रहिमहुल्लाह कहते हैं कि: यदि किसी व्यक्ति को यह बात पसंद नहीं आती कि दूसरे व्यक्ति की श्रेष्ठता एवं उत्तमता उस पर सिद्ध हो जाए, चुनाँचे वह कामना करे कि वह भी उस जैसा अथवा उससे बेहतर हो जाए तो यह हसद है, और इसी चीज़ को लोग ग़िब्त (रश्क) का नाम देते हैं।⁽⁴⁾ तथा हाफ़िज़ इब्ने हजर रहिमहुल्लाह कहते हैं कि: ग़िब्त (रश्क) यह है कि आदमी यह इच्छा करे कि उसके पास भी उसी की तरह नियामत हो, जिस तरह दूसरे के पास है, और नियत यह न हो कि दूसरे की नियामत छिन जाए, इस मामले की लालच को प्रतिस्पर्धा कहा जाता है, यदि यह आज्ञाकारिता के मामलों से संबंधित हो, तो यह एक सराहनीय बात है, जैसा कि सर्वशक्तिमान कहते हैं:

श्रेष्ठता उसके लिए सिद्ध है, तो वह चाहता है कि वह भी उसके जैसा बन जाए या उससे बेहतर बन जाए, तो यह ईर्ष्या है, और यही बात लोग इसे गुबत (संशय) का नाम देते हैं और इमाम इब्न हजर कहते हैं कि: गुबत यह है कि एक व्यक्ति उसी प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है जो दूसरों के पास है और उसका इरादा ऐसा नहीं है अन्य समाप्त होते हैं। इसी

(1) पिछला संदर्भ: ३०८।

(2) फ़तुह बारी: १/ १४४।

(3) अल् खुलुक अल् कामिल, लेखक: अहमद जाद अल् मौला: ४/ ४२०।

(4) फ़तावा इब्ने तैमिय्यह: ११/ ११२।

बात के लालच को प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। यदि यह आज्ञाकारिता के मामलों से संबंधित है, तो यह एक सराहनीय मामला है, जैसा कि सर्वशक्तिमान अल्लाह फ़रमाता है:

﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَفِسُونَ﴾ [سورة المطففين: २६]

अनुवाद: (प्रतिस्पर्धा करने वालों की इसी में प्रतिस्पर्धा करना चाहिए)। सूरह मुत्तफ़िफ़ीन: २६।

तथा इसका संबंध यदि पाप से हो तो यह निंदनीय है, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है: “तथा दूसरों से आगे न बढ़ो”, तथा यदि जायज़ कामों में हो तो वैध है।^(१)

वांछित ईर्ष्या:

यह वह ईर्ष्या है जो मनुष्य को अल्लाह की आज्ञाकारिता में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। पवित्र पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा: “ईर्ष्या केवल दो मामलों में स्वीकार्य और अनुशंसित है: एक वह व्यक्ति है जिसे अल्लाह ने कुरआन के प्रेम से अनुग्रहीत किया हो तथा वह रात और दिन के एक निश्चित हिस्से में इसका पाठ करता रहता हो, तो कोई हसद करते हुए बोले: काश, अल्लाह ने मुझे यह आशीर्वाद दिया होता, तो मैं भी ऐसा ही करता। दूसरा व्यक्ति वह है जिसे अल्लाह तआला ने धन दौलत दे रखा हो, और वह उसे सत्य मार्ग में खर्च करता हो, तो यह ईर्ष्यालु व्यक्ति बोले: काश मेरे पास भी ऐसा धन होता, तो मैं भी इस व्यक्ति की तरह काम करता।^(२)

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस वस्तु को रूपक के तौर पर हसद के अर्थ में प्रयोग किया है।^(३) तथा मजाज़ के तौर पर भी हसद बोला गया है।^(४) तो यह हसद प्रतिस्पर्धा के अर्थ में है अर्थात् एक दूसरे से आगे बढ़ जाने में हसद करना, इसमें ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति की इच्छा यह होती है कि वह महसूद जैसा बन जाए, इस प्रकार का हसद एक दूसरे को अपमानित करने एवं तिरस्कार करने वाला हसद नहीं है, जिसमें हसद करने वाला व्यक्ति जिससे हसद कर रहा है उसकी नियामत के छिन जाने की कामना करता है।^(५) उमर बि ख़त्ताब सदका (दान) में अबू बक्र सिदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से आगे बढ़ जाने का प्रयास किया जब उन्होंने सुना कि

(१) फ़तुहल बारी: १/ १६७।

(२) सहीह बुखारी: ४/ ४११, हदीस संख्या: ७५२८।

(३) जामिउल उलूमि वल् हिकम, लेखक: इब्ने रजब हम्बली: ३०९।

(४) फ़तुहल बारी: १/ १६७।

(५) अल् फ़वायद: १५७।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमें माल का सदका करने का आदेश दे रहे हैं तो वह कहते हैं कि मैंने (दिल ही दिल में) कहा कि यदि मैं अबू बक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से आगे बढ़ सकता हूँ तो आज के दिन ही ऐसा हो सकता है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि: फिर मैं अपना आधा धन लेकर आ गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पूछा: अपने घर वालों के लिए कितना छोड़ा? तो मैंने कहा: इसी के बराबर। और अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु अपने पास मौजूद सारा धन लेकर आ गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पूछा: हे अबू बक्र अपने घर वालों के लिए आपने कितना धन छोड़ा है? तो उन्होंने उत्तर दिया: मैं उनके लिए अल्लाह एवं उसके रसूल को छोड़ आया हूँ। तो मैं (उमर रज़ियल्लाहु अन्हु) ने कहा: अल्लाह की कसम! मैं उस (अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु) से किसी चीज़ में कभी आगे नहीं बढ़ सकता।⁽¹⁾

कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने दिल से ईर्ष्या को दूर करना चाहते हैं और फिर महसूस (वह व्यक्ति जिससे ईर्ष्य की जाए) के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, दिल में हसद तो है परंतु ज़रूरत के सम उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तथा उसके लिए दुआ भी करते हैं। अल्लामा इब्ने रजब रहिमहुल्लाह कहते हैं कि: कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं कि जब वे अपने अंदर ईर्ष्या देखते हैं, तो वे उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं और महसूस के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके सद्गुणों का प्रचार करते हैं और अपने दिल की ईर्ष्या को दूर करने की कोशिश करते रहते हैं। यहां तक कि इस ईर्ष्या को प्यार से बदल दें, तो ऐसी स्थिति में ईर्ष्या करने वाला महसूस से बेहतर और उत्तम हो जाता है, तथा यह ईमान के उच्चतम स्तरों में से एक है।⁽²⁾

ईर्ष्या के कारण:

१- आजीविका के वितरण में अल्लाह सर्वशक्तिमान की हिकमत (तत्वदर्शिता) एवं मशीअत (इरादा) में ईमान का कमजोर होना, और अल्लाह सुब्हानहु वा ता'आला के इनाम और सम्मान से खुश न होना। यह वह चीज़ है जो अक्सर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की नियामत के खत्म होने की कामना करने के लिए प्रेरित करता है। यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह बात अल्लाह के कमाल -ए- मुहब्बत (पूर्ण प्रेम) पर ईमान की कमजोरी के साथ-साथ उस व्यक्ति के स्वार्थ एवं आत्ममुग्धता का भी प्रमाण है।⁽³⁾

⁽¹⁾ सुनन तिर्मिज़ी: ५/ ५६७, हदीस संख्या: ३६७५, इमाम तिर्मिज़ी रहिमहुल्लाह ने कहा है कि: यह हदीस हसन सहीह है, अल्लामा अलबानी ने इसे हसन करार दिया है, देखें: सहीह सुनन तिर्मिज़ी: २९०२-३९३९।

⁽²⁾ जामिउल उलूमि वल् हिकम, लेखक: इब्ने रजब हम्बली: ३०९।

⁽³⁾ अदबुदुनिया वदीन: २७०-२७१।

२- कभी-कभी महसूद की अप्रियता उसकी नियामत की अप्रियता का कारण बन जाती है। अल्लामा मावर्दी ने इसका जिक्र किया है, उनका मानना है कि ईर्ष्या का एक कारण महसूद के प्रति दिल में मौजूद द्वेष और नफरत है। हासिद को यह पसंद नहीं आता कि महसूद किसी अच्छे संस्कार से सुसज्जित हो अथवा यह कि एक सज्जन व्यक्ति के रूप में सामने आए। अतः यह बात ईर्ष्या को जगाती है, बल्कि घृणा की ओर ले जाती है। यह सबसे खतरनाक प्रकार है, लेकिन इतना आम नहीं है, क्योंकि हर किसी के दिल में द्वेष नहीं होता है।⁽¹⁾

३- महसूद का हासिद (ईर्ष्यालु व्यक्ति) पर ऐसी श्रेष्ठता का होना जो ईर्ष्यालु व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती, तब महसूद की श्रेष्ठता और उसकी विशेषता ईर्ष्यालु व्यक्ति को बुरी लगती है और यह बात उसे ईर्ष्यालु बनाती है, और यदि ऐसा न भी हो तो भी वह उसकी श्रेष्ठता के मार्ग में बाधा बनने का प्रयास अवश्य करता है।⁽²⁾

और यह उसकी असंतुष्टि एवं इस बात को न मानने का प्रमाण है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेषताएं, योग्यताएं एवं उत्कृष्टता होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह तआला रोगों के उपचार के ज्ञान से नवाजता है, जबकि उनकी उम्र के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दुख और तकलीफ सहना लिखा होता है। तो होना तो यह चाहिए कि पहले प्रकार के लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए और दूसरे प्रकार के लोगों को कृषि या इसी प्रकार की अन्य चीजों से जुड़ा कोई पेशा अपनाना चाहिए। दूसरे प्रकार के लोगों को पहले प्रकार के लोगों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और पहले प्रकार के लोगों को दूसरे प्रकार के लोगों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या एवं तिरस्कार दोनों निंदनीय हैं।

४- एक ही लक्ष्य के पीछे भीड़ लगना। अतः ऐसी स्थिति में ईर्ष्यालु व्यक्ति को अपने लक्ष्य के प्राप्त न होने का डर रहता है। जैसे लोगों को एक ही नौकरी या एक ही पद के लिए एक-दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करना।

हसद (ईर्ष्या) की हानि:

१- ईर्ष्या मनोवैज्ञानिक पीड़ा और सामाजिक अराजकता का कारण है। ऐसा होता है कि व्यक्ति का जीवन आनंदहीन हो जाता है, वह ईर्ष्या के अनुपात में दुःख और संदेह से भर जाता है, मानो उसकी मजबूत और कठोर तंत्रिकाएं अभाव और अपमान के कष्टों के दलदल

⁽¹⁾ पिछला संदर्भ: २७१।

⁽²⁾ अल्-खुलुकुल कामिल: ४/ ४२२, तर्बियतुल इस्लामि व इदाआतुत्तहरीर, लेखक: अब्दुर्रहमान अदौसरी: ३३१।

में फंस जाती हैं।⁽¹⁾ ईर्ष्या कर्ता को ईर्ष्या एवं शारीरिक बीमारियाँ का दर्द महसूस होता है, फिर उसे न तो अपनी लालसा का अंत दिखाई देता है, न ही उसे अपनी बीमारी का इलाज दिखाई देता है।⁽²⁾ मानो हसद मन की शांति को समाप्त, दिल को अंधा एवं सोच-विचार के मार्ग को बंद कर देता है।⁽³⁾

२- हसद करना, अल्लाह तआला एवं उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ से निषेध की गई वर्जना का उल्लंघन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “बदगुमानी से बचो, इसलिए कि यह सबसे झूठी बात है। आपस में एक दूसरे की जासूसी न करो एवं न ही टोह में लगो, न एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास करो, न ईर्ष्या करो, न द्वेष रखो, न एक दूसरे के पीछे पड़ो एवं अल्लाह के बंदे भाई-भाई बन कर रहो”।⁽⁴⁾

३- निंदनीय ईर्ष्या, जीविका के वितरण में अल्लाह का विरोध है, वह जिसे चाहता है अनुग्रहीत करता है, जिसे चाहता है प्रदान करता है, जिसे चाहता है रोक देता है तथा जिसे चाहता है देर से प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त वास्तव में ईमान का विरोध भी है, यही कारण है हसद एवं ईमान दोनों एकत्र नहीं हो सकते, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है: “किसी मोमिन के हृदय में अल्लाह के मार्ग की धूल एवं गर्द तथा जहन्न की आग एकत्र नहीं हो सकते एवं न ही किसी बंदे के हृदय में ईमान और हसद (ईर्ष्या) जमा नहीं हो सकते”।⁽⁵⁾

ईर्ष्या करना यहूद के दुर्गुणों में से है, कुरआन -ए- करीम में अल्लाह तआला उन्हें हसद (ईर्ष्या) जैसा दुर्गुण रखने वाला कहा है, अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [سورة البقرة: १०९]

अनुवाद: (अहले किताब में से बहुत से चाहते हैं कि तुम्हारे ईमान लाने के पश्चात अपने द्वेष के कारण तुम्हें कुफ़र की ओर फेर दें, जब कि सत्य उनके लिए उजागर हो गया, फिर भी तुम

(1) पिछला संदर्भ: १/ ८०५।

(2) अदबुदुनिया वदीन: २७३।

(3) अदबुल खुलुकि फ़िल इस्लाम, लेखक: महमूद हमद दिमशकी: १५९।

(4) सहीह बुखारी: ४/ १०३, हदीस संख्या: ६०६४, व मुस्लिम: ४/ १९८५, हदीस संख्या: २८/ २५६३।

(5) सुनन इब्ने माजह: २/ ९२७, हदीस संख्या: २७७४, अल्लामा अलबानी ने इसे सहीह करार दिया है, देखें: सहीह सुनन इब्ने माजह, हदीस संख्या: २२३८/ २७७४।

क्षमा से काम लो और जाने दो, यहाँ तक कि अल्लाह अपना निर्णय कर दे, निश्चय ही अल्लाह जो चाहे कर सकता है)। सूरह बक्ररह: १०९।

५- ईर्ष्या पिछले समुदायों की बीमारी रही है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “तुम से पहले समुदाय को लोगों की बीमारी तुम्हारे अंदर घुस आई है, यह ईर्ष्या एवं द्वेष हैं, द्वेष मूँड देने वाला है, बालों को नहीं बल्कि धर्म को। उस ज्ञात (अस्तित्व) की क्रसम जिसके हाथ में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जान है, तुम लोग उस समय तक कामिल मोमिन नहीं बन सकते यहाँ तक कि आपस में प्रेम एवं स्नेह से न रहो, और क्या मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज़ न बताऊँ जिसके करने पर तुम एक दूसरे से प्रेम करने लगो? आपस में एक दूसरे से सलाम किया करो”।⁽¹⁾

६- ईर्ष्या के कारण ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति का समाज में पद और रुतबा कम हो जाता है, तथा यह उसी अनुपात में होता है जितना कि नियामत मिले हुए लोगों की अप्रियता स्पष्ट होती है, लोग उस ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति से कतराने लगते हैं और उसकी बुरी आदत और बुरे चरित्र के कारण इशारा में बातें करने लगते हैं और ऐसा उससे दूर रहने के लिए और उसके बुरे व्यवहार के प्रति घृणा दिखाने के लिए करते हैं। अल्लामा मावर्दी ने अपनी बातों से इस ओर इशारा किया है: “ईर्ष्या से मूल्य और गरिमा में गिरावट आती है और स्थिति और दर्जा में कमी आती है, क्योंकि लोग ईर्ष्यालु व्यक्ति से दूर हो जाते हैं और उससे नफरत करने लगते हैं। बुद्धिमानों द्वारा कही गई एक कहावत प्रसिद्ध है: ईर्ष्यालु व्यक्ति नेता नहीं हो सकता”।⁽²⁾

७- ईर्ष्या के नुकसानों में समाज पर इसका दुष्प्रभाव भी शामिल है क्योंकि ईर्ष्या और आक्रोश कभी-कभी ईर्ष्यालु व्यक्ति को ईर्ष्या किए जाने वाले व्यक्ति की नियामत को समाप्त करने के लिए प्रेरित करता है, फिर वह उसके लिए मौखिक या व्यावहारिक या दोनों अपराध कर गुजरता है। साथ ही, यह ईर्ष्या महसूद (ईर्ष्या किए जाने वाले व्यक्ति) की चुगली और गीबत का कारण बनती है। अतः ईर्ष्यालु व्यक्ति महसूद के पद और दर्जा को कम करने और उसे नीचा दिखाने के लिए भी उसकी चुगली करता है, इसके अलावा ईर्ष्यालु व्यक्ति के दिल में महसूद के प्रति ईर्ष्या के परिणामस्वरूप कभी-कभी उनके बीच नफरत और द्वेष पैदा हो जाता है।

चिकित्सीय उपाय:

ईर्ष्या के विनाश से बचने के लिए कुछ प्रशिक्षण उपाय इस प्रकार हैं:

⁽¹⁾ सुनन तिर्मिज़ी: ४/ ५७३, हदीस संख्या: २५१०, अल्लामा अलबानी ने इसे हसन कहा है, देखें: सहीह सुनन तिर्मिज़ी, हदीस संख्या: २०३८/ २६४१।

⁽²⁾ अदबुदुनिया वदीन: २७३।

१- इंसान को उपयोगी ज्ञान अर्थात कुरआन एवं हदीस का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जो दिल को साफ करता है और आत्मा को ईर्ष्या के प्रदूषण से शुद्ध करता है। साथ ही, यह दिलों में पवित्रता, दूसरों के लिए प्यार, अल्लाह तआला द्वारा उन्हें दिए गए नियामत के लिए खुशी की अभिव्यक्ति और सर्वशक्तिमान द्वारा प्राप्त अनुग्रहों के साथ संतुष्टि एवं संतोष को बढ़ावा देता है, साथ ही यह अच्छाई की तलाश कर के उसे कार्य क्षेत्र में प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करता है। यह परिवार, शिक्षा प्रणाली और विभिन्न सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे नव पीढ़ियों और आम लोगों को इस्लामी नैतिक मूल्यों पर शिक्षित करें और इसे उनके दिलों में इसे स्थापित करें।

२- समाज को ईर्ष्या के नुकसान, इसकी गंभीरता और इसकी घातकता के बारे में पता होना चाहिए जो लोगों के गुणों को नष्ट कर देता है और उन्हें सबसे बुरी स्थिति का सामना करना पड़ता है, ऐसे कई लोग हैं जो जानते हैं कि ईर्ष्या सबसे खराब गुण है लेकिन वे नहीं जानते कि यह यहूदियों का दुर्गुण है और पिछले राष्ट्रों की एक बीमारी है, न ही वे जानते हैं कि इस्लाम ने इसे कितनी सख्ती से मना किया है, और ईर्ष्या और विश्वास को एक दिल में एकजुट नहीं किया जा सकता है, जैसा कि हमने ईर्ष्या के नुकसान के अध्याय में पढ़ा है।

३- इंसान को लोगों को प्राप्त होने वाली अच्छी चीजों से प्यार के लिए धैर्य रखने की आदत डालनी चाहिए, इसलिए जब भी उसके दिल में किसी के प्रति ईर्ष्या महसूस हो तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और इस संबंध में खुद से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। ऐसा बार-बार करने और करते रहने से मन की ईर्ष्या अवश्य दूर हो जायेगी। अल्लाह तआला का कथन है:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [سورة الرعد: ११]

अनुवाद: (किसी समुदाय की स्थिति अल्लाह तआला उस समय तक नहीं बदलता जब तक वह स्वयं उसे न बदलें जो उनके दिलों में है)। सूरह रअद: ११।

अल्लामा इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह कहते हैं: जो व्यक्ति किसी दूसरे के लिए अपने दिल में ईर्ष्या महसूस करे तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह धर्मपरायणता और धैर्य दिखाए और इस ईर्ष्या को अपने दिल में अवांछनीय समझे।^(१) और वह अपने हसद को रश्क में बदलने की कोशिश करे, इस प्रकार से कि वह महसूस के पास जो नेमतें हैं, उनकी तरह नेमत की चाहत रखे, उसके छिन जाने का ख्याल अपने दिल में न लाए और उसे भलाई के रास्ते में इस्तेमाल करने की नियत से और दृढ़ करे।

(१) फ़तावा इब्ने तैमियह: १०/ १२५।

४- दुआ एवं इस्तिफार (क्षमा याचना) के द्वारा अल्लाह से सहायता मांगे, अल्लाह से दुआ करे कि वह उसे हसद के रोग से मुक्ति दे और उससे छुटकारा दिलाए। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [سورة البقرة: १८६]

अनुवाद: (मेरे बंदे जब मेरे बारे में आप से प्रश्न करें तो आप कह दें कि मैं बहुत ही निकट हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को जब भी वह मुझे पुकारे स्वीकार करता हूँ, इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वो मेरी बात मान लिया करें एवं मुझ पर ईमान रखें, यही उनकी भलाई का कारण है)। सूरह बक्ररह: १८६।

तथा लोगों के प्रति हृदय में उत्पन्न होने वाली ईर्ष्या के कारण होने वाले पापों के संबंध में अल्लाह तआला से क्षमा याचना करे। सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन है:

﴿وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [سورة البقرة: १९९]

अनुवाद: (एवं अल्लाह तआला से क्षमा मांगते रहो, निस्संदेह अल्लाह क्षमी दयावान है)। सूरह बक्ररह: १९९।

५- व्यक्ति ऐसे लोगों की आदत, नैतिकता एवं जीवनी ढूँढे और तलाश करे जिनके हृदय ईर्ष्या एवं द्वेष से पवित्र होते हैं, वह देखे कि ऐसे लोगों से दूसरे लोग कितने प्रेम एवं स्नेह का संबंध रखते हैं, और वह कितनी शांति एवं संतोष और आत्मा की संतुष्टि से लाभांवित होते हैं, क्योंकि यह वह चीज़ें हैं ईर्ष्या से मुक्त दिल के हिस्से में ही आती हैं। हमारे लिए अन्सार रज़ियल्लाहु अन्हुम की जीवनी में उत्कृष्ट उदाहरण मौजूद हैं। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَن هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [سورة الحشر: ९]

अनुवाद: (-और उनके लिए- जिन्होंने इस घर में -अर्थात् मदीना- एवं ईमान में उन से पहले स्थान बना लिया, तथा अपनी तरफ पलायन कर के आने वालों से प्रेम रखते हैं एवं मुहाजिरीन को जो कुछ दिया जाए उस से वो अपने दिलों में कोई तंगी नहीं रखते अपितु स्वयं अपने ऊपर उन्हें वरीयता देते हैं, चाहे कितनी ही अधिक आवश्यकता हो, बात यह है कि जो भी अपनी आत्मा की कंजूसी से बचा लिया गया वही सफल एवं कामयाब है)। सूरह हश्र: ९।

६- जुल्म और अन्याय जैसे ईर्ष्या के कारणों को खत्म करना। अतः अभिभावकों, संरक्षकों, प्रबंधकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों को अपने अधीनस्थों के बीच न्याय एवं निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए, जिससे प्रेम, एकता एवं सद्भाव कायम हो सके। न्याय से प्रेम और प्रसन्नता उत्पन्न होती है, जबकि अन्याय से ईर्ष्या और घृणा उत्पन्न होती है। जब किसी गुरु, माता-पिता या अभिभावक को लगता है कि कोई अपनी कमजोरी, जरूरत, बड़प्पन या बुद्धिमत्ता आदि के कारण अधिक ध्यान और तवज्जोह देने का हकदार है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अंतर्दृष्टि और रणनीति के साथ काम करना चाहिए, और दूसरों को इसका एहसास नहीं होने देना चाहिए होता है और उचित समय और स्थान पर समस्या का समाधान करें। आदरणीय यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों की कहानी में हमारे लिए सबक और शिक्षाप्रद बातें हैं।⁽¹⁾ अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿إِذْ قَالُوا لْيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

[सूरा यूसुफ: ८]

अनुवाद: (जबकि उन्होंने कहा कि यूसुफ एवं उसका भाई हमारी तुलना में हमारे पिता को अधिक प्रिय हैं हालांकि हम (शक्तिशाली) समूह हैं, कोई संदेह नहीं कि हमारे पिता स्पष्ट गलती पर हैं)। सूरह यूसुफ: ८।

गुस्सा (क्रोध):

गुस्सा (क्रोध) का अर्थ:

अल्लामा इब्ने रजब हम्बली रहिमहुल्लाह कहते हैं कि: गुस्सा उत्तेजना और जिगर की किण्वन का नाम है, चाहे वह किसी दर्दनाक चीज़ से बचाव की स्थिति में पैदा हुआ हो या किसी से बदला लेने के दौरान पैदा हुआ हो।⁽²⁾ और क्रोध आत्मा की गति को भी कहा जाता है, जिससे किसी से बदला लेने की इच्छा के समय रक्त और जिगर उत्तेजित होने लगते हैं।⁽³⁾

गुस्सा (क्रोध) के कारण:

१- अपने से कमतर लोगों की ओर से बार-बार कोई अप्रिय कार्य का किया जाना।⁽⁴⁾

(1) यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में हसद (ईर्ष्या) से संबंधित अधिक विवरण के लिए देखें: अल् इख्लाक अल् इस्लामियह, लेखक: अब्दुर्रहमान अल् मैदानी: १८०९।

(2) जामिउल उलूमि वल हिकम: १३८।

(3) अल् खुलुक अल् कामिल: १/ ३६७।

(4) अदबुदुनिया वदीन: २५८।

२- उत्पीड़न या अभाव की भावना, इसी तरह जैसे बाहरी मामलों से मनोदशा प्रभावित होती है जैसे जलवायु में न्याय से प्रभावित होना। ये सभी चीजें गुस्सा भड़काने में अहम भूमिका निभाती हैं।⁽¹⁾

३- जिन कारणों से गुस्सा आता है उनमें बीमारी, काम में व्यस्त रहना, रात को जागना या लालची चीजों में खुद को जोड़ लेना भी शामिल है। यही वो चीजें हैं जो शरीर और स्वयं के बीच कलह पैदा करती हैं और फिर यही क्रोध का आधार बनती हैं अपितु क्रोध का आदी बनने का मुख्य कारण है। चुनाँचे शरीर लगने वाले विकार को दूर कर के उन कारणों को समाप्त किया जायेगा ताकि मन में गुबार न जन्म ले फिर एक-एक कर के उन कारणों का समापन किया जायेगा।⁽²⁾

क्रोध की प्रकृति:

क्रोध मानव स्वभाव का स्वाभाविक गुण है, यदि यह न हो तो भावना समाप्त हो जायेगी, यह धार्मिक गौरव तथा नैतिक सम्मान से प्रेरित नहीं होगी। उसकी वीरता खत्म हो जायेगी और फिर वह कायर बन जायेगा। ज्ञात हुआ कि यह क्रोध एक दो धारी हथियार है। इमाम इब्ने क़य्यिम अल् जोज़ियाह कहते हैं कि: क्रोध की एक सीमा है, यह अपनी सीमा में सराहनीय वीरता और उच्च कार्यों और दोषों से दूरी का कारण है तथा यही इसकी पूर्णता है, किंतु यदि यह इस सीमा से आगे बढ़ जाए तो सामने वाले के साथ अन्याय करता है और यदि सीमा से पीछे रह जाए तो तो कायर बन जाता है और बुरे आचरण से बच भी नहीं पाता है।⁽³⁾

आदरणीय अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं: बुर्दबारी (सहनशीलता) यह है कि मनुष्य क्रोध के समय स्वयं पर नियंत्रण रखे।⁽⁴⁾

क्रोध के प्रकार:

क्रोध की प्रकृति से स्पष्ट है कि इसके तीन प्रकार हैं:

१- वह क्रोध जो मनुष्य को वीरता, धार्मिक गौरव, मुसलमानों के प्रति सम्मान और बुरे कर्मों से बचने के लिए प्रेरित करता है, इस प्रकार का क्रोध प्रशंसनीय होने के साथ-साथ वांछनीय भी है, जैसा कि आदरणीय अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है, वह कहते हैं कि: आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर्दे की आड़ में रहने वाली कुंवारी युवती से भी अधिक

(1) अल् उसुस अन् नफ़िसय्यह लिन्नुमुव्व, लेखक: फ़ुआद सैयिद: २९४।

(2) अल् खुलुक्क अल् कामिल: ४/ ३८७, संक्षिप्त रूप में।

(3) अल् फ़वायद, लेखक: इब्नुल क़ैयिम: १५४।

(4) अदबुद्दुनिया वदीन: २५२।

लज्जा करने वाले थे, चुनाँचे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम किसी ऐसी चीज़ को देखते जो आप को अप्रिय होती तो उसकी निशानी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चेहरे में देख लेते थे।⁽¹⁾ तथा जब आदरणीय अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक किसी कहने वाले की यह बात पहुँचाई कि: यह वह विभाजन है जिससे अल्लाह की प्रसन्नता वांछनीय नहीं है, तो यह बात आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अप्रिय लगी, आपके मुख की रंगत बदल गई और आप क्रोधित हो गए, परंतु आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इससे अधिक कुछ न कहा: “निस्संदेह मूसा अलैहिस्सलाम को इससे अधिक कष्ट दिया गया था परंतु उन्होंने सन्न और धैर्य से काम लिया”।⁽²⁾

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब कोई अप्रिय बात देखते या सुनते तो उस पर क्रोधित होते हो और उसके बारे में बोलते, चुप नहीं रहते। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में दाखिल हुए तो आपने एक पर्दा देखा जिसमें चित्र बना हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का चेहरा लाल हो गया और आपने उसे फाड़ डाला, और फ़रमाया: “निस्संदेह क़यामत के दिन सबसे कष्टदायक यातना जिन लोगों की दी जायेगी उनमें चित्र बनाने वाले भी होंगे”।⁽³⁾ तथा मुगीरह रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है, वह कहते हैं कि सअद उबादह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा: यदि मैं किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ देख लूँ तो तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूँगा, तलवार के बाहरी भाग से नहीं (बल्कि उसकी असल धार से उसकी गर्दन अलग कर दूँगा) तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “क्या तुम लोग सअद की ग़ैरत (स्वाभिमान) पर आश्चर्य कर रहे हो? निस्संदेह मैं उससे अधिक ग़ैरतमंद हूँ और अल्लाह मुझ से अधिक ग़ैरतमंद है”।⁽⁴⁾

२- क्रोध का समाप्त हो जाना तथा उसके फलस्वरूप कायरता, बेग़ैरती और बुरे कर्मों तथा अपमान पर मौन रहना - यह निंदनीय एवं अप्रिय गुण है।

३- मनुष्य का क्रोध सीमा से बढ़ जाए तो मनुष्य अपना संतुलन खो देता है, उसकी नसें फूलने लगती हैं तथा वह स्वयं पर कंट्रोल नहीं रख पाता, उसकी ज़ुबान बकवास बातें बकने लगती है, उसका हाथ गलत स्थान तक पहुँच जाता है, क्रोध के कारण वह अपने निर्णय में न्याय नहीं कर पाता, फिर उसकी सहनशीलता भी खत्म हो जाती है और वह ऐसी बातें कहने लगता है जो उसे खुद समझ में नहीं आती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

(1) इसका हवाला पूर्व में दिया जा चुका है।

(2) सहीह बुखारी: ४/ ११०, हदीस संख्या: ४१००, व मुस्लिम: २/ ७३९, हदीस संख्या: १४१/ १०६२।

(3) सहीह बुखारी: ४/ १११।

(4) इसका हवाला पूर्व में दिया जा चुका है।

“शक्तिशाली वह नहीं है जो किसी को पछाड़ दे, शक्तिशाली तो वह है जो क्रोध के समय स्वयं पर नियंत्रण रखे”।⁽¹⁾ अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि एक व्यक्ति ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से निवेदन किया कि मुझे वसीयत कीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “तुम क्रोध मत करो”, उस सहाबी ने अनेक बार यही प्रश्न किया, तो आपने हर बार यही उत्तर दिया कि: “क्रोधित मत हुआ करो”।⁽²⁾

क्रोध की तबाही:

१- क्रोध विभिन्न मामलों में नासमझी का द्वार खोल देता है क्योंकि क्रोध की स्थिति में मामले के परिणाम के बारे में सोचने-विचारने के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं और फिर समझ की कमी व्यक्ति को अपने आगोश में लेने लगती है बहकावे और खूनी जुनून के वशीभूत होकर अपना काम करने लगता है, परिणाम स्वरूप कभी किसी को जान से मार देता है तो कभी किसी के साथ जबरदस्ती करके पाप कर बैठता है, तो कभी जुबान का लगाम खुल जाता है और ऐसी बातें कह देता है, जिस पर वह गुस्सा शांत होने के बाद शर्मिंदगी जाहिर करता है, लेकिन उस वक्त पछताने से कोई फायदा नहीं होता।

२- अनुचित स्थान पर क्रोध करने से व्यक्ति की महानता, गंभीरता और हैबत कम हो जाती है, क्योंकि क्रोध करने पर उसकी नसें फड़कने लगती हैं, उसकी आंखें लाल होने लगती हैं और उसका शरीर कई ऐसी हरकतें करता है जो बिल्कुल भी उचित और मुनासिब नहीं होती है, कई बार तो अभद्रता पर भी उतर आता है।

३- क्रोध के समय संयम न रखने के कारण क्रोध करने वाला क्रोध पर नियंत्रण के कारण मिलने वाले पुण्य और प्रतिफल से वंचित हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “क्षमात होने के बाद भी जो बदला न लेकर क्रोध को पी जाता है, क़यामत के दिन अल्लाह तआला उसे समस्त सृष्टि के समक्ष बुलाएगा, यहाँ तक कि उसे यह अधिकार देगा कि वह हूँ (अप्सराओं) में से जिन को चाहे अपने लिए पसंद कर ले और चुन ले”।⁽³⁾

चिकित्सीय प्रशिक्षण उपाय:

क्रोध के उपचार के लिए कुछ चिकित्सीय प्रशिक्षण उपाय निम्नांकित हैं:

⁽¹⁾ सहीह बुखारी: ४/ ११२, हदीस संख्या: ६११४, व मुस्लिम: ४/ २०१४, हदीस संख्या: १०७/ २६०९।

⁽²⁾ सहीह बुखारी, हदीस संख्या: ४/ ९१२, हदीस संख्या: ६११६।

⁽³⁾ सुनन अबू दावूद: ५/ १३७-१३८, हदीस संख्या: ४७७७, जामेअ तिर्मिजी: ४/ ३२६-३२७, हदीस संख्या: २०२१, उपरोक्त शब्द जामेअ तिर्मिजी के हैं, अल्लामा ने इसे सहीह करार दिया है, सहीह सुनन तिर्मिजी, हदीस संख्या: १६४५/ २१०७।

१- इंसान को धिक्कारित शैतान से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, जैसा कि उस सहाबी की हदीस में है जिसे बहुत गुस्सा आ गया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि: “निस्संदेह मुझे एक ऐसा कलेमा (वाक्य) मालूम है कि यदि वह उसे कह ले तो उसका क्रोध समाप्त हो जायेगा, यदि वह कहे: *أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ*, अऊजु बिल्लाहि मिनशैतानिर्रजीम, अर्थात: मैं धिक्कारित शैतान से अल्लाह की शरण माँगता हूँ”⁽¹⁾

२- आदमी अपनी वर्तमान स्थिति से दूसरी स्थिति में चला जाए, जैसाकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है: “जब तुम में से किसी को क्रोध आए और वह खड़ा हो तो चाहिए कि बैठ जाए, यदि इससे क्रोध समाप्त हो जाए तो ठीक अन्यथा उसे लेट जाना चाहिए”⁽²⁾

३- मुसलमान क्रोध को पी जाने वाले लोगों को याद करे, जैसाकि अल्लाह तआला ने ऐसे लोगों की प्रशंसा की है:

﴿الَّذِينَ يُغْفِرُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (١٧٤) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا الذُّنُوبَ مِنْهُمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٥﴾ [سورة آل عمران: ١٣٢-١٣٥]

अनुवाद: (जो सुविधा तथा असुविधा की दशा में दान करते रहते हैं, तथा क्रोध पी जाते और लोगों को दोष क्षमा कर दिया करते हैं, और अल्लाह सदाचारियों से प्रेम करता है। और जब भी वह कोई बड़ा पाप कर जाए, अथवा अपने ऊपर अत्याचार कर लें, तो अल्लाह को याद करते हैं, फिर अपने पापों के लिए क्षमा माँगते हैं, तथा अल्लाह के सिवा कौन है जो पापों को क्षमा करे? और अपने किए पर जान बूझ कर अड़े नहीं रहते)। सूरह आले इमरान: १३४-१३५।

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “क्षमात होने के बाद भी जो बदला न लेकर क्रोध को पी जाता है, क़यामत के दिन अल्लाह तआला उसे समस्त सृष्टि के समक्ष बुलाएगा, यहाँ तक कि उसे यह अधिकार देगा कि वह हूँ (अप्सराओं) में से जिन को चाहे अपने लिए पसंद कर ले और चुन ले”⁽³⁾ और एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु

(1) सहीह बुखारी: ४/ ११२, हदीस संख्या: ६११५।

(2) मुस्नद अहमद: ५/ १२५, अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सहीह करार दिया है, देखें: सहीहुल जामेअ अस् सगीर, हदीस संख्या: ६९४।

(3) इस हदीस का हवाला पूर्व में दिया जा चुका है।

अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “अल्लाह के निकट सवाब व पुण्य के आधार पर क्रोध से बढ़ कोई ख़ोराक और भोजन नहीं है, जिसे आदमी अल्लाह को प्रसन्न करने हेतु पी जाता है”⁽¹⁾

४- क्रोध के समय सहनशील और क्रोधी दोनों व्यक्तियों की परिस्थितियों को याद रखना और उनका मूल्यांकन करना चाहिए, लोगों का दिल पहले प्रकार के व्यक्ति से जुड़ा होता है और उनका स्वभाव उसकी ओर झुका होता है, जबकि बुद्धिमान लोग दूसरे व्यक्ति से दूर भागते हैं, और लोग उसके कामों से बचते हैं।

बदगुमानी (कुधारणा):

बदगुमानी (कुधारणा) का अर्थ:

किसी बात में जो संदेह उत्पन्न होता है, फिर आप उसे सत्य सिद्ध करें और फिर उसके आधार पर कोई निर्णय सुनाएं तो इसे बदगुमानी कहते हैं।⁽²⁾ बदगुमानी, यह तोहमत (बदनामी) और किसी गलत मामले में परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों या लोगों पर विश्वासघात का आरोप लगाने का नाम है।⁽³⁾ इस्लामान ने कुरआन एवं हदीस में बदगुमानी से बचने का आदेश दिया है, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन है:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ [سورة الحجرات: १२]

अनुवाद: (हे ईमान वालो! बहुत सी बदगुमानियों से बचो, यकीन मानो कुछ बदगुमानियां पाप हैं)। सूरह हुजुरात: १२।

एक स्थान पर अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [سورة

النجم: २८]

अनुवाद: (हालांकि उन्हें इसका ज्ञान नहीं वो केवल अपने गुमान के पीछे पड़े हुए हैं और निस्संदेह वहम और गुमान हक़ (सत्य) की तुलना में कुछ भी नहीं काम नहीं देता)। सूरह नज्म: २८।

(1) सुनन इब्ने माजह: २/ १४०१, हदीस संख्या: ४१८९, इसे अल्लामा अलबानी ने सहीह करार दिया है, सहीह सुनन इब्ने माजह: हदीस संख्या: ४१८९-३३७७।

(2) अन् निहायह फ़ी ग़रीबिल हदीस: ३/ १६३।

(3) तफ़सीर इब्ने कसीर: ४/ २२७।

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “बदगुमानी से बचो, निश्चय ही बदगुमानी सबसे झूठी बात है”।⁽¹⁾ चुनाँचे बदगुमानी जिसका आधार केवल वहम एवं संदेह पर होता है एवं बिना किसी शोध एवं जाँच परख के दूसरे पर तोहमत लगाना एवं दोष देना जायज़ नहीं है। अल्लामा ख़त्ताबी रहिमहुल्लाह का कथन है: “इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस गुमान को त्याग दें जिसके साथ अहक़ाम जुड़े हुए हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप उस गुमान को सच साबित करें जो दूसरों के लिए हानिकारक हो, इसी तरह जो भी विचार मन में आता हो उसे बिना किसी प्रमाण के व्यवहार में लाएं। गुमान का प्रथम चरण मनुष्य की स्वाभाविक अनुभूति है, जिसे स्वयं से अलग नहीं किया जा सकता और जो बात मनुष्य के वश में नहीं होती है, वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं होता है”।⁽²⁾

बदगुमानी के कारण:

१- किसी व्यक्ति का डर: यह डर कभी-कभी व्यक्ति को उस व्यक्ति के बारे में बदगुमानी और संदेह करने पर मजबूर कर देता है, फिर वह उसकी बातों या कार्यों को गलत समझने लगता है।

२- किसी व्यक्ति के बारे में पुरानी धारणा बाकी रखना और वह भी उन कहानियों और घटनाओं के आधार पर जो कभी-कभी सही भी नहीं होती है, फिर वह उसके सामान्य मामलों को भी गलत समझता है।

३- कोई व्यक्ति का ऐसे वातावरण में गलत प्रशिक्षण प्राप्त करना, जो लोगों के मामलों को गलत तरीके से वर्णन करता हो, फिर वह व्यक्ति अपने समाज और दोस्तों के बीच रहने के कारण अपने अंदर इन गलतफहमियों के प्रवेश का द्वार खोल देता हो, अतः उसकी नैतिकता इस बुरे आचरण पर आकर रुक जाती है।

४- दूसरों के प्रति नफरत और ईर्ष्या से भरा दिल रखना, यह चीज व्यक्ति को अपने आस-पास मौजूद हर व्यक्ति पर संदेह करने पर मजबूर कर देती है।

५- संदेह और बदनामी के स्थान पर किसी व्यक्ति की उपस्थिति, भले ही वह जानबूझकर न हो, अन्य लोगों को उसके प्रति संदेहास्पद बनाती है, क्योंकि वे कारणों और तथ्यों से अनभिज्ञ होते हैं। यही कारण है कि इस्लाम ने संदेह और शंका के स्थानों से रोका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “हलाल (वैध) स्पष्ट है तथा हराम (अवैध) स्पष्ट है और इन दोनों के बीच मुश्तबह (संदेहास्पद) चीज़ें हैं जिन से बहुतेरे लोग अनभिज्ञ हैं,

(1) सहीह बुखारी: ४/ १०३, हदीस संख्या: ६०६४।

(2) फ़तुह बारी: १०/ ४८१।

चुनाँचे जिसने मुश्तबह चीजों से किनारा कर लिया उसने अपने धर्म एवं प्रतिष्ठा को सुरक्षित कर लिए”⁽¹⁾

६- अज्ञानता व अविद्या अथवा अविश्वास के कारण उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों से अनभिज्ञ व अचेत रहना, जैसे: पाप, आपसी संबंधों में दूरी तथा सामाजिक अव्यवस्था।

बदगुमानी की विनाशलीला एवं तबाही:

इसमें कोई संदेह नहीं कि बदगुमानी के अनेक ऐसे दुष्परिणाम हैं जो बदगुमानी रखने एवं जिसके बारे में बदगुमानी रखी जाती है, उन पर पड़ते हैं, बल्कि कभी-कभी समाज भी उसके दुष्परिणाम से बच नहीं पाता।

संक्षिप्त रूप में उनका उल्लेख निम्नलिखित है:

१- बदगुमानी रखने वाला पाप के घेरे में आ जाता है, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ [سورة الحجرات: १२]

अनुवाद: (यकीन मानो कुछ बदगुमानियां पाप हैं)। सूरह हुजुरात: १२।

चुनाँचे जिस व्यक्ति के बारे में बदगुमानी रखी जाती है वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें अच्छाई होती है और जाहिर तौर पर उसकी अमानत एवं विश्वसनीयता देखी भाली होती है। इसलिए उससे भ्रष्टाचार और विश्वासघात का गुमान रखना ह़राम एवं वर्जित है⁽²⁾

२- इस प्रकार की विशेषता रखने वाले लोगों को दूसरे लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उसके संदेह, बदगुमानी एवं आशंकाओं से डरते हैं, उससे बात करने से कतराते हैं, इस डर से कि कहीं अनजाने में कोई गलती न हो जाए और वह उसका गलत अर्थ निकाले, यहाँ तक कि कभी-कभी उसकी बदगुमानियों के कारण लोग इस बात को भी पसंद नहीं करते कि उसके साथ बैठें और उसके साथ यात्रा करें।

३- कभी-कभी यह बदगुमानी किसी के पीछे पड़ने एवं उसके टोह में लगने पर उभारती है, चुनाँचे वह व्यक्ति ऐसी स्थिति में अन्य नैतिक बुराइयों के दलदल में जा फंसता है।

४- कभी-कभी बदगुमानी (कुधारणा) तोहमत (बदनामी) के प्रचार प्रसार का कारण बन जाती है, यह स्पष्ट करने एवं बतलाने के लिए कि यह वास्तविक है अथवा वास्तविकता के निकट है, ताकि जिस व्यक्ति के बारे में बदगुमानी रखी जा रही है वह बदनामी के दायरे में आ जाए, यहां तक कि हालाँकि उसका उससे दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता है, फिर भी कभी-

⁽¹⁾ सहीह बुखारी: १/ ३४, हदीस संख्या: ५२।

⁽²⁾ अल् जामेअ लि अहकामिल कुरआन, लेखक: कुर्तुबी: १६/ २१७।

कभी लोग इसे सच मानने लगते हैं और उस व्यक्ति का मान-सम्मान और प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है।

५- जिन लोगों के बारे में बदगुमानी रखी जाती है उनके बारे में निराधार आरोप लगाने से कभी-कभी जिन लोगों के बारे में बदगुमानी रखी जाती है और जो बदगुमानी रखता है तथा इनके अलावा समाज सदस्यों के बीच भी नफ़रत, द्वेष एवं अलगाव जैसी बीमारी जन्म लेती है, जिसके परिणामस्वरूप समाज विभाजन और अराजकता का शिकार हो जाता है।

6- चिंता और अनिर्णय की स्थिति, जो बदगुमानी रखने वाले व्यक्ति को होती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दूसरे लोगों के कार्यों को गलत दृष्टि से देखता है, जिसके आधार पर वह संदेह करने लगता है और गलत मतलब निकालने लगता है, जिसके कारण वह चिंता एवं मनोवैज्ञानिक व्याकुलता में घिरता चला जाता है।

उपचार के लिए दिशानिर्देश:

१- अक्रीदा (आस्था) स्थापित किया जाना चाहिए, इससे व्यक्ति को अच्छे संस्कार अपनाने और बुरे संस्कारों से बचने की शक्ति मिलती है और दिल भी साफ रहता है।

२- मनुष्य बदगुमानी को पाप जाने ताकि वह इससे दूर रह सके।

३- दूसरे व्यक्ति के इरादे को बिना किसी व्याख्या के अच्छा बताया जाए, जैसा कि आदरणी उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा: “आप अपने मोमिन भाई की जुबान से निकलने वाली हर बात में केवल भलाई का ही गुमान रखें, फिर आप उसके लिए भलाई का रास्ता पाएंगे”।⁽¹⁾

तकब्बुर (अहंकार):

तकब्बुर का अर्थ:

तकब्बुर का अर्थ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन से स्पष्ट है: “जन्नत में वह व्यक्ति प्रवेश नहीं पाएगा जिसके दिल में कण भर भी तकब्बुर होगा, एक आदमी ने कहा: इंसान को यह बात अच्छी लगती है कि उसके कपड़े अच्छे हों तथा उसके जूते चप्पल अच्छे हों (तो क्या यह भी तकब्बुर में शामिल है) आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: निस्संदेह अल्लाह सुंदर है तथा सुंदरता को पसंद करता है, तकब्बुर हक़ का इंकार एवं लोगों को तुच्छ समझना है”।⁽²⁾

⁽¹⁾ तफ़सीरुल कुरआनिल अज़ीम, लेखक: इब्ने कसीर: ४/ २२७।

⁽²⁾ सहीह मुस्लिम: १/ ९३, हदीस संख्या: १४६/ ९१।

अहंकार आंतरिक नैतिकता का नाम है, जिसके फल एवं परिणाम उसके कर्म हुआ करते हैं।⁽¹⁾

यही कारण है कि उसका उद्गम आत्ममुग्धता हुआ करती है, अल्लामा नववी रहिमहुल्लाह लिखते हैं: तकब्बुर (अहंकार) जो प्रसिद्ध है वह यह है कि आदमी अपने आप को बड़ा तथा दूसरों को तुच्छ समझे एवं हक (सत्य, अधिकार) का इंकार करे।⁽²⁾

अहंकार के कारण:

१- आदमी के ईमान की कमजोरी तथा इस संबंध में कम जानकारी कि तकब्बुर केवल अल्लाह को शोभा देता है, भक्त को नहीं।

२- स्वार्थ और आत्ममुग्धता के बुरे प्रभाव और भयानक परिणाम होते हैं। अतः यह अभिमान और अहंकार की खाई में प्रवेश करने का मार्ग सिद्ध होता है।⁽³⁾

आत्ममुग्धता के कुछ कारण ये हैं:

उनमें से सबसे मजबूत कारण उनके करीबी लोगों की अत्यधिक प्रशंसा और चापलूसी है, जिन्होंने पाखंड को एक आवरण बना लिया है।⁽⁴⁾

बुद्धि जितनी कम होती है, सोचने, समझने और विचार करने की गुणवत्ता उतनी ही कम होती है और ऐसे लोग खुद को सबसे बुद्धिमान और होशियार समझते हैं।⁽⁵⁾ कभी-कभी व्यक्ति के अंदर घमंड भी छिपा होता है। लेकिन जैसे ही उसके हाथ में थोड़ा सा धन या पद आता है तो वह अहंकारी हो जाता है और उसकी बुद्धि उसे मिटाने या छुपाने में सक्षम नहीं होती है।⁽⁶⁾

बुद्धि में परिपक्वता शरीर के ज्ञान से आती है जो हलाल और हराम के बीच अंतर करती है।

३- अपने दोस्तों और सहकर्मियों के बीच ऊंचे पद या समाज में अर्जित रुतबे से धोखा खाना⁽⁷⁾, आपके अंदर मौजूद अहंकार की निशानी है।

(1) अल् खुलुक अल् कामिल: ४/ ३७८।

(2) शर्ह मुस्लिम, लेखक: नववी: २/ ९१।

(3) आफ़ात अलत् तरीक़, लेखक: सैयिद महमूद नूह: १/ १२८।

(4) अदबुदुनिया वदीन: २३९।

(5) अल् अख़लाक़ वस् सियर, लेखक: इब्ने हिज़्म: ७६, संक्षिप्त रूप में।

(6) पिछला संदर्भ: ७६।

(7) अल् अख़लाक़ अल् इस्लामियह व उसुसुहा: १/ ७१८।

४- अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह हर बात जो उसकी व्यक्तिगत कमी या व्यवहारिक कमी को इंगित करती हो, उसे लोगों से छिपाकर रखा जाए, क्योंकि उसकी इच्छा लोगों के सामने खुद को बड़ा बनाने की होती है और यह कि उसकी कमी से लोग परिचित नहीं हो पाएं^(१) स्वयं के दोषों का नैतिकता और व्यवहार पर ऐसा प्रभाव पड़ता है जिसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए कभी-कभी ऐसा व्यक्ति खुद को ऐसे प्रस्तुत करता है जैसे कि वह लोगों के बीच सर्वोच्च स्थान पर हो फिर यही आत्ममुग्धता उसे आगे बढ़ा कर अहंकार तक पहुँचा देती है।

५- अहंकार का एक कारण अपने साथियों से कम मिलना तथा व्यक्तित्व का प्रभाव भी है^(२)

अहंकार के प्रकार:

१- अल्लाह तआला एवं उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तुलना में स्वयं को बड़ा दिखाना एवं अहंकार का प्रदर्शन करना, यह अहंकार की सबसे घटिया एवं बुरी किस्म है, क्योंकि मानव स्वभाव से बगावत एवं खालिक (रचनाकार) के उपकार का इन्कार है। सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह फ़रमाता है:

﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ﴾ [سورة البقرة: ८८]

अनुवाद: (लेकिन जब कभी तुम्हारे पास रसूल वह चीज़ लाए जो तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध थी तो तुमने झट से अहंकार का प्रदर्शन किया)। सूरह बक्ररह: ८७।

एक स्थान पर अल्लाह तआला का कथन है:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَكُوتُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي

أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا﴾ [سورة الفرقان: २१]

अनुवाद: (और जिन्हें हमसे भेंट की आशा नहीं उन्होंने कहा कि हम पर फ़रिश्ते क्यों नहीं उतारे जाते? या हम अपनी आँखों से अपने रब को देख लेते, उन लोगों ने अपने आप को बहुत ही बड़ा समझ रखा है तथा बहुत हठीले हो गए हैं)। सूरह फ़ुर्क़ान: २१।

(१) पिछला संदर्भ: १/ ७२०।

(२) अदबुद्दुनिया वदीन: २३९।

तथा इब्लीस को आदम अलैहिस्सलाम के सामने सम्मान वाला सज्दा, उपासना वाला सज्दा नहीं, करने से अहंकार ने ही रोक दिया था, फिर वह हठधर्मियों में से हो गया। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾

[सूरा البقرة: ३४]

अनुवाद: (और जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सज्दा करो तो इब्लीस को छोड़ कर सबने सज्दा किया, उसने इंकार किया और अहंकार दिखाया तथा वह काफ़िरी में से हो गया। सूरह बक्ररह: ३४।

२- बंदों के सामने अहंकार का प्रदर्शन करना और लोगों के साथ तिरस्कार और हीनता का व्यवहार करना, क्योंकि उसके पास कोई शारीरिक, वित्तीय या व्यावहारिक विशेषता मौजूद होती है, इसलिए उसे लगता है कि वह बड़ा और श्रेष्ठ है और बाकी सभी लोग उससे कमतर हैं। भले ही अल्लाह तआला के विशेष फ़ज़ल एवं कृपा से अन्य लोग उससे अधिक श्रेष्ठ ही क्यों न हो, यह नस्लीय भौतिकवाद का आधार है और इस्लाम इसकी मनाही करता है, तथा यह पवित्र पैगंबर के कथनों से स्पष्ट है जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “निश्चय ही अल्लाह तआला ने मेरी ओर वहुय (प्रकाशना) की है कि कि तुम लोगों को विनय अपनाना चाहिए, जिससे कोई किसी पर अभिमान न करे और कोई किसी पर अत्याचार न करे”।^(१)

और बंदों के प्रति अहंकार तब सबसे बुरा हो जाता है जब कोई व्यक्ति अपने ज्ञान और व्यक्तिगत गुणों पर अहंकार करता है, निस्संदेह उसका ज्ञान लाभकारी नहीं हो सकता, क्योंकि जो व्यक्ति आखिरत कमाने के लिए ज्ञान प्राप्त करता है वह विनम्र, विनीत एवं अपना आंकलन करने वाला होता है, वह इसकी उपेक्षा नहीं करता, बल्कि निरंतर अपना आंकलन करने एवं उसके सुधार में लगा रहता है, और यदि वह इसकी उपेक्षा करना शुरू कर दे तो सही रास्ते से उसका भटकना तय है।^(२)

३- मनोवैज्ञानिक अहंकार: इसमें व्यक्ति कपड़ों के मामले में वैभव और श्रेष्ठता का विचार अपने दिल और दिमाग में लाता है, कभी-कभी वह खुद को बड़ा भी नहीं समझता है बल्कि उसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना होता है, लेकिन अपने कपड़ों की सुंदरता के कारण अहंकारी चाल चलता है तथा यही चीज़ कभी-कभी उसे यह एहसास दिलाती है कि वह श्रेष्ठ

(१) सहीह मुस्लिम: ४/ २१९८-२१९९, हदीस संख्या: ४६/ २८६५।

(२) अल् कबाइर, लेखक: ज़हबी: ७६।

है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम, अल्लाह उन दोनों पर रहम करे, ने अपनी-अपनी सहीह में वर्णन किया है कि अल्लाह के दूत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “इसी बीच कि एक आदमी एक जोड़ी कपड़े पहनकर चल रहा था, तो वह जोड़ी उस पर अच्छी लग रही थी, वह अपने लंबे बाल को कंधे पर हिलाते हुए (अहंकार से) चल रहा था कि अचानक अल्लाह ने उसे जमीन में धंसा दिया और वह कयामत के दिन तक धंसता रहेगा”⁽¹⁾ सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह ने ऐसा करने से रोकते हुए फ़रमाया:

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمَسَّ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [سورة

لقمان: ١٨]

अनुवाद: (लोगों के समक्ष अपने गाल न फुला और धरती पर अकड़ कर न चल, किसी अहंकार करने वाले घमण्डी को अल्लाह पसंद नहीं करता है)। सूरह लुक्मान: १८।

इसका अर्थ है बिना किसी काम या जरूरत के इठलाते हुए एवं इतराते हुए चलना। इस प्रवृत्ति वाले लोगों में घमंड और शेखी बघारने का गुण होता है, इसलिए अत्यधिक खुश रहने वाला व्यक्ति अपने व्यवहार में अहंकार दिखाता है।⁽²⁾

इसका कदापि यह अर्थ नहीं है कि अच्छा वस्त्र पहनने की मनाही है, बल्कि मनाही इस बात की है कि उससे अहंकार एवं श्रेष्ठता का विचार मन में न लाया जाए।

चुनाँचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “जन्नत में वह व्यक्ति प्रवेश नहीं पाएगा जिसके दिल में कण भर भी तकब्बुर होगा, एक आदमी ने कहा: इंसान को यह बात अच्छी लगती है कि उसके कपड़े अच्छे हों तथा उसके जूते चप्पल अच्छे हों (तो क्या यह भी तकब्बुर में शामिल है) आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: निस्संदेह अल्लाह सुंदर है तथा सुंदरता को पसंद करता है, तकब्बुर हक़ का इंकार एवं लोगों को तुच्छ समझना है”⁽³⁾

इस अनैतिकता से रोकने के बाद, इस्लाम ने इसके स्थान पर अपनी चाल ढाल में उच्च आचरण की ओर मार्गदर्शन किया है, अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْغُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ [سورة

لقمان: ١٩]

⁽¹⁾ सहीह बुखारी: ४/ ५४, हदीस संख्या: ४९/ २०८८।

⁽²⁾ अल् जामेअ लि अहकामिल कुरआन, लेखक: कुर्तुबी: १४/ ४८।

⁽³⁾ सहीह मुस्लिम: १/ ९३, हदीस संख्या: १४६/ ९१।

अनुवाद: (अपनी चाल में मध्यस्थता अपनाओ एवं अपनी आवाज़ धीमी रखो, निस्संदेह आवाज़ों में सबसे बुरी आवाज़ गदहों की आवाज़ है)। सूरह लुक़मान: १९।

अल्लमामा कुर्तुबी रहिमहुल्लाह कहते हैं: अर्थात् मध्यम गति से चले, इससे अभिप्राय यह है कि धीमी एवं तेज़ गति के बीच की गति अपनाए, अर्थात् ऐसे लोगों की तरह रेंगते हुए चले जो स्वयं को पुरुषों में गिनते हों, न कि मक्कार लोगों के समान उछल-उछल कर चलें।⁽¹⁾

और रही बात उस रिवायत की जिसमें आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब चलते तो तेज़ गति से चलते तथा आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा का उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के विषय में यह कहना कि जब आप चलते तो तेज़ चलते, तो इसका अर्थ यह है कि रेंगते हुए चलने की तुलना में थोड़ा तेज़ चलते थे। वल्लाहु आलम (अल्लाह अधिक जानता है)।⁽²⁾

अहंकार की विनाशशीलता एवं तबाही:

१- सत्य को स्वीकार करने से वंचित रहना तथा अल्लाह की आयतों (श्लोकों) को समझने से हृदय का अंधा हो जाना। अल्लाह सर्वशक्तिमान ने कहा:

﴿سَاصِرُفٌ عَنْ ءَايَتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلاًّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ [سورة الأعراف: ١٢٦]

अनुवाद: (मैं उन्हें अपनी आयतों (निशानियों) से फेर दूंगा जो धरती में अवैध अभिमान करते हैं, और यदि वह प्रत्येक आयत (निशानी) देख लें तब भी उस पर ईमान नहीं लायेंगे, और यदि वह सुपथ देखेंगे तो उसे नहीं अपनाएंगे, और यदि कुपथ देख लें तो उसे अपना लेंगे, यह इस कारण कि उन्होंने हमारी आयतों (निशानियों) को झुठला दिया, और उन से निश्चेत रहे)। सूरह आराफ़: १४६।

एक स्थान पर फ़रमाया:

﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ كُتُبٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ [سورة غافر: ३५]

(1) अल् जामेअ लि अहकामिल कुरआन: १४/ ४८।

(2) पीछे इसका हवाला दिया जा चुका है।

अनुवाद: (जो बिना किसी प्रमाण के जो उनके पास आई हो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं, अल्लाह के निकट एवं मोमिनों के निकट यह तो बड़े क्रोध की चीज़ है, अल्लाह तआला इसी तरह हर अहंकारी उपद्रवी के दिल पर मुहर लगा देता है)। सूरह ग़ाफ़िर: ३५।

२- अल्लाह तआला की अप्रियता, चूँकि वह व्यक्ति स्वयं को बड़ा बना कर पेश करता है, दूसरों का तिरस्कार करता है अतः लोग भी उससे प्रेम नहीं करते और उससे दूर रहते हैं। तथा यदि उसके निकट आते भी हैं तो उसके अंदर मौजूद किसी बुराई को दूर करने या फिर किसी सांसारिक उद्देश्य की खातिर, तो जैसे ही वह उद्देश्य समाप्त होता है, वे उससे अलग हो जाते हैं, चुनाँचे जब वह देखता है कि लोग केवल जरूरत के समय ही मेरे पास आते हैं और आवश्यकता पूरी होते ही वे ऐसे भाग जाते हैं, जैसे शिकारी के जाल की आवाज सुनकर पक्षी अपने घोंसले से भाग जाते हैं, तो यह बता उसे मनोवैज्ञानिक पतन का शिकार बना देती है।

कुछ ऐसा ही रिटायर लोगों के साथ भी होता है, जब वो अपनी ड्यूटी पर होते हैं तो अहंकार ही उनकी शान होती है, काश! इन अहंकारी लोगों को अपनी स्थिति के बारे में पता होता और वे शिक्षा ग्रहण करते!

अल्लामा मावर्दी कहते हैं: “जहाँ तक अहंकार का सवाल है तो इससे नाराज़गी पैदा होती है, आपसी रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, दोस्तों के दिलों में गुस्सा और नाराज़गी पैदा होने लगती है, इस अवगुण की एक बुराई ही काफी है, आपको इसकी तह में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।⁽¹⁾”

४- अहंकारी व्यक्ति अपने दोषों और अवगुणों पर ध्यान नहीं देता है और अपनी गलत आदतों को भी सही बता देता है, क्योंकि घमंड और अहंकार के नशे में उसके इंद्रिय काम करना बंद कर देते हैं, फिर ये लोग वैसे ही हो जाते हैं जैसे वे अच्छे कर्म ही कर रहे हों, यद्यपि अहंकार की गुमराही में इधर-उधर भटक रहे होते हैं। सर्वशक्तिमान अल्लाह ने कहा:

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝١٠٣ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝١٠٤﴾

[سورة الكهف: १०३-१०४]

अनुवाद: (कह दीजिए कि यदि (तुम कहो तो) मैं तुम्हें बता दूँ कि कर्म के आधार पर सबसे घाटे में कौन हैं? वो हैं जिनके सांसारिक जीवन के समस्त प्रयास विफल हो गए तथा वो इसी गुमान में रहे कि वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं)। सूरह कहफ़: १०३-१०४।

उपचार के लिए प्रशिक्षण निर्देश:

अहंकार के नाश से बचने के लिए कुछ प्रशिक्षण उपाय निम्नलिखित हैं:

⁽¹⁾ अदबुदुनिया वदीन: २३६।

१- व्यक्ति को अहंकार के पाप की गंभीरता और उसके दंड को याद रखना चाहिए और समझना चाहिए कि वह अहंकार का वैभव प्राप्त करने का नापाक प्रयास कर रहा है। अल्लाह के दूत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने रब से रिवायत करते हुए कहते हैं कि अल्लाह तआला फ़रमाता है: “तकब्बुर (अहंकार) मेरी चादर एवं अज़मत (महानता) मेरा इज़ार (तहमद) है, अतः जो भी इन दोनों में से किसी को भी हासिल करने का प्रयास करेगा मैं उसे नर्क के हवाले कर दूँगा”।^(१) एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “स्वर्ग में वह व्यक्ति प्रवेश नहीं पाएगा जिसके हृदय में कण भर भी अहंकार होगा”।^(२) एक अन्य हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “क्या मैं तुम्हें स्वर्गवासियों के बारे में न बताऊँ? हर दुर्बल विनीत आदमी होगा, उसने यदि क़सम खाई होगी तो उसे अवश्य पूरा किया होगा, क्या मैं तुम्हें नर्कवासियों के बारे में न बताऊँ? हर शक्तिशाली कठोर हृदय अहंकारी व्यक्ति (नर्क में) होगा”।^(३)

२- उसे उस इनाम को याद रखना चाहिए जो एक विनम्र और विनीत व्यक्ति को अल्लाह से मिलेगा, और उन आशीर्वादों को भी याद रखना चाहिए जो अल्लाह ने उसके लिए तैयार किए हैं। सर्वशक्तिमान अल्लाह ने कहा:

﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾

[سورة القصص: ८३]

अनुवाद: (यह परलोक का घर (स्वर्ग) है हम उसे विशेष कर देंगे उन के लिए जो नहीं चाहते बढ़ाई करना धरती में और न उपद्रव करना एवं अच्छा परिणाम आज्ञाकारियों के लिए है)। सूरह क़सस: ८३।

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “सदका (दान) धन को कम नहीं करता है, अल्लाह उस बंदे को और अधिक सम्मान प्रदान करता है जो क्षमा करने वाला होता है, और जो विनम्रता अपनाता है सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान उसकी श्रेणी और उच्च कर देता है”।^(४)

३- अहंकारियों की संगति से दूर रहे, जो दिलों को विकृत करते हैं और उन चीजों की ओर ले जाते हैं जिनसे नुकसान के अलावा कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि संगति से एकरसता

(१) सहीह मुस्लिम: ४/ २०२३, हदीस संख्या: १३६/ २६२०।

(२) पीछे इसका हवाला दिया जा चुका है।

(३) सहीह बुखारी: ३/ ३१५, हदीस संख्या: ४९१८, व मुस्लिम: ४/ २१९०, हदीस संख्या: ४६/ २८५३, उपरोक्त शब्द सहीह बुखारी द्वारा वर्णित हैं।

(४) सहीह मुस्लिम: ४/ २००१, हदीस संख्या: ४९/ २५८८।

पैदा होती है, जैसाकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “मनुष्य अपने मित्र के धर्म का पालन करता है, इसलिए तुम में से हर एक देखे कि वह किसे अपना मित्र बना रहा है”।⁽¹⁾ जबकि इसके विपरीत नेक एवं विनीत लोगों की संगति में रहने से आदमी के विनम्रता आती है।

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۖ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۖ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۖ﴾ [سورة

الطارق: ५-८]

४- मनुष्य को अपनी मूल रचना और अपने पेट की चीजों के बारे में सोचना चाहिए, कि अगर पेट की चीजें बाहर आ जाएं तो उसकी आत्मा उससे घृणा करने लगे। इसीलिए पवित्र क़ुरआन ने हमारा ध्यान मनुष्य के मूल जन्म की ओर आकर्षित किया है, सर्वशक्तिमान अल्लाह कहता है:

अनुवाद: (मनुष्य को देखना चाहिए कि वह किसी वस्तु से उत्पन्न किया गया है, वह एक उछलते हुए पानी से पैदा किया गया है जो पीठ और सीने के बीच से निकलता है)। सूरह तारिक़: ५-७।

५- व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि अहंकारी लोगों की स्थिति तथा सदाचारी, महान और विवेकशील लोगों की दृष्टि में उनकी सामाजिक स्थिति क्या है।

६- इंसान को अपने भाग्य के बारे में ध्यान से सोचना चाहिए और विपत्ति, पीड़ा एवं मृत्यु को याद रखना चाहिए तथा क़ब्रों का दौरा करना चाहिए, क्योंकि क़ब्रिस्तान जाना दिलों को नरम बनाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “अतः तुम लोग क़ब्रों का भ्रमण किया करो, क्योंकि यह मृत्यु की याद दिलाती है”।⁽²⁾

⁽¹⁾ सुनन अबी दावूद: ५/ १६८, हदीस संख्या: ४८२२, सुनन तिर्मिज़ी: ४/ ५०९, हदीस संख्या: २३७८, अल्लामा अलबानी ने इसे हसन करार दिया है, देखें: सिलसिलतुल अहदीस अस् सहीहह: २/ ३६३, हदीस संख्या: ९२७, उपरोक्त शब्द सुनन अबू दावूद द्वारा वर्णित हैं।

⁽²⁾ सहीह मुस्लिम: २/ ६७१, हदीस संख्या: १०८/ ९७६।

तीसरा पाठः

नैतिक विचलन के कारण

नैतिक विचलन अपनी शैलियों और तरीकों के आधार पर अनेक हैं, व्यक्ति और समाज पर उनका प्रभाव एवं खतरा सामने आने के आधार पर घटता बढ़ता रहता है, दूसरी ओर नैतिक विचलन एक समाज से दूसरे समाज में नैतिक विचलन कारण बनने वाले कारक के आधार पर बदलते रहते हैं, जैसे कि धार्मिक प्रेरणा का कमजोर होना, अक्रीदा (आस्था) का विचलन, सामाजिक विकास और आर्थिक स्थिति, सामाजिक-बौद्धिक आक्रमण का प्रभाव और प्रशिक्षण की स्थिति और अन्य कारक, जिनके नकारात्मक प्रभाव जब-जब बढ़ते हैं विचलन की दर बढ़ती है एवं विभिन्न रूप धारण कर लेती हैं। किसी एक कारक का निर्धारण करना संभव नहीं है जिसके द्वारा मानव नैतिक विचलन के कारणों को समझाया जा सके, बल्कि ये कारक अलग-अलग होते हैं, और अपने प्रभाव में एक-दूसरे से भिन्न होते हैं।

इसलिए ध्यान केवल जीवन के एक पहलू पर नहीं होना चाहिए और अन्य पहलुओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए बल्कि विचलन की ओर ले जाने वाले कारक अलग-अलग होते हैं, उदाहरण के लिए पिता का बेटों की नैतिकता पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “प्रत्येक पैदा होने वाला बच्चा फ़ितरत (प्रकृति) पर पैदा होता है, परंतु उसके माता-पिता उसे यहूदी या नज़रानी अथवा मजूसी बना देते हैं”⁽¹⁾ इसी प्रकार, दोस्तों का भी प्रभाव पड़ता है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “एक व्यक्ति अपने दोस्त के धर्म से प्रभावित होता है, अतः उसे देखना चाहिए कि वह किससे दोस्ती कर रहा है”⁽²⁾

इसलिए, विचलन की घटना की चिंता कई कारकों पर आधारित होनी चाहिए, और विचलन की घटना को खोजने में, समग्र दृष्टिकोण का पालन करना आवश्यक है, इस तौर पर कि इसको आस्था, समाज, मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक पहलुओं के आधार पर समस्त चीज़ों को जो उस समस्या से संबंधित है विचार कर के पढ़ा जाए।

इसी कारण उन विभिन्न कारकों का उल्लेख करना आवश्यक है जो नैतिक विचलन का कारण बनते हैं, क्योंकि कारणों को जानने से उपचार और रोकथाम के उपायों को अपनाना आसान हो जाता है।

इस अध्याय में जिन कारकों का उल्लेख किया जाएगा, वे इस प्रकार हैं:

⁽¹⁾ इसका हवाला पीछे दिया जा चुका है।

⁽²⁾ इसका हवाला पीछे दिया जा चुका है।

- १- धार्मिक प्रेरणा का कमजोर होना।
- २- मनोवैज्ञानिक समन्वय का विकार।
- ३- आर्थिक कारक।
- ४- सामाजिक वातावरण।

पहला: धार्मिक प्रेरणा का कमजोर होना

धार्मिक प्रेरणा का कमजोर होना नैतिक विचलन का एक प्रमुख और शक्तिशाली कारण है, क्योंकि इस अवस्था में मनुष्य को न तो मृत्यु की पीड़ा की परवाह होती है और न ही पुनरुत्थान के दिन की भयावहता की, वह अपनी अभिलाषाओं की बेड़ियों में कैद होता है, ख्वाहिशात (आत्म-इच्छा) उस पर हावी हो जाती है, और विचलन के झोंके उसे प्रभावित करते हैं, जिससे अच्छे और बुरे का माप उसके लिए अर्थहीन हो जाता है, लापरवाही, धारणा की विकृति और नैतिक अराजकता उस पर हावी हो जाती है जो उसके लिए विचलन को सरल बनाते हैं तथा उसे उस ओर ले जाते हैं, जैसा कि निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट है।

विचलन और लापरवाही:

लापरवाही: यह एक भूल है जो व्यक्ति को कम ध्यान देने और कम जाग्रत रहने के कारण हो जाती है और जब कोई व्यक्ति इसका शिकार हो जाता है तो उसकी धार्मिक प्रेरणा कमजोर हो जाती है, धार्मिक प्रेरणा के कमजोर होने से व्यक्ति की इंद्रियां भलाइयां देखने से रुक जाती हैं, मनुष्य सत्य को सुनने और उस भूमिका को समझने में असमर्थ हो जाता है जिसके लिए वह पैदा किया गया है, फिर वह बिल्कुल जानवरों की तरह हो जाता है, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَأَلَلَّتْ عَنْهُمْ بَلْ هُمْ أَصْلٌ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾﴾ [سورة الأعراف: ١٧٩]

अनुवाद: (तथा बहुते से जिन्न एवं मानव को हमने नरक के लिए पैदा किया है, उनके पास दिल हैं जिनसे सोच-विचार नहीं करते, तथा उनकी आँखें हैं जिनसे देखते नहीं, और कान हैं जिनसे सुनते नहीं, वे पशुओं के समान हैं बल्कि उन से भी अधिक कुपथ हैं, यही लोग अचेतना में पड़े हुए हैं)। सूरह आराफ़: १७९।

एक स्थान पर अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴿٧﴾﴾ [سورة الروم: ६-७]

अनुवाद: (अल्लाह ने यह वादा कर लिया है, अल्लाह अपने वादे का उल्लंघन नहीं करता है, किंतु अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। लोग सांसारिक जीवन के बाहरी मामलों को जानते हैं तथा आखिरत की फ़िक्र से लापरवाह होते हैं)। सूरह रूम: ६-७।

अर्थात्, अधिकांश लोग केवल संसार एवं उसके मामलों के बारे में ही जानते हैं, वे लोग इस दुनिया को हासिल करने और इसे कमाने के तरीकों के विशेषज्ञ हैं, लेकिन वे धर्म के मामलों से बेखबर हैं और इससे उन्हें परलोक में क्या फायदा होगा इस से लापरवाह हैं, उनके इसी कार्य एवं तरीका के कारण शैतान उनका साथी बन जाता है, जैसा कि सर्वशक्तिमान अल्लाह कहता है:

﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِصْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ [سورة الزخرف: ३६]

अनुवाद: (तथा जो रहमान (अल्लाह) की याद से लापरवाह हो जाता है उसके साथ हम एक शैतान लगा देते हैं, अतः वह उसका साथी बन जाता है)। सूरह जुःरुफ़: ३६।

अर्थात् जो मार्गदर्शन के मार्ग की ओर ध्यान न दे, हम उसके लिए ऐसे शैतान नियुक्त कर देते हैं जो उसे नरक के मार्ग की ओर ले जाते हैं।

जो कारण किसी व्यक्ति को लापरवाही की ओर ले जाते हैं उनमें "अतिशयोक्ति और अनुमेय चीजों की प्रचुरता शामिल है, जिसके कारण वह लापरवाह हो जाता है और उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं, इसलिए वह पाप करता है, लापरवाह लोग नैतिक बुराइयां करने से घबराते नहीं हैं क्योंकि लापरवाही उन पर छाई रहती है, तो आप उन्हें इच्छाओं की तलाश करते, उसी में मस्त और मगन रहते हुए देखेंगे। यह सब बातें धार्मिक भावना की कमजोरी या हृदय से उसके खत्म होने के कारण हैं। धर्म में खराबी या तो बातिल अक्रीदा (व्यर्थ आस्था) एवं उसकी बात करने से होती है, अथवा अक्रीदा के विपरीत कार्यों में होती है, पहली बात बिद्अत (नवीनता) है और दूसरी बात अमल का फ़िस्क़ (कार्यों का पाखण्ड) है, पहली बात शुबुहात (संदेह) के प्रकार से है और दूसरी ख्वाहिशात (इच्छाओं) के प्रकार से है। इस्लामी प्रशिक्षण की भूमिका अक्रीदा के गलत तरीके को सही करना है जो प्रशिक्षुओं को सीधे नैतिक मार्ग पर लाता है, क्योंकि जब लोगों के दिलों में शुद्ध धर्म और शुद्ध विश्वास नहीं होता है, तो बुराई और भ्रष्टाचार फैलता है, नैतिक मूल्यों का पतन होता है, घर, मदरसे, स्कूल और सामाजिक संस्थानों में धोखाधड़ी फैल जाती है, ईमानदारी, विश्वसनीयता, लज्जा और विनम्रता बाकी नहीं रह जाती है, और इसका कारण यह है कि उन्होंने सबसे बड़ा मूल्य खो दिया होता है जोकि अल्लाह के रास्ते और संविधान को पूरी तरह से पकड़ना था और न केवल मौखिक रूप से बल्कि व्यावहारिक रूप से भी इससे जुड़ जाना था।

विचलन और चिंता:

हृदय की चिंताओं और धार्मिक प्रेरणा के कमजोर होने के बीच बहुत गहरा संबंध है, यहां तक कि विचारों के रोग जो व्यक्ति को नैतिक विचलन की ओर ले जाते हैं, जैसे कि साइकोपैथ (Psychopath) नामक रोग, जो बारंबार आदत एवं गंभीर रोग के रूप में प्रकट होता

है, रोगी इसके कारण समाज को हेय दृष्टि से देखता है, और उनके प्रति अपनी शत्रुता प्रदर्शित करता है, क्योंकि रोगी स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता या विफलता और निराशा को सहन नहीं कर सकता, इसलिए वह तत्काल संतुष्टि को विलंबित करने में असहाय हो जाता है तथा वह अपनी इच्छाओं और जरूरतों को शीघ्रता से पूरा करने का प्रयास करता है।

जो व्यक्ति नैतिक विचलन की ओर ले जाने वाले मानसिक रोगों के लक्षणों पर विचार करता है, उसे पता चलता है कि ये लक्षण हृदय की संतुष्टि की कमी के कारण होते हैं, जबकि हृदय की संतुष्टि इन प्रभावित करने वाले कारकों से प्रतिस्पर्धा करने का अवसर देती है। ये बातें दिल की शांति एवं सुकून के साधनों से कम संबंध होने के कारण उत्पन्न होती हैं, जबकि दिल की शांति अल्लाह पर ईमान की ताकत से प्राप्त होती है, तो इसके बाद किसी भी नुकसान और जुल्म का डर नहीं रहता।

इसलिए, जीवन में कुछ ऐसे मौके आते हैं जिनका सामना कोई भी इंसान तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह अल्लाह पर भरोसा करने वाला और उसकी सुरक्षा में विश्वास रखने वाला न हो। मनुष्य को कितनी ही शक्ति एवं दृढ़ता और मजबूती दे दी जाए किंतु जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जो हर किसी को झकझोर देते हैं, उस समय केवल वही लोग जम पाते हैं जिन्हें अल्लाह पर भरोसा होता है, अल्लाह कहता है:

﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [سورة الرعد: २८]

अनुवाद: (जो लोग ईमान वाले होते हैं तथा उनके दिलों को अल्लाह की याद से शांति प्राप्त होती है, आगाह रहो कि अल्लाह की याद से ही दिलों को शांति प्राप्त होती है)। सूरह रअद: २८।

एक स्थान पर सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन है:

﴿فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَحْسًا وَلَا رَهَقًا﴾ [سورة الجن: १३]

अनुवाद: (जो अपने रब पर ईमान रखेगा उसे न किसी हानि का भय होगा और न अत्याचार का)। सूरह जिन्न: १३।

विचलन और धारणा विकार:

कुछ लोग जिनके धर्म के बारे में विचार भ्रष्ट हो गए हैं, वे सोचते हैं कि धर्म केवल शब्दों का नाम है, कार्यों का नहीं, या ऐसे कार्य हैं जिन्हें वे जब चाहें, जैसे चाहें कर सकते हैं, उन लोगों को उनके विचलन एवं धारणा विकार बुराई में पड़ जाने की ओर ले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिलों पर नैतिक नियंत्रण खो दिया होता है, यदि वो अपने दिल एवं निगाहों, अवधारणाओं

और विचारों के संबंध में जाग्रत रहते एवं अपनी अवधारणाएं सही कर लेते तो उनका आचरण सही हो जाते, चुनाँचे जाहिलय्यत युग लड़कियों को जीवित दफनाना, शराब पीना और व्यभिचार के आम होने जैसी नैतिक बुराइयों से भरा था, लेकिन जब वो अल्लाह पर ईमान ले आए तथा उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि अल्लाह के सिवा कोई अन्य सत्य पूज्य नहीं है, तो सब कुछ बदल गया, वह मार्गभ्रमित होने के बाद मार्गदर्शित हो गए, नीचता के बाद उच्च हो गए, उनके आचरण बिगड़ने के बाद अच्छे हो गए, तंगी के बाद उनके लिए उदारता के द्वार खुल गए, अहंवाद उनसे दूर हो गई, अत्याचार के स्थान पर भाईचारा आ गया, यह सब तब हुआ जब उनकी उपासना संबंधी मान्यताएँ व धारणाएँ सही हो गईं, विचलन समाप्त हो गया और उसका स्थान नैतिक सद्गुणों व खूबियों ने ले लिया।

विचलन ज़मीनी जाँच के आलोक में:

मिस्र में किए गए एक अध्ययन ने विचलन को धार्मिक प्रेरणा के कमजोर होने से जोड़ा, जहां यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि धार्मिक भावना का कमजोर होना नैतिक विचलन का एक महत्वपूर्ण कारण है, रिपोर्ट यह साबित करती है कि:

१- जिन छोटे बच्चों पर चोरी का आरोप है और वे नमाज नहीं पढ़ते, उनकी संख्या ७१.८% है।

२- ऐसे छोटे बच्चे जिन पर चोरी का आरोप है और वे रोज़ा नहीं रखते, उनकी संख्या ३.५% है।

३- एक अन्य अध्ययन में, यह पाया गया कि अलेक्जेंड्रिया जुवेनाइल कोर्ट में पेश किए गए सभी किशोर अपराधी अक़ीदा पर एक फ़िक्र के समान ईमान रखते हैं किंतु उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो फ़रायज़ (कर्तव्यों) को पूर्णरूपेण अदा करता हो, और ये आंकड़े स्पष्ट प्रमाण हैं कि विचलन और धार्मिक प्रेरणा के कमजोर होने के बीच कितना घनिष्ठ संबंध है।

दुनिया के जो हिस्से तकनीकी रूप से अधिक उन्नत हैं, उनके समाज में गंभीर बौद्धिक समस्याएं हैं, जैसे भौतिक गरीबी, बौद्धिक हाशिए पर होना, अलगाव, नैतिक भ्रष्टाचार और उत्पीड़न, और ये सभी समस्याएं अपने सभी रूपों में बड़े शहरों में मौजूद हैं।

ये सभी विचलन धार्मिक प्रेरणा के अभाव में स्वयं प्रकट हुए हैं, और लोगों ने ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया है मानो उनकी नैतिकता का एकमात्र मानदंड उनकी इच्छाओं और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

दूसरा: मनोरोग समन्वय विकार

नफ़्स अर्थात आत्मा अपने सार की दृष्टि से एक है और अवस्था की दृष्टि से तीन है, मुत्मइन्नह अर्थात संतुष्ट, अम्मारह बिस्सूइ अर्थात बुराई का आदेश देने वाला तथा लव्वामह अर्थात गलत कार्य करने पर मलामत करने वाला, आत्मा जब अल्लाह की ओर झुकती है, उसकी याद से संतुष्ट होती है, उसकी ओर ध्यानमग्न होती है, उससे मिलन की इच्छा रखती है और उसकी निकटता से संतोष प्राप्त करती हो, तो यह मुत्मइन्नह अर्थात संतुष्ट आत्मा है, यदि यह इसके विपरीत है, तो यह अम्मारह बिस्सूइ अर्थात बुराई का आदेश देने वाली है, यह व्यक्ति को उसकी इच्छाओं की पूर्ती का आदेश देती है, जैसे गुमराही की इच्छा, बातिल का अनुसरण करना तथा आत्मा हर प्रकार की बुराई का केंद्र बन जाता है, तीसरी अवस्था में यह लव्वामह है, यह मोमिन की स्थिति है, इसके कारण मोमिन (आस्तिक) अपनी सभी स्थितियों के लिए स्वयं को दोषी मानता है, अपने हर कार्य के लिए स्वयं में दोष ढूंढता है, इसलिए वह पश्चाताप करता है, स्वयं को दोषी मानता है, अपने नफ़्स की मलामत करता है, परन्तु पापी तो बढ़ता ही जाता है तथा अपने नफ़्स की मलामत नहीं करता।

अल्लाह तआला ने हृदय रोग एवं उसके उपचार का उल्लेख अपनी किताब एवं अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तरीके में विभिन्न अवसरों पर किया है, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन है:

﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ [سورة البقرة: १०]

अनुवाद: (उनके दिलों में निफ़ाक़ (पाखण्ड) का रोग है तो अल्लाह तआला ने उनके रोग को और बढ़ा दिया तथा उनको क़यामत की कष्टदायक यातना मिलेगी इस कारण से कि झूठे ईमान का प्रदर्शन करते हैं)। सूरह बक्ररह: १०।

एक स्थान पर अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ﴾ [سورة المائدة: ५२]

अनुवाद: (इसलिए आप उन लोगों को जिनके दिलों में निफ़ाक़ का रोग देख रहे हैं कि उनमें मिल जाने के लिए जल्दी कर रहे हैं, कहते हैं डर है कि हमें कोई कष्ट न घेर ले)। सूरह माइदा: ५२।

एक अन्य स्थान पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़रमाता है:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة يونس: ٥٧]

अनुवाद: (हे लोगो! तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से नसीहत एवं उन बीमारियों का इलाज आ गया जो सीनों में होती हैं, और मोमिनों के लिए हिदायत व रहमत आ गई)। सूरह यूनस: ५७।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “यदि मालूम न हो तो सवाल किया करो क्योंकि न जानने का इलाज सवाल करना है”।

मनोवैज्ञानिक समन्वय के विकारों को हृदय के रोगों में माना जाता है, जो नैतिक विचलन का कारण बनते हैं और यह दो प्रकार के होते हैं:

- इंद्रिय का विकार।
- प्राकृतिक गति एवं उससे संबंधित इच्छाशक्ति का क्षीण होना।

इनमें से प्रत्येक का अभाव दुःख का कारण बनता है, आनंद का कारण दुःख की अनुभूति है, और दुःख का कारण अतीत की अनुभूति है, हृदय की बीमारी दृष्टि की कमजोरी और क्षितिज की संकीर्णता का कारण बनती है, क्योंकि इंद्रिय इच्छाओं और उसके सांसारिक विशेष स्वार्थों का परिणाम यह होता है कि मनुष्य की दृष्टि अंधी हो जाती है, या उसको रतौंधी हो जाती है, या उसकी आँखों पर परदा डाल देती है, इस कारण मनुष्य सत्य को झूठ समझता है और वह झूठ को सत्य मानता है, या चीजें उसके लिए भ्रमित हो जाती हैं, और चीजों की छवि उसके लिए संदिग्ध हो जाती है, और यह परदा की मोटाई के आधार पर होता है, फिर वे उसके लिए मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी का कारण बनते हैं, जिसकी तीव्रता उस परदा के आधार पर होती है जो उसकी दृष्टि को छुपा देती है।

मनोवैज्ञानिक विकार:

कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बौद्धिक रूप से परेशान होते हैं, लेकिन उनकी नैतिकता असामंजस्य की उस स्थिति तक पहुंच जाती है, जहां तक कई बौद्धिक रूप से परेशान लोग नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए आप कुछ लोगों को विभिन्न प्रकार की नैतिक आदतों का प्रदर्शन करते हुए देखेंगे जो उच्च नैतिकता के अनुरूप हैं, तथा सही प्रकृति के लोगों को इंगित करती हैं, इन नैतिक विचलनों और विकारों में नशीली दवाओं की लत, आदत और यौन अराजकता शामिल हैं।

इसकी अभिव्यक्तियों में दुर्घटनाओं के समय भय और चिंता, भोजन से परहेज और बेचैनी, अत्यधिक शर्म, त्वरित क्रोध, अवज्ञा, जिद्दीपन और इच्छाओं के प्रति त्वरित समर्पण,

अत्यधिक अहंकार, विद्रोही प्रवृत्ति, जागते हुए सपने देखना, झूठ बोलना, चोरी करना आदि शामिल हैं, इसके अलावा अन्य मनोवैज्ञानिक चिंता की अभिव्यक्तियाँ हैं, जब इन विकारों का इलाज नहीं किया जाता है, तो यह उनकी नैतिक स्थिति के लिए बहुत हानिकारक साबित होता है।

मनोवैज्ञानिक अनुकूलता:

अनुकूलता का तात्पर्य उस सामाजिक वातावरण से जुड़ा और संगत होना है जो व्यक्ति को घेरे हुआ होता है, जबकि व्यक्ति अपने आस-पास के लोगों के साथ परस्पर जोड़ने वाले सामाजिक संबंध बना सकता है, और उसके लिए समाज तथा वातावरण की परेशानियों का जो उसके सामने आए सामना सफलतापूर्वक सामना करना संभव हो, तथा एक मुसलमान आदमी के लिए जो सामाजिक रिश्ते वह बनाता है, वे इस्लामी नैतिकता के आलोक में निर्धारित होते हैं।

इसलिए, मनोवैज्ञानिक समन्वय एक सतत प्रक्रिया है जो नैतिक और सामाजिक वातावरण को बदलती रहती है, जब तक कि इस्लामी सिद्धांतों के प्रकाश में व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच संतुलन नहीं बनाया जाता है।

अतः सकारात्मक मनोवैज्ञानिक समन्वय, व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक समन्वय की मांग करता है, यहाँ तक कि आदमी इसके द्वारा संतुलित एवं उपयुक्त आंतरिक स्थिति प्राप्त करता है जो उसे अपने आप में, समाज और पेशे में संतुष्टि दे, और जब मनुष्य अपने आको तीन दायरों व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक, तीन क्षेत्रों में खुद को सही तरीकों से सामंजस्य नहीं बना पाता है, तो वह इस समन्वय को गैर-स्पष्ट तरीकों से पैदा करने की कोशिश करता है, वह अपने दृष्टिकोण से देखता है कि वह इनके माध्यम से सद्भाव, संतुष्टि और मनोवैज्ञानिक आराम प्राप्त कर सकता है, ये अदृश्य तरीके जो मनोवैज्ञानिक आदतों के विद्वानों द्वारा मनोवैज्ञानिक रक्षा युक्तियाँ कहा जाता है, यह वे संसाधन और तरीके हैं जिन्हें एक व्यक्ति अपना सकता है, उनका उद्देश्य वास्तविकता को विकृत करना और औचित्य पैदा करना है, यहाँ तक कि व्यक्ति चिंता की स्थिति से मुक्त हो जाए, और यह स्थिति उन असफलताओं और संघर्षों से उत्पन्न होती है जो उसके मनोवैज्ञानिक संतुष्टि के लिए चुनौतियाँ बनती हैं, उनका उद्देश्य स्वयं को बचाना, उसकी रक्षा करना, आत्मविश्वास को बरकरार रखना, अपने अस्तित्व का सम्मान करना एवं मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त करना है, जिसका वर्णन हम बाद में करेंगे।

इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी व्यक्ति के पास या तो सकारात्मक मनोवैज्ञानिक समन्वय होता है या नकारात्मक मनोवैज्ञानिक समन्वय होता है, जो न तो उचित है और न ही स्वीकार्य है, इसीलिए जब किसी व्यक्ति को किसी समस्या या धन जैसी व्यक्तिगत आवश्यकता का सामना करना पड़ता है, ताकि इसके द्वारा वह अपनी इच्छाओं को पूरी कर सके, तो उसे

विश्वास हो जाता है कि सहन करने, धैर्य रखने और आय का एक बड़ा हिस्सा प्रस्तुत करने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है वह धन संचित करता है ताकि एक अच्छी रक जमा हो जाए जिसके माध्यम से वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, यदि यह बात उसके लिए संभव नहीं हो, तो वह अल्लाह के विभाजन पर सतोष करता है, और इस बात को अपने सामने रखता है कि हो सकता है अल्लाह इसके बाद उसके लिए कोई मार्ग पैदा कर दे, फिर वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त अवसरों की तलाश करता है, इस व्यक्ति को उचित समन्वय हासिल है, क्योंकि आम सहमति तब तक उचित नहीं होती है जब तक कि व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान नहीं पेश करता है जो सभी संभावित हस्तक्षेप एवं संशोधनों की रियायत पर आधारित हो, उसके हस्तक्षेप से सामने आने वाले परिणामों का अंदाज़ा लगा लेखकः, फिर ऐसा कदम उठाए जो इस्लामी सिद्धांतों से टकराता न हों, और जब व्यक्ति अपनी समस्याओं का ऐसा समाधान खोजने में विफल हो जाता है जो उसकी योग्यता और क्षमता के विरुद्ध हो ऐसे तरीके और रास्ते (रक्षात्मक रणनीति) अपनाता है जो वास्तविकता को विकृत करते हैं, और जब कोई व्यक्ति उन्हें अपनाता है, तो वह निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है:

- व्यक्ति चिंता की स्थिति तथा जो उसके साथ पाप की भावना रहती है, उससे बचे।
- मनुष्य अपने नफ्स (आत्मा) की अपनी ज्ञात (अस्तित्व) के अनुसार रक्षा करे।
- वह अपनी कामनाओं एवं आनंद को रक्षात्मक युक्तियों की छाया में पूरा करे।

रक्षात्मक युक्तियां:

मनुष्य का ऐसे धोखा देने वाले तरीकों को अपनाना है कि जब वह ऐसी मनोवैज्ञानिक समस्या से पीड़ित होता है जिसे वह हल नहीं कर पाता हो, वह अपने आप को पाता है कि वह गलत रास्ते पर चल रहा है, तो वह अपने आपको धोखा देने वाली एवं भ्रामक तरीकों के द्वारा प्रसन्न करता है।

इन धोखा देने वाली युक्तियों में से ये हैं:

जब व्यक्ति को लगता है कि उसका कार्य आवश्यक मामला के विपरीत है, तो वह कमजोर और भ्रामक कारकों के माध्यम से अपने विचलित व्यवहार को उचित ठहराता है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

१- जायज़ ठहराना:

जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहता है, या कर्तव्य के पालन में कोताही करता है, या उच्च नैतिकता के दायरे से हट जाता है, तो तो दुष्ट आचरण करने लगता

है, और वह अपने आत्मा से आंतरिक या सामाजिक मलामत को दूर करने के लिए ऐसे काम करके खराब नैतिकता को सही ठहराता है जिसमें उसे तुच्छ बहाने मिलते हैं, यह एक ऐसा बहाना है जिसमें आदमी अपने बुरे व्यवहार को उचित ठहरा लेता है।

इसका एक उदाहरण यह है कि जो व्यक्ति अपने उस काम को पूरा समय नहीं देता जिसके लिए उसे वेतन मिलता है, तो वह अपने दिल को खुश करने के लिए बहाने बनाता है, जैसे कि प्रबंधन उसके और उसके सहकर्मियों के बीच न्याय नहीं करता है, या काम के आधार पर वेतन कम है, इसके अलावा अन्य जायज़ ठहराने वाली चीज़ें जिसमें वह अपने आप के लिए ऐसा बहाना ढूंढ लेता है जो उसके दिल को संतुष्ट कर दे।

२- पल्ला झाड़ना:

इससे अभिप्राय यह है कि व्यक्ति अपने अंदर मौजूद कुछ अप्रिय अवगुणों को अपने अलावा दूसरे लोगों से संबद्ध करे, और उसको बढ़ा कर पेश करे।

इसलिए, जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जो उसे नैतिकता के विरुद्ध लगता है, तो वह इसका दोष दूसरों पर लगाता है, या जब वह किसी मामले में असफल होता है, तो वह इसका दोष दूसरों पर लगाता है, जैसे कि एक छात्र कहता है: मैं असफल हो गया क्योंकि प्रश्न कठिन था, या कोई यह कह रहा हो कि आवश्यकता ने मुझे यह काम करने या छोड़ने पर मजबूर किया, या ऐसे व्यक्ति ने इसे मेरे सामने अच्छा दिखाया या धोखा दिया।

३- नकल करना:

यह पल्ला झाड़ना का विलोम है, क्योंकि मनुष्य इस स्थिति में दूसरों की कुछ विशेषताओं को अपनाना है, अतः वह दूसरों के गुणों को रूपक (इस्तिआरह) के तौर पर लेता है, तथा स्वयं से संबद्ध कर लेता है तथा अपने आपको दूसरों के तरीकों पर जो उन गुणों से विशेषित हों लाने का प्रयास करता है।

अर्थात् मनुष्य एक दूसरे मनुष्य अथवा समूह जिसमें वे प्रिय गुण पाए जाते हों जो पापी मनुष्य में नहीं पाई जाती हों शामिल हो जाता है, यह अपने सभी रूपों में समन्वय का गलत तरीका है तथा समन्वय का की खराबी का एक रूप है, तथा यह अनेक उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट है, जैसे कि कोई व्यक्ति मुसीबत में होने पर सरकारी अधिकारी का रूप धारण करता है, या खुद को एक पार्टी के नेता के रूप पेश करता है जबकि वह इसका हकदार नहीं है।

४- नकारात्मकता:

यह एक प्रतिरोध प्रक्रिया है, कभी सकारात्मक भी हो सकता है और कभी-कभी नकारात्मक भी, सकारात्मक तब होता है जब कोई व्यक्ति उससे जो मांग की जाती है उसके

विपरीत करता है, नकारात्मक तब होता है जब वह अपेक्षा से बचता है अतः जिम्मेदारियों एवं दबावों का मुकाबला करना है जहाँ एक व्यक्ति जिसकी उससे मांग की जाती है उसके विपरीत करे अथवा उसके करने से बचे, तथा इसके उदाहरण हैं चुप्पी, टकराव, अवज्ञा, विद्रोह और अस्वीकृति, इसीलिए जब आप किसी व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति को आपको कुछ सामान उधार देने की सिफारिश करने के लिए कहते हैं, लेकिन वह व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो यह एक नकारात्मक कार्य है, और जब बीच वाला व्यक्ति ऋणदाता के सामने ऋणी की स्थिति को बिगाड़ कर प्रस्तुत करे तथा उसे ऋण न देने के लिए कहे तो यहाँ जिस चीज की मांग उससे की गई थी उसने उसके विपरीत कार्य किया।

इन दोनों स्वभावों से पता चलता है कि वह किस मनोवैज्ञानिक बीमारी से गुजर रहा है, इसका कारण उधारकर्ता के प्रति उसकी नाराजगी, ईर्ष्या या कोई अन्य नैतिक विचलन हो सकता है।

५- उद्वेगता:

रक्षात्मक पैतरेबाजी कभी-कभी अवज्ञा का रूप ले लेती है, यह एक ऐसा छल है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर से किया जाए, यह कारण देते हुए कि यह व्यक्ति इसके पीछे कारण है, एवं इसको रोकने का जिम्मेदार है, यह बहाना, छल, प्रचार, अपमान अथवा व्यंग्य के रूप में प्रकट होता है। ये सभी नैतिक विचलन के रूप हैं जिनका इलाज इसके सिवा कुछ नहीं कि दुःख दूर करने वाले को ढूँढा जाए।

६- विमुखता:

संक्षिप्त रूप में यह व्यवहार और अनुरूपता के असफल स्तर पर लौटने और वापस होने के अर्थ में है, विशेष रूप से जब व्यक्ति को किसी ऐसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है जिसका सामना मनुष्य नहीं कर सकता, जैसेकि एक वयस्क किशोर के मार्ग का अनुसरण करता है, तो वह एक चाल के रूप में अपरिपक्व चरण का सहारा लेता है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति अपनी विभिन्न योग्यताओं एवं परिवेश के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाता, वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गलत तरीके से नैतिक विचलन करने लगता है।

इसमें वह युक्तियों और चालों का सहारा लेता है जिससे वह अपनी इच्छाओं और आनंदों को पूरा कर सके।

रक्षात्मक युक्तियों का उद्देश्य:

१- नफ्स -ए- लव्वामह के प्रभाव से व्यक्ति तक पहुंचने वाले मनोवैज्ञानिक कष्टों से बचना।

२- उस आलोचना से बचना जिसका वह सामना करता है या दूसरों से सामना करने की अपेक्षा करता है।

३- उस मनोवैज्ञानिक पीड़ा से बचना जो व्यक्ति को उसकी असफलताओं के कारण होती है।

रक्षात्मक युक्तियों के पाए जाने का कारण:

- विकल्पों की अभिव्यक्ति के दौरान मानव हृदय में पाए जाने वाले मनोवैज्ञानिक द्वंद्व को छिपाना, और यही रक्षात्मक बहाने हैं।

- परिस्थिति का सामना न कर पाने के कारण भाग जाना।

- ऐसे उचित पूर्व अनुभव प्राप्त करने में असफल होना जो इन जोखिमों और विफलताओं का सामना करने और उनसे बचने में मदद करें।

और इसका कारण परिवार, स्कूल और आसपास के लोगों से अच्छे व्यावहारिक प्रशिक्षण की कमजोरी है।

रक्षात्मक बहानों में गिरफ्तार होन की हानि:

यद्यपि ये व्यक्ति को आंतरिक द्वंद्व से छुटकारा दिलाते हैं, लेकिन खतरा यह है कि उनमें पड़ने से व्यक्ति असफल झूठा बन जाता है और दूसरों का सामना करने में असमर्थ हो जाता है।

मनोवैज्ञानिक सामंजस्य की कमी के कारण:

मनोवैज्ञानिक सामंजस्य की कमी के मुख्य कारण जो किसी व्यक्ति को आंतरिक बेचैनी और नैतिक विचलन की ओर ले जाते हैं, वे हैं कामना, अल्लाह के अलावा किसी और के प्रति लगाव, अधिक खाना। उपरोक्त बातों को हम निम्नलिखित पंक्तियों में स्पष्ट करेंगे:

१- अल्लाह के अलावा किसी और के प्रति लगाव:

इब्न अल-क़य्यिम रहिमहुल्लाह कहते हैं: सबसे अपमानजनक लोग वह हैं जो अल्लाह के अलावा किसी और के साथ संबंध स्थापित करते हैं, उनका विनाश होता है, और जो व्यक्ति अल्लाह के अलावा किसी अन्य के संबंध बनाता है उसका उदाहरण उस व्यक्ति के समान है जो गर्मी एवं ठंड में मकड़ी के जाले से छाया प्राप्त करने का प्रयास करता है।

और अल्लाह के अलावा किसी अन्य के प्रति लगाव की अभिव्यक्तियों में से यह है कि धन के प्रति प्रेम और इबादत व उपासना करने की उपेक्षा करके धन की खोज में रहना, या

आदमी ज्योतिषियों, जादूगरों और धोखेबाजों के प्रति लगाव रखना, ये तथा इन जैसे अन्य कार्य मनोवैज्ञानिक अशांति के कारण हैं।

२- कामना करते रहना एं संतोष न करना:

इंसान की आत्मा की खासियत यह है कि उसे कब्जे की चाहत होती है, इस चाहत का नतीजा कभी-कभी चाहत के रूप में सामने आता है, जब इंसान ऐसी कमजोर इच्छाएं शुरू कर देता है, जिन तक अल्लाह तआला द्वारा प्रदान की गई प्रतिभा और सीमित शक्तियों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता है, विशेष रूप से जब उसकी इच्छाएं पहुंच से बाहर हों, अतः वह एक अच्छे महल, एक अच्छी सवारी, एक मुलायम बिस्तर और आधिपत्य की लालसा रखता है, यहां तक कि उसकी इच्छाओं के कारण उसे कुछ बुरी चीज अच्छी और कठिन चीज सरल लगने लगती है, चुनाँचे झूठी इच्छाओं और झूठे विचारों की लहरें उसके साथ खेलती रहती हैं जैसे कुत्ते गंदगी से खेलते हैं और यह हर तिरस्कृत और अपमानित आत्मा की पूंजी है।

इन इच्छाओं के परिणाम स्वरूप मनुष्य विचलन में पड़ जाता है, पाप, कष्ट एवं थकावट में लिप्त हो जाता है।

३- अधिक भोजन करना:

अपव्यय और बहुत अधिक भोग आज्ञाकारिता को बोझिल बना देते हैं और मनुष्य को सदा पेट के भोजन के विचार में ही व्यस्त रखते हैं, जब तक कि वह इसमें सफल नहीं हो जाता, और जब वह इसमें सफल हो जाता है, तो इसको प्रयोग करने की फिक्र उस पर हावी हो जाती है, इसके नुकसान से बचने और इसके बोझ से पीड़ा अनुभव करता है, शैतान की चालों के कारण अभिलाषाओं के साधन जब उस पर हावी हो जाते हैं, तो मनुष्य अच्छे मार्ग से हट कर बुराई के मार्ग पर लग जाता है, उस बैचेन हृदय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो उसको एवं उसकी स्थिति को अच्छे मार्ग से लापरवाह कर देती है, विशेष रूप से तब जब इस्लामी प्रशिक्षण नहीं मिला हो जिसने भोजन की मात्रा को भी स्पष्ट किया है, चुनाँचे अल्लाह के रसूल लस ने फ़रमाया: “आदम की संतान ने पेट से अधिक बुरा बर्तन कोई और नहीं भरा, मनुष्य के लिए वह कुछ कौर ही काफी हो जो उसकी पीठ को सीधी रख सकें, यदि उसको खाना ही है तो एक तिहाई उसके खाने के लिए है, एक तिहाई पानी के लिए एवं एक तिहाई सांस लेने के लिए”।

इसे नैतिक विचलन के कारण के रूप में मनोवैज्ञानिक सामंजस्य की गड़बड़ी से संबंध रखता है, किंतु है और वह है इसका आर्थिक पहलू जिसे अगली चर्चा में स्पष्ट किया जाएगा।

तीसरा: आर्थिक कारक:

आर्थिक पहलू का मानव जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह मानव की दैनिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, पेय, कपड़े, आश्रय और कई अन्य चीजों के खर्चों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आर्थिक दर की अधिकता और कमी का प्रभाव व्यक्ति के आचरण पर पड़ता है।

आर्थिक कारक का प्रभाव केवल वयस्कों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव छोटे बच्चों पर भी पड़ता है, जैसे समृद्धि, या अभाव, और जैसे परित्याग और छूट, शांति की भावना और उसका अभाव।

चर्चा के विषय में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:

- विचलन में योगदान देने वाले आर्थिक कारक तथा निर्धनता एवं समृद्धि के कारक।
- वह प्रभावी चीजें जो यदि निर्धनता एवं समृद्धि के साथ पाई जाएं तो नैतिक विचलन पर उसका प्रभाव स्पष्ट होता है।
- आर्थिक व्यवस्था और विचलन पर उनका प्रभाव और उनमें मानवता के लिए सबसे बड़ा भला।

विचलन में योगदान देने वाले आर्थिक कारक:

पहला: समृद्धि:

विलासिता एवं अनुरक्तता में पड़ने वाला वह होता है जिसको नियामत एवं जीवन की प्रचुरता ने अहंकारी बना दिया हो, तथा नियामत ने उसको उद्वंड बना दिया हो, धार्मिक भावना की कमजोरी के साथ भौतिक विलासिता और बैंक में जमा धन का पाया जाना तथा खेल-कूद के स्थानों का नैतिक विकास की कमजोरी के साथ फैल जाना, इस श्रृंखला की वस्तुओं का प्रबंधन और अधिग्रहण, इच्छाओं की संतुष्टि के लिए भोगी को बुरी आदतों की ओर ले जाता है और भोग की विकृतियों को निम्नलिखित मामलों में व्यक्त करना संभव है।

- सामाजिक विघटन:

नकदी एवं सम्पत्ति का प्रचुर मात्रा में पाया जाना तथा व्यक्ति द्वारा सामाजिक संबंधों और पारिवारिक संबंधों की निरंतर उपेक्षा सामाजिक अराजकता को जन्म देती है, यह अपनी परिभाषा में उच्च नैतिकता से विचलन है, विकसित समाज की प्रकृति है सामाजिक अराजकता तथा इसके कारण नैतिकता एवं प्रशिक्षण पर प्रभाव, व्यक्ति की अपने परिवार से स्वतंत्रता की

भावना और दूसरी ओर उसकी आर्थिक स्थिति का कमजोर होना, जिससे वहाँ अय्याशी एवं बुराई को जन्म देने वाली घटनाएँ फैल जाते हैं।

ये बीमारियाँ किसी भी समाज के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि भोग विलासिता एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामाजिक अव्यवस्था और मानव सामाजिक बंधनों को कमजोर करने वाले सबसे शक्तिशाली और तीव्र कारकों में से एक है, इच्छाओं में लिप्त रहना और निरंतर इच्छा-पूर्ति करते जाना, अभिमान की भावना को नष्ट कर देता है, सम्मान और प्रतिष्ठा की भावना को मार देता है, बुराइयों को उस जीवन की जो गुफा की ओर बढ़ रहा है का एक परिचित हिस्सा बना देता है, अतः वह भौतिक पहलुओं एवं पारिवारिक संबंधों से दूर हट कर अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है।

- खेल-कूद एवं मौज-मस्ती वाला जीवन:

भौतिक विलासिता अक्सर खेल-कूद में समय की बर्बादी का कारण बनती है, और मनुष्य धार्मिक प्रतिबंधों से दूर, भोजन की प्रचुरता और घर के आराम से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को पूरा करता है, जैसाकि वित्तीय विलासिता और खेल-कूद के संसाधनों की उपलब्धता कुछ परिवार के युवाओं को खेल-कूद और मौज-मस्ती के निषिद्ध संसाधनों से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो उनकी नैतिकता को भ्रष्ट करता है, एक लेखक धनवान एवं विलासी महिलाओं के खेल-कूद और मौज-मस्ती का वर्णन अपने इन शब्दों में करता है:

“माँ आने वाले तूफान का स्वागत करती है, ताकि वह अपना अधिकांश समय ताश खेलने, पतियों और पत्नियों के बारे में बात करने और धन और भौतिक चीजों के बारे में बात करने में बिताए”।

- मादक पदार्थ:

वह अमीर व्यक्ति जो इस्लामी नैतिक प्रशिक्षण को खो देता है, वह अपनी सारी संपत्ति अपनी इच्छाओं को पूरी करने में खर्च कर देगा, भले ही वे निषिद्ध हों, जैसे कि मादक पदार्थ और इसी तरह की नशीली चीजें, कतर में खाड़ी देश के भीतर मादक पदार्थों के उपभोग की स्थिति पर एक शोध किया गया है, यह अनुसंधान स्पष्ट करता है कि इसके लिए जिम्मेदार कारक खाड़ी क्षेत्र में हो रहा आर्थिक विकास और इसके कारण होने वाली भौतिक प्रचुरता है।

- अहंकार एवं घमण्ड:

उस व्यक्ति के पास धन की प्रचुरता जो उसके उचित उपयोग की वास्तविकता नहीं जानता हो, उसे सत्य के प्रति उदंडी बना देती है, क्योंकि विलासी व्यक्ति सोचता है कि उसके पास वे सभी वस्तुएँ हैं, जिनकी लोग तलाश करते हैं, यहाँ तक कि वह कभी-कभी वह उसे पाप के मार्ग में खर्च भी कर देता है, तो वह स्वयं और उसके साथ अन्य लोग इस्लाम से विचलित

हो जाते हैं, इसके कारण वह कुछ लोगों को अपमानित करता है, उनके प्रति अहंकार दिखाता है और सुधार चाहने वालों से शत्रुता रखता है, यही कारण है कि दुष्ट लोग हमेशा सुधार के रास्ते में बाधा बनकर खड़े रहते हैं, अल्लाह की ओर दावत एवं निमंत्रण से दूर भागते हैं और उसके विरुद्ध लड़ते हैं, लोगों को इससे रोकते हैं क्योंकि वे रसूलों के निमंत्रण और अपनी विलासितापूर्ण स्थिति जिसे वे छोड़ नहीं सकते के बड़ा अंतर महसूस करते हैं। अल्लाह कहता है:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرِيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِءَ كَافِرُونَ﴾ [سورة

سبأ: ३६]

अनुवाद: (तथा हमने किसी बस्ती में डराने वाला नहीं भेजा मगर वहाँ के विलासी लोगों ने कहा: तुम्हें जो देकर भेजा गया है हम उसका इंकार करते हैं)। सूरह सबा: ३४।

यह क़ारून है जिसको अल्लाह ने इतना खज़ाना एवं धन दिया कि शक्तिशाली लोगों के एक समूह से उसकी चाभियां नहीं उठाई जाती थीं, जब उसकी क्रौम ने उससे कहा कि वह आखिरत का अनुसरण एवं संसार का अपना हिस्सा न भूले, तो उसने कहा: अल्लाह ने मुझे इसलिए दिया है क्योंकि वह जानता है कि मैं इसके योग्य हूँ।

सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन है:

﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ (vii) قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِن الْقُرُونِ مَن هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ [سورة القصص: ७७-७८]

अनुवाद: (तथा खोज कर उस से जो दिया है अल्लाह ने तुझे आखिरत (परलोक) का घर, और मत भूल अपना सांसारिक भाग और उपकार कर जैसे अल्लाह ने तुझ पर उपकार किया है, तथा मत खोज कर धरती में उपद्रव की, निश्चय अल्लाह प्रेम नहीं करता है उपद्रवियों से। उसने कहा: मैं तो उसे दिया गया हूँ बस अपने ज्ञान के कारण, क्या उसे यह ज्ञान नहीं हुआ कि अल्लाह ने विनाश किया है उस से पहले बहुत से समुदायों का जो उस से अधिक थे धन तथा समूह में, और प्रश्न नहीं किया जाता अपने पापों के संबंध में अपराधियों से)। सूरह क़सस: ७७-७८।

- भोग विलास एवं अत्याचार:

जो व्यक्ति अल्लाह सर्वशक्तिमान को विलासिता में पहचानता है, यदि उसके पास धन हो तो वह उसे अपने सेवकों पर अत्याचार करने में खर्च करता है, जिससे वह नैतिक अच्छाई से बुराई की ओर भटक जाता है, क्योंकि उत्पीड़न और ऐश्वर्य के बीच संबंध है, उत्पीड़न विलासिता को आवश्यक बनाता है, और विलासिता अत्याचार के प्रमुख कारणों में से एक है, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान का कथन है:

﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ [سورة هود: ١١٦]

अनुवाद: (ऐसा क्यों न हो कि तुम से पहले के समुदायों में यदि ऐसे दानवीर होते जो लोगों को धरती में उपद्रव करने से रोकते, ऐसे थोड़े लोग निकले जिनको हमने उन में से बचा लिया, और अत्याचारी लोग तो उसी विलासिता में पड़े रहे जो उन्हें मिला था और वो लोग मुजरिम थे)। सूरह हूद: ११६।

दूसरा: निर्धनता:

फ़क़ीर (निर्धन) व्यक्ति वह है जो किसी चीज़ का स्वामी न हो, अथवा जो उसके एवं उसके परिवार वालों के लिए पर्याप्त हो उसके आधा से भी कम का मालिक हो, जबकि मिस्कीन वह व्यक्ति है जो उसके एवं उसके परिवार वालों के लिए जो पर्याप्त हो उसके आधा का स्वामी हो, किंतु जो पर्याप्त हो उतना का स्वामी न हो, अर्थात्, दोनों को और अधिक आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि ईमान और मजबूत नैतिकता नहीं हो तो गरीबी का नैतिकता पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गरीब अक्सर अपनी गरीबी और अभाव से प्रभावित होते हैं, और विशेष रूप से जब उसके पड़ोसी समृद्ध हों तो निर्धनता उसे ऐसी आदतों की तरफ ले जाती है जिसको भले एवं अच्छे संस्कारों वाले लोग पसंद नहीं करते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने गरीबी से पनाह मांगी है, जैसा कि हदीस शरीफ में बताया गया है कि, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दुआ करते हुए कहते: “हे अल्लाह! मैं कुफ़्र से, गरीबी से और कब्र की सजा से तेरी शरण चाहता हूँ”, अल्लाह के दूत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की अन्य हदीस में है कि आपने दुआ माँगी: “हे अल्लाह! मैं गरीबी, तंगी और अपमान से तेरी शरण चाहता हूँ और मैं अन्याय करने या अन्याय किये जाने से तेरी शरण चाहता हूँ”।

इसका कारण यह है कि निर्धनता मनुष्य को ऋण लेने को विवश करती है, तथा ऋण आदमी को झूठ बोलने एवं वादा तोड़ने पर विवश करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इससे शरण माँगा करते थे और कहते थे: “हे अल्लाह! मैं पाप से एवं क़र्ज़ से तेरी पनाह चाहता हूँ, तो किसी कहने वाले ने कहा: आप क़र्ज़ से इतनी पनाह क्यों माँगते हैं?

तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: आदमी जब क़र्ज़ लेता है तो जब वह बात करता है तो झूठ बोलता है एवं वादा करता है तो उसका उल्लंघन करता है”।

इसमें कोई संदेह नहीं कि निर्धनता, धन की कमी एवं भौतिक अभाव का व्यक्ति के नैतिक मूल्यों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, यह शैक्षिक, आर्थिक और स्वास्थ्य पहलुओं को प्रभावित करता है, यह नैतिकता के प्रकार एवं इससे विचलन के दर्जा पर प्रभावी होता है, इसे निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है:

- गरीबी और शिक्षा पर इसका प्रभाव:

गरीबी शैक्षिक पहलू को प्रभावित करती है, कम आय वाले पिता या गृहस्थ को अपने परिवार और घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना सारा समय घर से बाहर बिताना पड़ता है, जिसके कारणवश वह अपनी संतान की शिक्षा एवं मार्गदर्शन से दूर हो जाता है, और उन्हें उन चीजों के संपर्क में ला देता है जिनका समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसे अत्यधिक दरिद्रता पिता में गुस्से की तीव्रता और क्रोध की तीव्रता को बढ़ाती है, जिससे वह कठोर एवं क्रूर हो जाता है, इसके अलावा, इसके कारण बच्चे भी आजीविका कमाने में पिता की सहायता करते हैं परिणाम स्वरूप वे शैक्षिक अवसरों से वंचित रह जाते हैं।

इसी प्रकार से घर बौद्धिक चर्चा के लिए उपयुक्त नहीं होता है, ये सभी स्थितियाँ परिवार में शैक्षिक प्रभाव की भूमिका को बाधित करती हैं, और अज्ञानता के द्वार खोलती हैं जिसके माध्यम से वे प्रवेश कर सकें, विचलन के द्वार खुल जाते हैं जो संतानों को नैतिक विचलन का शिकार बनाते हैं।

- गरीबी और आलस्य:

कुछ समाजों में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते हैं, इसका असर लोगों की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, डॉ. अब्दुल हमीद सैयिद मंसूर ने इसकी ओर इशारा किया है: “विकासशील देशों में श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में गिरावट आना, बेकारी का फैल जाना, सामाजिक अलगाव, संदेह एवं मांगने जैसे अपराधों को बढ़ा रहा है, साथ ही अश्लीलता और यौन अपराध भी बढ़ा रहा है, यह आचरण परिवार की गरीबी और उसकी जरूरतों को पूरा करने की इच्छा का परिणाम होते हैं, अतः आप परिवार को अवैध आय अर्जित करने का साधन अपनाते हुए पाएंगे, जैसे कि बहुतेरे लोग यह समझते हैं कि गरीबी और कमजोर अर्थव्यवस्था एवं खराब कामकाजी परिस्थितियाँ नशीली दवाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करती हैं तथा इसको बेचना भौतिक अभाव को पूरा करने के लिए एक साधन के रूप में है जो बेकारी का कारण उत्पन्न होती है।

जहां तक परिवार के मुखिया के अपराधों और अल्प आयु के लड़कों के अपराधों के बीच संबंध का सवाल है, तो इसका आधार इस बात पर है कि परिवार के मुखिया का निलंबन उनके लिए पर्याप्त आर्थिक मानक प्रदान करने के उनके काम को कमजोर करना है, जिसके कारण परिवार में उसकी आर्थिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में बाधा उत्पन्न होती है, और पिता एवं परिवार के कमाने वाला व्यक्ति का काम न करने कारण माताओं और बेटों को आजीविका की तलाश में निकलने का कारण बनता है।

- गरीबी और किशोरवय लड़के:

कम या कोई आय नहीं होने के कारण पिता अपने किशोर बेटों को काम करने के लिए मजबूर करते हैं, इसके बावजूद कि कुछ स्थान एवं पेशा जैसे कॉफीहाउस में काम करना कुछ किशोर लड़कों को अपराध की ओर ले जाता है।

कुछ अध्ययनों से पता चला है कि जो बच्चे काम करते हैं और जो काम नहीं करते हैं, उनके बीच अपराध दर दोगुनी से लेकर दस गुना तक होती है, क्योंकि किशोरावस्था में काम में युवाओं की भागीदारी दुष्ट वयस्क लोगों से मेल-जोल का कारण बनता है, तथा इसका कारण किशोरों की अपरिपक्वता और जीवन में उनके अनुभव की कमी होती है।

- मामलों में चापलूसी एवं निर्धनता:

गरीबी कभी-कभी काम करवाने के लिए रिश्तत लेने की ओर ले जाती है, इसी तरह यह मामलों में चापलूसी एवं चाटुकारिता करने की ओर ले जाती है, इब्न अल-जवज़ी रहिमहुल्लाह ने इसकी ओर इशारा किया है, वह कहते हैं कि: हमने एक समूह देखा है जो हाकिमों को धोखा देते हैं, उनमें से कुछ चापलूसी करते हैं, कुछ अनुचित प्रशंसा करते हैं, कुछ बुराई एवं भ्रष्टाचार देख कर भी चुप रहते हैं, इसके अलावा चापलूसी के और भी प्रकार हैं तथा इन सबका कारण निर्धनता।

गरीबी और स्वास्थ्य:

गरीबी स्वास्थ्य के लिए खतरा है, क्योंकि इसके बाद आमतौर पर खराब भोजन और बुरा आश्रय पाया जाता है, यह मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है क्योंकि यह आमतौर पर बोरियत, चिंता और नाराजगी का कारण बनता है, गरीबी एवं कुछ गंभीर बीमारियों के बीच एक संबंध है जैसे एनीमिया। यह विचलन का कारण बनता है, जैसे भोजन और दवा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भीख मांगना।

आर्थिक रूप से विचलन को प्रभावित करने वाले कारकों में योगदान देने वाले कारक:

यहां इन कारकों के बारे में कुछ प्रश्न उठते हैं और वे हैं:

क्या केवल गरीबी या केवल धन या दोनों ही नैतिक विचलन के लिए जिम्मेदार हैं, या क्या कुछ अन्य प्रभावशाली कारक हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर विचलन का कारण बनते हैं?

इसका उत्तर देने के लिए हमें लगता है कि शोधकर्ताओं ने अपने परिवेश में गरीबी और विचलन के बीच संबंध पर शोध किया है, अतः उन्हें लिए गरीबी और विचलन के बीच संबंध कमजोर प्रतीत हुआ, केवल गरीबी ही विचलन का कारण नहीं है क्योंकि अमानत एवं वीरता के कुछ गुण हैं कुछ गरीब युवाओं में पाए जाते हैं, अतः विचलन उन्हें चोरी करने और अवैध धन कमाने के लिए मजबूर नहीं करता है, बल्कि वे लोग विचलन वाले लोगों को बुरा मानते हैं, इसके विपरीत हम कुछ किशोरों को देखते हैं कि वे धन-समृद्धि की छाया में बड़े हो रहे हैं, फिर भी वे विचलन के शिकार हैं, हम इसका उदाहरण या तर्क इससे ले सकते हैं कि ऐसे कई गरीब लोग हैं जिन्हें गरीबी नैतिक विचलन के मार्ग तक नहीं ले जाती है और गरीब मुहिजरीन (शरणार्थियों) का यह समूह लगभग चार सौ का है, मदीना न उनका कोई घर है न रिश्तेदार, उन्होंने अपने आपको अल्लाह के मार्ग में जिहाद के लिए समर्पित कर रखा है, वो लोग उस सरिय्यह (फौजी दस्ता) के भरोसा पर ठहरे हुए थे जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भेजा था, तथा वो सुफ़्फ़ा (चबूतरा) वाले हैं, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन है:

﴿لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [سورة البقرة: २१३]

अनुवाद: (दान उन निर्धनों (कंगालों) के लिए है जो अल्लाह की राह में ऐसे घिर गए हों कि धरती में दौड़ भाग न कर सकते हों, उन्हें अज्ञानी लोग न माँगने के कारण धनी समझते हैं, वो लोगों के पीछे पड़ कर नहीं माँगते, तुम उन्हें उनके लक्षणों से पहचान लोगे, तथा जो भी धन तुम दान करोगे, निस्संदेह अल्लाह उसे भली भांति जानने वाला है)। सूरह बक्ररह: २७३।

यहां आर्थिक पहलू का एक और उदाहरण है, जोकि धन है, अतः अमेरिका दुनिया के सबसे धनी समाजों में से एक है, फिर भी अन्य समाजों की तुलना में यहां अपराध दर अधिक है। जैसाकि विचलन अनुसंधान और आर्थिक कारकों और किशोर अपराध के बीच संबंधों पर जो शोध किया गया है वह विरोधाभासी है, विचलन पर शोध में एक शोधकर्ता ने इस ओर इशारा किया है जब वह कहते हैं कि जो शोध किया गया है वह केवल आर्थिक कारकों और किशोर अपराध के बीच संबंध निर्धारित करने में विरोधाभासी परिणामों पर पहुंचा है, उनका

मानना है कि उन अध्ययन में कार्यप्रणाली की कमी पाई जाती है, क्योंकि ये अध्ययन इन प्रवृत्तियों की जांच और विश्लेषण करने के लिए उच्चतम तरीकों का उपयोग नहीं करते हैं, न ही ये अध्ययन अच्छे स्रोतों का उपयोग करते हैं।

जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है वह यह है कि गरीबी और धन अपने आप में विचलन का कारण नहीं हैं, सिवाय इसके कि जब इसके साथ यह इस्लामी सिद्धांतों पर नैतिक विकास की कमजोरी मिल जाए, तो उसके बाद गरीबी और धन विचलन के एक प्रभावी कारक के रूप में प्रकट होते हैं, क्योंकि आप पाएंगे कि बहुत से अमीर लोग अपने धन की रक्षा करते हैं और इसे केवल वैध स्थानों पर ही खर्च करते हैं, आप पाएंगे कि निर्धन विचलन के बजाय निर्धनता पर सन्न करता है, और मुझे लगता है कि यह धार्मिक विकास और धार्मिक प्रेरणा के कारण होता है, अतः जब धार्मिक प्रेरणा कमजोर हो जाती है या लुप्त हो जाती है, तब धन और गरीबी का प्रभाव विचलन पर पड़ता है। वल्लाहु आलम (अल्लाह अधिक बेहतर जानता है)।

आर्थिक व्यवस्था और विचलन पर इसका प्रभाव:

आज विश्व में तीन प्रणालियाँ प्रचलित हैं, इस्लामी व्यवस्था, पूँजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था, ज़मीनी तथ्य इन आर्थिक व्यवस्थाओं की विफलता को सिद्ध करते हैं, क्योंकि इनसे नैतिक विचलन बढ़ा है, जबकि इस्लामी आर्थिक व्यवस्था यह प्रणाली समाज के लिए सर्वोत्तम समाधान प्रस्तुत करती है, उनमें से कुछ उदाहरण के रूप में जैसे अमीर और गरीब के बीच संबंध खोजना, यह बात सदका (दान), ज़कात और एहसान के अध्याय में स्पष्ट है।

जबकि साम्यवाद का मानना है कि गरीबी को समाप्त करने का एकमात्र तरीका अमीरों को खत्म करना, उनकी संपत्ति को जब्त करना और उन्हें उनकी संपत्ति से वंचित करना है, यह अमीरों को उनकी संपत्ति और तथाकथित पूँजीगत संपत्ति से वंचित करने से भी आगे जाता है भूमि और संसाधनों आदि के साथ युद्ध ने समाज के गरीब वर्गों को अमीरों के खिलाफ भड़का दिया है, उनके दिलों में ईर्ष्या और द्वेष पैदा कर दिया है, उनके दिलों में संघर्ष की आग जला दी है, जब तक उनकी संख्या नहीं बढ़ जाती, तब तक इसका क्या काम है? सामान्य वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहा जाता है, इसका अर्थ यह है कि समाज में नैतिक नींव से विचलन उन बुराइयों को जन्म देता है जो संघर्ष और घृणा को जन्म देती हैं, संपत्ति से प्यार करने की प्रवृत्ति का उन्मूलन, जिसके अभाव से नैतिक विचलन के कारकों का उदय होता है, इसी में से मनोवैज्ञानिक तनाव भी है।

विचलन, अपराध और आर्थिक व्यवस्था के बीच संबंधों पर कई बहसें हुई हैं, कुछ विचारकों का मानना है कि पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था समाज में अपराध की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, ये विचार इतालवी विचारक तोरानी के विचारों में स्पष्ट हैं, लेकिन जिन लोगों ने समाज में अपराध पैदा करने के लिए पूँजीवादी व्यवस्था को सबसे स्पष्ट रूप से दोषी ठहराया

है, वह डच विचारक जंगर है, उदाहरणतः वह कहता है कि: "चोरी करना सीधे तौर पर पूंजीवाद के तहत लोगों को अमीर और गरीब में विभाजित करने से संबंध रखता है"।

जहां तक इस्लामी आर्थिक व्यवस्था का सवाल है तो यह मुस्लिम गरीबों और मुस्लिम अमीरों के बीच के रिश्ते को भाईचारे के रिश्ते के रूप में देखता है, अतः कोई भी धर्म जो अमीर और गरीबों के बीच दुश्मनी, कलह या विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी को आमंत्रित करता है, उसे प्रतिबंधित किया गया है तथा इस्लाम इसे अस्वीकार करता है, और क्यों नहीं जब भाईचारा ईमान का फल और इस्लाम का परिणाम है, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह कहता है:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [سورة الحجرات: १०]

अनुवाद: (मोमिन आपस में एक दूसरे के भाई हैं अतः अपने भाइयों के बीच सुलह करवाओ)। सूरह हुजुरात: १०।

इस्लाम दोनों के बीच संबंध को भाईचारे और सहयोगात्मक रिश्ते के रूप में देखता है, जो भाईचारे, दोस्ती और परोपकार पर आधारित है, ताकि फ़क़ीर की ज़रूरत को पूरा किया जा सके जब तक कि शैतान उसे भटकने के लिए न उकसाए, अल्लाह तआला ने अपने बंदों को खर्च करने का आदेश दिया है, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ﴾ [سورة الحديد: ७]

अनुवाद: (तथा उसमें खर्च करो जिसमें उसने तुमको अमीन बनाया है)। सूरह हदीद: ७।

एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला का कथन है:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفْعَةٌ ۚ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [سورة البقرة: २०६]

अनुवाद: (हे ईमान वालो! हमने तुमको जो प्रदान किया है उसमें से खर्च करो इसके पूर्व कि वह दिन आ जाए जिस दिन न तो क्रय-विक्रय, न मित्रता एवं न ही सिफारिश काम आएगी, तथा काफ़िर लोग ही ज़ालिम हैं)। सूरह बक्रह: २५४।

इस्लाम ने गरीबों की समस्या का समाधान अमीरों द्वारा गरीबों को ज़कात और दान देने के द्वारा किया है, तथा धनवान संबंधियों के ऊपर भरण-पोषण का भार दे कर किया है, तथा उनको उनकी गरीबी का सही समाधान बताया है, जैसे इस्तिग़फ़ार (क्षमा याचना), यह नूह अलैहिस्सलाम के शब्द में अल्लाह तआला के इस कथन में उल्लिखित है:

﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ

وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾ ﴾ [سورة نوح: ٧-١٢]

अनुवाद: (मैंने कहा कि अपने रब से पाप की क्षमा माँगो, वह क्षमा करने वाला है, वह तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा, तथा तुम्हारे धन एवं संतान में वृद्धि करेगा, तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा एवं तुम्हारे लिए नहर जारी करेगा)। सूरह नूह: ७-१२।

इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि: अर्थात् जब तुम अल्लाह के समक्ष तौबा करोगे, उससे क्षमा याचना करोगे एवं निर्धनों को भोजन कराओगे तो तुम्हारी आजीविका में वृद्धि होगी, इसी प्रकार से इस्लाम अल्लाह के आशीर्वाद एवं अनुग्रह से आशा की भावना उत्पन्न करता है।

अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ ﴾ [سورة النور: ३२]

अनुवाद: (यदि वो निर्धन होंगे तो अल्लाह तआला उनको अपनी कृपा से बेनियाज़ (निःस्पृह) कर देगा, अल्लाह व्यापकता वाला एवं सर्वज्ञ है)। सूरह नूर: ३२।

एक अन्य स्थान पर सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कहना है:

﴿ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾ ﴾ [سورة الطلاق: ७]

अनुवाद: (अल्लाह तंगी के बाद आसानी उत्पन्न करेगा)। सूरह तलाक़: ७।

जिस प्रकार से ग़रीबी स्थायी नहीं है, बल्कि ख़त्म होने वाली है, जो कभी कम हो जाती है, कभी ग़ायब हो जाती है और ख़त्म हो जाती है, यह धन के कारण नहीं बल्कि तक्रवा (पवित्रता) के कारण होती है, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴿١٣﴾ ﴾ [سورة الحجرات: १३]

अनुवाद: (तुम में सबसे सम्मानित अल्लाह के निकट वह है जो तक्रवा वाला है)। सूरह हुजुरात: १३।

तथा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “कुछ लोग ऐसे हैं जो गंदे बालों वाले हैं जिन्हें द्वार के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, यदि वह अल्लाह पर क़सम खा लें तो अल्लाह उनकी क़सम को पूरा कर देता है”। अमीरों द्वारा धन के उपयोग पर इस्लाम

का मार्गदर्शन ऐसा है कि यह उन्हें फिजूलखर्ची (अपव्यय) और विचलन की ओर ले जाने से रोकता है, अल्लाह कहता है:

﴿يَبْنِيْٓءَادَمَ خُذُوْا زَيْنَتَكُمْۙ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْاۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۳۱﴾

[سورة الأعراف: ३१]

अनुवाद: (फिजूलखर्ची न करो, निस्संदेह अल्लाह फिजूलखर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता है)। सूरह आराफ़: ३१।

एक स्थान पर सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन है:

﴿وَلَا تَبْذَرُوْا تَبَذِّرَآ ۝۱۷ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيْطٰنِۙ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ۝۱۸﴾

[سورة الإسراء: १७ - १८]

अनुवाद: (तथा फिजूलखर्ची न करो, फिजूलखर्ची करने वाले शैतान के बंधु हैं और शैतान अपने रब का बड़ा कृतघ्न है)। सूरह इस्रा: २६-२७।

अल्लाह तआला का एक कथन यह भी है:

﴿وَابْتَغِ فِيمَاۤ اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَۙ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَاۙ وَاحْسَنَ كَمَاۤ اَحْسَنَ اللّٰهُۙ اِلَيْكَۙ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَۙ فِى الْاَرْضِۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ۝۷۷﴾

[سورة القصص: ७७]

अनुवाद: (तथा खोज कर उस से जो दिया है अल्लाह ने तुझे आखिरत (परलोक) का घर, और मत भूल अपना सांसारिक भाग और उपकार कर जैसे अल्लाह ने तुझ पर उपकार किया है, तथा मत खोज कर धरती में उपद्रव की, निश्चय अल्लाह प्रेम नहीं करता है उपद्रवियों से)। सूरह क़सस: ७७।

इससे यह स्पष्ट होता है कि इस्लाम की आर्थिक व्यवस्था अपने आप में एक न्यायपूर्ण व्यवस्था है जो दिलों को जोड़ती है और उनके बीच एक संबंध बनाती है, सही सामाजिक संबंध के माध्यम से एक व्यक्ति स्वेच्छा एवं मर्जी से अदा करता है और इसमें अल्लाह से इनाम की आशा करता है, यह गरीबों को भूख और ज़रूरत के कारण उत्पन्न होने वाले विचलन के लिए बाधा बन कर खड़ा होता है, और अमीरों की विलासिता का भी विरोध करता है, जो विचलन की ओर ले जाता है जैसाकि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका, यदि इस्लामी समाज में अमीर और गरीबों के बीच विचलनपूर्ण व्यवहार पाया जाता है तो यह सही इस्लामी आर्थिक प्रणाली के व्यावहारिक कार्यान्वयन की कमी और इस्लामी प्रशिक्षण पद्धति के कार्यान्वयन में त्रुटि का परिणाम है।

पिछली पंक्तियों से यह स्पष्ट हो गया है कि अमीर और गरीब लोगों के विचलन का समाधान प्रदान करने के लिए सबसे अच्छी आर्थिक प्रणाली, इस्लामी आर्थिक प्रणाली है। धन-सम्पदा एवं निर्धनता, धार्मिक प्रेरणा के कमजोर होने अथवा न होने, नैतिक विकास की कमी एवं खराब वातावरण की उपस्थिति, ये समस्त नैतिक विचलन का एक मुख्य कारण हैं।

चौथा: सामाजिक वातावरण:

सामाजिक वातावरण की परिभाषा यह है कि इसमें वे सभी चीजें शामिल हैं जो मनुष्य को संवेदी या बौद्धिक रूप से प्रभावित करती हैं और इसका मानव व्यवहार पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

इसके द्वारा मानव को अपनी परिधि में लेने वाली पारिवारिक, कबीलाई, व्यावहारिक समूह या अन्य समूह अभिप्रेत हैं, अथवा इसके सिवा अन्य समूह, और इसके कई सांस्कृतिक और धार्मिक रूप समान तथा भिन्न होते हैं, प्रायः मनुष्य को उनसे रिश्तेदारी, निकटता, कार्य अथवा पढ़ाई में संबंध या पड़ोसी होने के नाते मिलना-जुलना होता है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये लोग मनुष्य को उसके झुकाव और नैतिक प्रथाओं के संदर्भ में प्रभावित करते हैं और इन प्रभावों की स्वीकृति के आधार पर इसका प्रभाव पड़ता है।

दो तरह के लोग मिलते हैं, बुरे दोस्त और अच्छे दोस्त। बुरे लोगों से मिलने से व्यक्ति में फूट और भ्रम, दुख, कमजोरी और एक ऐसा बोझ आ जाता है जिसे बुरे दोस्त सहन नहीं कर पाते, लाभ को नष्ट करने एवं उनके मामलों में व्यस्त होने का कारण बनता है, तथा उसकी सोच उनके लक्ष्यों एवं इरादों में विभाजित हो जाती है, फिर इसमें से अल्लाह एवं आखिरत के घर के लिए क्या शेष रह जाता है?

यहाँ तक कि जब अल्लाह के संबंध में जो कुछ बर्बाद किया गया उस पर पछतावा और दुःख का समय आएगा तो उस पछतावे और दुःख से उसे कोई लाभ नहीं होगा, वहाँ पर ज़ालिम अपने हाथ काट लेगा, और वह चाहेगा कि काश उसने अमूक व्यक्ति को मित्र न बनाया होता, तथा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तरीका को अपनाया होता। सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह फ़रमाता है:

﴿وَيَوْمَ يَعِضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَيْلًا ﴿٢٧﴾ يَوَيْلَ لِيَتَنِي لَمْ أَخَذْ فُلَانًا حَلِيلًا ﴿٢٨﴾﴾ [سورة الفرقان: ٢٧-٢٨]

अनुवाद: (तथा जिस दिन ज़ालिम अपने दोनों हाथों को काट खाएगा और कहेगा कि काश मैंने रसूल का साथ अपनाया होता, काश मैंने अमूक को अपना मित्र न बनाया होता, उसने मुझे नसीहत आने के बाद लापरवाह कर दिया तथा शैतान है ही इंसान को धोखा देने वाला)। सूरह फ़ुक्क़ान: २७-२८।

एक स्थान पर अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾﴾ [سورة الزخرف: ६७]

अनुवाद: (समस्त मित्र उस दिन शत्रु होंगे सिवाय डरने वालों के)। सूरह

एक अन्य स्थान पर सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन है:

﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۖ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كَرَّرْنَا فَتَبَرَّأْنَا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأْنَا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ۝﴾ [البقرة: ١٦٦ - ١٦٧]

अनुवाद: (जब यह दशा होगी कि जिस का अनुसरण किया गया वह अपने अनुयायों से विरक्त हो जायेंगे, और उनके सभी संबंध टूट जाएंगे। तथा जो अनुयायी होंगे वह यह कामना करेंगे कि एक बार और हम संसार में जाते, तो इन से ऐसे ही विरक्त हो जाते जैसे यह हमसे विरक्त हो गए, ऐसे ही अल्लाह उनके कर्मों को उनके लिए संताप बना कर दिखाएगा, और वह अग्नि से निकल नहीं सकेंगे)। सूरह बक्ररह: १६६-१६७।

इसी कारणवश सलफ (सदाचारी पूर्वज) कहा करते थे कि दो तरह के लोगों से सावधान रहो, एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो अपनी चाहत में मुग्ध है, या एक सांसारिक व्यक्ति जिसको दुनियां ने अंधा बना दिया हो, वह कहा करते थे कि दुष्ट विद्वान एवं अज्ञानी उपासक के फित्ना से बचो, इन दोनों का फित्ना प्रत्येक व्यक्ति के लिए परीक्षा होता है।

बुरे मित्र मनुष्य को बुरे कार्यों की ओर ही ले जाते हैं, उसके स्वभाव को बुरे कार्यों की ओर झुका देते हैं और बुरे कार्यों को ही उसके लिए शोभा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, यहाँ तक कि जब वह बुराई में पड़ जाता है और उसका गुलाम बन जाता है, उसका आदी हो जाता है, तब वह दूसरों की दृष्टि में अप्रिय एवं बुद्धिमान लोगों की नज़र में अलग-थलग किया हुआ बन जाता है, बुरे लोग उसका मज़ाक उड़ाते हैं तथा अच्छे लोग उससे सावधान रहते हैं, इसी प्रकार वह व्यक्ति जो अपनी नैतिक पतनशीलता और विकृत विकारों के कारण थकावट और कठिनाई में रहता है, यहाँ निम्नलिखित प्रश्न पूछना आवश्यक है।

इस समय एक मुसलमान क्या करता है? जब आवश्यकता उसे काम और जीवन के कारण बुरे लोगों की संगति में डाल देती है, और उन से प्रभाव न होने के साथ-साथ उनकी बुराई से बचने का क्या उपाय है? उत्तर के लिए हम यह कहते हैं कि यहां स्थिति से निपटने के लिए हिकमत (तत्त्वदर्शिता) तथा ज्ञान की आवश्यकता है, इब्न अल-क़ैयिम रहिमहुल्लाह इसे यह कहकर समझाते हैं:

यदि आवश्यकता उसे उनके साथ बुराई में शामिल होने के लिए मजबूर कर दे तथा उनको अलग करना संभव न हो, तो उसे उनके अनुरूप होने से बचना चाहिए और उनके कष्टों पर धैर्य रखना चाहिए, यदि उसके पास कोई समर्थक और सहायक नहीं हो तो वे लोग निश्चित

रूप से उसे नुकसान पहुंचाएंगे, किंतु उसे कष्ट पहुंचना उसके लिए सम्मान, प्रेम, मोमिनों के आदर एवं अल्लाह तआला तथा उन लोगों की ओर से उस व्यक्ति की प्रशंसा का कारण है।

यदि मेल-मिलाप जायज़ चीज़ों में हो, तो जितना हो सके इस सभा में अल्लाह के आज्ञापालन को प्रबल बनाने का प्रयास करे, अपने आप को प्रोत्साहित करे और अपने दिल को मजबूत करे, यदि भाग्य उसे ऐसा करने से विवश कर दे तो अपने दिल को उनके बीच से वैसे ही निकाल ले जैसे बाल आटा से निकाला जात है, तथा वह उनके विषय में उपस्थित हो कर अनुपस्थित, निकट हो कर दूर, सोता हुआ जाग्रत बन जाए।

जहां तक दूसरे प्रकार के लोगों के साथ घुलने-मिलने का सवाल है तथा वे अच्छे लोग हों, तो यह वांछनीय और प्रिय है, क्योंकि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बल्कि यह ऐसा है जो अच्छाई में योगदान देता है और उसे मजबूत करता है, ये लोग इंसानियत के लिए एक श्रंगार हैं जो हर दिन उसे सजाते हैं, उनकी संगति से उसे बहुत कुछ अच्छा मिलता है, और उसकी संगति से फ़ज़ाइल (गुणों) का प्यार और गुणों का अभ्यास करने की इच्छा जाग्रत होती है, और बुराइयों के प्रति घृणा पैदा होती है, वह उनसे बचता है, फिर उसके स्वभाव और नैतिकता की सुंदरता में वृद्धि होती है, व्यक्ति को ऐसे लोगों के लिए लालसी होना चाहिए क्योंकि वे उस तरह के हैं जैसे कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने इस कथन में वर्णित किया है: “अच्छे एवं बुरे साथी का उदाहरण कस्तूरी बेचने वाले एवं भट्टी फूँकने वाले के समान है, कस्तूरी बेचने वाले से तुम या तो इत्र खरीदोगे अथवा सुगंध पाओगे, जबकि भट्टी फूँकने वाला या तो तुम्हारे वस्त्र जला देगा अथवा तुम उससे दुर्गंध का अनुभव करोगे”।

हालाँकि पर्यावरण का नैतिक विचलन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह ऐसा कारक नहीं है जिससे बचना मुश्किल है, भले ही इसका प्रभाव मजबूत हो, कितने लोग हैं जो कुफ़्र एवं इल्हाद (अविश्वास और नास्तिकता) के बीच रहते हैं, किंतु वे तक्रवा (अल्लाह के भय) की मिसाल हैं, कितने समूह हैं जो अपने घरों में धर्मपरायणता की मिसाल बन कर रहे परंतु बाद में भटक गए और घर के माहौल से प्रभावित नहीं हुए, वे जिस माहौल में रह रहे थे उससे हट गए, तो वो जो कुफ़्र एवं इल्हाद की मिसाल बन गए, ये नूह एवं लूत अलैहिमस्सलाम की पत्नियां हैं जो पैगंबरों के घरों में थीं किंतु सदमार्ग से भटक गईं, दूसरी ओर फिरौन की पत्नी हैं जो कुफ़्र के घर में रहती थीं परंतु उन्होंने सत्य को पहचान लिया तो कुफ़्र से हट कर सीधे मार्ग पर आ गईं, अल्लाह तआला का कथन है:

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [سورة التحريم: १०-११]

अनुवाद: (अल्लाह ने उदाहरण दिया है उनके लिए जो काफिर हो गए नूह की पत्नी तता लूत (अलैहिमस्सलाम) की पत्नी का, जो दोनों विवाह में थीं दो भक्तों के हमारे सदाचारी भक्तों में से, फिर दोनों ने विश्वासघात किया उन से तो दोनों उन के लिए अल्लाह के यहाँ कुछ काम नहीं आए, तथा (दोनों स्त्रियों से) कहा गया कि प्रवेश कर जाओ नरक में प्रवेश करने वालों के साथ। तथा उदाहरण दिया है अल्लाह ने उनके लिए जो ईमान लाए फ़िरऔन की पत्नी का, जब उसने प्रार्थना की: हे मेरे पालनहार! बना दे मेरे लिए अपने पास एक घर स्वर्ग में, तथा मुझे मुक्त कर दे फ़िरऔन तथा उस के कर्म से, और मुझे मुक्त कर दे अत्याचारी जाति से)। सूरह तहरीम: १०-११।

इसका मतलब सामाजिक परिवेश के प्रभाव को नजरअंदाज करना या कम आंकना नहीं है, इसका प्रभाव मानव व्यक्ति की नैतिकता पर सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि संगति समानता को मजबूर करती है, लेकिन इसके प्रभाव से बचने की कोशिश करना मनुष्य की क्षमता में है।

ऐसे कई कारक हैं जो हर नैतिक बुराई के पाए जाने में सामान्य रूप से मौजूद होते हैं, तथा इसका कारण बनते हैं, और उच्चतम नैतिकता से विचलन में बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं।

प्रशिक्षण पालन-पोषण का कमजोर हो जाना:

अच्छे पालन-पोषण को हर अच्छी नैतिकता का फल माना जाता है, जैसे एक बुरा पालन-पोषण हर नैतिक बुराई का आधार होता है, बल्कि एक बुरा पालन-पोषण मनुष्य की आस्था की जड़ों को प्रभावित करता है और उसे उसके स्वभाव से दूर कर देता है: जैसा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “प्रत्येक शिशु फ़ितरत (-ए- इस्लाम) पर पैदा होता है परंतु उसके माता-पिता उसे यहूदी, नसरानी अथवा मजूसी बना देते हैं”।

शैक्षिक पालन-पोषण कई पहलुओं में दिखाई देता है जो व्यक्ति और समाज की नैतिकता पर आधारित हैं, और वे हैं:

व्यावहारिक पहलू:

व्यक्ति के लिए, प्रशिक्षण के शरिया पहलू के ज्ञान का कमजोर होना व्यक्तिगत सुरक्षा को कमजोर करता है जो वंश से अधिक मजबूत है, क्योंकि शरिया ज्ञान वह है जो आत्मा को धर्मपरायणता पर प्रशिक्षित करता है, तथा दृष्टि को दुनिया की नियामतों अथवा कष्टों से परे

देखने वाला बनाता है, इस प्रकार वह अच्छाई का अग्रदूत और बुराई से छिपने वाला और दूर रहने वाला बनाता है।

लोगों के दिलों में शरीयत का ज्ञान के कमजोर होने से ऐसी अज्ञानता पैदा होती है जो मृत दिलों की ओर ले जाती है, फिर वे बुरी चीजों के घाव, पीड़ाओं और बुराईयों पर हरकत नहीं करते, शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिय्यह रहिमहुल्लाह कहते हैं कि: हृदय पूर्ण अज्ञान के कारण मृत हो जाता है तथा अज्ञानता के कुछ प्रकार से रोगी हो जाता है।

शरीयत के ज्ञान के स्थान पर सांसारिक ज्ञान की व्यवस्था दिल और दिमाग में एक दरार पैदा करती है, जिससे मनुष्य आखिरत से दूर केवल उन विद्याओं के बारे में सोचता है जो उसकी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करेंगे, और परिणामस्वरूप वह व्यभिचार करता है, चोरी करता है तथा अन्य अवैध कार्य करता है।

आस्था और उपासना के पहलू:

किसी व्यक्ति के धार्मिक और भक्तिपूर्ण विकास के कमजोर होने से वह आसानी से इच्छाओं और सुखों के पीछे भागने लगता है, जो सुख भटकाव की ओर ले जाते हैं, क्योंकि सहीह अक्रीदा एवं इबादत एक मुस्लिम व्यक्ति में विश्वास, दूर दृष्टि, धैर्य, एवं उच्च साहस को बढ़ावा देती है और बुरी चीजों से दूर रहने को प्रोत्साहित करती हैं, अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنِ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾﴾ [سورة العنكبوت: ٤٥]

अनुवाद: (आप उस पुस्तक को पढ़ें जो वह्य (प्रकाशना) की गई है आप की ओर, तथा स्थापना करें नमाज़ की, वास्तव में नमाज़ रोकती है निर्लज्जता एवं दुराचार से और अल्लाह का स्मरण ही सर्वमहान है, तथा अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो)। सूरह अन्कबूत: ४५।

फ़हशा वह है जिसकी बुराई हर किसी के लिए स्पष्ट हो, और हर समझदार व्यक्ति उसे बुराई मानता हो, यही कारण है कि इसकी व्याख्या व्यभिचार एवं लूट अलैहिस्सलाम के समुदाय के कृत्य (समलैंगिकता) से की गई है, अल्लाह सर्वशक्तिमान ने इसका नाम फ़हशा रखा है ताकि लोग उसकी बुराई से बच सकें, इसी तरह हर उस बुरी चीज़ को फ़हशा कहा जाता है जिसकी बुराई बहुत अधिक हो, जैसे कि बुरी गाली देना, लांछन लगाना इत्यादि, जब बंदा नमाज़ को उस ढंग से अदा करता है जैसाकि अदा करने का आदेश दिया गया है तो यह अश्लीलता से रोकती है, तथा यह बात ज्ञात है कि जो नमाज़ आंतरिक श्रद्धा एवं प्रकट कर्म के साथ अदा करता है, वह अल्लाह से वैसा ही डरता है जैसा डरना चाहिए, अतः वह वाजिब

कार्य को अंजाम देता है तथा महा पापों से बचता है, किंतु जब धार्मिक प्रशिक्षण कमजोर हो जाता है तो मनुष्य नैतिक विचलन एवं उसकी बुराइयों का सामना करता है।

नैतिक पहलू:

इस्लामी सद्गुणों की तुलना में नैतिक विकास का कमजोर होना मनुष्य को इसके विपरीत नैतिक अवगुणों के प्रति बहुत आसानी से आज्ञाकारी बना देता है, क्योंकि वह धैर्य के प्रशिक्षण से परिचित नहीं है, वह अपनी इच्छाओं के प्रति धैर्यवान नहीं होगा, इसी प्रकार वह लज्जा से परिचित नहीं है, अतः वह अपराध करने से नहीं कतराएगा, और वह ईमानदारी और भरोसेमंदता से परिचित नहीं है, अतः वह चोरी करेगा, धोखाधड़ी करेगा एवं शब्द और कर्म में धोखा देगा।

अल्लामा इब्ने हज़म रहिमहुल्लाह कहते हैं: "भाग्यशाली वह व्यक्ति है जिसकी आत्मा गुणों से परिचित है और बुराइयों और पापों से नफरत करती है। अभाग्य वह व्यक्ति है जो बुराइयों और पापों से परिचित है और गुणों और आज्ञाकारिता से नफरत करता है।"

इसी कारणवश कमजोर प्रशिक्षण नैतिक विचलन एवं भ्रष्टाचार के सबसे मजबूत कारणों में से एक है।

सज़ा के पहलू:

सज़ा अपराध को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसमें छूट देना व्यक्ति और समाज के लिए अपनी बुरी इच्छाओं का पालन करने का रास्ता खोलती है, चूँकि समाज ने शरिया दंडों को लागू करना बंद कर दिया है, अतः इसका खामियाजा नैतिक विचलन के रूप में भुगतना शुरू हो गया है, कानूनी बदला की बाधाएँ विचलन के पैमाने से मेल नहीं खातीं, दूसरी ओर उन्होंने अपनी शरिया प्रेरणा खो दी है।

अपराधी को जब कठोर दण्ड नहीं मिलता है जो उसे अपराध से रोके, तो उसके हृदय में बुराई फैल जाती है, और वह पृथ्वी पर उत्पात मचाने की कोशिश करता है, अल्लामा इब्नुल क़ैयिम रहिमहुल्लाह कहते हैं कि: पापियों एवं अपराधियों को दण्ड बिना ऐसे कष्ट के जो उन को रोक दे तथा जो ऐसा करना चाहता है उसके लिए इबरत और शिक्षा बना दे, फिर उनमें से एक का छोटा या बड़ा होना संभव नहीं है।

२- बुरा आदर्श:

एक बुरा आदर्श दूसरों पर बहुत प्रभाव डालता है, क्योंकि यह व्यवहार में विचलन को दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है, और अपनी शैली और ढंग से दूसरों के समक्ष इसको स्पष्ट करता है, तथा ऐसी बातों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है, जो कम अंतर्दृष्टि रखने वाले व्यक्ति को विचलित व्यवहार की ओर ले जाता है।

अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसके महत्व और इसे करने वाले के महत्व को स्पष्ट कर दिया है, और उन लोगों के पाप का बोझ उसी पर डाल दिया है जो उसका पालन करते हैं और उससे प्रभावित होते हैं, अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा: “जो इस्लाम में किसी बुरी प्रथा को रिवाज दे उस पर उस का तथा जो उसके बाद उसका अनुपालन करेगा उनका पाप उसी व्यक्ति के सिर पर होगा, बिना इसके कि अनुपालन करने वाले के पापों में कुछ कमी की जाए”।

बुरा आदर्श स्वयं को बुरे शब्दों और बुरे कार्यों में प्रकट करता है, चाहे सीधे तौर पर, या किसी चित्र, पुस्तक, या किसी अन्य माध्यम से जिसका उपयोग मनुष्य दूसरों को प्रभावित करने और उनके बीच शरारत फैलाने के लिए करता है।

एक बुरा आदर्श नैतिक विचलन को मूर्त रूप देता है, इसीलिए इसका प्रभाव अधिक होता है, विशेषरूप से जब आदर्श के रूप में दिखने वाली आकृति व्यक्ति को पसंद होती है, और वह उसके प्रति झुकाव महसूस करता है, जैसे कि पिता, शिक्षक और दोस्त या अनादर्श व्यक्ति ऐसी विशेषताओं से विशेषित हो जिसमें एक प्रकार की शारीरिक या मानसिक शक्ति विद्यमान होती है, तो अन्य लोग उसे पसंद करेंगे, और विचलन में उसके मार्ग का अनुसरण करेंगे।

अतः किशोरावस्था एवं यौवन की अवस्था में पौरुष शक्ति गुणों की ओर रुझान होता है, इसलिए व्यक्ति का झुकाव उन लोगों की ओर होता है जो पौरुष गुणों से युक्त होते हैं, जब समाज में बुरे आदर्श (अनादर्श) पाए जाते हैं और आदर्श विलुप्त हो जाते हैं, तो युवा लोग अपने बुरे व्यवहार जैसे चोरी, लूटपाट और दंगे और अन्य चीजों में उसका अनुकरण करते हैं, तथा जब समाज में बुरा आदर्श मौजूद नहीं होता है बल्कि अच्छा आदर्श पाया जाता है जो दूसरों की मदद करने, कल्याण के मार्ग में कष्ट एवं दुःख झेलने जैसे अच्छे कार्यों की परवाह करता है वैसे, तो युवा उसकी नकल करते हैं और उसके पद-चिह्न पर चलते हैं, इसी प्रकार से बुढ़ापे में जब उसके साथियों के तरीकों का अनुसरण किया जाता है और उनकी नकल की जाती है, और लोग एक-दूसरे का अनुसरण करने में पक्षियों के झुंड की तरह होते हैं जो एक दूसरे से समानता रखते हैं।

३- विचारधाराओं से प्रभावित होना।

इस्लामी समाज की ओर आने वाले बौद्धिक आवेग नैतिकता के लिए सबसे अधिक हानिकारक हैं, जब ये रंगीन स्क्रीन और लाइव प्रसारण द्वारा रात के अंधेरे टुकड़े के समान फित्ने उठाए होते हैं, तो वे विश्वास के बजाय संदेह के बीज बोते हैं तथा फित्नों को भड़काते हैं, जिसके कारण नैतिकता विचलित होती है और मनुष्य खाई में गिरता चला जाता है, ये बौद्धिक आवेग विभिन्न स्रोतों के माध्यम से सामने आते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

- सीधा प्रसारण:

लाइव टेलीकास्ट को सबसे तेज़ नए संसाधनों में से एक माना जाता है जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया है, तथा अच्छे एवं बुरे सभी प्रकार के लोगों को समान रूप से विभाजित किया है, इसमें फ़साद का हिस्सा अधिक है, अतः इसके माध्यम से वो चीज़ें अधिक प्रसारित होने लगीं जो धर्म को विकृत करने वाली हैं, नैतिक और सामाजिक मूल्यों को तोड़ती हैं और फ़साद व कुप्रथा फैलाती हैं, जैसे काफ़िरों की बुरी आदतें फैलाना और उन्हें रूप में पेश करना, जिसके कारण युवा और जिनके दिल कमजोर हैं, वे फिसल जाते हैं, और उनकी वासना उन पर हावी हो जाती है।

- अनुवाद:

- विचलित विचारों का अरबी भाषा में अनुवाद करने से उन पाठकों पर बहुत प्रभाव पड़ता है जिनके पास ऐसी शरई और बौद्धिक सुरक्षा नहीं है जो उन्हें इन विचारों का पालन करने से रोकती है। उन विचारों का अनुवाद किया जाता है जो महिलाओं को अपने घर से बाहर आने की आज़ादी की मांग करते हैं ताकि वह दुकान, कारखाने, विद्यालय और हर अवसर पर पुरुष के साथ खड़ी हो सकें, और इसका विरोध करे उसके बारे में कहा जाए कि वह पुराने विचारों वाली है, इनमें से कुछ कहानियाँ और उपन्यास के द्वारा अवैध संबंधों को युवाओं के लिए सुशोभित कर के पेश किया जाता है जिन्हें विश्व उपन्यास के रूप में जाना जाता है, उनमें से कुछ पाठक के लिए अपराध के मार्ग का वर्णन करते हैं, कि कैसे उनका उपयोग अपराध के लिए किया जा सकता है और उसे अंजाम दिया जा सकता है, ये अनुवाद मानवीय नैतिकता के लिए बड़ा खतरा पैदा करते हैं।

- काफ़िर देशों की यात्रा:

यात्रियों के लिए काफ़िरों देशों की अनावश्यक रूप से यात्रा करना खतरनाक है, क्योंकि वे निषिद्ध चीज़ों का अवलोकन करते हैं जो उन्हें पाप की ओर ले जाती हैं, फिर वे उसका वर्णन अपने समाज तक में ले आते हैं, कभी-कभी मामला इसके लिए आमंत्रित करने और अपनाने तक पहुँच जाता है, अतः महिला-पुरुष का घुलना-मिलना, पर्दा प्रथा का समाप्त हो जाना, नशीले पदार्थों का प्रसार, इन सभी के इस्लामी समाज में चलन बढ़ने का एक बड़ा कारण काफ़िर देशों की यात्रा है।

आदरणीय शैख अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहिमहुल्लाह से कुछ ऐसे संगठनों के बारे में पूछा गया जो अखबारों में विज्ञापन देते हैं, जिसमें वे मुस्लिम बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में पश्चिमी देशों में अंग्रेजी सीखने के लिए आमंत्रित करते हैं, तो उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि: ऐसे कई लक्षण हैं जो मुसलमानों के प्रति काफ़िरों की दुश्मनी का संकेत देते हैं, तथा अपने उद्देश्य की पूर्ति एवं लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ते हैं, वे मुसलमानों

को चोट पहुंचाने के लिए हर तरह का साधन इस्तेमाल करते हैं, ऐसा करने के कई तरीके हैं, दृश्य एवं छिप्त उनके अपने साधन होते हैं, वर्तमान में स्थापित किए गए यात्रा और पर्यटन संगठन भी इसी प्रयास का हिस्सा हैं, इसमें इस देश के बच्चों का संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में छुट्टियां बिताने के लिए स्वागत किया जाता है, इस उद्देश्य से कि वे अंग्रेजी भाषा सीखें तथा उसके लिए ऐसा प्रोग्राम बनाया गया है जिसमें यात्री का सारा समय शामिल है तथा यह प्रोग्राम कुछ बिंदुओं पर आधारित होती हैं, जोकि इस प्रकार हैं:

- १- छात्र को ठहराने के लिए एवं अनेक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी परिवार का चयन करना।
- २- जिस शहर में वह रह रहा है वहां संगीत समारोह और नाटक कार्यक्रम आयोजित करना।
- ३- नृत्य एवं मनोरंजन के स्थानों पर जाना।
- ४- अंग्रेज लड़कियों के साथ डिस्को डांस की प्रैक्टिस करना।
- ५- एक अंग्रेज शहर में खेल-कूद एवं मौज-मस्ती के स्थानों का इस प्रकार उल्लेख किया गया है: (नाइट क्लब, डिस्को नृत्य, कार्यक्रम, वाद्य और रॉक संगीत, सिनेमा और अंग्रेजी पब)।

इन संगठनों का लक्ष्य कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करना है, जोकि इस प्रकार हैं:

- मुस्लिम युवाओं के भटकाव और गुमराह करने के लिए काम करना।
- नैतिकता को विकृत करना, बुराई में लिप्त करना एवं भ्रष्टाचार के साधनों को उनके हाथों में पहुंचाना।
- मुसलमानों को उनके अक्रीदे एवं मान्यताओं के संबंध में संदेह में डालना।
- पश्चिमी सभ्यता की ओर आकर्षित करना एवं उसका प्रेम मन में डालना।
- उसका कई पश्चिमी आदतों और प्रथाओं को अपनाना।
- धर्म की परवाह न करने और उसके नियम-कायदों पर ध्यान न देने की आदत पड़ जाना।
- मुस्लिम युवाओं को अपने देशों में पश्चिमीकरण का समर्थक बनने के लिए तैयार करना और इस यात्रा से लौटने के बाद पश्चिम के विचारों, आदतों और जीवन के तरीकों का प्रचार-प्रसार करना।

इसके अलावा और भी बहुतरे उद्देश्य हैं जिनको प्राप्त करने के लिए इस्लाम के शत्रु अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग करते हैं, तथा विभिन्न प्रकार के प्रकट एवं छिप्त संसाधनों एवं ढंग अपनाते हैं।

अल्लामा अब्दुल अजीज बिन बाज रहिमुल्लाह ने इस पश्च के उत्तर में कि क्या हुक्म है उस आदमी के लिए जो पढ़ाई के लिए विदेश यात्रा करता है, क्या वह बेहतर भाषा सीखने के लिए वहाँ उनके परिवारों के साथ रह सकता है? उन्होंने कहा: इन परिवारों के साथ रहना जायज़ नहीं है, क्योंकि इसमें छात्र को काफ़िरो और उनकी महिलाओं के प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है, जबकि यह आवश्यक है कि छात्र का निवास प्रलोभन के कारणों से दूर हो, ये समस्त बातें उस समय है जब छात्र को विद्या सीखने के काफ़िर देश की यात्रा के जायज़ होने की बात कही जा रही है, वरना सही बात यह है कि विद्या सीखने के लिए काफ़िरो के देशों की यात्रा करना तभी जायज़ है जब बहुत अधिक आवश्यकता हो, इस शर्त के साथ कि वह ज्ञानी एवं दूर दृष्टि वाला हो तथा फितना को कारणों से दूर रहे।

- सामूहिक सलाह की कमजोरी:

सामूहिक सलाह, अच्छाई और पवित्रता के लिए सहयोग, भलाई का आदेश देने एवं बुराई से रोकने के द्वारा समाज के स्वास्थ्य और सुरक्षा की नींव है।

अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿وَتَعَاوُزُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُزُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾ [سورة المائدة: २]

अनुवाद: (तुम नेकी एवं तक्रवा में एक दूसरे का सहयोग करो एवं पाप तथा अत्याचार में एक दूसरे का सहयोग न करो, तथा अल्लाह का भय खाओ, निस्संदेह अल्लाह कठोर दण्ड देने वाला है)। सूरह माइदा: २।

तथा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “तुम में से जो व्यक्ति मुन्कर -शरीअत विरोधी कार्य, बुराई- को देखे तो उसको अपने हाथ से रोके, यदि इसकी क्षमता न हो तो जुबान से रोके, और यदि इतनी भी क्षमता न हो तो दिल में उसको बुरा समझे, तथा यह ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है”^(१)

अल्लामा इब्ने तैमिय्यह रहिमुल्लाह कहते हैं: भलाई का आदेश देना एवं बुराई से रोकना वाजिब (अनिवार्य), उत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ कार्य है।

^(१) सहीह मुस्लिम: १/ ६९, हदीस संख्या: ४९, ७८।

जब सामूहिक सद्भावना कमजोर हो जाती है, तो पथभ्रष्ट व्यक्ति उत्पात का एक खुला मैदान तैयार पा लेता है, जहां न तो उसे पथभ्रष्ट होने से रोकने वाला कोई होता है और न ही उसकी आलोचना करने वाला, और परिणामस्वरूप, वह अपनी ही जिद और विकृति में डूबा रहता है, कभी-कभी दूसरों को भी इससे प्रभावित करता है, अतः आपको बुरी आदतों के खिलाफ चेतावनी देने के लिए कोई महिला नहीं मिलेगी, न ही शिष्टाचार सिखाने के लिए कोई बच्चा होगा, न ही डांटने के लिए कोई युवा होगा, न किसी भी बूढ़े व्यक्ति को अच्छे कर्म करने और उच्च नैतिकता की आज्ञा दी जाती है, हरेक अपने आप में व्यस्त है, और यहीं से समाज टूटता है, क्योंकि लोग अनालोचनात्मक जीवन जीते हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति को इंद्रिय इच्छाओं का पालन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है।

- सामूहिक सद्भावना के कमजोर होने के कारण निम्नलिखित हैं:

जब मनुष्य अपने लक्ष्यों का पीछा करते हुए आत्म-लीन हो जाता है, तो इसके कारण सत्य से विमुखता प्रकट करता है जो लोगों को अच्छा करने और बुराई से बचने के लिए प्रेरित करता है।

कभी-कभी वह किसी दोस्त, पड़ोसी या अपने बेटों में से किसी की बुराई जानता है, लेकिन वह अपने ही निजी मामलों में व्यस्त रहता है, तथा इसमें कई बुराइयां हैं जो उम्मत के लिए प्रकाश में आती हैं, बल्कि व्यक्ति पर भी प्रतिबिंबित होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “उस ज्ञात की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम भलाई को आदेश दोगे तथा बुराई से रोकोगे या शीघ्र ही अल्लाह तआला तुमको ऐसे विपत्ति में डाल देगा कि तुम दुआ करोगे परंतु तुम्हारी दुआ (प्रार्थन) स्वीकार नहीं की जाएगी”।

- भौतिक श्रेष्ठता:

सामूहिक सद्भावना के कमजोर होने के कारणों में से एक लोगों के बीच भौतिक श्रेष्ठता है, हर कोई भौतिक पहलुओं के संचय में व्यस्त है, यही चीज लोगों को परखने का पैमाना बन गई है, लोगों को उनके वित्तीय भंडार से जाना जाता है, तथा उनके नैतिक पहलुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, इसी कारणवश समाज के सदस्य इस भौतिकवादी सिद्धांत का पालन करते हुए भौतिक उत्कृष्टता के लिए प्रयास कर रहे हैं, अच्छाई का आदेश देना एवं बुराई से रोकना जैसे उत्कृष्ट कार्य को उन्होंने त्याग दिया है, यदा-कदा विचलित विचार वाले लोगों के साथ उनके धन के लोभ एवं उनसे कुछ पाने की आशा में बैठते हैं, उनकी संगति अपनाते हैं एवं उनकी चापलूसी करते हैं।

सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह ने हमको इससे सावधान किया है, तथा बनी इस्राईल को नैतिक विचलन वाले लोगों के साथ बैठने के कारण जो दण्ड मिला उसका वर्णन किया है:

﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾﴾ [سورة المائدة: ٧٨-٧٩]

अनुवाद: (बनी इस्राईल में से जिन लोगों ने कुफ़्र किया उन पर लानत की गई, दावूद एवं ईसा पुत्र मर्यम (अलैहिमुस्सलाम) की जुबान से, इसलिए कि उन्होंने अवज्ञा की तथा वह हद से आगे बढ़ जाते थे, वो एक दूसरे को रोकते नहीं थे बुराई से जो वे करते थे, अति दुष्ट काम था जो वो कर रहे थे)। सूरह माइदा: ७७-७८।

- जिम्मेदारी की भावना का अभाव:

व्यक्ति और समाज का भलाई का आदेश देना एवं बुराई से रोकना जैसे प्रतीक एवं जिम्मेदारी के बारे में जागरूकता की कमी के कारण, वे इस सद्कर्म से अनभिज्ञ रहते हैं तथा इसे स्थापित नहीं करते हैं, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पिछली हदीस में फ़रमाया है: “उस ज़ात की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम भलाई को आदेश दोगे तथा बुराई से रोकोगे या शीघ्र ही अल्लाह तआला तुमको ऐसे विपत्ति में डाल देगा कि तुम दुआ करोगे परंतु तुम्हारी दुआ (प्रार्थन) स्वीकार नहीं की जाएगी”।

अतः इस उम्मत को इस प्रतीक के प्रति व्यक्ति और समाज दोनों के लिए अपनी जिम्मेदारी को पहचानना होगा, और अल्लाह ने जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाना होगा।

५- बुरी मित्रता:

बुरी संगति का मित्र के मौखिक और कार्मिक नैतिकता पर सीधा प्रभाव पड़ता है, और इस्लामी प्रशिक्षण पद्धति ने कई कुरान के छंदों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों में इस संबंध में चेतावनी दी है, अल्लाह सर्वशक्तिमान फ़रमाता है:

﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾ يَوَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَخَذْ فَلَانًا حَلِيلًا ﴿٢٨﴾﴾ [سورة الفرقان: ٢٧-٢٨]

अनुवाद: (तथा जिस दिन ज़ालिम अपने दोनों हाथों को काट खाएगा और कहेगा कि काश मैंने रसूल का साथ अपनाया होता, काश मैंने अमूक को अपना मित्र न बनाया होता, उसने मुझे नसीहत आने के बाद लापरवाह कर दिया तथा शैतान है ही इंसान को धोखा देने वाला)। सूरह फ़ुक्क़ान: २७-२८।

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “व्यक्ति अपने मित्र के धर्म पर होता है अतः वह देख ले कि किस से उसकी मित्रता है”⁽¹⁾

बुरी संगति व्यक्ति की आस्था और उसकी पूजा पद्धतियों को प्रभावित करती है, जिस प्रकार से यह उसकी नैतिकता और उपासना को प्रभावित करती है, अल्लामा इब्न अल-क़य्यिम रहिमहुल्लाह कहते हैं: बुरी संगति एक व्यक्ति के लिए अराजकता और विभाजन, दुःख एवं चिंता, कमजोरी, ऐसा बोझ जिसको वहन करने में उसके दुष्ट मित्र विवश हों, उनके लिए अपने हितों को खोने एवं दोस्तों और उनके मामलों में शामिल होने के लिए बाध्य करता है, और उसका विचार उसके उद्देश्यों और इरादों में विभाजित हो जाता है, तो अल्लाह तआला एवं आखिरत के लिए उसके बाद क्या बचता है?

अतः बुरी संगति सत्य से रोकती है, झूठ का साथ देती है, बुरी बातों को मीठी बातों से सजाती है और अच्छाई से रोकती है, बुराई से प्यार करती है और अच्छाई से नफरत करती है।

और व्यक्ति जिन बुरी संगति के वातावरण में फंस जाता है, वे इस प्रकार हैं:

- पढ़ाई के मित्र:

स्कूल के साथी अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, मनुष्य अच्छे एवं बुरे दोनों में से जैसा साथी चुनता है वह उस से प्रभावित होता है, यह अधिकतर समय तक साथ रहने एवं मिलने-जुलने के कारण होता है, जो दूसरे का अनुसरण करने एवं उसी का ढंग अपनाने का कारण बनते हैं, इस संबंध में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमारा मार्गदर्शन किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “अच्छे एवं बुरे साथी का उदाहरण कस्तूरी बेचने वाले एवं भट्टी फूँकने वाले के समान है, कस्तूरी बेचने वाले से तुम या तो इत्र खरीदोगे अथवा सुगंध पाओगे, जबकि भट्टी फूँकने वाला या तो तुम्हारे वस्त्र जला देगा अथवा तुम उससे दुर्गंध का अनुभव करोगे”।

अतः घर वालों का दायित्व बनता है कि वो अपनी संतान को अच्छे साथी का चयन करने के लिए मार्गदर्शित करें, इसी प्रकार से स्कूल प्रबंधन की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने सभी छात्रों को अच्छे मित्र का चुनाव करने के लिए प्रोत्साहित करें।

- सगे-संबंधी एवं रिश्तेदार:

⁽¹⁾ अबू दावूद (५/ १६८) संख्या (४८३३) तथा उपरोक्त शब्द इन्ही के द्वारा वर्णित हैं, तिर्मिजी (४/ ५०९) संख्या (२३७८), तथा अलबानी ने इस हदीस को हसन करार दिया है, देखें: सिलसिलतुल अहदीस अस् सहीह (२/ ६३३) संख्या (९२७)।

सभी रिश्तेदार नेक नहीं होते हैं, रिश्तेदारों के सभी संतान नेक नहीं होते हैं, यहाँ पर घर में कभी इस ओर लापरवाही बरती जाती है, अपने बच्चों को बुरे रिश्तेदारों से मिलने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे बुराई एवं फसाद उत्पन्न होता है, और नैतिक विचलन में उनका योगदान अधिक होता है, क्योंकि इच्छा के बंधन रिश्तेदारी के संबंधों से अधिक मजबूत होते हैं, अतः परिवार के लिए इसके परिणामों के बारे में जागरूक होना और फसादी लोगों से सावधान रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है चाहे रिश्ता कितना ही मजबूत क्यों न हो।

- अड़ोस-पड़ोस:

एक स्थान पर मौजूदगी के कारण बुरी संगति में आस-पड़ोस के सदस्य भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उनसे मिलना-जुलना और उनके साथ रहना सुविधाजनक होता है, यह प्रायः युवा और बूढ़े दोनों के लिए समान रूप से पाया जाता है। माता-पिता की लापरवाही के कारण प्रायः मोहल्ला के भीतर बुरे साथी तैयार हो जाते हैं, विशेष रूप से तब जब पड़ोस के सदस्यों के बीच अच्छाई और धर्मपरायणता, परोपकार, अम्र बिल मारूफ़ व नह्य अनिल-मुनकर (भलाई का आदेश देने एवं बुराई से रोकने) पर सहयोग बहुत कमजोर होता है।

- पेशा एवं कार्यस्थल के साथी:

यदि कार्यस्थल के सहकर्मी बुरे हों, तो उनके सहकर्मियों के विचलन में इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, जब कार्य प्रक्रिया के व्यक्तिगत हित उनके बीच एक रिश्ता बनाते हैं, जो मिलने और संबंध बनाने से मजबूत होता है, और धीरे-धीरे उनके बीच फसाद एवं विचलन फैल जाता है, जब व्यक्ति इसके बारे में सचेत न हो तो वह एक समय के बाद खुद को व्यापक भ्रष्टाचार के समान पाता है।

इसलिए, एक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने आप को दृढ़ इच्छाशक्ति का आदी बनाए, जिस पर पथभ्रष्टों के विचलन का प्रभाव न पड़े, अपने संबंधों को ऐसा बनाए कि वे कार्यस्थल के दायरे से बाहर न जाएं, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे, इसके अतिरिक्त वह व्यक्ति अपने कार्य की परिधि में अच्छाई की नींव बने तथा अपने आस-पास के लोगों की स्थिति में सुधार का कारण बने।

चौथा पाठः

नैतिक विचलनों के प्रति हमारा दायित्व

मुस्लिम उम्मत के भीतर नैतिक विचलन शैक्षिक गिरावट का संकेत माना जाता है और यह भी इंगित करता है कि जिन लोगों को इस्लामी शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है उनमें कमी एवं त्रुटि है, और इस नैतिक विचलन की जिम्मेदारी किसी एक संस्था के प्रमुख पर नहीं थोपी जा सकती, बल्कि प्रत्येक संस्था का उसकी लापरवाही के बराबर इसमें एक हिस्सा है, अतः सरकार भी जिम्मेदार है, परिवार भी जिम्मेदार है, समाज भी और व्यक्ति भी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “तुम में से प्रत्येक देखभालकर्ता है और अपने अधीन लोगों के लिए जिम्मेदार है, शासक देखभालकर्ता है और अपनी जनता के लिए जिम्मेदार है, आदमी अपने परिवार का देखभालकर्ता है और अपने परिवार वालों के प्रति जवाबदेह है, महिला अपने पति के घर की मालकिन है तथा अपनी संतान के प्रति उत्तरदायी है, दास अपने स्वामी के धन का निरीक्षक है तथा उसके प्रति उत्तरदायी है, हदीस के वर्णनकर्ता (रावी) कहते हैं कि मुझे गुमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: व्यक्ति अपने पिता के धन का निरीक्षक है तथा अपने से नीचे वालों के प्रति उत्तरदायी है, और तुम में से हरेक व्यक्ति जिम्मेदार है तथा प्रत्येक व्यक्ति से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछताछ की जायेगी”।⁽¹⁾

निम्नलिखित पंक्तियाँ में नैतिक अधमता के दायित्व को उल्लेखित करने का प्रयास किया जा रहा है।

⁽¹⁾ सहीह बुखारी (१/ २८४-२८५) हदीस संख्या: (६८९३), व मुस्लिम (३/ १४५९) हदीस संख्या: (२०/ १८२९), उपरोक्त शब्द बुखारी द्वारा वर्णित हैं।

पहला: व्यक्तिगत उत्तरदायित्व:

व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का स्वयं मनुष्य जिम्मेदार है, अतः वह अपने कार्यों और विचलनों एवं उनके परिणामों के लिए स्वयं जिम्मेदार है: सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन है:

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾

अनुवाद: (हर व्यक्ति अपने कार्य के बदले गिरवी है)। सूरह मुद्स्सिर: ३८।

﴿مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾

एक स्थान पर अल्लाह तआला फ़रमाता है:

अनुवाद: (जिसने कण भर भी भलाई की होगी वह उसे देख लेगा तथा जिसने कण भर भी बुराई की होगी वह उसे भी देख लेगा)। सूरह जिलज़ाल: ७-८।

चुनाँचे किसी व्यक्ति के लिए उस भ्रष्ट वातावरण को अपने विचलन के तर्क के रूप में पेश करना जिसमें वह रहता है, या बुरे दोस्तों और परिवार को सबूत के रूप में इस्तेमाल करना सही नहीं है; चूँकि अल्लाह तआला ने इंसान को जिम्मेदारी उठाने के काबिल बनाया है, उसे अक़ल से नवाज़ा है, जो उसके मुक़ल्लफ़ (उत्तरदायी) होने का कारण है, उसकी ओर कई दूत भेजे गए हैं, जिनकी अंतिम कड़ी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं, क़ुरआन हमारे बीच बाकी है, इसी प्रकार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत मौजूद है, जो हमें सच्चाई का मार्गदर्शन करती है और हमारे लिए कर्तव्यों और निषेधों का वर्णन करती है, अल्लाह ने मानव आत्मा को सत्य और झूठ के बीच अंतर करने की क्षमता प्रदान की है:

अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿قَالَهُمْ هَا وَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾

अनुवाद: (उसने मनुष्य के लिए भलाई एवं बुराई का वर्णन कर दिया है)। सूरह शम्स: ८।

अल्लामा शौकानी रहिमहुल्लाह कहते हैं कि: उसे अच्छे एवं बुरे से अवगत कर दिया तथा अच्छे ढंग से समझा दिया।⁽¹⁾

⁽¹⁾ फ़तुहल क़दीर, लेखक: शौकानी (५/ ४४९)।

अल्लाह तआला ने मोमिनों को यह दावत दी है कि वह आखिरत (परलोक) के लिए किए गए कर्म पर सोच-विचार करे, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلِتَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ

بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

अनुवाद: (हे ईमान वालो! अल्लाह का भय खाते रहो, तथा प्रत्येक व्यक्ति देख ले कि कल के लिए उसने क्या भेजा है, तथा अल्लाह से डरते रहो, निस्संदेह अल्लाह तुम्हारे समस्त कार्यों से अवगत है)। सूह हश्र: १८।

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मनुष्य को अपने द्वारा किए गए कार्यों का उत्तरदायी करार देते हुए फ़रमाया: (لا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عَمَلِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ (فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جَسَمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ) “क्रयामत (महा प्रलय) के दिन किसी बंदे के दोनों पाँव उस समय तक नहीं हटेंगे जब तक उस से यह न पूछ लिया जाए: उसकी आयु के विषय में कि उसे किन कार्यों में खपाया, एवं उसके ज्ञान के विषय में कि उसके अनुसार कितना कार्य किया, एवं उसके धन के संबंध में उसे कहाँ से कमाया एवं कहाँ खर्च किया एवं उसके शरीर के बारे में कि उसे कहाँ खपाया”।⁽¹⁾

एक मुसलमान को यह जान लेना चाहिए कि नफ्स (अंतर्मन) का जिहाद महान जिहाद है, यहाँ तक कि उसे जिहाद -ए- अकबर कहा गया है⁽²⁾, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “(المجاهد من جاهد نفسه) मुजाहिद वह है जो अपने नफ्स से जिहाद करे”⁽³⁾, तथा कमजोर व विवश वह है जो स्वयं पर नियंत्रण न कर सके, जैसाकि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा है।⁽⁴⁾

तनिक सोचें फ़िरऔन की पत्नी के बारे में जिन्होंने कुफ़्र, उदंडता एवं अत्याचारी घराने में जीवन बिताया, अल्लाह के दुश्मन के घर में रहीं, किंतु उन्होंने अपने नफ्स (अंतर्मन, आत्मा) की जिम्मेदारी को समझा, तथा कुफ़्र को तर्क नहीं बनाया, हालांकि उनका सारा जीवन ही कुफ़्र

(1) तिर्मिज़ी (४/ ५२९), हदीस संख्या: (२४१७), रिवायत करने के बाद इमाम तिर्मिज़ी ने कहा है: यह हदीस हसन सहीह है, तथा अलबानी ने कहा है कि यह हदीस सहीह है, देखें: सहीह सुनन तिर्मिज़ी, हदीस संख्या (१९७०-२५४५)।

(2) अल् जामेअ लि अहकामिल कुरआन, लेखक: कुरुबी (१३/ २४२)।

(3) तिर्मिज़ी (४/ १४२), हदीस संख्या: (१६२१), उपरोक्त शब्द इन्ही के द्वारा वर्णित हैं, अहमद (६/ २०), तथा अलबानी ने कहा है कि यह हदीस सहीह है, देखें: सहीह सुनन तिर्मिज़ी, हदीस संख्या (१३२२-१६८७)।

(4) अदबुदुनिया वदीन, लेखक: मावदी, पृष्ठ (२३४)।

एवं उसके प्रभुत्व से घिरी हुई थी, बल्कि वह ईमान ले आई तथा यों दुआ की जैसाकि अल्लाह तआला के इस कथन में वर्णित है:

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾﴾ [سورة التحريم: ١١]

अनुवाद: (तथा उदाहरण दिया है अल्लाह ने उनके लिए जो ईमान लाए फ़िरऔन की पत्नी का, जब उसने प्रार्थना की: हे मेरे पालनहार! बना दे मेरे लिए अपने पास एक घर स्वर्ग में, तथा मुझे मुक्त कर दे फ़िरऔन तथा उस के कर्म से, और मुझे मुक्त कर दे अत्याचारी जाति से)। सूरह तहरीम: ११।

बहुत से लोग भाग्य को अपने विचलन के औचित्य के रूप में प्रयोग करते हुए कहते हैं कि यह भाग्य में लिखा हुआ है, यह पूर्वनिर्धारित है और अपने कार्यों और स्वभाव की शरई जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं, जबकि हम उन्हीं लोगों को आजीविका कमाने के पीछे भागते हुए यह कहते हुए पाते हैं कि अल्लाह ने साधन अपनाने का आदेश दिया है, तो ये लोग अपने विचलन के संबंध में भ्रम के शिकार है तथा जीविका की तलाश में सच्चे हैं।

इंसान को अपने कार्यों में दो स्थितियों का ध्यान रखना चाहिए, उसी तरह शरीअत के आदेश के संबंध में भी दो स्थितियां उसके सामने होनी चाहिए, इन दोनों स्थितियों को समझने के बाद ही उसका मामला सही और ठीक होगा, जिसे संक्षेप में नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रथम: किसी क्रिया के साथ मनुष्य की स्थिति:

१- तक्रदीर (भाग्य) के घटित होने से पहले की स्थिति: चुनाँचे कोई कार्य घटित होने से पहले उसे अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, उस पर भरोसा करना चाहिए और उसी से मांगना चाहिए।

२- तक्रदीर के घटित होने के बाद की स्थिति: चुनाँचे जब मनुष्य की इच्छा के बिना कोई कार्य घटित जाए तो उसे उसके संबंध में धैर्य रखना चाहिए और उस पर संतोष करना चाहिए, यदि वह उसकी इच्छा एवं कृत्य से घटित हो और वह नियामत हो तो उसे इसके लिए अल्लाह का शुक्र एवं प्रशंसा करनी चाहिए तथा वह पाप हो तो अल्लाह से क्षमा मांगे।

द्वितीय: शरीअत के आदेश एवं आज्ञा के संबंध में मनुष्य की स्थिति:

१- क्रिया से पहले की स्थिति: इस आदेश को अंजाम देने के लिए दृढ़ संकल्पित होना और इस पर अल्लाह से मदद मांगना।

२- क्रिया के बाद की स्थिति: किसी कमी के लिए माफ़ी मांगना एवं किसी नेमत के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करना।

अतः एक मुसलमान के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि वह अपने कार्यों और विचलनों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है, यदि वह इसका हकदार है तो उसे इस दुनिया में दंडित किया जाएगा, और आखिरत (परलोक) में यदि अल्लाह चाहेगा तो उसे माफ़ कर देगा और यदि वह चाहेगा तो दंडित करेगा, अतः पाप करते हुए उसे अल्लाह से बहुत अधिक लज्जा आनी चाहिए।

दूसरा: पारिवारिक दायित्व:

प्रशिक्षण के क्षेत्र में परिवार का तात्पर्य ऐसे समूह से है जो एक स्थान पर एक साथ रहता है और रिश्तेदारी द्वारा एक दूसरे से जुड़ा होता है।⁽¹⁾

आज, वैश्वीकरण के प्रभाव में मुस्लिम परिवार को जटिल नैतिक और बौद्धिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका उद्देश्य धर्म और नैतिकता के संबंध में सामूहिक श्रेष्ठता और भेदभावों को मिटाना है।

इन चुनौतियों ने परिवार की अपने बच्चों के प्रति शैक्षिक जिम्मेदारी को कम कर दिया है, विशेषकर उस युग में जब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूर्व से पश्चिम तक अपना जहर फैला रहे हैं, इसमें न तो रास्ते की कठिनाई बाधा है और न ही दूरियों की विशालता, विशेषकर मीडिया बहुत ही असरदार तरीके और प्रभावी शैली में जहर फैला रही है।

इसके अलावा, मुस्लिम परिवार वैश्विक सामाजिक परिवर्तनों से प्रभावित हुआ है, यही कारण है कि महिला कार्यक्षेत्र में प्रवेश करती है जहां वह कार्यालय, दुकान और कंपनी में पुरुषों के साथ घुलती मिलती है। ये सभी कारण मुस्लिम परिवार को बर्बादी की चेतावनी दे रहे हैं और व्यक्तियों के प्रति उसकी शैक्षिक जिम्मेदारी को दोगुना कर रहे हैं।

इस्लाम ने अपने सदस्यों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी परिवार को सौंपी है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: (كَلِمَةُ رَاعٍ وَكَلِمَةُ مَسْئُولٍ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) “तुम में से प्रत्येक व्यक्ति देखभालकर्ता है और अपने अधीन लोगों के लिए जिम्मेदार है, शासक देखभालकर्ता है और अपनी प्रजा के लिए जिम्मेदार है, आदमी अपने परिवार की देखभाल करने वाला और अपने परिवार के लोगों के प्रति जिम्मेदार है, एक महिला अपने पति के घर की संरक्षक है और अपने मातहत लोगों के प्रति जवाबदेह है”।⁽²⁾

यह हदीस ज़ोरदार तरीके बता रही है कि आदमी अपनी पत्नी, बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए जो उसकी देखरेख में हैं जिम्मेदार है, इसी प्रकार से महिला भी अपने घर के लोगों के प्रति जवाबदेह है, इस जिम्मेदारी के अधिकार की अदायगी किए बिना वह बरी नहीं हो सकती, इन अधिकारों के अलावा अन्य अधिकार भी हैं, जैसे निगरानी, मार्गदर्शन, सलाह देना, और यह सब इस्लामी प्रशिक्षण पद्धतियों के अनुसार करना, जिसका पहला चरण

(1) अल् मुश्किलात अल् तर्बिवियह अल् उसरियह, लेखक: खालिद अल् हाज़मी, पृष्ठ (४)।

(2) सहीह बुखारी (१/ २८४-२८५) हदीस संख्या: (८९३), व मुस्लिम (३/ १४५९) हदीस संख्या: (२०/ १८२९)।

एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना, सर्वोत्तम सलाह देना, उदाहरण प्रस्तुत करना, प्रोत्साहित करना एवं डराना है और फिर दूसरे चरण में अनुशासनात्मक कार्रवाई करना है।

सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह फ़रमाता है:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾

अनुवाद: (हे ईमान वालो! तुम अपने आपको एवं अपने परिवार वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन मनुष्य एवं पत्थर हैं)। सूरह तहरीम: ६।

इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा इस आयत का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि: “अल्लाह का आज्ञापालन करो तथा अल्लाह से डरो एवं अपने परिवार वालों को ज़िक्र (स्मरण) का आदेश दो अल्लाह तुम्हें आग से बचाएगा”।⁽¹⁾ तथा अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि: “उन्हें ज्ञान दो एवं शिष्टाचार सिखाओ”।⁽²⁾

परिवार को नरक की आग से बचाने के लिए मार्गदर्शन और सलाह जैसी अन्य शैक्षिक जिम्मेदारियाँ निभानी होंगी, इसलिए मुस्लिम परिवार पर यह अनिवार्य है कि वह अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनकी निगरानी करें और उन्हें हर तरह के नैतिक विचलन से बचाएं।

इस उम्मत के सलफ़ सालेहीन (सदाचारी पूर्वजों) को व्यक्तिगत जिम्मेदारी और उसके अत्यधिक महत्व की अच्छी समझ थी, इसीलिए उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने शैक्षिक जिम्मेदारी के विषय में हमारे लिए अति उत्तम उदाहरण पेश किया है। उन्होंने अपने बच्चों का प्रशिक्षण अत्यंत श्रेष्ठ ढंग से किया, एक बार उन्हें खबर मिली कि उनके एक बेटे ने अपनी अंगूठी के लिए एक हजार दिरहम में एक नगीना खरीदा है, तो उन्होंने उसे एक पत्र लिखा जिसमें कहा कि मुझे खबर मिली है कि तुमने एक हजार दिरहम में एक नगीना खरीदा है, तुम इसे बेचकर एक हजार भूखे लोगों को खाना खिलाओ, और एक चीनी लोहे की अंगूठी खरीदें उस पर लिखो: अल्लाह उस आदमी पर दया करे जो अपनी सच्चाई जानता है।⁽³⁾

बच्चों की शिक्षा के संबंध में उपेक्षा और लापरवाही सामाजिक अव्यवस्था और व्यक्तिगत समस्याओं के कारणों में से एक है, चुनाँचे नैतिक विचलन व्यक्ति के जीवन को दुखी बना देता है, उसे उदास और दुखी कर देता है, वह स्वयं चूर-चूर हो जाता है और उसका दिल दुखी और परेशान रहता है, क्योंकि सम्मान और अभाव की पीड़ा, अधूरी इच्छा, असफल लोभ

(1) तफ़सीरुल क़ुरआनिल अज़ीम, लेखक: इब्ने कसीर (४२३३)।

(2) पिछला संदर्भ।

(3) सीरत व मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, लेखक: इब्नुल जौज़ी, पृष्ठ (३१५)।

और लालच, पराजित महत्वाकांक्षा और घायल हृदय की कड़वाहट उसकी मजबूत मांसपेशियों को तोड़ देती हैं।

आज घरेलू प्रशिक्षण उत्तरदायित्व का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि आज हमारा जीवन वैश्वीकरण, बौद्धिक युद्ध, पीढ़ीगत विचलन से घिरा हुआ है और तेज यात्रा और लाइव स्ट्रीमिंग के कारण दूरियां खत्म हो गई हैं।

तीसरा: सामाजिक दायित्व:

अल्लाह ने इस उम्मत को एक बड़ी विशिष्टता से अनुग्रहीत किया है और वह खैर की विशिष्टता (सर्वश्रेष्ठ उम्मत होने का गौरव) है, इसका तकाजा यह है कि अम्र बिल मारूफ़ व नह्य अनिल मुन्कर (भलाई का आदेश देने एवं बुराई से रोकने) का दायित्व निभाया जाए, अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

अनुवाद: (तुम सर्वश्रेष्ठ उम्मत (जाति, समुदाय) हो जो लोगों के लिए उत्पन्न की गई है कि तुम नेक बातों का आदेश देते हो तथा बुरी बातों से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो)। सूरह आले इमरान: ११०।

इस आयत में कहा गया है कि यह उम्मत तब तक प्रशंसनीय है जब तक यह “अम्र बिल मारूफ़ व नह्य अनिल मुन्कर (भलाई का आदेश देने एवं बुराई से रोकने)” का कर्तव्य निभाती रहेगी तथा इस भलाई व कल्याण की विशेषता से विशेषित रहेगी, और जब यह बुराई के इनकार का कर्तव्य छोड़ देगी, बुराई से समझौता कर लेगी, तो प्रशंसा एवं तारीफ़ का यह गुण उसमें से गायब हो जाएगा। इस उम्मत का जो भी व्यक्ति इस गुण से सम्पन्न होगा वह उन प्रशंसनीय लोगों में गिना जाएगा, जैसाकि क़तादा रहिमहुल्लाह ने कहा: हमें यह सूचना मिली कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़्ज के एक यात्रा में लोगों के बीच सुस्ती और आलस्य देखा तो उन्होंने इस आयत का पाठ किया ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾, फिर कहा: जिसे यह बात प्रसन्न करे कि वह इस उम्मत में गिना जाए तो उसे अल्लाह की इस शर्त को पूरी करे, तथा जो इस शर्त को पूरा करने वाला नहीं होगा वह अहले किताब (यहूद व नसारा) के समान होगा जिनकी अल्लाह तआला ने निंदा की है।⁽¹⁾

अल्लाह ने इसी कारण से इस उम्मत को अन्य उम्मतों पर यह उत्कृष्टता और श्रेष्ठता प्रदान की है, यह लोगों के लिए सबसे अच्छा समुदाय है, क्योंकि यह भलाई और परोपकार, निमंत्रण और उपदेश, शिक्षा और प्रशिक्षण और अच्छाई का आदेश देने और बुराई को रोकने के कर्तव्यों को पूरा करती है।⁽²⁾

इसीलिए अल्लाह तआला ने इस उम्मत को यह आदेश दिया है कि उसमें एक समूह ऐसा हो जो अम्र बिल मारूफ़ व नह्य अनिल मुन्कर (भलाई का आदेश देने एवं बुराई से रोकने) के कर्तव्य को अंजाम देने के लिए समर्पित रहे। सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह फ़रमाता है:

(1) अल् जामेअ लि अहकामिल कुरआन, लेखक: कुर्तुबी (४/ १११)।

(2) तैसीरुल करीमिर् रहमान फ़ी तफ़सीरे कलामिल मन्नान, लेखक: अब्दुर्रहमान सअदी (१/ २६२)।

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (١٠٤)

अनुवाद: (तुम में एक समूह ऐसा हो जो भलाई का निमंत्रण दे, अच्छाई करने का आदेश दे एवं बुराई करने से रोके, तथा यही लोग सफल हैं)। सूरह आले इमरान: १०४।

इस्लाम समाज को उसकी क्षमता के अनुसार ही बाध्य करता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ताकत और क्षमता के अनुसार ही आपसी सलाह का स्तर निर्धारित किया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: (فمن لم يستطع، فمن لم يستطع فليغيره بيده، فمن لم يستطع فليغيره بيده، فمن لم يستطع فليغيره بيده) “तुम में से जो व्यक्ति मुन्कर-शरीअत विरोधी कार्य, बुराई- को देखे तो उसको अपने हाथ से रोके, यदि इसकी क्षमता न हो तो जुबान से रोके, और यदि इतनी भी क्षमता न हो तो दिल में उसको बुरा समझे, तथा यह ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है”⁽¹⁾

सामाजिक उत्तरदायित्व बुराई के उन्मूलन और निवारण से ही समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि इसके पनपने के कारणों को समाप्त करने के प्रयास करने होंगे। इन समस्त प्रयासों के साथ-साथ निर्धनों की आवश्यकता पूर्ति के लिए सहयोग का हाथ बढ़ाना एवं मदद पेश करना है ताकि उसे उसका नफ़्स -ए- अम्मारह (बुराई पर उकसाने वाला इंद्रिय) उसके नैतिक पतन का लाभ उठाते हुए चोरी, धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित न करे।

सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह ने बहुतेरी आयतों (श्लोकों) में धन खर्च करने का आदेश दिया है, उन में से एक यह आयत भी है:

﴿لَنْ نَّأَلُوا الْآلِرَ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا رَحِمْنَا بِكَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ (١٢)

अनुवाद: (तुम कदापि नेकी नहीं पा सकते यहाँ तक कि अपने प्रिय धन में से खर्च न करो, और तुम लोग जो कुछ भी खर्च करोगे अल्लाह उससे अवगत है)। सूरह आले इमरान: १२।

अबू तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह आयत सुनी तो अति शीघ्र इसका पालन करते हुए एक अनोखा उदाहरण पेश किया। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु उनके उस क्रिस्सा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि (मदीना के अंसार में अबू तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु के सबसे अधिक खजूर के बाग थे, तथा उन्हें सर्वाधिक प्रिय उनका बैरुहा नामक बाग था, वह मस्जिद -ए- नबवी के सामने था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसमें जाते और वहाँ का मीठा पानी पीते थे, जब यह आयत ﴿لَنْ نَّأَلُوا الْآلِرَ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا رَحِمْنَا بِكَ﴾ उतरी, तो अबू तल्हा रज़ियल्लाहु

⁽¹⁾ सहीह मुस्लिम: १/ ६९, हदीस संख्या: ४९, ७८।

अन्हु खड़े हुए और कहा: हे अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआला फ़रमाता है: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ﴾
 ﴿حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَّبُوا﴾ (तुम कदापि नेकी नहीं पा सकते यहाँ तक कि अपने प्रिय धन में से
 खर्च न करो), तथा मेरा प्रियतम धन बैरूहा है, अल्लाह के पास मैं इसे संचित करता हूँ तथा
 उसकी नेकी की आशा रखता हूँ, हे अल्लाह के रसूल! आप इसे जहाँ चाहें खर्च करें, तो
 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: मुबारक हो, यह बड़ा लाभदायक माल
 है, यह बड़ा लाभप्रद धन है।⁽¹⁾

⁽¹⁾ बुखारी (३/ २०९) संख्या (४५५४)।

चौथा: सरकार का दायित्व:

सरकार के बिना समाज सीधा नहीं रह सकता और शासक के बिना सरकार स्थिर नहीं रह सकती, शासक देश को चलाता है तथा अल्लाह के आदेशों को लागू करता है, शासक के मामले ऐसे शासन से ठीक होंगे जो अपने दायित्व का निर्वहन करती हो, जहाँ शासक की आज्ञाकारिता, परोपकारिता, ईमानदारी और अन्य अधिकारों का भुगतान किया जाता हो, उसी प्रकार समाज के अधिकारों का भी भुगतान किया जाता हो, जैसे प्रशिक्षण और सुधार करना तथा देश से फसाद मिटाना।

बुरी नैतिकता को खत्म करना और उनके खिलाफ खड़ा होना वुलात -ए- अम्र की जिम्मेदारियों में से एक है। इसमें दो प्रकार के लोग शामिल हैं: विद्वान और शासक, इनमें राजा, बुजुर्ग, सरकार के करीबी लोग शामिल हैं जिसके अधीन कुछ लोग हों, वे उलुल अम्र में दाखिल हो जाता है, उनमें से प्रत्येक के लिए अनिवार्य है कि वह भलाई करने का आदेश दे तथा बुराई करने से रोके।⁽¹⁾

शासक वर्ग से शासन की अमानत के प्रति अल्लाह के समक्ष पूछताछ होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: (والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، راع) “तुम में से प्रत्येक व्यक्ति देखभालकर्ता है और अपने अधीन लोगों के लिए जिम्मेदार है, शासक देखभालकर्ता है और अपनी प्रजा के लिए जिम्मेदार है”।⁽²⁾

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: (ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم (يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة) “कोई ऐसा बंदा जिसे अल्लाह किसी प्रजा का राजा बनाता है तथा मृत्यु के दिन वह इस स्थिति में मृत्यु को प्राप्त होता है कि अपनी प्रजा से धोखा करने वाला है तो अल्लाह तआला उस पर स्वर्ग के निषेध कर देता है”।⁽³⁾

एक हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “(ما من أمير يلي (أمر المسلمين، ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة) कोई शासक जो मुसलमानों के मामलों की जिम्मेदारी उठाता है, फिर वह उनके लिए प्रयास एवं कल्याणकारी कार्य नहीं करता, वह उनके संग स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा”।⁽⁴⁾ तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अबू ज़र्र रज़ियल्लाहु अन्हु से शासन के दायित्व के संबंध में फ़रमाया: “ऐ अबू ज़र्र! तुम कमज़ोर हो

(1) अल् अम्र बिल मअरूफ़ व अन् नह्य अनिल मुन्कर, लेखक: इब्ने तैमिय्यह, पृष्ठ: ६८।

(2) सहीह बुखारी (१/ २८४-२८५) हदीस संख्या: (८९३), उपरोक्त शब्द उन्ही के द्वारा वर्णित हैं, व मुस्लिम (३/ १४५९) हदीस संख्या: (२०/ १८२९)।

(3) सहीह मुस्लिम (१/ १२५) संख्या (२२७-१४२)।

(4) पिछला संदर्भ (१/ १२६) संख्या (२२९-१४२)।

और यह अमानत है, तथा क्रयामत के दिन यह अपमान एवं रुस्वाई का कारण होगी, परंतु वह व्यक्ति जिसने इसे हक के साथ स्वीकार किया एवं इसके संबंध में जो ज़िम्मेवारी उस पर लागू होती थी उसे अदा किया (वह अपमान एवं रुस्वाई से बच जायेगा)।⁽¹⁾

कुछ ऐसी बातों का वर्णन जिनसे किसी देश के शासक का सुशोभित होना अनिवार्य है:

१- धर्म के सिद्धांतों और उन मुद्दों की रक्षा करना जिन पर उम्मत के सलफ़ (सदाचारी पूर्वज) एकमत हैं।

२- आपसी झगड़ों में फंसे लोगों के बीच विवादों को निपटाने के लिए दंड का प्रावधान करना ताकि न्याय और निष्पक्षता आम हो, अत्याचारी अत्याचार न करे और कमजोर को कमजोर न समझा जाए।

३- जान-माल की रक्षा की जाए और सम्मानजनक चीजों की सुरक्षा की जाए ताकि लोग अपनी जान-माल के संबंध कोई खतरा महसूस किए बिना शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आजीविका के लिए आ-जा सकें।

४- हदूद (शरई दण्ड) लागू करना ताकि अल्लाह के अधिकारों का उल्लंघन होने से बचाया जा सके और भक्तों के अधिकारों को नुकसान और विनाश से बचाया जा सके।

५- बैतुल-माल के ख़ैरात और दान का बिना अतिशयोक्ति के हिसाब लगाना और आगे-पीछे किए बिना समय पर भुगतान करना।⁽²⁾

सरकार की बड़ी ज़िम्मेदारियों में से एक है सद्गुणों का प्रसार करना और निर्लज्जता और बुराइयों को ख़त्म करना और यह तभी संभव है जब शरीअत का ज्ञान उम्मत के बच्चों के बीच फैलाया जाए और शरीअत विरोधी कार्य करने वालों के विरुद्ध शरई दंड एवं सजा को लागू किया जाए।

उक़ूबात (दंडों) से अभिप्राय वे सजाएं हैं जिन्हें शरीअत ने निषेध कार्यों के करने तथा आदेशों के अनुपालन में कोताही करने वालों के लिए निर्धारित किया है।⁽³⁾

⁽¹⁾ पिछला संदर्भ (३/ १४५७) संख्या (१६/ १८२५)।

⁽²⁾ अल् अहकाम अस् सुल्तानिय्यह, लेखक: मावर्दी, पृष्ठ (१८)।

⁽³⁾ अल् उक़ूबात फ़ित् तश्रीअ अल् इस्लामी, लेखक: महफूज़ इब्राहीम फ़रज़, पृष्ठ: (१९)।

हुदूद से अभिप्राय वे सजाएं है अल्लाह के अधिकारों का हनन करने पर निर्धारित हैं⁽¹⁾, जैसे व्यभिचार, समलैंगिकता, चोरी, मदिरापान, बगावत, इरतिदाद (अधर्मिता) एवं अकारण युद्ध करना इत्यादि की सजाएं।

ताज़ीरात से अभिप्राय गुनाहों पर दी जाने वाली वह अनुशासनात्मक कार्रवाइयां हैं जिनमें हुदूद साबित नहीं हैं, यह ताज़ीरी सज़ा पाप और उसके अपराधी के अनुसार दी जाती है, यह हुदूद के समान है इस अर्थ में कि यह सज़ा सुधार एवं डराने धमकाने के लिए दी जाती है और पाप के संदर्भ में यह हुदूद से भिन्न होती है।⁽²⁾

यदि सरकार शरीअत के सज़ाओं के कार्यान्वयन में अपनी जिम्मेदारी निभाती है और अम्र बिल मारूफ़ व नह्य अनिल मुन्कर (भलाई का आदेश देने एवं बुराई से रोकने) के कर्तव्य को पूरा करती है, तो सामाजिक मामले सही हो जाएंगे और भटके हुए लोग सही रास्ते पर लौट आएंगे, और यदि यदि सरकार इस जिम्मेदारी की उपेक्षा करती है, तो समाज के सदस्यों के बीच दंगे होंगे, नैतिक भ्रष्टाचार आम हो जाएगा और विपत्तियां आएंगी, इसलिए इस्लामी सरकार पर उसे सौंपी गई सभी जिम्मेदारियों को पूरा करना अनिवार्य है।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अल्लाह की सीमाओं (हुदूद) को लागू न करने के खतरों का वर्णन करते हुए कहा: (उन लोगों का उदाहरण जो अल्लाह की सीमाओं का पालन करते हैं और जो उनका उल्लंघन करते हैं, ऐसे लोगों के समान है जिन्होंने एक नाव के संबंध में कुरआ (लॉटरी) निकाला, जिसके कारण कुछ लोगों को नाव का ऊपरी भाग मिल गया और कुछ को नीचे का भग मिला, जो लोग नीचे वाले थे उन्हें नहर से पानी लेने के लिए ऊपर वालों के पास से गुजरना पड़ता था, उन्होंने सोचा कि क्यों न हम अपने ही भाग में छेद कर लें ताकि ऊपर वालों को हम कोई कष्ट न दें। अब यदि ऊपर वाले भी नीचे वाले को मनमानी करने देंगे तो नाव के सभी लोग डूब जाएंगे, तथा यदि ऊपर वाले नीचे वालों का हाथ पकड़ लेंगे तो खुद भी बच जाएंगे और पूरी नाव भी बच जाएगी)।⁽³⁾

सरकार और शासक पर यह अनिवार्य है कि वह योग्य और पात्र लोगों को जिम्मेदारियां सौंपें, (प्राणी अल्लाह के सेवक हैं और अधिकारी उसके सेवकों पर उस अल्लाह के आदेशों को लागू करने वाले हैं, वे सेवकों के वकील भी हैं, जैसे दो साझेदार एक-दूसरे के वकील होते हैं, चुनाँचे उनमें संरक्षकता और वकालत दोनों अर्थ पाए जाते हैं, फिर यदि अभिभावक और वकील किसी व्यक्ति को अपने मामलों में अपना उप (नायब) बनाए तथा व्यापार अथवा ज़मीन इत्यादि के मामला में जो उससे अधिक उचित था उसे छोड़ दे, वह उस सामान को कम मूल्य

(1) नैलुल औतार, लेखक: शौकानी (७/ ८७)।

(2) अल् अहकाम अस् सुल्तानिय्यह, लेखक: मावर्दी, पृष्ठ (२९३)।

(3) सहीह बुखारी (२/ २०५-२०६) संख्या (२४९३)।

पर बेचे हालांकि उस से अच्छे मूल्य पर बेचना संभव था, तो उसने अपने साथी और साझीदार के साथ धोखा किया।⁽¹⁾

जब तक मुस्लिम सरकार इस उत्तरदायित्व को निभाती रही, मुसलमानों की स्थिति अच्छी बनी रही, उनकी नैतिकता सही बनी रही और नैतिक विचलन नहीं के बराबर था, चुनाँचे उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना मुनव्वरा में रातों को पहरेदार बैठा कर रखते थे, वह स्वयं मदीना में मुसलमानों की स्थिति से अवगत होने के लिए दिन-रात सड़कों पर गश्त करते थे, ताकि वंचितों को दे सकें, उत्पीड़ितों की मदद कर सकें एवं उत्पीड़कों को गिरफ्तार कर सकें।⁽²⁾

जो सरकार शरीअत के हद्द (इस्लामिक दण्ड) एवं अम्र बिल मारूफ़ व नह्य अनिल मुन्कर (भलाई का आदेश देने एवं बुराई से रोकने) को लागू करने के द्वारा ख़ैर व भलाई के प्रचार प्रसार के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करेगी, उसकी प्रजा के दिलों में इन हुद्द के प्रति सम्मान और नैतिकता जागृत होगी, विचलन और बुराइयों से दूरी बनेगी और नैतिक गुणों के प्रति प्रेम पैदा होगा, अपराधों को समाज में पनपने का रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि जब समाज में बुराइयों एवं दुष्टता का मार्ग संकीर्ण हो जाता है, तब अच्छाई और सद्गुणों के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। सदाचार का विस्तार होगा और लोग इस्लामी नैतिकता से भरपूर खुशहाल जीवन जी सकेंगे।

यहां एक बात बताना बहुत जरूरी है, वह यह कि जब शासक अपनी प्रजा पर अत्याचार करता है, तो मुसलमानों को इस उत्पीड़न पर धैर्य रखना चाहिए और अवज्ञा तथा विद्रोह करते हुए लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि विद्रोह मुसलमानों के लिए एक पूर्ण बुराई और मुसीबत है, जब भी किसी समुदाय ने अपने शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया है तो वहाँ अराजकता ही फैली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “तुम लोग मेरे बाद यदि स्वयं पर दूसरों को वरीयता दिए जाते पाओ तो धैर्य रखना यहाँ तक कि मुझ से हौज़ (जलाशय) पर आ कर मिलो”।⁽³⁾

एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने प्रश्न किया कि यदि हम पर ऐसे शासक थोप दिए जाएं जो हमसे अपना अधिकार मांगें परंतु हमारा अधिकार हम को न दें, तो आप हमें क्या करने का आदेश देते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कोई उत्तर नहीं दिया, फिर पूछा तो भी कोई जवाब नहीं दिया, फिर तीसरी बार पूछा तो अशअस बिन कैस ने

⁽¹⁾ अस् सियासह अश् शरइय्यह, लेखक: इब्ने तैमिय्यह, पृष्ठ (१४)।

⁽²⁾ विस्तार के लिए देखें: तारीख उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, लेखक: इब्नुल जौजी (१०२-११३)।

⁽³⁾ सहीह मुस्लिम (३/ १४७४) संख्या (४८- १८४५)।

पूछने वाले को खींच लिया और कहा: (आदेश सुनने एवं मानने को अपने लिए अनिवार्य कर लेना, उन पर अपनी जिम्मेदारी है और तुम पर अपनी जिम्मेदारी है)।⁽¹⁾

⁽¹⁾ सहीह मुस्लिम (३/ १४७४-१४७५) संख्या (४९- १८४६)।

पाँचवा: शैक्षणिक वातावरण की जिम्मेदारी

प्रशिक्षण संस्थान से अभिप्राय वह स्थान हैं जो प्रशिक्षण और सुधार के लिए तैयार किए गए हों जैसे मदरसे व स्कूल, मस्जिद, सामाजिक पर्यवेक्षण केंद्र, बाल देखभाल केंद्र और जेल आदि हैं। नैतिक विचलनों को दूर करने एवं रोकने में इन संस्थाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावी भूमिका है, क्योंकि यहां उच्च नैतिक प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है और जो लोग नैतिक बुराइयों के शिकार हो गए हैं उन्हें शुद्ध करने का प्रयास किया जाता है।

इन संस्थाओं पर अपने बच्चों में नैतिक विचलन और बुराइयों को दूर करने और उन्हें नैतिक गुणों से सुसज्जित करने के लिए प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी है, जैसा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा है: “तुम में से प्रत्येक व्यक्ति देखभालकर्ता है तथा अपने रहने वाले नीचे के लोगों के प्रति जवाबदेह है”। अतः शिक्षक कक्षा में अपने छात्रों का देखभालकर्ता होता है, मस्जिद का इमाम उस मस्जिद के नमाज़ियों (उपासकों) का देखभालकर्ता होता है, वह अपने मोहल्ला पर नज़र रखे और वहां पाए जाने वाले नैतिक बुराइयों को, हिकमत, समझदारी, उत्तम उपदेश और बेहतर तरीके से खत्म करने का प्रयास करे, तथा यह कार्य शुक्र के प्रभावी उपदेशों के माध्यम से किया जाना चाहिए, उपदेश में प्रोत्साहन और धमकी भी होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण सच्ची कहानियाँ भी होनी चाहिए, किताब और सुन्नत से ली गई मिसालें भी पेश की जानी चाहिए, तथा समाज में बुरे संस्कारों के फलस्वरूप घटित घटनाओं व दुर्घटनाओं का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

जेलों का संरक्षक कैदियों के लिए जिम्मेदार है, उसे उनकी देखरेख करनी चाहिए, अच्छे संस्कार पैदा करने चाहिए, उनके विचलन के प्रति सचेत रहना चाहिए, उन्हें सलाह देने वाले विद्वानों को बुलाना चाहिए, उनका सही मार्गदर्शन करना चाहिए और विद्या सिखाए जिससे उनके नैतिक दोष एवं अंधकार दूर हो।

इसी प्रकार सामाजिक देख-रेख के केंद्र एवं बाल केंद्रों के संरक्षक भी वहाँ रहने वाले बच्चों के प्रति जवाबदेह हैं एवं बच्चे उनके

इसी प्रकार, सामाजिक देखभाल केंद्रों और बच्चों के केंद्रों के प्रभारी भी इन बच्चों के लिए जिम्मेदार हैं और बच्चे उनकी आध्यात्मिक संतान हैं, अल्लाह तआला ने इस विषय में भलाई, एहसान एवं सहयोग का आदेश दिया है, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾ [سورة المائدة: ٢]

अनुवाद: (तुम नेकी एवं तक्रवा में एक दूसरे का सहयोग करो एवं पाप तथा अत्याचार में एक दूसरे का सहयोग न करो, तथा अल्लाह का भय खाओ, निस्संदेह अल्लाह कठोर दण्ड देने वाला है)। सूरह माइदा: २।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने प्रजा के साथ धोखा करने वाले शासक की सज़ा बयान करते हुए फ़रमाया: (ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاشٍ لرعيته إلا حرم الله عليه) (الجنة) “कोई ऐसा बंदा जिसे अल्लाह किसी प्रजा का राजा बनाता है तथा मृत्यु के दिन वह इस स्थिति में मृत्यु को प्राप्त होता है कि अपनी प्रजा से धोखा करने वाला है तो अल्लाह तआला उस पर स्वर्ग के निषेध कर देता है”⁽¹⁾

कर्तव्य में लापरवाही के लिए दी जाने वाली सज़ाओं से पता चलता है कि जो व्यक्ति मुसलमानों के किसी भी मामले के लिए ज़िम्मेदार बनता है, वह ख़तरे के कगार पर है, चाहे वह शासक हो, या शिक्षक हो, या प्रबंधक हो, निश्चय ही लोगों की ज़िम्मेदारियों को स्वीकार करना आसान बात नहीं है, बल्कि इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार, यह एक महान अमानत के बोझ को स्वीकार करना है जिसके लिए आवश्यक है कि जो ज़िम्मेदारी उसे सौंपी गई है उसमें पूरी ऊर्जा एवं शक्ति खर्च करे, तथा यह अल्लाह तआला ने मनुष्य को प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए जो ज़िम्मेदारियाँ दी हैं उसको भी शामिल है, अल्लाह तआला ने इस अमानत का भुगतान करने का आदेश दिया है। अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾

अनुवाद: (निस्संदेह अल्लाह तआला अमानत को उनके हकदारों तक पहुँचाने का आदेश देता है)। सूरह निसा: ५८।

एक स्थान पर सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन है:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

अनुवाद: (हे ईमान वाले! तुम अल्लाह एवं रसूल के साथ जानते हुए ख़्यानत (धोखा) न करो एवं अपनी अमानतों में भी ख़्यानत न करो)। सूरह अन्फ़ाल: २७।

यदि प्रशिक्षण संस्थानों के प्रबंधक प्रशिक्षण उत्तरदायित्व के प्रति निष्ठा नहीं रखेंगे तो प्रशिक्षण कार्य कमजोर हो जाएगा और प्रशिक्षण उत्तरदायित्व विफलता का शिकार हो जाएगा, जिसका उद्देश्य अधीनस्थों में नैतिक गुणों का निर्माण करना तथा नैतिक बुराइयों एवं विचलनों

⁽¹⁾ सहीह मुस्लिम (१/ १२५) संख्या (२२७-१४२)।

का निवारण करना है, जिसके परिणामस्वरूप समाज में अपराध बढ़ेगा और लूटपाट बढ़ेगी, भ्रष्टाचार आम हो जाएगा, इज्जतों पर हमला होगा और मानवाधिकार खो जाएंगे।

आज हमारा समाज जिस नैतिक संकट से जूझ रहा है, वह इस जिम्मेदारी और इसके महत्ता के प्रति जागरूकता की कमी के कारण है और इसके परिणामस्वरूप एक खोखला और कमजोर प्रशिक्षण सामने आ रहा है, जिससे मनुष्य अपनी इच्छाओं, लालच और बुरे हमलों का मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए मुस्लिम समाज और शिक्षण संस्थान का यह दायित्व है कि नैतिक बुराइयों के विकार के प्रति शैक्षिक उत्तरदायित्व के महत्व को समझें और बुराइयों के उन्मूलन तथा सद्गुणों के प्रचार-प्रसार के लिए पूरी शक्ति लगायें।

पाँचवां पाठः

नैतिक बुराइयों के उपचार की इस्लामी पद्धति

हर बीमारी का इलाज है, जिसे कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते, नैतिक बुराइयों का इलाज इस्लामी संस्कृति में है, यहाँ ऐसी शिक्षाएं और निर्देश हैं जो मृत दिलों को जीवन देते हैं, नैतिक गुणों से भरा जीवन देते हैं और पूरी तरह से पृथ्वी को अच्छाई से भर देते हैं, बुरे संस्कारों के उपचार के तरीके नीचे दिए उल्लेख किए जा रहे हैं।

पहला: इस्लामिक शरई विद्या का प्रचार प्रसार

किसी भी ज्ञान के अर्जन की उत्कृष्टता उससे संबंधित ज्ञान की उत्कृष्टता से निर्धारित होती है, ज्ञान का लाभ उसके आचार और व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव में छिपा होता है, (सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम ज्ञान धर्म का ज्ञान है; क्योंकि इसे जानने से लोग मार्गदर्शन पाते हैं तथा अज्ञानता के कारण गुमराह हो जाते हैं)⁽¹⁾

ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अल्लाह के आदेशों से अवगत हो जाता है और फिर उनका पालन करता है, और वह निषेधों से भी अवगत हो जाता है और फिर उनसे बच जाता है, सर्वोत्तम विद्या शरीअत का ज्ञान अर्जित करना है तथा इससे संबंधित दूसरे ज्ञान, यही वह ज्ञान है जो सेवक को अपने स्वामी और अल्लाह के करीब लाता है, फ़ज़ायल (सद्गुणों) की प्रशंसा करता है और उन्हें उनका अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसे पाप से दूर रखता है और अनैतिकता और व्यभिचार से नफरत पैदा करता है, इसी कारणवश अल्लाह से सर्वाधिक भय खाने वाले एवं अनैतिकता से सबे ज्यादा दूर रहने वाले आलिम एवं ज्ञानी लोग ही होते हैं, अल्लाह तआला ने इसे अपने इस कथन में उल्लेखित किया है:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾

अनुवाद: (अल्लाह से वही बंदे डरते हैं जो ज्ञान रखते हैं)। सूरह फ़ातिर: २८।

भक्त को अल्लाह की जितनी पहचान होगी वह उतना ही अल्लाह से भय खाएगा और यह भय उसे पाप करने से रोकेगा एवं उससे भेंट करने के लिए तैयार करेगा, यह इल्म (ज्ञान, विद्या) की प्रधानता है कि यह इल्म अल्लाह का भय मानव हृदय में उत्पन्न करता है⁽²⁾

⁽¹⁾ अदबुद्दुनिया वदीन, लेखक: मावर्दी, पृष्ठ (२८)।

⁽²⁾ तैसीरुल करीमिर् रहमान फ़ी तफ़सीरे कलामिल मन्नान, लेखक: अब्दुर्हमान सअदी (१/ २६२)।

अल्लामा इब्नुल कैयिम रहिमहुल्लाह ने फ़रमाया: ज्ञान जीवन एवं प्रकाश (नूर) है तथा अज्ञानता मृत्यु एवं अंधकार है, और समस्त बुराइयों की जड़ मृत्यु व अंधकार है एवं समस्त प्रकार के ख़ैर व कल्याण का कारण प्रकाश (नूर) है।⁽¹⁾

क़ुरआन व हदीस के नूर से उत्तम एवं श्रेष्ठ कोई नूर नहीं है, उसी से दिलों को जीवन प्राप्त होता है, जैसाकि अल्लाह तआला का कथन है: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهُ تَحْشُرُونَ﴾ अनुवाद: (हे ईमान वालो! तुम अल्लाह एवं उसके रसूल के कहे का पालन करो जबकि रसूल तुमको तुम्हें जीवनदान देने वाले कार्यों की ओर बुलाते हों, तथा जान लो कि अल्लाह तआला मनुष्य के एवं उसके हृदय के बीच आड़ बन जाया करता है, और निस्संदेह तुम सबको अल्लाह ही के पास जमा होना है)। सूरह अन्फ़ाल: २४। अर्थ यह है कि आदेश एवं निषेध को स्वीकार कर लो इसी में शाश्वत जीवन एवं सदैव का आनंद है।⁽²⁾

सर्वोत्तम उपचार जो परिवार, स्कूल और अन्य शैक्षणिक संसाधन पेश कर सकते हैं वह शरीअत का ज्ञान है, जो नैतिक बुराइयों के ताने-बाने बिखेर कर रख देता है और नैतिक गुणों को बढ़ावा देता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि शरीअत का ज्ञान केवल शरीअत ज्ञान के विशेषज्ञों तक ही सीमित न रह जाए -जैसा कि इस्लामी समाज के कई शैक्षणिक संस्थानों के मामले में ऐसा ही है- बल्कि यह आवश्यक है कि सभी शैक्षणिक विशेषज्ञताओं में शरई ज्ञान का प्रचुर हिस्सा हो, क्योंकि यही समाधान और सटीक उपचार है, यहां तक कि बड़ी संख्या में नशा करने वालों ने धार्मिक औचित्य और मार्गदर्शन के कारण नशीली दवाओं का उपयोग करना बंद कर दिया है, जैसा कि शोध से साबित हुआ है⁽³⁾, तथा क़ुरआन व हदीस पर ईमान रखने के कारण यह चीज़ हमारे निकट प्रमाणित है।

यदि स्कूल में शरई ज्ञान का कोई प्रावधान नहीं हो तो अभिभावक को अपने बच्चों को पर्याप्त शरई ज्ञान देकर इस कमी को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए ताकि उन्हें अपने धर्म की आवश्यक जानकारी और शरीअत ने किन चीज़ों के करने का आदेश दिया है तथा किन कार्यों के करने से रोका है उस से परिचित हो जाए। कोई भी मुस्लिम परिवार और कोई भी मुस्लिम को यह बहाना नहीं बनाना चाहिए कि इंजीनियरिंग, भौतिकी और कृषि जैसी प्रासंगिक

(1) मिफ़ताहु दारिस् सआदह, लेखक: इब्नुल कैयिम (१/ ५२)।

(2) अल् जामेअ लि अहकामिल क़ुरआन, लेखक: कुर्तुबी (७/ २४७)।

(3) देखें: अल् जवानिब अल् इज्तिमाइय्यह लि ज़ाहिरतिल् इदमान, लेखक: सैयिद मुतवल्ली उश्मावी (२/ २०८)।

विशेषज्ञताओं में शरीअत का ज्ञान नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि व्यक्ति पर अनिवार्य है कि उतना शरई ज्ञान अर्जित करे जिसके द्वारा अपने धर्म के प्रति उसकी अज्ञानता दूर हो जाए।

एक अध्ययन से साबित हुआ है कि नशीली दवाओं का उपयोग शिक्षित लोगों की तुलना में अशिक्षित लोगों में अधिक है, चूनाँचे इस अध्ययन के अनुसार ७० प्रतिशत अशिक्षित लोग इसमें लिप्त हैं।⁽¹⁾

नशीली दवाओं के उपयोग का एक कारण उनकी वास्तविकता के बारे में जागरूकता की कमी और उनके लाभों की गलत धारणा है, अतः बड़ी संख्या में दवा उपयोगकर्ताओं का मानना है कि इससे काम में ऊर्जा पैदा होती है और सहकर्मियों से झगड़ा कम होता है।⁽²⁾

⁽¹⁾ अल् जवानिब अल् इज्तिमाइय्यह लि ज़ाहिरतिल् इदमान, लेखक: सैयिद मुतवल्ली उश्मावी (२/ ८२)।

⁽²⁾ पिछला संदर्भ (२/ १२७)।

दूसरा: अच्छी संगति

नैतिकता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक अच्छी संगति भी है, जो व्यक्ति को अच्छाई की ओर ले जाती है, उसे इसे धारण करने के लिए प्रोत्साहित करती है, उसे बुराई से डराती है और उसके मार्ग पर चलने से घृणा उत्पन्न करती है, तथा इसका प्रमाण नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह स्पष्ट फ़रमान है: (مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوِّءِ كَخَامِلِ الْمِسْكِ) وَنَافِعُ الْكَبِيرِ ، فَإِمَّا أَنْ تُبَاعَ مِنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ تُجَدَّ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً ، وَنَافِعُ الْكَبِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ وَنَافِعُ الْكَبِيرِ ، فَإِمَّا أَنْ يُحْدِثَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تُبَاعَ مِنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ تُجَدَّ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً “अच्छे एवं बुरे साथी का उदाहरण कस्तूरी बेचने वाले एवं भट्टी फूँकने वाले के समान है, कस्तूरी बेचने वाला या तो तुम्हें सुगंध उपहार में देगा, अथवा तुम उस से तो इत्र खरीदोगे या सुगंध पाओगे, जबकि भट्टी फूँकने वाला या तो तुम्हारे वस्त्र जला देगा अथवा तुम उससे दुर्गंध का अनुभव करोगे”।⁽¹⁾

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है: (الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ) (مَنْ يَخَالِلُ) “मनुष्य अपने मित्र के धर्म का पालन करता है, इसलिए तुम में से हर एक देखे कि वह किसे अपना मित्र बना रहा है”।⁽²⁾

इसलिए नैतिक विचलनों को ठीक करने के लिए, या उनसे बचने के लिए, या उत्तम नैतिक पहलू को उजागर करने के लिए एक परोपकारी और गुणी साथी का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है; (क्योंकि जो सद्गुणों की खोज करेगा वह उन लोगों के साथ चलेगा जो सद्गुणों से संपन्न हैं, इसी प्रकार से उस मित्र की संगति अपनाएगा जो भाईचारे और अच्छी संगति, नेकी व सच्चाई, धैर्य और वफादारी का प्रतीक होगा)।⁽³⁾

एक अच्छे साथी के प्रमुख गुणों में से एक यह है कि वह शरई ज्ञान का ध्यान रखने वाला एवं अपने जीवन में उतारने वाला हो, बौद्धिक परिपक्वता और अच्छी संगति का स्वामी हो, भाषण से पहले चरित्र के माध्यम से अच्छाई की ओर निमंत्रण देने वाला हो, खैर व भलाई के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाला हो, कल्याण के मार्ग खोलने वाला हो, बुराई के द्वार बंद करने वाला हो, मित्र की गलती को नजरअंदाज करता हो, सलाह में सच्चा हो, काम से प्रेम करने वाला, सक्रिय और चुस्त हो तथा आलसी न हो।

⁽¹⁾ सहीह बुखारी (३/ ४६३) हदीस संख्या (५५३४), व मुस्लिम (४/ २०२२६) हदीस संख्या (१४६-२६२८)।

⁽²⁾ सुनन अबी दावूद: ५/ १६८, हदीस संख्या: ४८२२, सुनन तिर्मिजी: ४/ ५०९, हदीस संख्या: २३७८, अल्लामा अलबानी ने इसे हसन करार दिया है, देखें: सिलसिलतुल अहदीस अस् सहीहह: २/ ३६३, हदीस संख्या: ९२७, उपरोक्त शब्द सुनन अबू दावूद द्वारा वर्णित हैं।

⁽³⁾ अल् अख्लाक व अस् सियर, लेखक: इब्ने हज़म, पृष्ठ (२४)।

जहाँ तक बुरे मित्र की बात है तो उसकी संगति से पछतावे एवं अपमान के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बुरी संगति का अंजाम बयान करते हुए फ़रमाया:

﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۖ﴾ (٧) ﴿يَوَيْلَ لِي لَيْتَنِي لَمْ أَخَذْ فَلَانًا حَلِيلًا ۖ﴾ (٨) ﴿لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ۖ﴾ (٩)

अनुवाद: (तथा जिस दिन ज़ालिम अपने दोनों हाथों को काट खाएगा और कहेगा कि काश मैंने रसूल का साथ अपनाया होता। काश मैंने अमूक को अपना मित्र न बनाया होता, उसने मुझे नसीहत आने के बाद लापरवाह कर दिया तथा शैतान है ही इंसान को धोखा देने वाला)। सूरह फ़ुक्क़ान: २७-२९।

सलफ़ सालेहीन एवं नेक पूर्वजों ने बुरी संगति से डराया है, अतः उनमें से एक का कथन है: दो प्रकार के लोगों से बचो: एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो अपनी चाहत में मुग्ध हो, दूसरा सांसारिक व्यक्ति जिसको दुनियां ने अंधा बना दिया हो।^(१)

मैदानी अनुसंधान ने यह भी संकेत दिया है कि बुरी संगति दूसरों में नैतिक अधमता स्थानांतरित करने में प्रमुख भूमिका निभाती है, एक क्षेत्रीय सांख्यिकीय अध्ययन से पता चला है कि पेशेवर संगति नए श्रमिकों पर एक मजबूत प्रभाव छोड़ती है और उनके बीच गलतफहमी पैदा करती है।^(२)

इसी तरह, इस शोध से यह भी साबित हुआ है कि आधे से अधिक ५४.६% लोगों ने कई बार नशा छोड़ने की कोशिश की है, लेकिन उनके और उनके प्रयासों के बीच बुरे दोस्त बाधा बन गए हैं^(३), बल्कि इस शोध से पता चला है कि ८५.५% प्रतिशत लोगों ने बुरी संगति को बिगड़ने का मुख्य कारण बताया है।^(४)

(१) इक़्तिज़ाउस्सिरातिल मुस्तक़ीम, लेखक: इब्ने तैमिय्यह, पृष्ठ (२५)।

(२) अल् जवानिब अल् इज्तिमाइय्यह लि ज़ाहिरतिल् इदमान, लेखक: सैयिद मुतवल्ली उश्मावी (२/ ९०)।

(३) पिछला संदर्भ (२/ १२५)।

(४) पिछला संदर्भ (२/ १२५)।

तीसरा: शरई दण्डों को लागू करना

अल्लाह तआला ने अपनी रचना (मखलूक) पर यह उपकार किया है कि उसने उन्हें शरई दण्डों का विधान प्रदान किया तथा उसका पालन करने को अनिवार्य किया है, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन है:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

अनुवाद: (जो लोग अल्लाह द्वारा उतारी हुई वहत्य के अनुसार फैसला न करें वही लोग काफ़िर हैं)। सूरह माइदा: ४४।

एक स्थान पर अल्लाह तआला का कथन है:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

(जो लोग अल्लाह द्वारा उतारी हुई वहत्य के अनुसार फैसला न करें वही लोग काफ़िर हैं)। सूरह माइदा: ४५।

अल्लाह के वहत्य (प्रकाशना, आकाशवाणी) के विरुद्ध निर्णय करना अविश्वासियों के कार्यों में से एक है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा इस आयत की तफ़सीर में कहते हैं: कुफ़्र अर्थात् अविश्वास दो प्रकार का होता है: एक बड़ा और दूसरा छोटा, ज़ुल्म अर्थात् अत्याचार दो प्रकार का होता है: एक बड़ा दूसरा छोटा, फ़िस्क़ (पाप) दो प्रकार का होता है: एक बड़ा दूसरा छोटा, चुनाँचे वहत्य के विरुद्ध निर्णय को जायज़ (वैध) समझना बड़ा ज़ुल्म है तथा जायज़ न समझना कबीरा गुनाह है।⁽¹⁾

जब शरिया दंड लागू किया जाए तो अपराधियों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए ताकि बुराइयां एवं नैतिक विचलन आम न हो, क्योंकि नैतिक विचलन एवं आपराधिक प्रवृत्ति फैलने का एक प्रमुख कारण अपराधियों की सज़ाओं को कम करना एवं उत्पीड़ितों से अधिक उनके प्रति सहानुभूति रखना है, और यह तर्क देना है कि दण्ड मनोवैज्ञानिक घबराहट एवं तनाव में वृद्धि का कारण बनता है।⁽²⁾

यह निरर्थक करुणा उस सांसारिक कानून में पाई जाती है जिसे नैतिक विचलन और समाज में उनके प्रसार को रोकने के लिए बनाया गया है, जबकि शरई दंड में विचलन करने वालों के प्रति सहानुभूति रखने का कोई औचित्य नहीं है, बल्कि दंड को बिना किसी दया के

⁽¹⁾ तैसीरुल करीमिर् रहमान फ़ी तफ़सीरि कलामिल मन्नान, लेखक: अब्दुर्हमान सअदी (१/ ४८८-४८९)।

⁽²⁾ अत् तर्बियतुल इस्लामिय्यह व दौरुहा फ़ी मुकाफ़हतिल जरीमह, लेखक: मिक्दाद येलज़िन, पृष्ठ (२२४)।

लागू किया जाना चाहिए ताकि पथभ्रष्ट व्यक्ति अपने विचलन और विकृति से वापस आ जाए, और दूसरों में भी उसका अनुसरण करने से भय उत्पन्न हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फ़रमान को देखिए: “(وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)“ (अस्तित्व) की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, यदि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सुपुत्री फ़ातमा भी चोरी करती तो मैं उसके हाथ काट देता”⁽¹⁾

ज़िना की हद (व्यभिचार की इस्लामी सज़ा) के बारे में अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

अनुवाद: (व्यभिचारी पुरुष एवं महिला दोनों में से हरेक को सौ कोड़े लगाओ, उन पर अल्लाह की शरीअत की हद जारी करते हुए तुम्हें कदापि दया नहीं आनी चाहिए, यदि तुम्हें अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान हो, तथा उन को सज़ा देते समय मुसलमानों का एक समूह वहाँ उपस्थित रहे)। सूरह नूर: २।

शरई दण्ड मुजरिम को दोबारा जुर्म करने से रोकता है, क्योंकि यहाँ वह हमदर्दी एवं सहानुभूति का कोई रास्ता नहीं पाता है।

नैतिक दृष्टिकोण से यह भी पाया गया है कि व्यक्तित्व के सुधार में दण्ड का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अतः मनुष्य का स्वाभाविक झुकाव उस पद्धति से बचना होता है जहाँ कष्टदायक अनुभव होते हैं तथा वह उस पद्धति को अपनाना चाहता है जहाँ सुखद अनुभव हो।⁽²⁾

इस्लामी कानून के अलावा किसी भी समाज में ऐसा कोई कानून नहीं है जो नैतिक विचलन को रोक सके, क्योंकि इस्लामी कानून में सज़ा अपराध की गंभीरता के अनुसार दी जाती है और सज़ा देने में कोई नरमी नहीं बरती जाती है, जिससे व्यक्तियों में अच्छे संस्कारों के प्रति आकर्षण पैदा होता है और नैतिक भ्रष्टाचार से दूरी की भावना उत्पन्न होती है। जो भी उन समाजों पर करीब से नज़र डालेगा जहाँ शरीअत की सज़ाएं लागू नहीं होतीं, उसे पता चलेगा कि वे समाज बढ़ते अपराधों से इस कदर जूझ रहे हैं कि लोग अमन-चैन की नेमत से महरूम हैं, इसकी तुलना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम द्वारा स्थापित समाज पर गौर करने वाला यह पाएगा कि यहाँ अपराध न के बराबर है, बल्कि अबू बक्र सिद्दीकी रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के दौरान जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने न्यायपालिका की जिम्मेदारी संभाली तो

(1) सहीह मुस्लिम (३/ १३१५) संख्या (१/ १६८८)।

(2) इल्मु इज्तिमाइल इक्राब, लेखक: नबील अस् सल्लूती (१/ ११५)।

एक साल तक अपराध की एक भी घटना उनके सामने नहीं आई⁽¹⁾ और वर्तमान में सऊदी अरब इसका उत्तम उदाहरण है जो अमन-चैन की दौलत से मालामाल है जिसके कारण लोग समाज में आनंदित एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

चौथा: मीडिया का सही उपयोग

वर्तमान में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रशिक्षण का प्रभावी साधन माना जाता है; क्योंकि यह संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ा है जिसने इसे घरों की चारदीवारी के भीतर ला दिया है और जिसके माध्यम से वांछित संदेश पहुंचना आसान हो गया है।

चूंकि यह एक साधन है, इसलिए इसका हुक्म वही होगा जो इसके द्वारा प्रचारित सामग्री का हुक्म होगा, तदनुसार, यदि भलाई का प्रचार प्रसार करे तो ठीक है और यदि बुराई का प्रचार प्रसार करे तो गलत है, इसके द्वारा पेश किए गए सामग्री के आधार पर इसकी प्रभावशीलता सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होगी, अतः जब इसका उपयोग इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार सही ढंग से किया जाएगा, तो इसे अच्छी नैतिकता फैलाने और बुरी नैतिकता को खत्म करने का एक साधन माना जाएगा।

इस्लाम ही एकमात्र ऐसा कानून है जो मानवता को अराजकता और बुराई से बचा सकता है, इसलिए निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ इस्लामी चैनल खोलने की तत्काल आवश्यकता है:

- १- इस्लाम की दावत व निमंत्रण।
- २- सच्ची सलाह एवं मार्गदर्शन।
- ३- बुरी बातों के प्रसारण से बचना।

तब जा कर इस्लाही दावत (समाज सुधार आह्वान) की गूंज संसार के हर कोने में सुनाई देगी, न कोई दुश्मन इसे रोक पाएगा और न ही कोई ईर्ष्यालु, विद्रोही और अत्याचारी लोग दाइयों (उपदेशकों) को अल्लाह की बात लोगों तक पहुंचने से रोका करते थे, अब इस मीडिया ने इस बाधा को समाप्त कर दिया है, अब बाधाओं की परवाह किए बिना तौहीद के कलेमा (वाक्य) और उसकी प्रधानताओं का प्रचार प्रसार किया जा सकता है, उदंडी तथा शत्रु इसके आड़े नहीं आ सकते, इसलिए मीडिया वर्तमान युग में व्यक्तियों और समाज को प्रभावित करने वाले सबसे प्रभावी हथियारों में से एक है, बशर्ते कि मुस्लिम समाज की ओर इसका सही उपयोग किया जाए, कानूनी उपग्रह चैनल खोले जाने चाहिए जो संसार को तौहीद (एकेश्वरवाद) का संदेश सुनाए, उस नूर (प्रकाश) एवं पद्धति से परिचित कराए जो लौकिक एवं पारलौकिक

⁽¹⁾ अखाबरुल कुजात, लेखक: वकीअ बिन हैयान (१/ १०४)।

जीवन की सफलता की गारंटी है, तथा उन नैतिक बुराई और भ्रष्टाचार के किले को ढाह दे जो मुस्लिम समाज में व्याप्त हो कर तबाही मचा रहे हैं।

पाँचवा: मस्जिदों का सही उपयोग

इस उम्मत पर अल्लाह तआला की एक नियामत यह है कि उसने मस्जिदों में जमाअत के संग नमाज़ पढ़ने का विधान बनाया, वह मस्जिदें जो निमंत्रण के केंद्रबिंदु एवं मार्गदर्शन के मंच हैं, जो हृदय को भलाई से आह्लादित करती हैं, अनैतिक आचरण, पाप के अंधकार एवं गुनाहों के बोझ से मुक्ति दिलाती हैं।

इसी प्रकार से इस उम्मत पर अल्लाह की एक नेमत यह भी है कि जुमुआ में खुत्बा का विधान बनाया जिससे ख़तीब (उपदेशक, भाषणकर्ता) स्नेहिल आवाज़ एवं प्रेम से भरी शैली में लोगों का मार्गदर्शन कर सकता है, सही बात बता सकता है, और अच्छाई का आदेश दे सकता है और बुराई से रोक सकता है, सम्माननीय जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के उपदेश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि: “जब अल्लाह के दूत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उपदेश देते तो उनकी आंखें लाल और आवाज़ बुलंद हो जाती तथा क्रोध तीव्र हो जाता था (और ऐसा प्रतीत होता था) मानो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम किसी ऐसी सेना से डरा रहे हैं जो सुबह या शाम को हमला करने वाली हो”⁽¹⁾

ख़तीब (उपदेशक) को समाज की समस्याओं और उसमें फैली नैतिक बुराइयों पर चर्चा करनी चाहिए, उनके बारे में शरीयत के नियमों की व्याख्या करनी चाहिए और लोक-परलोक में व्यक्ति, समाज और उम्मत पर पड़ने वाले उनके खतरनाक प्रभावों का उल्लेख करे, किसी व्यक्ति विशेष को लक्ष्य न बनाए, संकेत एवं इशारा में बात करना ही काफी है, विशिष्ट रूप से व्यक्ति विशेष को निशाना बनाने से बचना चाहिए, मंच से किसी की आलोचना करना मानो श्रोता के साथ अभद्रता एवं गलती करने वाले को अपमानित करना है, जिसके कारण वह उपदेश को स्वीकार नहीं करेगा, अपितु वह अपनी गलती पर ही अड़ा रहेगा⁽²⁾

खुत्बा और उपदेश तभी लाभदायक परिणाम दे सकते हैं जब उसमें दो चीज़ें पाई जाएं:

पहली चीज़ ख़तीब (उपदेशक) से संबंधित है:

⁽¹⁾ सहीह मुस्लिम (२/ ५९२) संख्या (८६७)।

⁽²⁾ मिम्बरुल जुमुअति अमानतुन व मसऊलियतुन, लेखक: अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद आल हुमैयिद, पृष्ठ (२१)।

१- उपदेशक एक उत्कृष्ट आदर्श हो, लोगों के बीच अपनी भलमनसाहत के लिए जाना जाए, क्योंकि खाली हाथ दूसरों को कुछ नहीं दे सकता।

२- खुत्बा (प्रवचन) को भाषा एवं शैली की दृष्टि से अच्छे ढंग से तैयार करो।

३- उपदेश एक ही विषय पर आधारित हो।

४- उपदेश को अल्लाह की किताब, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत एवं विद्वानों की बातों तथा प्रमाणों से अलंकृत किया जाना चाहिए।

५- उपदेशक को उपदेश लम्बा नहीं करना चाहिए तथा बोलने के ढंग में किसी की नकल नहीं करनी चाहिए।

७- उपदेश में प्रोत्साहन एवं भय का समावेश होना चाहिए तथा समाज की समस्याओं एवं नैतिक बुराइयों पर चर्चा कर उनका समाधान प्रस्तुत करना चाहिए।

दूसरी चीज़ नमाज़ियों से संबंधित है:

१- मस्जिद में उपस्थिति हो।

२- खुत्बा एवं उसके पैगाम को ध्यान से सुने तथा उस पर सोच-विचार करने के लिए सही से बैठ जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है: “إِذَا قُلْتُ: أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ (يُخْطَبُ؛ فَقَدْ لَغَوْتُ) यदि तुमने खुत्बा की स्थिति में किसी से कहा: चुप रहो तो तुमने बेकार बात कही”⁽¹⁾

अतः इमाम को चाहिए कि वह श्रोता को इस बात से सूचित कर दे कि खुत्बा को आरंभ से अंत तक ध्यान से सुनना आवश्यक है।

मस्जिद भी विभिन्न तरीकों से अपनी शैक्षिक जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकती है और वे इस प्रकार हैं:

क- शरई इल्मी पाठ की व्यवस्था करना।

ख- शैक्षिक व्याख्यानों की व्यवस्था करना जो लोगों को अच्छाई के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें बुराई से रोके।

ग- कुरआन को याद करने के लिए मंडलियां स्थापित करना; क्योंकि यह कुरआन ही नैतिक संहिता है, आध्यात्मिक चिकित्सक है, इस पर अमल करने से उम्मत सफल होगी और अगर लोग इसे छोड़ देंगे तो वे असफल हो जायेंगे।

⁽¹⁾ अबू दावूद (१/ ६६५) हदीस संख्या (१११२)।

घ- एक पुस्तकालय की स्थापना की जानी चाहिए जो इस्लामी पुस्तकों से समृद्ध हो, किसी विद्वान या छात्र को इसका कार्यवाहक होना चाहिए और यह पुस्तकालय विद्वानों, छात्रों और अज्ञानी लोगों को अपनी सेवाएँ प्रदान करने।

ङ- मस्जिद में एक धर्मार्थ संस्था होनी चाहिए जहां अमीरों का धन इकट्ठा किया जाए और गरीबों की शांति और सुरक्षा के लिए खर्च किया जाए ताकि उन्हें दूसरों के सामने हाथ फैलाने के अपमान और अनैतिकता से बचाया जा सके।

यदि मस्जिद यह महान प्रशिक्षण भूमिका को निभाना शुरू कर देती है, तो जहां यह समाज से बुराइयों को दूर करने और सद्गुणों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, वहीं पर यह एक उत्कृष्ट मुस्लिम उम्मत के निर्माण में भी भूमिका निभाएगी जो लोगों की भलाई के लिए काम करेगी।

छठा: नफ्स (स्वयं) से जिहाद करना

आत्मा के भीतर दुष्ट विचलन के प्रेरक होते हैं, जिन्हें मनुष्य एवं जिन्नातों में से शैतान इसे आदमी के लिए सुंदर बनाकर प्रस्तुत करते हैं, यदि रक्षात्मक प्रयास न हो तो कभी-कभी आत्मा बुराई की ओर झुक जाती है, इसीलिए आत्मा के खिलाफ लड़ना और जिहाद करने को जिहाद के उच्चतम स्तरों में से एक माना जाता है। आत्मा यदि नैतिक गुणों से परिपूर्ण हो तो आत्मा इच्छाओं और उसके झुकाव से प्रभावित नहीं होंगी: अल्लाह सर्वशक्तिमान का फ़रमान है:

﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾

अनुवाद: (निस्संदेह आत्मा तो बुराई पर उकसाने वाला ही है)। सूरह यूसुफ: ५३।

नफ्स के भीतर दूसरों पर अत्याचार करने की इच्छा होती है, दूसरों पर हावी होना, उनसे ईर्ष्या करना और उनके अधिकारों पर अतिक्रमण करना उत्पीड़न के रूप हैं। नफ्स व्यभिचार एवं हरामखोरी जैसी दूसरी मलीन इच्छाओं का अनुसरण कर के अपने ऊपर भी अत्याचार करता है, नफ्स कभी-कभी उस व्यक्ति के साथ भी अन्याय करता है जिसने उसके साथ कभी अन्याय नहीं किया है, इन बुराइयों का प्रभाव रहता है यद्यपि वह बुराई को अंजाम न दे, लेकिन जब वह दूसरों को गलत करते हुए या इच्छाओं का पालन करते हुए पाता है तो उसकी इच्छाएँ या क्रूरता की कामना काफी बढ़ जाती है।⁽¹⁾

अतः नफ्स के साथ जिहाद करना एक महान कार्य है, अल्लाह तआला का कथन है:

⁽¹⁾ अल् अम्र बिल मअरूफ़ व अन् नह्य अनिल मुन्कर, लेखक: इब्ने तैमिय्यह, पृष्ठ: (४०-४१)।

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ (٤١)

अनुवाद: (जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा एवं अपने नफ्स को इच्छाओं से रोका तो उसका ठिकाना जन्नत है)। सूरह नाजिआत: ४०-४१।

अल्लामा इब्नुल कैयिम रहिमहुल्लाह ने जिहाद को चार प्रकार में विभाजित किया है:

नफ्स के साथ जिहाद करना, शैतान के साथ जिहाद करना, काफ़िरो के साथ जिहाद करना एवं मुनाफ़िकों (पाखण्डियों) के साथ जिहाद करना।

नफ्स के साथ जिहाद करने की चार श्रेणियां हैं:

१- उस सही मार्गदर्शन और सच्चे धर्म को सीखने के लिए जिहाद, जिसके बिना इस दुनिया और आखिरत में कल्याण संभव नहीं है।

२- इस धर्म को सीखकर उस के अनुसार कर्म करने के लिए जिहाद और प्रयास करना।

३- इस धर्म के आमंत्रण और प्रचार के लिए जिहाद करना।

४- दावत के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों पर कायम रहने के लिए जिहाद और सब्र करना।

नंबर दो: शैतान के साथ जिहाद करने तथा इसकी दो श्रेणियां हैं:

१- शैतान के द्वारा ईमान के खिलाफ़ डाले गए उन संदेहों और शंकाओं को दूर करने के लिए जिहाद करना जो वह बंदे के दिल में डालता रहता है।

२- शैतान के गलत विचारों और इच्छाओं के खिलाफ़ जिहाद करना, आत्म-सुधार का पहला चरण मुजाहिदा (प्रयास) के लिए धैर्यपूर्वक काम करना है, इसलिए कि यह आसान नहीं है, यही कारण है कि इसका प्रतिफल बहुत अधिक है और इसके परिणाम व्यक्ति के लिए इस दुनिया और आखिरत में अच्छे और सुखद हैं, अल्लाह तआला ने तक्रवा और सब्र के प्रतिफल के बारे में कहा है:

﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٩٠)

अनुवाद: (जो तक्रवा अपनाएगा एवं सब्र करेगा तो निस्संदेह अल्लाह सदाचारियों के पुण्य को नष्ट नहीं करेगा)। सूरह यूसुफ: ९०। अर्थात जो अल्लाह द्वारा निषेध की गई चीजों से

बचेगा, कष्ट एवं विपदाओं पर तथा उसके आज्ञापालन पर सन्न करेगा तो यह नेकी है और अल्लाह तआला नेकी करने वालों का पुण्य नष्ट नहीं करता है।⁽¹⁾

छठा: दूरदर्शिता (मृत्यु पश्चात जीवन का सिद्धांत)

मरणोपरांत जीवन का सिद्धांत नैतिक बुराइयों को छोड़ने एवं इस्लामी सद्गुणों को अपनाने का एक प्रभावी एवं शक्तिशाली कारक है, संसार को अंतिम जीवन मानने का सिद्धांत, सांसारिक आनंद एवं इच्छाओं के पीछे भागने का प्रमाण है जैसाकि कमजोर ईमान वालों की स्थिति है, अल्लाह तआला इसको स्पष्ट करते हुए एवं इसके अंजाम से डराते हुए फ़रमाया:

﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۖ﴾ (17)

अनुवाद: (बल्कि तुम लोग सांसारिक जीवन को वरीयता दे रहे हो, हालांकि आखिरत (परलोक) का जीवन उत्तम एवं शेष रहने वाला है)। सूरह आला: १६-१७।

इसका उपचार -नैतिक विचलन के समापन एवं उनके इलाज के साथ साथ- इस बात का विश्वास एवं ज्ञान है कि यह संसार परीक्षण एवं आजमाइश का घर है तथा यह नाश हो जाने वाला है, अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۚ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۚ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝﴾ (100)

अनुवाद: (तथा हम किसी न किसी तरह तुम्हारा परीक्षण अवश्य करेंगे, शत्रु के डर से, भूख-प्यास से, जान-माल एवं धन की कमी से, तथा इन पर सन्न करने वालों को शुभ सूचना दे दीजिए। जिन्हें जब कभी कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं कि हम तो स्वयं अल्लाह तआला की मिलिक्यत हैं तथा हम उसी की ओर लौटने वाले हैं)। सूरह बक्ररह: १५५-१५६।

एक स्थान पर सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन है:

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۝﴾ (2)

अनुवाद: (जिसने मृत्यु एवं जीवन के इसलिए उत्पन्न किया है ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में अच्छे कार्य कौन करता है, और वह प्रभुत्वशाली (एवं) क्षमी है)। सूरह मुल्क: २।

और फ़रमाया:

(1) तैसीरुल करीमि रहमान फ़ी तफ़सीरे कलामिल मन्नान, लेखक: अब्दुर्रहमान सअदी (१/ २६२)।

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝۷﴾

अनुवाद: (वास्तव में जो कुछ धरती के ऊपर है, उसे हमने उसके लिए शोभा बनाया है, ताकि उनकी परीक्षा लें कि उन में कौन कर्म में सब से अच्छा है?)। सूरह कहफ़: ७।

स्वादिष्ट भोजन और पेय, शानदार कपड़े, पेड़, नदियाँ, खेत, फल, सुंदर दृश्य, सुंदर बगीचे, मनमोहक ध्वनियाँ, सुंदर चित्र, सोना और चाँदी, ऊँट और घोड़े और इसी तरह की और भी चीज़ें जो अल्लाह ने इस दुनिया की सजावट एवं लोगों के परीक्षण के लिए बनाई हैं, परंतु अल्लाह के आदेश से ये सभी चीज़ें नष्ट हो जाएँगी और यह लहलहाती हुई ज़मीन एक समतल मैदान में बदल जाएगी।⁽¹⁾

यदि कोई व्यक्ति इस तथ्य से परिचित हो जाए और इस पर ईमान ले आए तो वह इस पर ध्यान क्यों नहीं देगा, और वह परलोक में आनंद और खुशी से भरे शाश्वत सुखों की तुलना में दर्दनाक नश्वर सुखों को क्यों पसंद करेगा? अल्लाह तआला ने इस वास्तविकता का बखान यों किया है:

﴿إِنَّ لِّلْمُتَّقِينَ مَغَازٍ ۝۳۱ حَذَائِقَ وَأَعْنَابًا ۝۳۲ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ۝۳۳ وَكَأْسَادٍ هَاقًا ۝۳۴ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدًّا ۝۳۵

۝۳۶ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ۝۳۷﴾

अनुवाद: (निस्संदेह परहेजगार लोगों के लिए सफलता है। बाग और अंगूर हैं। और जवान उसी उम्र की कुँवारियाँ स्त्रियाँ हैं। और शराब के छलकते जाम हैं। वहाँ वे न तो बकवास सुनेंगे और न झूठ सुनेंगे। (उनको) तेरे रब की ओर से (उनके सदाचारिता का) यह बदला मिलेगा जो पर्याप्त पुरस्कार होगा)। सूरह नबा: ३१-३६।

इसलिए इस्लामी प्रशिक्षण की यह पद्धति अपने अनुयायियों से अपील करती है कि वे अपनी आँखें भविष्य और उसकी खुशियों पर केंद्रित करें, नाशवान चीज़ों और उनके छिन जाने के दर्द से दूर रहें, वासनाओं और उनके दर्दनाक परिणामों से बचने का प्रयास करें ताकि क्षमा करने वाले, प्रेम करने वाले अत्यंत दयालु महा कृपालु रब के पास उन सुखों का आनंद लें जो कभी फना और नष्ट नहीं होंगे।

⁽¹⁾ तैसीरुल करीमिर् रहमान फ़ी तफ़सीरे कलामिल मन्नान, लेखक: अब्दुर्रहमान सअदी (३/ १४३)।

तीसरा अध्यायः

उम्मत पर पड़ने वाले बुरे आचरण के प्रभाव

पहला पाठः धार्मिक प्रभाव

दूसरा पाठः सुरक्षा संबंधी प्रभावः

तीसरा पाठः स्वास्थ्य से संबंधित अनैतिकता के बुरे
प्रभाव

चौथा पाठः मनोवैज्ञानिक प्रभावः

पाँचवां पाठः सामाजिक प्रभाव

छठा पाठः पारिवारिक प्रभाव

सातवां पाठः आर्थिक एवं वित्तीय प्रभाव

परिचय:

अनैतिकता का व्यक्ति और समाज पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जिसके विभिन्न रूप होते हैं, उनमें से यह भी है कि धर्मनिष्ठा लुप्त होने लगती है, आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ जाती है, द्वेष और घृणा पनपने लगती है, सामाजिक संरचना कमजोर होने लगती है, नैतिक बुराईयाँ फैलने लगती हैं, परिवार और समाज की शांति नष्ट हो जाती है और उसका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है।

पवित्र कुरआन और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत में हमारे लिए यह शिक्षा और उपदेश है कि जब क़ारून ने हठ और अहंकार दिखाया तो अल्लाह ने उसे धरती में धंसा दिया, अल्लाह फ़रमाता है:

﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ﴾ [سورة القصص: ٨١]

अनुवाद: (अंततः हमने उसे उसके महल समेत धरती में धंसा दिया तथा अल्लाह के सिवा कोई समूह उसकी सहायता के लिए तैयार नहीं हुआ न वह स्वयं अपने बचाने वालों में हो सका)। सूरह क़सस: ८१।

वह बस्ती जो अल्लाह के अनुग्रहों को पाकर इतराने लगी थी, उसका उल्लेख करते हुए अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [سورة النحل: ١١٢]

अनुवाद: (अल्लाह ने एक बस्ती का उदाहरण दिया है, जो शान्त संतुष्ट थी, उस की जीविका प्रत्येक स्थान से प्राचुर्य के साथ पहुँच रही थी, तो उसने अल्लाह के उपकारों के साथ कुफ़्र किया, तब अल्लाह ने उसे भूख एवं भय का वस्त्र चखा दिया उसके बदले जो वह कर रहे थे)। सूरह नहल: ११२।

सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह ने लूट अलैहिस्सलाम की बस्ती के बारे में फ़रमाया:

﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّنْ سِجِّيلٍ مَّضُودٍ﴾ [سورة هود: ٨٢]

अनुवाद: (फिर जब हमारा आदेश आ पहुँचा, हमने उस बस्ती के ऊपरी भाग को नीचे (तहस-नहस) कर दिया, तथा उन पर पकी हुई कंकरियों की बारिश कर दी)। सरह हूद: ८२।

इस अध्याय में निम्नलिखित सात पाठों के तहत मुस्लिम उम्मत पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन किया गया है:

- धार्मिक प्रभाव।
- सुरक्षा प्रभाव।
- स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव।
- मनोवैज्ञानिक प्रभाव।
- सामाजिक प्रभाव।
- पारिवारिक प्रभाव।
- आर्थिक एवं वित्तीय प्रभाव।

पहला पाठ: धार्मिक प्रभाव

नैतिक बुराईयाँ करने से व्यक्तियों और समुदायों की धार्मिकता में बाधा उत्पन्न होती है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दुश्मनी उजागर होती है, उस धर्म की कुरूप छवि सामने आती है और इस्लाम की सच्ची छवि को नज़रअंदाज़ करते हुए उन्ही अनैतिक आचरण को मोहरा बना कर इस्लाम के दुश्मन इस्लाम धर्म की ऐसी तस्वीर सामने लाते हैं जो इसके अनुयायियों के नैतिक विचलन को प्रकट करती है, नैतिक बुराईयों के कारण पड़ने वाले धार्मिक प्रभाव निम्नलिखित हैं:

१- इस्लाम की वास्तविक छवि को विकृत करना:

यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि इस्लाम उस धर्म और मिल्लत का नाम है जिसे समस्त संसार के पालनहार (अल्लाह) ने मानव जाति के लिए पसंद किया था, जिसे लेकर रूहुल अमीन (पवित्र आत्मा, जिब्रील अलैहिस्सलाम) पवित्र व अमानतदार पैगंबर मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर उतरे ते, शरीअत (धार्मिक विधान) आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के शुद्ध हृदय पर स्पष्ट एवं प्रदीप्त रूप में नाज़िल हुई, जैसाकि सम्माननीय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है: “मैंने तुमको एक ऐसे स्पष्ट एवं उज्ज्वल मार्ग पर छोड़ा है जिसकी रात भी दिन के समान प्रकाशमान है, इस मार्ग से मेरे बाद केवल वही विमुख होगा जिसके भाग्य में विनाश लिखा जा चुका होगा”।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस प्रकाशमान एवं उज्ज्वल धर्म पर दृढ़ता के साथ जमे रहे और उन्होंने अपने साथियों को भी इसका प्रशिक्षण दिया, चुनाँचे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने हमारे और दुनिया के सभी लोगों के लिए इस धर्म की एक जीवित, सच्ची, सही और उज्ज्वल छवि पेश की, जिसे लोगों ने देखा एवं अनुभव किया तथा इससे प्रेरित होकर समूह के समूह इस्लाम धर्म में प्रवेश किया, जैसा कि अल्लाह सर्वशक्तिमान ने कहा है:

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝﴾

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٢﴾ [سورة النصر: १-३]

अनुवाद: (हे नबी! जब अल्लाह की सहायता एवं विजय आ जाए। और आप लोगों को अल्लाह के धर्म में दल के दल प्रवेश करते देख लें। तो अपने पालनहार की प्रशंसा के साथ उसकी पवित्रता का वर्णन करें, और उससे क्षमा मांगें, निस्संदेह वह बड़ा क्षमी है)। सूरह नज़्र: १-३।

जब इस्लामी देशों में नैतिक बुराई आम हो गई और मुसलमानों ने अपने कार्यों से दुनिया के सामने इस्लाम की विकृत छवि पेश करना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप लोगों को

यह भ्रम होने लगा कि यही इस्लाम की असली छवि है, जिसे इसके अनुयायी अपने आचरण के द्वारा पेश कर रहे हैं। इस्लामी समाज में चोरी, डाका, फरेब और धोखाधड़ी में आम हो गई, शराब पीना और गुप्त और सार्वजनिक दोनों स्तरों पर व्यभिचार का रिवाज बढ़ने लगा, काफ़िर देशों में रहने वाले मुसलमान अपने आचरण एवं व्यवहार में काफ़िरों की नकल करने लगे, उनके आचरण में अत्याचार एवं क्रूरता, अहंकार एवं घमण्ड और जुल्म एवं अभिमान टपकने लगा, कभी-कभी तो यह सारे अपराध इस्लाम के नाम पर भी अंजाम दिए गए, परिणामस्वरूप संसार वासियों के समक्ष इस्लाम का विकृत रूप सामने आया एवं वे बदगुमानी का शिकार हो गए।

इसलिए मुसलमानों को इस दुनिया में और आखिरत में सामने आने वाले नैतिक बुराइयों के गंभीर प्रभावों के बारे में पता होना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है: “जिसने इस्लाम में किसी बुरे कार्य की बुनियाद डाली -जिससे इस्लाम ने रोका है- तो उसके ऊपर उसके अपने कृत्य का भी पाप है एवं उन लोगों के पापों का भी जो उसके बाद उसका अनुसरण करेंगे, तथा दोनों के पाप में कुछ भी कमी नहीं की जाएगी”⁽¹⁾

२- इस्लाम धर्म दुश्मनों की आलोचना और अनावश्यक टिप्पणियों का विषय बनता है:

जब इस्लाम के अनुयायियों में नैतिक बुराइयाँ आम हो जाती हैं, तो इस्लाम के दुश्मनों को अपनी भाषा और मीडिया के माध्यम से इस्लाम की अनुचित आलोचना करने का मौका मिलता है, हमारी इस कमी को हमारे दुश्मन हमारे सच्चे धर्म पर सेंध मारने के लिए एक स्वर्णिम अवसर के रूप में प्रयोग करते हैं।

जब कुछ मुस्लिम महिलाओं ने इस्लामी हिजाब को त्याग दिया और अंग प्रदर्शन एवं नग्नता के रूप में अनैतिकता दिखाना शुरू कर दिया, तो इस्लाम के दुश्मनों को एहसास हुआ कि यदि उन्होंने हिजाब की इस्लामी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, तो स्वयं मुसलमानों में से उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले समर्थक मिल जाएं, अतः दुश्मनों ने कलम और कागज, पत्रिकाएं एवं समाचार पत्रों और मीडिया जैसे हथियारों के साथ इस्लामी हिजाब के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया।

इस्लाम के शत्रुओं को इस्लाम के विरुद्ध आवाज़ उठाने की जुर्रत उसी समय मिलती है जब उनके लिए मार्ग प्रशस्त दिखाई देता है, अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿إِنْ يَتَفَقَّهْكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالسِّنَنُومُ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ۝٢﴾

[سورة الممتحنة: ٢]

⁽¹⁾ सहीह मुस्लिम (२/ ५०७) हदीस संख्या (६९-१०४)।

अनुवाद: (यदि वह तुम पर कहीं काबू पालें तो तुम्हारे खुले दुश्मन हो जाएं और बुराई के साथ तुम पर हाथ डालने लगें तथा दिल से चाहने लगें कि तुम भी कुफ़्र करने लग जाओ)।
सूरह मुमतहिनह: २।

अर्थात् यदि वह तुम पर प्रभुत्व पा लें तो अपनी बात एवं कार्य के द्वारा तुम्हें घायल करने में तनिक भी न सोचें।⁽¹⁾

इस्लामी जगत की वर्तमान स्थिति पर विचार करने वाला व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है कि आज इस्लाम की कितनी आलोचना हो रही है, विशेषकर महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर कितनी जोर-शोर से आवाजें उठ रही हैं और यह टिप्पणी की जा रही है कि इस्लाम महिलाओं एवं पुरुषों के बीच न्याय और समानता का पक्षधर नहीं है।

इस नारे के पीछे दुश्मनों की नापाक मंशा यह है कि महिलाओं को उनके घर और शैक्षिक जिम्मेदारियों से बाहर निकाला जाए और दुकानों, कारखानों और अस्पतालों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ठोकर खाने पर विवश किया जाए, जिसके परिणामस्वरूप इस्लामी नैतिकता और मूल्यों की नींव उसी प्रकार से नष्ट हो जाए जिस प्रकार से काफ़िरों के समाज में नैतिक पतन की स्थिति है।

३- लोगों का इस्लाम धर्म स्वीकार करने से घृणा करना:

जब उम्मत के सदस्यों के बीच नैतिक विचलन प्रचलित हो जाते हैं, तो इस्लामी उम्मत को धार्मिक दृष्टिकोण से इस नुकसान का सामना करना पड़ता है कि अन्य धर्म के लोग इस्लाम से नफरत करने लगते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति इस्लाम स्वीकार करने की घोषणा करता है वह अपनी उस धार्मिक प्यास बुझाने के लिए ऐसा करता है जो उसे अन्य धर्मों में नहीं मिल पाती है और न ही मिल सकती है, लेकिन जब कोई इतना प्यासा व्यक्ति देखता है कि मुसलमान भी उन्हीं नैतिक बुराइयों में लिप्त हैं, तो वह समझता है कि यही इस्लाम द्वारा प्रस्तुत जीवनशैली है, अतः वह इस धर्म से भी विमुख हो जाता है, धर्म के उन प्यासों को धर्म से विमुख करने का कारण हम मुसलमानों के बुरे आचरण और चरित्र की विकृति होती है।

इसका एक प्रमुख उदाहरण यह है कि इस्लाम स्वीकार करने वाले एक यहूदी ने अपनी धार्मिक प्यास बुझाने के लिए विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया और बहस और शोध में लगे रहे, लेकिन अरब देशों में रहते हुए भी वह कभी भी इस्लाम से प्रभावित नहीं हुए, उनकी प्रतिक्रिया का वर्णन इस प्रकार है: यह एक अजीब बात है कि अरब देशों में रहने के बावजूद, इस्लाम के प्रति मेरा ध्यान और जागरूकता बहुत मामूली और सतही थी, लेकिन जब मैं लंदन

⁽¹⁾ तफ़सीरुल कुरआनिल अजीम, लेखक: इब्ने कसीर: ४/ ३१७।

में इस्लाम के एक प्रसिद्ध उपदेशक से मिला, तो एक-दूसरे को जानने के बाद पता चला कि अरब मुसलमान गैर-मुसलमानों को धर्म का परिचय देने में कितने लापरवाह हैं।⁽¹⁾

सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है कि अरब देशों में रहने के बावजूद यह शख्स मुसलमानों से प्रभावित नहीं हुआ? जबकि एक ब्रिटिश सेना का अधिकारी केवल इसलिए इस्लाम स्वीकार करता है क्योंकि एक मुसलमान अपने कार्यों से उसके सामने इस्लाम की सच्ची छवि पेश कर रहा है। एक नव मुस्लिम का वर्णन है कि: वह बर्मा के समुद्री क्षेत्रों की यात्रा पर था, इस नाव का कप्तान शितातुंग का एक मुस्लिम निवासी था जो धार्मिक होने के साथ-साथ अपने पेशे में भी माहिर था, अपने धर्म के प्रति ईमानदार, समय पर प्रार्थना करने का पाबंद, और एक पवित्र व्यक्ति था, अपनी इन विशेषताओं के कारण वह न केवल मेरे लिए सम्मान का पात्र था, बल्कि उसने मुझे आश्चर्यचकित भी किया कि यह कैसा धर्म है जो इस व्यक्ति की नैतिकता में इतना अंतर्निहित है कि इस की हरेक हरकत से तक्रवा, पवित्रता एवं भक्ती का रस टपकता दिखाई देता है।⁽²⁾

यह ऐसा है मानो इस्लामी उम्मत के सदस्य अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से एक ऐसा नेक उदाहरण स्थापित कर सकते हैं जिससे लोगों में धर्म के प्रति प्रेम पैदा होगा, यदि वे इस्लाम की अच्छी नैतिकता सहित धर्म की शिक्षाओं का पालन करते हैं, तो अन्य लोगों के दिल में धर्म और ज्ञान की चाहत को भी उजागर कर सकते हैं। दूसरी ओर, यही मुसलमान अपने बुरे आचरण और काले कामों से दुनिया के सामने सत्य धर्म की खराब और विकृत छवि पेश करते हैं।

४- धर्म को निशाना बना कर मिल्लत को कमजोर किया जाता है:

किसी क्रौम एवं समुदाय की ताकत उसके धर्म पर दृढ़ता में निहित है, उसकी कमजोरी और अपमान उसके धर्म और आस्था के साथ उसके रिश्ते के कमजोर होने में निहित है, ठीक इसी प्रकार से जिस तरह उम्मत की ताकत में धर्म की ताकत और उम्मत की कमजोरी में धर्म की कमजोरी निहित है, यह विचार करने का विषय है कि राजाओं और बादशाहों की शक्ति को धर्म की ताकत का स्रोत कैसे कहा गया है (निश्चित रूप से अल्लाह ताला शासक के माध्यम से वह परिवर्तन लाता है जो कभी-कभी कुरआन के माध्यम से भी नहीं लाता है)। जब ऐसी बात है तो आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि जब शासक की शक्ति में ईमान की शक्ति जुड़ जाएगी तो शक्ति कितनी बढ़ जाएगी?!

⁽¹⁾ लिमाज़ा अस्लम्ना, लेखक: अब्दुल हमीद अस् सुहैबानी (१३३)।

⁽²⁾ पिछला संदर्भ: (१३६)।

समाज में कुसंस्कारों का चलन इस बात का प्रमाण है कि धर्म के अनुयायियों में आस्था की कमजोरी और धर्म के प्रति घृणा उत्पन्न हो गयी है।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इस हदीस में चिंतन-मनन करें: “निकट है कि दूसरे समुदाय के लोग तुम पर ऐसे ही टूट पड़े जैसे खाने वाले प्यालियों पर टूट पड़ते हैं, तो एक कहने वाले ने कहा: क्या हम उस समय संख्या बल में कम होंगे क्या? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: नहीं, बल्कि तुम उस समय बहुत होंगे लेकिन तुम सैलाब के झाग के समान होंगे, अल्लाह तआला तुम्हारे शत्रुओं के हृदय से तुम्हारा भय निकाल देगा, और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा, तो एक पूछने वाले पूछा: हे अल्लाह के रसूल! यह वहन क्या चीज़ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: यह संसार का प्रेम तथा मृत्यु का भय है”⁽¹⁾

हदीस का अर्थ यह है कि: काफ़िर एवं पथभ्रष्ट लोग एक दूसरे को तुम्हारे विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार करेंगे, तुम्हारे वैभव को कम करने के लिए वे आपस में एकजुट हो जाएंगे, वे तुम्हारे धन और संपत्ति को जब्त करने के लिए एकत्रित होंगे, जैसे कि खाने वाले पक्ष के सदस्य बेझिझक एक दूसरे को खाने के प्याले की तरफ बुलाते हैं, फिर वे लोग एक साथ इकट्ठा हो कर और बिना किसी हिचकिचाहट के भोजन को चट कर जाते हैं, उनके एक साथ इकट्ठा हो कर तुम पर आक्रमण करने का कारण यह नहीं है कि तुम्हारी संख्या कम होगी, बल्कि तुम समुद्र के झाग की तरह बहुतायत में होंगे। मुसलमानों की तुलना झाग से की गई है क्योंकि उनमें साहस और बहादुरी कम हो जाएगी और उनके मूल्य और वैभव पर संकट पैदा हो जाएगा, शत्रुओं के मन से मुसलमानों का डर समाप्त हो जाएगा और अल्लाह उनके दिलों में कमजोरी पैदा कर देगा, मानो वहन आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अभिप्राय उस पर पड़ने वाले प्रभाव हैं, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसकी व्याख्या संसार की इच्छा एवं मृत्यु के डर से की है।⁽²⁾

जब मुस्लिम समाज में नैतिक बुराइयाँ इतनी फैल जाए कि हर जगह दुष्ट आचरण एवं व्यभिचार का ही प्रदर्शन हो, तब इस समुदाय के हृदय में वहन डाल दी जाती है, जो मुसलमानों की शक्ति को विकर्षित करती है, जिसे शक्तिशाली एवं मजबूत होना चाहिए था ताकि धर्म का प्रचार पूरी ताकत से किया जा सके। अब समय आ गया है कि इस्लामी समाज के बच्चों को धार्मिक गुमराही और नैतिक विचलन के सांसारिक और पारलौकिक प्रभावों की गंभीरता के बारे में पता चले।

⁽¹⁾ सुनन अबू दावूद (४/ ४८३-४८४) हदीस संख्या: (१४२९७), अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को अल् जामेअ अल् सगीर में सहीह कहा है, हदीस संख्या (२/ १३५९) हदीस संख्या (८१८३-३२५७)।

⁽²⁾ औनुल मअबूद शर्ह सुनन अबू दावूद, लेखक: अजीमाबादी (११/ ४०४-४०५)।

दूसरा पाठ: सुरक्षा संबंधी प्रभाव:

व्यक्तिगत, सामूहिक और राष्ट्रीय अमन और शांति को सुखी और शांतिपूर्ण जीवन का एक महत्वपूर्ण कारण और आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है।

इस्लाम ने व्यक्तिगत, सामूहिक और मानवीय शांति और अमन को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है, बल्कि इसने सौभाग्यशालिता के तीन मुख्य तत्वों में शांति को शामिल किया है, अल्लाह के दूत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “तुम में से जिसने इस स्थिति में सुबह की कि उसका शरीर सही सलामत हो, उसकी जान अमन व शांति में हो तथा उस दिन का भोजन उसके पास हो तो मानों उसके लिए दुनिया इकट्ठी हो गई”।⁽¹⁾

यही कारण है कि इस्लाम ने एक इंसान की हत्या को सभी इंसानों की हत्या कहा है ताकि समाज में शांति बहाल रहे, और लोगों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टता के प्रति जागरूक रखा जाए, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान का कथन है:

﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا

فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [سورة المائدة: ३२]

अनुवाद: (जो व्यक्ति किसी बिना किसी इस कारण के कि वह किसी का क्रांतिल हो अथवा धरती में उपद्रव करने वाला हो, क़त्ल कर दे तो मानो उसने तमाम लोगों को क़त्ल कर दिया, तथा जो व्यक्ति किसी एक की जान बचा ले, उसने मानो समस्त मानवता की जान बचा ली)। सूरह माइदा: ३२।

इस्लाम जान-माल की तबाही, समाज और समुदाय के फसाद, तथा क्रौम के बिगाड़ एवं गिरावट को रोकने के लिए सभी प्रकार की नैतिक बुराई से मना करता है, इसी कारण व्यभिचार, समलैंगिकता, शराब, ड्रग्स, चुगली, झूठ और झूठी गवाही जैसे सभी नैतिक अपराध वर्जित हैं, अल्लाह कहता है:

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [سورة الأعراف: ३३]

अनुवाद: (आप कह दीजिए कि मेरे रब ने ह़राम (वर्जित) किया है उन समस्त अश्लील बातों को जो प्रकट एवं गुप्त हैं तथा हर पाप की बात को और अकारण कसी पर अत्याचार करने को)। सूरह आराफ़: ३३।

⁽¹⁾ तिर्मिज़ी (४/ ५७५-५७६) हदीस संख्या (२५१६), अहमद (१/ २९३), अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को अल् जामेअ अल् सगीर में हसन कहा है, हदीस संख्या (६०४२)।

इन नैतिक बुराइयों के बहुतेरे बुरे प्रभाव पड़ते हैं जो उम्मत के सुकून एवं शांति को भंग कर देते हैं, हम उन्हें निम्न में उल्लेखित कर रहे हैं:

१- हत्या और कत्लेआम: नैतिक बुराइयों के फैलने से होने वाली बुराइयों में अनैतिकता का प्रदर्शन करते समय मामूली कारणों के आधार पर गैरकानूनी तरीके से खून बहाना भी शामिल है, जो कि अल्लाह द्वारा निषिद्ध है, उदाहरण स्वरूप वह व्यक्ति जो अपनी बुरी आदत को पूरा करने के लिए ड्रग्स खरीदने के लिए कुछ दिरहम चुराता है, या किसी की जान इसलिए ले लेता है क्योंकि किसी ने उसे एक साधारण सी बात पर नाराज कर दिया था, या इस कारण से किसी का खून कर दे कि वह मृतक की संपत्ति और दौलत पर कब्जा जमा सके।⁽¹⁾

जब उम्मत के भीतर कोई नरसंहार होता है, तो समाज की शांति नष्ट हो जाती है, इसके सदस्यों के बीच भय और दहशत का माहौल पैदा हो जाता है, और लोगों के बीच मामलों और उद्देश्यों के बारे में संदेह और अविश्वास पैदा हो जाता है।

२- सैन्य शक्ति का कमजोर होना: जब किसी राष्ट्र के लोग नशे के आदी हो जाते हैं तो उनकी सैन्य शक्ति कमजोर हो जाती है, क्योंकि सेना और फौज में केवल समाज के लोग ही शामिल होते हैं, वही गुण सेना में भी प्रचलित होता है जो उस राष्ट्र में प्रचलित होता है, जब समुदाय के अंदर शराब और नशे का चलन होता है तो वह राष्ट्र कमजोर हो जाता है और उसमें से अमन-चैन और सुख-शांति नष्ट हो जाता है।

इसी प्रकार जब उस देश में यौन अनैतिकता आम हो जाती है तो उसकी सैन्य शक्ति भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती, इसका प्रमाण फ्रांस का कटु अनुभव है कि जब फ्रांसीसी सेना में यौन अनैतिकता फैली तो उसकी शारीरिक शक्ति में भी गिरावट आयी, २०वीं सदी की शुरुआत में, फ्रांसीसी सरकार ने सैन्य भर्ती के लिए शारीरिक फिटनेस और जिस्मानी शक्ति में ढील दी, जिसके कारण पहले विश्व युद्ध के पहले दो वर्षों में यौन अनैतिकता के कारण होने वाली बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या पचहत्तर हजार तक पहुंच गई, एक समय ऐसा आया कि केवल एक शिविर में इस रोग का शिकार होने वाले २४२ सैनिक थे।⁽²⁾

३- अपहरण और जबरदस्ती: नैतिक विचलन की आपदाओं में से एक यह भी है कि ये अपराधी अपनी यौन और शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपहरण और जबरदस्ती का तरीका अपनाते हैं, जिससे समाज की शांति और अमन नष्ट हो जाता है, इसकी कारण केवल नैतिक विकृति और चरित्र का विचलन होता है।

(1) देखें: अत् तर्बियह अर् रूहिय्यह, लेखक: अकरम ज़िया अल् उमरी: २४४।

(2) अल् हिजाब, लेखक: अबुल आला मौदूदी: १०१-१०२।

४- जानबूझकर विध्वंसकारी कार्य करना: नैतिक अधमता के प्रभावों में से एक यह है कि संपत्ति और धन का जानबूझकर नाश किया जाता है, उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा अपने वादे और गारंटी को छुपाने के लिए, अथवा किसी कार्यकर्ता को हानि पहुँचाने के उद्देश्य से या चोरी एवं क्रतल जैसा अपराध पर पर्दा डालने के लिए या इस जैसे अन्य कारणों से आग लगा दे, जिसका दुस्साहस केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास बुरे संस्कार हों, ऐसा करने से उम्मत में अशांति पैदा होती है और असुरक्षा का माहौल उत्पन्न होता है।

५- चोरी और व्यभिचार: जब अनैतिक लोग नैतिक अनुशासनहीनता दिखाते हैं और राष्ट्र के भीतर चोरी और व्यभिचार फैल जाता है, तो पूरे राष्ट्र में असुरक्षा और चिंता का माहौल पैदा हो जाता है, उन अपराधियों के अंदर न तो वह धार्मिकता एवं अल्लाह का भय होता है जो उन्हें अपराध करने से रोके और न ही अपराध करने पर न ही इस बात का डर होता है कि शांतिप्रिय तत्व उन्हें अपराध के लिए गंभीरता से लेंगे, इसीलिए उनके जैसे अपराधियों का इलाज इस्लाम के प्रशिक्षण व्यवस्था में ही मौजूद है।

६- चौर बाजारी और तस्करी: अनैतिकता का एक नुकसान यह है कि नैतिक दोष वाले लोग गुप्त रूप से निषिद्ध वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं और उन्हें समाज में सार्वजनिक करते हैं, परिणाम स्वरूप समाज में विचलन एवं अधर्मिता के संसाधन प्रचलित हो जाते हैं, जैसे यौन फिल्मों की कैसेट का अवैध व्यापार, फसाद फैलाने वाले एवं अश्लील साहित्य की खरीद बिक्री, हराम तस्वीरें और ड्रग्स और नशीले पदार्थों की तस्करी, जिनसे उम्मत शांति भंग होती है समाज में अस्थिरता का माहौल उत्पन्न होता है।

किसी समाज की शांति और व्यवस्था से जुड़े आंकड़ों पर आधारित शोध में यह बात सामने आई है कि समाज में जहरीले पदार्थों के प्रवेश के जितने भी तरीके हैं, वे सभी निषिद्ध और अव्यवस्थित तरीके हैं।⁽¹⁾

७- ईर्ष्या, द्वेष एवं शत्रुता: नैतिक अपराधों और बुराइयों पर विचार करने वाला व्यक्ति यह जान सकता है कि इन से उम्मत की दीवार पर दुश्मनी, ईर्ष्या, द्वेष और शत्रुता की इमारत खड़ी होती है, तथा उम्मत की नींव में सेंध पड़ती है, चुगली, गीबत, ईर्ष्या एवं द्वेष वह फावड़ा है जो उम्मत की शांति और व्यवस्था को नष्ट कर देती है क्योंकि यह द्वेष और नफरत को जन्म देती है जो आपसी दुश्मनी का कारण बनती है और इस दुश्मनी का प्रभाव समाज की शांति और व्यवस्था पर पड़ता है।

(1) देखें: अल् जवानिब अल् इज्तिमाइय्यह लि ज़ाहिरतिल् इदमान, लेखक: सैयिद मुतवल्ली उश्मावी (२/ १०२-१०३)।

अन्य नैतिक बुराइयाँ भी द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, वैमनस्य और शत्रुता के बीज बोती हैं, जो समाज की शांति और व्यवस्था को प्रभावित करते हैं और समाज को अस्थिर करते हैं।

तीसरा पाठ: स्वास्थ्य से संबंधित अनैतिकता के बुरे प्रभाव

इस्लाम ने जिस चीज़ से भी रोका है उस में बड़ी भलाइयां एवं महान तत्वज्ञान छिप्त है, तथा जिस चीज़ के भी करने का आदेश दिया है उस का पालन करने में लोक परलोक का सौभाग्य निहित है, चुनाँचे इस्लाम ने नैतिक बुराइयों को इस कारण से मना किया है क्योंकि ये बुराइयां मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को नुकसान पहुंचाती हैं, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक कल्याण का नुकसान भी शामिल है, नैतिक बुराइयों में व्यभिचार, समलैंगिकता, शराब और नशीली दवाओं का दुरुपयोग, फिल्म देखना और वर्जित चीज़ों का अवलोकन भी शामिल है, ये वो अश्लीलता और बुराइयां हैं जिनसे घातक बीमारियां पैदा होती हैं, और अंगों तथा जोड़ों को बेकार एवीं मानस को रोगी बना देती हैं। इन गंभीर रोगों में से निम्नलिखित रोग विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं:

१- एड्स (Aids):

यह वास्तव में प्रतिरक्षा की कमी का नाम है, जो १४०१ हिज्री अनुसार १९८१ ईस्वी में सामने आया था। यह रोग व्यभिचार और समलैंगिकता तथा रक्त आधान उपकरणों के माध्यम से एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलता है, इसके शिकार अधिकतर वे लोग होते हैं जो समलैंगिकता जैसे मनोरोग में लिप्त होते हैं। एड्स एक वायरस का नाम है जो श्वेत रक्त कोशिकाओं को नष्ट करके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है, जो मानव शरीर को संक्रमित करने वाले सूक्ष्म कीड़ों और जीवाणुओं के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एड्स इतना आम हो गया है कि हर दिन दस से बारह लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं।⁽¹⁾

२- सिफलिस (syphilis) रोग:

यह यौन संचारित संक्रमण (एसटीआई) है जो एक प्रकार के बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जो संभोग के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। इसका शुरुआती लक्षण शरीर के किसी हिस्से पर छाले होना है, जो धीरे-धीरे पूरे शरीर में फैल जाते हैं, इसके लक्षण ये भी हैं: चक्कर आना, बुखार आना तथा रक्त की कमी हो जाना, और तीसरे चरण में यह रोग हृदय और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचकर जीवन के लिए खतरा बन जाता है, जब ऐसा होता है, तो यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (central nervous system) के पक्षाघात का कारण बनता है, जो कभी-कभी पागलपन का कारण बनता है।⁽²⁾

⁽¹⁾ दलीलुल अन्फुस बैनल कुरआन अल् करीम वल इल्मिल हदीस, लेखक: तौफ़ीक़ मुहम्मद इज़ज़ुद्दीन: ४०८-४०९, संक्षिप्त रूप से।

⁽²⁾ मुश्किलातुशबाब अल् जिन्सियह, लेखक: अब्दुर्हमान वासिल: १४८-१४९।

ग्रैनुलोमा इंगुइनेल (Granuloma Inguinale):

ग्रैनुलोमा इंगुइनेल (डोनोवैनोसिस) एक यौन संचारित संक्रमण (एसटीआई) है जो कभी-कभी गैर-यौन संपर्क से भी फैलता, यह एक मध्यम संक्रामक रोग है, यह रोग गुप्तांगों के बाहरी भाग में होता है, यह लाल फोड़े के रूप में होता है जो बहुत अधिक जड़ पकड़ लेता है और घाव बड़ी कठिनाई से भरता है, जब रोगी को कोई द्वितीयक संक्रामक रोग हो जाता है, तो यह पीड़ादायक और दर्दनाक हो जाता है, अगर समय पर इसका ठीक से इलाज न किया जाए तो यह गंभीर क्षीणता, वजन घटाने और फिर मृत्यु का कारण बनता है।⁽¹⁾

४- फेफड़े का कैंसर:

फेफड़ों का कैंसर धूम्रपान के परिणामस्वरूप मानव श्वसन प्रणाली में होने वाली सबसे गंभीर बीमारियों में से एक है। डॉक्टरों ने एक चिकित्सा प्रयोगशाला में प्रयोग के लिए जानवरों की त्वचा पर एक निश्चित मात्रा में सिगरेट डाली, उन्होंने यह प्रयोग दो बार किया इन जानवरों को सिगरेट का धुआं दिया, इससे इन जानवरों को फेफड़ों का कैंसर हो गया।⁽²⁾

५- जिगर का पिघलना:

शराब और नशीली दवाओं के सेवन से लीवर गल जाता है और कमजोर हो जाता है और काम करना भी बंद कर देता है, कभी-कभी इसमें सूजन भी आ जाती है। आंकड़े बताते हैं कि १९६९ ईस्वी में फ्रांस में लीवर फेलियर के कारण होने वाली मौतों की संख्या २५,००० से अधिक थी।⁽³⁾

६- यौन नपुंसकता:

नशा की लत महिलाओं के गर्भाशय को कमजोर और छोटा बना देती है, एक चिकित्सक का कहना है कि: मैंने शराब की आदी महिलाओं के शव परीक्षण के दौरान देखा है कि उनका गर्भाशय सख्त, कमजोर और छोटा हो जाता है और ८६% मामलों में शुक्राणु भी गायब पाए गए, यह स्पष्ट करता है कि शराबियों में बांझपन के वास्तविक कारण क्या हैं।⁽⁴⁾

७- तंत्रिका तंत्र का कमजोर होना:

(1) पिछला संदर्भ।

(2) अल् मुस्किरात अज़रारुहा व अहकामुहा, लेखक: फ़रज ज़हरान: २९६।

(3) पिछला संदर्भ: २०२।

(4) मौक़िफ़ुल इस्लामि मिनल ख़ब्र, लेखक: स़ालेह आले मन्सूर: २५।

नशीली दवाओं के सेवन से नसों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, पहले नसों में सुन्नता, फिर शिथिलता और फिर लकवा हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कंपकंपी, झुरझुरी, जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी भी आ जाती है।⁽¹⁾

८- मनोवैज्ञानिक चिंता और बेचैनी:

नैतिक भ्रष्टता मनोवैज्ञानिक चिंता और आंतरिक अस्थिरता पैदा करती है, क्योंकि भ्रष्टता से पीड़ित व्यक्ति को गुमराह होने का एहसास होता है, समाज उसकी नैतिकता और आचरण के कारण उससे नफरत करता है, वह अल्लाह के मार्ग से दूर रहने के कारण वह अल्लाह की याद से वंचित रहता है परिणामस्वरूप वह आंतरिक पीड़ा से पीड़ित हो जाता है, अल्लाह के स्मरण व याद से दूर रहने के कारण उसकी चिंता एवं बेचैनी में वृद्धि होती चली जाती है, अल्लाह फ़रमाता है:

﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُفِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ [سورة الزخرف: ३६]

अनुवाद: (जो व्यक्ति रहमान (अल्लाह) की याद से गाफिल रहता है हम उस पर एक शैतान निर्धारित कर देते हैं वही उसका साथी रहता है)। सूरह जुलुफ़: ३६।

जब शैतान किसी व्यक्ति पर हावी हो जाता है, तो वह उस पर बुरे विचार और चिंताएँ थोप देता है और उसे चिंता और अनिर्णय से पीड़ित कर देता है।

इसके विपरीत सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह की याद एवं स्मरण से हृदय को शांति व इत्मीनान एवं नफ़्स को राहत व अमन प्राप्त होता है, अल्लाह तआला का कथन है:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [سورة

الرعد: २८]

अनुवाद: (जो लोग ईमान लाए उनके दिल अल्लाह के जिक्र से शांति प्राप्त करते हैं, याद रखो अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को शांति मिलती है)। सूरह रअद: २८।

चुगली और गीबत करने का मनोवैज्ञानिक चिंता और आंतरिक बेचैनी बढ़ाने में जो प्रभाव पड़ता है, वह किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि चुगली करने वाले के भीतर वैराग्य, निर्दयता, तटस्थता और शत्रुता एवं दुश्मनी पैदा हो जाती है, उसे ऐसा लगता है कि वह जिस उदासीनता, बेरुखी, लापरवाही और शत्रुता से वह गुजर रहा है वह उसके अपने कार्यों का परिणाम है, इस एहसास से उसकी पीड़ा और दुःख तथा क्रोध बढ़ता चला जाता है।

(1) पिछला संदर्भ: २६।

ईर्ष्या एक ऐसी बीमारी है जिसमें असुरक्षा और अनिर्णय के सभी कारण संयुक्त होते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति जब भी उस व्यक्ति को देखता है जिस से वह ईर्ष्या करता है तो उसका क्रोध बढ़ जाता है, रात का चैन छिन जात है, आँख की नींद उड़ जाती है, वह अवसाद से ग्रस्त हो जाता है, उसे कोई राहत नहीं मिलती है, उसे किसी तरह से शांति नहीं मिलती, वह बेचैन पक्षी की तरह हो जाता है, वह लोगों की स्थितियों पर तो पैनी नजर रखता है, लेकिन खुद से बेखबर रहता है। वह दूसरों की नियामत को अधिक तथा अपनी नियामत को तुच्छ समझता है, परिणाम स्वरूप लालच एवं लालसा उसको अपना गुलाम बना लेता है।

चौथा पाठ: मनोवैज्ञानिक प्रभाव:

इस्लामी जीवन शैली के उल्लंघन के परिणामस्वरूप मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है, उन क्षेत्रों में मनुष्य का मनोवैज्ञानिक पहलू भी है।

इस सारांश का विस्तार यह है कि जो व्यक्ति इस्लामी जीवन शैली से भटक जाता है और त्रुटि के मार्ग पर चलता है, पवित्र और सर्वोच्च निर्माता (अल्लाह) के प्रति इस अवज्ञा और विद्रोह के परिणामस्वरूप, दुःख, चिंता एवं अशांति उसके जीवन पर थोप दिए जाते हैं, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का फ़रमान है:

﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ [سورة الزخرف: ३६]

अनुवाद: (जो व्यक्ति रहमान (अल्लाह) की याद से गाफिल रहता है हम उस पर एक शैतान निर्धारित कर देते हैं वही उसका साथी रहता है)। सूरह जुःरुफ़: ३६।

अर्थात: जो व्यक्ति हिदाय एवं सत्य के मार्ग से विमुखता प्रकट करता है हम उसके लिए ऐसे शैतान निर्धारित कर देते हैं जो उसे सीधे मार्ग से भटका कर जहन्नम की ओर ले जाता है।^(१)

शैतान इंसान से उन चीज़ों का ही वादा करता है जिन से उसके जीवन में बेचैनी, अशांति, अस्थिरता एवं असंतोष आता है, उसे निर्धनता एवं तंगहाली से भयभीत करता है, उसके अंदर दूसरों के धन की लालसा बढ़ाता है, जो नियामत उसे प्राप्त है उस से असंतोष प्रकट करने पर आमादा करता है। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ [سورة البقرة: २१८]

अनुवाद: (शैतान तुम्हें निर्धनता से डराता है तथा अश्लीलता का आदेश देता है)। सूरह बक्रह: २६८।

अर्थात: शैतान तुम्हें गरीबी एवं निर्धनता से भयभीत करता है ताकि तुम अपने धन को अल्लाह की प्रसन्नता वाले मार्ग में खर्च न करो, वह निर्धनता के डर से तुम्हें खर्च करने से रोकने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के पाप एवं अवैध कार्यों के करने के द्वारा अल्लाह तआला की अवज्ञा करने पर उभारता भी है।^(२)

किंतु मोमिनों पर उन शैतानों की एक चाल भी सफल नहीं होती, अल्लाह तआला का कथन है:

^(१) तफ़सीरुल कुरआनिल अज़ीम, लेखक: इब्ने कसीर: ४/ १३८।

^(२) पिछला संदर्भ: १/ ३२९।

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [سورة الحجر: ٢٢]

अनुवाद: (मेरे बंदों पर तुझे कोई प्रभुत्व नहीं, किंतु हाँ जो गुमराह लोग तेरा अनुसरण करें)। सूरह हिज्र: ४२।

एक स्थान पर अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [سورة النحل: ११]

अनुवाद: (ईमान वालों पर तथा अपने रब पर भरोसा रखने वालों पर उसका कुछ भी जोर नहीं चलता)। सूरह नहल: ११।

एक अन्य स्थान पर यों फ़रमाया:

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا﴾ [سورة الاسراء: १५]

अनुवाद: (मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई क़ाबू और वश नहीं, तेरा पालनहार तेरा काम बनाने के लिए काफी है)। सूरह इस्रा: ६५।

नैतिक विचलन के कुछ मनोवैज्ञानिक प्रभावों का उल्लेख निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है:

१- मनोवैज्ञानिक असामंजस्य:

व्यक्तित्व निर्माण का एक प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है मनोवैज्ञानिक सामंजस्य, इसका अर्थ है कि व्यक्ति के पास अपने समाज और परिवेश के अनुरूप जीने का ढंग हो और उसमें आने वाली समस्याओं और कठिनाइयों का सफलतापूर्वक समाधान निकालने की प्रतिभा मौजूद हो।

मनोवैज्ञानिक असामंजस्य की कुछ अभिव्यक्तियाँ ये हैं: बेचैनी और अशांति, भोजन और पेय के प्रति उदासीनता, अकेलापन और लज्जा व शर्म, चिड़चिड़ापन, क्रोध और शत्रुता, दुश्मन पर हमला करने की प्रवृत्ति, जागते हुए सपने, झूठ बोलना और मिथ्या पड़ोसना... इनके अलावा भी अनेक ऐसी व्यावहारिक घटनाएँ हैं जिन्हें मनोवैज्ञानिक अस्थिरता और असंगति के रूप में गिना जाता है^(१)

मनोवैज्ञानिक असामंजस्य उत्पन्न करने में नैतिक विचलन की बहुत बड़ी एवं प्रभावशाली भूमिका है। ऑर्गेनोलॉजी (जीव विज्ञान) के अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की

(१) अस् सुलूक अल् इजरामी वत् तफ़सीर अल् इस्लामी, लेखक: अब्दुल मजीद अहमद मन्सूर: १/ १४५।

प्रयोगशालाओं के प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि शराब और नशीले पदार्थों की थोड़ी मात्रा का सेवन भी मनोवैज्ञानिक संतुलन को बिगाड़ सकता है।⁽¹⁾

१- निराशा महसूस करना:

निराशा और हताशा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को आलस्य, सुस्ती एवं उदासीनता के साथ परिश्रम करने से जी चुराने जैसे रोगों का शिकार बना देता है, और ऐसा व्यक्ति धोखाधड़ी और फरेब के माध्यम से भौतिक संसाधनों और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करने लगता है, आप चोरी करने वाले एवं भिखारियों की स्थिति पर विचार करेंगे तो आपको मालूम होगा कि उन में से अधिकांश लोगों के पास कठोर परिश्रम कर के जीविकोपार्जन करने की क्षमता होती है, लेकिन उनका विचलन एवं भटकाव और स्वच्छंदता उन्हें कमजोर, असहाय तथा उदासीन बना देती है।

नशीली दवाओं के उपयोग से निराशा, चिंता और अनिर्णय की भावना भी पैदा होती है और उन चीजों से भी डर लगने लगता है जो वास्तव में डरने की चीजें नहीं हैं। यह नैतिक मूल्यों को प्रभावित करता है और व्यक्ति को जुनूनी बना देता है, क्योंकि अवलोकन से पता चलता है कि पागलपन की गिरफ्त में आने वाले ५०% लोग ऐसे होते हैं जो शराब क रसिया होते हैं।⁽²⁾

आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से झूठा इन्सान सच्चाई से निराश हो कर झूठ का सहारा लेता है, तथा ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्या करते हुए इस बात से किस प्रकार निराश हो जाता है कि दूसरों की जिस नियामत वह ईर्ष्या कर रहा है वह उसे भी मिल सकती है।

इस्लामी प्रशिक्षण ही वह जौहर और सार है जो मानव को नैतिक पतन से बचाता है, अपने अनुयायियों के दिलों में शांति और सम्मान तथा अमन व सुकून के बीज बोकर उन्हें बहादुरी और प्रगति सिखाता है, अतः आप मोमिन को न झूठ बोलते हुए देखेंगे और न ही ईर्ष्या करते हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है: “किसी बंदे के दिल में ईर्ष्या एवं ईमान एक साथ एकत्र नहीं हो सकते”।⁽³⁾

३- क़लक़ (चिंता) और बेचैनी:

(1) मुक़द्दिमतुल ख़िदमतिल इज्तिमाइय्यह, लेखक: महमूद हसन: ४२४।

(2) मौक़िफ़ुल इस्लामि मिनल ख़म्रि, लेखक: स़ालेह बिन अब्दुल अज़ीज़ आले मन्सूर: ३५-३६।

(3) सुनन इब्ने माजह (२/ ९२७) हदीस संख्या (२७७४), नसई (६/ १३) हदीस संख्या (१३१०९), इस हदीस को अल्लामा हाकिम ने सहीह करार दिया है (२/ ७२)।

कलक का मतलब बेचैनी, घबराहट और चिंता से है।⁽¹⁾

चिंता और अनिर्णय: यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जो चिंता और बेचैनी को प्रकट करती है, व्यक्ति मानसिक रूप से व्यस्त और चिंतित हो जाता है और उसकी शांति और संतुष्टि भंग हो जाती है।

इस्लामी जीवन शैली से दूर रहना ही सारी चिंता और बेचैनी का आधार है, क्योंकि मानव आत्मा को ईश्वर की याद से ही शांति और स्थिरता मिलती है, जैसा कि सर्वशक्तिमान अल्लाह कहता है:

﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [سورة الرعد: २८]

अनुवाद: (सुनो, अल्लाह की याद से ही हृदय को शांति प्राप्त होती है)। सूरह रअद: २८।

इंसान जितना शरीअत और इस्लामी तौर-तरीके से खुद को दूर करेगा और नैतिक कदाचार करेगा, उतनी ही चिंता और अनिश्चय उसके जीवन में घर करता जाएगा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि शोध के अनुसार, इस्लाम धर्मत्यागियों और डॉक्टरों ने स्वयं स्वीकार किया है कि प्रत्येक बीस अमेरिकियों में से एक का इलाज मानसिक अस्पताल में किया जा रहा है। एक तथ्य यह भी है कि द्वितीय विश्व युद्ध में सैन्य सेवा के लिए आगे बढ़ने वाले युवाओं में से छह में से एक को वापस कर दिया गया क्योंकि वे मानसिक रूप से विक्षिप्त या बीमार थे, आंकड़ा यह भी दर्शाता है कि अमेरिका के भीतर चिंता एवं अशांति मृत्यु का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है, विश्व युद्ध के अंतिम वर्षों में, दो मिलियन (बीस लाख) लोग चिंता और बेचैनी से मरे, उनमें से दस लाख लोग ऐसे थे जो चिंता, अशांति एवं तंत्रिका तनाव से पीड़ित थे।⁽²⁾

नशीली दवाओं और मादक पदार्थों का उपयोग मनोवैज्ञानिक चिंता और अवसाद पैदा करने में प्रमुख भूमिका निभाता है, शराबियों पर किए गए क्षेत्रीय शोध से पुष्टि हुई है कि जो लोग मामूली कारणों से प्रभावित होते हैं उनमें यह दर ९६.९% है, तंत्रिका तनाव और चिड़चिड़ापन के शिकार लोगों की दर ८६.८% है, जबकि चिंता और बेचैनी से प्रभावित लोग

(1) लिसानुल अरब, लेखक: इब्ने मन्ज़ूर: १०/ ३२३-३२४।

(2) मुश्किलातुशशाब अल् जिन्सियह वल आत्तिफ़ियह, लेखक: अब्दुर्हमान वासिल: ४३।

८८.६% हैं, आलस्य और उदासीनता से प्रभावित लोग ८६.५% हैं, नींद की कमी से प्रभावित लोग ८४.५% हैं और हमेशा पैनिक अटैक से प्रभावित रहने वाले लोग ७०.१% हैं^(१)

प्रत्येक विचारशील व्यक्ति इस बात का भलि भांति अनुमान लगा सकता है कि व्यक्ति के जीवन और उसकी गतिविधियों पर मनोवैज्ञानिक अस्थिरता का प्रभाव प्रकट होता है, अतः बिना किसी अतिशयोक्ति के यह बात कही जा सकती है कि शरण का एकमात्र मार्ग यह है कि इस्लामी शिक्षाओं को दृढ़ता से पकड़ा जाए एवं अनैतिकता की सभी अभिव्यक्तियों से दूरी अपनाई जाए।

मुवहिहद (एकेश्वरवादी आस्तिक) वह है जिसका हृदय सभी परिस्थितियों में शांति, सुरक्षा और विश्वास से भरा रहता है, भले ही मुसीबतों और विपत्तियों की बाढ़ उसके जीवन में क्यों न आ जाए^(२), क्योंकि वह इस तथ्य से अवगत होता है कि यह दुनिया परीक्षणों और क्लेशों का स्थान है, जैसा कि अल्लाह, संसार के पालनहार, ने यह कहकर समझाया है:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾

[सूरा البقرة: १५५] ﴿١٥٥﴾

अनुवाद: (और हम किसी न किसी तरह तुम्हारा परीक्षण अवश्य करेंगे, शत्रु के भय से, भूख एवं प्यास से, जान व माल से एवं फलों की कमी से तथा सब्र करने वालों को खुशखबरी (शुभ सूचना) दे दीजिए)। सूरह बक्ररह: १५५।

४- हृदय रोग:

अल्लाह तआला ने अपनी किताब कुरआन में जगह-जगह दिल की बीमारियों और उनके इलाज का जिक्र किया है, उदाहरण के तौर पर अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ [सूरा

البقرة: १०]

अनुवाद: (उनके दिलों में बीमारी थी, अल्लाह तआला ने उन्हें बीमारी में और बढ़ा दिया तथा उनके झूठ के कारण उनके कष्टदायक यातना है)। सूरह बक्ररह: १०।

एक स्थान पर सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन है:

(१) देखें: अल् जवानिब अल् इज्तिमाइय्यह लि ज़ाहिरतिल् इदमान, लेखक: सैयिद मुतवल्ली उश्मावी (२/ १२२)।

(२) अत् तर्बियह अर् रूहिय्यह, लेखक: अकरम अल् उमरी: ३५२।

﴿يَنْسَاءَ النَّبِيُّ لَسْتَنَ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ

مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ [سورة الأحزاب: ३२]

अनुवाद: (हे नबी की पत्नियों! तुम नहीं हो अन्य स्त्रियों के समान, यदि तुम अल्लाह से डरती हो तो कोमल भाव से बात न करो कि लोभ करने लगे वह जिसके दिल में रोग हो और सभ्य बात बोलो)। सूरह अहज़ाब: ३२।

एक अन्य स्थान पर यों फ़रमाया:

﴿لَّيْنٌ لَّمْ يَنْهَ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ

بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾ [سورة الأحزاب: १०]

अनुवाद: (यदि न रुके मुनाफ़िक़ीन तथा जिनके दिलों में रोग है और मदीना में अप्रवाह फैलाने वाले तो हम आप को भड़का देंगे उन पर, फिर वह आप के साथ नहीं रह सकेंगे उसमें परंतु कुछ ही दिन)। सूरह अहज़ाब: ६०।

हृदय रोग से तात्पर्य व्यक्ति में होने वाली एक प्रकार का बिगाड़ से है, जिसके बाद वह सत्य को समझने और अपनाने में असमर्थ हो जाता है, सत्य को सत्य के रूप में नहीं देख पाता है, या सत्य को वास्तविकता के विपरीत देखता है, अथवा सत्य के प्रति उसकी धारणा दोषपूर्ण हो जाती है, अंततः वह लाभकारी सत्य से घृणा और हानिकारक असत्य से प्रेम करने लगता है, या ये दोनों गुण उसमें एकत्र हो जाते हैं, और प्रायः ऐसा ही होता है^(१)

यही कारण है कि पथभ्रष्ट और विचलित लोग सत्पुरुषों की सभा में बैठने से तो दूर रहते ही हैं, बल्कि कभी-कभी उनसे घृणा भी करते हैं, क्योंकि वे उन्हें वर्जित ढंग से उनकी इच्छाएँ पूरी करने से रोकते हैं, और अपने आचरण एवं रहन-सहन को उनसे भिन्न रखते हैं। ऐसे भटके हुए लोग कभी-कभी इस अंधी समझ के भी शिकार होते हैं कि इन अच्छे लोगों में समझने की क्षमता नहीं पाई जाती है, जोकि अज्ञानता की पराकाष्ठा, मूर्खता एवं अत्यंत विचलन तथा पथभ्रष्टता की बात है।

जहाँ तक उपचार की बात है तो सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह ने इसका उल्लेख अपने इस कथन में किया है कि:

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

[سورة يونس: ५८]

(१) इमासतुल्लहफ़ान, लेखक: इब्नुल कैयिम (१/ २३)।

अनुवाद: (हे लोगो! तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से एक ऐसी चीज़ आई है जो नसीहत (उपदेश) है और दिलों में जो रोग है उसके लिए आरोग्य है, तथा मार्गदर्शन करने वाली है एवं दया है ईमान वालों के लिए)। सूरह यूनस: ५७।

अतः जो व्यक्ति खैर व भलाई का खोजी हो एवं हार्दिक शांति की तलाश में हो, जिसकी खोज में अधिकांश लोग भटक रहे हैं, तो उसे कुरआन एवं हदीस को ढूँढता के साथ थाम लेना चाहिए, कुरआन एवं हदीस में ही लोक परलोक का सौभाग्य छिप्त है।

पाँचवां पाठ: सामाजिक प्रभाव

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से नैतिक कदाचार का प्रभाव समाज एवं पर्यावरण पर भी पड़ता है, नैतिक भ्रष्टाचार से समाज में अराजकता एवं विभाजन उत्पन्न होता है, आर्थिक एवं वित्तीय बाधाएँ उत्पन्न होती हैं तथा उम्मत की शांति प्रभावित होती है।

पिछली चर्चाओं में जिन प्रभावों का उल्लेख किया गया है वे नैतिक कदाचार के परिणामस्वरूप समाज पर पड़ने वाले धार्मिक, सुरक्षात्मक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी अप्रत्यक्ष प्रभाव हैं, यहाँ हम ऐसे प्रभावों का उल्लेख कर रहे हैं जो नैतिक कदाचार के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष रूप से समाज को प्रभावित करते हैं।

१- अल्लाह का अज़ाब एवं यातना:

जब किसी समाज में नैतिक विचलन आम हो जाता है तो उस समाज पर विपत्तियाँ एवं आपदाएँ उतरने लगती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने व्यभिचार के संबंध में फ़रमाया: “जब व्यभिचार एवं रिश्तत किसी समाज में आम हो जाता है तो मानो वह स्वयं पर अल्लाह के अज़ाब को उतरने का आमंत्रण देते हैं”।⁽¹⁾

लूट समुदाय के विनाश में भी हमारे लिए शिक्षा एवं इब्रत है, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْصُودٍ﴾

[سورة هود: ٨٢-٨٣] ﴿٨٢﴾ مُسَوِّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٣﴾ بِبَعِيدٍ ﴿٨٢﴾

अनुवाद: (फिर जब हमारा आदेश आ गया तो हमने उस बस्ती को तहस नहस कर दिया और उन पर पकी हुई कंकरियों की बारिश कर दीन -ए- इस्लाम। जो तेरे पालनहार के यहाँ चिह्न लगाई हुई थी, और वह (बस्ती) अत्याचारियों से कोई दूर नहीं है)। सूरह हूद: ८२-८३।

२- आपसी नफरत एवं ईर्ष्या:

नैतिक बुराइयों की विनाशकारीता यह भी है कि उम्मत के सदस्यों के बीच सामाजिक स्तर पर द्वेष और नफरत पैदा होती है, उदाहरण के लिए ईर्ष्या को ही लें, जिसके परिणामस्वरूप ईर्ष्यालु व्यक्ति महसूद (जिससे ईर्ष्या की जा रही है) से नफरत करने लगता है, जिसका प्रभाव उसके दुर्व्यवहार में परिलक्षित होता है, और वह महसूद की नियामतों पर बुरे प्रभाव व्यक्त करता है, कभी-कभी महसूद भी ईर्ष्यालु लोगों के प्रति अशिष्टता का प्रदर्शन करते हुए वही प्रतिक्रिया

⁽¹⁾ अल् मुस्तदरक अलस् सहीहैन, लेखक: हाकिम, हाकिम कहते हैं कि: इस हदीस की सनद हसन है परंतु सहीहैन में वर्णित नहीं है।

दिखाता है, जिससे ईर्ष्या का पूरा माहौल बन जाता है जो ईर्ष्यालु लोगों के दिलों में बसेरा करने लगता है।

समाज में प्रकट होने वाले दुर्व्यवहार, चुगली तथा अन्य नैतिक बुराइयों के फलस्वरूप समाज में परस्पर घृणा एवं तिरस्कार का वातावरण उत्पन्न होता है।

इसी प्रकार सूदखोरी, व्यभिचार, अय्याशी और शराबखोरी के माध्यम से नैतिक विचलन दिखाने वालों में सामाजिक स्तर पर घृणा और द्वेष की ज्वाला भड़क उठती है।

कभी-कभी नफरत की इस आग में अच्छे और नेक लोग तथा फसादी एवं भ्रष्ट लोग सभी समान रूप से जल रहे होते हैं।

३- सामाजिक बहिष्कार:

नैतिक बुराईयाँ ही सामाजिक बहिष्कार का स्रोत हैं, प्रत्येक नैतिक बुराई उम्मत के व्यक्तियों के बीच सामाजिक अलगाव पैदा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उदाहरण के रूप में चुगली को लीजिए, उम्मत के बीच सामाजिक संबंधों को तोड़ने, रिश्तेदारों एवं मित्रों के मध्य उदासीनता उत्पन्न करने एवं द्वेष तथा घृणा को बढ़ाने में चुगली एक खतरनाक साधन एवं मजबूत हथियार के समान है। चुगली करने वाले के संबंध में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “चुगली करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता”।⁽¹⁾

असत्य एवं झूठ सभी बुराइयों की जड़ है, जब झूठा व्यक्ति कोई समाचार लाता है तो यह इस बात का संकेत माना जाता है कि समाचार गलत है, झूठ बोलने वाला व्यक्ति सामाजिक रिश्तों को बिगाड़ कर उसकी चूलें हिला देता है, झूठ बोलने से पारिवारिक संबंधों में दरार पड़ जाती है, पेशेवर समूहों के बीच भ्रम पैदा होता है, दोस्तों के आपसी संबंध कमजोर होते हैं, झूठ शब्दों और कार्यों में संदेह और भ्रम का मिश्रण कर देता है।

सामाजिक बहिष्कार में ईर्ष्या बहुत अहम भूमिका निभाती है, ईर्ष्या सामाजिक अराजकता का सबसे बड़ा कारण न हो परंतु एक बड़ा कारण जरूर है, ईर्ष्या कभी-कभार ईर्ष्यालु व्यक्ति को गीबत, चुगली एवं सारी शक्ति इस बात पर लगाने को विवश कर देती है कि वह जिस से ईर्ष्या कर रहा है उसकी नियामत किसी तरह नष्ट हो जाए, यह नियामत पति-पत्नी, दोस्तों एवं मित्रों, दो या उससे अधिक परिवार एवं कबीला तथा समूह एवं जमाअत के परस्पर अच्छे संबंध के रूप में भी हो सकता है, ईर्ष्या की अग्नि जब भड़कती है तो ईर्ष्यालु व्यक्ति सर्वप्रथम उन संबंधों में बिगाड़ पैदा करता है जोकि बहुत बड़ा अपराध है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “तुम्हारे अंदर अगली पीढ़ियों की एक बीमारी आ गई है, यह ईर्ष्या और द्वेष की बीमारी है, यह मूंड देने वाली है, मैं यह नहीं कहता कि यह सिर

⁽¹⁾ सहीह मुस्लिम, हदीस संख्या: (१६८-१०५)।

के बाल मूँडने वाली है बल्कि दीन मूँड देने वाली है, कसम है उस ज्ञात की जिसके हाथ में मेरी जान है! जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम लोग स्वर्ग में उस समय तक प्रवेश नहीं पा सकोगे जब तक ईमान न ले आओ, और तुम उस समय तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आपस में एक दूसरे से प्रेम न करने लगे, और क्या मैं तुम्हें ऐसी बात न बताऊँ जिस से तुम्हारे बीच प्रेम प्रगाढ़ हो: तुम सलाम को आपस में फैलाओ”⁽¹⁾

- सामाजिक फरेब एवं धोखा:

सामाजिक फरेब और धोखे का दायरा बहुत व्यापक तथा इसका प्रभाव वृहद है, भाषा और अभिव्यक्ति, माप एवं वजन, अधिकारों और दायित्वों के साथ-साथ धन और रिश्तों में भी फरेब एवं धोखा होता है। इन समस्त बुराइयों का चोर दरवाजा नैतिक पतन ही है।

नैतिक विचलन के परिणामस्वरूप माप कम कर दिया जाता है और अधिकारों और दायित्वों के भुगतान की उपेक्षा की जाती है, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝۱ الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝۲ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝۳ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝۴ لِّيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝۵﴾ [سورة المطففين: ۱-۵]

अनुवाद: (बड़ी खराबी है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए) कि जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा-पूरा लेते हैं। और जब माप कर या तौल कर देते हैं तो कम देते हैं। क्या उन्हें अपने मृत्यु पश्चात जीवित होने का गुमान नहीं है। उस महान दिन के लिए। सूरह मुत्तफ़िफ़ीन: १-५।

नैतिक बुराइयों का ही नतीजा यह होता है कि समाज की गरिमा और अखंडता भी धोखे के प्रभाव में आ जाती है, कभी बदनामी और दुर्व्यवहार से किसी का सम्मान धूमिल हो जाता है, और कभी व्यभिचार से किसी की इज्जत लूट ली जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है: “तुम्हारा रक्त, तुम्हारा धन एवं तुम्हारी इज्जत एक दूसरे पर उसी तरह हाराम (वर्जित) है जैसे इस दिन की हुर्मत (वर्जना), इस नगर एवं इस मास की हुर्मत है, अतः उपस्थित लोग अनुपस्थित लोगों तक (इस पैग़ाम को) पहुँचा दें”⁽²⁾

सामाजिक धोखे के द्वार:

इसका अर्थ है किसी विशेष अवसर पर वास्तविक स्थिति के विपरीत एक निश्चित स्थिति दिखाना, जिससे दूसरा पक्ष धोखा खा जाए, या पाखंडी रवैया अपनाकर दो अलग-

(1) तिर्मिजी (४/ ५७३) हदीस संख्या: (२५१०), अहमद (१/ १६५) उपरोक्त शब्द अहमद द्वारा वर्णित हैं, अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को हसन कहा है, देखें: हदीस संख्या: २०३८-२६४१।

(2) इसका हवाला पीछे दिया जा चुका है।

अलग चेहरों के साथ दो पक्षों में आए-जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है: “सबसे बुरा लोगों में तुम उसे पाते हो जो दो मुँह रखता है, इन लोगों के पास एक मुँह लेकर आता है तथा उन लोगों के पास दूसरा मुँह लेकर आता है”⁽¹⁾

अल्लामा कुर्तुबी रहिमहुल्लाह कहते हैं: दो-मुँह वाले व्यक्ति को लोगों में सबसे बुरा इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी स्थिति एक मुनाफ़िक और पाखंडी की तरह होती है, क्योंकि वह लोगों के भीतर झूठी चापलूसी और मिथ्या चाटुकारिता का प्रदर्शन करता है, एवं लोगों के मध्य फसाद एवं बुराई फैलाता है। अल्लामा नववी रहिमहुल्लाह कहते हैं कि: इसका तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो प्रत्येक समूह के पास उसकी पसंदीदा बात करता है ताकि जिससे वह समूह उसे अपने समूह का मित्र और अपने शत्रु का प्रतिद्वंद्वी समझ लेता है, जबकि वह पाखंडपूर्ण कार्य करते हुए दोनों समूहों के रहस्य को जानने का षड्यंत्र रच रहा होता है।⁽²⁾

५- विवाह में विलंब:

विवाह में विलंब का एक कारण नैतिक विचलन भी है, विशेष रूप से ऐसे लोगों के लिए मादक पदार्थों एवं व्यभिचार का व्यस्नी है, जिसके कारण तलाक की दर बढ़ती जा रही है, तलाक के बढ़ते मामलों का कारण यह है कि लोगों के अंदर से घरेलू जिम्मेदारी उठानी की भावना समाप्त हो गई है, घरेलू विवादों में भी वृद्धि हुई है, इसके साथ-साथ महिलाओं का गैर-इस्लामी पद्धति एवं गैर-शरिया जीवनशैली अपना कर नग्नता, पुरुषों के साथ घुलना-मिलना और खुलकर बात करना आदि को अपनाने से भी पुरुषों में महिलाओं के प्रति घृणा पैदा हुई है, जिसके कारण शादी में देरी होती है और बिना विवाह के ही आदमी बड़ी उम्र का हो जाता है।

ज्ञात हुआ कि नैतिक विचलन का समाज और देश पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, इसका प्रभाव समाज और समाज के व्यवहार पर भी दिखाई देता है, परिणामस्वरूप अपराध एवं विचलन को सुंदर रूप में पेश किया जाता है तथा इसे हल्के में लिया जाता है, जिसके कारण समाज के सदस्य नैतिक पतन का आदी बन जाते हैं।

⁽¹⁾ इसका हवाला पीछे दिया जा चुका है।

⁽²⁾ फ़तुह बारी, इब्ने हजर (१०/ ४७५)।

छठा पाठ: पारिवारिक प्रभाव

जब किसी परिवार के सदस्य नैतिक बुराइयों में शामिल होते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव परिवार पर पड़ता है, जिसका कारण है: परिवार के सदस्यों का लंबे समय तक एक साथ रहना और उन पर थोपी गई आपसी जिम्मेदारियों की गंभीरता, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस हदीस में बयान किया है: “तुम में से प्रत्येक देखभालकर्ता है और अपने अधीन लोगों के लिए जिम्मेदार है, शासक देखभालकर्ता है और अपनी जनता के लिए जिम्मेदार है, आदमी अपने परिवार का देखभालकर्ता है और अपने परिवार वालों के प्रति जवाबदेह है, महिला अपने पति के घर की मालकिन है तथा अपनी संतान के प्रति उत्तरदायी है, दास अपने स्वामी के धन का निरीक्षक है तथा उसके प्रति उत्तरदायी है, हदीस के वर्णनकर्ता इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि मुझे गुमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह भी फ़रमाया: व्यक्ति अपने पिता के धन का निरीक्षक है तथा अपने से नीचे वालों के प्रति उत्तरदायी है, और तुम में से हरेक व्यक्ति जिम्मेदार है तथा प्रत्येक व्यक्ति से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछताछ की जायेगी”⁽¹⁾

नैतिक अवगुणों का परिवार पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों का उल्लेख निम्न में किया जा रहा है:

१- जिम्मेदारी का बोझ और भी भारी हो जाता है:

किसी परिवार पर नैतिक बुराई का पहला प्रभाव यह होता है कि उसकी जिम्मेदारी का बोझ और अधिक बोझिल हो जाता है, उसके बाद होने वाली शारीरिक और मनोवैज्ञानिक पीड़ा को केवल वे ही समझ सकते हैं जो इसको झेला हो, विभिन्न पारिवारिक घटनाओं एवं नैतिक विचलन का खामियाजा माता-पिता को भुगतना पड़ता है, जैसे चोरी, अत्याचार व क्रूरता, अपहरण और बलात्कार, शराब और नशीली दवाओं का दुरुपयोग, जालसाजी, व्यभिचार, समलैंगिकता, शत्रुता और अवज्ञा, गलत बयानी और आपसी विरोध और दुश्मनी, इन सभी नैतिक बुराइयों का दुष्प्रभाव परिवार के उन सदस्यों के कंधों पर पड़ता है जिन पर शैक्षिक जिम्मेदारियों का पहले से ही बोझ है।

२- बुरा आदर्श (अनादर्श)

यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि बहुधा एक दूसरे से मिलना एवं लंबे समय तक साथ रहना आपसी कलह का मार्ग प्रशस्त करता है, तथा इसी नियम से यह पता चलता है कि जिस परिवार के सदस्य शरारती और उत्पाती स्वभाव के होते हैं, उनके परिवार के बाकी सदस्यों पर भी लंबे

⁽¹⁾ सहीह बुखारी (१/ २८४-२८५) हदीस संख्या: (८९३), व मुस्लिम (३/ १४५९) हदीस संख्या: (२०/ १८२९), उपरोक्त शब्द बुखारी द्वारा वर्णित हैं।

समय तक साथ रहने एवं उसका अनुसरण करने के कारण इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण मुस्लिम परिवार की प्रशिक्षण व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित होता है, परिणाम स्वरूप यह परिवार सर्वोत्तम प्रशिक्षण के निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण तत्व से चूक जाता है, और वह तत्व है उत्तम आदर्श और रोल मॉडल।

इस्लाम ने अपनी महान शिक्षा प्रणाली में यह भी बताया है कि धर्म और नैतिकता एवं अन्य सभी कार्यों के संबंध में बुरा आदर्श रखना कितना गंभीर और खतरनाक है, अल्लाह कहता है:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ

عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾ [سورة لقمان: ٢١]

अनुवाद: (तथा जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह की उतारी हुई वही का अनुकरण करो तो कहते हैं कि हम ने तो जिस ढंग पर अपने बाप दादा को पाया है उसी का अनुकरण करेंगे, यद्यपि शैतान उनके बड़ों को नर्क की यातना की ओर बुलाता हो)। सूरह लुक्मान: २१।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह भी वर्णन किया है कि बुरे आदर्श के अनुयायी को किस हानि और नुकसान का सामना करना पड़ता है: “जिसने कोई बुरा तरीका आविष्कार किया तथा लोगों ने उसका पालन किया तो उस पर उसका गुनाह होगा तथा उसका अनुसरण करने वालों का गुनाह भी उसे मिलेगा तथा उनके गुनाह में कोई कमी नहीं होगी”⁽¹⁾

इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आदर्श का मामला कितना गंभीर है तथा बुरा आदर्श बनने वालों का पाप कितना बड़ा है, अतः इन बुरे प्रभाव की भरपाई के लिए परिवार के लिए सबसे बड़ी मदद यह है कि अल्लाह तआला की मदद ली जाए, तथा अल्लाह की हिकमत (तत्वज्ञान) पर आधारित जीवन शैली को व्यावहारिक रूप से घर में लागू किया जाए।

३- बदनामी और अपकीर्ति:

जब किसी परिवार के सदस्य नैतिक विचलन का शिकार हो जाते हैं, तो वह परिवार कलंकित हो जाता है, और इस कलंक के परिणामस्वरूप, कई सामाजिक और शैक्षणिक दुष्प्रभाव भी सामने आते हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि लोग कलंकित परिवार से जुड़ना और वहाँ शादी करना बुरा समझते हैं तथा उनसे दूर रहने में सहजता अनुभव करते हैं, मनोवैज्ञानिक और नैतिक रूप से इसके गंभीर परिणाम होते हैं जिनसे माता-पिता को निपटना पड़ता है।

अतः परिवार की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वह इन बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए इस्लाम द्वारा दी गई प्रशिक्षण प्रणाली को व्यावहारिक रूप से अपनाए, वह इस्लामी

⁽¹⁾ सहीह मुस्लिम (२/ ७०५) हदीस संख्या (६९-१०१७)।

प्रणाली जो परिवार और समाज को यह गारंटी देती है कि वे नैतिक बुराइयों की विनाशशीलता से उन्हें सुरक्षित रखेगा, अप्रवाह फैलाने वालों की बदजुबानी एवं बीमार दिल वाले लोगों की बुराई से उनके सम्मान की रक्षा करेगा, इस्लाम द्वारा दी गई प्रशिक्षण की सुरक्षात्मक प्रणाली इस संबंध में सर्वोत्तम सहायक है, अल्लाह तआला के इस कथन पर विचार कीजिए:

﴿يَنْسَاءَ النَّبِيُّ لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [سورة الاحزاب: ३२]

अनुवाद: (हे नबी की पत्नियो! तुम नहीं हो अन्य स्त्रियों के समान, यदि तुम अल्लाह से डरती हो तो कोमल भाव से बात न करो कि लोभ करने लगे वह जिसके दिल में रोग हो और सभ्य बात बोलो)। सूरह अहज़ाब: ३२।

इस दिव्य व्याख्या में सुरक्षात्मक प्रशिक्षण का मार्गदर्शन प्रस्तुत किया गया है ताकि वासना के रोग से पीड़ित हृदय वाले कुछ बुरा न सोचने लगे, तनिक हमें बताएं कि इस सुरक्षात्मक प्रशिक्षण से बेहतर और उत्तम कौन सा प्रशिक्षण हो सकता है?!

४- भेदभाव, अराजकता, द्वेष एवं घृणा:

जब परिवार के सदस्यों के बीच गीबत, चुगली, द्वेष और ईर्ष्या आम बात हो जाती है तो उनमें नफरत और द्वेष जड़ जमाने लगते हैं, मतभेद और उदासीनता का माहौल बन जाता है और निकटता और आत्मीयता के स्थान पर दूरियां और मनमुटाव जन्म लेते हैं।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने संबंध विच्छेद करने की गंभीरता को दर्शाते हुए फ़रमाया: “रिश्ता और संबंध अर्श से लटका हुआ है तथा कहता है कि: जो मुझ को मिलाए अल्लाह उसको अपने से मिलाए और जो मुझ को काटे अल्लाह तआला उसको अपने से काटे”।⁽¹⁾

इसके अतिरिक्त संबंध जोड़ने से जीविका में वृद्धि एवं आयु में बढ़ोतरी होती है, जैसाकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस में वर्णित है: “जो चाहता हो कि उसके जीविक में वृद्धि हो तथा आयु में बढ़ोतरी हो तो वह संबंधों को जोड़े”।⁽²⁾

संबंध तोड़ने वाले पर इसके गंभीर परिणाम होते हैं, पाप के साथ ही उसे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और भौतिक हानि का सामना करना पड़ता है, ये सभी समस्याएं आपसी सहयोग, एक दूसरे की मदद और जरूरतमंदों की जरूरतों का ध्यान न रखने के कारण होती हैं। कभी-

⁽¹⁾ सहीह बुखारी (४/ ९५-९६) हदीस संख्या (६०२४), व मुस्लिम (४/ २००३-२२०४) हदीस संख्या (७७-५९३)।

⁽²⁾ सहीह बुखारी (४/ ८९) हदीस संख्या (५९८५), व मुस्लिम (४/ १९८२)।

कभी अमीर आदमी खुद चैन की नींद सो रहा होता है लेकिन उसका करीबी रिश्तेदार भूख से बेचैन हो रहा होता है, इसलिए इस्लामी परिवार का यह कर्तव्य है कि वह इस्लाम में प्रशिक्षण जो भी तरीके बताए गए हैं, उनके द्वारा संबंध विच्छेद एवं अलगाव को दूर करने एवं समूह को एकत्र रखने का भरपूर प्रयास करे।

से दया और लगाव की कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करे इस्लाम में शिरजा को रोकने का उल्लेख किया गया है।

५- विवाह में विलंब:

कुछ नैतिक बुराइयाँ ऐसी भी हैं जो परिवार के युवा वर्ग के विवाह में देरी का कारण बनती हैं, इसका कारण या तो यह होता है कि धन और संपत्ति को नशीली दवाओं के दुरुपयोग में लुटा दिया जाता है, या मौज-मस्ती एवं खेल-कूद के वर्जित कार्यों में अनावश्यक रूप से खर्च किया जाता है, या अवैध संबंध स्थापित कर के यौन इच्छाओं को पूरा करने, अथवा रीति-रिवाजों और परंपराओं का पालन करके और फैशन की नकल करने उस धन को अनुचित ढंग से खर्च कर दिया जाता है।

शादी-विवा में विलंब करने से जो फसाद एवं गंभीर दुष्परिणाम पड़ते हैं, उन्हें निम्न में उल्लेखित किया जा रहा है⁽¹⁾:

१- नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इस वसीयत का पालन करने में लापरवाही से काम लिया जाता है: “हे युवाओं के समूह! तुम में से जिसके अंदर भी निकाह करने की क्षमता हो वह निकाह कर ले, क्योंकि यह निगाह को नीची रखने वाला एवं गुप्तांग की रक्षा करने वाला कार्य है, तथा जिसके अंदर निकाह करने की क्षमता न हो उसे रोज़ा रखना चाहिए क्योंकि रोज़ा उसकी कामाग्नि को कम कर देगा”⁽²⁾

२- हराम नज़र तथा व्यभिचार में पड़ने से रोकने के लिए शरीअत ने साधन रोकने के रूप में जिन चीज़ों को प्रतिबंधित किया है, उनका दरवाज़ा खुला रहता है।

३- वंश के जन्म और प्रजनन में देरी होती है जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम क्रयामत (पुनरुत्थान) के दिन अपनी उम्मत की बाहुल्यता पर गर्व करेंगे, आप सल्लल्लाहु

⁽¹⁾ अल् मुश्किलात अल् तर्बविय्यह अल् उसरिय्यह व असालीबुहा अल् इलाजिय्यह, लेखक: खालिद अल् हाज़मी: १०-११।

⁽²⁾ सहीह बुखारी (३/ ३५५) हदीस संख्या (५०६६), व मुस्लिम (२/ १०१९) हदीस संख्या (३)।

अलैहि व सल्लम का कथन है: “खूब प्रेम करने वाली एवं बच्चा जनने वाली महिला से विवाह करो क्योंकि मैं क़यामत के दिन तुम्हारी बहुतायत के कारण अन्य समुदायों पर गर्व करूँगा”।⁽¹⁾

४- विवाह में विलंब करने से महिलाओं की अविवाहित दर बढ़ जाती है।

६- पवित्रता भंग होना:

कुछ नैतिक बुराइयाँ इतनी गंभीर होती हैं कि उनके कारण सम्मान और इज्जत को ठेस पहुँचती है तथा वंश नष्ट और बर्बाद हो जाती है, आदमी की संतान किसी दूसरे की संतान कहलाती है, सभी आपदाएँ यौन अनैतिकता के परिणामस्वरूप होती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस है: “तुम्हारा रक्त, तुम्हारा धन एवं तुम्हारी इज्जत एक दूसरे पर उसी तरह हराम (वर्जित) है जैसे इस दिन की हुरमत (वर्जना), इस नगर एवं इस मास की हुरमत है, अतः उपस्थित लोग अनुपस्थित लोगों तक (इस पैग़ाम को) पहुँचा दें”।⁽²⁾

परिवार की भलाई और सुरक्षा इस बात में निहित है कि वह नैतिक भ्रष्टाचार से सुरक्षित रहने के लिए इस्लामी प्रशिक्षण प्रणाली में दिए गए प्रशिक्षण नुस्खों का पालन करे, क्योंकि इस्लामी प्रशिक्षण प्रणाली ही मानवता को पुरसुकून एवं शांतिपूर्ण जीवन की गारंटी देती है।

इस्लाम की प्रशिक्षण की व्यवस्था यह है कि जीवन के हर क्षेत्र में कुरआन की शिक्षाओं एवं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों लागू किया जाए।

⁽¹⁾ सहीह बुखारी (१/ ४१) हदीस संख्या (६७), व मुस्लिम (३/ १३०६) हदीस संख्या (३०/ १६७९)।

⁽²⁾ इस हदीस का हवाला पीछे दिया जा चुका है।

सातवां पाठ: आर्थिक एवं वित्तीय प्रभाव

समाज के निर्माण और स्थिरता में अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण आधार है, यदि इसमें गिरावट आती है, तो बेरोजगारी, बुराई, भ्रष्टाचार, विचलन और गुमराही का मार्ग प्रशस्त होता है, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने निर्धनता एवं गरीबी से पनाह मांगी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह दुआ किया करते थे: “हे अल्लाह! मैं तेरी शरण चाहता हूँ कुफ्र से, निर्धनता से एवं क्रब्र के अज़ाब से”।⁽¹⁾

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह कथन भी है: “हे अल्लाह! मैं तेरी शरण चाहता हूँ निर्धनता एवं गरीबी से, पनाह मांगता हूँ कमी एवं अपमान से, अत्याचार करने से तथा इससे कि मेरे ऊपर अत्याचार किया जाए”।⁽²⁾

उम्मत की अर्थव्यवस्था और आजीविका को कमजोर करने वाले कारणों और कारकों में से एक प्रभावी कारण नैतिक बुराइयों का रिवाज एवं प्रचलन भी है, क्योंकि नैतिक बुराइयां अपने दामन में ऐसी बुराई और भ्रष्टाचार के अंगारे छिपाए हुई होती जो उम्मत के उत्थान और विकास एवं प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग में बाधा डालती हैं। उम्मत की आर्थिक शक्ति को प्रभावित करने वाले अनैतिकता के महत्वपूर्ण प्रभावों को निम्नलिखित पंक्तियों में दर्ज किया जा रहा है:

१- अत्याधिक खर्चा

व्यक्ति और समाज की आजीविका और आय को कमजोर करने में नैतिक बुराइयों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि नैतिक विचलन के शिकार लोग जब विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, तो वे अपने काम-धंधे से दूर हो जाते हैं और बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद करने लगते हैं।

दूसरी ओर, नैतिक पतन से पीड़ित व्यक्ति अपनी आय का एक मोटा हिस्सा वर्जित संगीत सुनने, निषेध उपकरण खरीदने, नाटक और सिनेमा जैसे समय बर्बाद करने वाली चीजों या नशीली दवाओं का सेवन करने में खर्च करता है, जिसका परिणाम उम्मत के लिए आर्थिक संकट एवं वित्तीय हानि के रूप में प्रकट होता है।

(1) नसई (३/ ७३-७४) हदीस संख्या (१३४७), अहमद (५/ १३६) इस हदीस को अल्लामा अलबानी ने सहीह सुनन नसई में सहीह करार दिया है, हदीस संख्या (१२७६)।

(2) अबू दावूद (२/ १९०-१९१) हदीस संख्या (१५४४), इस हदीस को अल्लामा अलबानी ने सहीह करार दिया है, देखें: सहीह सुनन अबू दावूद (१३६६-१५४४)।

कुछ शोधों से पता चला है कि कुछ इस्लामिक समाज ऐसे हैं जहां परिवार के बजट का १३% शराब पर खर्च किया जाता है, और शराब के सेवन से समाज को लगभग ३१९५ मिलियन मिस्री जुनैह (Egyptian Pounds)⁽¹⁾ का नुकसान होता है⁽²⁾

कुछ शोधों से यह भी पता चला है कि नशीली दवाओं और मादक पदार्थों पर खर्च की जाने वाली धनराशि आमतौर पर आय के आधे से कम नहीं होती है, बल्कि कभी-कभी नशे की लत वाले व्यक्ति को अपनी प्यास बुझाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है⁽³⁾

२- बेरोज़गारी:

नैतिक विचलन का एक बुरा प्रभाव यह भी है कि यह आराम की आदत की तरफ ले जाता है, और लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष रूप से नशीली दवाओं की प्यास बुझाने के लिए लोगों का धन हड़पने की लत पड़ जाती है, नशीली दवाओं के आदी लोगों में आराम की प्रवृत्ति प्रबल होती है, एक अध्ययन में ऐसे लोगों की दर ११.२% तक पाई गई है।

३- उपचार एवं चिकित्सा व्यय:

जब किसी समुदाय के लोग बीमार पड़ते हैं तो इसका उस समुदाय की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है, खासकर जब बीमारी से पीड़ितों की संख्या अधिक हो तो अर्थव्यवस्था की चूल्हे हिल जाती हैं। अर्थव्यवस्था पर बीमारी का प्रभाव इतना गहरा इसलिए होता है क्योंकि इसके कारण लोगों काम काज तो छोड़ते ही हैं साथ ही साथ अपनी स्वास्थ्य देखभाल और सर्वोत्तम उपचार पर भी बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, जबकि यह पैसा आर्थिक विकास पर खर्च करना बेहतर होता।

नैतिक पतन के कारण व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त हो जाता है और उसकी सोचने-समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप वह काम नहीं कर पाता और उसकी मेहनत प्रभावित होती है, उसके इलाज का खर्च देश के बजट पर असर डालता है।

दूसरी ओर, द्वेष, ईर्ष्या एवं घृणा के परिणामस्वरूप लोगों को जो संपत्ति की हानि होती है उससे भी देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और बुरे व्यवहार के परिणामस्वरूप, संपत्ति बर्बाद होती है और कड़ी मेहनत की सराहना नहीं की जाती है।

(1) ३१९५ मिलियन भारतीय रुपये में लगभग ५५९२१०५२०७ रूपया होता है।

(2) अल् जवानिब अल् इज्तिमाइय्यह लि ज़ाहिरतिल् इदमान, लेखक: सैयिद मुतवल्ली उश्मावी (१/ १०१-१०२)।

(3) पिछला संदर्भ।

व्यभिचार एवं समलैंगिकता से पीड़ित लोगों को प्रायः ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं जो उन्हें कमजोर बना देती हैं और वे अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने में असमर्थ हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मन और शरीर अप्रभावी हो जाते हैं, जबकि वही मानसिक बुद्धि और शारीरिक शक्ति उम्मत के निर्माण के लिए उपयोग की जा सकती थी लेकिन नैतिक बुराइयों की लत उसे इतना अप्रभावी बना देती है कि वह उम्मत की आर्थिक उन्नति और विकास में योगदान देने में असमर्थ हो जाता है, इस से बढ़ कर देश की पूंजी उसके इलाज, दवा, बिस्तर एवं अस्पताल पर खर्च हो जाती है जो देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है।

४- रिश्तखोरी को रिवाज दे कर आय के स्रोतों को नष्ट करना:

अल्लाह तआला ने लोगों का माल अन्यायपूर्वक खाना हराम करार दिया है, अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾ [سورة البقرة: ١٨٨]

अनुवाद: (एक दूसरे का धन अन्यायपूर्ण ढंग से न खाया करो, न अधिकारियों को घूस पहुँचा कर किसी का धन अत्याचार करते हुए अपना लो, हालांकि तुम जानते हो)। सूरह बक्ररह: १८८।

अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि: “अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रिश्त लेने एवं देने वाले को मलऊन (धिक्कारित) बताया है”^(१)

रिश्तखोरी का दायरा केवल धन और लाभ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे पद और औहदा को प्राप्त करना जिसका वह व्यक्ति हकदार नहीं है, रिश्तखोरी में शामिल है, किसी अयोग्य व्यक्ति को नौकरी देना वास्तव में किसी के कौशल एवं क्षमताओं को कम आंकना तथा रचनात्मकता को कमजोर करना है जो उम्मत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है।

किसी अयोग्य व्यक्ति को पद सौंपना भी क्रयामत की एक निशानी है, अबू हुदैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “जब अमानतदारी संसार से उठ जाए तो क्रयामत आने की प्रतीक्षा करो, सहाबी ने पूछा: अमानतदारी उठने से क्या अभिप्राय है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: शासन की जिम्मेदारी अयोग्य लोगों को सौंप दी जाए तो क्रयामत की प्रतीक्षा करो”^(२)

^(१) मुसनद अहमद (२/ १४६)।

^(२) सहीह बुखारी (१/ ३७) हदीस संख्या (५९)।

कभी-कभी रिश्ततखोरी के परिणामस्वरूप उम्मत के अधिकार खत्म हो जाते हैं और धन-संपत्ति के विनाश के रूप में उसकी अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाती है, ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने घूस देकर पद प्राप्त किए तथा जिन्हें प्रशासनिक और वित्तीय मामलों से संबंधित जिम्मेदारियां दी गईं, लेकिन उन्होंने पैसे के लालच में आ कर की योजनाओं का बंटोधार कर दिया, घूस के कारण ही अनेक बार अनुपयोगी खाद्य सामग्री और एक्सपायरी दवाएँ समाज के भीतर वितरित की गईं और लोगों की मृत्यु का कारण बनीं, इस प्रकार समुदाय एवं देश को व्यक्तिगत और वित्तीय दोनों प्रकार की हानि का सामना करना पड़ा।⁽¹⁾

५- उत्पादकता की कमी एवं विचलन व स्वच्छंदता:

अमानत का पालन न करने और काम में ईमानदारी की कमी के कारण उत्पादन में कमी, उसकी गुणवत्ता में गिरावट और विकृति आती है, क्योंकि जब अमानत का पालन किया जाता है तो पेशे में कठोर परिश्रम एवं कड़ी मेहनत से काम लिया जाता है, वास्तविक व्यक्ति को उसका अधिकार दिया जाता है, शरीअत ने अपने अनुयायियों के लिए जो अधिकार निर्धारित किए हैं उनमें कोई चूक या उपेक्षा नहीं की जाती है। सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन है:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [سورة

[الأَنْفَال: २७]

अनुवाद: (हे ईमान वालो! तुम अल्लाह एवं उसके रसूल के अधिकारों में जानते बूझते ख्यानत न करो तथा अपनी अमानत में ख्यानत (धोखा) मत करो)। सूरह: अन्फाल: २७।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस है कि: “जो तुम्हें अमानत दे, उसकी अमानत उसे अदा करो एवं ख्यानत (विश्वासघात) करने वालों के साथ भी ख्यानत न करो”।⁽²⁾

जब उम्मत के भीतर अमानत की कमी होती है तो पेशा एवं व्यवहार में विश्वासघात, छल, गलत बयानी, धोखाधड़ी और फरेब का चलन आम हो जाता है, तथा व्यापार में मंदी आती है, जिसका प्रभाव उम्मत -ए- इस्लाम की आर्थिक कमजोरी के रूप में प्रकट होता है। इस्लाम ने ख्यानत (विश्वासघात) को मुनाफ़िक़ अर्थात् पाखंडी की एक निशानी बताया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है: “मुनाफ़िक़ की तीन निशानियां हैं: जब बात करे

(1) मुख्तसर्द् दिरासातिल अमनिय्यह, लेखक: इमादुद्दीन सुल्तान (१/ ६७-७१)।

(2) अबू दावूद (३/ ८०४-८०५) हदीस संख्या (३५३४), अहमद (३/ ४१४) अल्लामा अलबानी ने सहीहल जामेअ अस्स सग़ीर में इसे सहीह कहा है, हदीस संख्या (२४०)।

तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा को तोड़ दे तथा जब उसके पास अमानत रखी जाए तो ख्यानत करे”⁽¹⁾

६- धन दौलत की बर्बादी:

नैतिक अधमता के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली बुराइयों में संपत्ति की बर्बादी और धन की बर्बादी के विभिन्न रूप शामिल हैं जैसे फिजूलखर्ची, अपव्यय एवं काला बाजारी इत्यादि।

नैतिक पतन के शिकार बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका धन अनावश्यक रूप से खर्च होता तथा वर्जित कार्यों में दिल खोल कर खर्च किया जाता है, अल्लाह तआला का फ़रमान है:

﴿وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [سورة الأعراف: ३१]

अनुवाद: (तथा सीमा को न फलांगो, निस्संदेह अल्लाह सीमा फलांग जाने वालों को पसंद नहीं करता)। सूरह आराफ़: ३१।

दूसरी ओर, स्थिति यह है कि नशीली दवाओं के विक्रेता अवैध तरीके से डॉलर को एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित करने में अपनी प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं, ताकि देश को काले बाजार में शामिल किया जा सके⁽²⁾ जबकि इससे देश की अर्थव्यवस्था को बड़े गंभीर खतरे का सामना करना पड़ता है।

७- उपचार एवं स्वास्थ्यकारी व्यय:

व्यभिचार, चोरी, रिश्वतखोरी, जालसाजी, मादक पदार्थों की तस्करी, और नशीले पदार्थों के प्रचार और प्रसार जैसे नैतिक अधमता की रोकथाम करने में देश और इसकी कानून प्रवर्तन प्रणाली को भारी वित्तीय लागत आती है, और अपराधियों की गिरफ्तारी, उनके अपराध को रोकने एवं मुकदमा चलाने में इतनी अधिक लागत आती है कि देश को इन दुष्टों के अस्तित्व से मुक्त कर दिया जाए और इस धन को देश की विकास परियोजनाओं में खर्च किया जाए तो देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से, नैतिक कदाचार को रोकने के लिए और दुष्टों को पकड़ने पर देश को इतनी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है कि देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।

(1) इस का हवाला पहले दिया जा चुका है।

(2) अल् जवानिब अल् इज्तिमाइय्यह लि ज़ाहिरतिल् इदमान, लेखक: सैयिद मुतवल्ली उश्मावी (१/ १०१)।

समापन:

यह पुस्तक इस्लाम की महान नैतिकताएं, इन नैतिकताओं के सिद्धांत एवं नियम, उनकी सीमाएं एवं हदूद तथा कुछ ऐसे महान गुणों पर आधारित है जो पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर आपसी रिश्ते बनाते हैं, और लोक परलोक में व्यक्ति के मूल्य और स्थिति को बढ़ाते हैं।

चूँकि अच्छे संस्कारों के विपरीत बुरे संस्कार भी हैं, इसलिए इस पुस्तक में मन, हृदय, श्रवण और दृष्टि तथा चरित्र और कार्यों से संबंधित नैतिक बुराइयों पर भी कुछ चर्चाएँ की गई हैं, साथ ही इन नैतिक बुराइयों का परिचय भी प्रस्तुत किया गया है, उनकी तबाही एवं विनाशशीलता पर प्रकाश डाला गया है और उनके उपचार के लिए प्रशिक्षण नुस्खों का वर्णन किया गया है, साथ ही नैतिक पतन के सामान्य कारणों का भी उल्लेख किया गया है, और व्यक्तियों, परिवारों, अच्छे संस्कारों की रक्षा करने और बुरे संस्कारों को दूर करने, समाज और राष्ट्र पर थोपे गए उत्तरदायित्व का भी वर्णन किया गया है।

इस पुस्तक के अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि इस्लाम द्वारा प्रस्तुत जीवन प्रणाली में व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की सभी समस्याओं का समाधान समाहित हैं। इस्लामी जीवन व्यवस्था ही में वह प्रसन्नता, सौभाग्य और अच्छे संस्कार हैं जो किसी व्यक्ति को उसके पालनहार के करीब ला सकते हैं।

इस्लाम ने सभी नैतिक गुणों को प्रोत्साहित किया है और उनसे जुड़े पुरस्कारों एवं पुण्यों की व्याख्या की है, साथ ही सभी प्रकार के नैतिक दोषों की पहचान और व्याख्या की है और उनसे जुड़े पाप और गंभीरता का वर्णन किया है।

समस्त प्रशंसाएं उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें इस्लाम जैसी उत्तम जीवन व्यवस्था से अनुग्रहीत किया है, हम सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह से प्रार्थनारत हैं कि वह हमें हमारे कर्मों को सभी नैतिक गुणों से सजाने का अनुग्रह प्रदान करे और हमें सभी प्रकार की नैतिक बुराइयों और विचलनों से बचाए, हमें अपनी क्षमा और दया से उच्च स्थान प्रदान करे, और हमें अपने पसंदीदा कार्यों की तौफीक और मार्गदर्शन प्रदान करे।

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين-

विषय सूची

भूमिका	2
प्रथम अध्याय: इस्लामी अखलाक (नैतिकता)	4
परिचय:	5
पहला पाठ:	6
अखलाक (नैतिकता) का अर्थ	6
प्रथम: अखलाक का शाब्दिक अर्थ:	6
द्वितीय: कुरआन -ए- करीम में अखलाक का वर्णन:	7
तृतीय: हदीस में अखलाक का वर्णन:	8
चतुर्थ: इस्लामी प्रशिक्षण में अखलाक (नैतिकता)	12
दूसरा पाठ:	20
अखलाक के जवाबित अर्थात् नियम एवं सिद्धांत	20
जाबित की परिभाषा:	20
जाबता की क्रिस्में:	20
प्रथम: शरई जाबते:	20
द्वितीय: प्रथागत जाबते:	22
तृतीय: मनोवैज्ञानिक जाबते:	24
तीसरा पाठ:	28
अखलाक के हुदूद (नैतिकता की सीमाएं)	28
अखलाक के हुदूद का अर्थ:	28
अखलाक की सीमा का महत्व:	28
अखलाक की हुदूद (नैतिकता की सीमाओं) के प्रकार:	29
१- सामान्य सीमाएं:	29
२- विशेष हुदूद (सीमा):	31
चौथा पाठ:	34

नैतिक आचरण के सिद्धांत	34
पहला: कल्याणकारी कार्य करना:	34
दूसरा: कष्ट दूर करना:	38
तृतीय: कष्ट सहना:	43
चतुर्थ: प्रसन्नचित्त हो कर मिलना:	45
पाँचवां पाठ:	46
इस्लामी अखलाक (नैतिकता) के आधार	46
१- नियत (इखलास, निष्ठा, इरादा):	46
२- इत्तेबाअ अर्थात् नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुसरण:	49
३- बाध्य हो कर नैतिकता का पालन करना (नैतिक दायित्व):	53
४- नैतिक सहजता:	62
छठा पाठ:	70
शिष्टाचार एवं नैतिक गुण	70
प्रथम: अल्लाह तआला के साथ शिष्टाचार:	71
द्वितीय: रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा समस्त नबियों के साथ शिष्टाचार:	75
तृतीय: मातृ-पिता के साथ शिष्टाचार:	78
चतुर्थ: रहिम अर्थात् सगे-संबंधियों के संग शिष्टाचार:	81
पंचम: जार (جار) अर्थात् पड़ोस के शिष्टाचार:	83
षष्ठ: नैतिक प्रधानता एवं फ़ज़ीलत:	90
- हया (लज्जा):	90
- सन्न (धैर्य):	93
- सिद्क (सच्चाई):	98
- तवाज़ुअ (विनम्रता):	102
- रिफ़क़ (मृदुलता, कोमलता) एवं रहमत (दया):	107
- अमानतदारी:	112
सातवां पाठ:	116

नैतिक शिक्षा और नैतिक निर्णय की नींव	116
पहला: नैतिक निर्णय:	116
दूसरा: नैतिक शिक्षा की नींव:	117
सारांश:	119
दूसरा अध्याय: अखलाक़ी (नैतिक) बुराइयाँ:	120
परिचय	121
प्रथम पाठ: अखलाक़ी (नैतिक) बुराइयाँ: परिभाषा, परिचय और सिद्धांत	124
पहला: नैतिक बुराइयों की परिभाषा	124
दूसरा: नैतिक बुराइयों का परिचय एवं सिद्धांत	124
तीसरा: नैतिक बुराइयों के नियम	131
द्वितीय पाठ:	135
नैतिक बुराइयों के प्रकार व भेद	135
प्रथम: शाब्दिक बुराईयाँ	136
दूसरा: श्रव्य एवं दृश्य बुराईयाँ:	157
चौथा: दिल की बुराईयाँ	220
तीसरा पाठ:	247
नैतिक विचलन के कारण	247
पहला: धार्मिक प्रेरणा का कमज़ोर होना	249
दूसरा: मनोरोग समन्वय विकार	253
तीसरा: आर्थिक कारक:	261
चौथा: सामाजिक वातावरण:	273
चौथा पाठ:	287
नैतिक विचलनों के प्रति हमारा दायित्व	287
पहला: व्यक्तिगत उत्तरदायित्व:	288
दूसरा: पारिवारिक दायित्व:	292
तीसरा: सामाजिक दायित्व:	295

चौथा: सरकार का दायित्व:	298
पाँचवा: शैक्षणिक वातावरण की जिम्मेदारी	303
पाँचवां पाठ:	306
नैतिक बुराइयों के उपचार की इस्लामी पद्धति	306
पहला: इस्लामिक शरई विद्या का प्रचार प्रसार	306
दूसरा: अच्छी संगति	309
तीसरा: शरई दण्डों को लागू करना	311
चौथा: मीडिया का सही उपयोग	313
पाँचवा: मस्जिदों का सही उपयोग	314
छठा: नफ्स (स्वयं) से जिहाद करना	316
छठा: दूरदर्शिता (मृत्यु पश्चात जीवन का सिद्धांत)	318
तीसरा अध्याय: उम्मत पर पड़ने वाले बुरे आचरण के प्रभाव	320
पहला पाठ: धार्मिक प्रभाव	323
दूसरा पाठ: सुरक्षा संबंधी प्रभाव:	328
तीसरा पाठ: स्वास्थ्य से संबंधित अनैतिकता के बुरे प्रभाव	332
चौथा पाठ: मनोवैज्ञानिक प्रभाव:	336
पाँचवां पाठ: सामाजिक प्रभाव	343
छठा पाठ: पारिवारिक प्रभाव	347
सातवां पाठ: आर्थिक एवं वित्तीय प्रभाव	352
समापन:	357
विषय सूची	358

